



# शाला संगठन एवं शिक्षा समस्याएँ

(School Organisation & Problems of Education)  
(समस्त विश्वविद्यालयों की बी ए, बी एड कक्षाओं के लिए पाठ्य-पुस्तक)

लेखक 6052  
॥ १४ १० ८८ ॥

हेतसिंह बघेला

एम ए (हिंदी व इतिहास), एम एड  
सू. प्र. प्राचार्य, रा शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, बीकानेर  
तथा अपर निदेशक (शिक्षा), राजस्थान ।

एव

हरिश्चन्द्र व्यास

एम ए, एम एड

राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, बीकानेर

प्राक्कथन लेखक :

डॉ पी एन माहेश्वरी

कम्प्यूटर, बोर्ड ऑफ स्टडीज (शिक्षा सहाय), राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर

अभिमत

श्री अगदीश नारायण पुरोहित

प्रधानाचार्य

राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, बीकानेर

डॉ सी एम शर्मा,

एसोसिएट प्रोफेसर, बी एड पत्राचार संस्थान, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

1985-86

आडोदिया पुस्तक भंडार, बीकानेर

प्रकाशक ।

किशनलाल गाडोदिय  
गाडोदिया पुस्तक भ  
फड बाजार बीकानेर  
फोन न 4080, 5330

प्रथम संस्करण 1985-86

मूल्य ।

छात्र संस्करण रु० 35 00

पुस्तकालय संस्करण रु० 55 00

मुद्रक ।

राजस्थान प्रिंटर्स, रानी बाजार, बीकानेर

14 10 85

## प्राक्कथन

नामक अपेक्षायें रखना उचित नहीं है। फिर भी प्रशिक्षण के माध्यम से उनमें वांछित शैक्षिक चिंतन का विकास करना आवश्यक है। शिक्षक के अनुरूप जीवन-दशन एवं उसका सामाजिक महत्त्व, राष्ट्र निर्माण में उसका स्थायी विद्यालय का संगठन और उसके कार्य, शिक्षा जगत से सम्बन्धित अनेकानेक समस्याएं तथा उनका उपयुक्त निराकरण आदि की जानकारी देना महत्त्वपूर्ण है। उनमें प्रशिक्षण के माध्यम से वांछित व्यवसायिक निष्ठाओं तथा क्षमताओं का विकास करना भी महत्त्वपूर्ण है।

राष्ट्र-स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रभावी बनाने का प्रयास चल रहा है। राजस्थान विश्वविद्यालय के नये पाठ्यक्रम में भी प्रश्न पत्रों की पुनरचना की गई है। नये पाठ्यक्रम में 'विद्यालय संगठन तथा शिक्षा की समस्याएँ' नामक तृतीय प्रश्न-पत्र सम्मिलित किया गया है। इस प्रश्न पत्र पर श्री हेतसिंह जी वर्षेला एवं श्री हरिश्चंद्र जो व्यास द्वारा लिखित पुस्तक की पाण्डुलिपि देखने का अवसर प्राप्त हुआ। अपने दीर्घ कालीन प्रशिक्षण महाविद्यालयों के शिक्षक एवं प्राचार्यों के रूप में एकत्रित अनुभव स्वाध्याय, विन्तन एवं मनन का जो निचोड़ उनकी अथक कृतियों में देखने का अवसर मिला, उसका समावेश इन्होंने इस पुस्तक के लखन में भी किया है।

पाठ्यक्रम की आवश्यकतानुसार पाठ्य-सामग्री सरल एवं सुगम भाषा-शैली एवं व्यवस्थित तथा तार्किक प्रस्तुति का आधार पर विद्वान लखनो की अथक पुस्तकों के समान ही यह पुस्तक भी अत्यंत लोकप्रिय होगी। राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्राव्यापकों के अनिरीकित यह अथक विश्वविद्यालयों के प्रशिक्षार्थियों के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगी।

प्रेम नारायण माहेश्वरी

प्राचार्य  
सयाजक-बाड आफ स्टेडीज (शिक्षा सहाय)  
राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर

( अ )



## अभिमत

वर्तमान में स्थिति यह है कि प्रपेजी में लिखी अच्छे स्तर की पुस्तके पढ़ने की विद्यार्थियों में योग्यता नहीं होती तथा हिन्दी में अच्छे स्तर की मौखिक पुस्तकों का प्रभाव बना हुआ है। परिणाम स्वरूप विद्यार्थी तस्ती एव बाजारू पुस्तकों का अध्ययन कर परीक्षा में येन-वेन-प्रकारेण उत्तीर्ण होने का प्रयास करते हैं। शैक्षिक स्तर में गिरावट आने का यह भी एक प्रमुख कारण है।

उक्त परिपेक्ष्य में "शाला सगठन एव शिक्षा समस्याएँ" नामक इस पुस्तक का महत्व सहज ही उजागर हो जाता है। पुस्तक में प्रधानाध्यापक की भूमिका, सह-शिक्षक प्रवृत्तियों का आयोजन, स्वास्थ्य शिक्षण, विद्यालय अनुशासन विद्यालय के भौतिक ससाधन, शाला पुस्तकालय, छात्रावास परीक्षण एवं प्रोत्साहित समय विभाग-चक्र, छात्र असन्तोष, शिक्षा का भारतीयकरण, धार्मिक एव नैतिक शिक्षा, विद्यालय समुर्गमन योजना, जनसंख्या शिक्षा आदि विषयों पर सारगर्भित सामग्री सजोने का प्रयास किया गया है। निश्चित ही पुस्तक की एड के विद्यार्थियों के लिये उपयोगी सिद्ध होगी। सेवारत अध्यापक भी इस पुस्तक का अध्ययन कर अपने विचारों में निखार ला सकेंगे, ऐसी आशा है।

लेखको का प्रयास पुस्तक को जहाँ की एड के प्रशिक्षणार्थियों के लिए अधिकतम उपयोगी बनाना रहा है, वहीं इसे विद्यालय प्रशासन की दृष्टि से सबभ पुस्तक भी बनाया गया है। पुस्तक में अद्यतन विभागीय/राजकीय आदेशों/नियमों एवं निर्देशों का भी समावेश करने का अच्छा प्रयास किया गया है।

लेखकगण इस सामयिक एव अच्छे प्रयास के लिए बधाई के पात्र हैं। मेरी शुभ-कामनाएँ उनके साथ है।

जगदीश नारायण पुरोहित

प्रधानाचार्य

राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय बीकानेर

## अभिमत

श्री हेतसिंह बघेला तथा श्री हरिश्चन्द्र व्यास द्वारा रचित "शाला सगठन एवं शिक्षा समस्याएँ" पुस्तक की पाण्डुलिपि मैंने देखी है। निश्चय ही यह पुस्तक बी एड के छात्राध्यापकों तथा शिक्षा जगत में कार्यरत अध्यापकों, प्रधानाध्यापकों व शोधकर्त्ताओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगी ऐसी मेरी व्यक्तिगत धारणा है। पुस्तक नये पाठ्यक्रम के अनुसार लिखी गई है इसमें परीक्षार्थियों के लिए उपयोगी हो सकेगी। पुस्तक में प्रत्येक पाठ को धार प्रस्तुत किया गया है तथा अन्त में परीक्षा सम्बन्धी प्रश्न भी दिए पुस्तक लिखने में लेखक बाबुमो ने परिश्रम किया है। दोनों ही लेखकगण के पात्र हैं।

डॉ० सी०एम० शर्मा

एसोसिएट प्रोफेसर

प्रभारों की एड पत्राचार मध्ययन संस्थान  
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

## अभिमत

शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में गत वर्ष परिवर्तित परिस्थितियों एवं नवीन अनुसंधानों से अवगत कराने हेतु मामूल धूल परिवर्तन किया गया। इस परिवर्तित पाठ्यक्रम के अनुसार अब तक कोई पुस्तक छात्रों की दृष्टि से उपयुक्त प्रकाशित नहीं हुई थी। श्री बंधेला जी एवं श्री व्यास जी द्वारा लिखित पुस्तक "शाला संगठन एवं शिक्षा समस्याएं" की पाण्डुलिपि देखने का अवसर मुझे मिला। यह पुस्तक छात्रों के लिए उपयोगी है। इसकी भाषा सरल एवं सारगर्भित है। मैं सत दस वर्षों से राजस्थान विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ तथा इसी विषय का अध्यापन कर रही हूँ। श्री बंधेला जी एवं श्री व्यास जी को इनके अधिक प्रयासों के लिए बधाई एवं मेरी शुभकामनाएँ प्रेषित करती हूँ।

- 101 -

डॉ० श्रीमती सुशीला शर्मा

एम ए, एम एन पी एच डी

सहायक प्रोफेसर (शिक्षा सहाय)

पत्राचार संस्थान राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

## अभिमत

श्री हेतसिंह जी बघेला तथा श्री हरिश्चंद्र जी व्यास द्वारा राजस्थान विश्वविद्यालय के बी एड के तृतीय प्रश्न-पत्र के पाठयक्रमानुसार लिखित पुस्तक "शाला सगठन एवं शिक्षा समस्याएँ" की पाण्डुलिपि का मैंने ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। मैंने बी एड में इस प्रश्न-पत्र का गत नौ वर्षों से निरंतर अध्यापन किया है। यह पुस्तक इस प्रश्न-पत्र से संबंधित अथ तब प्रकाशित ग्रन्थ पुस्तकों की अपेक्षा विद्यार्थियों के लिए निश्चित रूप से श्रेष्ठ तथा उपयोगी रहेगी, ऐसी मेरी मायता है। श्री बघेला जी व श्री व्यासजी ने ग्रन्थ पुस्तकों का लेखन भी बी एड के विद्यार्थियों के लिए किया है। भाषा ही नहीं पूर्ण विश्वास भी है कि अन्य पुस्तकों की भाँति आपकी यह पुस्तक भी छात्राध्यापकों तथा प्रवक्ताओं के लिए सहायक सिद्ध हो सकेगी। मैं इस पुस्तक के लिए लेखकद्वय को हार्दिक बधाई देती हूँ तथा शुभकामनाएँ प्रेषित करती हूँ।

श्रीमती प्रभा शर्मा

एम ए (हिन्दी, संस्कृत) एम एड, आर एस  
प्रोफेसर, राजस्थान शिक्षा महाविद्यालय, जयपुर

## दो शब्द

राजस्थान विश्वविद्यालय ने बी एड (नियमित), बी एड (पत्राचार) तथा शिक्षा शास्त्री के पाठ्यक्रम में गत दो वर्षों से परिवर्तन कर तृतीय प्रश्न-पत्र को 'शाला सगठन एवं शिक्षा समस्याएँ' नाम से पुनर्गठित कर दिया है। साथ ही मूल्यांकन विधि में भी संशोधन किया है। अभी तक इस प्रश्न-पत्र से सम्बन्ध कोई ऐसी पुस्तक उपलब्ध नहीं थी जिसमें नवीन पाठ्यक्रम में निर्धारित प्रकरणों को नवीन मूल्यांकन पद्धति से समायोजित कर प्रस्तुत किया गया हो। एव उनमें अद्यतन सामग्री को समाविष्ट किया गया हो। प्रस्तुत पुस्तक का लेखक ने अपने शिक्षण-अनुभव एवं शिक्षक प्रशिक्षण महा-विद्यालयों के विद्वान प्राचार्यों व प्रवक्ताओं के बहुमूल्य सुझावों के आधार पर अधिकाधिक उपयोगी बनाने का प्रयास किया है।

लेखक-द्वय श्री पी एन माहेश्वरी, प्राचार्य, आदर्श विद्यामंदिर शिक्षा महाविद्यालय जयपुर व कम्बोजर, शिक्षा सहाय बोर्ड ऑफ स्टडीज (राजस्थान विश्वविद्यालय) के प्रति आभारी हैं जिन्होंने पुस्तक की पाण्डुलिपि देखकर प्रशंसात्मक लिखा है तथा डॉ सीएम शर्मा प्रभारी रीडर, बी एड पत्राचार अध्ययन संस्थान (राजस्थान विश्वविद्यालय) डॉ (श्रीमती) सुशीला शर्मा व श्रीमती प्रभा शर्मा के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस प्रश्न-पत्र के अपने शिक्षण अनुभव के आधार पर पुस्तक के विषय में अपने अभिमत दिये हैं। श्री जगदीश नारायण पुरोहित प्राचार्य राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय बीकानेर के हमें हृदय से कृतज्ञ हैं जिन्होंने पुस्तक लेखन के समय हमारा मार्ग दर्शन किया व पाण्डुलिपि देखकर अभिमत भी लिखा है। अतः हम अपने प्रकाशक श्री विश्वन सालगी गांधिया को बधाई देते हैं जिन्होंने इस पुस्तक को समय पर प्रकाशित कर लेखक द्वय को प्रोत्साहित किया है।

लेखकों की यह आकांक्षा है कि पुस्तक आगामी संस्करणों में अधिकाधिक उपयोगी बनती रहे। इस हेतु पाठकों के रचनात्मक सुझावों का सदैव स्वागत है।

— लेखक-द्वय

# विषय-सूची

अध्याय

पृष्ठ

## प्रथम इकाई (UNIT I)

[विद्यालय वातावरण के निर्माण में प्रधानाध्यापक व अध्यापक की भूमिका, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएँ, स्वास्थ्य व शारीरिक-शिक्षा तथा अनुशासन ।]

- 1 विद्यालय वातावरण के निर्माण में प्रधानाध्यापक व अध्यापक की भूमिका 1-44  
(Role of the Headmaster & teacher in building the tone of the School)
- 2 पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएँ (Co-Curricular activities) 45-58
- 3 स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा (Health & Physical Education) 59-72
- 4 अनुशासन (Discipline) - 73-86

## द्वितीय इकाई (UNIT II)

[विद्यालय हेतु अत्यावश्यक सुविधाएँ व सेवाएँ तथा माध्यमिक विद्यालयों की प्रमुख समस्याएँ]

- 5 विद्यालय भवन एवं उपकरण (School Building and Equipment) 87-100
- 6 विद्यालय प्रयोगशाला (School Laboratory) 101-112
- 7 विद्यालय पुस्तकालय (School Library) 113-128
- 8 विद्यालय छात्रावास (School Hostel) 129-141
- 9 शाला प्रवेश एवं गृहकार्य (Admissions & Assignments) 142-159
- 10 अकादमिक मूल्यांकन एवं क्रमोन्नति (Academic testing & Promotion) 160-186
- 11 समय विभाग चक्र (Time-Table) 187-205
- 12 विद्यालय-अभिलेख (Schools Records) 206-228

## तृतीय इकाई (UNIT III)

[संवैधानिक शैक्षिक प्रावधानों के राज्य में क्रिया वयन में अध्यापकों की भूमिका तथा राष्ट्रीय शैक्षिक समस्याएँ]

- 13 संवैधानिक शैक्षिक प्रावधानों के क्रिया-वयन में अध्यापक की भूमिका 1-18  
(The Role of Teachers in implementing the Constitutional Provisions on Education)
- 14 राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता 19-43  
(National & Emotional Integration)

15 भाषा विवाद संभाव्य समाधान (Language Controversy Possible Solutions)	44-63
16 छात्र असंतोष कारण तथा उपचारात्मक उपाय (Student Unrest Causes & Remedial Measures)	64-83
17 शिक्षा का भारतीयकरण (Indianisation of Education)	84-112
18 धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा (Religious & Moral Education)	113-144
19 व्यावसायिक उपक्रम (Vocational Preparation)	145-158

### चतुर्थ इकाई (UNIT IV)

[विद्यालय समुन्नयन योजना व्यक्तिगत एवं विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम, जनसंख्या-शिक्षा, यौन-शिक्षा निर्देशन सेवाएँ तथा शारीरिक शिक्षा के संगठन के सिद्धांत]

20 विद्यालय समुन्नयन योजना (Institutional Plan)	1-8
21 व्यक्तिगत एवं विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम (Personal & School health programme)	9-24
22 जनसंख्या-शिक्षा (Population Education)	25-46
23 यौन शिक्षा (Sex Education)	47-66
24 निर्देशन सेवाएँ (Guidance Services)	67-76
25 प्रायोगिक कार्य (Practicums)	I-XX
(i) संस्था वार्षिक योजना, वार्षिक शिक्षण योजना तथा सत्रानुसार ऋतु कार्य योजना का निर्माण	I-IX
(ii) छात्र-असंतोष को प्रभावित करने वाले कारकों के निर्धारण हेतु सामुदायिक सर्वेक्षण	X-XII
(iii) विद्यालय के भौतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग हेतु योजना का विकास	XII-XIII
(iv) शारीरिक प्रशिक्षण व खेलकूद की उपलब्ध सीमित साधनों के अंतर्गत योजना बनाना	XIV-XV
(v) विद्यालय में निर्देशन के द्र की स्थापना	XIV-XVI
(vi) पाठ्यक्रम सहगामी शिक्षाप्रो संचित मूल्यांकन व छात्रों हेतु व्यावसायिक सूचना सम्बंधी अभिलेखा का संचारण	XVI-XX

अध्याय - १

# प्रधानाध्यापक एवं अध्यापक की विद्यालय-वातावरण के निर्माण में भूमिका

(The role of Headmaster & Teacher in Building the tone of the School)

[ विषय प्रवेश—विद्यालय वातावरण के अंग भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक—उनके निर्माण में घटक (1) मानवीय-व भौतिक स्तरीय सहायनों में प्रधानाध्यापक व अध्यापक का महत्त्व— विद्यालय वातावरण के निर्माण में प्रधानाध्यापक की भूमिका (क) प्रधानाध्यापक की स्थिति, (ख) विद्यालय में स्थान एवं महत्त्व, (ग) प्रशासक रूप में (घ) विद्यालय अथवा कक्षा के अथवा शिक्षक-व्यक्तियों के सहयोगकर्ता के रूप में, (च) शिक्षक के रूप में; (छ) कृमीनरय, कमचारियों के प्रति स्वयं के तथा उनके परस्पर मानवीय सम्बन्धों के नियोजन के रूप में, (ज) छात्रों व अभिभावकों के प्रति, (घ) उच्च अधिकारियों व अग्र लोगों के प्रति, (ख) कर्तव्य-एव दायित्व, (ग) समस्याएँ एवं उनका निराकरण ]

विद्यालय वातावरण के निर्माण में अध्यापक की भूमिका

(क) शिक्षक के रूप में (ख) छात्रों व अभिभावकों के प्रति व्यवहार, (ग) विद्यालय प्रशासन में सहायकी के रूप में, (घ) विद्यालय के भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक वातावरण के निर्माण में सहायक के रूप में (घ) सूत्रवाचन—उपसंहार ]

## प्रधानाध्यापक

प्रधानाध्यापक अपने विद्यालय का सुलीटा- हाता है। विद्यालय का सबसे अधिक प्रभाव तो तब यदि वाई है। प्रधासाध्यापक की है। विद्यालय, में उसकी कर्तव्य स्थिति होती है। शिक्षण, शिक्षार्थी, शिक्षादायक, शिक्षक सहयोगी-हात है। प्रधानाध्यापक अपने व्यक्तित्व, क्षमता, शक्ति एवं गुणों से, विद्यालय को समृद्ध बनाने की धार ले जाता है और विद्यालय में शिक्षण, अधिगम प्रक्रिया को अपने शिक्षकत्व से गति प्रदान करता है। अपनी विविध भूमिकाओं में प्रधानाध्यापक बहुत नटुद करता है। विद्यालय निर्मित है। एवं सर्वत्र वातावरण का रंगटा होता है। उपयुक्त वातावरण की सजना विद्यालयी वातावरण की संपत्ति गिनाविति है। प्रथम आवश्यकता है। विद्यालय की विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए प्रधानाध्यापक का महत्त्वता पन्ति



हीर्ती है। दुःख प्रधानाध्यक्षक अपने शैक्षिक व्यवसायिक संगठनात्मक, प्रशासनिक ए-  
 विभागीय दायित्वों के धरात्मक रूप अपने काय कलाओं में खड़े उतरकर विद्यालयी प्रगति  
 का मग्न प्रगस्त करते हैं परन्तु अक्षम एवं अविवेकी प्रधानाध्यक्षक अपेक्षित ऊचाईयों  
 पर बोलते रह जाते हैं और विद्यालय में आये दिन मलेना, गिक्का सिंवायत अकमप्यता  
 और स्तरीयता का ह्रास का पनपान वाक्य वातावरण के कारण विद्यालयी काय कलाओं  
 और शमुन्नय की गतिविधियों का सरल मार्ग अवरोध हो जाता है।

विद्यालय समाज द्वारा स्थापित एक ऐसी सम्पा है जहां देश के भावी  
 नागरिक जो कर्णधारों के रूप में विचार करके प्रादर्श नागरिक बनाये जाते हैं।  
 बालकों में सर्वांगीण विकास करके आदर्श नागरिक तैयार करने का काय शत्रुओं के  
 अध्यापक करते हैं। शाला में विभिन्न विचार धाराओं, मूल्यों, जादात व्यक्तित्व व  
 प्रतिभा के अध्यापक काय त होत हैं। भाग्य तथा सतुलित नीति का निर्धारण करते  
 हुए उनमें सर्वांगीण विकास हेतु नीति प्रधानाध्यक्षक द्वारा बाई जाती है ताकि भिन्न-  
 भिन्न अध्यापकों को स्वइच्छानुसार विकास न हो सके और अध्यापकों के लिए पूर्व में  
 एक निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण करते हुए सामूहिक रूप से बालकों का सर्वप्रयोग विकास  
 करने हेतु पर्याप्त प्रदान करने का सफल प्रयास किया जा सके। शाला में सामाजिक  
 वातावरण बनाते हुए राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुरूप शाला का सभी क्षेत्रों में अनुशासनमक  
 वातावरण बनाते हुए शैक्षिक नता का काय सम्पन्न करता है, इसलिए उसे अध्यापकों  
 का मुखिया या प्रधानाध्यक्षक कहते हैं। सेना के नेता अथवा राजनीति का नेता के  
 पद से यह नतत्व भिन्न है। सेना के नेता का नेतृत्व हिंसा और दण्ड का आधार पर  
 अवलम्बित है तो राजनीति के नेता का अपने अनुयायियों की लक्ष्य के आधार पर,  
 शाला के नेतृत्व के पास ये दोनों ही आधार अनुपस्थित हैं और यदि उगमित भी हैं  
 तो उनका प्रयोग खतरे से भरा हुआ है। साथ ही प्रधानाध्यक्षक के उत्तरदायित्व कम  
 नहीं है। प्रधानाध्यक्षक को अपने सहयोगियों का नेतृत्व करना पड़ना है, एक सहयोगी  
 जिसमें अधिकांश तो शायद निष्ठ योग्यता में उसी के समकक्ष हों। इतर उसे उन  
 शिष्यावियों का नेतृत्व करना होता है जिनमें परत कभी कोई दृढ संस्कार नहीं परन्तु  
 जिनका प्रसंग में यह उर का रहता है कि नहीं उन पर अनुचित संस्कार न पड़ जाय।

अनेके प्रधानाध्यक्षक को अपने कर्तव्य निमाने में पाठ-पत्र पर बठिनद्वयों का  
 सामना करना पड़ता है, पड़ना। सामूहिक रूप से यदि प्रत्येक सहयोगी शाला के प्रति  
 अपने उत्तरदायित्व समझकर गौरव का अनुभव करते हैं तो जिनके शिष्यावियों की बिन  
 जाता है। अष्ट नेतृत्व का यही लक्षण है।

जिन प्रकार के व्यक्तित्व का प्रधानाध्यक्षक होगा, उसी के अनुस्य साक्षात् का  
 बनावरण बनता है। शाला की उन्नति व जवनति उसी की शैक्षिक योग्यता, काय

क्षमता तथा अनुभव पर ही निर्भर करता है। प्रधानाध्यापक का व्यक्तित्व प्रभावशाली उत्तरे स्थापना ब अनुसरणीय होने पर ही शाला की उन्नति व शैक्षिक उन्नयन ही पायेगा अथवा शाला गत में चली जायेगी। डा सी जीवनायकम ने ठीक ही कहा है "अच्छे अथवा बुरे प्रधानाध्यापक के अनुसार विद्यालय उन्नति अथवा अवनति प्राप्त करत है। महान् प्रधानाध्यापक महान् विद्यालय को जन्म देते हैं।" अतः अमफल प्रधानाध्यापक केवल शाला की ही अवनति नहीं करता वस्ति भावी पीढी को कक्षाओं में अध्ययनरत है उसे भी परीक्षा-अपेक्षा रूप से हानि पहुँचाता है, और उनका भविष्य उज्ज्वल होने की बजाय अधकतरम्य ही जाता है। यही शैक्षिक उन्नयन व प्रशासन की पुरी होना है। वह शाला का हृदय होता है। जिस प्रकार हृदय काय सुचारु रूप से नहीं करने पर अमफल होने की स्थिति में मानव शरीर भाटी रह जाता है ठीक इसी प्रकार प्रधानाध्यापक शाला को गत में ले जा सकता है। वह अच्छा सगठनकर्ता, सयोजक, पर्यवेक्षक, निर्देशक, मित्र, दाशनििक व परामर्शदाता है। प्रधानाध्यापक केवल रोमडर, भय प्रदर्शित करने के आधार पर मुख्य नहीं बल्कि अध्यापन की दृष्टि से श्रेष्ठ होता है। देश विदेशों में होने वाले सम्मेलन, अनुसंधान के बारे में ज्ञान रखते हुए अध्यापकों का शैक्षिक निर्देशन काय में उन्नयन करने में सहयोगी सिद्ध हो सकें। प्रधानाध्यापक के व्यक्तित्व तथा कृतित्व पर विचार करना तर्कगत प्रतीत होता है।

## प्रधानाध्यापक का विद्यालय में स्थान एवं महत्त्व—

(The Place of Significance of The Headmaster in the School)

प्रधानाध्यापक सम्पूर्ण विद्यालय की प्रगति का प्रेरणा का स्रोत है। विद्यालय में एवता बनाने रखने, विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों में सन्तुलन बनाये रखने, विद्यालय परम्पराओं को जीवित बनाये रखने तथा विद्यालय की प्रगति के मार्ग पर ले जाने के लिए प्रधानाध्यापक एक प्रमुख शक्ति के रूप में काय करता है। विद्यालय की समस्त त्रियाएँ उसके चारों ओर घुंकर काटती हैं। समाज को विद्यालय में तथा विद्यालय को समाज में ले जाने का काय प्रधानाध्यापक द्वारा ही सम्पन्न करता है। पी सी रेन के शब्दों में "घड़ी में जो मुख्य स्प्रिंग का नाम है तथा मशीन में जो पहिंने का स्थान है अथवा पानी के जहाज में जो इंजन का स्थान है विद्यालय में वही स्थान प्रधानाध्यापक का है। "सस्था कोई अच्छी या बुरी नहीं होती, प्रधानाध्यापक बुरा है तो सस्था बुरी हो जाती है। महान् प्रधानाध्यापक से ही महान् सस्था होती है न कि विशाल भवन से।"

1. रेन पी सी पेज/3

2. वाचर एच के "सकेन्दरी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन" पेज 51

जिस प्रकार किसी बोरिंग में अच्छे मशीन का लिए सुयोग्य व्यवस्था का महत्व है जो मशीन भीतिक व मानवीय साधन म समुचित बनाये रखता है तदा सम्पूर्ण विद्यालय में प्रयोगम विनाश को विराम्त बनाती है। स्कूल म समस्त काय की वृद्धि होती है। उसी के चारा ओर ममस्ते काय का चक्र घूमता है। इसीलिए तो प्रधानाध्यापक को स्कूल मे वही स्थान दिया है जो मशीन मे घुसे चलाने वाले चक्र का है अथवा इतिन का जहोजे में है। विद्यालय का कुशल संपालन, प्रशासन की प्रवृत्तियों पर निर्भर है। उसमे प्रशासन दामता के काय समापों का धमता को हाना आवश्यक है अथवा अधिनाश भविष्य को नष्ट करेगा म जीवन प्रयाग विराम होकर केवल कर्मना भीतर रह जायेगी। एत एत मुयजी न उस प्राणों को सना दी है नितसे सम्पूर्ण विद्यालय मे गति बनी रहती है। उतना पद उतना ही महत्व पूरा है जिना कि खेल म मैदान मे किसी टीम मे कप्तान का युद्ध के मैदान में सेना के नेता के गैरों के अथवा जहाज म कर्डीवर का स्थान है। यदि हम विद्यालय की उतना एक हवाई जहाज से द तो विद्यालय के विद्यापिका को जहाज के यात्री प्रध्यापकों की जहाज के इंजन से उतना दी जा सकती है और प्रधानाध्यापक की उतना उतना उतना के पाइलट मे देना मुक्ति पुत्र है। जिस प्रकार जहाज के यात्रियों का विदिष्ट स्थान तक पहुंचाने के लिए इंजन जहाज को खींचता है और उसका पाइलट उतना जहाज के इंजन की गतिविधियों पर नियंत्रण रखता हुआ मनुष्यल उतने यात्रियों को गत स्थान तक पहुंचाता है, उसी प्रकार एक सफल प्रधानाध्यापक भी अपने अध्यापकों के कार्यों पर अपनी योग्यता और काय दमता के बल पर नियंत्रण रखता हुआ विद्यालय के छात्रों का सर्वांगीण विकास करने म सहायता करता है।

प्रधानाध्यापक पद के महत्व को वर्णन कुछ शिक्षाशास्त्रियों ने इस प्रकार किया है-

- 1) उसी पर विद्यालय का सुसंचालन निर्भर है। - माध्यमिक शिक्षा प्रायाग
- 2) शिक्षा क्रिया में स्कूल के मुख्याध्यापक अथवा प्रिंसिपल का विशेष महत्त्व है। स्कूल पद्धति की सफलता उसी की कलापूर्ण एवं समुत्पन्नतामक योग्यता पर निर्भर करता है। - डा जसवंतसिंह
- 3) स्कूल की कोई भी योजना तब तक उपादेयता ग्रहण नहीं कर सकती जब तक कि उसका निर्माण दूरदर्शिता तथा योग्यता के भावों पर न किया गया हो। प्रधानाध्यापक को ही दूरदर्शिता एवं योग्यता से कार्य करने का श्रेय दिया जा सकता है। - वेद्रीय शिक्षा सलाहकार समिति
- 4) प्रधानाध्यापक महान विद्यालयों का निर्माण करते हैं तथा विद्यालय प्रतिष्ठि को प्राप्त होते हैं अथवा अथकार का मत म विनीत होते हैं जब महानतम अथवा निम्नतम प्रधानाध्यापक उनसे अध्याप होते हैं।

- पी सी रेन

5) प्रधानाध्यापक विद्यालय का प्राण है। प्रवर्तनास्मात् पाठशाला के विभिन्न अंगों को एक मूल में बांध कर ताठिन करने वाला व्यक्ति है। प्रधानाध्यापक विद्यालय के वास्तु अथवा आंतरिक प्रशासन के मध्य एक बड़ी है।

6) प्रधानाध्यापक किसी जहाज के कप्तान की भांति स्कूल में अपना मुख्य स्थान रखता है।

7) प्रधानाध्यापक का व्यक्तित्व ही स्कूल के चारों ओर प्रतिबिम्बित होता है। स्कूल का नाम ही प्रधानाध्यापक के नाम पर रखा जाना चाहिए।

8) प्रधानाध्यापक की विद्यालय में स्थिति वही है जो राजा-मुसलमानी का नाम पर ताबिश की जाती है। प्रधानाध्यापक विद्यालय प्रशासन में गुम्बद का आधार बनी पत्थर होता है।

9) अच्छे अथवा बुरे प्रधानाध्यापक के अनुसार विद्यालय उन्नति अथवा अवनति प्राप्त करते हैं। महान् प्रधानाध्यापक महान् विद्यालय को जन्म देते हैं।

10) वह एक विशोर न्याय का न्यायाधीश जिसकी धदालत में केवल धोषी ही नहीं बरने निर्दोष भी आते हैं। वह एक प्रसक्त है जिसे अपने विद्यालय के भविष्य की कल्पना करनी चाहिए तथा जनता को अपनी याज्ञा के अनुसर बदलना चाहिए वह प्रत्येक मा बाप के लिए सामाजिक जिम्मेदार है जिसे स्वच्छाचारि अथवा की देख रेख की आवश्यकता है, वह प्रत्येक छात्र के लिए मित्र है और सभी दुखी घरों के लिए भी मित्र, उसकी शक्ति, उनके बाप, यहां तक कि उनके शतकाओं को किनी भी भौतिक छद्म से नापा नहीं जा सकता।

आधुनिक शिक्षा उद्देश्यों की पूर्ति के लिये प्रधानाध्यापक के माध्यम से ही कर-मन्ने है क्योंकि उसका कार्यक्षेत्र अ जिम्मेदारी अथवा कक्षा के कमरों में पाठ्यक्रम पूरा करवाना मात्र ही नहीं है बल्कि सम्पूर्ण समाज व राष्ट्र की आकांक्षाओं के अनुसर छात्रों में चारित्रिक न्याय को प्राप्त कर देने की प्रजाति प्रकृति वस्था की सफलता हेतु साम-रिव हीमास करने के लिये-साय समाज के छोटे अंग में विद्यालय का विकास करना है। सारे समाज, राष्ट्र, अभिभावक, अध्यापक बालकों के प्रति अत्यधिक जिम्मेदारिया है, निगाहा उसे निवाह करना है। यदि राजनितिक शास्त्रवेत्ता की भाषा में यह कहा जाय

कि 'वह स्कूल ही प्राराग में गुप्त निष्क है जिम्मे चारों ओर तब तब घूमते हैं तो अतिशक्ति नहीं होगी।' प्रधानाध्यापक स्कूल में नता ही नहीं है, बल्कि वह मशीन को चलाने वाली शक्ति है और मशीन के उसी भागों में उसी शक्ति से शक्ति प्राप्त होती है।

प्रधानाध्यापक का ज्ञान म महत्व विभिन्न विद्याओं के बचन से स्पष्ट है क्योंकि स्कूल का प्रत्येक कार्य उस आदर्शों के अनुसर ही प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। अध्यापक-ज्ञान, शिक्षाक्रम, दैनिक कार्यक्रम, सामाज्य वातावरण व स्कूल का तत्साधारण व्यवहार उसी के द्वारा निर्मित मावे में ढलकर अपना स्वरूप धारण करता है। इन्फैण्ड में कई ऐसे स्कूल हैं जिनको इसी आधार पर प्रधानाध्यापक के नाम पर नामकरण किया गया है, जैसे श्री हरो (Harrow) का स्कूल तथा रग्बी (Rugby) का स्कूल।

अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि समाज, अभिभावक, शिक्षक, मानक व राष्ट्र-शाला का मानदण्ड प्रधानाध्यापक पर ही करत है। योग्य अध्यापक सदैव बालकों व समाज का प्रेरणा के स्रोत का कार्य करते हैं।

विद्यालय संगठन एवं प्रधानाध्यापक के गुण - (अ) प्रशासनिक (ब) व्यक्तिगत (स) व्यवसायिक

विद्यालय संगठन का सम्बन्ध शैक्षणिक प्रक्रिया के संचालन में आवश्यक साधनों तथा सामग्री के एकत्रित करने तथा शिक्षा के मानवीय तथा भौतिक तत्वों के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए विभिन्न पहलुओं में संगठन स्थापित करता है। संगठन एवं ढाँचा है उत्तम शिक्षा के विभिन्न पहलुओं, साधनों तथा वाता वा सम्बन्ध दिया जाता है। उत्तम संगठन ही प्रशासन सफल बनाता है अतः प्रधान का एक उत्तम संगठनकता होने व नाम मात्र कुशल प्रशासक भी होना चाहिए तभी विद्यालय की शिक्षा प्रक्रिया अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल ही सकेगी \*

प्रशासक के रूप में जिन गुणों की अपेक्षा हम करते हैं वे हैं -

(1) विद्यालय में नेतृत्व प्रदान करना - शाला परिवार का नेतृत्व प्रधानाध्यापक के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। डा एम एन मुखर्जी ने नेतृत्व प्रदान करने के लिए कहा है- अपनी सामाज्य विद्वता व कारण अपने साधियों के समान का पात्र हो, अपने अध्यापक वर्ग का नेता तथा योग्य व्यवस्थापक हो।" अर्थात्

1 ब्रिटन के प्रधानमंत्री के सम्बन्ध में कहा गया है "He is the solar orb round which Planets move"

2 What a loss to England and America as well if there has been no Arnold the great headmaster of Rugby' (Sir John Adams)

3 शिक्षा प्रशासन- कुदेशिया- पेज/11-12

उसकी वाय, शान्ता तथा ज्ञान से अध्यापक व कर्मचारी प्रभावित हो। प्रधानाध्यापक को चाहिए वह अपने सहयोगियों की योग्यता, क्षमता तथा अनुभव का स्वागत करे ताकि उसे प्रजातान्त्रिक समझकर नेतृत्व स्वीकार करते रहे।

शाला में नेतृत्व प्रजातान्त्रिक सिद्धांतों के आचार पर होना चाहिए क्योंकि प्रायः उन सहयोगी उच्च शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभवी होते हैं। अध्यापकों की मनोवृत्तियों का समझने की क्षमता होनी चाहिए। प्रो. ई.पी. कूबली ने प्रश्न केवल प्रशासन होने के कारण ही नेता नहीं है। उसके नेतृत्व प्रधान अंग है— तब शक्ति, प्रगाढ़ ज्ञान तथा अदम्य उत्साह।” आधुनिक भारतीय परिस्थितियों में मानवीय गुणों जैसे सहानुभूति, प्रेम, सहयोग, आत्म विश्वास, सामाजिकता, संगठन शक्ति आदि गुणों का होना आवश्यक है जिससे अपने सहयोगियों, अभिभावकों एवं समाज के अन्य लोगों को अपने कर्तव्यों के प्रति सजा करके शिक्षा के हित को अधिक लाभ पहुंचा सकता है।

- (2) चरित्रवान — विद्यालय की उपयुक्त सक्रियता प्रधानाध्यक्ष के प्रभावशाली चरित्र होने पर ही सभी के द्वारा सम्मान प्राप्त कर सकेगा वह विचारक, दृढ़ शक्ति और निर्धारित सिद्धांतों व आदर्शों को पूर्ण रूप से पालन करने वाला जिससे शाळा परिवार के सभी सदस्यों पर अमिट छाप रहेगी अथवा वह विद्या-में स्वच्छ वातावरण सृजन करने में विफल रहेगा चरित्रवान प्रधान अध्यापक बहुत सी समस्याओं को अपने व्यक्तिगत प्रभाव से समाधान करते हुए पूव में निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति करने में सफल सिद्ध हो जाता है
- (3) सामाज्य स्थापित करने की योग्यता — सामान्यतः देखा गया है कि आजकल शालाओं, अध्यापकों व बालकों में गुटबंदी क्षेत्र, जाति, व अन्य कारणों से हा जाती है जिससे शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पाती अतः प्रधानाध्यापक शिक्षका तथा शिक्षार्थियों के माध्यम से स्वयं को, शिक्षकों को शिक्षार्थियों के साथ तथा शिक्षकों को पारस्परिक रूप से समायोजित रूप में रखने का सफल प्रयास करे। वह विद्यालय के छोटे से छोटे तथा बड़े से बड़े सभी कर्मचारियों से व्यक्तिगत सम्बन्ध बनाने हुए उनकी समस्याओं में स्तिय सहयोग प्रदान करे। इस सम्बन्ध में सुल्तान माहोउद्दीन ने लिखा है— “प्रधानाध्यापक नेता के रूप में अपने सहयोगी अध्यापकों को इस बात से परिचित कराने की क्षमता रखे कि शाला की कोई भी समस्या केवल उनकी समस्या नहीं है, अपितु उन सब की है।” आगे फिर प्रो०

मोहीउद्दीन कहते हैं कि "प्रधानाचार्य की प्रतिष्ठा का निवाह दान्त्व में दान्त्व के प्रति नहानुभूति और वैयक्तिकता में ही निहित है।" समायोजित विद्यालय ही निरन्तर प्राति की श्रद्धाग्रसर होत हैं। जब सहानुभूति स परिहार जंग रूप विद्यालय माहो जाता है तो वह मुनिया की तरह विद्यालय व पढ़ाई में एकदम विद्युत् तथा निष्ठा-बान में सफ़त रहता है।

(4) लोकतांत्रिय दृष्टिकोण वाली - प्रत्येक चाम म सहयोगी अध्यापक का मत भी ले लेना चाहिए और उनकी भावनाओं तथा विचारों को ध्यान रखना चाहिए। रचना-शक्ति, समानता, आत्मत्व तथा स्वायत्तता जैसे प्रजातांत्रिक गुणों, विद्यालय पर विद्यालय का सगठन व सचालने करे। उसे समाज की आवश्यकताओं, मूल्यों, धारणाओं तथा परम्परा का ज्ञान हो ताकि समाज व शाला को सामाजिक रूप से प्रगति-परवान में सफल हो सके। आज बदलत हुए परिवेश में विद्यालय और-समाज में तालमेल-बैठिया जाय, यह प्रजातांत्रिक ढंग से ही पूरा हो सकता है। उसके लिए उसे उत्तरदायित्व की सभागिता, समानता, स्वतंत्रता, सहकारिता, सम्यक्-व्यक्तिगत विशेषताओं को मानना एवं प्रोत्साहन, नस्ल तथा अध्यापक-समाज एवं उच्च अधिकारियों से सहयोग भाव से कार्य करना चाहिये।

(5) कुशल प्रशासनिक क्षमताएं - शाला में उपलब्ध भौतिक व मानवीय साधनों का अधिकतम उपयोग-शाला के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु करना। विद्यालय की उन्नति उसकी कुशलता पर निर्भर करती है। उसे विभिन्न बातों में समन्वय बनाकर करते हुए वित्तीय व्यवस्था बनाय रखने में दक्ष होना चाहिए। अच्छे प्रशासक के रूप में अच्छे जलटकों तैयारी, अच्छा संगठनकर्ता तथा अध्यापक, अधिभावक व छात्रों से अच्छे पारस्परिक सम्बन्धों का विकास करना चाहिये। (E)

(6) दूसरों को प्रेरणा प्रदान करने की क्षमता - प्रधानाचार्य के ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि वह अपने साथ कार्यरत अध्यापकों व अध्यापिकाओं का मार्गदर्शन व प्रोत्साहन देकर पूर्व में निर्धारित शैक्षिक-योजना का क्रियान्वयन रूप देने की प्रेरणा द सके। वह नेताओं के स्थिति में होने के कारण अपने विषय का प्रकाण्ड ज्ञान-हीन के साथ सामाजिक ज्ञान सभी विषयों का होना ही चाहिए जिससे वे अज्ञान के लिए प्रेरणादायक बिंदु हो सकें। शाला व भौतिक व मानवीय साधनों का अधिकतम उपयोग करवाने की प्रेरणा ही उसका प्रमुख उद्देश्य होता है-ताकि शाला का शैक्षिक-उपयुक्त व साथ-साथ समाज की प्रगति के लिए सफल प्रयास कर सके। प्रा. प्रो. लिखते हैं "यह बात रण स्थान में रखी चाहिए कि छात्र-छात्राएं प्रधानाचार्य को एक ऐसे मान्य व्यक्ति के

रूप में देखते हैं जो अपने ज्ञान तथा बुद्धि बौद्धिक म साधारण व्यक्तियों से बहुत आगे है।”

(7) मानवीय सम्बन्ध करने की क्षमता - प्रधानाध्यापक विद्यालय और समाज के मध्य, शिक्षक व विद्यार्थी के मध्य, शिक्षक एवं शिक्षक के मध्य, छात्र-छात्र के मध्य अतिभावकी व ज्ञान प्रशामन के मध्य सन्तुलित व मधुर सम्बन्ध का विकास मानवीय आचार करने की सफ़्त के टा बाँधित है अथवा शाला में माना-जित व मौहादपूण वातावरण नहीं बन पायगा। जब मानवीय गणों का विकास नहीं हो पायगा तो स्वाभाविक है कि व्यक्तिगत, बिद्यालयीय, सामाजिक शक्ति तथा भिन्न-भिन्न समस्याओं का स्थाई समाधान करने में असफल रहेगा। शिक्षा प्रशामन का मूल आधार ‘मानवीय’ को दृष्टि में रखकर ही नियमा व कानूनों की स्थापना करना ही हितकर है।

(8) व्यवसायिक निपुणता एवं विद्वता - प्रजातांत्रिक ढंग से विद्यालय के उद्देश्या व उनकी प्राप्ति के साधनों का निर्धारण करने के लिए आदर्शों का ज्ञान रखते हुए दूसरों के सम्मुख उदाहरण प्रस्तुत करे। शिक्षा जगत में नवीन परिवर्तन शिक्षण-विधियाँ, मूल्यांकन आदि में निरन्तर अनयन हो रहा है। वह अपने में व्यवसायिक निपुणता पदा करने हेतु शिक्षा की सभी तरह की प्रक्रिया से अनगत होने पर ही अपने साथी अध्यापकों व छात्रों के अनयन में सहयोगी सिद्ध हो सकेगा। वह एक विशिष्ट मनोवैज्ञानिक ज्ञान चाहिए जिससे शिक्षा की परिस्थितियों के अनु-कूल उचित शिक्षण विधियों का अनयन करके विषयवस्तु का बालका तक पहु-चाने पाठयक्रम निर्धारण हेतु सिद्धान्तों को अनयन उपयुक्त शिक्षण विधियों की स्थानिक रूप दत्त की शक्ता हानी आवश्यक है। वह अपने कृत्यों व उत्तरदा-यित्वों का व्यवसायिक दक्षता व अभाव में पूरी तरह निर्वाह नहीं कर पाता चाहे व्यक्तिगत हो, सामाजिक हो प्रशामनिक हो या छात्रों के सम्बन्धित हो।

आज बदलते हुए परिप्रेक्ष में प्रधानाध्यापक केवल विद्यालय तक ही उसका क्षेत्र मानित नहीं होकर सारा समाज है। उसकी योग्यता का परीक्ष व अपराक्षरूप रूप से समाज पर भी प्रभाव पड़ेगा। उच्च की कर्तव्य व कर्तनी में भेद न होने, सामन्विक रूप से प्रगण्ट विद्वान होने पर ही समाज को अनुकरण करने हेतु उत्प्रेरित कर पायगा।

(9) अध्यापकों में संगठित रखने की क्षमता - अध्यापक परम्पर मौहादपूण वाता-वरण न होने से सामाजिक स्थिति शाला में नहीं बन पायेगी जिससे विद्यालय के शिक्षक नामक मो का प्रभानशान्ती क्रियाचित रूप से पालन नहीं हागा, अध्यापक कुशलतापूर्वक कृत्यों को अनुकूल न होने पर निभा नहीं सकेगे, शान्ता में सहयोगी



प्रवृत्तियाँ के माध्यम से सर्वांगीण विकास के बाधों में बाधा आ सकती है। इन प्रधानाध्यापक में ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि शाला परिवार के मध्य मधुर सम्बन्ध स्थापित करने में सफल सिद्ध हो सके।

- (10) अध्यापकों के मुख्य कार्य वितरण करने की योग्यता - सामान्यतः प्रधानाध्यापक का कार्य वितरण का लेकर शाला में दृढ़ पैदा होता है। कई प्रधानाध्यापक जब से बचपन में ही बुद्धिमान-मुक्त होकर मीन करते हैं जिसे असन्तोष पदा होता है। तो नहीं योग्यता, रुचियों, भावना, अभिरुचियों व क्षमताओं आदि को तान में रखकर कार्य आचरण पर दिया जाता है या व्यक्तिगत विभिन्न के सिद्धान्त का दृष्टि में नहीं रखा जाने पर शाला अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकता। अतः कार्य वितरण प्रजातात्रिण ढंग से किया जाय जिससे वे उन स्व-निर्मित समझ कर हृदय से सहयोगी सिद्ध हो सकें। कार्य क्षमता का दृष्टि में रखकर निर्वाह करने का उत्तरदायित्व उन्हीं पर छोड़ देना चाहिए। निम्नी कारणवश कार्य सम्पन्न होने में असुविधा होने पर उत्प्रेरित कर और सम्पूर्ण करवान में मित्र के रूप में सक्रिय सहयोग प्रदान करे।

प्रधानाध्यापक का अध्यापक के बीच भावद्वेषित कार्य का निरीक्षण व पर्वक्षण करते रहना चाहिए जो गलती देखने के दृष्टिकोण से न होकर सान्त्वनात्मक सुझावों के द्वारा उन्नयन ही ध्येय होना चाहिए।

प्रशासक के रूप में प्रधानाध्यापक में निम्नांकित व्यक्तिगत सम्बन्धी गुणों का होना आवश्यक है -

- 1 विद्यालय की प्रगति हेतु उचित एवं स्वतंत्र नियम लेने की क्षमता।
- 2 विद्यालय में आचारिक भावना को संचारित करने की क्षमता।
- 3 विषय से सम्बन्धित मौलिकता तथा कठिन कार्यों का करने हेतु पहल कदमी।
- 4 निर्धारित कार्यक्रमों में निष्ठा तथा उसकी सफलता हेतु सक्रिय व सकारण कार्य करने की क्षमता।
- 5 कृतव्यपराधता, आत्म-नियंत्रण, आत्म-सयम, आत्म विश्वासी, आत्म आलाचक्र होने के गुण।
- 6 दृढ़ इच्छा वाला, वक्ता तथा सगठनकर्ता के गुण।

- 7 विभिन्न वर्गा, व्यक्तियों तथा समूहों में सामाजिक स्थापित करने की क्षमता ।
- 8 विद्यालय को समाज के निकट लाने की क्षमता ]
- 9 शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा सिद्धांत तथा शैक्षिक विधियों का ज्ञान ।
- 10 निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करने सम्बन्धी बातों का ज्ञान होना ।
- 11 किसी प्रकार के सुलभाने अथवा प्रस्तावों एवं कार्यक्रमों को संचालित करने में योग्य क्षमता के ।
- 12 अनुशासन एवं वायकारी (एनजीव्यूटिव) क्षमता एवं नेतृत्व शक्ति ।
- 13 आशावादी तथा दूसरों को प्रेरित कर सने की क्षमता ।
- 14 दूरदर्शिता (फोरसाइट) तथा दूसरों में आत्म विश्वास उत्पन्न करने वाला व्यक्तित्व
- 15 अवलोकन शक्ति तथा परिस्थितियों के अनुकूल उचित निर्णय लेने की शक्ति ।

विद्यालय संगठन एवं प्रधानाध्यापक तथा उसके गुण -

- 1 व्यवसायिक ज्ञान - यदि अध्यापक नेता अध्यापक होने की स्थिति विकटमय बन जाती है उसी प्रकार प्रधानाध्यापक व्यवसायिक ज्ञान के अभाव में सही नेतृत्व छात्र व अध्यापकों को देने की स्थिति में नहीं हो सकता । अतः उसे शिक्षा प्रणालियों, नई विधियों, शिक्षा दर्शन, इतिहास एवं मनोविज्ञान आदि प्रक्रियाओं से पूरातया अवगत रहना चाहिए । अपने व्यवसाय को प्रतिष्ठित बनाने हेतु ऐतिहासिक, सामाजिक राजनैतिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक तत्वों का ज्ञान वाञ्छित है क्योंकि ये तत्व अतन्तु शिक्षा संगठन व प्रशासन को प्रभावित करता है । इसके साथ ही साथ उसे शिक्षा-संहिता (Education code) विभागीय नियम, अधिनियम, आनान्यो, आदेशों वोटों व सफे-डरी एज्यूकेशन के नियमों की जानकारी होनी चाहिए ।
- 2 विद्वान - प्रधानाध्यापक सभी अध्यापकों व छात्रों का नेता होता है अतः शाता के सम्पूर्ण वर्ग उसकी विद्वता के कारण ही आत्मा से आदर करते हैं । अतः अपने अनुभव व अनुकरणीय विद्वता के कारण ही अध्यापकों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करने वाला मित्र हो सकता है । सदैव अध्ययनशील व नवीन परिवर्तना का अपनाने की क्षमता होगी तब ही अध्यापक व छात्रों के उत्तम करने में सफल होगा ।
- 3 निष्ठावान - व्यवसाय में सकलतापूर्वक पुंजी निष्ठा ही है । अतः अपने व्यवसाय के प्रति निष्ठा तथा कर्तव्यों का सफलतापूर्वक निर्वाह करते रहना चाहिए । सफल नेतृत्व निष्ठा के बिना सम्भव नहीं है । प्रो. जसवन्तसिंह के विचार हैं 'कोई भी सर्वोच्च गरिमाय स्थिति में नहीं हो सकता जब तक अपने व्यवसाय के प्रति निष्ठावान नहीं है । जब प्रधानाध्यापक जोब प्रशासन पद की आवादा करता है तो स्पष्ट है उसमें

अपने व्यवसाय के प्रति निष्ठा नहीं है। जिससे नेतृत्व देने में अक्षम बन रहेगा जो उस के उज्ज्वल भविष्य का प्रभावित कर बिगड़ नहीं रहेगा जो सत्ता तथा समाज का पूरित न होन वाली क्षति पहुँचाता है। अतः उसे अपने कार्यालय में मस्या से प्यार करना कर चाहे अधिक श्रम भी क्या न देना पड़े।<sup>2</sup>

4 आधुनिक शिक्षा पद्धतियों का ज्ञान - प्रधान अध्यापक को सर्वत्र सूचनामक चिन्तन व विद्योजन हेतु समय देना चाहिए। एक भी राज ऐसा न पाने पाये कि वह नये विचारा नयी विधाएँ व प्रविधियों के बारे में चिन्तन न करे। अपने अधिकारों की सीमितता व लाल पीठाशाही के साथ नये अच्छे कार्यों को बन्द नहीं करना चाहिए। शिक्षा अधिकारी कभी कभी को खोजने का आदि नहीं होना अतः परिस्थितिवा के अनुसार वाय सम्मन करने में भय नहीं करना चाहिए। नय व उपयोगी शिक्षण पद्धति व प्रविधि को उपयोगिता के आधार पर अथ सत्साम्रा में अपनाय जाने की प्रतिष्ठा किए बिगड़ प्रारम्भ कर देना चाहिए। परम्परागत पद्धतिया व अभ्यास प्रगति में बाधक हो सकती है 3

5 मनोविज्ञान व दर्शन का ज्ञान - प्रधानाध्यापक अध्यापका व छात्रों के हृदय को जीतने की क्षमता मनोविज्ञान के गहर ज्ञान से ही सम्भव है सभी अध्यापक व छात्र एक ही तरह की बुद्धि के नहीं होते। कभी ऐसे व्यक्तियों की प्रशंसा करनी पड़ती है चाहे पात्र होती नहीं तो कभी-कभी केवल सामान्य व सहानुभूति पूर्ण सुनने मात्र से उनका वृत्तान्त शांत ही जाता है अतः मनोविज्ञान का ज्ञान ही।

डा जमवन्तसिंह ने कहा है- "आधुनिक शिक्षा सम्बन्धी विचारधारा तथा एक अवस्था पर अध्ययन पर आधारित प्रधानाध्यापक की सन्तुलित दार्शनिकता निर्भर होनी चाहिए। 4

6 अध्ययनशील - प्रधानाध्यापक के अध्ययनशील होने में अथ अध्यापक व छात्र भी अध्ययनरत रहेंगे। उसे अच्छे पुस्तकालय का संगठन करवाने की व्यवस्था में रुचि लेनी चाहिए। उसे अपनी जानकारी व्यवसाय के सम्बन्ध में ताजा रखने के लिए ज्ञान को बढ़ाते रहना चाहिए। उसे कठिन परिश्रम कर अपने ज्ञान का तरोताजा बनाने से व्यवसायिक क्षमता बढ़ेगी और सब शिक्षा पर विचार विमर्श करने रहना

1 जमवन्तसिंह- मकल प्रधानाध्यापक पेज/43-44

2 " " पेज/45

3 " " 45

4 " " 44

5 " " 45

चाहिए। “अध्यापक प्रश्न पद पर नियुक्ति मात्र से उसे उच्च नहीं माने बल्कि उच्च योग्यता, काबलियत एवं चरित्रवान होने पर आत्मा से अपना प्रधान मानते हैं।”

- 7 प्रबन्ध योग्यता - प्रधानाध्यापक में सहायक अध्यापकों, कल्कों, छात्रों तथा कम-चारियों आदि की सेवाओं को पूर्ण उपयोगी बनाने की क्षमता होनी चाहिए। डर, भय प्रलोभन से सदैव काय नहीं लिया जा सकता। सभी को अपने उत्तरदायित्व निवाह परत को अपना धर्म समझन लगे ऐसी अभिरुचियों का विकास किया जाना चाहिए।
- 8 शिक्षा राजनीतिज्ञ के रूप में - राजनीति का अर्थ कुशलता व कौशल से अन्यो के मुकाबले में प्राप्त करने से है उन्हें अपने उद्देश्य के प्राप्त करने में सहयोगियों के साथ उच्च स्तरीय राजनीतिज्ञ की तरह उद्देश्य प्राप्त करने में लिए सहयोग देना चाहिए।
- 9 समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप हो - कक्षा कक्ष में देश के भावी नागरिक तैयार हो रहे हैं और कालान्तर में वे समाज में प्रविष्टि करेंगे तो शाला द्वारा प्रदत्त ज्ञान सामाजिक भाकाक्षाओं के अनुषंग होने पर ही अच्छा समायोजन कर पायेंगे। इसीलिए शाला को सामाजिक सत्ता कहा गया है। अतः प्रधानाध्यापक को छात्रों की सामाजिक परिस्थितियों के गुणा और आवश्यकताओं का अध्ययन करते रहना चाहिए क्योंकि हमारी शाला रुपी फेक्ट्री का उत्पादन समाज में ही उपयोग हेतु जाना है।
- 10 अधिकार व कर्तव्यों का ज्ञान - प्रधानाध्यापक को पूर्ण रूप से यह ज्ञान होना चाहिए कि उसके अधिकार क्या क्या हैं? ताकि समय समय पर वह उन्हें प्रयोग में ला सके। साथ ही उसे अपने कर्तव्यों का भी ज्ञान होना चाहिए, सभी वह अपने कर्तव्य पूर्ण कर सकता है विशेष रूप से उसे दफ्तर के कार्य भी पूरा रूप से ध्यान से करे
- 11 प्रभावी वक्ता - अध्यापकों, छात्रों, अभिभावकों के समक्ष भिन्न भिन्न अवसरों पर अभिभाषण करना पड़ता है। प्रधानाध्यापक वाक्पटु होने से श्रोतागण उसकी बात से प्रभावित होंगे और अपने विचारों के अनुकूल बनाने में सफल सिद्ध हो सकेगा।
- 12 शिक्षण कला में निपुणता - मूल रूप से प्रधानाध्यापक एक प्रखर अध्यापक ही होता है। अतः उसे शिक्षण कला में विशिष्ट दक्षता को प्राप्त करने का प्रयास भी करते रहना चाहिए। जब अध्यापकों ने शिक्षण कार्य का प्रवर्धन करता है तो उससे आशा की जा सकती है कि वह भिन्न भिन्न विषयों की शिक्षण पद्धतियों के बारे में जानता है, तब ही अन्य अध्यापकों को सजनात्मक परामर्श देने में सफल हो सकेगा।
- 13 प्रगति पर नजर रखना - “अपने कार्य का वितरण तथा अधिकारों का उपयोग करने हेतु अधीनस्थ कमचारियों को सोचने के उपरान्त उसे शाला में ही रहे भिन्न-2

कार्यों की प्रगति की की ओर नजर रखनी चाहिए । वह शाला की प्रत्येक गतिविधि को दृष्टि में रखता है ।”

- 14 अनुशासन स्थापित करना — शाला में आत्म अनुशासन स्थापित करने हेतु नवन प्रयास करने चाहिए । अनुशासन जीवन का अभिन्न अंग में एवं म बन जाय, ऐसी अभिरूचियों का विकास करना । प्रधानाध्यापक आत्म नियंत्रण से ही शाला का अनुशासन बन पायगा ।
- 15 सुधार लाने में शीघ्रता नहीं — प्रधानाध्यापक का निसी सुधार का लाने में शीघ्रता नहीं करनी चाहिए । निसी भी तरह क सुधार लाने में पुत्र उस सभी परि स्थितियों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए और यथासंभव जम्पानवा, छात्रा और अभिभावक से वास्तव में परामर्श अवश्य कर लेना चाहिए ।

### विद्यालय संगठन एवं प्रधानाध्यापक तथा उसके गुण -

वैज्ञानिक दृष्टिकोण - प्रधानाध्यापक को प्रगतिशील एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना चाहिए । उसे उचित ढंग से वस्तुस्थिति का अवलोकन करना चाहिए, चाहे व्यक्तिगत दृष्टिकोण कैसा भी क्यों न हो उस पूर्वग्रह से प्रभावित नहीं होना चाहिए । तथ्या के आधार पर निर्णय लेते हुए मजबूत ढंग से समझीकरण किया जाना चाहिए ।

2 उत्तम स्वास्थ्य प्रधानाध्यापक इतने बड़े उत्तरदायित्व को तभी उचित रूप में सम्पन्न कर सकता है जबकि वह मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ हो । बगैर अच्छे स्वास्थ्य वह प्रेरणादायक व शूरतिशाली नहीं हो सकता । डा जसवतसिंह का कथन है कि “उसे मनुजित खान पान, विटामिना का प्रयोग, पर्याप्त जनपान बुरादमा का परित्याग तथा व्यायाम एवं निरोग जीवन का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए ।” 2

3 अच्छी आदतें एवं व्यक्तिगत जीवन की शुद्धता - प्रधानाध्यापक में आदर्श आदत होनी चाहिए। व्यक्तिगत जीवन का दृन्द जितना घातक पाठशाला में होता है, उतना अयत्न नहीं । यदि व्यक्तिगत जीवन अच्छा नहीं है तो उसकी कुशलता एवं सफावता पर बुरा प्रभाव पड़ता है । व्यक्तिगत जीवन भी पूरातया शुद्ध होना चाहिए अथवा शाला परिवार पर ही नहीं बल्कि पूरे समाज पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा । सदा जीवन उच्च विचार को जीवन में उतारते हुए सदैव उच्च आदर्शों को नीति का आधार बनावे जिससे विद्यालय परिवार उनका अनुकरण कर सके ।

4 उच्च चरित्र - शिक्षण सस्थाओं का प्रमुख उद्देश्य अच्छे चरित्र का निर्माण करना है । यदि प्रधानाध्यापक बच्चों के सम्मुख उच्च चरित्रवान होने का प्रस्तुत नहीं करता है तो छात्रा में चरित्र निर्माण एक कल्पना मात्र रह जायगी। प्रधानाध्यापक

उच्च चरित्र की प्रतिष्ठा छाप छात्रों पर डाले बगैर नहीं रह सकता। सत्यवादी तथा ईमानदार ही हमारा वे हृदय का जीत सकेगा। उसके चरित्र रूपी दोष से सम्पूर्ण विद्यालय प्रकाशित होता है।

5 वायश्रीन - जो प्रधानाध्यापक स्वयं कार्य न कर दूसरा से कार्य करवाने पर दबाव डाले है व मफन नेतृत्व नहीं कर पाता। अतः उसे सदैव अपने छात्रों एवं सहयोगियों का समक्ष में उदाहरण प्रस्तुत करने का सफल प्रयास करना चाहिए।

6 नेतृत्व की क्षमता - संगठित समाज रूपी शाला का मुख्य संगठन व संचालनकर्ता प्रधानाध्यापक होता है, उसमें योग्य नेतृत्व क्षमता होनी आवश्यक है। उसे प्रजातान्त्रिक दृष्टिकोण को हृदयगत करते हुए शाला प्रशासन के प्रत्येक कार्य को सम्पन्न करना चाहिए।

7 प्रभावशाली व्यक्तित्व - उसका निष्फलक जीवन, सहानुभूति पूर्ण व्यवहार और दृढ़ निश्चयता का होना चाहिए। अपने सहयोगियों के साथ निरकुश तानाशाही का व्यवहार न रखकर, वास्तविक सहयोग का व्यवहार करना उसके लिए अपेक्षित है। अपने सहयोगियों की जरूरतों, उनकी कमजोरियों, उनकी असफलताओं, उनकी बेबसियों का समझन तथा उनके चरित्र की तह में बैठ सकने की योग्यता जब तक उसमें न होगी वह उन्हें अपना न सकेगा। प्रधानाध्यापक का व्यक्तित्व प्रभावशाली नहीं होगा तो नवीन योजना अथवा मौलिक विचारों की कद्र नहीं होगी वह ऋद्धिवादी न होकर 'प्रगतिशील दृष्टिकोण रखना चाहिए।' ( सुल्तान मोहीउद्दीन ) उसी प्रकार भार. ए लेम्ब भी लिखते हैं - 'प्रधानाध्यापक वहीं सफल हो सकता है जिसमें आत्म सयम, सहनशीलता, प्रेम दया कुशलता, दूरदर्शिता तथा मौलिक गुणों का समावेश हो।'

8 आत्म नियंत्रण - चिडचिडेपन से व अगुनाहों को आवेश में अध्यापक व छात्रों को सजा प्रधानाध्यापक द्वारा मिल जायेगी। समझा बुझाकर सभाषण कर लेना, प्रधानाध्यापक के हाथों में एक ऐसा अस्त्र है जो दुश्मनों को भी जीत लेता है। यह गुण पाठशाला के उद्वेग छात्रों को भी सज्जन बना देगा और सबत्र स्नेह का वातावरण प्रस्तुत करेगा इससे यह अभिप्रेत नहीं कि 'मनसि अन्यत्' और 'वचसि अन्यत्' की मिशाल प्रधानाध्यापक प्रत्यक्ष करे। पाठशाला की प्रेरणा की प्रतिनिधि होने और उस प्रेरणा को पाठशाला के समस्त सदस्यों में फूंक सके, भर सके, प्रवाहित कर सके।

9 सहानुभूति की भावना - प्रधानाध्यापक को अपने अध्यापक तथा छात्रों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार का पालन करना चाहिए। उसे अध्यापकों को अपना सहयोगी मानकर चलना चाहिए, न कि सेवक। यदि किसी अध्यापक से भूल हो जाती है तो सुधारने के लिए उचित सलाह देकर आत्मभयता का भाव दिखाना उचित है। अच्छे

कार्य के लिए उसे सदा प्रोत्साहित करते रहना चाहिए । समय समय पर उसे प्रशंसापत्रों की व्यक्तिगत नठिनाईयों को दूर करने के सुझाव देना भी अच्छा रहेगा ।<sup>1</sup> छात्रों के साथ बठोर व्यवहार के बजाय पुत्रवत् व्यवहार नहीं सामंदायन सिद्ध होगा ।

10 मानवीय सम्बन्ध स्थापित करने की क्षमता — मानवीय सम्बन्ध स्थापित करने की योग्यता पर ही उसकी सफलता निर्भर है नयोन यदि वह शिक्षक शिक्षक के बीच (छात्र-छात्र) के बीच, शिक्षक छात्र के बीच, शिक्षक कमचारियों के बीच, शिक्षक व अभिभावकों के बीच अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने में सफल न होने की स्थिति में क्षमता मंचालन ठीक नहीं होगा ।

11 सहयोगी की भावना — प्रधानाध्यापक को अध्यापक की सहायता से काम करना पड़ता है, इसी कारण उसे सहयोगपूर्ण भावना को साथ लेकर चलना चाहिए । अध्यापक व छात्रों के सहयोग से ही समस्त प्रबंध स्वतः अच्छा चलेगा । किसी भी योजना का प्रारम्भ करने से पूर्व वास्तविक सहयोग प्राप्त करने का सफल प्रयास करने से योजनाएँ स्वतः ही गति पकड़ लेगी ।

12 निस्वार्थ भाव — प्रधानाध्यापक को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिसमें उनके व्यक्तिगत स्वार्थ निहित हो । एक आदर्श प्रधानाध्यापक को स्वार्थी तब उस अपने कर्तव्य और न्याय के मार्ग से हटा सकते हैं ऐसा कोई भी प्रवृत्ति नहीं देना चाहिए जिससे उसके सम्बन्ध में किसी प्रकार का संदेह किया जा सके । विद्यार्थी व समाज किसी प्रवृत्ति की प्रशंसा नहीं कर सकते व व्यवसायिक वर्गों को सहन कर सकते हैं यदि उसमें व्यवसायिक, व्यक्तिगत तथा शैक्षणिक ईमानदारी विद्यमान है ता<sup>1</sup> ।

13 आशावादी दृष्टिकोण, उसे अपने में अनीमित विश्वास होना चाहिए । पलभर भी अपलता से निराश नहीं होना चाहिए ।

14 त्यागमय जीवन — सर्वे शांला के शैक्षणिक व सह्याणिक कार्यक्रम के साथ विभिन्न कमशाला व पुस्तकालय सेवा के उन्नयन के लिए निरन्तर सावत व काय करत रहना है । विद्यालय को समर्पित भाव से सेवाएँ दत्त हुए भावार्थक लगाव पदा करता है जिस प्रकार शृङ्गानुया का मन्दिर के प्रति विशेष आध्यात्मिक उत्तरदायित्व है ठीक उसी प्रकार शांला व काय को पवित्र धार्मिक काय में लगा समझे ।

15 विनोदा भाव प्रधानाध्यापक द्वारा एक मुस्वान हनी विनोदी वाक्य यादि तनावपूर्ण वातावरण को शान्ति कर देता है । विरोधी दृष्टिकोण को भाईवार की भावना में परिवर्तन करने के लिए उपयोगी इजेक्शन का काम करता है। अत्यधिक तनाव

1 रायबन डे. न्यु एम 'शिक्षालय संगठन, पृष्ठ/8

पूर्व परिस्थिति में हसी, शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो कभी भी भ्रष्ट रूप में जानाबरण बना सकता है । 1 प्रत्येक प्रधानाध्यापक को इस गुण को अपनाने का सफल प्रयास करना चाहिए ।

16 मित्रवत् व्यवहार - छात्रों एवं अध्यापकों के साथ मित्रवत् व्यवहार बनाये रखें लेकिन शाला के नियाकलाप में बाई डील इन सम्बन्धों के कारण नहीं जाये। ऐसी डील अराजकता को पैदा करती है । आवश्यकता पड़ने पर नाजायज लाभ उठाने वाले का चेतावनी भी दे सकता है । "छात्रों को सामूहिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए उस सर्वेव तत्पर रहना चाहिए । आवश्यकता पड़ने पर व्यक्तिगत कठिनाई को सुने और दूर करने का प्रयत्न करे ।" 2

17 समय का पाबन्द - प्रत्येक प्रधानाध्यापक का शाला के निर्धारित समय पर ही पहुंचने के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए जिसमें जून कमचाते एव अध्यापक भी समय पर ही आये । यदि प्रधानाध्यापक विरम्व न पहुंचकर अध्यापकों ने समय पर जान का आशा प्रशासनिक दृष्टि से अनुचित है और शाला में सामाजिक वातावरण नहीं बन पायगा ।

18 आत्म विश्वास - 'किसी भी विद्यालय के प्रधानाध्यापक में आत्मविश्वास का होना आवश्यक तत्व है । इसके बिना वह अपने कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता । अनेक विद्यालयों को विभिन्न कठिनाइयों का सामना प्राप्त इसी कारण से करना पड़ता है कि उसका प्रधान अपने अन्दर विश्वास नहीं कर सकता और न ही अपने सहायी अध्यापकों का विश्वास प्राप्त कर सकता है । 3 अतः उन्हें स्वप्रेपत्मक स्थिरता नहीं धरनी चाहिए ।

19 निष्पक्ष एवं न्यायप्रिय - न्याय समाज का सर्वोच्च आदर्श है । जब तक समाज न्याय पर आधारित नहीं होता है, तब तक वह सुचारु रूप से कार्य नहीं कर सकता । विद्यालयों में सरक्षकों एवं अध्यापकों के प्रति प्रधानाध्यापक का व्यवहार निष्पक्ष एवं न्यायप्रिय होना चाहिए । पक्षपातपूर्ण व्यवहार से यदि दूर एक और बुद्ध सहयोगियों को श्रद्धा बनाय एवं सहयोग प्राप्त करता है तो दूसरी ओर वह अपने विरोधियों का भी जन्म देता है । अतः हम परिस्थिति में वह सबसे साथ न्योचित एवं समतन्त्रा का व्यवहार करे, यही उससे आशा की जाती है ।

1 अक्षय-तसिंह - 'तकस प्रधानाध्यापक' पेज/40

2 रायबन, डब्ल्यू एम 'दी ऑर्गेनाइजेशन आफ स्कूलस पेज/22

3 रायबन, डब्ल्यू एम, " पेज/5



20 अपनी कमजोरियों को दूर करने का प्रयास - उसे विभिन्न क्षेत्रों में कहा तब सफलता प्राप्त हुई है और वही तब हो पाई है-इसका मदद गिनाकरगता है । यह अपने कार्य के क्षेत्र का माप करेगा और उमम वही तक सफलता प्राप्त हुई है इमका माप करता रहेगा । अपनी कमजोरियों को गर्देव दूर करने के प्रयास में यह मादा अपने काम का माप करता रहेगा ।

## प्रधानाध्यापक के कर्तव्य तथा दायित्व

### ( Headmaster's Duties & responsibilities )

शाला की सभी गतिविधिया का व- जिदु प्रधानाध्यापक होता है । अतः उनके कार्यों की महत्ता, गम्भीरता को दृष्टि में रखते हुए उसका कर्तव्य एवं दायित्व को निम्न भाग में विभाजित किया जा सकता है -

- 1) प्रशासनात्मक कार्य एवं दायित्व
- 2) शिक्षण व्यवस्था सम्बन्धी दायित्व ।
- 3) शिक्षकों से सम्बन्धी दायित्व ।
- 4) छात्रों सम्बन्धी दायित्व ।
- 5) समाज व अभिभावकों के प्रति दायित्व ।
- 6) विद्यालय विचारों के संचालन करने सम्बन्धी दायित्व ।
- 7) शिक्षा विभाग,उसके अधिकारियों से सम्बन्धित दायित्व
- 8) राज्य में स्थित बोर्ड और उसके अधिकारियों से सम्बन्ध
- 9) शाला सगम संस्थाओं से सम्बन्ध
- 10) मूल्यांकन ।

1 प्रशासनात्मक कार्य एवं दायित्व - प्रधानाध्यापक का पद अत्यधिक जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर लिए हुए है । विद्यालय की शक्ति व सहयोगी प्रवृत्तियों के लिए योजना का निर्माण,उसकी क्रियाविधि,उसे संचालन करना व उमम सफलता प्राप्त कराना आदि दायित्व प्रधानाध्यापक का ही है । प्रधानाध्यापक को एक प्रशासक के रूप में सगठन वृत्ता के प्रमुख कर्तव्य निभान होते हैं जिससे "उचित ढंग से साधना को काम में लाए हुए अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सके । कमजोर प्रशासक अच्छे सगठन को कमजोर कर देता है जबकि अच्छा प्रशासक असन्तोषजनक सगठन का उन्नत कर सकता है । ' । वनमान में सारा उत्तरदायित्व प्रधानाध्यापक का ही रहता है । उनके कार्यों को छाना व विभाजित किया जा सकता है

- 1) नियोजन
- 2) प्रशासनिक - बजट स्टाफ, निर्देशन, समन्वय, सभी का अभिव्यक्त करना ।
- 3) पर्यवेक्षण
- 4) निर्देशन
- 5) मूल्यांकन
- 6) समाज से सम्बन्ध स्थापित करना ।

प्रधानाध्यापक सगठन प्रक्रिया में स्वभाव से रुढ़िवादी न हीकर आधुनिक परिस्थितियों के अनुकूल हो । शाला के अध्यापना की रुची के अनुकूल सतुलित रूप में कार्यों को

फा विभाजन करना, समायोजन क्षमता उत्पन्न करना, विद्यालय प्रशासन को बनाये रखना, शिक्षकों, अभिभावकों तथा विद्यार्थियों को शिक्षा के वर्तमान उद्देश्यों से अवगत कराना, शाला पुस्तकालय की उचित व्यवस्था करना, अध्यापकों की स्वयं द्वारा आलोचना न करना जिनसे उन्हें आत्म मूल्यांकन के अवसर प्रदान करना, क्रियाओं का संचालन सुनियोजित एवं सुसंगठित रूप में करना, क्रियाओं के सम्पादन में समुक्त शक्ति का उपयोग करना आदि उसके प्रमुख प्रशासनिक उत्तरदायित्व हैं ।

प्रशासनिक दृष्टि से वह—

- (1) शिक्षकों के कार्यों का निरीक्षण व निर्देशन व प्रगति हेतु प्रेरित
- (2) शिक्षण काय का निरीक्षण
- (3) सम्पूर्ण गतिविधियों का निरीक्षण व सुधार के सुझाव देना
- (4) कार्यालय का निरीक्षण
- (5) छात्रावास का निरीक्षण
- (6) सह्यामी प्रवृत्तियों का निरीक्षण—सन्तुलित विकास हेतु
- (7) भौतिक तत्वों, खेल शारीरिक क्रियाओं महकारी भण्डार, कैंटीन आदि का निरीक्षण
- (8) विद्यालय-पुस्तकालय, प्रयोगशाला, भवन फर्निचर आदि का निरीक्षण
- (9) पाठ्य पुस्तकों व प्रश्न-पत्रों में साम्यता लाने हेतु परीक्षाओं का निरीक्षण
- (10) पाठ्य पुस्तकों के चयन में परामर्श देना तथा उपयोगिता की दृष्टि से निरीक्षण करना
- (11) शाला अभिभावक संघ के कार्यों का निरीक्षण
- (12) शाला को जिन तत्वों से हानि होने का सम्भावना है उसे उतका निरीक्षण करना
- (13) प्रदेश सख्या, अध्यापकों की संख्या तथा अन्य कमचारियों में सन्तुलन बनाय रखने हेतु निरीक्षण ।

2 शिक्षण व्यवस्था सम्बन्धी दायित्व — प्रधानाध्यापक का कर्तव्य पाठशाला का संगठन, निरीक्षण, परीक्षण आदि करना तो है ही क्योंकि शाला का नेता है परन्तु साथ ही वह एक शैक्षिक नेता होने के नाते शाला में शैक्षिक पर्यावरण व स्थिति पदा करना जिससे अध्ययन अध्यापन कार्य के साथ साथ सह्यामी प्रवृत्तियों आदि का उभयान हो सके । वह इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु पूव में नियोजित करता है, अध्यापकों का परामर्श देता है और श्रुतियों के सहायन हेतु सजनात्मक सुझाव मित्र के रूप में प्रदान करता है । शिक्षण हेतु व्यवस्था करना, विषय-विशेष के योग्य अध्यापकों को अध्यापन हेतु समय सारिणी में कालाश प्रदान करना । शैक्षिक विषयों पर विकासशील दृष्टिकोण रखना चाहिए । नई पद्धतियाँ जो भारतीय परिस्थितियों के लिए व्यवहारिक हो उसे प्रयोग में लाना चाहिए जो व प्रवृत्तियों को प्रयोग में लान हेतु प्रोत्साहित किया जाय ।

अध्ययन का अभाव भी चाहिए जहाँ बालिका प्रजातांत्रिक ढंग में हो। किमात्मक अनु-  
 संधान का प्रोत्साहन दिया जाय तथा के निर्देशन द्वारा विद्यार्थक में प्रवृत्त मन्त्र्या की  
 खोज भी की जानी चाहिए। 'मान-विज्ञान की प्रगति द्रुतगति से हो रही है नई शिक्षण  
 पद्धतियाँ प्रविशिया का प्रादु भाव हो रहा है उसकी आज करने तथा पुगनी पद्धतिया  
 का सशाधन करने रहना चाहिए ।'

शिक्षण काय-व्यवस्था सम्बन्धित प्रथानाध्यक्षक निम्न काय प्रमुख रूप से :-

- 1 सभी विषयो का समुचित शिक्षण व्यवस्था ।
- 2 रुचि के अनुगुण विषय पढाने की सुविधा
- 3 अध्यापको की रुचि, योग्यता एवं क्षमता के अनुगुण के काय दना
- 4 शिक्षण काय में तालमेल बढाना
- 5 सभी विषयों का दक्ष अध्यापको की व्यवस्था करना ।
- 6 सम्पूण सत्र की शक्षिक योजना तैयार करना
- 7 शाला में स्वअनुगमन हेतु प्रेरित करना
- 8 विषय-विशेषज्ञा के भाषण करवाना
- 9 अध्यापक संगठणी में प्रजातांत्रिक ढंग से विचार-विमर्श कर शक्षिक उन्वयन करना
- 10 सेवावामीन प्रशिक्षण की व्यवस्था करना
- 11 शैक्षिक अनुयन हेतु परिविधण में सजनात्मक सुभाय दना
- 12 जिस क्षमता के कमरे हो उतने ही छात्रा का प्रवेक
- 13 पुस्तकालय बालनालय विज्ञान प्रयोगशाला, भाषा प्रयोगशाला आदि का विकास  
 करना और समुचित उपयोग हेतु बनाना
- 14 दृश्य श्रवण साधनों के उपयोग की व्यवस्था करना
- 15 सहगामी प्रवर्तियो के सचालन में निगन्धरता, जिसके माध्यम में सवाणीण विद्या  
 हो सके ।

3 शिक्षको सम्बन्धी दायित्व - प्रधाताध्यक्षक शिक्षका के प्रति मन्त्रानुनिपूण मान  
 वीय तथा प्रजातांत्रिक ढंग से व्यवहारकरना चाहिए। शिक्षका के व्यक्तित्व का आन्तर बदल  
 हुए उनकी क्षमता, योग्यता तथा रुचि का आचार पर काय भार आवटो कर । वह  
 स्वयं एक दक्ष अध्यापक के रूप में अपनी प्रतिभा का लाभ अध्यापका को एक शक्षिक  
 नना के रूप में प्रदान कर तथा उह उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित कर । अध्यापको  
 से स्वेच्छा पूष सहयोग प्राप्त करे । और शाला की समस्याओं के समाधान में उनका  
 सहयोग प्राप्त करे । शैक्षिक निषयो में सहयोगी होने में कायविति में वे

1 जडव नसिहू - तपन प्रधानाध्यक्षक पत्र/55

जपना हादिक सहयोग प्रदान करेगे जिससे अध्यापकों में दायित्व भावना जाग्रत होगी और सामाजिक वातावरण का विकास होगा। सभी अध्यापकों को समान रूप में देय र उचित मान दे। के जी सईरैन ने ठीक ही कहा है—“एक अच्छा प्रधानाध्यापक वह होता है जो अपने सहयोगियों पर बठोर जम्बकारी की भाँति हावी हुए बिना उन्हें प्रेरणा एवं प्रोत्साहन दे सके। एक मित्र सलाहकार, दायित्व की भाँति व्यवहार वाञ्छित है वह जिसका परामर्शदाता बने न कि उसकी कमजोरियों का पता लगाने वाला जामून। ऐसा प्रधानाध्यापक अपने लक्ष्य में कभी सफल नहीं हो सकता क्योंकि पारस्परिक रि-  
वाम और सहयोग पर ही प्रशासन स्पी गाड़ी सुचारु रूप से चलती है। प्रशासन के रूप में उतने निम्न दायित्व है—

- (1) शिक्षा की प्रगति हेतु योजना का निर्माण
- (2) सहायक सामग्री जुटाना
- (3) विज्ञान प्रयोगशाला व भाषा प्रयोगशाला की व्यवस्था
- (4) शैक्षणिक योग्यता, अनुभव व कुशलता के आधार पर शिक्षण कार्य का आवंटन।
- (5) अध्यापकों के शिक्षण हेतु उत्तम नमूनाओं को सुनिश्चाने में सहयोग।
- (6) सेवा में स्थायित्व लाने हेतु सफल प्रयास।
- (7) अध्यापकों को सेवाकालीन मिलने वाली सुविधाओं का गविलम्ब देना।
- (8) अध्यापकों की भावनाओं का स्वागत करना-प्रजातांत्रिक दृष्टि से विचार।
- (9) नवीन विधियों व प्रविधियों से अवगत करवाना।
- (10) सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
- (11) अध्यापकों की गलतियों को एकांत में समझाना।
- (12) सभी का समान उत्तरदायित्व सौंपना चाहिए।
- (13) अध्यापक वर्ग में दलबन्दी नहीं होने पाव और न ही किसी दल में सम्मिलित हो।
- (14) अध्यापकों पर ही उत्तरदायित्व सौंपना चाहिए।
- (15) अध्यापकों का विश्वास प्राप्त कर जिससे हादिक सहयोग मिलना।

4 छात्रों के प्रति कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व - प्रधानाध्यापक की सफलता का गहन छात्रों के साथ व्यक्तिगत सम्पर्क करने हेतु प्रयत्नशील रहना है। “जो अध्यापक विद्यार्थियों को अपने सहयोगी की भाँसा से देखता है वह कभी भी सफल नहीं हो सकता। छात्रों के लिए सहयोगी हो। शाला में पढने वाले में से अधिकतम छात्रों को जाना और पहिचाने, जिससे अनुशासन बना रहगा। छात्रों को शाला प्रशासन में भागीदार बनाना जान

“शाला ससद” के भाष्यम से । उन्हें महगामी प्रवृत्तियों के संगठन व संचालन का कार्य सौंपा जा सकता है । छात्र समस्याओं का चतुराई से समाधान किया जाय । अपने पत्र को गरिमा को बनाये रखे छात्रों को तग बरके भय व डर से नहीं । वह मानवीय बना रह, डरे नहीं ।” सामान्यतः ‘जब छात्र प्रधानाध्यापक के पास अपनी समस्याओं का प्रस्तुत करने जाते हैं तो वे नवस हा जान हैं । इस प्रधान का अर्थ पद का सुशोभित कर्त्ता चाहिए जहाँ अत्यधिक सख्या में बालकों से सम्पर्क नहीं हो ।’ 2 छात्रों को घानद वाता है जब उसका प्रधानाध्यापक उनकी प्रवृत्तियों का अवलोकन हेतु जाता है ।’ 3

फिर भला प्रधानाध्यापक छात्रों से क्यों सलोच करते हैं ? उन्हें कभी-कभी प्रत्येक बच्चा कुछ समय के लिए जाकर उनकी समस्याओं से अवगत होना चाहिए और समाधान करने का प्रयत्न करे । वह पिता-तुल्य व्यवहार करते हुए समस्याओं का ध्यानपूर्वक समझते हुए कल्याण के लिए सतत प्रयत्नशील रहे जिससे वह आदर व श्रद्धा का पात्र बन सकता है । इस दृष्टि से प्रधानाध्यापक का निम्न दायित्व है —

- (1) शाला में प्रवेश विद्यालय एवं कक्षाओं में छात्रों के बैठन की क्षमता को दृष्टि में रखना ।
- (2) विभिन्न वर्गों, समूहों का वर्गीकरण मनावैज्ञानिक आधार का दृष्टि में रखकर करना ।
- (3) छात्रों का मूल्यांकन करना ।
- (4) छात्रों की मानसिक, शारीरिक प्रगति को अभिलेख में अंकन करना ।
- (5) अभिभावकों के पास छात्रों की प्रगति से अवगत कराना ।
- (6) आत्म अनुशासन का अनुसरण जीवन में करने की आदत विकसित करना ।
- (7) शाला में निर्देशन केन्द्र की स्थापना करते हुए उन्हें व्यवसायिक शैक्षिक परामर्श देना ।
- (8) सहगामी प्रवृत्तियों में सभी भागीदार हो सके ऐसी व्यवस्था करना ।
- (9) उच्च बुद्धिलब्धि, पिछड़े बाल अपराधी, कुसमायोजित एवं विचलित बालकों के लिए पठन व्यवस्था करना ।
- (10) आत्म समय आत्म प्रकाशन, ‘साथ संगत एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करने का प्रशिक्षण देना ।
- (11) छात्रों में अवांछित चेष्टाओं से सतक रहकर उनका मनोवैज्ञानिक रूपांतर करना ।

1 कोचर, एस के, सै ‘इंग्लिश एडमिस्ट्रेशन पृष्ठ/58

जसवन्तसिंह— सफल प्रधानाध्यापक पृष्ठ/44

” ” पृष्ठ/45

- (12) स्वाध्याय की आदत का निर्माण करना ।
- (13) कल्पनाशक्ति का विकास करना ।
- (14) श्रवकाश के समय का स्रुपयोग की आदत का निर्माण करना
- (15) सादर्यानुभूति की अभिव्यक्ति करना ।
- (16) विरूचिपूर्णता(हावीज) उत्पन्न करना और शाला कार्यक्रम में उसका समावेश करना ।
- (17) सामाज्य ज्ञान के लिए तन्वीनतम सूचनाओं से अवगत कराना ।
- (18) प्रजातात्रिक गुणा का विकास करना ।
- (19) समभाव वद्वि हेतु पयावरण प्रदान करना ।
- (20) विद्यालय छोडन पर रोजगार दिलाने के लिए 'फालो अप सेवार्यो गठित करना ।

5 समाज व अभिभावको के प्रति सम्बन्धित दायित्व - यदि किसी निदान के समाज व समुदाय की सेवा करनी है और बालका का समाज का स्वस्थ है तो उसे छात्रो के अभिभावको का सहयोग प्राप्त करना होगा । इनके निदान के अनुशासन बनाये रखने, छात्रो की कठिनाइयो एव समस्याओं का उनके सर्वांगीण विकास हेतु उन्नत कार्यक्रम बनाने आदि कार्य अत एव प्रधानाध्यापक से आशा की जाती है कि व आग आयोजन के अवसर पर आमंत्रित करे । शिक्षक अनिच्छा विद्यार्थियो सम्बन्धी सभी प्रकार की कठिनाइया एव मोहादपूर्ण वातावरण का निर्माण किया जा सकता है ।

प्रथम ही हाथ और ना ही शाला के प्रति सहानुभूति बन पायगी और घनादरक प्रतिकृत जनमत तयार हा जाता है जिससे शाला के द्वारा उद्देश्य प्राप्ति म बाधा प्राना हे । तत प्रधानाध्यापक को समाज व शाला मे घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित करना चाहिए ।

लेकिन उसे राजनतिक दल की दलगत राजनीति मे भागीदार बनो तभी बनना चाहिए 2

प्रधानाध्यापक को अभिभावक व समुदाय से सम्पर्क करने हेतु निम्न मुख्य बातें ध्या  
 1. पालन करना चाहिए -

- (1) विद्यालय का कार्यक्रम के माध्यम मे समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके ।
- (2) विद्यार्थियों की शारीरिक, मानसिक तथा अध्यापन और उनके चरित्र सम्बन्धी बातों का लेखा, 'प्रगति-पत्र के माध्यम से भेजना चाहिए ।
- (3) अध्यापक अभिभावक सघ का निर्माण हा और प्रधानाध्यापक उमका मंत्री रह ।
- (4) विशेष व्यवस्था पर अभिभावक आमंत्रित हो, जिससे समस्याओं का समाधान ।
- (5) अभिभावक दिवस मनाया जाय ।
- (6) अभिभावकों द्वारा आयोजित उत्सव पर सम्मिलित होता ।
- (7) सजाजोपयोगी उत्पादन कार्य (SUPW) मे सहभाग देना, श्रमदान, सामाजिक कार्यक्रमों प्रोढ़ शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमों मे सहयोग देना ।
- (8) सामाजिक कुरीतियों को दूर करने हेतु विभिन्न उत्सवों पर शिक्षाप्रद भजन, नाटक आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन म समाज को आमंत्रित करना ।
- (9) शिक्षाप्रद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन का प्रदर्शन जिससे अशिक्षित जनता का मनोरंजन के साथ अपरोक्ष रूप से शिक्षा भी प्राप्त हो सके ।
- (10) पाठशाला को सामुदायिक केन्द्र का रूप देना चाहिए ।
- (11) स्थानीय मेला, उत्सव, बाड अकाल, महामारी पर बालकों को भाग लेने के लिए भेजे ताकि समाज-सेवा के साथ समाज से सम्पर्क भी मजबूत होगा और छात्रों के दृक्कारिक ज्ञान प्राप्त होगा ।
- (12) निविष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विवादा समिति का निर्माण करे जिसमे समाज के प्रमुख व्यक्तियों को रखा जाय ।
- (13) 'गणमाय' दक्षिणा की समिति का निर्माण, जो छात्र समाज सेवा मे रुचि ले सकें ।
- (14) विद्यालय व समाज के बीच समन्वय से समाज का दृष्टिकोण रचनात्मक बनेगा जो अप्रत्यक्ष रूप से उपादेय ।

1 जसवन्तसिंह- सफल प्रधानाध्यापक पेज/57

2 कोषर एस के, 'माध्यमिक शाला प्रशासन पेज/59

- (15) स्थानीय । समस्याओं व आवश्यकताओं विद्यालय के माध्यम से पूर्ति होने से समाज सहयोगी बनेगा ।
- (16) अथ अन्तर्जी आलाओं से सहयोग प्राप्त करने से प्रगति होगी ।
- (17) कृषि, बगीचों, सैटिन, प्रयोगशालाओं को 'सीखो वमाओ' योजनाओं से जोड़ना चाहिए ।
- (18) शिक्षा से समाजीकरण हो सके, ऐसी व्यवस्था करना ।
- (19) अभिभावक के सुझाव व शिकायतों पर समुचित ध्यान दे ।
- (20) प्रधानाध्यापक का चाहिए की वह समाज की प्रवृत्तियों, क्रियाशक्तियों एवं विभिन्न अवस्थाओं को विद्यालय में प्रतिबिम्बित करे जिससे छात्र अपने विद्यालयीय जीवन में ही भावी नागरिक जीवन के प्रयत्न एवं व्यवहारिक अनुभव कर सकें ।
- (21) प्रधानाध्यापक समाज के आदर्श विचारधाराओं, परम्पराओं, संस्कृति से अवगत परवाय जिससे समाज की समृद्ध बनाने के लिए उत्तरदाता उत्पन्न करे ।
- (22) प्रधानाध्यापक सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक जीवन के श्रेष्ठ-श्रेष्ठ कार्यक्रम का आयोजन करे ।
- (23) शाला में स्नेहमयी एवं सहयोगी वातावरण तैयार करे
- (24) प्रधानाध्यापक विद्यालय अवस्था में पारिवारिक जीवन के शुरुओं का समावेश करे।
- (25) प्रधानाध्यापक सामाजिक कार्य में सक्रिय अग्रीदार बनान हेतु छात्रों का उत्प्रे-रित करना ।
- (26) विशिष्ट बातों की शिक्षा हेतु प्रयागात्मक प्रदर्शन करवाते रहना चाहिए ।
- (27) 'परिवार नियोजन' व 'जनसंख्याशिक्षा' अत्यक्ष रूप से प्रदान करने की व्यवस्था करे ।
- (28) 'मीन शिक्षा' अथ विषयों को पढ़ाते वक्त छात्रों को समझान हेतु प्रवृत्त करना ।
- (29) प्रधानाध्यापक को चाहिए कि भावान्मक व राष्ट्रीय एकता हेतु कार्यक्रमों का आयोजन करे ।

6 विद्यालय क्रियाओं के संचालन संपन्वी दायित्व- धारकों से अवशील विकास के लिए पाठ्यक्रम सहयोगी क्रियाओं का शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान है । माध्यमिक शिक्षा आयोग का कथन है- 'कि पाठ्यक्रम सहयोगी प्रवृत्तियाँ विद्यालय कार्यक्रम का उत्तना ही महत्वपूर्ण भाग है जितना पाठ्यक्रम सम्बन्धी कार्य और उनके उद्देश्य साधन हेतु उत्तनी ही सावधानी एवं पूर्ण विचारशीलता की आवश्यकता होती है । यदि उनका भली भाँति संचालित किया जाए तो मूल्यवान अभिवृत्तियाँ एवं सुयोग दे विद्यार्थ म



सहायक हो सकती है।" यह प्रार्थना छात्रों की स्त्री छा पर आधारित हो जि  
 माध्यम से शारीरिक विकास, साहित्यिक, सांस्कृतिक विकास अथवा वा  
 हस्तकला, नागरिकता का विकास समाज कल्याण सम्बन्धी प्रवृत्तियों का संचालन  
 बालका का सर्वांगीण विकास कर सकत है। क्रियाशास्त्र के संचालन में विभिन्न क्रिया  
 के मध्य शारीरिक मनुष्य तथा साधन भी बाध रहना चाहिए जिससे उनके द्वारा  
 लय के किसी पहलू को हानि न हो सके।

एल्सवर्थ टोम्पकिंस (Ellsworth Tompkins) उनके द्वारा व्यक्तिगत, सामाजिक  
 तथा नागरिक तथा नैतिक उत्थान होने की सम्भावना बताया है। निष्ठा-प्रक्रिया  
 के संचालन हेतु प्रधानाध्यापक के निम्न उत्तरदायित्व हैं -

- 1 क्रियाओं को शक्ति महत्ता की दृष्टि से चयन करना।
- 2 छात्रों का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से 'शांति सभ' सफ लयवा समिति  
 का निमाण करना।
- 3 छात्रों की योग्यता उम्र, रुचि एवं घादता के आधार पर क्रियाओं का आयोजन  
 करना।
- 4 क्रियाओं के माध्यम से स्वातंत्र्य, गाइडिंग बालचर, एन भी सी आदि प्रशिक्षण
- 5 ऐसी व्यवस्था हो कि सभी छात्र भागीदार हो सके।
- 6 क्रियाओं के संचालन में छात्रों में कृतब्यपरायणता, सहयोग, धैर्य, नेतृत्व व  
 सामाजिकता के गुणों का विकास हो सके।
- 7 प्रधानाध्यापक को नैतिक साधनों व आर्थिक स्थिति से अनुसार हो नियोजन
- 8 प्रधानाध्यापक क्रियाओं का पर्यवेक्षण व पर्य प्रदर्शन करे।
- 9 एक छात्र को अनेक बाध करने का नहीं दिए जाय।
- 10 समाज के सभी मगठना का सहयोग प्राप्त करे।
- 11 प्रधानाध्यापक का चाहिए कि वे छात्रों में स्वैच्छा-भावना से सम्मिलित हो  
 प्रोत्साहित करे।
- 12 क्रियाओं का मूल्यांकन करे।
- 13 पारितापिकों एवं पुरस्कारों का प्रवच करे।

प्रा मिलर, मीयर और पैट्रिक 1 न भी क्रियाओं को प्रभावी बनान हेतु  
 का प्रतिपादन किया है- सांख्यिक सिद्धान्त, सम्पूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम से सम्  
 निष्ठा, प्री नेतृत्व से सम्बन्धित निष्ठा, संगठन प्रशासन एवं पर्यवेक्षण से  
 निष्ठा। प्राय उपरोक्त लिखित बातों ही की भाषा की गई है।

- 
- 1 एल्सवर्थ टोम्पकिंस, 'एम्ब्रु कनाम एस्पीक्टिवी फोर बाल पिपल्स' पेज/3
  - 2 F.A Miller, J H Moyer, R.B Patrick, Planning Student Activist

7 शिक्षा विभाग व उसके अधिकारियों से सम्बन्ध - माध्यमिक शिक्षा आयोग ने प्रधानाध्यापक यह प्रमुख कृतव्यव बताया है कि-“शिक्षा विभाग के अधिकारियों के निर्देशों का पालन करना ही उसका काम है।’ अतः शिक्षा विभाग के आदेशों का पालन करना चाहिए। पूछे गये प्रश्नों का प्रतिउत्तर शिक्षा विभाग को देना उसका कृतव्यव है। विभाग के अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित करे। शाला के निरीक्षण के अवसर पर सम्मान करे और सभी क्रियाकलापों का प्रदर्शन करे। विशेष उत्सवों पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों को आमन्त्रित करे। विभाग के अधिकारियों से पारस्परिक सहयोग तथा सद्भाव बढ़ाने से शाला की उन्नति होगी और अधिकतम योग प्राप्त होगा। प्रधानाध्यापक को निम्नलिखित बातों का दायित्व निर्वाह करना चाहिए -

- (1) विद्यालयीय शिक्षा की भिन्न भिन्न शाखाओं से सम्बन्धित परिस्थितियों से शिक्षा विभाग का अवगत कराना।
- (2) शिक्षा की प्रगति व सम्बन्ध में अधिकारियों को सूचित करना।
- (3) शासन की शिक्षा नीति का विद्यालय में होने वाली प्रतिनिध्या में विभाग को अवगत करवाना।
- (4) शैक्षिक आवश्यकताओं से अधिकारियों को अवगत कराना।
- (5) अनुशासन बनाना और अन्य बाधक तत्वों के बारे में अवगत करवाना।
- (6) अध्यापक व कमचारियों की काय प्रणालियों से अवगत कराना।
- (7) शिक्षा विभाग के नियमों का समय सारिणी में क्रियावित रूप देना।
- (8) शिक्षा विभाग द्वारा अनुमोदित पुस्तकों का अयन करना।
- (9) विद्यालय की विभिन्न प्रवृत्ति व प्रगति से विभाग को समय समय पर सूचित करना।
- (10) विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क प्राप्त करना।

8 राज्य के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड व उसके अधिकारियों से सम्बन्ध -

राज्य की माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शालाओं का शैक्षिक नियंत्रण उस राज्य शिक्षा बोर्ड करता है। बोर्ड द्वारा ही शाला शिक्षा से सम्बन्धित विषय पर राज्य सरकार का सलाह देना है। सभी शालाएँ बोर्ड के द्वारा मान्यता प्राप्त करती हैं। माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शालाओं के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण व उनकी परीक्षाएँ उसी के द्वारा सम्पन्न होती हैं। अतः शैक्षिक उन्नयन व विप्रे प्रगति के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से भी गहरे सम्पर्क बनाय रखना चाहिए। प्रधानाध्यापक को निम्नलिखित बातों को ध्यान में लाना चाहिए -

- 1 विद्यालय की विभिन्न शैक्षणिक परिस्थितियों से अवगत कराना।

- 2 निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुकूल सामग्री बनाना ।
- 3 विद्यालय की शैक्षणिक अभिस्यक्तताओं को बताना ।
- 4 भाष्यता के लिए लगी ऋडीसस को पूरा करना ।
- 5, बोर्ड द्वारा प्रसारित नियमों का प्रियावित रूप देना ।
- 6 बोर्ड द्वारा निर्धारित व अवसर पर सभी क्रियात्मकताओं के बारे में अवगत करवाना
- 7 बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यपुस्तकों का ही अध्ययन-अध्यापन सेतु उपयोग में लाना
- 8 वार्षिक-प्रतिवेदन भेजना ।
- 9 बोर्ड द्वारा छात्रवृत्तियाँ, अनुदान जादि व बारे में छात्रों को अवगत करना ।
- 10, बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं का संचालन करना ।
- 11, बोर्ड द्वारा आयोजित कार्य शिष्टियाँ में अध्यापकों का भेजना ।
- 12 शाला के शैक्षिक उन्नयन हेतु जा भी निर्देश बोर्ड द्वारा प्राप्त होते हैं उसी अनु-पालना करना ।

'शाला सगम' की सस्याओं से सम्बन्ध - 'शाला-सगम' के विचार में एक माध्यमिक या उच्च माध्यमिक लगभग तीन या चार उच्च प्राथमिक शालाएँ तथा दस से बीस प्राथमिक शालाएँ, जो एक दूरी के नजदीक हैं वे एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं । माध्यमिक शाला उसकी मयोजक मशा के रूप में कार्य करती है । जिसे प्राथमिक जिम्मेदारी बढ जाती है । प्रेषणाध्यापक का अन्य सहयोगी मस्या से सम्बन्ध में निम्न उत्तरदायित्वा का निर्वाह करना चाहिए -

- (1) ग्रामपाम की मस्याओं के प्रधानाध्यापकों की समिति उसका मयोजन करना ।
- (2) कम से कम वष में दो बार अर्थाँ विद्यालय सम्मेलन
- (3) अपने विद्यालय के उत्सवा में दूसरे विद्यालय के प्रधानाध्यापक व अध्यापकों को आमन्त्रित करना ।
- (4) कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना जो अन्य विद्यालयों के लिए अहितकर हो ।
- (5) विद्यालयों के मध्य प्रतियोगिता उत्सव करना ।
- (6) शाला प्रयोगशाला व पुस्तकालय 'सगम' की सस्या के बालकों को अवकाश व रोज उपयोग करने की अनुमति दे ।
- (7) केन्द्रीय माध्यमिक सस्या होने के नाते पुस्तकें उधार ले रूप में अन्य सस्याओं को दे ।
- (8) अच्छे प्रशिक्षित अध्यापकों को भी पढान हेतु भेजा जाय ।

Report of the Education Commission, P/263

(9) चित्रकला व खेल अध्यापक प्राथमिक स्तर की शालाओं में नहीं है वहाँ उन अध्यापकों को शाला के कायभार के अतिरिक्त भेजा जाय।

(10) एक अध्यापक प्राथमिक शालाओं के अध्यापक छुट्टी रहने पर अध्यापक भेजना।

10 प्रधानाध्यापक द्वारा मृत्याकृत-पाठशाला में बालकों को परीक्षाएं, वादिक, श्रद्ध-वापिक होनी है। उनका सभी प्रबंध जैसे प्रश्न-पत्र बनवाना, उन्हें छाटना उचित म्यान पर गुप्त रूप से छपवाना, उत्तर पुस्तिकाओं को जचवाना तथा परीक्षाओं में कोई अनियमितता न होने पाये इन सब का प्रबंध तथा परीक्षाफल समय पर तैयार करने धारित करने का उत्तरदायित्व प्रधानाध्यापक का ही है।

प्रधानाध्यापक को देना चाहिए कि छात्रों का मृत्याकृत कार्यक्रम नियमित रूप से हो रहा है या नहीं। उस अध्यापकों के अपने ही मृत्याकृत उपकरण बनाने के लिए प्रास्तावित करना चाहिए।

## विद्यालय — वातावरण

( The Tone of the school )

“विद्यालय का अपना एक वातावरण प्रत्येक रीति स्थापित करना बड़ा ही कठिन कार्य है और इसमें कई वर्ष लग जाते हैं। यह वातावरण ऐसा होना चाहिए जिसका छात्रों और अध्यापकों पर ऐसा प्रभाव पड़े कि सभी वर्गों परावर्ण बने और उनका नैतिक विचार हो सके। इन सम्बन्ध में भी प्रधानाध्यापक का प्रधान कर्तव्य है। जिस विद्यालय का वातावरण अच्छा रहता है उसके छात्रों का आचरण में कोई त्राप नहीं मिललाई पड़ता, वे किसी को किसी भी प्रकार का दुःख नहीं देते और उनके आदस तथा चरित्र की नींव उनके विद्यालय काल में ही पड़ जाती है। 1

प्रधानाध्यापक की समस्याएँ एवं निराकरण पाठशाला का सम्पूर्ण उत्तर दायित्व प्रधानाध्यापक का ही है और इतने अधिक कार्यों व उत्तरदायित्वों को अनि विलक्षण योग्यता वाला प्रधानाध्यापक ही पूरा कर सकता है। अत्यधिक प्रयत्न के उप-रान्त भी उसे परिवर्तित समय और समाज की बदलती हुई सामाजिक, आर्थिक, राजनै-तिक दशा के प्रतिष्ठ वृद्ध और नये कार्य भी अपनाएँ पड़ते हैं विशेषकर शिक्षा क्षेत्र में। मृत्यु का सारा कार्य सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप क्रियावित्त करके उसे नई सम-स्याओं के समाधान तदनुकूल बनाने पड़ते हैं। प्राधुनिक गमस्या सामाजिक निम्न प्रकार की उनके सम्मुख आती है।—

डॉ. पी.के. सरसू प्रसाद “जनतन्त्रात्मक विद्यालय संगठन” पृ. 74

11 अनुपयुक्त पुस्तकालय - पुस्तकालय शाला की रीढ़ की हड्डी है। उसका निरंतर विकास व उन्नतन वांछित है।

सुभाव — 1 अधिक् अनुदान प्रदान दिया जाय।

2 प्रशिक्षण प्राप्त पुस्तकालयाध्यक्षों की नियुक्ति।

3 अच्छे साहित्य प्रदान करता।

12 अध्यापकों का शोधिता से स्थानान्तरण - स्थानान्तरण वष व मध्य म नी हान चाहिए। राज प्रधानाध्यापक के बगैर पूछे ही अध्यापका का स्थानान्तरण कर दिया जाता है जिससे उनकी योजना को क्रियाचित रूप देने में अवधिधा रहती है।

सुभाव — 1 तीन वष से पूर्व अध्यापका के स्थानान्तरण न हा।

2 स्थानान्तरण निति का निमाण।

3 प्रधानाध्यापक से शाला तथा शैक्षिक प्रवृत्तियों के संचालन के हित का दृष्टि म रखते हुए प्रधानाध्यापक की अभिप्राया उपरांत ही स्थानान्तरण हो

4 स्थानान्तरण राजनीति से प्रेरित न हा।

## अध्यापक

### विद्यालय वातावरण के निर्माण में अध्यापक की भूमिका

(Role of teacher in building tone of School)

अध्यापक माली के समान पौधों को यथास्थान रोपता-सींचता उनमें खाद डालता और ऋतुओं के आघातों से बचाकर सम्बद्धित करता है। उत्तम वाटि की शालाओं का धन इससे भी आग हैं वे पढ़कर चले जान क पश्चात भी अपने छात्रों की चिंता रखते हैं और उनसे सम्पर्क बनाय रखती हैं।

कई शालाएँ अपने विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त काम भी दू टन का सकन प्रयत्न करती हैं और इस प्रकार शाला का शिक्षक माली व समान अपने पौधों फलना फूलता भा देखता है। इस फलस-फूलत जीवा के पीछे उस माली रूपी अध्यापक का कठिन परिश्रम, लग्न, रचि तथा साधन सम्पत्ता निहित है। वह अपने विद्यार्थियों का स्वाधीण विकास करने के लिए अथक प्रयत्न करत हुए समाज की आवाक्षांक्षा व अनुरूप योग्य व राष्ट्रउपयोगी नागरिक व रूप म प्रदान करता है। अतः सः ट है कि जसा अध्यापक होगा वसा ही शाला बागी As the teacher so is the School, यदि एक अच्छे शिक्षा विद् प्रशासक द्वारा छात्रों व उनमें के लिए योजना बनाय। यदि अध्यापक अप्रशिक्षित है तबस य के प्रति अरुचि है व साररवाह है ता उसका बहुत ही कम अनुपात म लाभ होगा।' इसी प्रकार प्रो टी रेमाण्ट न कहा- 'याजना चाहे कितनी ही व्यापक टी एम स्टेनिष दी प्राफेशन आफ टीचिंग' नई दिल्ली, ब्रिटीक हाल इंडिया 1964 प्र व

थयी न ही, विद्यालय का भवन चाहे कितना ही भव्य क्यों न हो, साज सज्जा कितनी ही आकर्षक क्यों न हो, पाठ्यक्रम कितना ही उपयोगी क्यों न हो जब तक उस योजना का कार्यान्वित करने वाले अध्यापक सुयोग्य एवं सुसंस्कृत नहीं होंगे, जब तक योजना उसी प्रकार निरर्थक मिट्ट होगी जिस प्रकार एक अनाड़ी के हाथों एक सुन्दर यन्त्र की स्थिति होती है।" डा. पेरिस के भावाय भी यही है कि "जिस श्रेणी का राष्ट्र के अध्यापक होंगे, उसी श्रेणी का राष्ट्र होगा।" इसी तथ्य को मुदालिया कमीशन ने दोहराया- "देश के पुन रचना में अध्यापक एक मुख्य घटक है।"

"अध्यापक विद्यालय की गत्यात्मक शक्ति है। विद्यालय भवन एवं साज-सज्जा महत्वपूर्ण चीर ठीक वंसा ही स्थान पाठ्यक्रम पुस्तकों और प्रयोगशाला आदि का है। लेकिन इन सभी बातों के होते हुए भी अध्यापक विहिन विद्यालय आत्मा रहित (मृत) शरीर के समान है।"

शाला वातावरण व अध्यापक — आधुनिक भारतीय शिक्षण संस्थाओं में किशोर बालक बालिकाओं को निदेशन व अध्यापन दक्षता से नेतृत्व प्रदान करता है। वह बालकों के लिए निर्धारित उद्देश्यों को अपनी व्यक्तिगत, मूजनात्मक क्रियाओं व विद्वत्ता से पूरा करवाता है। वह कौशलपूर्ण प्रभावी अध्यापन के लिए योजना बनाने निर्देशन देन व अपना तथा छात्रों का समय समय पर मूल्यांकन करता है। वह ही तो छात्रों को विभिन्न अध्यापन पद्धतियाँ से विषय वस्तु की रूचिकर व सहयोगी ढंग से अध्यापन हेतु उत्प्रेरित करता है। छात्रों की समस्याओं के समाधान हेतु कौशल का विकास करता है। वह व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक छात्र को समझने का सफल प्रयास करते हुए व्यक्तिगत निर्देशन जब भी आवश्यकता होती है प्रदान करता है। छात्र के प्रजातांत्रिक पद्धति में अध्यापक ही समुदाय की परम्पराओं, धारणाओं मूल्या का समक्षते हुए उनसे अच्छे सहसम्बन्ध बनता है। अपने छात्रों व उनके अभिभावकों से मधुर सम्बन्ध स्थापित करने हेतु शाला व समुदाय में आयोजित कार्यक्रमों में सहभागी बनता है। अध्यापक जीवन भर विद्यार्थी समझते हुए अपने व्यवसायिक दक्षता का निरंतर विकास करता है। अपने अध्यापक के कार्यालय लिपिक, चतुर्थश्रेणी कर्मचारियों व प्रधानाध्यापक से मधुर व परिवार जैसे सम्बन्धों की स्थापना करता है ताकि शाला में अध्ययन अध्यापन हेतु सामाजिक वातावरण की स्थापना हो सके। इन सबसे प्रमुख विशेषता उसमें होनी चाहिए कि वह एक सचेत विद्यार्थी बना रहे। यदि इन सभी गुणों से ओत-प्रोत है तो स्वाभाविक है कि वह एक अध्यापक के रूप में, अकादमिक कार्य के नियोजन व क्रियान्विति में, अभिभावकों से मानवीय सम्बन्ध स्थापित करने में, प्रधानाध्यापक व साथियों से मधुर सम्बन्ध स्था

प्रा. मुक्ती, एस. एन., "सर्वेण्डरी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन पेज/106

पित करतै मे, सामाजिक परिवर्तना म गतिगोल बनाने म, विद्यालय वा शक्ति व भौतिक वातावरण के निर्माण मे ग्रहम भूमिका रहेगी जिसमे समस्त शात्रा एव मनुष्य के रूप मे प्रतीत होने लगगी ।

अध्यापक की सामान्य योग्यताए - अध्यापक वा उत्तरदायित्व इतना अधिक और महत्वपूर्ण है कि उह एक सामान्य बुद्धि एव सामान्य चरित्र वा व्यक्ति पूर्ण नहीं कर सकता । 'विवेकानंद ने कहा कि- 'एक सच्चा अध्यापक वह है जो तुरंत विद्यार्थियों के स्तर तक उत्तर कर विद्यार्थी की आत्मा मे अपनी आत्मा स्थानांतरित कर उसके मस्तिष्क के माध्यम से उस समझ सके ।' 1 विद्वान और वतव्यपरायण व अनुकरणीय आदती वाला होना चाहिए स्वामी दयानंद न कहा है - 'जा अध्यापक पुरुष व स्त्री दुष्टाचारी हा उनसे शिक्षा न दिलावे किंतु जो पूर्ण त्रिद्यायुक्त और धार्मिक हो वे ही पढाने और शिक्षा देने के योग्य है ।' 2 विद्वाना ने अध्यापका के विभिन्न गुणा को अपने अपने ढंग से प्रस्तुत किया है जैसे प्रो आयर वी मोइलमन पाच गुणों वा हाना परम आवश्यक बतलाया है 13 (1) शक्ति, (2) भावात्मक स्थिरता, (3) बुद्धि, (4) सामाजिक गुण, (5) प्रशिक्षण ।

सयुक्त राष्ट्र अमेरिका मे डा एफ एल कैल्प (FL Calpp) शिक्षण व्यक्तित्व के दस गुणा का हौना परम आवश्यक बतलाया है :

- (1) सम्वोधन (2) वैयक्तिक आकृति (3) आशावादिता (4) गम्भीरता (5) उत्साह (6) चिंतन की स्पष्टता (7) वफादारी (8) सटानुभूति (9) जीवन् शक्ति (10) विद्वता

प्रो पी सी रेन सफल अध्यापक के लिए बताया है - (1) असीमित धन (2) आकर्षक व्यक्तित्व (3) निपुणता (4) दक्षता (5) वाक्पटुता (6) विनोदप्रिय (7) विभिन्न रुचियों (8) मौलिकता (9) उल्लास (10) वायक्षमता (11) आशा दादिता (12) शीघ्र निणय (13) निष्कतक (14) जरित्र (15) विनय (16) स्फूर्ति (17) समस्वभाव (18) तीव्र श्रवण (19) दृश्य शक्ति (20) अध्यवसाय (21) आत्म सम्मान (22) आत्मनिभरता (23) स्वस्थ एव शारीरिक बल (24) दया (25) पूर्ण-दृढता ।

प्रो रायबन न कहा है कि - "अध्यापक का चुनाव करत समय प्रधानाध्यापक एव प्रब धक की इन तमाम वाता वा ध्यान रखना चाहिए सब प्रयम तथा परमावश्यक है

- 1 विवेकानंद 'एज्युकेशन मद्रास श्रीरामकृष्ण माह 1953 पेज/28
- 2 स्वामी दयानंद, महर्षि दयानंद के सबश्लेष भाषण, पेज/173
- 3 मोइलमैन, आयर वी शात्रा प्रशासन' पेज/315

चरित्र, उसके वाद बच्चों को समझाने तथा उसके साथ उचित रूप से काय करन की क्षमता, अध्यापन की योग्यता, काम करने की इच्छा, शक्ति और सहयोगिता ।” 1

प्रो एस एन मुखर्जी ने ‘सफल अध्यापक के लिए निम्नलिखित गुण व अब्जाइया वांछित बताया है-’ 2

- 1 व्यक्तिगत गुण - व्यक्तिगत प्रकटीकरण, मनुलभाषी, शिष्ट, मेहनती, उप्साह, अभियान चलाने वाला, पहल कदमी, खुले दिमाग ।
- 2 व्यवसायिक गुण - मनोविज्ञान का ज्ञाता, विषय वस्तु का ज्ञाता, अध्यापन की पद्धतियों का ज्ञान अध्यापन में रुचि, पढान का बड़िया कौशल । 3
- 3 सांस्कृतिक व शैक्षिक गुण - पढाये जाने वाले विषय का ज्ञान सामान्य ज्ञान, संस्कृति का ज्ञान।
- 4 शारीरिक गुण - स्वास्थ्य, शारीरिक शक्ति, स्फूर्ति शारीरिक दोषा से मुक्त ।
- 5 मानसिक गुण - उच्च बुद्धि, मानसिक चेतन निर्णय शक्ति, सामान्य बुद्धि ।
- 6 सवेगात्मक सतुलन का गुण - आत्मनियंत्रण, मानसिक स्थिरता, सहनशीलता अनुचित विश्वास से स्वतंत्र, पूर्वाग्रह से ग्रसित न होना ।
- 7 सामाजिक समायोजन - सामाजिक परम्पराओं का ज्ञान, दूसरों के साथ समायोजन की क्षमता नैतिक गुणों से आत प्रोत ।

भिन्न भिन्न शिक्षाविदा के ही आधार पर छात्रों को कुछ स्पष्ट करने के दृष्टिकोण से विवरण सहित विदुवार अध्यापकों के गुणों का सभिप्त विवेचन अबबोधन हेतु प्रस्तुत है ।

- (1) अपन विषय का पण्डित - होने पर आत्म सम्मान पैदा होगा, बालक गलतिया पकड़ेगे आदर प्राप्त नहीं होगा और ना ही उचित ढग से ज्ञान दे पायेगा ।
- (2) शिक्षण कला का प्रवीण - जिससे वह ज्ञान को अधिक सरल और प्रभावशाली ढग से व्यवहारगत परिवर्तन करवान में सफल हो सकेगा ।  
“अध्यापक का बाल अध्ययन में उत्साहित, अपन विषय एव विधि में उत्साहित होता चाहिए ।” 3
- (3) प्रभावशाली व्यक्तित्व - जिससे बालको, अभिभावको और दूसरे अध्यापका आदि पर प्रभाव पड़ेगा और सम्मान प्राप्त कर सकेगा ।
- (4) मनोविज्ञान का ज्ञान - से ही निर्धारित कर सक्ता है कि वह अपनी शिक्षण

1 रायबन डब्ल्यू एम, (अनु थी वान्मव) - विद्यालय संगठन पेज/32

2 प्रा मुखर्जी एस एन से ‘स्कूल एडमिस्ट्रेशन पेज/106 107

3 “ ” “ ”



पद्धति में कब परिवर्तन करे जिससे बालकी की मानसिक स्थिति को अपने अनुकूल बना सके ।

- (5) बच्चों से प्रेम तथा सहानुभूति — बालका में अपने प्रति तथा अपने द्वारा प्रदत्त विषय ज्ञान के प्रति श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न करने के लिए प्रेम तथा सहानुभूति आवश्यक है । "अध्यापक के हृदय में बालक के प्रति गहरा प्रेम और सहानुभूति तथा उसके व्यक्तित्व के प्रति सम्मान की भावना का होना आवश्यक है ।"<sup>1</sup>
- (6) अध्यापन काय के प्रति रुचि — रुचि के साथ शिक्षण काय न करने पर बालक उससे कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सके । परिश्रम व्यर्थ गारित होगा । 'जिसने दृढ़ता से निश्चय कर लिया हो कि छात्रों में शिक्षण रहेगा ।'<sup>2</sup>
- "अधिकांश देखा गया है जब तक नवयुवका को कहीं नौकरी नहीं मिलती, तब तक वे अध्यापन काय करते रहते हैं तथा अच्छी नौकरी मिलने पर अध्यापन काय का त्याग देते हैं ।"<sup>3</sup> अध्यापक काय एक व्यवसाय नहीं है यह तो एक स्वेच्छा पर आधारित नैतिक काय।<sup>4</sup>
- (7) उच्च चरित्र — अध्यापक में चरित्रिक दुरुलता होने पर बालकों में चरित्र स्तर भी निम्न होगा । चरित्रहीन अध्यापक श्रद्धा, बालका में समाज में नहीं हा सकती ।
- (8) नेतृत्व शक्ति — मनोवैज्ञानिक युग में बालका में स्वाभाविक विकास पर विश्वास किया जाता है — अध्यापक से नेतृत्व व पथ प्रदर्शन की ही आशा की जाती है । नेतृत्व के बगैर शिक्षण सम्पादित नहीं होगा ।
- (9) धैर्यवान — अनुकूल व प्रतिकूल परिस्थितियों में मानसिक समतुलन नहीं खाना चाहिए और धैर्य के साथ परिस्थिति पर नियंत्रण कर लेना चाहिए ।
- (10) प्रत्युत्पन्नमति — अध्यापन अध्यापन में बाधा या उपक्रमा शिक्षण सहायक सामग्री न होने पर भी, समय विशेष पर उपलब्ध साधनों से विषय वस्तु का स्पष्ट करना

1 प्रो सनेजा, बी आर, "एज्यूकेशनल थॉट एण्ड प्रैक्टिस अध्याय 8

2 The first condition of a good teacher is that he shall be a teacher & nothing else, that he shall be trained as a teacher not brought to serve other profession  
Murd Pottison

3 पेस्टालाजी हाउ जरटगुड टीटेज हर चिल्ड्रन अध्याय 1

4 प्रो रायबन, पेज/30

चाहिए। कक्षा के बाहर भी ऐसा उपागम की आशा की जानी है।

- 1) आत्म सम्मान - अध्यापक का पद श्रेष्ठ है अतः उसमें आत्म सम्मान का भाव होना चाहिए। अपने अधिकारों व कतव्यों का निर्वाह सही रूप से करना चाहिए।
- 2) आत्म नियंत्रण - आवेश में आकर किसी भी कार्य को नहीं करना।
- 3) अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान - जिससे वह समय-समय पर अधिकारों का उचित प्रयोग और अपने कतव्यों का पालन भी। "शिक्षा की पुनर्रचना में कोई भी बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं जितनी अध्यापकों की योग्यता और उसकी कतव्य परायणता।" 1
- 4) कुशल वक्ता - कलापूर्व तरीके से प्रस्तुत की गई बात का विद्यार्थी तथा जनता पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है।
- 5) सहगामी प्रवृत्तियों में रूचि - अध्यापक स्वयं सहगामी क्रियाओं में भाग लेता है तो बालक भी आकर्षित होगा।
- 6) जनतन्त्रात्मक दृष्टिकोण - कक्षा में विभिन्न प्रकार की समितियाँ बनाकर उत्तरदायित्व सौंपा जाय, इसके साथ ही उनके विचारों तथा अच्छे कार्यों को आदर की दृष्टि से देखें।
- 7) विस्तृत दृष्टिकोण - छात्रों में राष्ट्र प्रेम, विश्व बंधुत्व की भावना, जय धम जाति व क्षेत्र के लोगों से प्रेम उत्पन्न करने का सफल प्रयास करें।
- 8) निष्पक्षता - शाला में विभिन्न कार्य जो उनके द्वारा सम्पन्न होते हैं उसमें निष्पक्षता से ही उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने में सफल होकर सम्मान प्राप्त करेगा। रायबन-<sup>1</sup> बालकों में अध्यापन का प्रभाव अयायी होने के कारण जितना नष्ट होता है, उतना दूसरी बात से नहीं। <sup>2</sup>
- 9) समय का पाबंद - अपने कार्य को ठीक समय पर सम्पन्न करके व शाला व कक्षा में समय पर पहुँचने से ही छात्र उनका अनुकरण करेंगे।
- 10) सामाजिकता की भावना - 'पाठशाला समाज का छाटा रूप है।' मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है- समाज के अलग कुछ नहीं। उसे छात्रों व सहयोगियों से मिलजुल कर सीखादपूर्ण वातावरण से कार्य करने से शाला में सामाजिक वातावरण बनेगा अथवा बालकों में सामाजिकता के गुण का विकास सम्भव नहीं।

1 कबीर हुमायु-“एज्यूकेशन इन यू इण्डिया” पेज/20

2 रायबन डब्ल्यू एम, “विद्यालय सगटन” पेज/33

- (21) उत्तम स्वास्थ्य - मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य अध्यापक ही शिक्षण व विद्यार्थियों में रुचि ले सकता है ।
- (22) आशावादी - समस्याओं से हतोत्साहित न होकर आशावादी बनकर कार्य कर तभी वह अतिम रूप से सफलता पर चढ़ेगी ।
- (23) नियम प्रणाली - कठोरता से ही कक्षा में अनुशासन रहेगा और अध्ययन अध्यापन क्रिया सम्पन्न होगी ।
- (24) विनोदप्रिय - तारि बालक उससे भय न माने और तिसकोच रूप से अपनी अनुविधाएँ बता सके और निकट आ सके जिससे एक दूसरे को समझेंगे ।
- (25) जीवन के विभिन्न पक्षों का ज्ञान - शिक्षण कार्य करने में एक विषय का जीवन के विभिन्न पक्षों से सम्बन्ध स्थापित करने से अवबोधन होगा ।
- (26) अपने विषयों के अतिरिक्त अन्य विषयों का सामान्य ज्ञान - यह तभी सम्भव है जबकि उन विषयों का सामान्य ज्ञान रखता हो ।
- (27) उत्साह - सफल अध्यापक की कुजी है । "अच्छा अध्यापक अपने कार्य के प्रति उत्साही होता है ।
- (28) ज्ञान-पिपासा अपने ज्ञान के भण्डार को बढ़ाने के लिए सदा कुछ न कुछ प्रयत्न करते रहना चाहिए ।
- (29) वेश भूषा - अध्यापक की वेशभूषा साफ सुथरी तथा सादगी पूर्ण हो ।
- (30) कण्ठ स्वर - स्वर स्पष्ट तथा माधुर्य हो इतने उच्च स्वर से बोले कि उत्तरी आवाज समस्त छात्र सरलता से सुन सके ।
- (31) कक्षा व्यवहार - ऐसा कार्य अध्यापक को नहीं करना चाहिए जिसे देखकर इसे । एक व जगदल - "शिक्षक को अन्तः प्रहृष्ट नहीं होनी चाहिए । दान से नाखून काटना, हाथ में नाक स्टिक धुमाना, पतलून की जेब में हाथ डालकर पढाना हाथ, मुँह अथवा आँख मटका कर पढाना, हाथ पटवारना, आँख निकलना पर हिलाना नाक कान कुदरना आदि बुरी आन्त हैं ।"
- (32) प्रायोगिक दृष्टिकोण - हर बात का प्रमाणिकता एक विश्वमनीयता मालूम करने के लिए प्रायोगिक दृष्टिकोण रखना चाहिए ।  
उपरोक्त गणों व अतिरिक्त उसमें दूरदर्शिता अध्ययन प्रियता हृदय चय, सहज शील आकर्षक स्वर रचनात्मक दृष्टिकोण मौखिक विचार वाला, आधुनिक शिक्षण

विकास (देश व विदेशों में) योजनाओं के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान रखने वाला होना चाहिए। इन पूर्व के पृष्ठों में उल्लेखित गुणा वाले अध्यापक की शाला, समाज में तो प्रतिष्ठा बढ़ेगी ही, उनके साथ ही माय शाला का शैक्षिक, सहगामी प्रवृत्तियों में उनयन करने में सफल होगी और शाला की टोन व प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

## अध्यापक के कार्य तथा उत्तरदायित्व

(Teacher's Dutes & responsibilities)

शाला की उन्नति व अवनति प्रधानाध्यापक पर डालते हैं परन्तु उसकी सफलता एव असफलता का आधार अध्यापकों की काय क्षमता एव प्रभावशाली ढंग से उत्तरदायित्व के निर्वाह पर ही निर्भर करती है। अध्यापक से समर्पित भाव से शाला के प्रतिभात्मक सम्बन्ध स्थापित कर काय को सम्पन्न करता है तो पाठशाला द्वारा निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति होने में कोई कसर नहीं रह जायेगी। प्रो एस एन मुखर्जी ने कहा है—

अध्यापक बड़ी लगन व आत्मा से आज्ञाकारिता के रूप में अपने व्यवसाय का काय करना चाहिए। अपने आपको सुधारने की पहलकदमी करनी चाहिए। व्यक्तिगत रूप से जिन्हें अध्यापन से प्यार नहीं है उन्हें अध्यापन व्यवसाय को छोड़ देना चाहिए।<sup>1</sup>

अध्यापक को आधुनिक शिक्षण पद्धतियों के अनुसार काय करने हेतु प्रो मफत ने प्रभावशाली शिक्षक के लिए निम्न विशिष्ट विशेषताओं का होना आवश्यक बताया है 2

(1) प्रभावशाली शिक्षण प्रविधियों का प्रयोग —

- 1 अधिगम नियाकलाप उद्देश्यनिष्ठ होना चाहिए।
- 2 अधिगम नियाकलाप बाल के द्रोत होना चाहिए।
- 3 स्वयं विद्यार्थियों द्वारा भागीदार बनने की व्यवस्थाए।
- 4 विद्यार्थियों का विकास व प्रगति का समय समय पर मूल्यांकन।
- 5 पाठ योजना की पूर्ण तयारी
- 6 अध्यापन की विषय वस्तु का एव सहायक सामग्री का प्रयोग।
- 7 छात्रों का विभिन्न अनुभव प्रदान करने की परिस्थितिया देना।
- 8 व्यक्तिगत रूप से निर्देश देकर अधिगम में निरन्तरता बनाने का प्रयास।
- 9 विषय वस्तु तथा सहायक सामग्री की पूर्व में योजना बनाना।

<sup>1</sup> डा मुखर्जी एस एन सैकंडरी स्कूल प्रशासन, पेज/107

<sup>2</sup> (Prof Maffat quote in his book Social Inbtruction at P/70-71)  
R N Cassed and W L Johns "The critical Characteristics of an Effective Teacher" The Bulletin of the National Association of Seceondry School Prinsciples, XLIV No 259(Nov 1960), 120 122

10 अधिकृत अधिकारी की तरह निर्देश देकर अधिगम त्रियाकलाप का प्रभावशाली बनाना ।

11 कक्षा में हवा और रोशनी का प्रचुर प्रबंध ।

12 छात्र प्रत्येक पाठ के उद्देश्य व व्यवहारगत परिवर्तन के बारे में समझ ।

13 गृहकार्य का देते समय स्पष्ट समझाना चाहिए ।

14 शोध, त्रियात्मक शोध के लिए कार्य करे ।

15 अधिगम योजना अनुभव के द्वाारा होनी चाहिए ।

16 छात्रों की रुचि के आधार पर शिक्षण प्रक्रिया को बढ़ावे ।

17 जीवन के उद्देश्यों से कक्षा अधिगम को जोड़ने का प्रयत्न करना ।

(2) सम्पूर्ण प्रभावशाली मनोविज्ञान का प्रयोग —

1 छात्र का उसके विकास व प्रगति के मूल्यांकन में सहयोग देना ।

2 सत्त्व छात्रों की विश्वसनीयता एवं प्रतिष्ठा को बनाये रखे ।

3 सत्त्व बालका की विभिन्न प्रकार की भिन्नता को दृष्टि में रखे ।

4 सत्त्व बात के लिए छात्रों को सहयोग देना ।

5 छात्रों के साथ सहानुभूति रखते हुए एक दूसरे को समझना ।

6 प्रभावशाली अनुशासन तथा कक्षा नियंत्रण ।

7 छात्रों की सामाजिक एवं भावात्मक आवश्यकताओं को भावना देना ।

8 अधिगम में भागे वाली कठिनाईयों को दूर करना ।

9 नतिक मूल्यों से लगाव बनाने हेतु छात्रों को उत्प्रेरित करना ।

10 शाला अनुशासन को बनाये रखने हेतु आयोजित त्रियाओं पर नजर रखना ।

11 छात्रों की व्यक्तिगत गुणवत्ता व व्यक्तिगत जीवन स्वयं व परिवार का, उसे गुणवत्ता रखना ।

(3) प्रभावशाली मानवीय सम्बन्धों का प्रदर्शन —

1 श्रेय लोगों से मधुर सम्बन्ध बनाना ।

2 वास्तविक विनिष्ठा, छात्रों व प्रौढा में विद्यमान है-स्वीकारना ।

3 छात्रों के कल्याण के लिए व्यक्तिगत रुचि लेना ।

4 छात्रों से अच्छे सम्बन्धों का बनाये रखना ।

5 सहयोगी प्रवृत्तियों में स्व-इच्छा से भागीदार बनने हेतु पहलकदमी करना ।

6 सम्पूर्ण सहयोग भाव से कार्य करना ।

7 सत्त्व छात्रों के साथ अनिष्ट सह सम्बन्धों को बनाये रखना ।

8 साथ में कार्यरत लोगों से अच्छे सम्बन्ध बनाना ।

- 9 आवश्यकतानुसार अच्छा थोता बनना ।
  - 10 किसी की विशिष्ट मान्यता को हृदय से मानना ।
  - 11 सृजनात्मक समालोचना को सहर्ष स्वीकारना ।
- (4) समाज से प्रभावशाली व ठोस सह सम्बन्ध -
- 1 शाला में सम्पन्न त्रियाकलापो को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करना, समझाना ।
  - 2 शाला के लिए अच्छा जन-सम्पर्क एजेण्ट का कार्य करना चाहिए ।
  - 3 सामाजिक प्रवृत्तियों में रूचि रखते हुए उसमें भागीदार बनना ।
  - 4 अभिभावकों से सहयोगी-भाव रखना ।
  - 5 'अध्यापक-अभिभावक' प्रवृत्तियों में रूचि से भागीदार बनना ।
  - 6 समाज में उपलब्ध साधनों को प्रभावशाली ढंग से शाला हेतु उपयोग करवाना
  - 7 स्वयं को समाज का अभिन्न भाग समझें और समाज की मायताओं को शिरोधार्य ।
  - 8 शिक्षा की उन्नति के कारण व उपयोग से जनता को अवगत कराना ।
- (5) प्रभावशाली नेतृत्व प्रदान करना -
- 1 प्रत्येक कार्य में प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में निरंतरता व प्रभावशाली बनाय ।
  - 2 छात्रों का नेतृत्व क्षमता से नेतृत्व प्रदान करना ।
  - 3 समय पर अच्छे निर्णय लेना ।
  - 4 सगठनात्मक क्षमता से विद्यालय में प्रभावशाली त्रियाकलाप करना ।
  - 5 छात्रों में निर्णय-शक्ति का विकास करना ।
  - 6 नेतृत्व करने वाले व नेतृत्व जिनका किशोर जा रहा है उसकी उचित भूमिका निभानी चाहिए ।
  - 7 समूह निर्णय के आधार पर 'शान्ति नियमा' का निमाण ।
  - 8 स्वयं तथा छात्रों के लिए व्यवहारिक उद्देश्यों का ही प्रतिपादन करना ।
  - 9 अपने अनुकरणीय व्यवहार से छात्रों का उदाहरण प्रस्तुत करना ।
  - 10 नये आयामों का अभ्यास एक त्रियावित रूप देना ।
  - 11 उचित जिम्मेदारियों का निर्वाह करने हेतु छात्रों को प्रोत्साहित करना ।
  - 12 ऐसे छात्र जो मायता चाहते हैं, उन्हें उचित प्रतिष्ठा प्रदान करना ।
  - 13 सदैव अच्छे व बुरे में सोचना ।
  - 14 अपने विचारों को प्रस्तुत करने के उपरान्त समूह-निर्णय का ही स्वीकारना ।
  - 15 ध्यान व साधना की इज्जत करना ।

## (6) व्यवसायिक प्रदर्शन —

- 1 अध्यापक का व्यवसाय में पहिचान बायों से होनी चाहिए ।
  - 2 सदब व्यवसायिक उनति करत रहना चाहिए ।
  - 3 पहनाब अध्यापक लायक हो ।
  - 4 सदैब स्पष्ट व प्रभावशाली उच्चारण होना चाहिए ।
  - 5 छात्रो की जायज बात को मान लेना चाहिए ।
  - 6 शाला की विभिन्न समितियो में क्रियाशील रहे ।
  - 7 अध्यापन व्यवसाय को बडे ध्यान-द से व्यतीत करे ।
  - 8 पूव के व्यवसायिक अनुभवो का होना आवश्यक है ।
  - 9 अपना स्वयं का शिक्षा-दर्शन हो ।
  - 10 शोध के निष्कर्षों को निकालने में वनानिक दृष्टिकोण हो ।
  - 11 अध्यापको के लिए आयोजित सेमिनार, वक-शोप, सम्मेलन में सभागी बने ।
  - 12 जिस ज्ञान से अनभिज्ञ है उसे सहप स्वीकार लेना चाहिए ।
- (7) अध्यापक व समाज — अध्यापक सदैब शाला व समाज का नजदीक लाने हेतु प्रयत्न करता है- शाला व घरो में सहकारिता का भाव पैदा करता है । प्रो विल्स ने कहा है-“अध्यापक जो आशा करता है सारे समाज में शैक्षिक क्रिया कलाप का माध्यम से नेतृत्व की ता उसे समाज का समझना होगा । किस प्रकार के लोग रहते हैं ? उनकी रहन-सहन परिस्थितिया क्या है ? उनकी आशा व आकांक्षा क्या है ? शैक्षिक कार्यक्रम के लिए किस समूह का निर्माण किया है ? कौन कौनसी शै प्रवृत्तिया करने से आकस्मिक रूप से बालक बालिकाएं अधिगम करने में सफल हो सकते हैं ? ऐसे बहुत से अध्यापक हुए हैं जिन्होंने बयों उस समाज के बानका को शिक्षा दी है लेकिन उस समाज की शैक्षिक घटका का उन्हें पता नहीं जो प्रभाव डालती है ।’<sup>1</sup> अतः समाजिक परिस्थितियों के बारे में विस्तृत ज्ञान होने से ही अध्यापक समाज में शैक्षिक नेतृत्व प्रदान करने में सफल सिद्ध हो सकता है । इसके लिए समाज के व्यक्तिया, अभिभावका से अध्यापक द्वारा घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित किय जाने चाहिए ।
- (8) अध्यापक व निर्देशन सेवा — अध्यापन काम के अतिरिक्त उस निर्देशन परामर्शदाता के रूप में छात्रो व अभिभावकों को उनके भावी जीवन की योजना एवं व्यवसाय चयन के लिए सहयोग प्रदान करना चाहिए । सहयोगी भाव से अध्यापक छात्रो का दैनिक समस्याओं में सहयोग करना । अध्यापक छात्रो को समझना

1 K. Wiles Teaching for Better Schools 2nd ed Englewood cliffs, N.J. Printed Hall, Inc 1950 P/263

निर्णय करने की दायता आदि गुणा को जानने से पूर्व निर्णय नहीं लिया जा सकता।<sup>1</sup> 2 अच्छी निर्देशन सेवा के अन्तर्गत- 'परामर्श-सेवा' 'व्यवसाय चयन सेवा' 'कोला ग्रुप सर्विस'<sup>3</sup> इस निर्देशन सेवा के आयोजन से व्यक्तिगत सम्बन्धों में विकास होता है- अध्यापक-छात्र, अध्यापको-अभिभावको के बीच।<sup>4</sup>

(9) अध्यापक व अनुशासन — प्रधानाध्यापक अनुशासनमय वातावरण बनाये रखने का उत्तरदायित्व की पूर्ति अध्यापकगण की सक्रियता पर ही निर्भर करनी है। क्योंकि अध्यापक ही अधिक समय तक बालको के निकट सम्पर्क में रहता है। अतः इस कार्य का अध्यापक सुचारु रूप से सम्पन्न कर सकता है।

(10) अन्य कार्य — इन सभी कार्यों के अतिरिक्त अध्यापक को शाला में उपस्थिति, शुल्क रजिस्टर, मूल्यांकन आदि नित्य प्रति किये गये कार्यों का डायरी में लेखा रखना, पाठ्यक्रम सह्यामी प्रवृत्तियों में भाग लेना, मीटिंग में उपस्थित होना, आदि कार्य भी करने पड़ते हैं। अध्यापक को इन कार्यों में भी विशेष ध्यान देना चाहिए। उसे प्रधानाध्यापक, सह्यागी अध्यापको, अभिभावका व बालका से अच्छे सम्बन्ध रखने चाहिए जिससे शाला में सामाजिक वातावरण बन।

उपसहार घन्ट में शिक्षको का छात्रों के मन्त्रिकों में केवल ज्ञान ही नहीं भरना है वरन् उनमें चर्चित की आधारशिला भी स्थापित करनी है यह सुयोग्य, उतसाही एवं कतघ्न-परायण अध्यापक ही सम्पन्न हो सकता है। आज शिक्षक की स्थिति समाज में सम्मान-जनक नहीं है तभी तो नदयुवक बाई ध्रुवसाय न मिलने की स्थिति में इतम प्रविष्ट रहते हैं। "शिक्षका पर सीधे शिक्षण का प्रविष्ट भार पड गया है कि छात्रों का परामर्श व्याख्या और विकास के लिए बहुत कम प्रदान किया जाता है। इससे यह अनपक्षित धारणा बन जाती है कि शिक्षण ठीक ढंग में मागदशन व परामर्श नहीं देता है।"<sup>4</sup> अतः शिक्षा शास्त्रियों एवं सरकार को इन व्यवसाय को गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। जब तक समाज अध्यापक का सम्मान नहीं करेगा, तब तक राष्ट्र निर्माण एवं बालक का सर्वांगीण विकास स्वप्न की कल्पना मात्र रह जायेगी। अतः अध्यापक की प्रतिष्ठागत स्थिति की पुनः स्थापना वांछित है।

1 Educational Policies Commission, the Central Purpose of American Education (Washington, DC National Education Association, 1961) P/17

2 The curriculum in the Prince George's country Public school P/13

3 California Test Bureau 'Guiding Today's youth' P/33

4 मोहम्मद, धारणी (पद्म शक्ति शर्मा) "शाला प्रशासन" पेज/312



## मूल्यांकन (Evaluation)

### लघुत्तरात्मक प्रश्न (Short Answer type Questions)

- 1 प्रधानाध्यापक के नाते विद्यालय में शिक्षा वातावरण सुधारण का पांच मुद्दा दीजिये ।  
(बी एट परीक्षा 1985)
- 2 एक प्रधानाध्यापक के नाते विद्यालय वातावरण सुधारण के लिए पांच मुद्दा दीजिये ।  
(1984)
- 3 प्रधानाध्यापक की पांच महत्वपूर्ण भूमिकाएँ बताइयें ।  
(1984)
- 4 आप एक विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं । छात्रों के दूर से प्राप्त प्राप्त अध्यापक से आप कैसे निपटेंगे ?  
(1983)
- 5 प्रधानाध्यापक के बिना शाला की प्रगति में कौनसी कठिनाई आती है ?  
(1983)
- 6 आप अपने प्रधानाध्यापक के साथ मधुर सम्बन्ध स्थापित करने हेतु क्या काम उठाएंगे ?  
(1982)
- 7 प्रधानाध्यापक और विद्यालय कर्मचारियों के बीच सम्बन्धों के महत्त्व में विवेचन कीजिये ।  
(1980)
- 8 एक प्रधानाध्यापक की अपनी अध्यापकों से पांच अपेक्षाएँ बर्णित करने के लिए एक पत्र लिखिये ।  
(बी एट पत्राचार 1980)

### निबन्धात्मक प्रश्न (Essay type Questions)

- 1 अध्यापकों के स्तर में गिरावट के मुख्य तत्व क्या हैं ? विभिन्न निम्न आयोगों ने अध्यापकों के स्तर को सुधारने के लिए क्या-क्या सिफारिशें की हैं ? बी एट (1983)
- 2 'जैसा प्रधानाध्यापक हागा वसा ही स्कूल होगा ।' इस टिप्पणी पर अपनी प्रतीति विनात्मक समीक्षा दीजिये । अपने विद्यालय में एक आदर्श शैक्षणिक वातावरण एवं पारस्परिक सम्बन्धों का निर्माण करने के लिए प्रधानाध्यापक अपने साथी शिक्षकों को किस प्रकार प्रेरित कर सकता है ?  
(1983)
- 3 'जैसा प्रधानाध्यापक होता है वसा ही विद्यालय हाता है ।' विवेचना कीजिये ।  
(1980)
- 4 आपका एक कुसंचालित सरकारी शाला का प्रधानाध्यापक नियुक्त किया गया है । आप इसे एक आदर्श शाला बनाने में किस प्रकार कायारम्भ करेंगे ?  
(1979)
- 5 प्रधानाध्यापक की विभिन्न भूमिकाएँ क्या हैं तथा एक सत्तात्मक प्रधानाध्यापक का तौर-तरीका जनतन्त्रात्मक प्रधानाध्यापक से किस प्रकार भिन्न होता है ।  
(1978)

## सह-शैक्षिक व अनुरजनात्मक प्रवृत्तियाँ (Co curricular activities)

[ विषय-प्रवेश, सह शैक्षिक प्रवृत्तियाँ का अर्थ, आवश्यकता और महत्व, उद्देश्य-कारण चयन एवं नियोजन के सिद्धांत, प्रमुख सह शैक्षिक प्रवृत्तियाँ, अनुरजनात्मक क्रियाओं का अर्थ एवं क्षेत्र, शिक्षा में अनुरजनात्मकता का अर्थ, कलापा की आवश्यकता एवं अर्थ, त्रिविध अनुरजनात्मक प्रवृत्तियाँ, अनुरजनात्मक प्रवृत्तियाँ की व्यवस्था, उपमहार ]

### विषय-प्रवेश-

शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है तथा उसे लोकतांत्रिक व्यवस्था हेतु एक योग्य नागरिक बनाना है। अतः वर्तमान युग में पाठ्यक्रम प्रवृत्तियों का समान ही पाठ्यक्रम प्रवृत्तियों (Extra curricular activities) का पाठ्यक्रम सहगामी या सह-शैक्षिक प्रवृत्तियों या क्रियाकलापों (Co curricular activities) के रूप में स्वीकार किया जाने लगा है। प्रस्तुत अध्याय में इन्हीं क्रियाकलापों एवं अनुरजनात्मक प्रवृत्तियों के विभिन्न पक्षों पर विचार किया जायगा।

### प्रवृत्तियों का अर्थ -

सह शैक्षिक (पाठ्यक्रम) प्रवृत्तियों की संकल्पना अथवा पाठ्यक्रम सहगामी प्रवृत्तियों या क्रियाकलापों के रूप में की जाती है। संकल्पना का यह विकास शैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक अनुसंधानों एवं प्रयोगों के आधार पर हुआ है तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी इन नवीन दृष्टिकोणों को प्रेरणा मिली है। पाठ्यक्रम प्रवृत्तियों के प्रति परम्परागत दृष्टिकोण अनुसार इन्हें अतिरिक्त क्रियाकलाप माना जाता था जिसे विद्यालय में ध्यान का समय व्यय में नष्ट होने के कारण उपेक्षणीय समझा जाता था क्योंकि विद्यालय में ध्यान काय छात्रों को केवल पुस्तकीय ज्ञान बनाना था। किन्तु शिक्षण प्रक्रिया की नवीन संकल्पना के उदय के साथ इन प्रवृत्तियों का पाठ्यक्रम सहगामी प्रवृत्तियों की श्रेणी में माना जाकर उनको विद्यालय में विशिष्ट स्थान दिया गया है।

पाठ्यक्रम सहगामी प्रवृत्तियों का परिवर्तित अर्थ निम्नावृत्त शिक्षाविद्दों का मत से स्पष्ट होता है -  
डॉ. एस. एस. मायूर - "बालक का सर्वांगीण विकास उसी समय मानव है जबकि

उसे विभिन्न क्रियाओं में भाग लेने को प्रोत्साहित किया जाये और वे क्रियाएँ ऐसी हो, जिनको करने से बालक का मानसिक, शारीरिक एवं नैतिक विकास हो सके ।

यदि सहगामी क्रियाओं का संगठन एवं संचालन उचित ढंग से किया जाये तो वे शैक्षिक दृष्टिकोण से बहुत मूल्यवान् सिद्ध हो सकती हैं । अतएव हम ऐसी क्रियाओं को अतिरिक्त क्रियाएँ न कह कर सहगामी क्रियाएँ कहते हैं ।<sup>1</sup>

पारस नाथ राय — “पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएँ वे क्रियाएँ हैं जिनके सहयोग से शिक्षण-क्रिया और विद्यालय का वातावरण सजीव हो उठता है तथा छात्रों के सर्वांग विकास में सहायता मिलती है ।”<sup>1</sup>

विश्वानन्द जैन — “कुछ समय पूर्व तक छात्र-प्रवृत्तियों के लिए पाठ्यक्रम-अतिरिक्त प्रवृत्ति (Extra curricular) शब्द का प्रयोग किया जाता रहा है इस शब्द में यह निहित था कि ये प्रवृत्तियाँ पाठ्यक्रम से पृथक् तथा असंबद्ध हैं । पाठ्यक्रम की व्याख्या अब उन सब प्रवृत्तियों एवं अनुभवों के रूप में की जाती है जो विद्यालय द्वारा छात्रों को उसके विकास हेतु उपलब्ध किये जाते हैं । अतः छात्र प्रवृत्तियों को अब विद्यालय कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग माना जाता है । वास्तव में पाठ्यक्रम सम्बन्धी तथा पाठ्यक्रम-अतिरिक्त विद्यालय-उद्देश्य की दृष्टि से एक दूसरे की पूरक हैं और दोनों का विद्यालय कार्यक्रम में समान महत्त्व एवं बल देना आवश्यक है ।”<sup>2</sup>

जॉन डिवी (Johan Dewey) — ‘विद्यालय जीवन की तैयारी का स्थान नहीं, वह तो स्वयं ही जीवन है ।’

कोठारी शिक्षा आयोग — “हमारी दृष्टि से विद्यालय पाठ्यक्रम, विद्यालय के अन्तर्गत-व्यय में उसके अन्दर और बाहर आयोजित होने वाली असंख्य प्रवृत्तियों की एक संपूर्णता (Totality) है जिनके द्वारा वह बालक को सीखने के अनुभव प्रदान करती है । इन दृष्टि से पाठ्यक्रम सम्बन्धी और पाठ्यक्रम-अतिरिक्त कार्य में अन्तर-दृष्टिगत होना समाप्त हो जाता है ।”<sup>3</sup>

उपरोक्त कथन शिक्षा के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण के फलस्वरूप पाठ्यक्रम-अतिरिक्त पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग मानकर उन्हें पाठ्यक्रम सहगामी प्रवृत्तियाँ कहना आवश्यक समझत हैं । प्रवृत्ति शब्द भी अंग्रेजी के ‘Tendency’ शब्द के लिए प्रयुक्त होना उपयुक्त नहीं है क्योंकि इसका समानार्थक अंग्रेजी शब्द Tendency ही अभिवृत्ति

1 डॉ० एस० एस० मायूर विद्यालय संगठन एवं स्वास्थ्य शिक्षा (पेज/197)

2 पारस नाथराय शैक्षिक प्रशासन एवं विद्यालय संगठन पेज/78

3 विश्वानन्द जैन शैक्षिक संगठन, प्रशासन एवं पर्यवेक्षण पेज/57

4 कोठारी शिक्षा आयोग पेज/207

(Attitudr) का परिचायक है। अतः 'प्रवृत्ति के लिए 'क्रियाकलाप' शब्द अधिक उप-युक्त है। वस्तुतः पाठ्यक्रम त्रियाकलाप केवल ज्ञानात्मक उद्देश्य की पूर्ति ही अधिक करते हैं, ज्ञानोपयोग, अवबोध, कौशल अभिवृत्ति एवं अभिवृत्ति सम्बन्धी उद्देश्य पर आधारीत विद्यार्थियों में वाञ्छित व्यवहारगत परिवर्तन पाठ्यक्रम सहगामी प्रवृत्तिया अथवा क्रिया-कलापों द्वारा ही सम्भव होत हैं। अतः ये परस्पर एक दूसरे के पूरक होते हैं तथा पाठ्य-क्रम सहगामी क्रियाकलाप पाठ्यक्रम का एक अभिन्न अंग हैं।

पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाकलापों की आवश्यकता एवं महत्त्व — इस सम्बन्ध में निम्नांकित विदुः ध्यातव्य है —

- (1) सर्वांगीण विकास — ये क्रियाकलाप विद्यार्थियों के सामाजिक, मानसिक, नैतिक एवं शारीरिक विकास में सहायक होकर उनका सर्वांगीण विकास करते हैं।
- (2) नागरिकता की भावना का विकास — लोकतांत्रिक जीवन शैली के उपयुक्त नागरिक गुणों का विकास होता है जैसे सहयोग, सेवा, सहकारिता, वक्तव्यपरा-यणता, श्रम के प्रति निष्ठा आदि गुणों का विकास।
- (3) सामाजिकता की भावना का विकास — विद्यार्थी समूह में कार्यकर समाजो-पयोगी गुणों का अजन करते हैं।
- (4) चारित्रिक विकास — इन क्रियाकलापों द्वारा विद्यार्थियों में सत्यता ईमानदारी

याम नतृत्व आदि चारित्रिक गुणों का विकास होता है।

(5) पाठ्य विषयों में सहायक — ये क्रियाकलाप पाठ्य विषयों को कारण रोचक खेल द्वारा शिक्षा तथा क्रियाशीलन द्वारा अधिगम' सिद्धांतों के कारण रोचक व बोधगम्य बनाते हैं तथा कक्षागत क्रियाओं द्वारा सम्भव न होने वाले वाञ्छित व्यवहारगत परिवर्तनों की संप्राप्ति में सहायक होते हैं।

(6) अवकाश के क्षणों का सदुपयोग — ये क्रियाकलाप छात्रों को अपने रचिवाय (Hobbies) कर अवकाश के क्षणों का सदुपयोग करने के अवसर प्रदान करते हैं। इसका विवचन पूर्व में किया जा चुका है।

(7) मूल प्रवृत्तियों का उन्नयन या शोधन — ये भी प्रवृत्तिया सहायक हाती हैं। इसका विवचन पूर्व में किया जा चुका है।

(8) अतिरिक्त शक्ति (Surplus energy) की अभिवृत्ति — डा एम एम मायुर ने क्रियाकलापों का मनोवैज्ञानिक महत्त्व प्रकट करते हुए कहा है कि "एक विचार के लिए इन क्रियाओं का महत्त्व और भी अधिक है। निम्नोक्त अतिरिक्त शक्ति (Surplus energy) होती है। सहगामी क्रियाएँ एक प्रकार की सेफ्टी वाल्व (Safety Valve) हैं जिनके द्वारा विचारों की अतिरिक्त शक्ति को निबटाने का मार्ग मिल जाता है।"

- (9) शारीरिक विकास— खेल सम्बन्धी क्रियाकलापों द्वारा बालक का शारीरिक विकास होना है तथा उनमें अग्र प्रत्यगो न सोद्देश्य संचालन का कौशल विकसित होता है। शारीरिक विकास स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है।
- (10) मनोरंजन का साधन— बालक को इन क्रियाकलापों द्वारा अपनी रुचि के अनुसार कूल स्वेच्छा से स्वस्थ मनोरंजन होता है तथा काय में विविधता प्राप्त मानसिक काय की थकान (Fatigu) का निराकरण होता है।

### पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाकलापों के उद्देश्य—

इस क्रियाकलापों के उद्देश्य उपरोक्त बतलाये गये उनके महत्व में निहित है प्रमुख उद्देश्य निम्नांकित है—

- (1) व्यक्तित्व का पूर्ण विकास— पुस्तकीय ज्ञान से बालक का एकांगी विकास होता है। इन विविध प्रकार के क्रियाकलापों द्वारा उनका शारीरिक, मानसिक, नैतिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक सर्वांगीण विकास सम्भव होता है।
- (2) समाजोपयोगी नागरिकों का निर्माण— इन क्रियाकलापों द्वारा लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित समाज के अनुकूल गणता का विकास होता है।
- (3) पाठ्यक्रमीय कक्षागत कार्यों का रोचक बनाना— ये क्रियाकलाप पाठ्यक्रमीय काय की पूरक हैं तथा उसे रोचक व वाद्यगम्य बनाकर अज्ञित ज्ञान का व्यावहारिक एवं स्थायी बनाती हैं।
- (4) बालक की अतनिहित शक्तियों का विकास— इन प्रवृत्तियों द्वारा बालक में अतनिहित क्षमताओं एवं शक्तियों के निदान एवं उनका समुचित विकास होता है।
- (5) बालक को विद्यालय के प्रति रुचि उत्पन्न करना— छोटी आयु के बालक व किशोरों में ये प्रवृत्तियाँ खेल व क्रियाशीलता द्वारा विद्यालय के प्रति रुचि एवं आकर्षण उत्पन्न करने में सहायक होती हैं। उनमें विद्यालय के प्रति अपनत्व का भी भावना भी विकसित होती है।
- (6) अवकाश का सदुपयोग— ये क्रियाकलाप बालक को अपने अवकाश के समय का स्वस्थ मनोरंजन द्वारा सदुपयोग करने की प्रेरणा देते हैं।
- (7) गतत्व एवं उत्तरदायित्व की भावना का विकास— विभिन्न क्रियाकलापों के नियमों जिन विद्यालय में एवं मूल पाठ्यक्रम में विद्यालय के सहभागित्व द्वारा उनमें नेतृत्व एवं उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है।
- (8) स्वानुशासन का प्रशिक्षण— ये प्रवृत्तियाँ विद्यालय में अनुशासनहीनता की समस्या का निराकरण कर विद्यार्थियों को स्वानुशासन (Self Discipline) का प्रशिक्षण
- (9) लोकतांत्रिक जीवन-शैली का विकास— विद्यार्थी परिपक्वता ससद एवं विभिन्न

क्रियाकलापो हेतु गठित समितियों के त्रियाकलापो से विद्यार्थी लोकतांत्रिक सस्-  
थाओं से अतगत होते हैं तथा उनमें लोकतन्त्रात्मक जीवन शैली अपनाने की  
प्रेरणा मिलती है ।

- (10) चारित्रिक विकास—इन प्रवृत्तियों के माध्यम से उनमें अनेक नैतिक गुणों का विकास  
होता है जिनमें उनका चारित्रिक उत्थान होता है ।

पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाकलापो के प्रकार —

पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाकलापो (प्रवृत्तियों) का वर्गीकरण कुछ शिक्षाविदों ने  
उनके उद्देश्यों तथा विकास योग्य क्षमताओं के आधार पर किया है तथा कुछ शिक्षाविद  
उह पाठ्यक्रम सहगामी होने के कारण पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों के आधार पर  
वर्गीकृत करते हैं । माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान ने आंतरिक मूल्यांकन योजना  
(Internal Assessment Scheme) का माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कक्षाओं में  
समावेश किया है । यही योजना यथासम्भव साधन सुविधाओं के अनुसार प्राथमिक तथा  
माध्यमिक कक्षाओं में भी प्रयुक्त की जा सकती है । इस योजना के अनुसार क्रियाकलापो  
का इस प्रकार वर्गीकरण किया है —

(क) रचनात्मक प्रवृत्तियाँ

- (1) साहित्यिक—जैसे वाद विवाद, [शाला-पत्रिका, अंत्याक्षरी, कविता-पाठ, चित्र  
कला आदि, (2) सांस्कृतिक—जैसे नाटक, संगीत, नृत्य पर्वोत्सव का आयोजन  
आदि, (3) विकास सब्जी गोष्ठी (Clubs) —जैसे विज्ञान, वाणिज्य, भूगोल  
इतिहास आदि के क्लब ।
- (2) शारीरिक प्रवृत्तियाँ—इसके अतगत व प्रवृत्तियाँ हैं जिससे शारीरिक धर्म होता  
हो जैसे खेल स्पोर्ट्स (Sports) एवं सी स्त्री बालचर (Scouting), मसाज  
सेवा, योगसन व भ्रमण आदि ।  
उपरोक्त प्रवृत्तियों के अतिरिक्त निम्नांकित प्रकार भी हो सकते हैं —
- (3) सामाजिक प्रवृत्तियाँ—लोकतांत्रिक जीवन शैली एवं गुणों का विकास हेतु सामा  
जिक-प्रवृत्तियाँ जैसे विद्यार्थी परिषद् या ससद, सहकारी समितियाँ, बचत बैंक,  
स्वामशासन हेतु गठित समितियाँ, स्थानीय सस्थाओं का परिदशन व भ्रमण  
आदि उपयुक्त रहती है ।
- (4) रुचि काय (Hobbies)—संग्रह काय (टिकिट, सिक्के, पत्र खनिज पत्थर आदि  
का संग्रह), फोटोग्राफी, चित्रकला आदि रुचि काय जो अवकाश के क्षणों के  
सदुपयोग हेतु विद्यार्थियों की रुचि के अनुकूल आयोजित की जायें ।
- (5) कार्यानुभव यद्यपि कार्यानुभव विद्यालय पाठ्यक्रम का अंग है किंतु उ रातुन एवं

‘सीखो-बनो’ की दृष्टि से किया गया कार्यानुभव इन प्रवृत्तियों के अन्तर्गत माना जा सकता है ।

दूसरा वर्गीकरण विषयों की दृष्टि से भी किया जा सकता है जिगसे वि. वे प्रवृत्तियाँ वक्ष्यगत काम की पूरक बन कर विद्यार्थियों में वाञ्छित व्यवहारगत परिवर्तना की प्राप्ति में सहायक बन सकें । जैसे भाषा शिक्षण से लेख, कहानी, एकांकी लेखन प्रतियोगिताएँ, वाद विवाद भाषण, अत्याक्षरी कवि सम्मेलन, विद्यालय-पत्रिका आदि को सम्बद्ध किया जा सकता है। इसी प्रकार उपरोक्त सभी प्रवृत्तियों का पाठ्यक्रम के किसी न किसी विषय से सम्बद्ध कर उन विषयों से संबद्ध कर उन विषयों का शिक्षण रोचक एवं प्रभावी बनाया जा सकता है । पारस नाथ राय के शब्दा में—“यदि पाठ्यक्रम महंगामी प्रियाजा का आयोजन करते समय उनके सम्बद्ध और महत्व को स्पष्ट कर दें तथा पाठ्य विषयों से उनका सम्बन्ध जोड़ दें तो पाठ सजीव हो उठेंगे और इन प्रियाजा का मूल्य स्वयं स्पष्ट हो जायगा ।”<sup>1</sup>

पाठ्यक्रम सहंगामी त्रियाकलापो के चयन एवं नियोजन के सिद्धान्त

पाठ्यक्रम सहंगामी त्रियाकलापो (प्रवृत्तियाँ) का समूह जिन सिद्धान्तों के आधार पर किया जाना वाञ्छनीय है, वे निम्नांकित हैं —

- (1) प्रवृत्तियों का चयन—प्रवृत्तियों का चयन विद्यालय के उद्देश्य, उपलब्ध मानवीय भौतिक एवं वित्तीय ससाधनों (Resources), उनके शक्तिव महत्व, छात्रों की आवश्यकताओं एवं रुचियों के आधार पर किया जाना चाहिए ।
- (2) समय व स्थान का प्रावधान विभिन्न प्रवृत्तियों के लिए विद्यालय समय विभाग चक्र में निश्चित समय का प्रावधान किया जाना चाहिए । इनके अतिरिक्त प्रवृत्तियों के संचालन हेतु स्थान या स्थल तथा उसमें भाग लेने वाले विद्यार्थियों के समूह या वर्ग का निधारण भी आवश्यक है । खेल-कूद प्रवृत्ति विद्यालय समय के बाद आयोजित करना सुविधाजनक रहता है । पूव में बतलाया जा चुका है कि पाठ्यक्रम सहंगामी प्रवृत्तियों की पथक से समय-तालिका बना कर विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की सूचनाय उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित की जानी चाहिए ।
- (3) समस्त विद्यार्थियों को प्रवृत्तियों में सह भागत्व (Participation) प्राय देखा जाता है कि कुछ चुने हुए विद्यार्थियों को ही प्रवृत्तियों में भाग लेने का अवसर देकर उपलब्ध धनराशि उन्हीं पर खर्च कर दी जाती है । यह शैक्षिक दृष्टि से अनुचित है । प्रत्येक बालक के सर्वांगीण विकास हेतु सभी बालकों को उनकी

रुचि के अनुसार किसी न किसी प्रवृत्ति में भाग लेने का प्रावधान होना चाहिए। साधन सुविधाओं के अभाव में तदनुकूल प्रवृत्तियों का ही चयन किया जाय तथा विद्यार्थियों के वर्ग या समूह बनाकर उनके लिए समय तालिका में प्रवृत्तियों का नियोजन किया जाय।

- (4) प्रोत्साहन का प्रावधान— प्रवृत्तियों में रुचि के अनुकूल भाग लेने, लोकतांत्रिक विधि से उनका संचालन करने तथा स्वाभुशासन स्थापित करने की दृष्टि से विद्यार्थियों की सम्बन्धित प्रवृत्ति के नियोजन, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन हेतु, शिक्षक को प्रभारी व परामर्शदाता नियुक्त कर, समितियाँ गठित की जानी चाहिए व विद्यार्थियों को उनके संचालन का दायित्व साया जाय। प्रवृत्तियों में भाग लेने हेतु व अच्छे प्रदर्शन हेतु विद्यार्थियों का प्रोत्साहन व प्रेरणा भी देना आवश्यक होना है।
- (5) मार्गदर्शन— प्रत्येक प्रवृत्ति के प्रभारी रूप में ऐसे शिक्षक को नियुक्त किया जाना चाहिए जिसकी उस प्रवृत्ति में गति एवं रुचि हो ताकि वह छात्रों को मार्गदर्शन दे सके व प्रवृत्तियों के शैक्षिक उद्देश्यों की उपलब्धि हो सके।
- (6) सतुलित प्रावधान— पाठ्यक्रम सहगामी प्रवृत्तियों को इतना महत्व भी न दिया जाये कि वे पाठ्यक्रमीय क्रियाओं में बाधक बन जाये। पाठ्यक्रमीय क्रियाओं व इन प्रवृत्तियों के प्रावधान में सतुलित दृष्टिकोण अपनाया जाये।
- (7) सभी शिक्षकों का सहयोग प्राप्त हो प्रायः देखा जाता है कि विद्यालय में केवल पी टी आई (शारीरिक शिक्षा अनुदेशक) या कुछ अध्यापकों पर सभी प्रवृत्तियों के संचालन का भार डाल दिया जाता है। फलतः अव्यवस्था अनियमितता व अनुशासनहीनता की प्रवृत्ति पनपने लगती है। अतः प्रत्येक अध्यापक का किसी न किसी प्रवृत्ति का प्रभारी या सहायक प्रभारी बनाकर छात्रों व मार्गदर्शन एवं प्रवृत्ति में सक्रिय भाग लेकर उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए सहयोग प्राप्त होना आवश्यक है।
- (8) अत्यधिक महत्वाकांक्षी न होना— इन प्रवृत्तियों के विद्यालय में समावेश हेतु अत्यधिक महत्वाकांक्षी होना भी हानिकर है। मानवीय और भौतिक संसाधनों की दृष्टि से इन्हें धीरे धीरे लागू किया जाय तथा उत्तरोत्तर उनकी संख्या और गुणात्मकता में वृद्धि की जानी चाहिए।
- (9) अध्यापकों का प्रशिक्षण— प्रशिक्षण विद्यालयों में अथवा बाद में आयोजित अल्प कालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा प्रत्येक शिक्षक का विद्यालय की आवश्यकता—



- नुसार एक दो प्रवृत्तियाँ के संचालन में प्रशिक्षित करने की व्यवस्था हानी चाहिए।
- (10) प्रवृत्ति साधन है साध्य नहीं प्रवृत्तियों द्वारा शक्ति उद्देश्यों की पूर्ति होना बाँधनीय है। निरर्हक्य, अव्यवस्थित महत्वाकांक्षी एवं उपाक्षित दृष्टि से इनका प्रायोगिक जन निरर्थक होता है। वस्तुतः प्रवृत्तियाँ स्वयं साध्य नहीं बल्कि वे शक्ति रचना की पूर्ति का एक साधन अथवा माध्यम है।
  - (11) विद्यार्थियों की शारीरिक एवं मानसिक क्षमतानुकूल होना प्रत्येक कक्षा व आयुवर्ग के बालकों की मानसिक व शारीरिक क्षमता के अनुरूप प्रवृत्तियों का प्रावधान और उनका संचालन किया जाना चाहिए।
  - (12) पुरस्कार की व्यवस्था अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाले, नियमित रूप से भाग लेने वाले तथा उत्तरदायित्व का बहन बरतने वाले शिक्षकों व विद्यार्थियों का प्रोत्साहित करने हेतु उनके लिए कुछ पुरस्कार या प्रमाण पत्र देना की व्यवस्था हानी बाँधनीय है।
  - (13) सततमूल्यांकन— प्रवृत्तियों के स्तर के अनुपयुक्त हेतु प्रत्येक प्रवृत्ति का निरन्तर अभिलेख रखने, विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन न करने तथा मूल्यांकन के आधार पर उनमें निरन्तर परिवर्तन करने रहने की अत्यन्त आवश्यकता है ताकि वे एक नियमित (Routine) कार्य न होकर प्रेरणा का स्रोत बन सकें।
  - (14) समयबद्ध (Time bound) कार्यक्रम शिबिरों द्वारा प्रवाहित विभागीय पत्रों में निर्धारित समयविधि के अनुसार इन प्रवृत्तियों को समयबद्ध कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया जाये।
  - (15) स्थानीय समुदायों से सम्पर्क—प्रवृत्तियों के आयोजन में स्थानीय समुदाय से घनिष्ठ सम्बन्धों के विकास का भी ध्यान रखा जाना चाहिए ताकि विद्यालय 'सामुदायिक केंद्र' बन सके।

उपसंहार— अन्त में माध्यमिक शिक्षा आयोग के शब्दों में पाठ्यक्रम सहायकी प्रवृत्तियों का महत्त्व इस प्रकार प्रकट किया जा सकता है— 'पाठ्यक्रम प्रवृत्तियों विद्यालय में प्रदत्त शिक्षा का अभिन्न अंग होना चाहिए तथा समस्त अध्यापकों को ऐसी प्रवृत्तियों में निर्धारित समय अवश्य लगाना चाहिए।'<sup>1</sup>

# अनुरजनात्मक प्रवृत्तियाँ

(Recreation activities)

विषय-प्रवेश —

पूव में इसी अध्याय में पाठ्येत्तर प्रवृत्तियों के विवेचन के समय यह स्पष्ट किया जा चुका है कि बालका में वाञ्छित व्यावहारगत परिवर्तन प्राप्त करने हेतु इन प्रवृत्तियों का आयोजन किया जाता है, अतः इन्हें पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाकलाप अधिक उपयुक्त है। यह भी बतलाया गया था कि इनका एक उद्देश्य बालको का अनुरजन या मनोरजन करना भी है। कुछ क्रियाकलाप ऐसे होते हैं जिनका विशुद्ध उद्देश्य मान अनुरजन करना होता है। ऐसी प्रवृत्तियों को अनुरजनात्मक प्रवृत्तियाँ मानकर उन्हें भी शिक्षा का अभिन्न अंग माना जाना चाहिए। अतः अनुरजन का शिक्षा से सम्बन्ध तथा उसके विविध पक्षों की चर्चा इसी अध्याय के आग के पृष्ठों में की जा रही है।

अनुरजनात्मक क्रियाओं का अर्थ एवं क्षेत्र—

अर्थ— 'अनुरजन' अंग्रेजी शब्द 'Recreation' या 'Entertainment' शब्द का पर्याय-वाची शब्द माना जा सकता है जिसका अर्थ होना है मनोरजन, विनोद, विहार आदि 'मन + अनुरजन' मिलकर 'मनोरजन' अर्थात् मन को प्रसन्न करना या आनन्द देना कहलाता है। मनोरजन प्रायः हम अपने अवकाश या फुसत के समय Leisure time करते हैं जब हम अपने दैनिक कार्य से मुक्त होकर अपनी रुचि और स्वेच्छा से आनन्द-दायक कार्यों में प्रवृत्त होते हैं। इसमें हम पर कोई बाहरी दबाव या आग्रह नहीं होता। इस प्रकार किये गये कार्य ही अनुरजनात्मक क्रियाएँ होती हैं।

मनोवैज्ञानिक शीवर्स (Shivers) के अनुसार "अनुरजन (Recreation) व्यक्ति में तनाव को दूर करके सतुलन उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया का अंतिम परिणाम है।" अतः व्यक्ति को अनुरजन की आवश्यकता उस समय होती है जब वह अपनी ऊब Boredom को दूर करना चाहता है। यह ऊब प्रायः मानसिक या शारीरिक थकान (Fatigue) के कारण होती है अथवा किसी कार्य की मोनोटोनसता (Monotonousness), एकरसता (Routine) व निरंतरता से भी उत्पन्न होती है इस ऊब को दूर करने का उपाय (Variety) लाना तथा अनुरजनात्मक कार्य करना होता है। इस प्रकार अनुरजनात्मक क्रियाएँ ऊब का निवारण करने हेतु की जाने वाली क्रियाएँ भी हैं।

अतः "अनुरजनात्मक क्रियाएँ व क्रियाएँ" हैं जो व्यक्ति की अतृप्त प्रेरणा से की जाती हैं और जिनके संपादन में उसे खेल से प्राप्त होने वाले आनन्द की सी अनुभूति होती है।" 1

1 पत्राचार पाठ्यक्रम — पाठ संख्या 128 (राज्य शिक्षक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर) पेज/54

क्षेत्र — अनुरजनात्मक क्रियाया का क्षेत्र (Scope) निरन्तर विस्तृत होता जा रहा है। अब ये क्रियाएँ विद्यालयों में खेल या पाठ्यक्रम सहयोगी प्रवृत्तियाँ तब ही सीमित न रहकर उसके अतिरिक्त विद्यार्थियों की आयु, रुचि, आर्थिक स्थिति, सहायकों का उपलब्धता, सामाजिक परिवेश आदि के आधार पर अथवा अनेक क्रियायत्नाया का समावेश हो गया है। वैज्ञानिक और तकनीकी विकास न अनुरजनात्मक प्रवृत्तियों की विविधता में अभिवृद्धि की है।

शिक्षा में अनुरजनात्मक प्रवृत्तियों की आवश्यकता और महत्व

शिक्षा में अनुरजनात्मक प्रवृत्तियों की आवश्यकता और महत्व निम्नांकित विदुषों से स्पष्ट होता है —

- 1 आधुनिक युग में वैज्ञानिक विकास के कारण अवकाश (Leisure) का समय अधिक उपलब्ध होता है जिसके सदुपयोग की आवश्यकता है।
- 2 बालक की प्रवृत्ति स्वाभाविक ही अनुरजनात्मक प्रवृत्ति या खेल की प्रारंभ होती है जिसका शिक्षक उपयोग वाछनीय है।
- 3 चिकित्सा सुविधाओं में प्रगति के कारण रोगों पर काफी सीमा तक नियंत्रण हो जाने से मानव की औसत आयु में वृद्धि हुई है, अतः शिशु बालक, किशोर, प्रौढ़ तथा वृद्ध सभी आयु के व्यक्तियों के लिए अनुरजनात्मक क्रियाया का प्रति स्वस्थ प्रति व्यक्ति विकसित करना शिक्षा का कार्य है।
- 4 वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के कारण विशेषीकरण (Specialisation) जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्याप्त हो गया है। इससे एक ही प्रकार के कार्य करने में उत्पन्न नीरसता (Monotonousness) का निवारण वाछनीय है।
- 5 व्यक्ति की ऊँच (Boredom) का मनोरंजन द्वारा दूर करना अपेक्षित है।
- 6 लोकतांत्रिक व्यवस्था में समाज में स्वस्थ मनोरंजन की प्रवृत्तियों में भाग लेने का प्रशिक्षण देना शिक्षा का एक उद्देश्य है।
- 7 औद्योगीकरण एवं शहरीकरण के कारण आधुनिक अनुरजनात्मक प्रवृत्तियों में लोगों की रुचि अधिकाधिक जाती जा रही है।
- 8 जाँच के व्यस्त सघनपमय जीवन में मानसिक तनाव (Mental Tensions) को अनुरंजन द्वारा दूर करना स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है।
- 9 अनुरंजन क्रियाओं द्वारा बालक को अतिनिहित क्षमताया व योग्यताओं का विकास सम्भव है।
- 10 बालक की मूल प्रवृत्तियों (Instincts) का शोधन व मार्गातीकरण (Sublimation) अनुरजनात्मक प्रवृत्तियों से करना सरल होता है।

## विविध अनुरजनात्मक प्रवृत्तियाँ

विद्यालयों में आयोजनीय अनुरजनात्मक प्रवृत्तियों को निम्नांकित रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है —

- (1) बाल प्रवृत्तियाँ— छोटी आयु के बालकों के शारीरिक और मानसिक विकास के अनुकूल उनकी मृजनात्मकता को प्रोत्साहित करने हेतु ऐसी सरल एवं अनुरजनात्मक प्रवृत्तियों का आयोजन किया जाना चाहिए जिन्हें बालक स्वेच्छा से कर सकें तथा जो उनमें आनन्दानुभूति उत्पन्न करें। जैसे विभिन्न खेल, रुचि काय उद्योग, कार्यानुभव की वे प्रवृत्तियाँ जो पूर्व उल्लेखित अनुरजनात्मक प्रवृत्तियों की सम्पूर्णता के अनुकूल हों।
- (2) रुचि काय — (Hobbies) रुचि काय का आधार व्यक्ति की स्वेच्छा से उद्भूत रुचि है। “विभिन्न रुचि लोक” उक्ति के अनुसार यह रुचि काय विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियों के प्रति हो सकती है जैसे संगीत, नृत्य, चित्रकला, साहित्यिक खेल, फोटोग्राफी, तैरना, पवताराहण आदि। रुचि काय अवकाश के समय के सदुपयोग और स्वस्थ मनोरजन के उत्तम साधन है यह स्मरण रखना वाञ्छनीय है कि प्रत्येक प्रकार की पाठ्यक्रम सहगामी प्रवृत्ति या काम रुचिकाय नहीं हो सकता। रुचिकाय की श्रेणी में वही क्रियाकलाप माने जायेगे जिन्हें बालक स्वेच्छा से रुचि पूर्वक करे तथा जिनसे उसे आनन्द या मनोरजन की उपलब्धि हो।
- (3) संगीत और अनुरजन — संगीत नृत्य, अभिनय, मूर्तिकला व चित्रकला की भाँति ललित कलाओं के अन्तर्गत माना जाता है। अत्यलितकलाओं की भाँति संगीत भी बालक के लिए विभिन्न अनुरजनात्मक प्रवृत्तियों के अवसर प्रदान करता है। संगीत शिक्षा का रोचक साधन भी है। इसीलिये उसे छोटी बच्चाओं के पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया है। संगीत सम्बन्धी प्रवृत्तियों में बालगीत, समूह-गीत अभिमान गीत, देशभक्ति पूर्ण गीत, प्रार्थना व राष्ट्रगान, पर्वोत्सव पर गाये जाने वाले गीत सम्मिलित किये जा सकते हैं। संगीत के अन्तर्गत बँठ एवं बाद्य दोनों प्रकार की संगीत सम्बन्धी प्रवृत्तियाँ हाँ सकती हैं।
- (4) नृत्य और अनुरजन।— नृत्य व संगीत का घनिष्ट सम्बन्ध होता है। नृत्य उपयुक्त लय एवं गति से अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। आयु वर्ग की क्षमता एवं रुचि के अनुसार लोक-नृत्य या शास्त्रीय-नृत्य को स्वतंत्र प्रेरित प्रवृत्तियाँ बालकों के लिए आयोजित की जा सकती हैं। शिशु और बालकों की आधुनिक शिक्षण पद्धति में ऐसी प्रवृत्तियाँ जो विशेष महत्त्व दिया गया है। ये प्रवृत्तियाँ शिक्षा के साथ अनुरजन का साधन भी होती हैं।

(5) अभिनय एव अनुरजन—अभिनय ललित कला वा श्रम है तथा अभिव्यक्ति का अनु-  
रजनात्मक साधन है। अभिनय शिक्षण पद्धति (Dramatization method  
of teaching) इतिहास, भाषा आदि विषयों की रचना शिक्षण विधि है। मकनी  
है जिसमें बालक स्वच्छा से रचि पूर्वक भाग लेते हैं व उससे ज्ञान प्राप्त करते  
हैं। विद्यालयों में कभी कभी एकांकी, नाटक, भूषाभिनय, छायाभिनय, विचित्र  
वेश-भूषा प्रदर्शन, छद्म सदन (Mock Parliament) आदि अभिनय सम्बन्धी  
प्रवृत्तियाँ अनुरजन एव शिक्षा दोनों ही दृष्टियों से आयोजित किया जा सकता  
योगी है।

(6) चित्रकला एव अनुरजन — चित्रकला भी आत्माभिव्यक्ति का साधन है। अतः  
यह शिक्षा एव अनुरजन की दृष्टि से उपयोगी है। विभिन्न आयु-वर्गों एव उनकी  
रचि के अनुसार रेखाकन, प्राकृतिक चित्रण, पेंटिंग, पेस्टल कलर चित्राकन,  
माडल-चित्रकला, काटून बनाना आदि चित्रकला की अनुरजनात्मक प्रवृत्तियों  
आयोजित करना अनुरजन के उद्देश्य की पूर्ति करती है। शहर द्वारा आयोजित  
बालकों की चित्रकला सम्बन्धी प्रतियोगिता में देश विदेश के हजारों बालक स्व-  
च्छा से भाग लेते हैं। यह बालकों की अनुरजनात्मक प्रवृत्ति के प्रति उनकी रचि  
का परिचायक है। विद्यालय स्तर पर प्रतियोगिताएँ आयोजित कर बालकों की  
इसके लिए प्रेरणा दी जा सकती है।

(7) साहित्यिक कार्यक्रम और अनुरजन — पूर्व में अध्याय पाठ्यक्रम सहयोगी  
नियमकलापो में एसी साहित्यिक प्रवृत्तियों का उल्लेख किया जा चुका है जिनमें  
विद्यार्थियों का पर्याप्त अनुरजन होता है। विभिन्न पत्रात्मक कविता पाठ, कवि  
दरबार, वाद विवाद, भाषण प्रतियोगिता, बाल सभा अध्यापकरी, कवि सम्मेलन  
आदि साहित्यिक-प्रवृत्तियों में प्रस्तुतकता तथा श्रद्धा, दशक या पाठक दानों की  
श्रद्धा आता है। कक्षा-स्तर के अनुसार इनका आयोजन किया जा सकता है।

(8) उद्योग एव अनुरजन — उद्योग सम्बन्धी क्रियाकलाप यद्यपि किसी उद्योग के  
विधिवत् प्रशिक्षण से सम्बन्धित हात है किन्तु उनमें भी अनुरजन करने की  
क्षमता है। यदि पर्याप्त सूक्ष्म वृत्त और कौशल से प्रवृत्तियाँ आयोजित की जाती  
हैं तो इनमें बालक काफी रचि लेते हैं और उन्हें आत्म-संतोष व मनोरंजन की  
अनुभूति होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि व कुटीर उद्योग के क्रियाकलापों में  
बालक रचि से भाग लेते हैं।

(9) सामानुभव तथा अनुरजन — सामानुभव का उद्देश्य जीवन की वास्तविक

न्यतिया म किसी उत्पादक काय मे भाग लेना है। यह रुचि काय से भिन्न है, रुचि काय मे भ्रान्तानुभूति होती है जबकि उत्पादकता स जुडा होने के कारण कार्यानुभव मे ऐसा होना आवश्यक नहीं है। किन्तु वास्तविक स्थितिया म कार्यानुभव का रुचि से किये जाने पर उसमे भी जात्मसतोप मिलता है। अतः कार्यानुभव से ही अनुरजन कुछ सीमा तक होता है।

(10) समाजसेवा काय और अनुरजन — यदि निस्वार्थ भाव से सेवा काय किया जाये तो भ्रान्त दायक होता है। समाज सेवा व अनुरजन एक दूसरे के पूरक हैं। धर्मदान, स्काउटस द्वारा मलो म सहायता-काय, प्रौढ शिक्षा आदि काय समाज सेवा तथा अनुरजन दोनों उद्देश्यो की पूर्ति करती है। एस काय विद्यालया म आयोजित किय जान जाहिए।

उपरोक्त अनुरजन के प्रकारो के अतिरिक्त विषयवार या पाठ्यक्रम सहगामी प्रवृत्तियो के आधार पर भी अनुरजनात्मक क्रियाओ का वर्गीकरण किया जा सकता है।

(11) अनुरजनात्मक प्रवृत्तियो की व्यवस्था — शिक्षा म अनुरजन का विशेष महत्व है क्योंकि अनुरजन शिक्षा का एक रोचक माध्यम होने के साथ साथ विद्यार्थियो के अवकाश के दायो म स्वस्थ मनोरजन के अवसर भी प्रस्तुत करता है। किन्तु यह जब ही सम्भव होता है जबकि अनुरजनात्मक क्रियाओ की सुनियोजित व्यवस्था हो तथा उनका प्रभावी संचालन हो। विद्यार्थियो के लिए इन प्रवृत्तियो म भाग लेने के लिय उत्प्रेरण भी किया जाना आवश्यक ह। बालका की रुचि का भी ध्यान रखना चाहिए तानि उनस उह भ्रान्तानुभूति हो मके। विद्यार्थियो की क्षमता योग्यता तथा विद्यालय म उपलब्ध साधन सुविधाओ के अनुसार इन प्रवृत्तियो का चुनाव किया जा सकता है। शिक्षक का मार्गदर्शन उत्प्रेरण व प्रोत्साहन इनकी सफल क्रियाविति मे सहायक हाता है। इनकी व्यवस्था मे यह भी सावधानी रखनी है कि सभी छात्रो का इनम नियमित रूप स भाग लेने का अवसर मिल।

उपसंहार —

यदि उपरोक्त बातो का ध्यान रखकर अनुरजनात्मक प्रवृत्तियो का प्रायोजन किया जाना है तो ये प्रवृत्तियो शिक्षाप्रद होने के साथ-साथ आनन्द देने वाली भी हो सकनी है जो इन प्रवृत्तियो का मूल उद्देश्य है। शिक्षका का विद्यार्थियो के स्तर व अनुभूति अनुरजनात्मक प्रवृत्तियो के अवसर प्रस्तुत करने का प्रयास करना चाहिए।

## मूल्यांकन (Evaluation)

### (अ) लघूत्तरात्मक प्रश्न -

- 1 विद्यालय में सहगामी क्रियाओं के पांच लाभ लिखिये। (बी एड 1984)
- 2 सहगामी क्रियाओं की विद्यालय में क्या भूमिका है ? ( , 1981)
- 3 आप विद्यार्थियों में साहित्यिक रुचि का विकास करने हेतु कौन-कौनसी विविध प्रवृत्तियाँ आयोजित करना चाहेंगे ? ( " 1978)
- 4 विद्यार्थियों को नियमित रूप से खेलों की प्रवृत्ति उत्पन्न करने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे ? ( " 1978)
- 5 विद्यालय में अनुरजनात्मक क्रियाओं की क्या उपयोगिता है ?

### (ब) निबन्धात्मक प्रश्न-

- 1 आप विद्यार्थियों के नेतृत्व के गुणों को विकसित करने हेतु कौन-कौनसी प्रवृत्तियाँ एवं शाला में आयोजित करना चाहेंगे ? (बी एड 1979)
- 2 "पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएँ विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए उपयोगी होती हैं।" आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं ? मुक्ति यत्न विवचना कीजिए।
- 3 शिक्षा में अनुरजनात्मक प्रवृत्तियों की आवश्यकता और महत्व पर प्रकाश डालें।

## स्वास्थ्य एव व्यायाम शिक्षा

(Health & Physical Education)

। विषय प्रवेश स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ, स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व एवं आवश्यकता, बालक के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक ( Factors ) स्वास्थ्य के प्रकार, शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य का अधिगम पर प्रभाव, उपसंहार

व्यायाम का अर्थ एवं आवश्यकता, व्यायाम के प्रकार एवं पद्धतियाँ -

1 पाश्चात्य पद्धति के व्यायाम (क) पी टी (ड्रिल), (ख) खेल, (ग) एथलेटिक्स, (घ) जिमनेस्टिक्स (Gymnastics) 2 भारतीय पद्धति के व्यायाम (क) कसरत कुश्ती, (ख) योगासन योगिक आसनो के प्रकार एवं लाभ, उपसंहार परीक्षायोगी प्रश्न]

विषय प्रवेश

### (अ) स्वास्थ्य शिक्षा

शिक्षा का उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है जिसके अंतर्गत उसके शारीरिक मानसिक, नैतिक आदि सभी पक्षों का विकास सम्मिलित है। सर्वांगीण विकास की दृष्टि से बालक का शारीरिक और मानसिक रूप में स्वस्थ रहना अत्यन्त आवश्यक है। उसके लिये विद्यालयों में बालकों को स्वास्थ्य शिक्षा अथवा निर्देशन (Guidance) देना बाध्यकारी होता है। प्रायः देखा जाता है कि विद्यालयों में स्वास्थ्य शिक्षा को उचित महत्व नहीं दिया जा रहा है। इस उपेक्षा और उदासीनता का उल्लेख करते हुए माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कहा है— देश के युवकों के शारीरिक कल्याण का मुख्य दायित्व राज्य का होना चाहिए तथा जीवन की इस अवधि में शारीरिक कल्याण के सामान्य स्तर के नीचे गिरने से गम्भीर परिणाम होते हैं— ये रोग उत्पन्न कर सकते हैं या कुछ रोगों से ग्रस्त होने की आशंका बनी रहती है। अतः शारीरिक स्वास्थ्य और स्वास्थ्य शिक्षा का इतना महत्व हो जाता है जिसकी उपेक्षा किसी राज्य को नहीं करनी चाहिए।” स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत शारीरिक तथा मानसिक दृष्टि से स्वस्थ रहने हेतु बालकों को निर्देशन दिया जाता है जिसका उत्तरदायित्व शिक्षकों का होता है। डा. एस. एस. माथुर के अनुसार “विद्यार्थी के स्वास्थ्य को अच्छा रखने का उत्तरदायित्व अध्यापक पर अधिक रहता है परन्तु अध्यापक इस दायित्व का उसी समय निभा सकता है जबकि वह स्वास्थ्य विज्ञान से परिचित हो।” शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षणार्थियों का इसका ज्ञान दिया जाना अपेक्षित है।

गत अध्यायों में पाठशाला प्रबंध से सभी आवश्यक पक्षों का विस्तार से विवेचन



किया जा चुका है। प्रस्तुत तथा घागामी छात्राओं में स्वास्थ्य शिक्षा के महत्व को देगत हुए उस पर विचार किया जा रहा है।

### स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ

स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ प्रकट करते हुए डा एम एम मायुर १ कहा है—“स्वास्थ्य शिक्षा से तात्पर्य उन सभी साधना से है जो व्यक्ति का स्वास्थ्य के सम्बन्ध में ज्ञान प्रदान करते हैं। विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा देना प्रयोजन यह है कि छात्रों में स्वस्थ द्वारा स्वस्थ आदता का निर्माण हो तथा वे अपना स्वास्थ्य सुदूर बनाये रखने के लिए प्रयत्न करते रहें।

एम एम रावत ने अपनी पुस्तक “मूल स्वास्थ्य विज्ञान” में स्वास्थ्य शिक्षा को उसके उद्देश्यों के रूप में परिभाषित करते हुए कहा है—“स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्र छात्राओं के चरित्र तथा व्यवहार में स्वास्थ्य सम्बन्धी परिवर्तन लाना है। स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को वैज्ञानिक ढंग से रहना, सुचारू रूप से जीवन व्यतीत करना तथा सदैव सुखी और प्रसन्न रहना सिखाना है। साधारण विद्वेषण किया जाय तो यह प्रतीत होता है कि स्वास्थ्य शिक्षा के दो मुख्य उद्देश्य हैं—

- (1) स्वास्थ्य सम्बन्धी ज्ञान (Knowledge about Health)
- (2) स्वास्थ्य के प्रति वास्तविक अभिरूति होना (Proper Attitude for Health)

जे पी शरी ने स्वास्थ्य शिक्षा अथवा निर्देशन का अर्थ इस प्रकार व्यक्त किया है “स्वास्थ्य निर्देशन से बालक को उन सब बातों की जानकारी दी जाती है जिनकी समझ तथा जाति के वर्तमान तथा भविष्य के स्वास्थ्य को बनाये रखने की आवश्यकता होती है।

डी पी यिजयवर्गीय एव रामदत्त शर्मा ने शब्दों में— “विद्यालयों में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को और ध्यान दिया जाने के निमित्त बालकों के बौद्धिक विकास की दृष्टि से विषयाध्यापन किया जाता है वैसे ही उनके शारीरिक विकास के निमित्त खेलकूद व व्यायाम की व्यवस्था की जाती है और उनके व्यक्तित्व तथा सामूहिक स्वास्थ्य की रक्षा कैसे की जानी चाहिए इसकी जानकारी दी जाती है। विद्यालयों में लिए इस प्रकार स्वास्थ्य सम्बन्धी जो सद्धातिक और प्रायोगिक ज्ञान दिया जाता है उस स्वास्थ्य रक्षा के विषय में सम्मिलित किया जाता है।”

उपरोक्त परिभाषाओं से स्वास्थ्य शिक्षा की अवधारणा में निम्नांकित तत्व विद्यमान हैं—

- (1) विद्यालयों में बालकों के सर्वांगीण विकास हेतु स्वास्थ्य शिक्षा दिया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

- (2) स्वास्थ्य शिक्षा के अंतगत बालको स्वास्थ्य सम्बन्धी ज्ञान देना तथा उनमें स्वास्थ्य के प्रति उचित अभिवृत्तियों का विकास करना ।
- (3) स्वास्थ्य शिक्षा से बालका में स्वस्थ आदतों का निर्माण होता है ।
- (4) इसके द्वारा व्यक्तिगत एवं सामूहिक स्वास्थ्य की रक्षा होती है ।
- (5) यह बालका को समाज तथा राष्ट्र के वर्तमान तथा भविष्य के स्वास्थ्य को बनाये रखने हेतु सक्षम बनाती है ।
- (6) इसके अंतगत शारीरिक व मानसिक दोनों प्रकार की स्वास्थ्य की रक्षा हेतु निर्देशन दिया जाता है ।
- (7) इसके क्षेत्र में मानव-शरीर की रचना व फाय प्रणाली, बालक के शारीरिक एवं मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व, वातावरण के विशेष एवं सामान्य रोग कुपोषण से बचाव तथा सन्तुलित आहार का ज्ञान, शारीरिक अंगों की स्वच्छता प्राथमिक उपचार, विद्यालय स्वास्थ्य सेवाएँ तथा स्वास्थ्य परीक्षण सम्मिलित हैं ।

### स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व एवं आवश्यकता—

स्वास्थ्य शिक्षा की उपरोक्त अवधारणा में इसकी आवश्यकता उद्देश्य एवं महत्व निहित है । स्वास्थ्य शिक्षा के महत्व एवं आवश्यकता सम्बन्धी निम्नांकित बिंदु उल्लेखनीय हैं

- (1) बालको के उचित विकास हेतु स्वस्थ आदतों का निर्माण - प्राथमिक स्तर के 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बालका के लिय विशेषतः स्वास्थ्य शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व है क्योंकि इसी अवधि में बालक का शारीरिक मानसिक, सामाजिक एवं सवेगात्मक विकास द्रुतगति से होता है जिसमें स्वस्थ आदतों के निर्माण में विशेष सहायता मिलती है ।
- (2) सामान्य एवं सक्रामक रोगों में सुरक्षा इसी आयु में बालको का विभिन्न सामान्य एवं सक्रामक रोगों से सुरक्षा की आवश्यकता होती है । स्वास्थ्य शिक्षा इस आवश्यकता की पूर्ति करती है ।
- (3) समुचित विकास हेतु कुपोषण एवं सन्तुलित आहार का ज्ञान - अत्यंत आवश्यक है । स्वास्थ्य शिक्षा से पोषण सम्बन्धी कार्यक्रमों में सहायता मिलती है ।
- (4) अधिगम में सहायक—सौख्य अथवा अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में बालक का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य का विशेष महत्व है । इस दृष्टि में

स्वास्थ्य शिक्षा अधिगम में सहायक होती है ।

- (5) व्यक्तिगत एवं सावजनिक स्वच्छता (Hygiene) — स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा शारीरिक अंगों की स्वच्छता तथा विद्यालय में अंग लोको की दृष्टि से वातावरण की स्वच्छता सम्बन्धी उचित अभिवृत्तियो एवं आदतो का विकास बालकों में होता है ।
- (6) आक्स्मिक दुघटना में प्राथमिक उपचार — किया जाना अत्यन्त आवश्यक है ताकि डाक्टर की चिकित्सा के पूर्व रोगी को जान बचाई जा सके । छात्रा का स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत इसका ज्ञान कराया जाता है ।
- (7) मानसिक स्वास्थ्य में सहायक — बालको में अनेक कारणों से कुसमायोजन में उत्पन्न अनेक मानसिक विवृत्तियों का जाता है । स्वास्थ्य शिक्षा बालको में आत्म विश्वास, दृढ इच्छा शक्ति तथा सामाजिकता का विकास कर उनके मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यक्तित्व समायोजन में सहायक होती है ।

उपरोक्त कुछ प्रमुख बिंदु स्वास्थ्य शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व को प्रकट करते हैं । शिक्षको का इस दृष्टि से दायित्व विशेष हाता है । डा एस एस मायुर के शब्दों में — “प्रत्येक शिक्षक का कर्तव्य है कि वह विद्यार्थियों में स्वस्थ आदता का निर्माण और करे उहे स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने स्वस्थ आदता एवं दृष्टि को बनाने में सहायता प्रदान करे । ”

### बालक के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक (Factors)

बालक के स्वास्थ्य (शारीरिक और मानसिक) को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक निम्नांकित हैं —

- (1) दूषित वातावरण — घर तथा विद्यालय के दूषित वातावरण का प्रभाव बालक के स्वास्थ्य पर सर्वाधिक पड़ता है ।
- (2) वंशानुक्रम — (Heredity) कुछ स्वास्थ्य सम्बन्धी विकार वंशानुगत होते हैं ।
- (3) अध्यापक का व्यवहार — बालक के स्वास्थ्य को अध्यापक का व्यवहार भी काफी गीमा तन प्रभावित करता है ।
- (4) कुपोषण — बालक के शारीरिक विकास हेतु उसे खाद्य पदार्थों से उचित मात्रा में भोजन के तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन लवण, विटामिन, वसा व जल मिलन चाहिए जिससे उस जापु क अनुगार ऊर्जा उत्पादन हेतु कलारीन (Calories) प्राप्त हो सके । कुपोषण से अनेक रोग उत्पन्न हाते ह । सतुलित भोजन व सुपाषण से बालक का स्वास्थ्य ठीक रहता है ।
- (5) व्यायाम खेल-कूद एवं मनोरंजन के अवसर — बालक के स्वास्थ्य के लिये

विशेष महत्व रखते हैं।

- (6) सामान्य एव सक्रामक रोग — बालको के स्वास्थ्य को खराब कर देते हैं। अतः इनकी रोकथाम, उचित चिकित्सा एव परिचर्या की आवश्यकता है।
- (7) स्वास्थ्य परीक्षण — नियमित रूप से किया जाना चाहिए ताकि बालको के रोगों और विकृतियों का पता चल सके और उनके अभिभावकों को चिकित्सा हेतु परामर्श दिया जा सके। इसके अभाव में बालको के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- (8) अच्छी आदतें तथा अभिवृत्तियाँ — बालको में स्वस्थ जीवन हेतु अच्छी आदतें और अभिवृत्तियों का निर्माण किया जाना वाछनीय है। बुरी आदतों व अभिवृत्तियों से उनका स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है।
- (9) मानसिक स्वास्थ्य — मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहने से बालको का प्रत्येक काय और परिस्थिति से सुधायोजन होता है। इसके अभाव में कुसमायोजन के कारण बालको में अनेक मानसिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अतः ऐसे छात्रों का पता लगा कर उनके रोगों का निराकरण करना आवश्यक है।
- (10) वैयक्तिक निर्देशन (Personal Guidance) -- वैयक्तिक विभिन्नताओं, घरेलू वातावरण तथा शिक्षण कारणों से बालको में अनेक कठिनाईएँ एव समस्याओं का अनुभव होता है जिनका प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है। अतः वैयक्तिक निर्देशन द्वारा बालको की समस्याओं का समाधान किया जाना अपेक्षित है।
- (11) व्यक्तिगत एव सामूहिक स्वच्छता -- व्यक्तिगत शारीरिक अंगों की स्वच्छता तथा शाला एव घर पर सभी लोगों की स्वच्छता बालक के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है।
- (12) शारीरिक आसन (Postures) — अनेक शारीरिक विकृतियों एव मानसिक व शारीरिक थकान का कारण बालको के बैठने, खड़े होने, पढ़ने या लिखने के अनुचित शारीरिक आसन होते हैं जो अनुपयुक्त फर्नीचर तथा शुद्ध वायु, जल व प्रकाश के अभाव से बन जाते हैं। अतः इन कारणों का निवारण कर बालको को उचित आसनों की आदतें डाली जानी चाहिए।

बालक के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले उपरोक्त कारणों तथा स्थानीय परिस्थिति से उत्पन्न विशेष कारणों पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए।

स्वास्थ्य के प्रकार --

स्वास्थ्य के मुख्यतः दो प्रकार हैं (1) शारीरिक स्वास्थ्य (2) मानसिक स्वास्थ्य

शारीरिक स्वास्थ्य के विषय के अतर्गत खेलकूद और शारीरिक शिक्षा के सन्दर्भ में विस्तार से चर्चा की जा चुकी है। व्यायाम के सन्दर्भ में इसकी और चर्चा की जायेगी। यहाँ मानसिक स्वास्थ्य के अर्थ व उसके महत्व को स्पष्ट करना आवश्यक है।

**मानसिक स्वास्थ्य** — मानसिक स्वास्थ्य की निम्नांकित परिभाषाएँ उल्लेखनीय हैं — क्रो तथा क्रो (Crow and Crow) “मानसिक स्वास्थ्य मानव कहवाण का विधान है जो मानव सम्बन्धी के समस्त प्रक्षेपों को अपने में समाहित करता है।

**डा एस एस माथुर** — “हम मानसिक स्वस्थ व्यक्ति उसी का बड़े सकते हैं, जिसके सम्पूर्ण अजित या वशानुगत गुण पूर्ण रूप से विकसित हात हैं और उद्देश्य को सामने रखते हुए इनका अर्थ वतुआ के साथ सामञ्जस्य रहना है। मानविक स्व-य से तात्पर्य एक आकषक व्यक्तित्व वाना व्यक्ति नहीं, परन्तु वह व्यक्ति मानविक स्वस्थ बड़े जात है” जा सामाजिक हा तथा जिनकी इच्छा शक्ति बढ हा जोर जिनमें आत्म-विश्वास हो। मानसिक आरोग्य विज्ञान के दो मुख्य काय हैं—

(1) मानसिक विकृति को रोकना, और (2) मानसिक विकृति का उपचार करना।

इन परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मानविक स्वास्थ्य बालक की मानसिक विकृतियों के कारण उत्पन्न उसके कुसमायोजन का निराकरण कर उसके व्यक्तित्व के समायोजन में सहायक सिद्ध हाता है तथा उसमें आत्म विश्वास कर उत्पन्न उसके अधिगम का प्रभावी बनाता है।

### शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य का अधिगम पर प्रभाव

शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का अधिगम या सीखने पर प्रभाव को स्पष्ट करते हुए डा रामपालसिंह वर्मा तथा राधावल्लभ उपाध्याय का कथन है—“शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी सीखने की प्रक्रिया पर प्रभाव डालते हैं। जो बालक शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होत हैं उनकी ज्ञान या क्रिया को सीखने में रुचि र्ती है और शीघ्र सीखते हैं। इसके विपरीत सदैव रण रहने वाले छात्र शारीरिक दृष्टि से इतने कमजोर होते हैं कि वे कक्षा में किसी काय को सीखत समय शीघ्र थकान अनुभव करने लगत है अथवा अनियमित रहने के कारण अध्यापक द्वारा सिलाये गये ज्ञान में तारतम्य न बिठा सकन से उस पाठ में रुचि नहीं ले पाते हैं। इसके साथ ही मानसिक रण स पीडित छात्रों स तो यह आशा ही नहीं की जा सकती कि वे सीखने में कुशल हाण।” अतः प्रभावी अधिगम की दृष्टि स यह आवश्यक है कि बालको को शारीरिक और मानसिक दृष्टि स स्वस्थ रण जाये तथा इस दृष्टि से रोगी बालका के निदान चिकित्सा तथा उनके प्रति सहानुभूति पूर्ण व्यवहार एव उनके ध्यत्तिगत निर्देशन पर ध्यान दिया जाये।

उपसहा —

स्वास्थ्य शिक्षा के अर्थ, महत्व और उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए विद्यालयों में इसके शिक्षण की उपयुक्त विधियाँ पर भी ध्यान दिया जाना वाछनीय है। विजयवर्गीय एव शर्मा के शब्दों में —“स्वास्थ्य रक्षा का ज्ञान केवल सिद्धांतों की शिक्षा से ही नहीं दिया जा सकता। इसे प्रत्येक बालक में उचित स्वास्थ्य सम्बंधी आदतों को विकसित करके ही दिया जा सकता है। इस प्रकार व्यक्तिगत शिक्षण के रूप में ही अधिक उपयोगी एवं हितकर हो सकता है।” स्वास्थ्य शिक्षा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों विधियों से ही दी जा सकती है। सामान्य विज्ञान, शारीरिक शिक्षा आदि विषयों के अंतर्गत स्वास्थ्य सम्बंधी सहायक ज्ञान देने के अतिरिक्त विद्यालय के सभी क्रियाकलापों तथा दृश्य श्रव्य सामग्री के माध्यम से बालकों में अप्रत्यक्ष रूप से वाछित स्वस्थ आदतों एवं अभिवृत्तियों का विकास किया जाना चाहिए।

### (व) व्यायाम

विषय प्रवेश

विद्यालयों में स्वास्थ्य शिक्षा के कार्यक्रमों में व्यायाम का प्रमुख स्थान है। भारतीय शिक्षा में शारीरिक शिक्षा व व्यायाम का महत्व प्राचीन काल से विद्यमान है। व्यायाम की देशी पद्धति के रूप में विकसित हुआ था। देश में अंग्रेजी शिक्षा-पद्धति का प्रचलन के साथ ही विद्यालयों में व्यायाम की पाश्चात्य पद्धति का समावेश हुआ जिसका प्रभुत्व आज भी बना हुआ है। व्यायाम की देशी पद्धति में शारीरिक तथा मानसिक दोनों प्रकार के विकास पर बल दिया जाता था किन्तु पाश्चात्य पद्धति में व्यायाम मात्र शारीरिक विकास ही करता है। विद्यालयों में देशी पद्धति के व्यायाम के प्रति उपेक्षा विचारणीय है। व्यायाम हेतु विद्यालयों में व्यायाम प्रशिक्षक, स्थान एवं उपकरणों के अभाव में देशी व्यायाम पद्धति अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हो सकती है। बालकों के सर्वांगीण विकास हेतु व्यायाम अत्यन्त महत्वपूर्ण है। 1956 में भारत सरकार द्वारा निर्मित ‘शारीरिक शिक्षा की राष्ट्रीय योजना’ इस महत्व को इस प्रकार प्रकट किया गया है —“शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य बालकों को शारीरिक मानसिक एवं सवेगात्मक रूप से सक्षम बनाना तथा उसकी उन व्यक्तिगत तथा सामाजिक गुणों के विकास करना जाना चाहिए जो उसे दूसरों के साथ प्रसन्नता से रहने तथा उसे एक अच्छा नागरिक बनाने में सहायक हो सके।” अतः विद्यालयों में जो भी व्यायाम की पद्धति अपनाई जाय वह इस लक्ष्य की पूर्ति में सहायक होनी चाहिए। प्रस्तुत अध्याय में व्यायाम के उन प्रकारों का विवेचन किया जायगा जो सह-शैक्षिक प्रवृत्तियों के अंतर्गत बतलाये गये खेल कूद के अतिरिक्त है।

## व्यायाम का अर्थ एव आवश्यकता

व्यायाम की वर्तमान में प्रचलित ध्यान धारणा तथा उद्योग गही सप्रत्यय स्पष्ट करते हुए बोझारी प्रायोग न रहा है— “शारीरिक शिक्षा सम्बन्धी हान की सन्तारी योजना में यह प्रवृत्ति देयन का मिलती है कि शारीरिक शिक्षा में शरीर का स्वस्थ रंग पर ही बल दिया जा रहा है और उसके शक्ति मूल्य को मुलाया जा रहा है। यह स्पष्ट कर देने की आवश्यकता है कि शारीरिक शिक्षा से न केवल शारीरिक स्वास्थ्य पर ही अच्छा प्रभाव पड़ता है, बल्कि शारीरिक क्षमता, मानसिक सुखा और परिश्रम दन-भावना नेतृत्व, नियम का अनुसरण निश्चय और पराजय में समभाव जैम कुछ उच्च गुणा के विकास में सहायता मिलती है।’ इस वचन से यह स्पष्ट होता है कि शारीरिक शिक्षा या व्यायाम न केवल शारीरिक विकास के लिए आवश्यक है बल्कि वह मानसिक एव मवेगात्मक विकास हेतु उतना ही प्रेरित है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन्दिन का निवास होता है। इस प्रकार व्यायाम वाचक की परिगम प्रक्रिया में भी गहायन होता है। माध्यमिक शिक्षा प्रायोग ने इस तथ्य को प्रकट करते हुए कहा है - “यह (व्यायाम) न केवल शारीरिक धारणा से अपरिहाय है बल्कि इनलिए भी कि शारीरिक स्वास्थ्य पर पूर्ण मानसिक स्वास्थ्य निर्भर रहता है। अतः समस्त विद्यालय का यह दायित्व होना चाहिए कि उनके बालक स्वस्थ रह ताकि वे अपनी शिक्षा से अधिकाधिक लाभान्वित हो सकें।”

## व्यायाम की आवश्यकता और महत्व

- व्यायाम की आवश्यकता और महत्व उसके निम्नान्त लाभों में स्पष्ट होता है -
- (1) व्यायाम से रक्त-ध्रमण व हृदय गति तीव्र होकर शरीर की मांसपेशियाँ भाजन के पोष्टिक तत्वों को अधिक ग्रहण कर शक्तिशाली बनती हैं।
  - (2) नियमित व्यायाम से सभी अंग पुष्ट एवं सुन्दर होते हैं।
  - (3) व्यायाम द्वारा तेज साम लेने व छोड़ने से शरीर क्रमशः अधिक आन्तरीजन ग्रहण करता है तथा वायुन डाइऑक्साइड छाडता है जिससे मांसपेशियाँ अधिक विकसित होती हैं।
  - (4) व्यायाम से वक्ष (Chest) सम्बन्धी रोग नहीं होते।
  - (5) इससे शरीर हृष्ट पुष्ट व आकर्षक हो जाता है।

- (6) यह पाचन क्रिया एवं मल-मूत्र उत्सर्जन क्रिया को ठीक करता है ।
- (7) इससे मानसिक थकावट (Fatigue) तथा ऊब (Boredom) कम होती है ।
- (8) सुधारात्मक व्यायाम से बालको के अनुचित आसन (Postures) ठीक हा लाते हैं ।
- (9) व्यायाम मासपेशियों व मस्तिष्क में उचित सन्तुलन व समन्वय उत्पन्न करता है ।
- (10) इससे अनेक सामाजिक एवं नागरिक गुणों का विकास होता है ।
- (11) व्यायाम से बालको में स्फूर्ति व ताजगी पैदा होती है ।
- (12) ध्यायाम में बालक की रुचि होने से वह बालक का मनोरंजन भी करता है ।
- (13) यह बालक में स्वानुशासन की भावना विकसित करता है ।
- (14) इससे बालक को व्यायाम विशेष में दक्षता प्राप्त होती है ।
- (15) व्यायाम बालक को समयी बनाकर उसका चारित्रिक विवास करता है ।

### व्यायाम के प्रकार एवं पद्धतियाँ

व्यायाम की मुख्यतः निम्नांकित दो पद्धतियाँ देश में प्रचलित हैं जिनकेवि भिन्न प्रकार इस प्रकार हैं —

- 1) व्यायाम की पश्चात्त्य पद्धति —के अतगत निम्नांकित प्रकार प्रमुख है —
  - (क) पी० टी० थ्रयवा ड्रिल — पी टी (Physical Training) थ्रयवा ड्रिल (Drill) विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा की सर्वाधिक प्रचलित पश्चात्त्य पद्धति का व्यायाम है जिसके लिये एक शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक (Physical Training Instructor या P T I) प्रत्येक विद्यालय में होता है तथा इस हेतु एक कालाण का प्रावधान समय विभाग चक्र में भी किया जाता है । पी टी शारीरिक अंग संचालन की विभिन्न मुद्राओं का सामूहिक रूप में अभ्यास होती है जिसका उद्देश्य विभिन्न अंगों को चुस्त व पुष्ट करना होता है और ड्रिल छात्रों की सामूहिक परेड है जो छात्रों को समूह में अनुदेशन के निर्देशानुसार अनुशासित रूप में गतिशील होना सिखानी है । जब पी टी या ड्रिल बँड या संगीत के साथ हानी है तो छात्रों में समय, गति एवं मोत्य बोध का विकास होता है ।
  - (ख) खेलपश्चात्त्य पद्धति के खेलों का विवेचन सह-शैक्षिक प्रवृत्तियों के



अतगत वाले अध्याय में किया जा चुका है। खेल भी व्यायाम के रोचक साधन हैं।

(ग) एथलेटिक्स (Athletics)—इसके अतगत सभी दूद, ऊँची दूद दीडे, बाधा दौड पाल बाल्ट, जवॉनन, चक्का तथा गाला फँक, रस्ताबसी, रिन दौड आदि व्यक्तिगत या सामूहिक व्यायाम हैं। ये स्वस्थ स्पर्धा व प्रति-योगिता को प्रोत्साहित करते हैं। इसके लिये उपयुक्त ट्रैक, स्थल तथा उपकरणों की आवश्यकता होती है।

(घ) जिमनैस्टिक्स (Gymnastics)—इसके लिये विशेष व्यायामशाला एवं उपकरणों (परेललबार, हारीजा टलबार रिंग आदि) की आवश्यकता होती है। प्रशिक्षित जिमनास्टिक (Coach) के निर्देशन में विद्यार्थी विभिन्न व्यायाम (exercises) सीखते हैं। इनमें शरीर समतुलन व नमनीयता के साथ शक्ति का विकास होता है।

(2) भारतीय व्यायाम पद्धति —के अतगत निम्नांकित प्रकार प्रमुख हैं —

(क) कसरत-कुश्ती — पाश्चात्य पद्धति की कुदनी फोम रबर के गद्दा पर विशेष पोषाक पहन कर फ्री स्टाइल प्रकार की होती है जबकि भारतीय पद्धति में जमीन पर अलाडा बनाकर केवल लंगोट-बच्छा पहनकर पहलवान जोर करते हैं। देशी कसरतों में दण्ड-बैठक, मुग्दर घुमाना आदि प्रमुख हैं। भारतीय पद्धति में विशेष उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती और न अधिक स्थान की ही। अतः विद्यालया में इनका प्रचलन होना चाहिए।

(ख) योगिक आसन —यह भारतीय पद्धति का अत्यन्त प्राचीन काल से प्रचलित व्यायाम है जिससे शारीरिक विकास के अतिरिक्त मानसिक और सवेगात्मक विकास भी होता है। इसका विस्तार से विवेचन आगे किया जा रहा है।

भारतीय एवं पाश्चात्य पद्धति के उपरोक्त प्रकार के व्यायामों के अतिरिक्त कुछ और भी व्यायाम हैं जैसे मुक्केबाजी (Boxing), तैराकी (Swimming) पर्वतारोहण (Mountaineering), गोताखोरी (Diving), धनुर्विद्या (Archery), घुडसवारी (Horse riding) आदि। साधन सुविधाओं के अनुसार इन्हें शिथिल सस्थाओं में अपनाया जा सकता है।

योगिक व्यायाम (योगासन)

योगिक व्यायाम भारतीय योगदर्शन का अभिन्न अंग है। योगदर्शन के

अनुसार अष्टांग योग के अतर्गत आठ अनुष्ठान इस प्रकार हैं — (1) यम (अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य व अपरिग्रह), (2) नियम (शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय व ईश-प्रार्थना), (3) आसन, (4) प्राणायाम, (5) प्रत्याहार, (6) धारणा, (7) ध्यान, तथा (8) ममाधि। इस प्रकार योगासन भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग हैं जिनसे व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक विकास होता है। विद्यार्थी जीवन में इनका विशेष महत्त्व है। अनेक रोगों की चिकित्सा में भी योगासन सहायक होते हैं। विशेष स्थान, उपकरण व धन की आवश्यकता के अभाव में ये विद्यालयों के लिए अत्यन्त अनुकूल हैं। इस दिशा में अब प्रयत्न किये जा रहे हैं। अतः शिक्षकों को इनसे परिचित होना आवश्यक है।

योगिक आसनों के प्रकार — वैसे तो योगिक आसनों के अनेक प्रकार हैं जो समय, आवश्यकता एवं शारीरिक क्षमता के अनुसार विकसित किये गये हैं किन्तु स्थानाभाव के कारण यहाँ हम कुछ प्रमुख आसनों की प्रक्रिया और लाभों का विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं —

- (1) पद्मासन—इस आसन में दायाँ पैर बायीं जाघ पर तथा बायीं पैर दायीं जाघ पर पालकी से लैठा जाता है व हाथ गोद में, शरीर सीधा, ठाड़ी को गले से लम्बाकार रखकर दृष्टि सामने केन्द्रित की जाती है। इस आसन से रक्त, पाचन, वीर्य आदि के विकार दूर होते हैं तथा अतिसार जैसे रोगों का उपचार होता है।
- (2) सर्वाङ्गसन—भीधे चित्त लेट कर जुड़े हुए पैरों को धरनें शनै उठाते हुए गदन से नीचे का शरीर ऊपर इस प्रकार उठाते हैं कि शरीर का समस्त भार गदन व कंधों पर आ जाये जो जमीन पर टिके रहते हैं। इस आसन से पेट, अमाशय, वाष्पबद्धता (कब्ज), रीढ़ की हड्डी, नख आदि अनेक रोगों का उपचार होता है।
- (3) मयूरासन—इसमें साधक की स्थिति व आकृति मोर जैसी होती है। इस आसन में पेट के बल उल्टा लेटना पड़ता है। हथेलियों को जमीन पर टिका कर कुहनियों को नाभि पर टिका देते हैं। तथा सारे शरीर का हथेलियों पर संतुलित कर जमीन के समानान्तर उठाते हैं कि सामने दृष्टि गढ़ाकर मोर के सामान स्थिति में बना रहे। इस आसन से पेट, दस्त, बभन, पचिश, वज्र, पित्त, कफ आदि के विकार दूर होते हैं।

- (4) धनुषासन — इसमें आवृत्ति धनुषाकार होती है । पीठ ऊपर कर जमीन पर लेटे हुए साधक अपने हाथों से पर के पजो का पीठ के ऊपर पकड़ता है तथा सिर ऊपर उठा कर भीना ताने रखता है । इससे पीठ के विकार दूर होकर नेत्रों व उदर के रोगों का निराकरण होता है ।
- (5) हलासन — इसमें साधक जमीन पर चित्त सीधे लेट जाता है तथा पंखों के ऊपर उठात हुए शरीर के सारे घट को उठा लेता है तथा परा को मुन के पास जमीन से स्पश करता है । इस प्रकार हल जैसी आवृत्ति बन जाती है । इस आसन से रीढ़ की हड्डी, गदन, कमर, मधुमेह, मूत्र, फीहा आदि रोग दूर होते हैं ।
- (6) पाद हस्तासन — इसमें सीधे खड़े होकर आगे झुकते हुए हाथ के पजों से पैर के अंगूठे पकड़ते हैं तथा सिर को घुटनों से स्पश करत हैं । फिर पुन पृथक स्थिति में आ जात हैं । नीचे झुकते समय सात अंदर खींचते हैं तथा उठते समय बाहर फेंकते हैं । इससे मोटापा कम होकर पेट के सभी विकार दूर होते हैं ।
- (7) चक्रासन — इस आसन में पैरों के मध्य एवं फुट का अन्तर रखकर सीधे खड़े होते हैं । शन शन हाथों को ऊपर ऊठा कर पीछे की ओर और स प्रकार ले जाते हैं कि हथेलियाँ जमीन पर टिक जायें । इस स्थिति में पेट आकाश की ओर व पीठ जमीन के समान हो जाते हैं । सारा शरीर चक्र या पहिये की आवृत्ति में हो जाता है । इस आसन से मेरुदण्ड व पेट के विकार दूर होकर मोटापा, दमा, कमर दर्द आदि रोगों का उपचार होता है ।
- (8) शीर्षासन — इस आसन में सिर के बल उल्टा सीधा खड़ा हुआ जाता है । धीरे धीरे दिवार का सहारा लेकर इसे धारम्भ किया जा सकता है । सिर के नीचे तकिया या गद्दे का आधा होना चाहिए । इस आसन से निर, पेट, दमर, नेत्र आदि के रोग दूर होते हैं तथा अन्य सभी रोगों के उपचार में सहायक होता है । अतः यह सर्वाधिक उपयोगी आसन है ।

योगिक आसनों के लाभ — निम्नलिखित हैं —

- (1) शरीर स्वस्थ, सुखोल तथा आकषक होता है ।
- (2) शरीर निरोग होकर स्थिति एवं शक्ति सम्पन्न होता है ।
- (3) मानसिक तनाव एवं रोगों का निराकरण होता है ।

- (4) ये मनुष्य को आयु में वृद्धि करते हैं क्योंकि वृद्धावस्था के रोगों को दूर करते हैं।
- (5) ये रोगों का उपचार बिना औषधि के प्राकृतिक रूप से करते हैं।
- (6) इनसे अवधान, स्मृति, ध्यान, विचार आदि मानसिक शक्तियाँ विकसित होती हैं।
- (7) ये सवेगात्मक सतुलन स्थापित करते हैं।
- (8) इनसे तामसी व राजसी प्रवृत्तियों के स्थान पर सात्त्विक प्रवृत्ति जाग्रत होती है।
- (9) ये शरीर एवं मस्तिष्क में सामन्वय उत्पन्न करते हैं।
- (10) ये चारित्रिक उत्थान में सहायक होते हैं।

### उपसंहार -

इन अध्याय में वर्णित पाश्चात्य एवं भारतीय पद्धतियों के विभिन्न व्यायामों से छात्रों को लाभान्वित करने हेतु यह अत्यंत आवश्यक है कि इनका नियोजन, क्रिया-व्ययन तथा मूल्यांकन सावधानी से किया जाना चाहिए। विद्यालय के मानवीय एवं भौतिक समाधानों को दृष्टिगत रखते हुए व्यायामों का चुनाव एक सगठन सावधानी से किया जाना चाहिए। छात्रों की रुचि, आयु वर्ग, क्षमता एवं आवश्यकता का ध्यान रखा जाना चाहिए। यदि सुनियोजित ढंग से व्यायामों का संचालन किया जाय तो ये निश्चित रूप से छात्रों के शारीरिक, मानसिक एवं सवेगात्मक विकास में सहायक सिद्ध हो सकते हैं।

### मूल्यांकन (Evaluation)

#### (क) लघूत्तरात्मक प्रश्न -

- 1 विद्यालय में स्वास्थ्य सेवा से क्या क्या उद्देश्य होते हैं ?  
(बी एड 1982)
- 2 विद्यालय में शारीरिक शिक्षा की क्या आवश्यकता है ?  
(बी एड 1982)
- 3 विद्यालय में शारीरिक शिक्षा के महत्व का वर्णन कीजिए।  
(बी एड 1979)

- 4 शाला मे खेलो के सगठन के बुनियादी सिद्धांतों के बार म लिखिय !  
(बी एड 1978)
- 5 सुधारात्मक व्यायाम से आप क्या समझत हैं ?
- 6 विद्यालय म स्वास्थ्य शिक्षा की व्यवस्था क्या आवश्यक है ?
- 7 शारीरिक विकास पर आसना का क्या प्रभाव पड़ता है ?
- 8 'योग अभ्यास मरुत्वपूर्ण व्यायाम है।' स्पष्ट कर ।

(व) निवधात्मक प्रश्न-

- 1 विद्यालय शिक्षा म खेलकूद अभिन अग क्यों है ? अनुशासन एव रा टीय एकता के विकास मे अनिवाय खेला के क्या लाभ है ?  
(बी एड 1985)
- 2 विद्यालय कार्यक्रम में खेलकूद का क्या महत्व है ? विद्यालय कार्यक्रम म खेलकूद का अभिन भाग बनाने हेतु एक योजना बनाइय ।  
(बी एड 1984)
- 3 हमारे विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा क्यों आवश्यक है ? एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आप खेलकूद का कार्यक्रम कैसे सगठित करेंगे ?  
(बी एड 1982)
- 4 आप एक ऐसे माध्यमिक विद्यालय के लिए जिनके पास खेलने का पर्याप्त मैदान नहीं है किन-किन शारीरिक कार्यक्रमों की अभिशता करेंगे ? (बी एड पत्राचार 1981)
- 5 किसी उच्च माध्यमिक विद्यालय की IX, X व XI कक्षाओं में क्रमश 30,35,40 विद्यार्थी है । उक्त सभी विद्यार्थियों को खेलो व खेलकूद में भाग लिवाने की दृष्टि से एक व्यवहारिक योजना बनाइय ।  
(बी एड पत्राचार 1981)
- 6 हमारी शिक्षण-संस्थानों में सगठित खेलो का क्या महत्व और मूल्य है ।
- 7 खेलकूद का सगठन करत समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए ?

[ विषय प्रवेश, अनुशासन की नवीन सकल्पना स्वानुशासन-अनुशासन के प्रकार, अनुशासनहीनता के कारण एवं उनके निराकरण हेतु सुभाव, कक्षानुशासन कक्षाध्यापक के सामाज्य कर्तव्य और दायित्व, एक अध्यापकीय शाला में मोनटोरिंग व्यवस्था, छात्रा के बैठने की व्यवस्था के अनुसार हेर फेर, स्वानुशासन के विकास में सहायक प्रवृत्तियां, पुरस्कार और दण्ड अनुशासन के साधन के रूप में मूल्यांकन, उपसंहार ]

विषय-प्रवेश —

विद्यालय अनुशासन ही शिक्षा के उम नश्य की पूर्ति करता है जो विद्यार्थियों को राष्ट्र व समाज का एक योग्य नागरिक बनाना चाहता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग के शब्दों में — "शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य युवकों को नागरिकता के दायित्वों का बहन करने हेतु प्रशिक्षित करना है। और सभी लक्ष्य आवश्यक है। अतः अनुशासन माता-पिता शिक्षक, सामाज्य जनता तथा सम्बन्धित अधिकारियों का उत्तरदायित्व होना चाहिए।" आज विद्यार्थियों में बढ़ती हुई अनुशासनहीनता एवं अस तोष की प्रवृत्ति विद्यालयों में अनुशासन बनाये रखने की आवश्यकता और महत्व को प्रकट करती है। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जिन चारित्रिक गुणों और नागरिक भावना का विकास किया जा सकता है वे विद्यार्थियों के सतृप्त व्यक्तित्व का निर्माण कर उसे भागी जीवन में स्वानुशासनप्रिय बना सकते हैं। यद्यपि माता पिता, अभिभावक व समाज का दायित्व छात्र-अनुशासन की दृष्टि से सर्वाधिक है तथापि विद्यालय का इसमें योगदान महत्वपूर्ण होता है। प्रस्तुत अध्याय में विद्यालय अनुशासन के विभिन्न पक्षों का स्पष्ट किया जायेगा।

अनुशासन की नवीन सकल्पना स्वानुशासन

अनुशासन का अर्थ— डा एस एस माथुर का कथन है— "अनुशासन से तात्पर्य यह है कि विद्यार्थी विद्यालय के नियमों इत्यादि का पालन कर परंतु अनुशासन का अर्थ हम सोमित रूप में ही प्रयोग करते हैं। विस्तृत रूप में अनुशासन से अर्थ है कि विद्यार्थी का शारीरिक व मानसिक प्रशिक्षण ही और वे इन दोनों को नियंत्रण में लाना सीखा जाये। विस्तृत अर्थ में अनुशासन का जो अभिप्राय

आता हैं उसी को सामने रखकर हम विद्यार्थियों को अनुशासित रखने के लिये बल दे सकते हैं । यह कहने से हमारा तात्पर्य यह है कि विद्यार्थियों को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाय कि वे अपनी आत्मा अपने मस्तिष्क एवं अपने शरीर पर नियंत्रण रखना सीख लें वे जब भी कोई काय करें ता ऐसा न हो कि उनमें आत्म नियंत्रण या आत्मसमय का अभाव हो ।' इस कथन में उल्लिखित विस्तृत अर्थ में अनुशासन स्वानुशासन ही है । यही अनुशासन की आधुनिक संकल्पना है । किन्तु इस संकल्पना के विकास को समझने हेतु अनुशासन की पुरातन धारणा को देखना होगा ।

**अनुशासन की पुरातन धारणा** — अनुशासन की पुरातन धारणा प्राचीन काल से चली आ रही उस मायता का परिणाम थी जिसके अनुसार छात्रों को नियंत्रण मलाना ही अनुशासन है । इस मायता के अनुसार छात्रों के मानसिक, नैतिक तथा शारीरिक विकास के लिये कठोर नियम बनाये जाते थे और उन नियमों का उल्लंघन करने पर कठोर दण्ड देने का प्रावधान था । इस अनुशासन का आधार शक्ति एवं छात्रों में भय एवं आतंक उत्पन्न करना था । यह अनुशासन का दमनात्मक रूप था । लोगों में यह धारणा थी कि डंडे का सहारा न लेने से बच्चे बिगड़ जाते हैं । (Spare the rod and spoil the child) पाश्चत्य देशों में भी यही पुरातन धारणा प्रचलित थी । प्रो हैरिंग न आज्ञापालन को ही अनुशासन का प्रमुख आधार बतलाते हुए कहा है— 'विद्यालय का प्रथम नियम व्यवस्था स्थापित करना था शिक्षक का पहला काय नियमों का पालन करना तथा शिक्षार्थी का प्रथम कर्तव्य आज्ञापालन के अनुरूप व्यवहार करना था ।' इन प्रकार अनुशासन की यह धारणा केवल बाह्य नियंत्रण का ही अधिक महत्व देती थी आंतरिक नियंत्रण या स्वानुशासन को नहीं ।

**अनुशासन की नवीन धारणा का विकास** — आधुनिक युग में अनुशासन की उपरोक्त धारणा की शिक्षा शास्त्रियों द्वारा आलोचना की जाने लगी व बालक को कठोर दण्ड दिये जाने का विरोध होने लगा । बाल मनोविज्ञान एवं लौकतांत्रिक विचार धारा के विकास के साथ शिक्षा बाल केन्द्रित (Child Central) मानी जाने लगी जिसका प्रभाव अनुशासन की नवीन धारणा के विकास में स्पष्ट निर्वाह देने लगा ।

अनेक शिक्षा-शास्त्रियों एवं विचारकों ने इस धारणा को व्यक्त किया है । प्लेटो के अनुसार — 'बालक को दण्ड की अपेक्षा खेल द्वारा नियंत्रण करना बड़ी अच्छा है ।'

पेस्टालोजी ने कहा — 'अनुशासन का आधार और नियंत्रण शक्ति प्रेम होना चाहिए। रूम्सो के मतानुसार 'बालक को प्रकृति के अनुसार चलने दो, उसके काय में बाधा मत

दो ।" जान डिजी ने अपने ग्रथ 'Democraey and Education ' में कहा है—“अनुशासन शक्ति है और काय करने के लिए उपलब्ध साधनों का सदुपयोग है । हमें क्या करना है कैसे करना है तथा किन साधनों से करना है यह जानना ही अनुशासन है । विद्यालय में अनुशासन भी पूर्णतः सामाजिक होना चाहिए । स्कूल जीवन की तैयारी का स्थान नहीं अपितु स्वयं ही जीवन है। इस प्रकार निरकुशतावादी और स्वेच्छाचारी व तानाशाही विचारों पर आधारित अनुशासन की धारणा के स्थान पर आधुनिक युग में लोकतांत्रिक विचारधारा और बाल केन्द्रित शिक्षक मायता से प्रेरित नवीन धारणा का विकास हुआ जो 'स्वानुशासन Self discipline' के रूप में अनुशासन का मानत लगी । “विद्यालय संगठन” में आत्माराम शर्मा ने इस धारणा को स्पष्ट करत दूए कहा है “आधुनिक युग में बालको को स्वानुशासन में रहना सिखना ही सर्वोत्तम माना जान लगा है जिसके लिए उचित वातावरण तथा स्वयं का आदर्श उपस्थित किया जाता है और बालको को विभिन्न क्रियाओं में स्वतन्त्रता से करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है । इस प्रकार के बालक वातावरण से अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होकर स्वयं ही आत्मविकास करते है ।”

अनुशासन के प्रकार — अनुशासन के सम्बन्ध में विभिन्न संकल्पनाओं के आधार पर अनुशासन के निम्नांकित तीन स्वरूप या प्रकार है —

- (1) दमनात्मक अनुशासन (Repressionist Discipline) पुरातन धारणा के अनुसार अनुशासन का वह स्वरूप है जिसका अर्थ विद्यार्थियों का शक्ति, भय और आतंक से नियंत्रित करना होता है । यह अमनोवैज्ञानिक एवं अलौकतांत्रिक है, अतः वर्तमान स्थिति में त्याज्य है ।
- (2) प्रभावात्मक अनुशासन (Impressionist Discipline) के अनुसार शिक्षक को अपने आदर्श आचरण और चारित्रिक गुणों के अनुकरण करने की प्रेरणा छात्रों को देनी चाहिए तथा छात्रों में दण्ड का भय उत्पन्न न कर शिक्षक के प्रति श्रद्धा और भक्ति विकसित की जानी चाहिए । यह एक आदर्शवादी दृष्टिकोण है जिसमें छात्र के व्यक्तित्व का स्वतन्त्र विकास न होकर छात्र को शिक्षक का अनुकरण करनेवाला बना दिया जाता है । मैकमन का मत है कि छात्रों के ऊपर शिक्षक के व्यक्तित्व की प्रधानता लादना भी एक प्रकार का दण्ड है तथा छात्रों द्वारा शिक्षक का अनुकरण करना अनुचित है । अतः अनुशासन का यह रूप शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये एक मात्र साधन नहीं माना जा सकता ।
- (3) मुक्तात्मक अनुशासन — (Emancipationist Discipline) में दमनात्मक



अनुशासन के विपरीत बालक को पूरा स्वतंत्रता देकर स्वानुभव के आधार पर अनुशासन सीखने की धारणा विद्यमान है। रूसी इस विचारधारा के प्रवक्ता थे। फ्लोयेल, माण्टेसरी नील, नारमन मेकमन तथा जान डिवी शिंगा शास्त्री भी इस विचारधारा के समर्थक थे। इनका विचार था कि बालक मूलतः सात्त्विक प्रकृति का होता है और स्वतंत्र व स्वाभाविक विवास द्वारा उगम अनुशासन स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है।

उपरोक्त अनुशासन के विभिन्न स्वरूपों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि दमनात्मक स्वरूप तो पूणतया अनुचित है तथा मुक्तात्मक स्वरूप भी बालक की अपरिपक्व स्थिति को देखते हुए एक मात्र साधन नहीं माना जा सकता। टी पी नन का यह कथन सत्य है — 'बालक को दारुम से ही पूण स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती। जब तक वह अपने परा पर खड़ा होने की योग्यता नहीं प्राप्त करता, वह स्वतंत्रता का उपयोग नहीं कर सकता। बालक का अपनी जिम्मेदारी पर छोड़ देना उसका हित करना नहीं बल्कि अहित करना है। सामाजिक संस्थाएँ इसी लिए बनी हैं कि उनके द्वारा व्यक्ति का शिक्षण हो और वह इस प्रकार दूसरा की सहायता से आत्म नियंत्रण की शक्ति प्राप्त करे।' अनुशासन का यही रूप श्रेष्ठ है और श्रेयस्कर है। डा एस एम मायुर ने कहा है— "अनुशासन का नवीन दृष्टिकोण स्वानुशासन (Self discipline) के रूप में है और इसकी मुख्य विशेषता है आत्म-नियंत्रण (Self Control) नवीन विचार भी विद्यालय में व्यवस्था की महत्ता को महत्ता को प्रधानता देती है। अन्तर् केवल यह है कि वहाँ व्यवस्था तथा अनुशासन बालक की सजनात्मक क्रियाओं को उपज है। यह विश्वास किया जाता है कि यदि बालक का आत्म-प्रकाशन के अवसर मिल जाये तो वे स्वानुशासन तथा आत्म-नियंत्रण सीख लेगे और उनमें उचित बतियों तथा आदतों का निर्माण हो जायगा जो व्यवस्था तथा अनुशासन के लिए गुणकारी सिद्ध होंगे।'

अनुशासनहीनता के कारण एवं उनके निराकरण हेतु सुझाव -  
विद्यार्थ अनुशासन को बनाये रखने हेतु अनुशासनहीनता के कारणों का संक्षेप में देखना उनके निराकरण हेतु उचित रहेगा। ये कारण निम्नांकित हैं—

- (1) आर्थिक कठिनाइयाँ—माता पिता जयवा अभिभावक की निधनता और आर्थिक कठिनाइयाँ के कारण बालकों की उचित शिक्षा व्यवस्था नहीं हो पाती तथा उन के लिये आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करने में कठिनाई होती है। फलतः छात्रों में असंतोष व अनुशासनहीनता उत्पन्न हो जाती है।

- (2) अशिक्षित अभिभावक — देश में अधिकांश अभिभावक निरक्षर या अशिक्षित हैं। अतः वे बालकों की शिक्षा पर उचित ध्यान नहीं दे पाते हैं जिसके कारण शिक्षका को अभिभावकों का सहयोग नहीं मिल पाता और छात्रों में अनुशासनहीनता व अवाञ्छित व्यवहार का निराकरण नहीं हो पाता।
- (3) समाज में व्याप्त अनुशासनहीनता — आज समाज में भ्रष्टाचार एवं अनैतिकता व्यपत है जिसका प्रभाव बालकों के अनुशासनीय व्यवहार में परिलक्षित होता है। अनेक राजनैतिक पार्टियाँ विद्यालयों का उपयोग अपने स्वार्थों की पूर्ति में करती हैं।
- (4) सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन — पाश्चात्य प्रभाव के कारण भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों का विघटन हो रहा है तथा सामाजिक मूल्यों में तीव्र गति से परिवर्तन हो रहा है। इसके फलस्वरूप कुसमायोजन व कारण छात्रों में अनुशासनहीनता उत्पन्न होती है।
- (5) अशिक्षित भविष्य — शिक्षित बेरोजगारी के कारण छात्रों को अपना भविष्य अशिक्षित लगता है। यह असुरक्षा की भावना अध्ययन में रुचि एवं अनुशासनहीनता की अभिवृत्ति पैदा करती है।
- (6) अयोग्य अध्यापक — अधिकांश अध्यापक अयोग्य होने व कारण बालकों में अध्ययन के प्रति रुचि एवं उत्साह जागृत करने में असफल रहते हैं तथा अपने व्यवहार और चारित्रिक गुणों का कोई अनुकूल प्रभाव छात्रों पर नहीं डालते।
- (7) दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली — वर्तमान शिक्षा प्रणाली पुस्तकीय तथा अध्यावहारिक है। विद्यार्थियों का उद्देश्य केवल परीक्षा पास करना ही रहे गया है जिसके कारण परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग सम्बन्धी अनुशासनहीनता पनपती है परन्तु शिक्षा प्रणाली का व्यवहारिक व्यावसायिक तथा विचार प्रेरक बनाया जाना चाहिए।
- (8) पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का अभाव — बालकों के व्यक्तित्व में सर्वांगीण विकास हेतु पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में अपनी रुचि के अनुकूल प्रश्नों का भाग लेना वांछनीय है। विद्यालयों में प्रायः इन क्रियाओं की उचित व्यवस्था नहीं की जाती। अतः इन और ध्यान देना आवश्यक है।
- (9) अनुपयुक्त पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियाँ — प्रायः पाठ्यक्रम की दृष्टि से परन्तु शिक्षण विधियाँ परन्तरात्निक हैं। अतः शिक्षण विधियों पर पर्याप्त ध्यान देना आवश्यक है। अतः शिक्षण विधियों पर पर्याप्त ध्यान देना आवश्यक है।

रुचि लेकर अनुशासनहीन व्यवहार में प्रवृत्त न हो सकें ।

- (10) धार्मिक व नैतिक शिक्षा का अभाव - विद्यालय के सीहापूर्ण वातावरण, शिक्षकों के अनुकरणीय व्यवहार तथा प्रत्यक्ष विधिद्वारा धर्मनिरपेक्ष नैतिक शिक्षा द्वारा बालकों में चारित्रिक एवं नागरिक गुणों का विकास किया जाना अपेक्षित है । इस अंगर विद्यालयों में प्रायः ध्यान नहीं दिया जाता । कक्षाध्यापक का दायित्व इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है । प्रायः सभा, प्रवचन, धार्मिक पर्वों एवं महापुरणों की जयन्तियों का आयोजन आदि प्रवृत्तियाँ इस दिशा में अधिक सहायक सिद्ध हो सकती हैं ।
- (11) न्योपपूर्ण परीक्षा प्रणाली - केवल वार्षिक परीक्षा पर ही अधिक बल देना परीक्षा प्रणाली को प्रभावहीन बना रहा है । परीक्षा-सुधार की दृष्टि में 'अनवरत मूल्यांकन योजना' का अपनाया जाना नितांत आवश्यक है जिससे कि सत्र-पर्यंत छात्र अपने अध्ययन के प्रति रुचि एवं अवधान बनाय रख सकत हैं । परीक्षा प्रश्न पत्रों को वस्तुनिष्ठ और उद्देश्यान्वित बनाया जाना वाञ्छनीय है ताकि परीक्षा काय में वधता और विश्वसनीयता के साथ व्यावहारिकता का भी समावेश हो सके ।

अनुशासनहीनता के उपरोक्त प्रमुख कारणों के अतिरिक्त भी अन्य कुछ कारण हो सकते हैं जिन्हें विद्यालय अपनी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार खोज कर उनका निदान एवं उपचार कर सकते हैं ।

## कक्षानुशासन

विद्यालय अनुशासन का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है । इसके अंतर्गत कक्षा-कक्ष, विद्यालय-प्राण, खेल के मैदान, पुस्तकालय, विभिन्न क्रियाकलाप, समाज-सेवा आदि में छात्रों का व्यवस्थित एवं उत्तरदायित्वपूर्ण वह व्यवहार होता है जो स्वानुशासन भावना से प्रेरित हो । इन सभी क्षेत्रों में विद्यार्थियों को स्वशासन का भार सौंपना चाहिए । इसके लिए सम्बंधित क्षेत्र की एक-एक समिति होनी चाहिए जिसमें सदस्य अध्यक्ष, सचिव आदि छात्र-अधिकारी छात्रों द्वारा निर्वाचित होने चाहिए तथा निर्धारित नियमों तथा प्रभारी शिक्षक के निर्देशन के अंतर्गत प्रत्येक समिति को उह सौंपा गया काय सवाहित करना चाहिए । स्वानुशासन की आधारभूत इकाई कक्षा को माना जा सकता है । कक्षानुशासन का दायित्व कक्षाध्यापक (Class teacher) का होता है । अतः कक्षाध्यापक के सामाय कर्तव्य एवं दायित्वों से अवगत होना वाञ्छनीय है ।

## कक्षाध्यापक के कर्तव्य और दायित्व

सामान्यतः प्रत्येक अध्यापक को कक्षाध्यापक का उत्तरदायित्व निभाना होता है। कक्षाध्यापक प्रामुख्यतः उसे कहा जाता है जिसे किसी कक्षा की उपस्थिति अंकन, कक्षानुशासन, छात्रों की प्रगति का लेखा जोखा रखने, शुल्क वसूल करने आदि का दायित्व सौंपा जाता है। इसके अतिरिक्त विषय शिक्षक के सभी कार्य करने ही होते हैं। राजस्थान एज्युकेशन कोड (Education code) में कक्षाध्यापक से जो अपेक्षाएँ की गई हैं उन्हें मनुष्य में निम्नांकित रूप में दिया जा रहा है —

- (1) बालको पर व्यक्तिगत अवधान — कक्षाध्यापक को अपनी कक्षा के प्रत्येक बालक की प्रगति व अनुशासन पर व्यक्तिगत ध्यान रखना हाता है। अभिभावकों से सम्पर्क कर इस प्रगति से उन्हें अवगत कराने का दायित्व भी उसी का होता है।
- (2) बालको की सर्वोत्तम प्रगति पर दृष्टि — प्रत्येक बालक की शारीरिक, मानसिक, नैतिक, शैक्षिक, सामाजिक व सांस्कृतिक प्रगति पर रखते हुए उन्हें उचित परामर्श व निर्देशन देना उसका कर्तव्य है।
- (3) पिछड़ व प्रतिभावान बालको पर विशेष ध्यान रखना — कक्षाध्यापक का विशेष दायित्व है।
- (4) पाठ्यक्रम सहगामी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन — छात्रों की रुचि एवं क्षमता के आधार पर देना उसका कर्तव्य है।
- (5) कठिनाई व आवश्यकता पड़ने पर अभिभावकों से सहयोग लेने की अपेक्षा उससे की जाती है।
- (6) छात्रों को अपनी कठिनाईयाँ रखने हेतु प्रोत्साहन देना भी उसका दायित्व है।
- (7) छात्रों को दिये जाने वाले गृहकार्य में समन्वय कक्षाध्यापक को ही करना चाहिए ताकि विषयाध्यापक छात्र की क्षमता एवं रुचि के अनुकूल ही गृहकार्य दे सकें। यह कार्य उस कक्षा के सभी विषयाध्यापकों की सहमति से गृहकार्य का समय विभाग-चक्र बना कर करना चाहिए।
- (8) गृहकार्य न करने वाले छात्रों को अतिरिक्त समय की व्यवस्था करना कक्षाध्यापक का काम है।
- (9) अनुशासनहीन तथा नैतिक अपराधों को प्रधानाध्यापक तक पहुँचाना कक्षाध्यापक का दायित्व है।
- (10) कक्षा की उपस्थिति का नियमित तथा समय पर अंकन भी उसे ही करना हाता है।

- (11) छात्र प्रगति पत्रों की पूर्ति कर अभिभावकों को भेजने व वापस मगाने का कार्य उसे ही करना होता है।
- (12) विद्यालय शुरू की कक्षा के छात्रों से समय पर घमूली उसे ही करनी हानी है।
- (13) छात्रवृत्ति पात्रता से दिलाने में योगदान कक्षाध्यापक का ही होना है।
- (14) प्रधानाध्यापक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निष्पक्ष भाव से उपयोग करने की अपेक्षा कक्षाध्यापक से की जाती है।
- (15) दोपहर के भोजन की व्यवस्था कक्षाध्यापक को ही करनी चाहिए।
- (16) छात्रों के बैठने की स्वस्थ एवं सतृप्तजनक व्यवस्था कक्षाध्यापक को ही करनी पड़ती है।
- (17) छात्रों के लिए चिकित्सा की व्यवस्था कक्षाध्यापक को अभिभावकों से सख कर करनी चाहिए।
- (18) छात्रों को रचिकार्य अपनाने के लिए प्रोत्साहन उस देना चाहिए।
- (19) छात्रों में नैतिक मूल्य वैयक्तिक और सामाजिक स्वास्थ्य की आदतों का विकास करना कक्षाध्यापक का कर्तव्य है।
- (20) छात्रों में आत्मविश्वास के विकास की अपेक्षा उससे की जाती है।

प्राथमिक विद्यालय में तो प्रायः अध्यापक को कक्षा 1 से 5 तक की सभी कक्षाएँ पढ़ानी पड़ती हैं, अतः उस किमी कक्षा के कक्षाध्यापक के दायित्व निभाने में कठिनाई नहीं होती। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जिन कक्षाओं के कक्षाध्यापक का दायित्व निभाना होता है, उसमें किसी विषय का अध्यापन कार्य अवश्य लिया जाना चाहिए। एकल अध्यापकीय शालाया (Single teacher school) में एक ही अध्यापक को विषयाध्यक्ष कक्षाध्यापक व प्रधानाध्यापक दोनों का दायित्व निभाना होता है। कक्षाध्यापक अपने दायित्व को भली भाँति जब ही निभा सकता है जबकि वह अभिभावकों की भाँति छात्रों से स्नेह व सहानुभूति रखे। एकल अध्यापकीय शाला में मानोर्टिरिंग व्यवस्था एवं छात्रों के बैठने की व्यवस्था में हेर-फेर करना अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विद्यालय अनुशासन में सहायक होता है।

### एक अध्यापकीय विद्यालय में मानोर्टिरिंग व्यवस्था

एक अध्यापकीय शाला में एक ही अध्यापक को कक्षा 1 से 5 तक की सभी कक्षाओं की व्यवस्था करने तथा प्रत्येक छात्र पर व्यक्तिगत ध्यान देने की दृष्टि से उसे प्रत्येक कक्षा में योग्य छात्रों को मानोर्टर तथा सहायक मानोर्टर नियुक्त कर उन्हें कक्षा

के कुछ उत्तरदायित्व सौंपना चाहिए। मॉनीटर यदि निर्वाचित हो तो उचित रहेगा अथवा योग्य छात्रों को चुन कर उन्हें नियुक्त करना चाहिए। ऐसे छान पढ़ने में कुशाग्र बुद्धि के हाने चाहिए तथा उनमें निष्पक्ष भाव से कक्षा को अनुशासित रखने की क्षमता भी हानी चाहिए।

ऐसी शालाओं में एक ही अध्यापक को कक्षा 1 से 5 तक की सभी कक्षाओं को पढ़ाना पड़ता है किंतु एक समय एक कक्षा से अधिक कक्षाओं को पढ़ाना उसके लिए अनम्भव होता है अतः एक अध्यापकीय शाला का समय विभाग चक्र इस प्रकार बनाया जाना है कि जिस कालाश में अध्यापक एक कक्षा को पढ़ाता है तो उस कालाश में अन्य कक्षाओं को मॉनीटर के परिवीक्षण में अन्य कार्य में व्यस्त रखा जाता है जैसे—सुलेख, नकल गिनती बोलना, पी टी पठन, खेल, कार्यानुभव आदि। इस प्रकार के समय-विभाग-चक्र का नमूना पिछले अध्याय में दिया गया है। कुशाग्र बुद्धि का छात्र जो मॉनीटर होता है, वह इन कार्यों में कक्षा को व्यस्त एवं व्यवस्थित रखता है। इसके अतिरिक्त अध्यापक के कुछ कार्य भी मॉनीटर कर सकता है जैसे उपस्थिति अवन, शुल्क वसूली, प्रगति पत्र वितरण, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था, प्रार्थना-सभा के आयोजन में सहायता देना, सफाई का निरीक्षण करना, उद्दण्ड छात्रों पर नियंत्रण रखना, कमजोर व पिछड़े छात्रों को सहायता देना गृह-कार्य सशोधन करना आदि। इस प्रकार मॉनीटर व्यवस्था एक अध्यापकीय शालाओं में काफी उपयोगी सिद्ध हो सकती है।

### छात्रों के बैठने की व्यवस्था के अनुसार हेर-फेर

व्यवस्थापन की दृष्टि से कक्षा में छात्रों के बैठने की व्यवस्था तथा विभिन्न विद्यालयों के अनुसार बैठक व्यवस्था में हेर फेर करना विशेष महत्व रखता है। विशेषतः एक अध्यापकीय शालाओं में कक्षा 1 व 2 की अविभक्त इकाई की कक्षाओं में बैठक-व्यवस्था में हेर-फेर करना अपेक्षित होता है। बैठक व्यवस्था के सम्बन्ध में निम्नान्वित विदुष्यातम्य है—

- (1) छात्रों को अध्यापक के समक्ष सीधी व समानांतर पंक्तियों में इस प्रकार बैठाना जाय कि वे अध्यापक की क्रियाओं तथा श्यामपट्ट का ठीक प्रकार से देख सकें।
- (2) बैठक-व्यवस्था इस प्रकार हो कि वे आते जाते समय अनुविधा वा अनुभव न कर सकें। इसके लिए प्रत्येक छात्र के आसपास पर्याप्त स्थान छोड़ा जाना चाहिए।

- (3) छात्रों को उनके बंद के अनुसार बंटाया जाये। छोटे छात्र तथा दृष्टिदोष व कम सुनने वाले छात्रों को अगली पक्ति में तथा लम्बे बंद वाले पिछली पक्ति में
- (4) कक्षा में फर्नीचर (आसन कुर्सी, स्टूल, बेंच, डेस्क आदि) छात्रों के आयु वर्ग के अनुकूल हो ताकि छात्रों में यत्न आसन (Postures) से बँटने के कारण शारीरिक दोष उत्पन्न न हो।
- (5) बैठक व्यवस्था में हेर फेर निम्नांकित परिस्थितियों में किया जाना वाछनीय है— प्रायोगिक कार्य करते समय, घाद विवाद, अत्याक्षरी, श्रुतिलेख, सावधिक परीक्षा (Test) या परीक्षा प्रोजेक्टर या एपीडायस्कोप द्वारा प्रदर्शनीय वस्तुओं (फिल्म, फिल्मस्ट्रिप चित्र, स्लाइड आदि) का प्रक्षेपण रेडियो या टी वी के प्रसारण तथा मौसम (सर्दों गर्मी-बरसात) के समय बैठक-व्यवस्था में अनुकूल हेर फेर आवश्यक होता है।
- (6) श्याम पट्ट की स्थिति के सम्बन्ध में निम्नांकित बिन्दु ध्यान में रखे जाने चाहिए  
 (क) श्यामपट्ट की स्थिति ऐसी हो जहाँ छात्र उसे सुविधापूर्वक देख सकें,  
 (ख) श्यामपट्ट पर पर्याप्त प्रकाश हो किन्तु उस पर प्रकाश के परावर्तन के कारण चकाचौंध उत्पन्न न हो (ग) श्यामपट्ट लेख सुपाठ्य व सुदूर हो,  
 (घ) लिखते समय कक्षानुशासन पर दृष्टि रखी जाये, (ङ) उसका अनावश्यक प्रयोग न किया जाये।

### स्वानुशासन के विकास में सहायक प्रवृत्तियाँ

स्वानुशासन ही वास्तविक अनुशासन है। अतः कक्षा-कक्ष के प्रतिरिक्त अन्य प्रवृत्तियों या क्रियाकलापों के माध्यम से छात्रों में स्वानुशासन का विकास किया जा सकता है। कुछ प्रवृत्तियाँ स्वानुशासन में विशेष सहायक हो सकती हैं। ये प्रवृत्तियाँ निम्नांकित हैं

- (1) विद्यालय-संसद या छात्र-परिषद (2) विभिन्न क्रियाकलापों (खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम सफाई आदि) की समुचित व्यवस्था हेतु अध्यापक के निर्देशन में निर्मित समितियों के कार्य (3) राष्ट्रीय व सांस्कृतिक पर्वों का आयोजन (4) समाज-सेवा या भ्रमदान की क्रियाएँ (5) खेल कूद प्रतियोगिताएँ, (6) भ्रमण व शैक्षिक यात्राएँ, (7) नाटक व एकांकी का अभिनय आदि।

उपरोक्त क्रियाकलापों द्वारा स्वानुशासन का विकास छात्रों का कोई उत्तरदायित्व सौंपने में ही सम्भव हो पाता है। 'शैक्षिक एवं माध्यमिक शिक्षानय व्यवस्था' प्रश्न में गड एवं हमारा ने कहा है — 'स्वशासन तभी सफल ही सकता है। जब हमें विश्वास है और साथ ही साथ हम यह अनुभव करते हैं कि विद्यार्थियों में भी जिम्मेदारियों को

निभाने की क्षमता है। यदि हम इस विश्वास के साथ कार्य नहीं करते हैं तो हम विद्यार्थियों को जनतन्त्रीय जीवन का अभ्यास नहीं करा सकते। स्वनुशासन स्कूल में सामूहिक जीवन को सुंदर बनाने के लिए बहुत महत्व रखता है और अनुशासन की दृष्टि से इसका बहुत महत्व है।”

### पुरस्कार एवं दण्ड अनुशासन के साधन के रूप में

विद्यालय में अनुशासन बनाये रखने और अनुशासनहीनता को दूर करने के दो साधन या उपाय हो सकते हैं —

- (क) सकारात्मक उपाय — वे हैं जिनसे छात्रों में अनुशासित रहने अथवा स्वानुशासन की भावना जागृत होती है। इन उपायों में विद्यार्थी परिषद्, कक्षा समितियाँ, विभिन्न विषय परिषद्, मॉनीटर या प्रीवेंट पद्धति, हाऊस पद्धति (House-system) शिक्षक अभिभावक परिषद्, खेल कूद, पाठ्यक्रम-सहगामी क्रियाएँ, विद्यालय प्रबंध में छात्रों का सहयोग, नैतिक शिक्षा तथा पुरस्कार प्रमुख हैं।
- (ख) नकारात्मक उपाय — वे हैं जिनके द्वारा छात्रों को अनुशासनहीनता के कार्यों से रोका जा सकता है। इनका आभार भय, आतंक, शक्ति तथा सामाजिक निंदा होता है। इनमें प्रमुख हैं — निंदा, धमकाना, सामाजिक बहिष्कार, पद ह्युत करना, शाला समय के पश्चात् रोक कर काय करवाना, शारीरिक दण्ड, आर्थिक दण्ड (जुर्माना करना), दूसरों के सामने लज्जित करना आदि।

पुरस्कार — पुरस्कार की आवश्यकता एवं महत्व प्रकट करते हुए डा. एस. एस. मायुर का वाक्य है — “शिक्षा में पुरस्कार भी एक शक्तिशाली प्रेरक माना जाता है। यह समझा जाता है कि पुरस्कार मिलने से विद्यार्थी को अधिक सीखने की प्रेरणा मिलती है यदि विद्यार्थी अच्छे व्यवहार करता है या अनुशासित रहता है और इसके लिए जब उसे पुरस्कार मिलता है तो वह और अच्छे व्यवहार की प्रेरणा ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार पुरस्कारों का महत्व अनुशासन रखने में बहुत अधिक है।” किन्तु कभी कभी पुरस्कार देना हानिकारक भी होता है। ऐसी स्थिति तब होती है जब यह दूसरे बालक में द्वेष की भावना उत्पन्न करे, जब पुरस्कार प्राप्त करना ही बालक का लक्ष्य बन जाय और वे बनावटी रूप से उसे प्राप्त करने की चेष्टा करे तथा जब पुरस्कार न प्राप्त करने वाले छात्रों में उदासीनता व अच्छे कार्यों के प्रति रुचि व उपेक्षा का भाव उत्पन्न हो जाय।

अतः पुरस्कार प्रदान करते समय निम्नांकित बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए—

- (1) पुरस्कार किसी विशेष कार्य के लिये देने के स्थान पर सभी कार्यों का सत्र भर



मृत्याकन करने के पश्चात् दिया जाये ।

- (2) व्यक्तिगत रूप की अपेक्षा सामूहिक रूप से (बधा या टीम या हाउस) पुरस्कार दिया जाना श्रेयस्कर होता है ।
- (3) पुरस्कार समय पर तत्काल दिया जाये । विलम्ब कर दन में उमका महत्व कम हो जाता है ।
- (4) पुरस्कारों की संख्या अधिक न हो । सासाय बायों के लिये पुरस्कार न दिये जाये ।
- (5) पुरस्कार पदाथ के रूप में देने की अपेक्षा प्रशंसा या सराहना के प्रमाण पत्र के रूप में दिया जाना उचित है ।

दण्ड — दण्ड अनुशासन का नकारात्मक साधन है । आमाराम शर्मा ने अपनी पुस्तक "विद्यालय सगठन" में कहा है— "शारीरिक अथवा मानसिक कष्ट पहुंचाकर दण्ड दन का उद्देश्य है बालको को अनुचित और अवाछनीय काय करने से रोकना तथा दूसरे छात्रा को यह अनुभव कराना है कि इस प्रकार के अनुचित कार्य करन पर किस प्रकार अपमान अथवा दुःख सहन करना पडता है । यद्यपि दण्ड देने की परंपरा विद्यालयों में प्राचीन काल से चली आ रही है तथापि आधुनिक युग में बाल मनोविज्ञान की दृष्टि से अनेक शिक्षा शास्त्री इसका विरोध करते हैं । इनका कहना है कि दण्ड द्वारा स्थापित अनुशासन अस्थायी होता है इससे बालको में विद्रोह एव असंतोष की भावना उत्पन्न होती है दण्ड का दुष्प्रभाव केवल शरीर तक ही सीमित न रहकर मस्तिष्क का भी विवृत कर देता है, दण्ड के कारण छात्रों में स्कूल से भागने की प्रवृत्ति पैदा होती है इससे अपव्यय एव अवरोधन की समस्या विपन्न हो जाती है तथा बालक निसञ्ज हो जाते हैं ।

अतः दण्ड देने समय निम्नांकित सावधानियां रखनी चाहिए ।

- (1) दण्ड बालको की आयु शारीरिक अवस्था, बुद्धि स्वभाव आदि को दृष्टिगत रखते हुए दिया जाना चाहिए ।
- (2) दण्ड अपराध के अनुकूल तथा उसके अनुपात में देना चाहिए ।
- (3) दण्ड देने के पूर्व अपराध के कारणों की पूरी जानकारी प्राप्त कर तथा चेतावनी देने के पश्चात् ही दिया जाना चाहिए ।
- (4) दण्ड देने में कोई पक्षपात नहीं करना चाहिए ।
- (5) दण्ड केवल सुधार करने के उद्देश्य से दिया जाना चाहिए ।

- (6) इसका उपभोग आवश्यकतानुसार बहुत कम अवसरों पर व कम मात्रा में किया जाना चाहिए ।
- (7) दण्ड देने समय अभिभावक का सहयोग भी लेना चाहिए ।
- (8) दण्ड का निराय छात्रों की निर्मित "अनुशासन समिति" द्वारा किया जाये तो स्वा-  
नुशासन विकसित होता है ।

दण्ड देने सम्बन्धी विभागीय नियम शिक्षा संहिता (Education Code) में दिये हुए हैं जिनका पालन किया जाना चाहिए।

### उपसंहार —

विद्यालय-अनुशासन के उपरोक्त विवेचन से इस निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है कि विद्यालय के सुचारु रूप से संचालन व शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विद्यालय के छात्रों, शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों में स्वानुशासन की भावना को विकसित करने की चेष्टा करना अत्यन्त आवश्यक है। प्रधानाध्यापक विद्यालय अनुशासन एवं विद्यालय में अनुकूल वातावरण बनाने में प्रमुख भूमिका निभाता है। वह विद्यालय के भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक वातावरण को आकर्षक बना सकता है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा प्रकाशित "दस वर्षीय स्कूल शिक्षाक्रम" (Curriculum for the Ten Year School) में विद्यालय-वातावरण के संदर्भ में कहा गया है—“प्रधानाध्यापक विद्यालय वातावरण को आकर्षक बनाने में प्रमुख भूमिका निभाता है। इस वातावरण के दो तत्व होते हैं—भौतिक तथा मनोवैज्ञानिक शाला भवन सामान्य होते हुए भी उसे आकर्षक बनाया जा सकता है। विद्यालय का मनोवैज्ञानिक वातावरण बालक तथा अभिभावक के लिये आकर्षक होना चाहिए जिससे कि विद्यालय के प्रति शाला परिवार के सभी सदस्यों में अवनत्व की भावना विकसित हो सके। प्रधानाध्यापक, शिक्षक छात्र एवं अभिभावक में पूर्ण सद्भाव होना चाहिए।” इस प्रकार विद्यालय के अनुकूल वातावरण से विद्यालय अनुशासन को बनाये रखने में पर्याप्त सहायता मिलती है।

### मूल्यांकन (Evaluation)

(अ) लघूत्तरात्मक प्रश्न - (Short Answer type Questions)

- 1 छात्रों में अनुशासन बढ़ाने के लिए पाँच उपाय लिखिये। (बी एड 1983)
- 2 विद्यालय में अनुशासन सुधारने हेतु पाँच क्रियाएँ लिखिये। (बी एड, 1984)

- 3, आपकी कक्षा से भाग जाने वाले छात्रों के सम्बन्ध में आप क्या अनुशासनिक उपाय अपनायेगे ? (बी एड 1979)
- 4 पुरस्कार और दण्ड विद्यार्थियों में व्यवहार में सुधार हेतु किस प्रकार लाभदायक है?
- 5 स्वानुशासन के विकास हेतु कौन कौनसी सहायक प्रवृत्तियाँ आयोजन करनी चाहिए।
- 6 विद्यालय में शारीरिक दण्ड के विरोध में पाँच तर्क प्रस्तुत करें।
- 7 स्वशासन से क्या तात्पर्य है ? स्वशासन कितने प्रकार का हो सकता है ?

(ब) निबन्धात्मक प्रश्न— (essay type Questions)

- 1 छात्र अनुशासनहीनता क क्या भ्रम है ? निम्नविद्यार्थियों में छात्र अनुशासनहीनता कम करने के सुझाव दीजिए। (बी एड 1984)
- 2 अनुशासन की प्राचीन एवं नवीन अवधारणाओं में अन्तर बतलाइए। विद्यालय प्रवृत्तियों द्वारा इसे कैसे विकसित किया जा सकता है। (बी एड पत्राचार 1984)
- 3 हमारे विद्यालय में छात्रों में स्वानुशासन का विभाग बनाने के लिए कुछ व्यवहारिक सुझाव दीजिए। (बी एड 1982)
- 4 "हमारे स्कूलों में अधिकांशतः छात्रों में आरम्भ-अनुशासन अर्थात् अनुशासनपूर्ण व्यवहार का अभाव पाया जाता है। यहाँ अनुशासन का मात्र प्रदर्शन ही होता है।" इस कथन की व्याख्या करे अनुशासन स्थापित करने के सकारात्मक व नकारात्मक साधनों के प्रसंग में व्याख्या कीजिए।
- 5 दण्ड देने के समय किन-किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए ? दण्ड देने के विद्यार्थियों का उत्प्रेषण कीजिए।

## विद्यालय के भौतिक ससाधन

(Building & equipment)

[ विषय प्रवेश, विद्यालय के भौतिक ससाधन (1) विद्यालय की स्थिति, विद्यालय भवन, (3) फर्नीचर, (4) प्रयोगशाला, (5) पुस्तकालय एवं वाचनालय, (6) कार्यालय, (7) खेल के मैदान, (8) शिक्षण सहायक सामग्री, (9) अन्य ससाधन विद्यालय के मानवीय एवं भौतिक ससाधनों का प्रभावी समन्वय एवं संचालन उपसंहार, परीक्षोपयोगी प्रश्न ]

विषय प्रवेश —

विद्यालय के मानसिक ससाधना का महत्व एवं उनके अंत सम्बन्धों से हम पूव अध्याय में अवगत हो चुके हैं। विद्यालय के ये मानवीय ससाधन—प्रधानाध्यापक, अध्यापक विद्यार्थी, अन्य कमचारी एवं अभिभावक यद्यपि विद्यालय के शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथापि विद्यालय के भौतिक ससाधनों के अभाव में ये मानवीय ससाधन स्वयं को जसहाय, असमर्थ एवं निष्प्रभावी समझते हैं। विद्यालय के भौतिक ससाधन — भवन, खेल के मैदान, पुस्तकालय—वाचनालय, कार्यालय, शिक्षण—सहायक सामग्री आदि—ही विद्यालय में वे सुविधाएँ उपलब्ध कराते हैं तथा वह वातावरण निर्मित करते हैं जिनके माध्यम से मानवीय ससाधन क्रियाशील एवं प्रभावी होते हैं। बिना यूनतम आवश्यक भौतिक ससाधनों के विद्यालय के शैक्षिक एवं सह-शैक्षिक क्रियाकलाप सुचारू रूप से सम्पन्न नहीं हो सकते। प्रस्तुत अध्याय में इन्हीं आवश्यक भौतिक ससाधनों का विवेचन किया जायेगा।

### विद्यालय के भौतिक ससाधन

विद्यालय की स्थिति —

विद्यालय की स्थिति से तात्पर्य विद्यालय भवन हेतु उपयुक्त स्थल, भूमि एवं वातावरण के चुनाव से है। शिक्षाविद् विलियम येजर (William yeager) का कथन है—  
“समस्त शैक्षिक कार्यक्रमों में आवश्यक वातावरण की अपेक्षा अन्य कोई सत्व इतना प्रभावी नहीं होता जो विद्यालय में सहकारिता की अभिवृत्ति तथा विद्यालय के प्रति प्रेम विकसित कर सके।” विद्यालय की स्थिति वह अनुकूल वातावरण प्रस्तुत करता है जिसमें शिदाक तथा शिष्यार्थी शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में सुविधापूर्वक संलग्न रह सकते हैं।”

“शक्षिक एव माध्यमिक शिक्षालय व्यवस्था” ग्रथ में डी एन गंड तथा धारपी शर्मा ने विद्यालय भवन की स्थिति के विषय में अपना मत प्रकट करते हुए कहा है —

“स्कूल की इमारत के लिए जगह चुनते समय यह ध्यान रखा जाये कि बिन परिस्थितियां म बालकों को भौतिक सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं और स्कूल में स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा वातावरण प्रस्तुत किया जा सकता है।” अतः विद्यालय-भवन के लिए उपयुक्त स्थान एवं भूमि के चुनाव हेतु आवश्यक बातों को धृष्टिगत रखना आवश्यक है।

## विद्यालय-भवन की स्थिति के चुनाव हेतु ध्यातव्य बिंदु

य बिंदु निम्नांकित हैं —

- (1) स्थान — विद्यालय भवन का स्थान गाँव या नगर की आवादी से कुछ दूर हटकर होना चाहिए जो बच्चों के लिये आने जान में दूर भी न हो तथा जिस पर आवादी के कोलाहल, शोरगुल तथा प्रदूषण (धूल, धुएँ, गंदगी आदि) का दुष्प्रभाव भी न पड़े।
- (2) स्वास्थ्यप्रद और आकषक पर्यावरण — भवन स्थल ऐसे स्थान पर हो जहाँ शुद्ध वायु प्रवाह एवं जल उपलब्ध हो सके तथा उसका निकटवर्ती पर्यावरण हरे भरे वृक्षा एवं मनोहारी प्राकृतिक दृश्य के कारण आकषक एवं स्वास्थ्यप्रद हो।
- (3) भूमि — शाला-भवन के स्थान की भूमि क्षारीय, नम, दलदलीय, बालूमय पोली तथा गंदे नदी नाले के पास न हो। भूमि ऊँची हो जहाँ वर्षा का पानी न रुकता हो। भूमि उपजाऊ तथा दीमक जैसे किटाणुघा से रहित हो ताकि विद्यालय वाटिका या कृषि उद्योग के कार्य में बाधा न पहुँचे। भूमि समतल हो ताकि भवन व खेल के मैदान बनाने में असुविधा न हो।
- (4) क्षेत्रफल — भूमि का क्षेत्रफल शाला-भवन छात्रावास खेल के मैदान, वाटिका कृषि कार्य मूनालय शौचालय प्रयोगशाला कार्यशाला (Workshop) आदि का प्राधान्य करने के लिए पर्याप्त हो। यथा सम्भव भविष्य में छात्र-संख्या में वृद्धि के कारण भवन विस्तार की सम्भावनाओं की पूर्ति करने हेतु भी उस भूमि में प्राविधान रखा जाना चाहिए।
- (5) दुर्घटना से सुरक्षित — शाला भवन हेतु भूमि सड़क के पास तो हो जिससे छात्रों के आवागमन में सुविधा हो किंतु वह इतना समीप न हो कि सड़क के

यातायात के शोरगुल से प्रभावित रहे तथा सड़कें दुधटनाओं की आशकां बनीं रहे। दुधटनाओं से सुरक्षा की दृष्टि से इस भूमि के पास कोई नदी, नाला, रेल की पटरी, खुला कुआं, बावड़ी, ज्वलनशील सूखी घास, सड़क की टाल आदि न हों।

(6) अवांछनीय स्थलों से दूरी — शाला भवन की भूमि के निकट असांमाजिक और अवांछनीय स्थल जैसे — श्मशान भूमि, कब्रिस्तान, जुआघर मदिरालय, सिनेमागृह, फैक्ट्रियां, मित, आदि न हों।

(7) जल — शाला भूमि के निकट शुद्ध और मीठे जल का स्रोत हों जो सुरक्षित हो। रेगिस्तानी क्षेत्रों में शाला प्रांगणों में ढकों द्वारा जल-भण्डार हेतु टाका होना आवश्यक है।

## [2] विद्यालय भवन

विद्यालय हेतु उपयुक्त स्थलों के चुनाव के पश्चात् वहां शिक्षा स्तर (प्राथमिक या उच्च प्राथमिक स्तर) के अनुकूल ऐसी शाला भवन के निर्माण की आवश्यकता है जो उपयुक्त हों। वर्तमान में शाला भवनों की स्थिति के सम्बन्ध में कोठारी शिक्षा आयोग के शब्द उल्लेखनीय हैं — 'स्वामी इमारतों की वर्तमान अवस्था अति असन्तोषजनक है। प्राथमिक स्तर पर केवल 30 प्रतिशत स्कूलों के लिए सन्तोषप्रद भवनों की व्यवस्था होना कहा जाता है।' राजस्थान में अविवाश प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय भवनों की स्थिति असन्तोषजनक है। ग्रामीण क्षेत्रों में भू पे या छप्पर वाले एक कमरे में तथा नगरीय क्षेत्रों में किराये के अनुपयुक्त पुराने व जर्जर भवनों में अनेक विद्यालय चल रहे हैं जो शिक्षा स्तर एवं छात्रों व अभिभावकों के मनोबल को गिराने के लिए उत्तरदायी है। अतः विद्यालय भवन के निर्माण हेतु उपयुक्त योजना बनाई जाना वांछनीय है जो न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करे तथा जिससे भवन निर्माण की लागत भी कम प्राये।

## विद्यालय भवन निर्माण सम्बन्धी ध्यातव्य बिन्दु निर्धारित हैं —


- (1) भवन निर्माण से पूर्व किसी योग्य इंजीनियर तथा कला विशेषज्ञ (Architect) की सलाह से भवन का मानचित्र (Blue Print) बनाया जाना आवश्यक है। भवन की लागत कम लाने की दृष्टि से कोठारी शिक्षा आयोग ने रुडकी के "केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान" तथा "भारतीय मानक संस्था" द्वारा प्रस्तुत शाला भवनों के प्राणियों के आधार पर भवन-निर्माण की अभिप्रायें हैं।

- (2) शाला-भवन एक मजिल का ही ताकि बच्चों को कोई असुविधा न हो। भवन में दोनो और वरानदे हो ताकि प्रत्येक ऋतु में सुविधा रहे।
- (3) कक्षा-कक्षों (कमरा) में शुद्ध वायु के आने और अशुद्ध वायु के निष्कासन तथा प्रकाश के आने हेतु पर्याप्त दरवाजे, लिडक्रिया तथा रोशनदान (Ventilators) होने चाहिये।
- (4) भवन में सभी कक्षाया व विषय-विशेष के कक्षों, कार्यालय, पुस्तकालय, वाचनालय, प्रयोगशाला, भण्डार-गृह, वायुशाला, शौचालय, मूत्रालय, सभा-भवन आदि का प्रावधान रखा जाना चाहिए।
- (5) भवन का घरातल बाहर की भूमि के घरातल से ऊँचा रहे।
- (6) सभी कमरों की ऊँचाई कम से कम 15 फीट हो, कक्षा-कक्ष का क्षेत्रफल 400 से 600 वर्ग फीट हो, सभा-भवन (Hall) का क्षेत्रफल 1000 वर्गफीट, कार्यालय 360 वर्ग फी, पुस्तकालय-वाचनालय 800 वर्ग फी, भण्डार गृह 400 वर्ग फी जल-गृह 300 वर्ग फी व मूत्रालय-शौचालय प्रत्येक 20 वर्ग फी हो।
- (7) शाला-प्राणण में खेल के भवन दो (एक छोटा व एक बड़ा) वाटिका 1000 वर्ग फी क्षेत्रफल की तथा चार दीवारी चारो ओर 4 फी ऊँची व 1½ फी चौड़ी एवं पक्की होनी चाहिए।
- (8) शाला-भवन का मुख्य-द्वार दक्षिण या पूर्व की ओर होना चाहिए ताकि वायु व प्रकाश पर्याप्त मात्रा में मिले।
- (9) कक्ष व हॉल के दरवाजे बरामदे में खुलने चाहिए लिडक्रिया ग्रामने-पामने हों तथा फ्लोर से 1½ फी की ऊँचाई पर हो। सभी कमरों में फ्लोर से 4फी ऊँचाई तक काले या गहरे रंग की पुताई हो फ्लोर सीमट पत्थर या ईंट का हो। दीवार पर श्यामपट्ट पर्याप्त लंबे व चौड़े तथा छात्रों की आयु वर्ग के अनुसार ऊँचे बनव देना उपयुक्त रहता है। अध्यापक के बैठने का स्थान फ्लोर से कुछ ऊँचा प्लेट-फॉर्म पर ही होना चाहिए।
- (10) विद्यालय भवन की आकृति — विद्यालय-भवन की आकृति बंद शली व अपेक्षा खुली शली की आकृति अब उपयुक्त मानी जाती है। खुली शली शाला-भवन की आकृतियाँ अंग्रेजी के निम्नांकित अक्षरों के आकार में होती है —


### I T, U E तथा H

इनमें E आकृति का भवन सर्वोत्तम माना जाता है। अगले पृष्ठ पर उपरोक्त आकृतियों के भवनों के रेखाचित्र दिये जा रहे हैं जिनमें क=कक्षा ह=हॉल व=पुस्तकालय, ब=बरामदा आदि संकेतों से दर्शाये गये हैं —


'I' आकृति के भवन




'II' आकृति के भवन




'III' आकृति के भवन



'IV' आकृति के भवन



'V' आकृति के भवन





### [3] फर्नीचर

विद्यालय के फर्नीचर के विषय में पी सी रैन (P, C wren) का कथन है ' शिक्षार्थियों के शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक विकास में फर्नीचर एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि अनुपयुक्त डेस्कें हो या डेस्कें की जगह बेंचों का प्रयोग किया जाय तो रीढ़ की हड्डी का टेडा होना, सीना घुका होना, बर्षों का गोल होना, दृष्टि दाप होना प्रादि शारीरिक दोष उत्पन्न हो जाते हैं, खराब अनुशासन चिह्नचिहान, असंतोष तथा असुविधा जैसे नैतिक दोष हो जाते हैं तथा शारीरिक असुविधा के कारण अनवरत अवधान बनाये रखने में असमर्थता जैसे मानसिक दोष हो जाते हैं " फर्नीचर का बालक की आयु वय तथा काय की प्रवृत्ति के अनुसार सुविधाजनक होना अत्यन्त आवश्यक है अन्यथा आसन (Postures) सम्बन्धी अनब दोष उत्पन्न हो जाते हैं जिनका मन और मस्तिष्क पर विपरीत प्रभाव पडता है। इसके अतिरिक्त उपयोग की दृष्टि एवं सुरक्षा के लिए कुछ विशिष्ट प्रकार के फर्नीचर की आवश्यकता होती है। फर्नीचर के प्रन्तर्गत छात्रों के बैठने व लिखने पढ़ने के काम हेतु उपयुक्त आसन, बचे, कुमिया डेस्कें तथा चीजों की सुरक्षा हेतु अलमारियाँ प्रदर्शन पेडिया (Show Cases), मेजे, स्टूल वगैरे प्रयोग तथा उद्योग का विशेष मेजों की अपेक्षा होती है।

फर्नीचर के विषय में निम्नांकित बातों का ध्यान रखा जाना वाञ्छनीय है -

- (1) छात्रों की आयु तथा शारीरिक विकास के अनुकूल बठने व लिखने पढ़ने का फर्नीचर होना चाहिए।
- (2) बैठने की गैँचों व स्टूलों के पीछे छात्रों को सहारे की व्यवस्था होनी चाहिए। सीट सुविधाजनक हो।
- (3) गैँचों व स्टूलों की ऊँचाई इतनी हो कि जमीन पर पैर टिकाने समय छात्रों के घुटने समकोण बनाते हुए झुके तथा डेस्कें की ऊँचाई छात्रों के सीने तक हो व घरातल से उनका झुकाव  $15^\circ$  के कोण का रहे।
- (4) फर्नीचर को वक्षा में इस प्रकार लगाया जाये कि सभी छात्रों के लिए वह पर्याप्त हो तथा उन्हें आने जाने में उससे कोई असुविधा न हो। अतः उसे कुछ पत्तियों में विभक्त कर कुछ दूर दूर रखा जाये।
- (5) अथ आवश्यक फर्नीचर उपयोग के अनुकूल हो।
- (6) फर्नीचर के प्रय करने समय उनके स्तर, क्तिफायत तथा टिकाऊपन पर ध्यान रखा जाये।
- (7) फर्नीचर के रख रखाव, सुरक्षा सफाई, रंग रोगन तथा सत्यापन हेतु विद्यालय का नाम व सत्या सकेताशरी में लिखने का ध्यान रखा जाये।

#### [4] प्रयोगशाला — (Laboratory)

प्रयोगशाला विज्ञान-विषयो के विभिन्न प्रयोगों के करने तथा सम्बन्धित सामग्री के रख रखाव हेतु एक विशेष कक्ष होता है। यद्यपि वर्तमान में बहुत कम प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में इसका प्रावधान रखा जाता है तथापि अब 10+2 शिक्षा योजना के अन्तर्गत विज्ञान शिक्षण पर विशेष बल दिये जाने के कारण कम से कम उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तो एक प्रयोगशाला का प्रावधान रखा जाना अत्यन्त आवश्यक है। प्रयोगशाला के अभाव में विज्ञान-शिक्षण को प्रभावी नहीं बनाया जा सकता। कदा म ही विभिन्न उपकरणों को लाने-लेजाने में व्यर्थ समय नष्ट होता है तथा समान के टूटने व फूटने की आशंका भी रहती है। दिनेशचन्द्र भारद्वाज के शब्दों में— 'विज्ञान का शिक्षण केवल पुस्तकों के आगार पर ही नहीं किया जा सकता, वैज्ञानिक सिद्धांतों को कपीटी पर बसने के लिये हमें प्रयोग का ही सहारा लेना पड़ता है। छात्र किसी भी बात को जितनी शीघ्रता से प्रयोगों के माध्यम से समझ जाते हैं उतने और किसी माध्यम से नहीं। इस प्रकार हम देखते हैं कि विज्ञान शिक्षण में प्रयोगशाला का अपना विशेष महत्त्व है।'

**प्रयोगशाला की साज सज्जा** - प्रयोगशाला कक्ष लगभग 30 छात्रों के एक साथ प्रयोग करने हेतु पर्याप्त होनी चाहिए। इसका माप 45' × 25' हो तथा उससे सलग्न 25' × 16' का एक भण्डार गृह (Store room) तथा एक और छोटा सा अंधेरा-कक्ष (Dark Room) भी विशेष प्रयोग हेतु होना चाहिए। प्रयोगशाला में शीशे लगी घलमारियों में विभिन्न वैज्ञानिक उपकरण व रसायन व्यवस्थित रूप से रखे जाने चाहिए। विपरीत एवं विस्फोटक पदार्थ विशेष सावधानी से रक्ते जायें। प्रयोगशाला की दीवारों पर वैज्ञानिक चाट, रेखाचित्र, चित्र आदि प्रदर्शित किये जायें तथा प्रदर्शन-पेकिट्स (Show cases) में मॉडल्स तथा बनस्पति एवं प्राणी शास्त्र सम्बन्धी नमूने (Specimens) रखे जा सकते हैं। प्रयोगशाला की मेज का माप 6' × 4' व ऊँचाई छात्रों के बदन के अनुकूल हो। ऐसी लगभग सात मेजे हो जिनमें प्रत्येक पर 4 छात्र प्रयोग कर सकें। मेज के बीच में विभिन्न रसायन शैल्स (Shelves) म रक्ते जायें। मेज के मध्य में पानी का सिंक (Sink) हो जिसमें नल लगा हो। मेज पर प्रयोग हेतु स्प्रिट-लैंप घसबवा गैस बरत हो। छात्रों के बैठने हेतु ऊँचे स्टूल हो। प्रयोगशाला में प्रकाश, जल व शुद्ध वायु की उचित व्यवस्था हो तथा फल पत्रिका, चित्रना टालू हो। इस कक्ष में एक श्याम-पट्ट व एक प्रदर्शन-पट्ट (Display Board) हो जिन पर प्रयोग हेतु छात्रों की सूचनाएँ विशेष सामग्री प्रदर्शित रहे।

### [3] फर्नीचर

विद्यालय के फर्नीचर के विषय में पी सी रैन (P.C. wren) का कथन है 'शिक्षाविदों के शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक विकास में फर्नीचर एक अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि अनुपयुक्त डेस्कें हो या डेस्कें की जगह बेंचों का प्रयोग किया जाय तो रीढ़ की हड्डी का टेढ़ा होना, सीना सिकड़ा होना, कंधों का गोल होना, दृष्टि दाय होना भावि शारीरिक दोष उत्पन्न हो जाते हैं, सराब अनुशासन चिढचिढापन, असतय तथा असुविधा जैसे नैतिक दोष हो जाते हैं तथा शारीरिक असुविधा के कारण मनवरत अवधान बनाये रखने में असमर्थता जैसे मानसिक दोष हो जाते हैं" फर्नीचर का बालक की आयु वय तथा काय की प्रवृत्ति के अनुसार सुविधाजनक होना अत्यन्त आवश्यक है अन्यथा आसन (Postures) सम्बन्धी अनक दोष उत्पन्न हो जाते हैं जिनका मन और मस्तिष्क पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसके प्रतिरिक्त उपयोग की दृष्टि एवं सुरक्षा के लिए कुछ विशिष्ट प्रकार के फर्नीचर की आवश्यकता होती है। फर्नीचर के अन्तर्गत छात्रों के बैठने व लिखने पढ़ने के काय हेतु उपयुक्त आसन, बचे, कुर्नियाँ डेस्कें तथा बीजो की सुरक्षा हेतु अलमारियाँ प्रदर्शन पेटियाँ (Show Cases), मेजे, स्टूल वगैरे प्रयोग तथा उद्योग का विशेष मेजों की अपेक्षा होती है।

फर्नीचर के विषय में निम्नांकित बातों का ध्यान रखा जाना वाछनीय है -

- (1) छात्रों की आयु तथा शारीरिक विकास के अनुकूल बैठने व लिखने पढ़ने का फर्नीचर होना चाहिए।
- (2) बैठने की बेंचों व स्टूलों के पीछे छात्रों को सहारे की व्यवस्था होनी चाहिए। सीट सुविधाजनक हो।
- (3) बेंचों व स्टूलों की ऊँचाई इतनी हो कि जमीन पर पैर टिकाने समय छात्रों के घुटने समकोण बनाते हुए झुके तथा डेस्कें की ऊँचाई छात्रों के सीने तक हो व परात्तल से उनका झुकाव  $15^\circ$  के कोण का रहे।
- (4) फर्नीचर को वक्षा में इस प्रकार लगाया जाये कि सभी छात्रों के लिए वह पर्याप्त हो तथा उन्हें आने जाने में उससे कोई असुविधा न हो। अतः उस कुछ पत्तियों में विभक्त कर कुछ दूर दूर रखा जाये।
- (5) अय आवश्यक फर्नीचर उपयोग के अनुकूल हो।
- (6) फर्नीचर के त्रय करते समय उनके स्तर, किफायत तथा टिकाऊपन पर ध्यान रखा जाये।
- (7) फर्नीचर के रख रखाव, सुरक्षा सफाई, रंग रोगन तथा सत्वापन हेतु विद्यालय का नाम व सख्या संकेताश्रयी में लिखने का ध्यान रखा जाये।

#### [4] प्रयोगशाला — (Laboratory)

प्रयोगशाला विज्ञान-विषयो के विभिन्न प्रयोगों के करने तथा सम्बन्धित सामग्रियों के रख रखाव हेतु एक विशेष कक्ष होता है। यद्यपि वर्तमान में बहुत कम प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में इसका प्रावधान रखा जाता है तथापि अब 10+2 शिक्षा योजना के अन्तर्गत विज्ञान शिक्षण पर विशेष बल दिये जाने के कारण कम से कम उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तो एक प्रयोगशाला का प्रावधान रखा जाना अत्यन्त आवश्यक है। प्रयोगशाला के अभाव में विज्ञान-शिक्षण को प्रभावी नहीं बनाया जा सकता। कक्षा में ही विभिन्न उपकरणों को लाने-लेजाने में व्यर्थ समय नष्ट होता है तथा समान के टूटने व फूटने की आशंका भी रहती है। दिनेशचन्द्र भारद्वाज के शब्दों में— 'विज्ञान का शिक्षण केवल पुस्तकों के आधार पर ही नहीं किया जा सकता, वैज्ञानिक सिद्धांतों को कपीटी पर कसने के लिये हमें प्रयोग का ही सहारा लेना पड़ता है। छात्र किसी भी बात को जितनी शीघ्रता से प्रयोगों के माध्यम से समझ जाते हैं उतने और किसी माध्यम से नहीं। इस प्रकार हम देखते हैं कि विज्ञान शिक्षण में प्रयोगशाला का अपना विशेष महत्त्व है।'

**प्रयोगशाला की साज सज्जा** - प्रयोगशाला कक्ष लगभग 30 छात्रों के एक साथ प्रयोग करने हेतु पर्याप्त होनी चाहिए। इसका माप 45' × 25' हो तथा उससे सलग्न 25' × 16' का एक भण्डार गृह (Store room) तथा एक ओर छोटा सा अंधेरा-कक्ष (Dark Room) भी विशेष प्रयोग हेतु होना चाहिए। प्रयोगशाला में शीशे लगी घलमारियों में विभिन्न वैज्ञानिक उपकरण व रसायन व्यवस्थित रूप से रखे जाने चाहिए। विपैले एवं विस्फोटक पदार्थ विशेष सावधानी से रखे जायें। प्रयोगशाला की दीवारों पर वैज्ञानिक वाट, रेखाचित्र, चित्र आदि प्रदर्शित किये जायें तथा प्रदर्शन-पेविकाया (Show cases) में माडलस तथा वनस्पति एवं प्राणी शास्त्र सम्बन्धी नमूने (Specimens) रखे जा सकते हैं। प्रयोगशाला की मेज का माप 6' × 4' व ऊँचाई छात्रों के कंधे के अनुकूल ही। ऐसी लगभग सात मेजे हो जिनमें प्रत्येक पर 4 छात्र प्रयोग कर सकें। मेज के बीच में विभिन्न रसायन शैल्स (Shelves) में रखे जायें। मेज के मध्य में पानी का सिंक (Sink) हो जिसमें नल लगा हो। मेज पर प्रयोग हेतु स्ट्रिट-लैंप घयवा गैस घनर हो। छात्रों के बैठने हेतु ऊँचे स्टूल हो। प्रयोगशाला में प्रकाश, जल व शुद्ध वायु की उचित व्यवस्था हो तथा फल पक्का, चिकना ढालू हो। इस कक्ष में एक श्याम-पट्ट व एक प्रदर्शन-पट्ट (Display Board) हो जिन पर प्रयोग हेतु छात्रों की सूचनाय विशेष सामग्री प्रदर्शित रहे।

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शालाओं में विज्ञान-शिक्षण हेतु विभिन्न विधियों एवं आवश्यक सामग्री की सूचना व परामर्श राजस्थान राज्य विज्ञान संस्थान (State Institut of Science), उदयपुर से प्राप्त किये जाने चाहिए। इस संस्थान ने विज्ञान शिक्षण हेतु उपकरणों का एक किट (Kit) भी तैयार किया है जो प्राप्त किया जा सकता है। प्रयोग शाला के सामान के रख-रखाव व सुरक्षा का पूरा ध्यान विज्ञान-शिक्षक तथा प्रयोगशाला सहायक को रखना चाहिए।

### [5] पुस्तकालय व वाचनालय (Library & Reading Room)

प्रायः प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पुस्तकालय व वाचनालय का कोई प्रावधान या उचित व्यवस्था नहीं की जाती। यह अनुचित है। डा. एस.एस. माथुर ने पुस्तकालय के प्रयोजन को स्पष्ट करते हुए कहा है कि — “पुस्तकालय का मुख्य प्रयोजन यह है कि वह अधिक से अधिक विद्यार्थियों में अध्ययन की रुचि का विकास करे। जब विद्यार्थियों में अध्ययन की रुचि विकसित हो जाती है तो वे अच्छी-बुरी पुस्तक और पत्रिकाओं को पढ़ने लगते हैं, जिसके कारण उनका बौद्धिक विकास होता रहता है। पुस्तकालय का यह भी यह प्रयोजन है कि इसके द्वारा विद्यार्थियों को अपन अवकाश का सदुपयोग करना आ जाये। वे अवकाश के समय अच्छी पुस्तकें पढ़ें और इस प्रकार अपना अमूल्य समय नष्ट न करके उसे अपने बौद्धिक विकास के लिये उपयोग कर। पुस्तकालय द्वारा विद्यार्थियों की अनेक समस्याओं तथा प्रश्नों के उत्तर ढूँढ निकाले जा सकते हैं।” इस प्रकार पुस्तकालय तथा वाचनालय की आवश्यकता एवं महत्व उसके प्रयोजन में निहित है।

पुस्तकालय व वाचनालय की व्यवस्था — इस सन्दर्भ में निम्नांकित बिन्दु उल्लेखनीय

- (1) कक्षा — बहुधा पुस्तकालय व वाचनालय का एक ही कक्षा कुछ विद्यालयों में होता है। पुस्तकें एवं समाचार पत्रों को पढ़ने के लिए एक पृथक् कक्षा होना आवश्यक है। इसके अभाव में छात्रों को पुस्तकें व समाचार पत्र चुनकर पढ़ने तथा उन्हें अध्ययन हेतु लेने में असुविधा होती है। पुस्तकालय व वाचनालय का कक्षा इतना बड़ा होना चाहिये कि उसमें पुस्तकें की अलमारियाँ, समाचार-पत्रों के अध्ययन हेतु बटी मेज व छात्रों के बैठने का फर्नीचर तथा पुस्तकालय प्रभारी अध्यापक या लिपिक के लिए पर्याप्त स्थान हो। इस कक्षा में एक समय पर 20-40 छात्रों का बैठकर पढ़ने की व्यवस्था हो ताकि रिक्त कालांतर अथवा पुस्तकालय कालांतर में एक कक्षा के विद्यार्थी उसका उपयोग कर सकें। इस कक्षा में शुद्ध वायु, प्रकाश व जल की व्यवस्था होनी चाहिए।

- (2) पुस्तकें व समाचार पत्रों का चयन—प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों

मे कक्षा एव आयु वग की अभिवृत्ति योग्यता एव पठन क्षमता के अनुसार विभिन्न विषयों की उपयोगी पुस्तकें एव समाचार पत्रों का विवेकपूर्ण चयन किया जाना चाहिए। शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा स्तर के अनुकूल विद्यालयों के लिए उपयुक्त पुस्तकों व समाचार-पत्रों को भ्रय करने हेतु अभिषिक्त किया जाता है। यह कार्य प्राथमिक एव माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान के बीकानेर स्थित निदेशक के कार्यालय में उपनिदेशक (समाज-शिक्षा) द्वारा किया जाता है। अतः विभाग प्रसारित सूची का अवलोकन कर चयन किया जा सकता है।

(3) व्यवस्था—पुस्तकालय व वाचनालय की समुचित व्यवस्था हेतु कम से कम उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तो एक पुस्तकालयाध्यक्ष (Librarian) अथवा प्रभारी अध्यापक की व्यवस्था होनी चाहिए। पुस्तकालयाध्यक्ष या प्रभारी का अनुभवी, रुचि शील एव विद्यार्थियों को स्वाध्याय हेतु उत्प्रेरित करनेकी क्षमता सम्पन्न होना बाध्यकारी है। डा० एस० एस० माथुर का यह कथन सत्य है—“पुस्तकालय अध्यक्ष विद्यार्थियों को अध्ययन करने के सम्बन्ध में उचित परामर्श दे सकता है तथा उन्हें प्रोत्साहित कर सकता है कि वे अच्छी पुस्तकें पढ़ें। यदि अध्यक्ष अपने उत्तरदायित्व को ठीक ढंग से निभाये तो पुस्तकालय विद्यालय की समस्त क्रियाओं का केन्द्र बन सकता है।”

(4) कक्षा पुस्तकालय (Class Library) कक्षा स्तर के अनुकूल पुस्तकों का चयन कर उन्हें सम्बंधित कक्षा अध्यापकों को दिया जाना छात्रों के लाभाय दिया जाना चाहिए। ये पुस्तकें कक्षा-कक्ष में अलमारी में रखकर कक्षा-पुस्तकालय के रूप में प्रयुक्त की जा सकती हैं।

(5) विषय-पुस्तकालय (Subject Library)—उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कुछ विषयों—जैसे विज्ञान, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान आदि—की पुस्तकें पृथक विषय पुस्तकालय के रूप में विषयाध्यापकों के प्रभार में रखी जा सकती हैं। विषयाध्यापक इन पुस्तकों में से पढ़ने हेतु छात्रों को परामर्श दे सकता है।

इस प्रकार पुस्तकालय एव वाचनालय को न केवल स्वाध्याय एव अवकाश के समय के सदुपयोग हेतु प्रयुक्त किया जाना चाहिए बल्कि इसका प्रयोग उन्नत शिक्षण-विधियों (जैसे परिबीक्षित अध्ययन, प्रायोजना-विधि, विचार-विमर्श विधि आदि) हेतु भी किया जाना चाहिए।

6] कार्यालय (Office)—प्रधानाध्यापक के कक्ष के निकट ही विद्यालय का कार्यालय होना चाहिए जिसमें लिपिक अथवा प्रभारी अध्यापक के बैठने की पृथक व्यवस्था

होनी चाहिए। कार्यालय में अभिलेखों (पत्रिकाओं व पत्रावलिओं की सुरक्षा हेतु अलमारियों एवं अन्य आवश्यक फर्नीचर (कुर्सी, मेज, रैक, लेखन-सामग्री आदि) की व्यवस्था होनी चाहिए।

[7] खेल का मैदान— शिक्षा का लक्ष्य बालक का सर्वांगीण विकास करना होता है। बालक के शारीरिक विकास में खेल-कूद का विशेष महत्व है। इस प्रवृत्ति में सहायक भौतिक ससाधनों में खेल के मैदान प्रमुख हैं। प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के पास प्रायः खेल के मैदानों का अभाव रहता है। इस अभाव की पूर्ति जन-सहयोग या स्थानीय स्वायत्त शासन सस्थाओं के माध्यम से किया जाना आवश्यक है। खेल के मैदान कम से कम एक छोटा और एक बड़ा प्रत्येक विद्यालय में होना चाहिए जहाँ कबड्डी, खो-खो, बॉलीबॉल, फुटबॉल आदि के खेल एक निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार प्रत्येक छात्र को उसकी रुचि के अनुकूल उपलब्ध हो सके। खेल के मैदान को समतल बनाने तथा उसे खेल के नियमानुसार व्यवस्थित रखने का कार्य पी. टी. आई. के निर्देशन में किया जाना चाहिए खेलों में प्रयुक्त सामग्री भी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए जो आवश्यकता अनुसार भण्डार प्रभारी द्वारा छात्रों को दी जानी चाहिए।

[8] शिक्षण सहायक सामग्री (Teaching Aids) — शिक्षण को प्रभावी बनाने में जहाँ मातृवीक्ष सहायक अर्थात् शिक्षक का स्थान तो सर्वोपरि है ही किन्तु शिक्षण प्रक्रिया को सुबोध, रोचक एवं विचार प्रेरक बनाने में भौतिक ससाधन अर्थात् शिक्षण-सहायक सामग्री का प्रयोग भी उतना ही महत्वपूर्ण है। शिक्षण-सहायक सामग्री के अतगत न्यूनतम आवश्यक वस्तुओं के रूप में निम्नांकित प्रमुख हैं —

(1) श्याम पट्ट, (2) चित्र, (3) रेखा-चित्र या चाटस, (4) मानचित्र, (5) ग्लोब, (6) विभिन्न विषयों से सम्बन्धित उपकरण जैसे विज्ञान में प्रयोग हेतु उपकरण (टैस्ट ट्यूब, प्लास्क बरर, स्टैंड; थर्मामीटर बरोमीटर, सूक्ष्म दशक यंत्र दूर दशन यंत्र, विभिन्न रसायन-आदि), भूगोल में सम्बन्धित उपकरण (जैसे रिलीफ मैप मानचित्र चित्र, चाट, माडलस, वायु दिशा सूचक यंत्र आदि) तथा इतिहास व नागरिक शास्त्र सम्बन्धी मानचित्र व रेखाचित्र, (7) मॉडलस (8) छात्रों द्वारा सगर्हीत स्थानीय पेड़-पौधे, पत्तियों, पुष्पों, बीजों, मिट्टी चट्टान, खनिज जीवों के नमूने आदि (9) दृश्य-श्रव्य-साधन जैसे मॉडल, कैमरे, प्रोजेक्टर, एपीडासकोप, रेडियो टी. वी., ग्रामोफोन, टेपरेकोडर आदि,

(10) शिक्षको व छात्रो द्वारा बनाये गये उपकरण ।

शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग एव व्यवस्था -

शिक्षण सहायक सामग्री जैसे महत्वपूर्ण भौतिक ससाधनों का उपलब्ध होना ही पर्याप्त नहीं है, उनका सही प्रयोग एव उनके रख-रखाव की उपयुक्त व्यवस्था बिया जाना अधिक वाछनीय है । इस सदर्भ मे निम्नांकित बिंदु ध्यातव्य है-

- (1) प्राथमिक एव उच्च प्राथमिक विद्यालयो मे यथासभव उपरोक्त शिक्षण सहायक सामग्री का होना अपेक्षित है । इनके अभाव की पूर्ति विभाग के उच्चाधिकारियो जन सहयोग व शाला सगम के माध्यम से की जानी चाहिए । अध्यापको के मार्ग दर्शन मे छात्रो द्वारा स्थानीय साधनो से तैयार किये गये आशु-उपकरण (Improvised Apparatus) इस कमी की पूर्ति मे सहायक हो सकते हैं ।
- (2) इस सहायक सामग्री के उचित भण्डारन, रख रखाव एव उनके उचित समय पर उचित विधि मे प्रयोग किये जाने हेतु इसका दायित्व पुस्तकालयाध्यक्ष अथवा अथ किमी प्रभारी शिक्षक को सौंपा जाना चाहिए । विषयाध्यापका को प्रतिदिन अपनी आवश्यकतानुसार इसे प्रभारी व्यक्ति से लेकर प्रयोग के बाद लौटा देना चाहिए । जिन विषयो के लिए पु्यक वस्तु की व्यवस्था है उन विषयो से सम्बन्धित सामग्री विषयाध्यापक के प्रभार मे सम्बन्धित वस्तु मे रखना ही उपयुक्त है जैसे विज्ञान, भूगोल, इतिहास, कला उद्योग आदि की सामग्री ।
- (3) शिक्षण सहायक सामग्री मे आवश्यकतानुसार निरंतर वृद्धि की जानी चाहिए तथा उनकी टूट फूट की मरम्मत की जानी चाहिए ।
- (4) इस सामग्री का उपयोग मात्र-प्रदर्शन के लिए न किया जाकर उसे विषय-शिक्षक का विचार प्रेरक, रोचक व बोधगम्य बनाने मे बिया जाना चाहिए ।
- (5) शाला सगम के माध्यम से विद्यालय परस्पर विनिमय द्वारा उनके पास उपलब्ध सामग्री अथवा कीमती उपकरणो (वी से टी वी, प्रोजेक्टर आदि) का अधिकतम उपयोग कर सकते हैं ।

[9] अथ भौतिक ससाधन -

अथ भौतिक ससाधन जा विद्यालय के सुचारु संचालन मे सहायक हो सकते हैं, व निम्नांकित हैं -

(1) छात्रावास - ग्रामीण क्षेत्रो के उच्च प्राथमिक विद्यालयो मे प्रायः बालक दूरस्थ स्थानो से भी पढने आते हैं । उनका बहुत मा समय एव शक्ति खूब खान आने मे ही नष्ट हो जाते हैं जिसके कारण वे अपना अध्ययन विषयत गह ब्याव करने मे असमर्थ होते हैं । ऐसे छात्रो के लिए विद्यालय के किमी प्रभारी अध्या



पक के मार्गदर्शन में चलने वाले छात्रावास की आवश्यकता होती है। ऐसे छात्रावास भवन किराये पर अथवा स्थानीय जन सहायता से प्राप्त कर किसी अध्यापक के मार्गदर्शन में उसकी इस प्रकार व्यवस्था की जा सकती है जो छात्रों के लिये विभागीय एवं उपयोगी हो। छात्रावास में आवश्यक सामान जैसे — पलग अलमारियाँ, स्टूल, टबल, एवं प्रकाश की व्यवस्था, भोजनालय के उपकरण खेल व मनोरंजन के साधन वाचनालय आदि होना चाहिए जिससे छात्रों को कोई अंशुविधा न हो। छात्रावास अधीक्षक (Warden) के रहने का कक्ष भी छात्रावास से सलग होना चाहिए। छात्रावास की उपयोगिता को डा. एस. एस. माथुर इन शब्दों में व्यक्त करते हैं — “हम यह विश्वास पूर्वक कह सकते हैं कि यदि छात्रावास में अच्छा वातावरण व उचित व्यवस्था अच्छा प्रयोग हो तो छात्रावास के छात्रों का शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक विकास बहुत ही सुंदर एवं प्रभावशाली ढंग से हो सकता है।”

- (2) सह-शैक्षिक क्रियाओं में सहायक भौतिक साधन — विद्यालय में अनुबल वातावरण के निर्माण तथा छात्रों के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से सह-शैक्षिक क्रियाओं के प्रभावी संचालक हेतु कुछ भौतिक साधनों की आवश्यकता होती है जैसे शारीरिक शिक्षा हेतु व्यायाम सम्बन्धी उपकरण (डबल्ट, लेजिम, जिम-नास्टिक के उपकरण आदि), कार्यानुभव या उद्योग सम्बन्धी वायशाला व उपकरण, प्रकृति निरीक्षण एवं सप्रह की प्रवृत्ति के विकास हेतु सप्रहोत्तय व उसकी साज-सज्जा की वस्तुएँ प्रायः सभा को प्रभावी बनाने में सहायक उपकरण जैसे हार्मोनियम तबला, स्कूल बेंड, का सामान आदि धर्मदान और समाज-सेवा हेतु आवश्यक वस्तुएँ कला एवं सांस्कृतिक वायजनों के उपयोगी उपकरण जैसे ड्राइंग पेटींग का सामान नाटक अभिनीत करने हेतु रंगमंच, परद, वेप भूषा आदि। इन भौतिक साधनों से सह-शैक्षिक क्रियाओं का प्रभावी व उपयोगी बनाया जा सकता है।

### विद्यालय के मानवीय एवं भौतिक साधनों का समन्वय व संचालन

विद्यालय के मानवीय एवं भौतिक साधनों उपलब्ध होना ही पर्याप्त नहीं है। व स्वयं अपने-अपने अस्तित्व से त्रिआशील एवं प्रभावी नहीं बन सकते। उनमें परस्पर उचित समन्वय द्वारा उनके प्रभावी संचालन से ही शैक्षिक उद्देश्यों की उपलब्धि हो सकती है, जत उचित विद्यालय संगठन एवं प्रधानाध्यापक की प्रशासनिक योग्यता द्वारा ही संभव हो सकती है। प्रथम अध्येय में वर्णित पाठशाला प्रवृत्ति के सिद्धांतों व प्रक्रिया के तत्वा — नियोजन संगठन, समन्वय, निर्देशन नियंत्रण तथा मूल्यांकन — के

आधार पर ही विद्यालय के मानवीय और भौतिक ससाधनों में उचित सम-वय लाकर उनका प्रभावी संचालन किया जा सकता है। जागामी अध्याय में समय-विभा-चक्र के विवेचन के सन्दर्भ में यह स्पष्ट किया जायगा कि इन ससाधनों का अधिकतम उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है। प्रधानाध्यापक मानवीय सम्बन्धों के आधार पर इन ससाधनों का उचित सम-वय कर समय-विभाग-चक्र द्वारा उनके संचालन की व्यवस्था करता है। इस सम-वय और संचालन की प्रक्रिया में मुख्य लक्ष्य बालक का सर्वांगीण विकास करना होता है।

विद्यालयों में प्रायः ससाधनों के अभाव में काय-क्षमता की कमी तथा गिरत शिक्षा-स्तरों का औचित्य प्रकट करने को अवाञ्छनीय प्रवृत्ति देखी जाती है। यह अनुचित है क्योंकि कोठारी शिक्षा आयोग ने विद्यालय समुनयन योजना द्वारा उपलब्ध ससाधना-स ही शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने की अभिपसा करते हुए कहा है— “गुणात्मक सुधार के कार्यक्रमों में अब तक आधारभूत दृष्टिकोण यह रहा है कि मानवीय तत्वा की कमी के स्थान पर भौतिक सुविधाओं की व्यवस्था पर ही जोर दिया गया है। हमने यहाँ राष्ट्रीय गुणात्मक सुधार कार्यक्रम का जो सुभाव दिया है उसका उद्देश्य ही इस प्रक्रिया को उलट देना और उस योगदान पर जोर देना जो शिक्षा के गुणात्मक सुधार में अध्यापक, पयवैशक, बच्चों के माता-पिता और छात्र अपने सम्मिलित प्रयास से कर सकते हैं।” अतः उपलब्ध ससाधनों के अन्तर्गत भी प्रधानाध्यापक और अध्यापक अपनी पहल शक्ति, सजनशीलता और प्रयोगशीलता के आधार पर विद्यालय में शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठा सकते हैं।

### उपसंहार

विद्यालयों के प्रभावी संचालन हेतु आवश्यक न्यूनतम मानवीय एवं ससाधना का होना आवश्यक है। छात्र-संख्या में निरन्तर वृद्धि एवं लाकत-त्र में तोगों की शैक्षिक आवाधाओं की पूर्ति हेतु विद्यालयों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। इस अनिय-नित वृद्धि के परिणाम स्वरूप ऐसे सुन्दर, दुर्गम एवं पिछड़े क्षेत्रों में विद्यालय गुल रहे हैं जिनमें न्यूनतम भौतिक ससाधना की कमी है तथा एक अध्यापकीय शालाया (Single Teachers Schools) व अध्यापका की नियुक्ति के अभाव में जहाँ मानवीय ससाधन भी नहीं है। ऐसी स्थिति में विद्यालय संचालन नितान्त अमम्भव हो जाता है। शिक्षा-विभाग एवं सरकार को इन विद्यालयों का खालने के पूव ही इन ससाधना की व्यवस्था कर देनी चाहिए तथा बाद में भी इनकी कमी की पूर्ति तत्काल करनी चाहिए। किन्तु यह भी सत्य है कि सरकार के सीमित वित्तीय साधनों और पिछड़ेपन के कारण विद्या-लयों में ससाधनों की कमी होना अपरिहार्य है। इन विषय-परिस्थितियों में उपलब्ध ससाधनों के अधिकतम उपयोग और जन-महयोग द्वारा शिक्षा के गुणात्मक उन्नयन हेतु कोठारी शिक्षा आयोग की उपररक्त अभिपसा ध्यानम्ब है।

## मूल्यांकन (Evaluation)

(अ) लघूत्तरात्मक प्रश्न -

(Short Answer type Questions)

- 1 विद्यालय-लाइब्रेरी के संगठन में किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।  
(बी एड 1982)
- 2 मध्य दिवसीय भोजन योजना विद्यालय कार्यक्रम में किस प्रकार योगदान देती है।  
(बी एड 1981,79)
- 3 शाला में एक सप्रधानय का क्या महत्व है ?  
(बी एड 1979)
- 4 विद्यालय भवन आरूति के दृष्टि से कितने प्रकार के होते हैं, तथा इनकी यूनतम आवश्यकताओं का उल्लेख कीजिये।
- 5 विद्यालय प्रयोगशाला के महत्व के बारे में सक्षिप्त में वर्णन कीजिए।

(ब) निम्ब-घात्म प्रश्न

(essay type Questions)

- 1 मध्य अवकाश भाजन, वं ट्रीन सेवार्ये तथा टिपन सेवार्ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है ? किन परिस्थितियों में एक की अवस्था दूसरे को वरीयता देनी चाहिए ?  
(बी एड 1983)
- 2 नगरो की सीमित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बतलाइये कि विद्यालय भवन स्थल का चुनाव करते समय किन आधारभूत बातों को ध्यान में रखना चाहिए ?  
(बी एड 1981)
- 3 यदि आपको किसी विद्यालय के पुस्तकालय का दायित्व सौंपा जाता है तो आप अधिकतम उपयोग की दृष्टि से इसकी सेवा का पुनर्गठन किस प्रकार करेंगे ?  
(बी एड पत्राचार 1981)
- 4 किसी भी विद्यालय में अजायबघर (म्यूजियम) का क्या महत्व है तथा इसकी सेवा को किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है ? (बी एड 1979, पत्राचार 198)
- 5 'पुस्तकालय एक शाला की आत्मा है' - का विचार प्रस्तुत कीजिये। (बी एड 197)
- 6 विद्यालय में पुस्तकालय का क्या महत्व है ? इसका सर्वोत्तम उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है ?  
(बी एड 1978)

[ प्रयोगशाला की सकल्पना उसका महत्व, प्रयोगशाला स्थापना के सिद्धांत प्रयोगशाला के प्रकार—विज्ञान प्रयोगशाला, भाषा प्रयोगशाला सामाजिक ज्ञान प्रयोगशाला, विभिन्न प्रयोगशालाओं की साज सज्जा, विभिन्न प्रयोगशालाओं की सामग्री, प्रयोगशाला बनाम वक्शाप, सारांश ]

सकल्पना — प्रजातान्त्रिक जीवन दशन के अनुसार व्यक्ति को स्वयं ही अपनी चित्त शक्ति विकसित करनी चाहिए जिससे वह अपने जीवन के विश्वासों और मूल्यों के आधार पर आत्म निर्णय कर सके। मुख्यतः अध्यापक का वाय शक्षिक पर्यावरण पैदा करके विषय के प्रति रुचि पैदा करने हेतु उत्तेजना पैदा करते हुए प्रयोगात्मक शिक्षण की प्रोत्साहित करना है, इसका अर्थ वस्तुपरक प्रमाण को खोजने प्रयोग करने की योग्यता उत्पन्न करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना तथा दूषित तथा भावनाजय आशिक सत्य को पहचान कर उसे दूर करना है। ऐसी योग्यता प्राप्त करने के लिए विचारों की अभिवृद्धि से पूर्व बालक तथ्यों का व्यवहारिक एवं जीवनोपयोगी ज्ञान प्राप्त करता है जिसका आधार करके सीखना (Learning by doing) है। जिसके परिणाम स्वरूप व केवल मात्र ज्ञान के लिए सद्धात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं बल्कि अधिकाधिक व्यवहारिक तथा जीवन से सम्बन्धित ज्ञान को अजन करने में सफल सिद्ध होते हैं तथा, नियमों और सामान्य सिद्धांतों के सत्यापन कर सके, ताकि कालांतर में वे व्यवहारिक-जीवन में खरे उतर सकें।

आज शिक्षा का स्वरूप वास्तव में बड़ा गतिशील, प्रयोगात्मक और अनाग्रही है जिसे कार्यात्मकवादी व अभ्यास दोनों को क्रियात्मक रूप देने से ही बालक का परिवर्तनशील समाज में उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

परम्परागत प्रयोगशाला केवल विज्ञान विषय के लिए ही प्रयोग में लाया जाता था लेकिन बदलते हुए परिवेश तथा कार्यात्मकवादी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास वांछित है। अतः भाषा सामाजिक ज्ञान के विषय भी वैज्ञानिकता

को लेकर छात्रों को प्रस्तुत किया जाता है और प्रयोगात्मक प्रणाली से अध्ययन अध्यापन का कार्य सम्पन्न करने का सफल प्रयास किया जाता है ।

### प्रयोगशाला के महत्व —

- (1) बालकों में रटन व अप्रयोगात्मक शिक्षण को प्रोत्साहन न देकर प्रयोगात्मक पक्ष पर अधिक जोर देना ।
- (2) विषय के अनुकूल शैक्षिक वातावरण बनाने में प्रयोगशाला वाञ्छित है ।
- (3) विषय की प्रयोगशाला उस विषय विशेष के अध्ययन हेतु कुशलता प्राप्त करने का वातावरण छात्रों में उत्साह भरता है ।
- (4) विषय से सम्बन्धित उपकरण, चाट, ग्रॉफ, मॉडल आदि को देखकर उसमें जिज्ञासा पैदा होती है और उनका प्रयोग करन व देखने में विशेष आनन्द का अनुभव करत है ।
- (5) व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए विषय में विविधता एवं रुचि जाग्रत होती है ।
- (6) विषय में अधिकतम रुचि लेने हेतु उत्तेजना का कार्य करता है ।
- (7) विषय-प्रयोगशाला में रखें समान उपकरण, चाट, मॉडल ग्राफ, आदि का जव लाकन करने से बालक आनायास ही अधिगम हो जाता है ।
- (8) बचनिक दृष्टिकोण का विकास होता है ।
- (9) कार्य कारण सम्बन्ध स्थापित करके, रचनात्मक शक्ति का विकास होता है ।
- (10) समस्याओं का हल करने के लिए सम्पन्न किए गए कार्यों से छात्रों में व्यवहारिक जीवन में आने वाली समस्याओं को हल करने का प्रशिक्षण मिलता है ।
- (11) प्रयोग के माध्यम से अनेकांकृत अधिगम शीघ्रता से व स्याई रूप से होता है ।
- (12) प्रगतिशील त्रिया प्रधान शिक्षण पद्धतियाँ जैसे समस्या विधि, योजना, स्रोत तथा सामूहिक विवेचन प्रयोगशाला के माध्यम में प्रभावशाली ढंग से अधिगम सुलभ हा जाता है ।
- (13) छात्रों में पहलकदमी, आत्मोपनात्मक दृष्टिकोण, साधन-सम्पन्नता, सहयोग वैयक्तिक कार्य करन की शक्ति आदि गुणों का विकास होता है ।
- (14) विभिन्न विषयों के सम्बन्ध में व्यावहारिक कार्यों व योजनाओं के लिए प्रोत्साहित करती है ।<sup>12</sup>

1 मफत, एम पी 'मोमिल स्टोडिज इस्ट्रूशन प्र0 212

2 मुग्गियाँ, एम पी, 'विद्यालय प्रशासन एवं संगठन' प्र0 309

- (15) विषय की प्रयोगशाला में समान एक स्थान पर ही रखा रहता है जिससे समय व धर्म की बचत होती है ।
- (16) प्रयोगशाला के अभाव में उपकरणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने लेजाने में टूट फूट अधिक होती है ।
- (17) छात्रों द्वारा सिद्धांत को व्यावहारिक पक्ष देखने से आत्मविश्वास का विकास होता है ।
- (18) सामाजिकता की भावना का विकास, निरंतर सामूहिक रूप से कार्यरत होने से होता है ।

### प्रयोगशाला सगठन के सिद्धांत

विद्यालय में भौतिक, रसायनिक, जीव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भाषा-विज्ञान की व्यवस्था और स्थापना के सम्बन्ध में निम्नांकित सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए —

- (1) उच्च माध्यमिक स्तर तक प्रायः सभी भौतिक विज्ञान के लिए एक ही प्रयोगशाला हो ।
- (2) प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर तक सम्पूर्ण प्रवृत्ति तथा आसपास के पर्यावरण को प्रयोगशाला के रूप में अपनाया जाय ।
- (3) माध्यमिक स्तर पर सभी भौतिक विज्ञान के लिए पर्याप्त प्रयोगशालाएँ स्थापित की जायें ।
- (4) प्रयोगशाला के लिए जो वक्ष निर्मित किये जाय या चुने जाय उनकी निम्नलिखित विशेषताएँ हों —
- (अ) प्रयोगशाला वक्ष सामान्य वक्ष से बड़ा हो ।
- (ब) प्रयोगशाला में सवातन की पर्याप्त व्यवस्था हो ।
- (स) मुख्य कमरे के साथ सलग्न दो छोटे-छोटे वक्ष वक्ष भी हों जिनमें एक भंडार के रूप में तथा दूसरा प्रभारी के कार्यालय के रूप में प्रयोग किया जाय ।
- (द) प्रयोगशाला वक्ष में पानी की अच्छी व्यवस्था हो ।
- (5) प्रयोगशाला में पर्याप्त और उपयुक्त साज-सज्जा हो । प्रयोगशाला के लिए रबी गई साज-सज्जा तथा फर्नीचर के सम्बन्ध में निम्नांकित तथा ध्यान में रखना चाहिए ।
- (अ) प्रत्येक छात्र के लिए कुछ ऊँची स्टूलों तथा उपयुक्त आकार की मेजे हों ।

- (ब) मेज में दराजे हो जिन पर छात्र अपना ताले लगा सके ।
- (स) आवश्यक स्थला पर हाथ आदि धोने के लिए जल की व्यवस्था हो ।
- (द) प्रयोगशाला में छात्रों के अनुपात में पर्याप्त उपकरण एवं साज सज्जा हो ।
- (य) प्रयोगशाला में प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था रखी जाय ।
- (र) प्रयोगशाला में आग बुझाने की व्यवस्था हो ।
- (6) प्रत्येक प्रयोगशाला का विषय से सम्बन्धित अध्यापक प्रभारी हो । प्रभारी अध्यापक के अलावा एक सहायक भी हो ।
- (7) सभी प्रयोग प्रभारी-अध्यापक की देख रेख में ही सम्पन्न निय जाये ।
- (8) प्रभारी अध्यापक तथा छात्र एप्रिन पहिनकर प्रयोगशाला में कार्य करें अत पर्याप्त मात्रा में एप्रिन भी होने चाहिये ।
- (9) सामाजिक विज्ञान की प्रयोगशालाओं में सम्बन्धित विषय के लिये उपयोगी सभी साहित्य तथा उपकरण होने चाहिये ।
- (10) भाषा विज्ञान प्रयोगशाला में सम्बन्धित साहित्य टेप रिकार्ड, स्टोरियो आदि उपकरण होने चाहिये ।
- (11) प्रयोगशाला में उचित उपकरणों की उपलब्धि प्रयोग के समय दृग्-रत तथा स्वच्छता आदि के प्रति शिक्षक के मतक रहना चाहिये ।
- (12) प्रयोगशाला कार्य में यथा सम्भव छात्रों का सहयोग लिया जाये जिस समान वातावरण में या उन्हें एकत्रित करने में ।
- (13) छात्रों का उपकरणों के विषय में पूर्ण ज्ञान दिया जाना चाहिये तथा उन्हें रखने में सावधानिया भी बता देनी चाहिये ।
- (14) विजातीय एकत्रित पदार्थों का निवर्तन कराते रहना चाहिये ।
- (15) पुरान तथा खराब अथवा दोष युक्त उपकरणों की तुरत ठीक कराया जाय या नये उपकरणों की व्यवस्था की जानी चाहिये ।
- (16) उपकरण छात्रों की सहाय के अनुपात में आवश्यक बढत रहने चाहिये अथवा सभी छात्र प्रयोग नहीं कर पायेंगे और इधर उधर से पूछ ताछ कर आलेखन कर सके ।
- (17) प्रतिभाशाली तथा पिछडे बालकों के प्रयोगात्मक कार्य पर पूर्ण ध्यान दिया जाये और उनका उचित प्रकार से प्रदर्शन किया जाना चाहिये ।
- (18) अनुपस्थित हुए छात्रों के प्रयोग पूर्ण करने की अतिरिक्त समय में व्यवस्था की जानी चाहिये ।

- (19) प्रयोगशाला की प्रत्येक वस्तु पर उसके नाम लिखे होना चाहिए अथवा टुपटुपना की सम्भावनाएँ हो सकती हैं।
- (20) प्रयोगशाला में प्रत्येक वस्तु का स्थान निश्चित होना चाहिए।
- (21) एक ही प्रकार के उपकरण पर क्रमांक लगाने से गिनती में सुविधा रहेगी।
- (22) पाठक्रम की आवश्यकता के अनुरूप उपकरण क्रम करे।
- (23) विभिन्न प्रयोगशालाओं का स्टॉक रजिस्टर रखा जाय।
- (24) विषय से सम्बंधित उपकरण को विन्य करने वाली सभी दुकानों की विवरणिका होनी चाहिए।
- (25) प्रयोगशाला में "प्रयोगशाला-निर्देश" छात्रों को दिए जाने चाहिए।

### संस्थाओं में प्रयोगशालाओं की स्थिति

प्रयोगात्मक कार्य को सफल रूप से करने के लिए एक प्रयोगशाला का होना आवश्यक है। हमारे देश में प्रयोगशालाओं का अभाव है। जो प्रयोगशालाएँ हैं, वे आदर्श रूप में नहीं हैं। एक आदर्श प्रयोगशाला के निर्माण के लिए विषय विशेष के अध्यापकों से राय लेनी चाहिए।

लेकिन दुर्भाग्य है कि "प्रयोगशाला के दरवाजे कभी-कभी ही खुलते हैं। मेजा की गद की कभी-कभी ही बाहर निकालने की तकलीफ की जाती है।" 3

प्रयोगशालाओं के प्रभावशाली उपयोग से ही छात्रों में व्यावहारिक ज्ञान करके सीखने के गुण का विकास सम्भव है अतः उसके लिए— "आधुनिकीकरण, यत्र सज्जा तथा सदाभ अथ सग्रह युक्त रखने हेतु राज्य सरकारों से अनुदान सहायता विशेष प्रयत्नों द्वारा और सम्भव मुद्रा की अपेक्षा उपकरणों के रूप में प्राप्त की जाय। इसके अतिरिक्त राज्य-सरक्षित ठसी संस्थान भी उपलब्ध रहे जहाँ प्रयोगशाला के यंत्रोपकरणों की मर-म्मत, साज सभाल उचित मूल्य पर करायी जा सके।" 4

विभिन्न विषयों की प्रयोगशालाओं के प्रकार—विज्ञान विषय की माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर सामान्यतः भौतिक, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान की प्रयोगशालाएँ होती हैं। भाषा-विज्ञान और सामाजिक विज्ञानों के विषयों के प्रभावशाली अधिगम हेतु प्रयोगशाला की अरनी विशिष्ट विशेषताएँ होती हैं। सभी विषयों की प्रयोगशालाओं के बारे में सामान्य जानकारी प्रस्तुत की जा रही है।

2 अग्रवाल श्याम सरन, "विज्ञान शिक्षण एक विवेचन" साहित्य परिषद 1976 पे/219

4 प्रो. श्री बास्तव, भगवती प्रसाद वही



## विज्ञान विषयो की प्रयोगशाला की सरचना हेतु निर्देशन —

- (1) एक प्रयोगशाला में एक बार में सामान्यतः 24 तथा अधिकतम 30 विद्यार्थी कार्यरत हो सकें।
- (2) 30 विद्यार्थियों के लिए 1000 वर्ग फीट, यानि  $45 \times 25$  लम्बाई व चौड़ाई होनी चाहिए।
- (3) कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिक होने पर उन्हें दो वर्गों में विभाजित करना चाहिए।
- (4) प्रयोग के लिए मेजे तथा उनके बीच सिन्क की व्यवस्था हो।
- (5) प्रत्येक सिन्क के किनारों में पानी के नलों का प्रबंध होना चाहिए।
- (6) विद्यार्थियों की मेज पर गैस पाईप व बिजली का समुचित प्रबंध हो।
- (7) मेजों को फर्श में जमाकर नहीं रखा जाय जिससे सफाई आदि सुविधा से हो सकें।
- (8) प्रत्येक मेज में पत्र अथवा समान रखने के लिए कप बोर्ड्स होने चाहिए।
- (9) अध्यापक की मेज में गैस बनर, सिन्क, बिजली, कप बोर्ड आदि का प्रबंध होना चाहिए।
- (10) विद्यार्थियों के लिए स्टूल 22 इंच से 25 इंच तक की हो।
- (11) अध्यापक अध्यापन के समय छात्र उसका ओर मुंह करके बैठें।
- (12) प्रयोगशाला का मुख सदा उत्तर की ओर होना चाहिए ताकि सूर्य का प्रकाश आ सके।
- (13) लिडकियाँ काच की होनी चाहिए।
- (14) रोशनदान का प्रबंध हो तथा रसायन शास्त्र प्रयोगशाला में एक्जैस्ट फन लगाया जाय।
- (15) लिडकियाँ फर्श से 4 फीट उंची हो।
- (16) एक्टयेरियम एक अलग स्थान पर बनाया जाय।
- (17) अंधेरे कमरे बनाने के लिए लिडकियों पर काले पर्दे लगाने जान चाहिये।
- (18) दीवार के किनारों पर उचित स्थानों में आलमारिया रखी जानी चाहिए।
- (19) कप बोर्ड्स की चाबिया रखने के लिए अलग स्थान बनाया जाय।
- (20) छत पर एक पानी की टकी का प्रबंध होना चाहिए।
- (21) बु सन बनर (Bunsen Burner) के प्रयोग हेतु गैस-टकी की व्यवस्था हो।
- (22) भौतिक तुला आदि के लिए समतल व बठोर धरातल हो।
- (23) अध्यापक की मेज के पीछे श्यामपट्ट हो।
- (24) फर्श मजबूत हो व नालिया फर्श के नीचे हो।

- (25) प्रयोगशाला के पास सामान रखने हेतु छाटा कमरा हो ।
- (26) सामान तथा प्रयोगशाला बंद करने की व्यवस्था हो ।
- (27) कमरे में रोशनी, पानी, गैस का प्रचुर मात्रा में प्रबंध हो ।
- (28) अंधेरे कमरे को कई प्रयोग में लिया जा सकता है जैसे फोटोग्राफी आदि ।
- (29) विषय विशेष या सामान्य फिल्म दिखाने हेतु पर्दे की व्यवस्था की जानी चाहिए ।
- (30) सहायित मॉडल, उपकरण आदि बनाने हेतु व्यवस्था होनी चाहिए ।
- (31) प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों के चित्र व उनके द्वारा किये गये आदिष्कारों का उल्लेख हो जिससे उचित वातावरण व उत्प्रेरणा देने में सहायक होते हैं ।

अब हम विभिन्न विषयों की प्रयोगशाला के बारे में विचार-विमर्श करने में जा सामान्यतः माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शालाओं को आवश्यकता है और उनका लिए विभिन्न प्रकार के उपकरण ।

प्रयोगशाला की सामग्री व उपकरण — अध्यापक प्रभारी को पाठ्यक्रम का विश्लेषण करते हुए निश्चय करना चाहिए कि कौन कौनसी सामग्री और उपकरणों की आवश्यकता छात्रों को हो सकती है फिर बजट को भी दृष्टि में रखना चाहिए व कम खर्च में अधिक उपयोगिता के सिद्धान्त का पालन करे । इंस्ट्रुमेंट्स उपकरण छात्रों के द्वारा भी बनाने हेतु प्रोत्साहन दिया जाना उचित है । सामान प्राप्त करने व लिए विमान के उपकरण व सामग्री विक्रय करने वाले फर्म से सूचियाँ मगवा कर तुलनात्मक अध्ययन करके त्रय आदेश प्रसारित किये जाय । उपकरण व सामग्री व सक्न्त हेतु निम्नलिखित धाता को दृष्टि में रखा जाय —

- (1) उपकरणों को ठीक करने वाल मीजार का प्राथमिक क्रम दिया जाय ।
- (2) महंग उपकरण को बचाय सक्ते ही त्रय किये जाय ।
- (3) उपकरणों को प्राथमिकता के आधार पर त्रय किया जाय अर्थात् प्राथमिकता को प्रथम ।
- (4) छात्र सत्या को दृष्टि में रखकर ही उपकरण व सामग्री खरीने जाय ।
- (5) प्रयोगशाला में काम में आने वाली प्रयोग सामग्री पर अपेक्षागत अधिक खर्च किया जाय ।
- (6) प्रयोगशाला में यही उपकरण रख जाय जो छात्रों के उपयोग हेतु हो बचक प्रयोग व लिए नही ।
- (7) सामग्री को त्रय करने से पूर्व उसकी सुरक्षा की व्यवस्था के बारे में गम्भीरता से विचार करना चाहिए ।

- (8) साधारण—यत्र अथवा वस्तुओं को विद्यार्थी स्वयं प्रयोगशाला में ही बनावे । जिससे कालांतर में विद्यार्थियों में खोज करने की आरंभ अप्रसर होगे ।
- (9) भ्रमण के अवसर पर अध्यापकों के निर्देशानुसार 'संग्रहीत' वस्तुओं को कम कीमत पर प्रयोगशाला में रखी जानी चाहिए ।
- (10) चाट, वैज्ञानिकों के चित्र, क्रियात्मक रेखाचित्र आदि जहां तक हो सके छात्रों को तैयार करने हेतु उत्प्रेरित किया जाय ।

प्रयोगशालाओं में सामग्री व उपकरणों का रख-रखाव — प्रयोगशाला में सामान क्रय करके आने या 'संग्रह (Collection) द्वारा प्राप्त होने वाले स्थाई व रोजाना खर्च होने वाली वस्तुओं सभी का प्रयोगशाला के स्टॉक रजिस्टर में दर्ज होते हैं और प्रबन्ध इनका सत्यापन होता है। इस व्यवस्था को अध्यापक स्वयं या प्रयोगशाला सहायक द्वारा सम्पन्न किया जाता है । इसके लिए स्टॉक रजिस्टर के अतिरिक्त क्रय रजिस्टर आवश्यकता रजिस्टर (Demand Register) तथा वस्तुओं के लेन देन रजिस्टर का उपयोग सामान्यतः किया जाता है । इन रजिस्ट्रो में वस्तु, मूल्य, तादाद क्रय की गई दुकान का नाम आदि का विवरण होता है । जब वस्तुएं खर्च हो जाती हैं या जो टूट-फूट जाती हैं उन्हें प्रधानाध्यापक की अनुमति से खारिज की जा सकती है । स्थायी वस्तुओं के टूटन या खो जाने पर समिति के निर्णय के उपरांत राशि को दृष्टि में रखकर ही सक्षम अधिकारी द्वारा 'सर्वे रिपोर्ट फॉर्म' खारिज की जा सकती है । विद्यार्थियों द्वारा निर्मित इ-प्रोवाइज्ड उपकरणों को भी स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया जाना वांछित है ।

प्रयोगशाला में वस्तुओं को सुरक्षित रखने की व्यवस्था — प्रयोगशाला की कीमती विपरीत और विस्फोटक पदार्थों से हानि या दुर्घटना का उत्तरदायित्व सम्बन्धित अध्यापक पर होता है। सामान आने उनके प्रयोग द्वारा उपयोग हेतु प्रदान करने आदि का विवरण रजिस्ट्रो में दर्ज होना चाहिए । प्रयोगशाला में स्वच्छता और अनुशासन का कठोरता से पालन हो । अध्यापक को अपेक्षाकृत कम कायभार दिया जाय ताकि वह अच्छी प्रकार से प्रयोगशाला के लिए सुरक्षात्मक उपाय कर सके । अध्यापक प्रति माह अपने स्टॉक रजिस्टर से सामान की मिलान करता रहे और प्रतिवर्ष स्टॉक रजिस्ट्रो के आधार पर सर्वे रिपोर्ट फॉर्म भरकर समिति द्वारा निरीक्षण करवाकर खारिज करने की कार्यवाही करनी चाहिए । प्रयोगशाला हेतु अध्यापकों और छात्रों के लिए नियमों का पालन करना चाहिए ।

प्रधानाध्यापक, अध्यापक एवं छात्रों का शाला प्रयोगशाला के प्रति कर्तव्य —

प्रधानाध्यापकों को शाला की विज्ञान सहाय में जिन उपकरणों की आवश्यकता है उन्हें अपने साधनों को दृष्टि में रखकर अध्यापकों की अभियानुसार व नियमानुसार

क्रय करने में सचेत रहना चाहिए। प्रति माह पर्यवेक्षण करके सृजनात्मक सुभाव दे तथा प्रति बय सत्यापन करवाते हुए अनावश्यक वस्तुओं को खारिज की व्यवस्था करे।

अध्यापक को चाहिए कि वे प्रयोग में ही रहे जब छात्र कार्यरत हो, उह नियंत्रण में रखते हुए छात्रों को दुष्टनाशों से बचाने हेतु प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था को तैयार रखे। छात्रों को समय समय पर आवश्यक निर्देश दे तथा प्रयोग विधि और सावधानियाँ के बारे में विस्तृत ज्ञान दे। गैस, विद्युत विस्फोटक पदार्थ व जहरीली वस्तुओं के प्रति सचेत रहे। सामग्री व उपकरणों को पर्याप्त मात्रा में छात्रों को उपलब्ध करवाये। विज्ञान विषय की विभिन्न प्रयोगशालाओं में प्रभारी द्वारा 'प्रयोगशाला-क्रियाओं' के प्रति सचेत रहना चाहिए और निर्धारित समय पर सम्पूर्ण हो जाय।

छात्रों को सदैव प्रयोगशाला व उनके उपकरण व प्रयोगशाला की सुरक्षा व स्वच्छता के प्रति सचेत रहना चाहिए। प्रयोगशाला में आत्मनुशासन के आधार पर कार्य ही और अध्यापक प्रभारी के आदेश, निर्देशानुसार ही कार्य करे। धैर्य न रहने से दुष्टनाश हो सकती है। गैस, पानी, बिजली सामग्री का आवश्यकतानुसार ही उपयोग करे। अनजानी वस्तुओं पर प्रयोग अहितकर होता है।

## सामाजिक विषयों की प्रयोगशाला (Laboratory of Social Subjects)

आधुनिक विषय वस्तु की इकाई या समस्या जो विषय केन्द्रित या अनुभव केन्द्रित, उह कोर-कक्षाओं के माध्यम से प्रभावशाली अधिगम का वातावरण छात्रों को दिया जा सकता है, जिससे वे क्रियाशील बनाने के लिए आवश्यक साज-समान तुरत उपयोग हेतु उपलब्ध करवाये जाय। सामाजिक अध्ययन-सम्बन्धी सभी प्रकार की सुविधाओं से ही छात्र मूल्यवान अनुभव प्राप्त करते जो प्रभावशाली अध्ययन हेतु आवश्यक है।

वर्तमान में सामाजिक अध्ययन हेतु परम्परागत विधियों की बजाय योजना, स्त्रीत तथा सामुहिक विवेचन जैसी विधियों का सामान्यतः प्रयोग होता है या समस्याएँ जो विषय केन्द्रित या अनुभव केन्द्रित होती हैं उह 'कोर-कक्षाओं' के माध्यम से स्थाई एवं प्रभावशाली अधिगम हेतु वातावरण देकर स्वतः क्रियाशील बनाने की प्रेरणा दी जाती है अथवा अधिगम जिससे परिणाम-सृजनात्मकता एवं चिंतन शक्ति की बढ़ोतरी अथवा साधन-सुविधाओं पर निर्भर करते हैं। जहाँ प्रत्येक छात्र विशिष्ट समस्या 'कार्यरत' होते हैं, परन्तु विषय-वस्तु की इकाई से सम्बन्धित ही। अतः सामाजिक विषयों से सम्बन्धित सभी सामग्री अध्ययन अध्यापन क्रिया के क्रमसर पर छात्रों को उपलब्ध

करवाई जाय तथा उहे व्यवस्था सम्बन्धी दायित्व सौंपा जाय ।

सामाजिक अध्ययन कक्ष मे अध्यापक जनकी प्रगति हेतु आवश्यक निर्देश देता है जहाँ विज्ञान की प्रयोगशाला जैसा ही वातावरण ही जिससे प्रयोगात्मक क्रियाओं द्वारा प्राप्त अनुभवों से छात्रों के ज्ञान मे सहज विकास सम्भव हो सके । अतः हम निर्विवाद रूप से सामाजिक विषयों की प्रयोगशाला की आवश्यकता का आवश्यक समझते हैं ।

सामाजिक अध्ययन कक्ष की सामग्री — प्रा० मेक कानेल एव आँवड के अनुसार 'परिवर्तनशील व एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करने योग्य पर्नोचर, श्रव्य दृश्य सामग्री, टेलीविजन, पुस्तकालय, प्रोजेक्टर-रूम आदि की सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जाय ।' 1

प्रा० मफ्त के अनुसार — 'अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया हेतु बड़ी आवश्यकता है— स्तूल कुर्सियाँ डेस्क फार्निचर बेचिनेट बुक-केसेज आलमारिया, चाक-बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड ग्लास, मैप चाट, प्रोजेक्टर, रिवाइंडर, रेडियो, टेलीविजन, पुस्तकें, बक बुक, विश्व-कोष, शब्द-कोष आदि ।' 2

सारांश रूप मे कहा जा सकता है — अधिगम प्रयोगशाला का उद्देव्य क्रियाशील क्रियाकलापों द्वारा मूल्यवान अनुभव की सुविधाएँ प्रदानकर प्रभावशाली अधिगम करवाना है ।

## भाषा प्रयोगशाला (Language Laboratory)

भाषा अध्यापन मे नई विचार धारा

बीसवीं शताब्दी मे भाषा अध्यापन के सिद्धांत (Theories) द्रुतगति से भाषा ज्ञान तत्व व मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर पुनर्स्थापना हो रही है । परम्परागत कक्षा-अध्यापन विधियाँ केवल अक्षम नहीं बल्कि कुछ अंशों मे हानिकर सिद्ध हो रहे हैं इसीलिए उन विधियों को भाषा विज्ञान के अध्यापन विधियों से हटाया जा रहा है । वैज्ञानिक आधार पर भाषा विज्ञान को पढ़ाने हेतु नई प्रविधियाँ, अध्यापक की दक्षता को बढ़ाते हुए प्रभावशाली ढंग से अध्यापन हेतु काम मे ली जानी है । परम्परागत दृष्टिकोण से अध्यापन को कला समझा जाता था लेकिन आधुनिक युग मे अध्यापन को

- 1 जे डी, मेक कानेल एव जी एफ आँवड "ग्रान प्लानिंग एकेडेमिक क्लास रूम, जनरल प्रोसिजर इन प्लानिंग एकेडेमिक क्लास रूम" पे 36
- 2 प्रा० मफ्त एम पी "सोसिल स्टडिज इनस्ट्रुशन", पे 154

विज्ञान माना जाता है । अध्यापन-काय को एक सामान्य अध्यापक वज्ञानिक आधार पर नियोजन करते हुए अभ्यास द्वारा उच्च श्रेणी की दक्षता प्राप्त करने में सफल सिद्ध हो सकता है ।

भाषा शिक्षण का वास्तविक भाषा सम्बन्धी ज्ञान व सूचना प्रदान करना नहीं है बल्कि विभिन्न प्रकार के उपकरणों व माध्यम से भाषा अध्ययन के कौशल का विकास करना है अध्यापक की व्यवसायिक दक्षता के मूल्यांकन का आधार छात्रों को भाषा अध्ययन कराते हुए उन्हें बोलने, पढ़ने व लिखने हेतु कौशल के विकास में सहयोगी बन सके । अध्यापक की सफलता छात्रों को धीरे धीरे अध्ययन के कौशल इस ढंग से विकास करे कि वे विदेशी भाषा के विभिन्न तत्वों का स्वाभाविक ढंग से प्रति उत्तर देने में सफल हो सके । सफल अध्यापक छात्रों में निरंतर अभ्यास व कौशल से ऐसा आत्म विश्वास पैदा करदे कि वे उक्त भाषा का गलत उपयोग कर ही न पाये ।' 1

भाषा प्रयोगशाला— टेप रेकार्डर युक्ति का ही एक विकसित रूप भाषा प्रयोगशाला है जिसका प्रयोग अमेरिका में बहुत किया जाता है और अब अन्य देशों में उसका प्रचार बढ़ रहा है । इसके प्रयोग के लिए 'बूथ' होते हैं । और प्रत्येक बूथ में टेप रेकार्डर होता है जो एक मुख्य टप से परिचालित होता है । द्वितीय भाषा शिक्षण में इसका विशेष उपयोग होता है । बालक विदेशी भाषा की ध्वनि एवं संरचना का शुद्ध रूप टेप से सुनता है और दूसरे टप पर उसे दोहराता है । दूसरे टप को फिर बजाकर अपनी ध्वनियों की तुलना मूल ध्वनि (प्रथम टप की ध्वनि) से करता है । इस प्रकार वह विविध संरचनाओं का अभ्यास करता है । वह अनुच्छेदों के बोध प्रश्नों का उत्तर देता है । भाषा प्रयोगशाला द्वारा सभी बालकों को अपनी गति से प्रगति करने का अवसर मिलता है ।' 2

उपसंहार—विद्यालय में सन्निहित प्रयोगशालाओं का अत्यधिक महत्त्व है विभिन्न विषयों में विशेष कौशल अर्जित कराने हेतु इनकी उपयोगिता स्वयंसिद्ध है । यहाँ आते ही विद्यार्थी विशेष उदाहरण का अनुभव करते हैं वे रुचि साथ प्रत्येक बात को गहराई से समझने के साथ साथ 'करके सीखने के सिद्धांत की भी अनुपालना करते हैं । विभिन्न प्रयोगशालाओं के विषय विशेषज्ञों को विचार विमशक एवं गहन चिन्तन के पश्चात् ही इनका संगठन करना चाहिए तभी उद्देश्यों की पूर्ति सम्भव हो सकेगी ।

1 देशपांडे, एस के "यू टेक्नीकरम आफ ले गवर्नेज टीचिंग"

(नया शिक्षक वप 9 अंक 2 3, 1967, प/212 213)

2 निरजनकुमारमिह, "माध्यमिक विद्यालयों में हिन्दी शिक्षण," प्र 393

## मूल्यांकन (Evaluation)

### (अ) लघूत्तरात्मक प्रश्न - (Short Answer Type Questions)

- 1 विद्यालय में प्रयोगशालाओं के महत्व की संक्षिप्त चर्चा कीजिए ।
- 2 विद्यालय में प्रयोगशाला का भाषा-शिक्षण में क्या महत्व है ?
- 3 प्रयोगशाला संगठन के क्या सिद्धांत हैं ?

### (ब) निम्न-घातमक प्रश्न (Essay Type Questions)

- 1 विद्यालय शिक्षा में प्रयोगशाला का क्या महत्व है ? एक विज्ञान प्रयोगशाला की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए तथा उसके रखरखाव हेतु सुझाव दीजिए ।
- 2 माध्यमिक स्तर की प्रयोगशाला के निर्माण व सामग्री के लिए योजना प्रस्तुत कीजिए
- 3 विज्ञान विषयों की प्रयोगशाला की संरचना करते समय किन-किन बिन्दुओं को ध्यान में रखना चाहिए ?

[ विषय प्रवेश, नई शिक्षा व्यवस्था में पुस्तकालय की आवश्यकता, शाला पुस्तकालय का उद्देश्य, शाला पुस्तकालय की वर्तमान दशा, पुस्तकालय नियोजन एवं संगठन, पुस्तकालय रक्षक, फर्नीचर, पुस्तकों का चयन, पुस्तकों का वर्गीकरण, खुला पुस्तकालय पद्धति, अनुलय सेवा, कक्षा पुस्तकालय, पुस्तकालय को छात्रों हेतु आवश्यक बनाने के उपाय, पुस्तकालयाध्यक्ष के करणीय कार्य, उपसहर, परीक्षापयोगी प्रश्न ]

### पुस्तकालय की आवश्यकता एवं महत्व

#### (Need & Importance of School Library)

शाला पुस्तकालय का महत्व शैक्षिक दृष्टि से माध्यमिक शिक्षण व्यवस्था में सर्वमान्य है। पुस्तकालय कक्षा में अध्ययन प्रव्यापन के कार्य का पूरक करता है क्योंकि कक्षा में छात्रों का कुछ विषयों की सीमित पाठ्य पुस्तकें पढाई जाती हैं परंतु छात्रों का सर्वांगीण विकास करने के लिए आवश्यक है कि वह विभिन्न विषयों की अनेकों पुस्तकें पढ़कर ज्ञान प्राप्त करें और पत्रिकाएँ पढ़कर वर्तमान मसालिक घटनाओं आदि का परिचय प्राप्त करें। विभिन्न प्रकार की पद्धतियों से सामाजिक अभिन्नत द्वारा चान की अर्जन करने का सफल प्रयास करता है। धीमी गति से अद्ययगम करने वाले बालक व बालिकाओं को भी कक्षा-अध्यापन के उपरांत स्वाध्याय कर कक्षा स्तर के समान आसक्तता है।

विभिन्न क्षेत्रों में ईकठ्ठा विद्या हुआ ज्ञान प्राप्त करवाने का पुस्तकालय सीधन है। सैकड़ों वर्षों पूर्व जितने समाज की ज्ञान उपलब्ध करवाया, हम आज उनकी पुस्तकों के माध्यमसे प्राप्त कर सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने पुस्तकालय के महत्व पर प्रकाश डाला है - 'विज्ञान सम्बन्धी विषयों को पढाने के लिए जो स्थान प्रयोगशाला का है तबन्ही विषयों के लिए जो स्थान कायशाला का है पुनर्गठित स्कूल में बौद्धिक एवं साहित्यिक चान अभिवृद्धि के लिए वही स्थान पुस्तकालय का है क्योंकि यही क्रिमी भी सस्था का मुख्य स्थान अथवा केन्द्र तथा धुरी माना जाता है। व्यक्तिगत शक्ति काय सामूहिक प्रोजेक्ट या प्रयोजन, अनेकानेक व्यक्तिगत रुचियों तथा विविध महायक कायत्रमों की सकलता के लिए एक समूह तथा सुव्यवस्थित पुस्तकालय की नितान्त आवश्यकता है'



“महान् दार्शनिक सिसरो के अनुसार—“A room without book is a body without Soul”

बालक प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था में स्वचिन्तन करते हुए भिन्न भिन्न प्रकार की प्रवृत्तियों में अग्रसर हो अर्थात् प्रशिक्षित नागरिकता का प्रशिक्षण शाला समय में ही प्राप्त होता है।

“आधुनिक शिक्षा प्रणाली में छात्रों को समझा का चयन करना, काय सम्पन्न करने लिए योजना का निर्माण करना, तथा विश्वसनीय सूचनाओं के आधार पर अधिकृत विचारधारा का प्रतिपादन करना सीखाते हैं। इसके लिए विस्तृत अध्ययन, बहुत से सदस्यों का अवलोकन करते हुए मूलरूप की सूचना का ज्ञान वाञ्छित है। पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएँ, पेंम्पलेटस, मैप, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री, तथा प्रशिक्षण प्राप्त पुस्तकाध्यक्ष द्वारा पुस्तकालय का संगठन प्रभावशाली ढंग से करते हुए इनसे लाभ उठाने के लिए उत्प्रेरित करना आवश्यक है। आधुनिक युग में किसी भी प्रकार का कार्यक्रम प्रभावशाली ढंग से संचालित न होकर उद्देश्य प्राप्ति नहीं कर सकता, जब तक पुस्तकालय सेवा किसी न किसी रूप में नहीं मिलती। 1

एक पाठ्य पुस्तक से पाठ्य क्रम पर अतिवृत्त अधिकारी बनाने वाला जमाना नहीं है। आज गत्यात्मक पाठ्यक्रम की पूर्ति के लिए बहुत सी पुस्तकें व विभिन्न सदस्य विषय वस्तु का अवलोकन करना होता है जिससे शाला पुस्तकालय अपरिहार्य होगई है बालक विभिन्न विद्वानों की पुस्तकें पत्रिकाएँ चित्र, पेंम्पलेटस, डिक्सनरी, विश्व-कोष, तथा अन्य साधनों से सूचनाएँ प्राप्त करने के लिए शाला पुस्तकालय का संगठन ही उपलब्ध करवाता है। 2

“अध्यापक के काम तथा प्रभाव के अतिरिक्त भी पुस्तकालय शिक्षा का मुख्य साधन है। अध्यापक के पास जो शिक्षा के अध्याय साधन हैं, उसमें पुस्तकालय प्रसिद्ध रूप से सहाय है। और यदि किसी बच्चे में पुस्तकों के अध्ययन के प्रति रुचि तथा प्यार उत्पन्न न कर दिया जावे तो बच्चे के लिए ऐसी असह्य माग खुल जाते हैं जिस पर चलकर वह मानवीय ज्ञान तथा अनुभव की एक समझ निधि प्राप्त कर सकता है। ऐसे वातावरण में जहाँ पुस्तकों को उचित स्थान दिया जाता है, पले हुए बच्चे, अन्य बच्चों से निश्चय ही अधिक ज्ञानवान होंगे, क्योंकि बच्चों को आरम्भ से ही ऐसा वातावरण की आवश्यकता रहती है जो कि अध्यापक तथा मनोरंजन पुस्तकमय ही आरंभ विद्यालय

1 Ceil and W A Heaps School Library Service, P 17-18

2 Helen Hesterman, "Foreword to Teachers & Parents" P/7 8

सबप्रथम कतव्य है कि वे बच्चे की इस आवश्यकता को पूर्ण करें तथा उन्हें ऐसा वाता-  
वरण जुटाएँ।<sup>1</sup> आनन्दमय अनुभूति से पुस्तकालय का उपयोग निश्चय ही पुस्तकों के  
प्रति प्रेम करने को अग्रसर होंगे।

“शिक्षा के दो मुख्य उद्देश्य— छात्र का व्यक्तिगत सर्वांगीण विकास तथा समाज  
के सदस्य के रूप में विकास। प्रथम उद्देश्य पूर्णरूपेण विकास करते हुए उसकी क्षमता,  
योग्यता, शारीरिक स्फुटि के आधार पर बालक का अधिकतम विकास करते हुए सतु-  
लित व्यक्तित्व का निर्माण करना है। जबकि दूसरा उद्देश्य वक्षा स्तूल रूपी छोटे समाज  
खेल के मदान में सामाजिक व्यवहार का विकास करना। जो व्यवहारिक जीवन में उससे  
प्राप्ता की जाती है। उसमें सामान्य जिम्मेदारियों के निर्वाह का प्रशिक्षण दिया जाता है।<sup>2</sup>

“इस प्रकार शिक्षा दशन, नये आयाम, नवाचार व शिक्षा के उद्देश्यों के दृष्टिकोण  
का छात्रों में विकास शाला पुस्तकालय के माध्यम से सम्पूर्ण करने में सफल हो सकते हैं।<sup>3</sup>

जॉन डिवी “शाला व समाज” में लिखा है कि पुस्तकालय विद्यालय का हृदय है।  
छात्र जहाँ विभिन्न अनुभव, समस्याये तथा प्रश्न लेकर आते हैं और तब उन पर विचार  
विमर्श करते हैं और दूसरों के अनुभवों तथा सप्रहीत विद्वता, जो कि पुस्तकालय में सुस-  
ज्जित, सुव्यवस्थित तथा प्रदर्शित रहती है, के माध्यम से नवीन ज्ञान की खोज करते हैं।<sup>4</sup>  
यह पुस्तकालय के महत्त्व को स्वत ही स्पष्ट करता है।

### नई शिक्षा व्यवस्था में शाला पुस्तकालय की आवश्यकता 5

डा एस आर रंगनाथन ने नई शिक्षा व्यवस्था में पुस्तकालय का महत्त्व बताया  
है कि—

- (1) व्यक्तिगत विभिन्नता व विकलांग छात्रों के सहयोग के लिए
- (2) डाल्टन शिक्षण-पद्धति के प्रतिपादन के लिए
- (3) गृह कार्य के लिए
- (4) एसाइमेंट के लिए
- (5) प्रोजेक्ट शिक्षा पद्धति के लिए
- (6) उद्देश्यनिष्ठ अध्ययन के लिए

1 Smeaton, J “School Libraries Ministry of Edu 1959 P/1

2 Carnegie united Kingdom Trust” Libraries in Secondary Schools’ P/12

3 Viswanathan, CG, ‘The High School Library’ P,4

4 Ranganathan, SR ‘Suggestions for org of Libraries in India P/15

5 P/15 24

- (7) वार्षिक लघु शोध लिखने के लिए
- (8) चित्रमय अध्ययन के लिए
- (9) गलत संकल्पना को सही समझने के लिए

डा. रंगनाथन ने पुस्तकालय की विश्व शांति के लिए अच्छा साधन बतलाया है कि अच्छे साहित्य पढ़ने से तथा शान्तिकाल में उनति होती है। ऐसा ज्ञान प्राप्त करने से छात्रों में युद्ध अभिवृद्धि नहीं पड़ेगी। वायशाला की सजा भी शाला पुस्तकालय को दी है जहाँ छात्र अपने अध्ययन पाथ में त्रियाशील रहते हैं शिक्षण-सत्या की पूरी शाला पुस्तकालय को बताया है क्योंकि शिक्षण के सारे उपागम इसी पर निर्भर करते हैं। "क्या है" और क्या होना चाहिए, हम आसे मुँह दे हुए नहीं, खोलकर निकल्प निकालते हैं। पुस्तकालय साथे खोलती है पुस्तकालय की पठनीय सामग्री से।"

प्रो. फरगो के अनुसार विद्यालय पुस्तकालय के निम्न उद्देश्य हैं —

- (1) छात्रों तथा उनके पाठ्यक्रम की आवश्यकताओं के अनुसार पुस्तकें तथा दूसरी सामग्री प्राप्त करना तथा उनका ठीक प्रकार से प्रबंध करना।
- (2) विद्यार्थियों को पुस्तकें व अन्य शैक्षणिक सामग्री स्वयं चयन करने हेतु पथ प्रदर्शन करना।
- (3) विद्यालय में पुस्तकालय तथा पुस्तकों का प्रयोग सम्बन्धित कुशलता उन्नत करना तथा स्वयं शोष सम्बन्धी आदतों को प्रोत्साहन करना।
- (4) आवश्यक रुचियों को उन्नत करने में विद्यार्थियों की सहायता करना।
- (5) सौन्दर्यात्मक अनुभव तथा कलात्मक प्रशंसा को उन्नत करना -
- (6) आजीवन शिक्षा को प्रोत्साहन करता है।
- (7) सांजिक रूढ़ानों को प्रोत्साहित करना तथा सामाजिक एवं प्रजातान्त्रिक जीवन में अनुभव देना।
- (8) विद्यालय तथा प्रशासन की दृष्टि से स्कूल स्टाफ के साथ सहकारिता का वाप करना है।

उपरोक्त कथन के आधार पर हम कह सकते हैं कि पुस्तकालय की आवश्यकता तथा महत्व— छात्रों में अध्ययनशीलता का विकास, विभिन्न रुचियों और आवश्यकताओं की पूर्ति, सामान्य ज्ञान की वृद्धि, सहायक पुस्तकों के अभाव की पूर्ति, प्रिय विद्वान लेखकों से सम्पर्क, कक्षा शिक्षण की पूर्ति, अवकाश के समय का सदुपयोग, अज्ञानों के बौद्धिक विकास में सहायक, मौन पाठ का अभ्यास, आधुनिकतम ज्ञान प्राप्ति नई शिक्षण विधियों

द्वारा अध्ययन, शकाग्रो का निवारण तथा बालको के चरित्र गठन में सहायक होता है। लेकिन जहाँ तक सम्भव ही पुस्तकालय के संगठन एवं संचालन में प्रजातांत्रिक रूप ग्रहण नही हुए छात्र व अध्यापका को अधिकधिक भाग लेने दिया जाय जिससे वे पुस्तकालय की ओर स्वतः आकृष्ट होंगे और उनमें पढ़न की प्रवृत्ति बढ़ेगी और पुस्तका से प्रेम बढ़ेगा

### शाला पुस्तकालय का उद्देश्य (Objectives of School Library)

माध्यमिक शिक्षा आयोग निम्नलिखित उद्देश्य बतलाये हैं।

- (1) वर्तमान प्रजातांत्रिक सामाजिक व्यवस्था में सहभागी होने का प्रशिक्षण देना।
- (2) अपने राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि के लिए प्रायोगिक और व्यवसायिक दक्षता का विकास करना।
- (3) छात्रों में साहित्यिक पलात्मक और सांस्कृतिक की रुचियों का विकास करना जो स्वयं का स्पष्टीकरण करने तथा व्यक्तित्व के विकास हेतु आवश्यक है।<sup>1</sup>
- (4) 'पुस्तकालय-वातावरण से विद्यार्थी को प्रजातांत्रिक नागरिकता के गुणों का विकास हेतु बहुत से अवसर प्राप्त होते हैं।'<sup>2</sup>
- (5) 'शाला पुस्तकालय मानव जगत् के तजुबों व ज्ञान का प्रतीक है जो विद्यार्थी तजुबों व ज्ञान प्राप्त करते हैं।'<sup>3</sup>
- (6) अध्यापका को अध्ययन अध्यापन में सुविधा देना।
- (7) स्वाध्याय के कौशल का प्रशिक्षण देना।
- (8) पुस्तकों को प्रदर्शित कर उत्प्रेरित करना ताकि छात्र खाली समय में मिनवत् साबित हो सके।
- (9) पाठ्यक्रम का अधिक उपादेय बनाने में सहयोग देना।
- (10) छात्रों के लिए विविध साहित्य को वर्गीकरण द्वारा क्रमबद्ध करना तथा सूचीकरण द्वारा निर्धारित स्थान की ओर इंगित करना।
- (11) पुस्तकालय प्रगतिशील अध्यापन विधियों का अभ्यास करवाने का अनिवार्य साधन है।<sup>4</sup>
- (12) 'इच्छा-श्रवण साधना के माध्यम से सम्पन्न कार्यक्रम से छात्रों में उन पर काम करने का प्रशिक्षण मिनता है और शैक्षिक उपयोगिता भी है।'<sup>5</sup>

---

1	Secoundray Education Report quitud by Dr C G Viswanathan	
	Book title 'The High School Library'	P/4
2	Maifatt M P, 'Social studies Ist Instruction'	309
3		308
4	Govt of Indian Report op cit	110
5	Linder Ivan H, 'Secondary School Adm,	249

- (13) 'पुस्तकाध्यक्ष व समाज के नेताओं के सहयोग से समाज या क्षेत्र के विकास हेतु कार्यक्रम का निर्माण करना । 1
- (14) विद्यार्थियों के लिए उपयोगी पुस्तकों के चयन और ग्रन्थ साधनों के एक्त्रीकरण के लिये अध्यापकों का सहयोग प्राप्त करना ।
- (15) छात्रों में शैलिक सम्पन्नता प्रदान कर उपयोगी व व्यवहारिक दृष्टिकोणा का विकास करना ।
- (16) छात्रों को सद्म साहित्य व ग्रंथों के बारे में परिचित करवाना और उपयोग करने की विधि भी समझाना ।
- (17) तर्क-चिन्तन व निर्णय शक्ति का विकास हेतु तयार करना ।

शाला पुस्तकालयों की वर्तमान दशा (Present Condition School Libraries) शाला पुस्तकालय नाम मात्र की न होकर सरकार इस और ध्यान दे रही है परंतु अभी स्थिति विशेष सुधार नहीं है । ग दे, सकरे अनाकपक एव शोर गुल के बीच स्थित है । पुस्तकालय प्रभारी अप्रशित, पुस्तकों की सख्या व स्तर दोनों दृष्टियों से हीन है । माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपने प्रतिवेदन म पुस्तकालय को नाम मात्र ही बताया है । उ-होने उल्लेख किया है अधिकांश माध्यमिक अनुपयुक्त तथा छात्रों की अभिरुचियों एव रुचियों को ध्यान में न रखकर चयन की हुई पुस्तकें हैं । उनको कुछ आत्मरिचियों में रख कर बंद कर दिया गया है । आत्मरिचिया अनुपयुक्त एव अनाकपक वक्ष में रख दी गयी हैं । पुस्तकालय जिन व्यक्तियों के अधीन, वे या तो बलक हैं या शिक्षक, जो अशकालिन आधार पर इस काय को करते हैं और जिनकी इस काय में रुचि नहीं है और न ही उनको पुस्तकों से प्रेम है और न पुस्तकालय-नीतियों का ज्ञान । स्वभावतः वहाँ सुव्यवस्थित पुस्तकालय सेवा नाम की कोई वस्तु नहीं है जो कि अध्ययन करने तथा उनमें पुस्तकों के प्रति प्रेम जागत कर सके।”<sup>2</sup>

वर्तमान पुस्तकालयों में आयोग ने भी इनकी दुदशा के बारे में प्रकाश डाला है कि इन पुस्तकालयों की ठीक आवास व्यवस्था नहीं, प्रशिक्षण प्राप्त पुस्तकाध्यक्ष नहीं, अध्यापक पुस्तकालय व पुस्तकों के प्रति अपेक्षाभाव, पुस्तकें निम्नकोटि की चयन की जाती हैं, बजट बहुत कम रहता है गुम होने के भय से वर्गीकरण नहीं की जाती, समय सारिणी में स्थान नहीं, परीक्षा उत्तीर्ण ही उद्देश्य होने से सस्ती कु जीया ही छात्र पढ़ते हैं ।

1 Jacobson et al, op cit P/603

2 Report of the Education Commission P 180

“पुस्तकालय के लिए 20 प्रतिशत शालाएँ हैं जहाँ अलग से पुस्तकालय-कक्षा है। पुस्तकालय-कक्षा है भी तो बहुत छोटा केवल दस प्रतिशत के पास 250' फीट है, पुस्तकालय व पत्र-पत्रिकाओं के लिए बजट नहीं देश की लगभग 50% सस्थाएँ ऐसी हैं जहाँ वय में 500/- पुस्तकालय पर खर्च होता है। देश की शाला पुस्तकालयों में केवल 0 10% प्रशिक्षण प्राप्त पूरे कायकाल के लिए पुस्तकाध्यक्ष उपलब्ध है।”<sup>1</sup>

ऐसी स्थिति में पुस्तकालय के उनयन के लिए वायवाहित है।

पुस्तकालय सेवा के उनयन हेतु शाला पुस्तकालय के नियोजन, वर्गीकरण, सूचीकरण, कक्षा-पुस्तकालय, पुस्तकालय-सूचक चयन, छात्र व छात्रों के पुस्तकालय व प्रति सनेह करना सीखाया जाना चाहिए ताकि शाला पुस्तकालय का सगठन ठीक ढंगसे किया जाकर प्रभावशाली सेवाएँ प्रदानकर डा एस ग्राटर रगनायन के पाच सूत्र का निर्वाह किया जा सके।<sup>2</sup>

## पुस्तकालय का नियोजन एवं सगठन

(Planning and Organisation of School-Library)

स्थिति - शाला पुस्तकालय की स्थिति शाला की चार दीवारी में केन्द्र स्थल पर हो जहाँ से सभी छात्र व अध्यापक वर्ग आसक्य किए आकर उपयोग कर सकें। केन्द्रीय-स्थल पर पुस्तकालय की स्थिति प्रायः सभी पाठकों के लिए सुविधाजनक रहेगी। यह स्थान पूर्ण रूप से शांत होना चाहिए। यह शारीरिक शिक्षा कक्षा, सगीत जलपानग्रह तथा प्रशासनिक कार्यालय के पास नहीं हानी चाहिये।<sup>3</sup>

यदि शाला-ब्लॉक व्यवस्था (Block System) का है तो, मुख्य भवन से दूर होना चाहिए।<sup>4</sup>

कमरा या हॉल पुस्तकालय के लिए चयन किया जाय तो यह निम्न प्रायश्चयनार्थी की पूर्ति करने वाला हो -

- (1) वातावरण शांत एवं स्वास्थ्यप्रद हो।
- (2) पुस्तकालय में प्रचुरमाना में प्राकृतिक रागनी व स्वच्छ हवा का प्रयोजन हो।
- (3) क्षेत्रफल पर्याप्त मात्रा में हो जिसे आगम से व्यतिगत व समुद्र व वायुमय हो सके।
- (4) पुस्तकालय के उपनोग हेतु शांत समय के उपगत भी सुका रहे।
- (5) भविष्य में पुस्तकालय के विकास की व्यवस्था हो।

चतुर्भुजाकार शांत भवन में पुस्तकालय आश्रित केन्द्र बनाया जाना चाहिए।

1 Mukerjee Ak. School Library'-NCERT P (vi)

2 डा रगनायन, एस ग्राटर, 'पुस्तकालय विज्ञान की सुविधा' पत्र/सुन पुस्तकालय

3 Viswanathan, C G, 'The High School Library P/27

4 Ralph, R G, 'The Library in Education' P/108

पुस्तकालय कक्ष - "प्रत्येक पुस्तकालय का एक आकर्षक सुन्दर एवं मनोहर भवन होना चाहिए। जैसे ही आप पुस्तकालय में प्रवेश करते हैं आपकी दृष्टि लेन देन विभाग, आकर्षक शेल्फ और चमकती हुई भेज-कृसियो पर पड़ती है। आकर्षक पुस्तकालय में बैठकर कुछ उपयोगी कार्य करने को आमंत्रित करे"।

डा रगनाथन के पाचवे सिद्धांत- 'पुस्तकालय विज्ञानशील सस्था है (Library is growing organism) अतः पाठकों की संख्या निरन्तर बढ़ेगी। पाठकों और पुस्तकालय की अभिवृद्धि के साथ-साथ सदस्यों आशावित्त अभिवृद्धि पुस्तकालय निर्माण के कारण हुआ करती है। पुस्तकालय भवन के निर्माण में भी व्यवस्था की आवश्यकता को ध्यान में रखना चाहिए इसके भवन को अगो में पूर्ण करने का वायव्य बनाना चाहिए।" 2

शाला पुस्तकालय एक अलग इकाई के रूप में कार्यरत रहेगा। यदि टाक-व्यवस्था के आधार पर शाला का निर्माण हुआ है तो केन्द्रीय-स्टॉक में रखा जायेगा। माध्यमिक व उच्च माध्यमिक पुस्तकालय यदि एक बड़े हॉल या बहुत बड़े कमरे में स्थापित करना है तो सामान्यतः पाँच भागों में विभाजित करना चाहिए - 1 मुख्य पुस्तकालय, 2 पुस्तकालयाध्यक्ष का कार्यालय-रूम 3 सम्मेलन कक्ष 4 वाचनालय एवं 5 स्टॉक रूम। 3

शाला पुस्तकालय के लिए इतने बड़े क्षेत्रफल का भवन हो कि एक वार में एक कक्षा पुस्तकालय का उपयोग हेतु समा सके। पाठकों के लिए बैठने की क्षमता शाला में प्रविष्ट छात्र सरया पर ही निर्भर करता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने 30 से 40 छात्रों की संख्या एक कक्षा के लिए निर्धारित की है तथा 500 से 750 शाला में कुल छात्र सरया। आग अभिशपा की है कि प्रत्येक छात्र के लिए 10 वर्ग फीट क्षेत्रफल होना चाहिए। अतः इस आधार पर एक साथ 40 विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था हो।

फर्नीचर - पुस्तकालय अधिक चमकदार न हो। फर्नीचर उपयुक्त मजबूत तथा सुन्दर हो और उच्च सरलता के साथ फिट किया जा सके। फर्नीचर को कवर किया जाना चाहिए जिससे देखने में आकर्षक तथा आवाज का न आना। यह कवर ऐसे ढंग से लगाया जाय कि सफाई आसानी से सम्भव हो सके। जूट, कारपेट, नाईलॉन, कार्पेट अपेक्षा बहुत ज्यादा उपादेय रहेगा।

पुस्तकालय के लिए लकड़ी का कार्य आकर्षक टीक की लकड़ी से तयार किया हुआ होना चाहिए। लिडकियाँ पर साधारण पर्दे लगाये जाना चाहिए। पुस्तकालय में सूख की

1 डा रगनाथन, एस आर 'पुस्तकालय विज्ञान की भूमिका' पेज/21

2 " " " 753-754

3 विशनाथन सी जी 'दी हाई स्कूल लाइब्रेरी' 29-30

रोशनी को आने में किसी प्रकार की बाधा नहीं होनी चाहिए। साज सज्जा आकर्षक हो। चित्र को उत्तरे रणदायक हो, जिसकी कला-मूल्य हो उसे लगाना चाहिए जो सामान्यतः पठक देख सके और उन पर रोशनी की भी प्रचुर व्यवस्था हो। चित्रों का चयन शाला के वरिष्ठ छात्रों से ही सम्पन्न करवाया जाय।

पुस्तकों को रखने के लिए सल्वस प्रमुख फर्नीचर है। सल्वस खुले तथा आवश्यकतानुसार समायोजित करने की क्षमतावाला हो। लकड़ी के सल्वज लोहे के सल्वस से सस्ते होते हैं। 'युनिट-युक केसेज' बढिया होते हैं।

सल्वस की ऊँचाई 5 फीट 4 इंच से अधिक नहीं होनी चाहिए और उसका नीचला सल्वस धरातल से एक फीट ऊँचा होना चाहिए। सल्वज 8 इंच से 10 इंच गहरे, 4 to 1 मोपे तथा 3 फीट लम्बा नहीं होना चाहिए।

सुविधाजनक तथा आकर्षक कुर्सियाँ व टेबुल पुस्तकालय के लिए हानी चाहिए। टेबुल का साईज 5' X 3' छ पाठकों के लिए उपयुक्त है। छोटे छात्रों के लिए 2 फीट तथा बड़े छात्रों के लिए 3 फीट ऊँचाई होनी चाहिए।

कुर्सियाँ आकर्षक हो लेकिन बगैर हल्ये की होनी चाहिए। कुर्सियों के पैरों के नीचे रबड़ के गुटके लगे हो ताकि आवाज नहीं आये।

फाईलिंग केबिनेट — पुस्तकालयाध्यक्ष की डेस्क, मैगजीन, रेक सूचीकरण फाइलें, जादान प्रदान करन की डेस्क चार्जिंग ट्रे, एटलस स्टेण्ड बुलेटिन-बोर्ड पेंसिलेट बाक्स बुक-स्पॉटम तथा दीवार घड़ी आदि।

## पुस्तकों का चयन

(Book-Selection)

पुस्तकालय के भवन के निर्माण के उपरांत सबसे महत्वपूर्ण कार्य पुस्तक का चयन करना है जिसके पीछे उद्देश्य है "पुस्तकों का चयन ना कि पुस्तक का संग्रह।" शान्त पुस्तकालय अपने निर्धारित बजट के अनुरूप ही चयन कार्य करता है। पुस्तकों का चयन-आवश्यकता, उपयोगिता, स्थायी साहित्य होना चाहिए। पुस्तक को त्रय करने से पूर्व गम्भीरता से पुस्तक की उपयोगिता व स्थाईत्व को दृष्टि में रखकर ही सम्पन्न किया जाना चाहिए। पुस्तक त्रय करने से पूर्व गम्भीरता से विचार वाञ्छित है। "पुस्तकों के चयन के बारे में नीति का स्पष्टीकरण सभी को कर देना चाहिए जिनमें चार सिद्धांतों को दृष्टि में रखा जाना चाहिए। (1) उपयोगी पुस्तकें लेनी है, (2) पुस्तकालय में तु



लित रहे (3) छात्रों की रुचियों का सन्तुष्टिकरण हो जाय, तथा (4) रुचियाँ में परिमाजन व समाजोपयोगी बनाना ।”

शाला-पुस्तकालय सभी स्तर के छात्रों के हित को दृष्टि में रखते हुए करना चाहिए। पाठ्य-पुस्तकें उत्प्रेरणादायक पुस्तकें, कविताएँ, नाटक, धर्म जीवनी, दशन, उपन्यास, सूचनाप्रद पुस्तकें विज्ञान, इतिहास यात्रा एव उपयोगी-कला, मनोरंजन के लिए पुस्तकें हास्य लेख, सभी ज्ञान क्षेत्र का हस्ता-कृतका साहित्य।

अनुलय सेवा — सभी से अत्यधिक उत्तरदायित्व पुस्तकालय का है-अनुलय सेवा प्रदान करना। सदस्य सेवा (अनुलय-सेवा) छात्रों के स्तर के अनुकूल व्यवस्थापन हेतु विन्व काय जैसे “बटल बुक इनसाकोपिडियाँ, भावस्फोटक जुनियर एनसाईकनोपिडियाँ द्वात्रिय भाषा का विश्व-कोष, अच्छे स्तर का शब्द कोष तथा एटलस भी यदि स्याई शब्द कोष हा तो त्रय करना चाहिये।

अध्यापकों के मदभं हेतु अलग से विभाग हाना चाहिए जहाँ अहस्त सामान्य तान एव अनुलय पु तक उपलब्ध होनी चाहिए।

पुस्तकों के चयन के लिए सभी अध्यापकों का क्रियाशील करना चाहिए। स्थानीय सावजनिक पु त्कालय के पुस्तकाध्यक्ष, भी सम्मिलित किया जाय छात्रों के सजनात्मक सुभावा का मात्रता देनी चाहिये। पुस्तकों के चयन करते वक्त सभी उम्र व स्तरके बालकों को दृष्टि में रखे। शाला की माग, आवश्यकता व अथ व्यवस्था तीनों में सम -जस्य बैठानर त्रय किया जाय।

पुस्तके भावपक कवर पेज अच्छी छपाई, प्रचुर मात्रा में प्रांतागिक रेखाचित्र के साथ ही पुस्तकालय सस्करण ही त्रय किया जाय त्रिसती जिल्द मजबूत हो। पुस्तक त्रय करने के साधन — राष्ट्रीय सूची, विषय एव लेखक सूची साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक लिस्ट जो विभिन्न विश्व विद्यालयों व बोर्ड द्वारा प्रसारित होती है, शिक्षा निदेशक से प्रसारित लिस्ट, प्रकाशक का सूचि-पत्र, पत्र-पत्रिकाओं में छपी समा-लोचनाएँ, पाठकों व विषय विशेष के विद्वानों द्वारा दिए गये सुभावा के आचार पर त्रय करने की व्यवस्था की जानी चाहिये।

आर सी रेलफ के शब्दों में पुस्तक चयन की बात समाप्त करते हैं — “A School Library Can not reflect the Character, it is better for it make its own Collection which, if not ideal, will at least be Characteristic”<sup>2</sup>

1 रेलफ आर जी ‘दो लाईब्रेरी इन एज्युकेशन’ प 58

1 Ralph Rc ‘The Library in Education’ P/58

## पुस्तकों का वर्गीकरण एवं सूचीकरण (Classification and Cataloging of Books)

**वर्गीकरण**—पुस्तकालय पुस्तकें पाठकों के लिए तैयार होती हैं उसमें सब प्रथम वैज्ञानिक क्रमसे श्रालमारियों में व्यवस्थित करना पड़ता है जिससे उसका अधिक से अधिक उपयोग सरलतापूर्वक हो सके। पुस्तकालय विज्ञान के अंतर्गत इस क्रिया को पुस्तक-वर्गीकरण कहा जाता है। कटर के अनुसार— 'एक ही विषय या सामान्य विषय पर लिखी हुई पुस्तकों को समूह में करने को वर्गीकरण कहते हैं।' वर्गीकरण करते समय निम्न पांच सिद्धान्तों को दृष्टि में रखा जाना चाहिए।<sup>2</sup>

- (1) मूल विषय के आधार पर अधिक उपयोगी वर्गीकरण हो।
- (2) एक पुस्तक कई विषयों से सम्बन्धित है तो सबसे महत्व के विषय में रखी जाय।
- (3) विषय के उपभाग के विशिष्ट विषय में रखी जाय।
- (4) पुस्तक का वर्गीकरण करते हुए निर्धारित भ्रक दिए जाय।
- (5) विषय को भाषा, प्रकार, पुस्तक प्रकाशन वष आदि को ध्यान में रखत हुए रखी जाय।

संसार में अनेक वर्गीकरण पद्धतियाँ प्रचलित हैं उसमें छ प्रसिद्ध व उल्लेखनीय हैं—(1) दशमलव पद्धति, (2) विस्तारशील पद्धति, (3) काप्रेस ला पद्धति, (4) विषय पद्धति (5) बालन पद्धति, (6) वाडमय सूचि विषय। इसमें सबसे प्रसिद्ध पद्धति 'डबी क्लामीफिकेशन प्रणाली' है। जिसमें सम्पूर्ण ज्ञान का 9 वर्गों में विभाजित किया गया है। दस वर्गों इस प्रकार हैं—0 सामान्य, 1 दर्शन, 2 धर्म, 3 सामाजिक विज्ञान, 4 भाषा शास्त्र, 5 शुद्ध विज्ञान, 6 उदात्त कलाएँ 7 ललितकलाएँ 8 साहित्य एवं 9 इतिहास।

**सूचीकरण**—पुस्तकालयों में सकलित ग्रन्थयन सामग्री का अधिक से अधिक उपयोग सूचीकरण के माध्यम से ही हो सकता है। सूचीकरण पुस्तकालय की 'शान्ति' है जिन प्रकार वगैरे भाँखे व्यक्ति नहीं देख पाता ठीक इसी प्रकार वगैरे सूचीकरण पुस्तक का निश्चिन्त स्थान मालूम नहीं पड़ सकता। सूचीकरण उन सभी वर्णित विषयों की जानकारी सहज में ही प्रदान करता है। 'सूचीकरण के अगर लेखक पुस्तक आलेख, व विषय का ज्ञान नहीं हो सकता, पुस्तक के विषय की व लेखक की पुस्तक उपरब्ध है या नहीं पसंद की पुस्तक प्राप्त करवाने में सहायता करता है।'<sup>3</sup> इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु सेतक सूचीकरण, आलेख सूचीकरण व विषय सूचीकरण तैयार की जाती हैं।

2 Dutta, A Practical to Library Procedure P/20

3 Mukerjee, AK 'School Library' P/19

अच्छी सूचीकरण प्रणाली के आवश्यक तत्व है, — (1) पाठका के अनुकूल हो (2) उत्तम पद्धति, (3) आधुनिक व उपयोगी हो, (4) पद्धति सुव्यव हो, (5) पूर्ण एवं नियंत्रित होना चाहिए। सूचिकरण में रजिस्टर, खुले पत्र एवं पत्रक प्रणाली है।

### खुला पुस्तकालय पद्धति (Open Shelf System)

स्वच्छन्द प्रवेश व्यवस्था से आशय है कि प्रत्येक पाठक को अधिकार है कि वह पुस्तक थालमारियों के पास जाकर अपनी इच्छा की पुस्तक का चयन करता। वह बिना किसी हिचकिचाहट के व्यक्तिगत घरेलू पुस्तकालय की तरह उपयोग कर सकता है।<sup>1</sup> इसके परिणामों की धोरणी सचेत रहना चाहिए और उसे कम करने के लिए भवन का निर्माण करते वक्त पुस्तकालय में आने और जाने का एक ही रास्ता रखा जाय और अन्य लिडकियों तारवाली जालियों से बन्द कर दी जानी चाहिए। पुस्तक का पेज फाड़ना जानबूझ कर पुस्तकों को गलत स्थान पर रख देना अतः दुर्लभ ग्रंथ छोटे-छोटे पेपर सैट आदि स्वच्छन्द प्रवेश से अलग रखे जाय।

जब तक कोई मुकम्मिल व्यवस्था पूर्व में न हा जाय तब तक 'स्वच्छन्द प्रवेश' व्यवस्था को लागू करने की नहीं सोचनी चाहिए।<sup>2</sup>

अनुलय सेवा (Reference Service) सामान्य सदस्य पुस्तकों के बारे में उपयोग करने का ज्ञान प्रभावशाली अधिगम के लिए उपयोगी है। शाला पुस्तकालय निर्देशन मुभाव, सही तथ्य छात्रों तक पहुंचाने का सफल प्रयास किया जाता है। बहुत से छात्रों को शाला पुस्तकालय में जाकर भी यह ज्ञान नहीं होता कि सही सूचनाओं को किन प्रकार संप्रहीत करे।

पुस्तकालयाध्यक्ष को चाहिए कि पुस्तकालय के नियमों, पुस्तकालय व्यवहार, वर्गीकरण, सूचीकरण व्यवस्था तथा सूचियों को देखना, निर्देश्य समय पर निकलने वाली पत्र पत्रिकाओं व पुस्तकों के बारे में व्यक्तिगत निर्देश दे। उसे बहुत ही व्यवहार कुशल व मृदुल स्वभाव का होना चाहिए ताकि छात्र बगैर हिचक के उससे सहयोग के लिए पहुंच सके। सदस्य सेवा दो प्रकार की होता है— 1 प्रस्तुत सदस्य सेवा और व्याप्त (सम्प्रे समय तक चलने वाली) सदस्य सेवा। प्रस्तुत अनुलय सेवा में रिफेंस पुस्तक के द्वारा अभीष्ट सूचना शीघ्रतिशीघ्र प्रस्तुत की जाती है। 2 व्याप्त अनुलय सेवा में सूचनाओं का प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत अनुलय सेवा की अपेक्षा कुछ अधिक समय लेता है।

1 डा रगनायन एस आर पुस्तकालय विधान की भूमिका पेज/743

2 मुर्जी ए के स्कूल साइबरी

कक्षा पुस्तकालय (Class Library) 'आधुनिक युग में यह दृष्टिकोण बन गया है कि प्रत्येक शाला में केन्द्रीय पुस्तकालय स्थापित हो। कक्षा कक्ष पुस्तकालय स्वच्छन्द प्रवेश केन्द्रीय पुस्तकालय व्यवस्था अधिक लाभान्वित होता है। आज भी शाला में कक्षा पुस्तकालय को प्राथमिकता देते हैं।' 1 यदि कक्षा पुस्तकालय को व्यवस्थित रखें तो अत्यधिक उपयोगी सम्भावनाएं बन जाती हैं। ये कक्षा के छात्रों द्वारा स्वयं ही पुस्तकें संग्रहित की जाती हैं और संगठित की जाती हैं। यह शाला के कार्यक्रम का ही भाग है। शाली समय का सदुपयोग कक्षा-पुस्तकालय व्यवस्था से व्यवहारिक रूप दिया जा सकता है इसको प्रभावशाली ढंग से चलाने हेतु अधिक धन की बजाय अध्यापक का दृढ़ निश्चय ही काम जाता है। कक्षा पुस्तकालय से आदान-प्रदान अर्द्ध अवकाश में सम्पन्न किया जा सकता है। शाला पुस्तकालय में महत्वपूर्ण पुस्तकों की कई प्रतियां लेकर कक्षा पुस्तकालय के उपयोग हेतु दे सकता है। 2

## पुस्तकालय को छात्रों हेतु आकर्षक बनाने के उपाय

(Suggestions to make Library attractive to the Students)

शाला या कक्षा पुस्तकालय का संगठन करने मात्र से उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती। विप्रयम बालकों को पुस्तक के प्रति प्रेम जागृत करना है। यद्यपि इस क्रिया की प्रति घीमी है लेकिन एक दफा छात्रों में इस आदत का निर्माण हो जाता है तो स्वयं ही शाली समय में पुस्तकों का उपयोग हेतु पुस्तकालय स्वतः ही जाने की आदत बन जायेगी।

शाला छात्रों का ज्ञान, अच्छी पुस्तकें प्रदान करना अच्छे पत्र एवं पत्रिकाओं की व्यवस्था करना उनका महत्वपूर्ण कर्तव्य है। शाला पुस्तकालय छात्रों में ऐसा वातावरण पैदा करता है कि वे अच्छी और गंदी पुस्तकें अच्छी व गंदी पत्रिका, के बारे में भेद कर सकें, और विश्वकोष, शब्दकोष तथा अनुक्रमिका का उपयोग करना सीख लें। पुस्तकालय में पुस्तकों के आदान-प्रदान की व्यवस्थाओं को हृदयगम कर लेता है।

“उसे पाठकों का ध्यान नई पुस्तकों पर लाना चाहिए तथा समय-समय पर पुरानी पुस्तकों की अवस्था पर ध्यान आकर्षित करना चाहिए। शाला पत्रिका में प्रसारण करना चाहिए।” 3 पुस्तकालय की प्रभावशाली सेवा के लिए उसे विशिष्ट पुस्तकालय

1 रगनाथन, एस आर 'पुस्तकालय विज्ञान की भूमिका' पृ. XB 3

2 Mukerjee AK School Library'-NCERT P 34

3 डा. रगनाथन, एस आर 'पुस्तकालय विज्ञान की भूमिका' पेज/730

दिवस, बुलेटिन बोर्ड का समुचित उपयोग, पुस्तक प्रदर्शनी, विशिष्ट अध्ययन सूचिका का प्रसारण, पुस्तकों की समालोचना आदि उपागम वर पुस्तकालय सेवा की प्रभावशाली बना सकता है। यह सब तभी होगा जब पुस्तकाध्यक्ष व्यक्तिगत रुचि लेते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करेगा।

### पुस्तकालयाध्यक्ष के करणीय कार्य (Functions of Librarian)

शाला पुस्तकालय सेवा का माध्यम, प्रशिक्षण माध्यम, अध्ययन केन्द्र, सग्रह केन्द्र, और वह केन्द्र जहाँ अध्ययन की आदत डालने हेतु निर्देश देने वाली संस्था है। यह उद्देश्य अप्रशिक्षण प्राप्त व पुस्तकों से प्रेम न रखने वाले पुस्तकालयाध्यक्ष से सम्पन्न होने में सदिग्धता है।

शिक्षण-प्रशिक्षण प्राप्त पुस्तकालयाध्यक्ष व उसका स्तर — वह ग्रेजुएट मग पुस्तकालय विज्ञान में उपाधि प्राप्त होना चाहिए। उसका शाला में अच्छा स्तर होना चाहिए। यदि प्रशिक्षित पुस्तकालयाध्यक्ष उपलब्ध नहीं है तो भी एड में पुस्तकालय विषय की विशिष्ट प्रश्न-पत्र लेकर उपाधि प्राप्त को प्रभारी बनाया जा सकता है।

#### कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व

- (1) वह देखे कि पुस्तकालय के लिए उपयुक्त स्थान है या नहीं जहाँ प्राकृतिक हवा और रोशनी आ रही है या नहीं।
- (2) पुस्तकालय केन्द्र स्थल पर है या नहीं।
- (3) वहाँ उपयुक्त फर्नीचर है या नहीं।
- (4) पुस्तकालय-वक्षा पूर्णरूपेण सजा हुआ है या नहीं।
- (5) पुस्तकालय समिति का निर्माण करे जिसका सभापति प्रधानाध्यापक हो और वरिष्ठ अध्यापक विभिन्न विषयों के तथा छात्रों का सहयोग भी लिया जाय।
- (6) उचित पुस्तकालय-नियमों का निर्माण करना।
- (7) सभी छात्रों के उपयोग हेतु पुस्तकों का चयन।
- (8) पुस्तक क्रय के तुरन्त बाद उधार देने हेतु तैयार रखे।
- (9) पुस्तकों का वर्गीकरण व सूचीकरण की ओर ध्यान रखे।
- (10) पत्र-पत्रिकाएँ निर्धारित समय पर आते हैं या नहीं, पाठकों के उपयोग हेतु प्रदर्शित करे।
- (11) पुस्तक-वित्त व पत्राचार की ओर व्यक्तिगत ध्यान देना।

- (12) पुस्तकालय कालाश समय सारिणी में लगाया है या नहीं ।
- (13) अनुलय सेवा हेतु निर्देशन देना ।
- (14) कक्षा पुस्तकालय के त्रियाकनाप का पर्यक्षण करना तथा उहे पुस्तकालय सगठन के बारे में निर्देशन देना ।
- (15) छात्रों को पुस्तकालय के प्रति प्रेम पैदा करने हेतु उत्प्रेरित करें ।
- (16) 'बुक जाकेट' का प्रदर्शन करना ।
- (17) पुस्तकालय के समान की सुरक्षा के बारे में निर्देशन देना ।
- (18) पुस्तको का आदान-प्रदान निर्धारित समय पर हो ।
- (19) पुस्तकालय की वार्षिक सत्याभूति प्रतिवेदन प्रस्तुतिकरण ।
- (20) पुस्तकालय बजट में से विभिन्न मदों में व्यवस्थित रूप से खर्च करना ।

पुस्तकालय के प्रति छात्रों में प्रेम उत्पन्न करना —

- (1) वाद विवाद का सगठन करना, पुस्तक समालोचना पढ़वाना ।
- (2) प्रच्छी पुस्तको की प्रदर्शनी आयोजित करना ।
- (3) शैक्षिक फिल्म दिखाना ।
- (4) राष्ट्रीय विभूतियों के जन्मदिन मनाना ।
- (5) राष्ट्रीय पंच मनवाना आदि कार्यों के सगठन से छात्रों में पुस्तकालय के प्रति भावात्मक सम्बन्धित स्थापित होंगे ।

उसे उपरोक्त सभी कार्यों से महत्वपूर्ण कार्य यह है कि उसमें कौशल पैदा हो कि वह अध्यापन वस्तुओं को ऐसे ढंग से सगठित करे कि छात्रों में स्वाध्याय की आदत निर्माण हो सके । ये सभी कार्य वाला व्यक्ति जिसने प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है और वह पुस्तको से प्रेम व व्यवसाय से प्रेम रखता हो ।

## मूल्यांकन (Evaluation)

### (अ) लघूत्तरात्मक प्रश्न (Short Answer Type Questions)

- 1 विद्यालय पुस्तकालय-सेवा का अधिकतम उपयोग करने हेतु पांच सुझाव दीजिए ।  
(बी एड 1985)
- 2 विद्यालय-पुस्तकालय सेवा का अधिकतम उपयोग करने हेतु पांच उपाय प्रस्तुत कीजिए ।  
(बी एड पत्राचार 1984)
- 3 विद्यालय लाइब्रेरी के सगठन में किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ?  
(बी एड 1982)

**(व) निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)**

- 1 यदि आपको किसी विद्यालय के पुस्तकालय का दायित्व सौंपा जाता है तो आप अधिकतम उपयोग की दृष्टि से इसकी सेवा का पुनर्गठन किस प्रकार करेंगे ?  
(बी एड पत्राचार 1981)
- 2 'पुस्तकालय एक शाला की आत्मा है'— विचार प्रस्तुत कीजिए । (बी एड 1979)
- 3 विद्यालय में पुस्तकालय का क्या महत्व है ? इसका सर्वोत्तम उपयोग किन प्रकार किया जा सकता है ?  
(बी एड 1978)
- 4 आप विद्यालय में पुस्तकालय का प्रयोग किस ढंग से करेंगे जिससे छात्रों के अन्दर स्वाध्याय के लिए प्रेरण उत्पन्न हो सके तथा उनको अपनी विशेष रुचियों को पुस्तक पढ़ने में पथ-प्रदर्शन मिलता रहे ?

[ रूपरेखा छात्रावास की आवश्यकता व महत्त्व, छात्रावास का संगठन, छात्रावास का प्रबंध, छात्रावास अध्यक्ष के काय, बालको के रहन सहन सम्बन्धी कार्य, सामाजिक काय, अनुशासन सम्बन्धी कार्य, निरीक्षण सम्बन्धी काय, स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्य, अन्य करणीय काय, छात्रावास नियम, छात्रावास व प्रधानाध्यापक सम्बन्धी समस्याएँ और उनके निराकरण हेतु सुझाव, छात्रावास से लाभ, छात्रावास की परिसीमाएँ एवं सावधानिया, मूल्यांकन ]

भारत में छात्रावास की व्यवस्था प्राचीन काल से चली आ रही है। गुरुकुल शिक्षण व्यवस्था में छात्र अपने गुरु के चरणों में बैठकर अध्ययन करते और ब्रह्मचर्य आश्रम की अवस्था तक छात्र आश्रम में ही निवास करता था। मध्य युग में मठों, बिहार में मंदिरों तथा मसजिदों के साथ विद्यार्थियों के आवास की व्यवस्था होती थी। आधुनिक शिक्षण व्यवस्था खास तौर से माध्यमिक स्तर पर जहाँ बच्चे को सस्वारिक करने का धर्म उद्देश्य है, वहाँ छात्रावास में जघास कर उसमें भिन्न भिन्न गुणों का विकास किया जा सकता है। आश्रम व्यवस्था में प्रत्येक छात्र छात्रावास में रहता है लेकिन जाज की घडनी हुई छात्र सरया में सम्भव नहीं है।

छात्रों में साधुहिकता, सहयोग और आत्म निर्भरता विकसित करने की शिक्षा जितनी छात्रावास से प्राप्त होती है उतनी विद्यालय के किसी अन्य साधन से नहीं। छात्र छात्रावास में रहकर स्वशासन की शिक्षा प्राप्त करने के साथ ही जीवनोपयोगी बातों की भी शिक्षा प्राप्त करते हैं।

“छात्रावास के माध्यम से छात्रों की शारीरिक मानसिक तथा नैतिक स्वास्थ्य का प्रशिक्षण देना चाहते हैं ता छात्रावास में अच्छा वातावरण उचित व्यवस्था तथा अच्छा प्रबंध ही तो छात्रों का शारीरिक, मानसिक एक नैतिक विकास बहुत ही सुंदर और प्रभावशाली ढंग से हो सकता है।”

शिक्षा के प्रसार अभियान के फलस्वरूप माध्यमिक विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में



निरंतर बढ रहे हैं। आसपास के छात्र पढ़कर अपने-अपने घरों को चले जाते हैं। शहरी छात्र अभिभावकों के साथ रहते हैं। आज छात्रावास या जीवन भी तो आर्थिक दृष्टि से महंगा होने के कारण बाहर से आने वाले छात्र भी कहीं व्यक्तिगत व्यवस्था करके विद्यालय में अध्ययन करते हैं।

## विद्यालय छात्रावास की आवश्यकता तथा महत्व

### (Need and Significance of Hostel)

इस सन्दर्भ में निम्नलिखित बिंदु उल्लेखनीय हैं —

- (1) छात्र दरदरा से विद्यालयों में अध्ययन के लिए आते हैं यह उचित शिक्षण परिस्थितियाँ पैदा करने के दृष्टि से रहने व खाने की सुविधाएँ छात्रावास के रूप में वांछित हैं।
- (2) जिन छात्रों का ग्रह वातावरण अस्वस्थ व कष्टदायक है उन लड़कों के लिए छात्रावास की आवश्यकता है।
- (3) छात्रों के ऐसे अभिभावक जो निरंतर स्थानांतरण होते रहते हैं।
- (4) आस-पड़ोस में अच्छी शिक्षण सस्था के न होने पर अभिभावक अच्छी सस्था में अध्ययन करवाने की इच्छा से छात्रावास वाली सस्था में पढ़ाना चाहेंगे।
- (5) छात्रावास से विशेष शिक्षा उद्देश्य प्रजातीय गुण पैदा होते हैं।
- (6) छात्रावास के नियम और अनुशासन का मानता हुए और सामूहिक जीवन का अभ्यास करते हैं। जो भावी नागरिक के लिए आवश्यक है।
- (7) छात्रावास में अपनत्व की भावना का विकास होता है।
- (8) समानता, स्वात्मबल, उदारता उत्तरदायित्व आदि के आधार पर दिनचर्या व्यतीत करने से प्रजातांत्रिक गुणों का विकास होता है।
- (9) "छात्रावास विद्यालय में सीखने के सिद्धान्तों की प्रयोगशाला है। यह वह स्थान है जहाँ बालक के व्यक्तित्व का विकास होता है तथा उपयुक्त आदतों एवं आदर्श का निर्माण किया जाता है।" 1
- (10) छात्रावास का स्वास्थ्यप्रद वातावरण होता है जहाँ छात्र फुले मैदान में खेल-कूद करते हुए नियमित जीवन व्यतीत करके अपने चरित्र को सुदृढ़ कर सकते हैं।
- (11) छात्रावास सर्वांगपूर्ण विकास (शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक) में सहायता देती है, क्योंकि वहाँ पढ़ने, लिखने, खेलने-कूदने तथा सामाजिक कार्यों में भाग लेने की पूर्ण व्यवस्था रहती है।
- (12) अपने व्यवहानिक जीवन की शिक्षा स्वतन्त्रतापूर्वक आत्मनिर्भर तथा कम पैसों

1 रायबन डब्ल्यू एम "विद्यालय संगठन," पृ

से जीवन चलाने का प्रशिक्षण सहज ही मिलता है ।

- (13) सोचन-विचारने के दृष्टिकोण में व्यापकता प्राप्ती है ।
- (14) अनुकरणीय शिक्षकों के सम्पर्क में आने से बहुत से गुण बनायास ही सीख जाता है ।
- (15) पुस्तकालय, वाचनालय तथा अध्ययन के विभिन्न साधनों के उपलब्ध होने से मानसिक विकास होता है और स्वाध्याय की आदत का निर्माण होता है ।
- (16) छात्रावास में सारा दिनचर्या नियमित होती है और अच्छी आदतों का विकास होता है और व्यय के समय क्रियाशील रहत है जिससे नैतिकता का समावेश उस व्यक्ति में हो जाता है ।
- (17) स्त्रियों के अनुसार — खेल के मदान तथा छात्रावास में बालक एक दूसरे से जो पाठ सीखते हैं, वे विद्यालय में सीखे हुए पाठों से सौ गुना अधिक उपयोगी होते हैं ।”
- (18) विभिन्न धर्म, जाति, सम्प्रदाय तथा क्षेत्र के विद्यार्थी छात्रावास में एक साथ रहने से उनमें भावात्मक सम्बन्ध स्थापित हो जाते हैं जो राष्ट्रीय एक भावात्मक एकता के लिए आवश्यक गुण है ।
- (19) बालक व्यवहारिक जीवन में प्रविष्ट होने से पूर्व विभिन्न दशाओं एवं समस्याओं का अध्ययन व निदान करते हुए समाधान ढूँढने की आदत का विकास होता है ।
- (20) छात्रावास में अपनी प्रत्येक वस्तु को निर्धारित स्थान पर ही व्यवस्थित तरीके से रखने का प्रशिक्षण लेता है ।

उपरोक्त विद्यार्थी के अवलोकन से स्पष्ट है कि विद्यार्थी-जीवन में छात्रावास का मूल्यवान अनुभव प्रदान करवाते हुए व्यवहारगत परिवर्तन करवाने का सफल प्रयत्न करता है । अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान ठोस व स्थाई होता है, लेकिन यह सब उद्देश्य दृष्टि से सगठित एवं संचालित होने से ही हो पायगा ।

### छात्रावास का सगठन

स्थिति — छात्रावास की स्थिति शाला भवन के समीप हानी चाहिए । शाला भवन के ऊपर छात्रावास बनाने की प्रथा साधारणतः श्रेयस्कर नहीं । अतः उसे कवन शाला के पास ही रखा जावे । यह ऐसे स्थान पर ही जहाँ स्वास्थ्यप्रद प्रवर्षण हो और गुप्त रूप से हेतु पर्याप्त मात्रा में खुली जगह हो । इससे उपरात भी कहीं दूर भी हा तो मुख्य काम पर स्थित होने चाहिये ताकि छात्रों के आने जाने में यात्रायात्र सम्बन्धी अनुविधान हो छात्रावास में छात्रों द्वारा निर्वाचित मोनिटरस जनरल मोनिटर तथा भ्रम मोनिटर

होते हैं जो रोजाना के काय मे जिम्मेदारी से सहयोग देते हैं ।

छात्रावास मे रहने की व्यवस्था सामान्यत तीन प्रकार की होती है—(1) द्वार मिट्टी विधि, (2) कंठिज पद्धति तथा (3) हाऊस पद्धति ।

प्रो० रायबन 2 के अनुसार — 'छात्रावास भवन के बारे मे जा विशेषता होने चाहिए इस प्रकार है —

- (1) छात्रावास मैदान मे पर्याप्त दूरी पर होना चाहिए । यदि सम्भव हो तो पाठशाला सड़क के सनिपट हो छात्रावास उसके पीछे हो ।
- (2) सर्वोत्कृष्ट ढग की इमारत एवं मजिल की होती है ।
- (3) रात के समय आसानी से बन्द किया जा सके ।
- (4) इमारत मे फाटक के पाम एक और प्रवेशार्थ का निवास स्थान कार्यालय और दूसरी और वाचनालय तथा अध्ययन-कक्ष होना चाहिए ।
- (5) भवन के तीनों विनार श्यनागरो मे विभाजित हा जहाँ 12 से 20 विद्यार्थी रह सके ।
- (6) प्रति विद्यार्थी 50 से 60 वर्ग फीट की जगह होनी चाहिए ।
- (7) श्यनागरो की ऊँचाई 16 या 17 फीट होनी चाहिए ।
- (8) श्यनागरो की चौड़ाई इतनी होनी चाहिए कि उसमें दो विस्तरे कतारो मे विद्यार्थी जा सके और कतारो के दोना सिरो पर एक एक विस्तर ओर लगा दिय जाय तो दीवार से मिले हो ।
- (9) प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक-एक आलमारी दीवार मे होनी चाहिये ।
- (10) प्रत्येक विद्यार्थी को एक कुर्सी व एक मेज दी जानी चाहिये ।
- (11) विद्यार्थियो को खराब, धुआघार लैम्पो के पास काम न करने देना चाहिए ।
- (12) बिडकियो और रोशनदान बहुतायत से होना चाहिए ।
- (13) भवन मे अदर की ओर आगन के चारो तरफ बरामदे होने चाहिए ।
- (14) फग ईट या सीमेन्ट का बना हुआ होना चाहिए ।
- (15) भवन के पीछे के कमरो में एक कमरे को खाने का कमरा बना लिया जाय, जिसके द्वार बाहर रसोई की और खुलना हो ।
- (16) भवन के पिछवाडे की तरफ उसी सिरे पर, जिधर घुलाई के कमर स्थित हो, सेप्टिक टैंकवाले पाखाने बनाये जाने चाहिए ।
- (17) भवन के उस भाग में जिधर रसोई हो, नौकरा के निवास स्थान तथा धनान

और ईधन रखने के कमरे होने चाहिए ।

(18) श्रावणक बनाने के लिए पेड और फूलो के पीधे लगाये जा सकते है ।

(19) चित्रो का प्रयोग स्वच्छ-दता से करना चाहिए ।

(20) अतिथि कक्ष, वाचनालय, चिकित्सा कक्ष, सामूहिक कक्ष, जिमनास्टिक-कक्ष, सहकारी वस्तु भण्डार तथा कार्यालय को व्यवस्था हो ।

### छात्रालय का प्रबन्ध (Organization of the Hostel)

छात्रालयाध्यक्ष(Hostel Warden) — जिस अध्यापक द्वारा छात्रावास की देख रेख व प्रबन्ध किया जाता है उसे छात्रालयाध्यक्ष कहते हैं इसके रहन की व्यवस्था सामान्यत छात्रावास में ही हानी है क्योंकि वह अधिक सम्पक मे आता है और स्पातीय अभिभावक होता है ।

"छात्रावास के प्रबन्धक का काम बडा ही कठिन है उसके लिए धैर्य, कौशल तथा बज्ञानिक दृष्टिकारण और धतुराई की आवश्यकता है । यदि यह ठोक से किया जाय तो निदचय ही पूरे समय का काम है ।" 1 क्योंकि यही सभी सुविधाएँ जुटाना है छात्रो के लिए । इतनी बडी जिम्मेदारी का निर्वाह करने के लिए वह गुणवान हो ।

छात्रालयाध्यक्ष के गुण —

- (1) छात्रालयाध्यक्ष उच्च और दृढ धरित्र तथा उत्तम विचारो वाला व्यक्ति होना चाहिए ।
- (2) छात्रालयाध्यक्ष बालको से पिता के समान स्नेह रखे ।
- (3) वह समयो हो तथा नियमित जीवन व्यतीत कर छात्रो के सम्मुख आदेश प्रस्तुत करे ।
- (4) किसी प्रकार का व्यसन जैसे तम्बाकू, मदिरा, जुआ आदि नही हो ।
- (5) कई विषयो का ज्ञाता, खेलकूद मे रुचि लेने वाला हो ।
- (6) व्यवहारिक अनुभवो का अच्छा ज्ञाता हो ।
- (7) रुपये पैसे का हिसाब व्यवस्थित रखने की क्षमता हो ।
- (8) सुयोग्य एवं कुशल प्रबन्धक हो ।
- (9) शील स्वभाव तथा बाल-मनोविज्ञान का ज्ञाता ।
- (10) निष्पक्ष तथा दूरदक्षिता हो ।
- (11) सभी छात्रा के साथ उदार रहना चाहे किसी भी जाति, धर्म, सम्प्रदाय क ही ।
- (12) कन्सा म भी व्यवहार ठोक हो, छात्रो का विश्वासी हो ।

- (13) उसका प्रत्येक काय नि स्वाय एव सेवा भावना से प्रेरित होना चाहिए।
- (14) सतुलित भोजन एव व्यायाम की प्रत्रिया सम्बन्धी ज्ञान होना चाहिए।
- (15) छात्रों के बीच झगडों को सुनकर तुरत निर्णय लेकर -याय करे।

### छात्रालयाध्यक्ष के कार्य (Functions of Hostel Warden)

छात्रालयाध्यक्ष की अनेक जिम्मेदारिया है और उनके सफल सम्पादन द्वारा ही छात्रावास में उपयुक्त वातावरण की सृष्टि सम्भव है जिसमें रहकर बालक प्रजातांत्रिक आदर्शों की प्राप्ति कर सकते हैं। इसके प्रमुख कार्य एव उत्तरदायित्व निम्न हैं —

- (1) बालकों के रहने सहने सम्बन्धी काय — छात्रालयाध्यक्ष ही वहाँ रहने वाले बालकों को मा बाप जैसा स्नेह देना उसका पुनीत कर्तव्य है। अत वह उनके स्वास्थ्य, रहने सहने सम्बन्धी सभी निम्नलिखित बातों का ख्याप रहे —

- (1) भोजन व जल व्यवस्था का समय समय पर निरीक्षण
- (2) स्नानागार, पेशाबघर, टट्टी आदि की सफाई का ध्यान दे।
- (3) छात्रावास की सफाई और शुद्ध वातावरण बनाये और आवश्यक दवाइयों व 'प्राथमिक चिकित्सा बाक्स' सदाव रखे।
- (4) कमरों की व्यवस्था ऐसी हो कि छात्र सुविधा से रह सकें।
- (5) खेलकूद की व्यवस्था को नियमित व उत्साहित बनाये।

रायबन ने छात्रावास में रहने की दशाओं पर छात्रालयाध्यक्ष के कर्तव्य बतलाये हैं— 1

- (6) शयनागार काफी हवादार है या नहीं
- (7) सप्ताह में कम से कम तीन बार विस्तर धूप में डाले।
- (8) कमरों की सफाई और वे किस ढंग से रखे जाते हैं, उस और ध्यान दे।
- (9) गन्दगी और दुब्यवस्था के मामले में उसे बड़ी सक्ती से काम लेना चाहिए
- (10) उसे तश्तरियों और खाने के बतन की धुलाई पर जरूर नजर रखनी चाहिए
- (11) रसोई खाने, खाना पकाने के प्रबन्ध और खाना रखने तथा सामान रखने की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए।
- (12) गोदाम का निरीक्षण नियमित रूप से करना चाहिए।
- (13) नोकरी व छात्रों की समितियों पर सामाय पर्वेक्षण बनाय रखे।
- (14) आर्थिक दृष्टिकोण से छात्रावास का जीवन इतना महगा न हो। जाये कि सामाय व्यक्ति अपन बालक को छात्रावास में रख ही न न सके
- (15) छात्रों की छात्रावास सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाय।

## 2] छात्रालयाध्यक्ष के सामाजिक कार्य —

- (1) बगैर आर्थिक, सामाजिक भेदभाव के सभी को एक्सा पिता-तुल्य व्यवहार करे ।
- (2) छात्रों के साथ उठने-बठने, खेलने-कूदने, मिलने-जुलने तथा सामूहिक काय करके कौटुम्बिक वातावरण बनाये ।
- (3) छात्रावास के प्रबंध व व्यवस्था में छात्रों को भागीदार बनाने हेतु विभिन्न उप-समितियों का गठन करे, जैसे सफाई समिति, अनुशासन समिति, भौत-समिति और विकास समिति आदि ।
- (4) छात्रों की रूचि प्रकृति के बारे में प्रधानाध्यापक व अभिभावकों को अवगत कराते रहना चाहिए ।
- (5) सामूहिक गीत, सामूहिक प्रायना, भजन, कीर्तन, गोष्ठिया, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सेमीनार, समूह-विषार विमश आदि के आयोजन से मनोरंजन के साथ सामाजिकता की भावना का विकास होता है ।
- (6) छात्रावास प्रहाते में सभी छात्रों को वक्षारोपण के लिए उत्प्रेरित करें ।

## [3] छात्रालय व्यवस्था तथा अनुशासन सम्बन्धी कार्य

- (1) अनुशासन बनाये रखने में ढील नहीं दी जानी चाहिए तो अनुशासन तानाशाह भी न हो बल्कि सहयोग प्राप्त करके करना चाहिए जिसके लिए मनोवैज्ञानिक उपचार बांछित है ।
- (2) छात्रावास के अनुशासन नियम सत्र के प्रारम्भ में ही बना लिए जाय ।
- (3) अनुशासन नियमों को बगैर भेदभाव के लागू किये जाय ।
- (4) छात्रावास के लिए छात्रों में से एक प्रिफेक्ट को मनोनीत करें ।
- (5) उपयुक्त समय विभाग चयन का निर्माण हो जहां प्रातः 4 30 से रात्रि 10 बजे तक दिनचर्या योजना हो, आवश्यकतानुसार सशोधन हो सकता है ।
- (6) सामूहिक कार्यक्रम में सदैव उपस्थित रहना चाहिए ।
- (7) सामूहिक प्रायना में सदैव उपस्थित रहना चाहिए ।
- (8) आज्ञा प्राप्त किये बगैर छात्रावास से बाहर नहीं जाये ।
- (9) बाहर का भी कोई व्यक्ति बगैर छात्रालयाध्यक्ष की अनुमति के नहीं ठहरे ।
- (10) बड़े छात्रों द्वारा छोटे बालकों को तग करना, भयभीत करना आदि प्रवृत्तियों को कठोरता से समाप्त करे ।
- (11) चोरी, चोर-जबदस्ती छीन-भ्रपट आदि कार्यों से कठोर सुरक्षात्मक प्रबंध करे ।
- (12) छात्रों के सामान्य आचरण पर निगाह रखे ताकि छात्रों के आचरण का स्तर भी ऊँचा बना रहे ।

#### [4] निरीक्षण सम्बन्धी काय —

- (1) भोजन तथा भोजनालय का निरीक्षण करते हुए आवश्यक पौष्टिक पदार्थों की मात्रा है या नहीं देखते रहे ।
- (2) छात्रों को भोजन उचित समय पर प्राप्त हो ।
- (3) पढाई के लिए निर्धारित समय पर अध्ययनरत है या नहीं ।
- (4) अध्ययन समय में एक-दूसरे के कमरे में सामान्य नहीं जान पावे ।
- (5) कमरों में प्रविष्ट होकर अथ निरीक्षण के साथ वया पढ़ रहे हैं, वहीं असाभामिक साहित्य तो नहीं पढ़ रहे हैं ।

#### [5] स्वास्थ्य सम्बन्धी काय —

- (1) छात्रों को व्यक्तिगत स्वास्थ्य व सफाई के लिए प्रोत्साहित कर ।
- (2) छात्रावास के पास औपचालय की व्यवस्था होती है उसका आवश्यकतानुसार छात्रों के लिए प्रभावशाली उपयोग करवाय ।
- (3) चेचक, हैजा, बी सी जी आदि के टीके लगवाना चाहिए ।
- (4) कीटाणुओं द्वारा बीमारी न फैले उसके लिए सचेत रहे ।
- (5) किसी छात्र को छुत की बीमारी हो गई हो तो उपचार के साथ अन्य छात्रों से अलग रखना चाहिए ।
- (6) पीने के पानी को स्वच्छ रखने का प्रबन्ध करे ।
- (7) गर्मों के मौसम में पानी का समुचित प्रबन्ध होना चाहिए ।

#### [6] अथ करणीय काय —

- (1) पाठ्यक्रम सहगामी प्रवृत्तियों का संगठन व संचालन व्यवस्थित रूप से निरंतर वर्ष भर चलाने का सफल प्रयास करे ।
- (2) विभिन्न समितियों के काय, रजिस्ट्रो का अवलोकन व पर्यवेक्षण करते हुए सृजनात्मक सुभाव देवे ।
- (3) छात्रावास के उद्यान, पेड़-पौधों व खेल के मदान की देखभाल और आवश्यकता मरम्मत करवाये ।
- (4) पुस्तकालय व वाचनालय की व्यवस्था पर्यवेक्षण तथा छात्रावास की पुस्तकालय समिति को अनयन हेतु सजनात्मक सुभाव देवे ।
- (5) दण्ड, भय, प्रभोलन आदि की व्यवस्था द्वारा अनतिक कामों की राक्षाम करे ।
- (6) छात्रावास की वस्तुआ एव सम्पत्ति आहे उपहार स्वरूप ही प्राप्त हुई है उसका रजिस्टर में दर्ज करवाना ।

## छात्रावास नियम (Hostel Rules)

छात्रालयाध्यक्ष को छात्रावास के संचालन हेतु अपने कर्तव्यों का भली प्रकार निर्वाह करने से व्यवस्थित होगा। छात्रावास नियमों का निर्माण प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया से करते हुए सभी छात्रों में प्रसारण किया जाय। उसके लिए कुछ नमूने दिये हैं। प्रो० रायबन के अनुसार निम्नलिखित हैं।

- (1) छात्रावास प्रवेश से पूर्व अग्रिम धन तथा सुरक्षा शुल्क जमा करवाना पड़ेगा।
- (2) छात्रावास सम्पत्ति नष्ट कर देने पर नुकसान पूरा करना पड़ेगा।
- (3) विद्यार्थियों के पास कुछ रुपये हो या कीमती सामान हो तो छात्रालयाध्यक्ष का जमा करा सकते हैं।
- (4) छात्र अपने बिस्तर, कपड़े और चीजें साफ-सुथरी रखें।
- (5) मंगलवार बहस्पतिवार और शनिवार को सारे बिस्तर बाहर डाले जाने चाहिए।
- (6) भ्रालमारी बग्स व कमरे में खाने का सामान न रखें।
- (7) सिगरेट व मादक वस्तुओं का सेवन निषेद्ध है।
- (8) छात्र बगैर प्रवर्धकर्ता की आज्ञा के छात्रावास नहीं छोड़ें।
- (9) सदैव प्रातः काल के व्यायाम से अवकाश हेतु स्वीकृति वांछित है।
- (10) बगैर छात्रालयाध्यक्ष की पूव स्वीकृति छात्र अपने अतिथि को साथ नहीं ठहरायें।
- (11) किसी दुकानदार व साथी छात्रों से पेन-इन बगैर छात्रालयाध्यक्ष की पूव स्वीकृति आयाचित वृत्त है।
- (12) छात्रों को समितियों को सहयोग देना चाहिए, गम्भीर मामलों में समिति के निर्णय के विरुद्ध प्रवर्धको का अपील करें।
- (13) छ मास निरन्तर छात्रावास में रह रहे विद्यार्थियों को ही समिति निर्माण का अधिकार होगा।
- (14) प्रयानाध्यक्ष की पूव स्वीकृति के बगैर, शाला समय में कोई भी विद्यार्थी छात्रावास में नहीं रहेगा।

वास्तविक जीवन की शिक्षा — "छात्रावास में रहकर जीवन का अभ्यास करते हैं और गुणा व आदता को सीखते हैं। छात्रावास के जीवन से वास्तविक जीवन की शिक्षा मिलता है— 1 छात्रावास में रहकर नियमित तथा अनुशासन युक्त जीवन का अभ्यास होता है, 2 एक-दूसरे के साथ रहना सीखता है, 3 छात्र एक दूसरे की सहा-



यता करते हैं, तबलीफ में एक-दूसरे के साथ खडा होना 4 एक दूसरे के साथ -याय वा वर्ताव करना 5 धरो वे सकीर्ण वातावरण से बाहर निकल जाते हैं। 6 स्वावलम्बन जीवन का प्रशिक्षण 7 अय छात्रो म सीहाद व समानता की भावना का सचार करता है।

**छात्रावास व शाला प्रधान —** जिम सस्थाओं में छात्रावास है वहा के प्रधान-ध्यापक का उत्तरदायित्व है कि वे धर जीसा वातावरण तथा सभी प्रकार की सुविदाएँ प्रदान करने में कोताई न करे। प्रधानाध्यापक को छात्रालयाध्यक्ष से वस्तुस्थिति के बारे में अवगत होवे और उसके वर्तमान प्रशासन व भविष्य में विकास हेतु विचार-विमर्श करते रहना चाहिए।

उसे नियमित रूप से छात्रावास का निरिक्षण करने के लिए जाते रहना चाहिए। समय बदल बदल कर उसे छात्रावास जाना चाहिए जिससे विद्यार्थियो और कमचारियो को यह प्रतीत होने लगे कि प्रधानाध्यपक एक विशिष्ट समय पर आते है और वह उस समय ही नियमित और अनुशासित हो जाएँ। उसे यह भी दखना चाहिए कि विद्यार्थी पढने के समय पर पढते है, खेलने के समय पर खेलते है और ठीक समय पर सो जाते है।

### छात्रावास सम्बन्धी समस्याएँ व उनके निराकरण के सुझाव (Problems regarding Hostels for their solution)

- (1) बडे लडके छोटे लडको के साथ अस्वाभाविक सम्बन्ध स्थापित कर लेते हैं और लग भी करते है। एक कमरे में समान आयु वर्ग के छात्रो का रखा जाय।
- (2) रात्रि का चौकीदार से मिलकर छात्रावास से बाहर रहना। चौकीदार को बडी हिदायत हो कि निर्धारित समय के उपरात कोई आवागमन न हो। छात्राध्यक्ष को वगैर सूचना के कमरा का निरिक्षण करे।
- (3) शाला समय में छात्रावास में छात्र आकर बैठ जाते हैं। विद्यालय समय समाप्ति तक छात्रावास बंद कर दिया जाय।
- (4) छात्रो द्वारा नौकरो से दुःयवहार करना। नौकर छात्रावास के हैं छात्र के नहीं यह बात उन्हें हृदयगत करवादी जाय।
- (5) वस्तुएं चोरी हाना। अधिक धन रखन की अनुमति न देना।
- (6) किसी भी मित्र को अतिथि बनाकर ठहरा देना। अभिभावकों द्वारा प्रवेश के समय छात्र के सम्भावित अतिथि की सूची प्राप्त करले, उसके अलावा नहीं ठहरे।
- (7) बाहर के भिन्न विंग वालो से नौकरा के माध्यम से पत्र-व्यवहार। नौकरा को बठोर हिदायत दी जाय कि पत्र-वाहक का काय न करे।

1 मायुर, एल एन, 'विद्यालय सगठन और स्वास्थ्य शिक्षा'

पृ/106-107

2 गेड एव शर्मा, 'भारतीय जनता और शिक्षालय-व्यवस्था'

पृ/243

- (8) बाहर के लोगो व दुकानदारा से रूपयो का लेन देन करने हैं । वे परस्पर उधार न ले, यदि ऐसा मालूम पडते ही अभिभावका का सूचित कर दिया जाय ।
- (9) छात्रावास मे समितियो के निर्वाचन को लेकर द्वन्द पदा होता है । छात्रावास अध्यक्ष विभिन्न पार्टियो से मिलकर भेदभाव समाप्त करवाय ।
- (10) छात्रावास को समिति सदस्य आमदनी का साधन बनाते है । समिति द्वारा प्रदत्त हिसाब का अत्र छात्रा द्वारा भ्राडिट करवाई जाय और छात्रावास अध्यक्ष बस्तु-स्थिति से अवगत होकर आवश्यक कार्यवाही करे ।

### छात्रावास से लाभ (Advantages of Hostel)

पिछले पृष्ठो के विवचनात्मक अध्यन से स्पष्ट होता है कि छात्रो को आज के सामाजिक मूल्यो के अनुस्य विभिन्न प्रकार के गुणों का उसके व्यक्तित्व विकास मे सहयोगी रहना है जैसे —

- (1) नागरिकता की शिक्षा को प्रजाताणिक शासन व्यवस्था के लिए अत्यंत आवश्यक गुण है, उमका विकास होता है ।
- (2) छात्रावास का सचालन छात्र द्वारा ही सम्पन्न होते से उनम उत्तरदायित्व भावना का सहज ही विकास होता है ।
- (3) लोकतन्त्र की सफलता उनके नागरिको में सहन चीनना, सहयोग, भ्रातृत्व एव आत्म नियन्त्रण पर ही निर्भर करता है इन सभी गुणों का अनौपचारिक रूप में छात्रावास जीवन से स्वतः ही पदा हा जाते है ।
- (4) छात्रावास के छात्रो मे आपसी सन्धोग एव सहायता से उनके बौद्धिक स्तर का विकास होता है ।
- (5) धीमे गति से अधिगम करने वाले छात्रा को थोडे छात्रो के सहयोग से अध्ययन मे सहयोग प्राप्त होता है।
- (6) विशिष्ट बुद्धिवाले छात्रो को अध्ययन में अत्र छात्र हृदय से सहयोग करने से वे प्रखर हो जाते हैं ।
- (7) दूसरे छात्रो की बात व जिघारो की सुनते व प्रस्तुत करने की स्वतन्त्रता से विचार विमर्श करने की दक्षता प्राप्त होनी है ।
- (8) छात्रा मे स्नेह एव मोहादपूर्ण वातावरण से पैदा हुई अभिवृद्धि व्यवहारिक जीवन मे एक विशिष्ट स्थान बनाने में सफल हो जाते है ।
- (9) स्कूल में यह अत्यधिक ज्ञान प्राप्ति का साधन बन सकता है ।
- (10) सामाजिक एव मानवीयता के भावों का प्रकटीकरण होता है।

- (11) सामाजिक एवं मानवीयता के भावों को प्रकट होने से अनुपयुक्त और अप्रयोग-शील भावनाओं तथा अहं की भावना का दिमाग से उमूलन होता है ।
- (12) छात्रों में भावावेश, साहस तथा उत्साह में परिपक्वता स्थान लेती है ।
- (13) छात्र चित्तमन लगाकर योजना बनाना, उस पर काय करना और सम्पूर्ण करना आदि प्रक्रिया से द्वारा काय पूर्ण करने की भावना का विकास होता है ।
- (14) व्यवहारिक जीवन के लिए उपयोगी प्रशिक्षण सम्मिलित होकर काय करने का गुण छात्रावास जीवन की देन है ।
- (15) अपनी दक्षता के आधार पर काय पर दृष्टि रखकर अपनी दक्षता और योग्यता से काय को आगे बढ़ाने की भावना पर निर्भर करता है ।

### छात्रावास की परिसीमाएँ और सावधानियाँ

छात्रावास जिस उद्देश्य के आधार पर संचालित किया जाता है उसके भिन्न प्रकार के दोष निरीक्षण व्यवस्था कमजोर होने से बन जाती है जैसे —

- (1) छात्र अध्ययन की बजाय गप्प शप में या अन्य व्यय के कार्यों में समय बर्बाद कर देते हैं ।
- (2) विभिन्न जातियाँ नगरो से आने वाले बालकों की स्वयं रीति रिवाज व परम्पराएँ होती हैं लेकिन सामूहिक मिलन से सब भूल जाते हैं ।
- (3) बड़े लड़के कम आयु के बच्चा को तग करते हैं ।
- (4) छात्रावास की अव्यवस्था में शैक्षिक वातावरण खराब होने की प्रबल संभावनाएँ हो जाती हैं ।
- (5) छात्रावास के खराब, शरारती, ब्यसनी छात्र ऐसा अशैक्षिक वातावरण बना देते हैं जिससे परिश्रमी तथा योग्य छात्रों के अध्ययन में अवरोध पैदा होता है ।
- (6) योग्य और परिश्रमी छात्र अपने परीक्षा परिणाम आशा के विपरीत होने की स्थिति में हीनता की भावना पैदा तो होती ही है साथ ही अभिभावक द्वारा विनियोजन व्यय सिद्ध होता है ।
- (7) अभिभावकों से दूर रहने पर छात्रालयाध्यक्ष ही स्थानीय संरक्षक होते हैं उनकी ढील में फायदा उठाकर छात्र अनुचित कार्यों के व्यसन में अनुरक्त होते हैं ।
- (8) अनुचित कार्यों से प्रसिद्ध होने के फलस्वरूप उनके शारीरिक मानसिक और नैतिक पतन की संभावनाएँ बढ़ती हैं ।
- (9) छात्रावास में राजनैतिक, जाति, धर्म, समुदाय या क्षेत्र के आधार पर द्वन्द्व होने से सभ्य जैसी स्थिति हो जाती है ।

(10) दलगत सघप से अनुषानहीनता, विधटनात्मक क्रियाएँ, लडाई-झगडे होने से छात्रा को नुकसान होता है ।

अत छात्रावास के अधिकारी व प्रधानाध्यापक का दायित्व अधिक दत्तचित होने तथा अभिभावको का भी पूण सहयोग मिलने पर ही छात्रावास शैक्षिक सस्थान की पवित्रता को बनाये रख सकती है ।



### मूल्याकन (Evaluation)

#### (अ) लघूत्तरात्मक प्रश्न (Short Answer Type Questions)

- 1 विद्यालय मे छात्रावास की क्या उपयोगिता है ?
- 2 छात्रावास अध्याक्ष मे किन किन गुणो का होना आवश्यक है ?
- 3 छात्रावास मे किन-किन अभिलेखो का रखना आवश्यक है ? परिचय दीजिए ।
- 4 छात्रावास के सगठन एव सचालन में क्या सावधानियाँ वाछित है ?

#### (ब) निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

- 1 आप छात्रावास मे रहने वालो छात्रो का जीवन किस प्रकार नियमित करेंगे ? विस्तार योजना प्रस्तुत करे ।
- 2 यदि आप छात्रावास के वाडन बना दिये जाय तो आप कौन-कौन से कार्य करेंगे जिससे छात्रा के जीवन नियमित बन सके ।

[ विषय-प्रवर्ग—(क) प्रवेश संबंधी प्रमुक्त समस्याएँ एवं उनका निराकरण (1) प्राथमिक स्तर पर, (2) उच्च प्राथमिक स्तर पर, तथा (3) माध्यमिक स्तर पर—प्रवेश संबंधी विभागीय नियम नाम पृथक्करण एवं पुनः प्रवेश—स्थानांतरण प्रमाण-पत्र (T C) गृह-कार्य का परम्परागत एवं नवीन सप्रत्यय गृह कार्य के उद्देश्य उसकी आवश्यकता एवं महत्व गृह कार्य के प्रकार-गृह कार्य के सिद्धांत गृह कार्य सम्बंधी समस्याएँ एवं उनका निराकरण (1) गृह कार्य की मात्रा का नियमन, (2) गृह कार्य का सशोधन, तथा (3) गृह-कार्य का अनुवर्तन (Follow up) गृह कार्य का समय-विभाग-चक्र उपसंहार मूल्यांकन ]

### विषय-प्रवेश —

विद्यालया में छात्र-प्रवेश अथवा नामांकन की समस्या सत्रारम्भ में सर्वाधिक तप मतप्रपन्त किसी न किसी रूप में बनी रहती है। शिक्षा के प्रत्येक विद्यालयीय स्तर (प्राथमिक उच्च प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर) की सस्यामो में प्रवेश की समस्या प्रमुख होती है। प्रवेश अथवा नामांकन (Enrolment) की राष्ट्रीय नीति की कच्चा बरतते हुए कोठारी शिक्षा आयोग (1966) ने कहा है "हमारे मानव-साधन का विकास राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में से एक है और इस दृष्टि से शिक्षा के प्रवाह की कोई सीमा भी निर्धारित नहीं की जा सकती। लेकिन किसी वर्ग में किसी एक समय पर शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं का स्वरूप, परिणाम तथा स्तर किस प्रकार का हो यह संघर्ष पर निर्भर करता है। यह बात अज्ञात तो साधनों के उपलब्ध होने पर अज्ञात जनता के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन-स्थान के विद्यमानता पर निर्भर रहती है।

भारत ने एक लोकतांत्रिक तथा समाजवादी ढंग से समाज की स्थापना का सकल्प लिया है।<sup>1</sup> इस सन्तुष्टि में आयोग ने शिक्षा के विभिन्न स्तरों और क्षेत्रों में शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था करने की दिशा में मागदर्शन के लिए मूल सिद्धांत इस प्रकार

1 कोठारी शिक्षा आयोग (1966) पृष्ठ/100

बतलाये हैं —

- (1) प्रत्येक बालक/बालिका को निःशुल्क व अनिवार्य कम से कम 7 वर्ष तक की प्रभावशाली सामान्य शिक्षा और यथासंभव बड़े से बड़े पैमाने पर अवर माध्यमिक शिक्षा का विस्तार होना चाहिए।
- (2) जो उच्चतर माध्यमिक शिक्षा तथा विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक तथा योग्य हों उनके लिए ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करना। इस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था करते समय प्रशिक्षित जनशक्ति (Man Power) की मांग और आवश्यक स्तर बनाये रखने की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। भारतीय दृष्टि से अभावग्रस्त व्यक्तियों को समुचित आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए।
- (3) कृषि तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा के विकास पर बल देना चाहिए तथा कृषि व उद्योगों पर बल देना चाहिए तथा कृषि व उद्योगों के विकास के लिए अपेक्षित कुशल कर्मचारी तैयार करने चाहिए।
- (4) प्रतिभा की पहचान करनी चाहिए और उसके पूर्ण विकास में सहायता देनी चाहिए, तथा
- (5) शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं की ममान रूप से व्यवस्था करने के लिये निरन्तर प्रयत्न करते रहना चाहिए और आरम्भ में कम से कम अत्यधिक स्पष्ट असमानताएं दूर की जानी चाहिए।

प्रस्तुत अध्याय में माध्यमिक विद्यालयों की प्रवेश सम्बन्धी समस्याओं व उनके निराकरण के सुझावों का कोठारी शिक्षा आयोग द्वारा निर्धारित उपरोक्त राष्ट्रीय नामांकन नीति के मदद में विवेचन करेंगे। तदनुसार इसी अध्याय में दूसरी प्रमुख समस्या गृह काय की चर्चा करेंगे।

### प्रवेश सम्बन्धी प्रमुख समस्याएँ एवं उनका निराकरण .

विभिन्न शिक्षा स्तरों पर ये समस्याएँ इस प्रकार हैं —

- [1] प्राथमिक स्तर — भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 अनुसार 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिये निःशुल्क और अनिवार्य तथा अच्छे ढंग की शिक्षा की व्यवस्था करना ही इस स्तर की सबसे महत्वपूर्ण बात है। यह दो चरणों में विभक्त है — (1) प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5 अर्थात् 6+ व 10+ के आयु वर्ग हेतु) की शिक्षा, तथा (2) उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8 अर्थात् 11+ व 14+ के आयु वर्ग हेतु) शिक्षा/प्राथमिक स्तर की प्रमुख समस्याएँ व उनके निराकरण हेतु सुझाव निम्नांकित हैं —

(1) नामांकन की समस्या—सविधान के प्रावधान के अनुसार प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा निःशुल्क, अनिवार्य एवं मायजनीन होने का लक्ष्य गत 36 वर्षों के प्रयास के बाद भी अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। अब इस लक्ष्य का 1990 तक प्राप्त करने का संकल्प लिया गया है। लक्ष्य की पूर्ति में बाधक तत्व नामांकन का शत प्रतिशत न होना है - विशेष कर ग्रामीण क्षेत्रों में।

इस समस्या के समाधान का एक मात्र यही उपाय है कि इस स्तर के श्रायु वर्ग के बच्चों के लिए प्राथमिक विद्यालय उनकी मुविधानुसार सबत्र साल जायें तथा नामांकन शतप्रतिशत किया जाये। ग्रामीण क्षेत्रों में 'नामांकन अभियान' (Enrolment Drive) जो चलाया जा रहा है, उसे गति प्रदान की जाय।

(2) निधन छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाय — छात्रवृत्ति, मुक्तक व पाठ्य-सामग्री, मध्याह्न भोजन गणवेश आदि के निःशुल्क वितरण द्वारा तथा पूर्व प्राथमिक शिक्षा (भागनवाडी) त्रीडा-वेदर आदि की व्यवस्था कर।

(3) अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या — प्राथमिक विद्यालयों में केवल नामांकन शतप्रतिशत करना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि उह कक्षा 5 तक विद्यालय में रोके रखना भी वांछनीय है अथवा नामांकन निरयक सिद्ध होगा। इस स्तर पर अपव्यय और अवरोधन (Wastage and Stagnation) की समस्या सबसे अधिक है। इसके कारणों का निराकरण किया जाये। निराकरण हेतु अविभक्त इकाई योजना विद्यालय वातावरण का आकषक होना, शिक्षण काय प्रभावी होना, अध्यापक-अभिभावक सम्पर्क घनिष्ट होना, अभिभावकों के अनुकूल विद्यालय समय का निर्धारण जैसे प्रहर पाठशालाएँ आदि।

[2] उच्च प्राथमिक स्तर — उच्च प्राथमिक स्तर पर भी प्रायः उही प्रवेश संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जो कि उपरोक्त प्राथमिक स्तर पर है। यह स्तर भी सविधान के अनुसार 14 वर्ष तक की निःशुल्क अनिवार्य एवं सावजनिक शिक्षा के अंतर्गत महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर की शिक्षा की प्रगति के साथ ही उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रवेश या नामांकन में तत्काल वृद्धि होनी चाहिए। देश के विभिन्न राज्यों तथा राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में व्याप्त शिक्षा सुविधाओं के असंतुलन को दूर किया जाना चाहिए।

इस स्तर पर प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षा समाप्त कर बच्चे प्रवेश लेते हैं। अतः प्रवेश सम्बन्धी विभागीय नियमों का अनुपालन किया जाना चाहिए जिनका उल्लेख भाषे किया जा रहा है। यद्यपि इस स्तर पर सामान्य शिक्षा-

क्रम होता है किंतु कुछ वैकल्पिक विद्यार्थियों जैसे चित्रकला व वाणिज्य में से प्रवेश के समय एक विषय चुनना होता है तथा कार्यानुभव अथवा समाजोपयोगी उत्पादन (Work experience or SUPW) सम्बन्धी क्रियाकलापों का भी चुनाव करना होता है। अतः प्रवेश के समय उन्हें इन विषयों के चुनाव हेतु पर्याप्त निर्देशन (Guidance) मिलना चाहिए।

अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या इस स्तर पर भी गम्भीर रूप में व्याप्त है। अतः उपरोक्त वर्णित उपायों को अपनाना चाहिए।

[3] माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर — पर प्रवेश या नामावन सम्बन्धी निम्नांकित समस्याएँ होती हैं जिनके निराकरण सम्बन्धी उपाय इस प्रकार हैं —

(1) प्रवेश सम्बन्धी विद्यार्थियों की निरन्तर बढ़ती हुई संख्या — माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या अभी प्रवेशार्थियों की संख्या के अनुपात में काफी अपर्याप्त है। यद्यपि प्रत्येक राज्य माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में निरन्तर वृद्धि कर रहा है तथापि वित्तीय साधनों की कमी तथा जनसंख्या वृद्धि के कारण वह सभी विद्यार्थियों को प्रवेश देने में असमर्थ है। इस समस्या का निराकरण अधिकाधिक विद्यालयों को खोलने हेतु राज्यों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता देना तथा पत्राचार पाठ्यक्रमों (Correspondance Course) के प्रचलन द्वारा हासिल किया जा सकता है। कुछ राज्यों में ऐसे पाठ्यक्रम वहाँ के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित भी किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त निजी विद्यालयों (Private School) को खोलने हेतु अनुदान (Grants) भी दी जानी चाहिए।

(2) खुले अथवा चयनित प्रवेश (Open or Selected Admissions) की समस्या — देश में जनसाधारण की शिक्षा सम्बन्धी आकांक्षाओं में वृद्धि हुई है तथा लोकतांत्रिक देश का यह दायित्व भी है कि वह इन आकांक्षाओं की पूर्ति करे किन्तु वित्तीय साधनों के अभाव में ऐसा करना सम्भव नहीं जान पड़ता। अतः खुले प्रवेश के स्थान पर चयनित प्रवेश की नीति को ही तब तक अपनाया जाएगा जब तक कि माध्यमिक शिक्षा सरल सुलभ नहीं हो जाती। किंतु चयनित प्रवेश में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि प्रतिभाशाली व योग्य विद्यार्थियों को निष्पक्षतापूर्वक प्रवेश दिया जाय तथा समाज के पिछड़े वर्गों, बालिकाओं आदि को प्रवेश हेतु धारक्षण (Reservation) दिया जाय।

(3) स्तरीय व निम्नस्तरीय विद्यालयों में प्रवेश की समस्या — कुछ स्तरीय अथवा अच्छी शिक्षा व्यवस्था वाले विद्यालयों जैसे क्वार्टर स्कूल, पब्लिक स्कूल,



निजी विद्यालय आदि में प्रवेश हेतु विद्यार्थियों में अधिक आभासा होती है। किन्तु स्थान (Seats) सीमित होने के कारण योग्यता के आधार पर प्रायः वही विद्यार्थी प्रवेश पाते हैं जो सम्पन्न वर्ग के हैं। जबकि निम्न स्तरीय (विशेषतः राजकीय) विद्यालय में प्रवेश हेतु कम विद्यार्थी आते हैं और जा आते हैं व प्रायः निम्न या निम्न मध्य वर्ग के होते हैं। प्रच्यो शिक्षा सभी को निःपक्ष रूप से उपलब्ध हो, इस हेतु काठारी शिक्षा आयोग द्वारा अभिसापित मुभावो का अनुपालन किया जाना चाहिए जैसे स्तरीय विद्यालयों में निर्धन किन्तु योग्य विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देकर प्रवेश दिया जाय सामान्य व पड़ोसी विद्यालय (Common or neighbourhood School), निम्न स्तरीय विद्यालयों व स्तरोन्नत आदि के द्वारा।

- [4] क्षेत्री असन्तुलन के कारण उत्पन्न प्रवेश समस्या—शिक्षा राज्य का विषय है, अतः माध्यमिक शिक्षा सुविधाओं की दृष्टि से विभिन्न राज्यों के मध्य असन्तुलन (In balance) है तथा राजनैतिक प्रभाव के फलस्वरूप एक ही राज्य के विभिन्न प्रदेशों तथा ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में इस शिक्षा सुविधाओं में काफी असन्तुलन है। इसके फलस्वरूप कुछ विद्यालय ऐसे स्थानों पर खुल गये हैं जहाँ विद्यार्थियों की संख्या नगण्य है और वे अनाधिक या अर्थिक तर्कों (Un economic) निरुद्ध हुए हैं जबकि कुछ स्थानों पर आवश्यकता होते हुए भी विद्यालय नहीं खुले जिसके कारण विद्यार्थियों को दूर स्थित विद्यालयों में प्रवेश लेना पड़ता है जो उनकी आर्थिक स्थिति के अनुकूल नहीं। अतः इस समस्या का समाधान आवश्यक पर आधारित उचित स्थानों पर विद्यालयों को खोल कर इस असन्तुलन को दूर करने से हो सकता है। अनाधिक विद्यालयों को बंद कर आवश्यकता वाले स्थानों के मध्यवर्ती के द्वीय स्थानों पर विद्यालयों व छात्रावास स्थापित करके भी इस समस्या का हल खोजा जा सकता है।
- [5] नगरीय या ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में स्थानाभाव की समस्या—कुछ विद्यालयों में स्थानाभाव या अतिरिक्त अनुभाग (Sections) की स्वीकृति मिलने के कारण स्थानीय विद्यार्थी प्रवेश लेने से वंचित रह जाते हैं। अतः राज्य द्वारा अतिरिक्त कक्षा बनवाने हेतु वित्तीय सहायता देकर व अतिरिक्त अनुभाग खोलने की अनुमति पूर्व योजनानुसार देने चाहिए।
- [6] माध्यमिक स्तर पर विभिन्न शिक्षा-संरचना (Structure) होने से प्रवेश लेने की समस्या—उत्पन्न होती है। एक ही राज्य में उदाहरणार्थ राजस्थान

से अपिकाश विद्यालय माध्यमिक शिक्षा बाड़े, राजस्थान से सम्बन्ध होने कारण 10+1 सरचना के हैं तथा कुछ केन्द्रिय विद्यालय या निजी विद्यालय ऐसे है जहा 10+2 शिक्षा योजना प्रचलित है। इन विद्यालयो सरचना तथा पाठ्य-क्रम सम्बन्धी पर्याप्त विभिन्नताएँ है। इस कारण इन विद्यालयो के विद्यार्थी एग विद्यालय को छोड़कर भि न सरचना वाले विद्यालय म प्रवेश लेने पर पठिनाई अनुभव करने हैं। इस समस्या का समाधान देश मे समान माध्यमिक शिक्षा योजना (10+2) अपनाकर हो सकता है।

[7] अंतर्राज्यीय स्थानान्तर पर प्रवेश की समस्या — राज्यों मे माध्यमिक शिक्षा की विभिन्न प्रणालियाँ व प्रचलित होने से एक राज्य से दूसरे राज्य म म्पा अनरित होने वाले विद्यार्थी को कठिनाई आती है क्योंकि वह नय पाठ्य क्रम में स्वयं को समायाजित नहीं कर पाता। यह समस्या भी समान शिक्षा-योजना (10+2) अपनान पर हल हो सकगी।

[8] प्रवेश के समय भाषा सम्बन्धी कठिनाई किसी राज्य म भिन्न भाषा भाषी राज्य या प्रदेश से आये हुए विद्यार्थी को भाषा सम्बन्धी कठिनाई आती है जैसे शिक्षा के माध्यम की भाषा तथा तृतीय भाषा (Third Language) सम्बन्धी। इस कठिनाई का निराकरण राज्यों द्वारा इस हेतु निमित्त नियमो के अन्तगत किया जा सकता है जैसे किन्ही विद्यालय म यदि भिन्न भाषा-भाषी विद्यार्थियो को कुल सरपा 30 है अथवा किन्ही एक कक्षा म 10 है तो उनकी भाषा म शिक्षण हेतु व्यवस्था की जानी चाहिए।

9] ऐच्छिक विषयो मे प्रवेश की समस्या — माध्यमिक विद्यालयो मे बनासबाय की अपेक्षा प्रायः वाणिज्य, विज्ञान व गृह विज्ञान मे प्रवेश हेतु आसार्थी अधिक होत है जबकि विद्यालय मे उपलब्ध स्थान (Seats) सीमित होती हैं। ऐसी समस्याओ का समाधान योग्यता (Merit) के आधार पर चयनित प्रवेश (Selected Admissions) अथवा शैक्षिक निर्देशन (Educational Guidance) द्वारा किया जाना चाहिए ताकि ऐच्छिक विषयो, सकाय, उदाय कार्यानुभव, समाजोपयोगी उत्पादन बाय (SUPW) आदि का चयन छात्र द्वारा समुचित रीति से किया जा सके। चयनित प्रवेश मे भी पिछड़े वर्ग हेतु धारक्षण का प्रावधान होना चाहिए तथा निम्न छात्रो को छात्रवृत्तियाँ दी जानी चाहिए।

10] सह शिक्षा (Co Education) सम्बन्धी प्रवेश की समस्या अनेक म्याना पर बना माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं हात, अतः बालिकाओ को विषम होकर बानका के विद्यालयो मे प्रवेश लेना होता है कि तु अभी सामाजिक प्रतिबन्ध

व मायताओं के कारण अभिभावक इसे अच्छा नहीं मानते जिसके कारण उनकी बालिकाएँ प्रवेश लेने से बचत रह जाती है। अतः इस समस्या के निराकरण हेतु बालिकाओं के विद्यालय आयुधकतानुसार खोलकर अथवा समाज में सहृदयता के प्रति अनुकूल दृष्टिकोण उत्पन्न करके किया जा सकता है। सहृदयता वाले विद्यालयों में कुछ शिक्षिकाओं तथा बालिकाओं के लिए एक समान कमरा (Girls Common room) की व्यवस्था करना चाहिए।

## 1 प्रवेश सम्बन्धी विभागीय नियम

कुछ समस्याएँ प्रवेश सम्बन्धी विभागीय नियमों का ध्यान न रखने से उत्पन्न होती हैं। अतः इन नियमों की प्रवेश के समय दृष्टिगत रखना अनिवार्य है। ये नियम सक्षम में इस प्रकार हैं —

**छात्र प्रवेश—**छात्रों के प्रवेश के लिए भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न प्रकार के नियम शिक्षा विभाग द्वारा प्रसारित किये जाते हैं। सभी विद्यालयों में उन नियमों का आधार पर काम होता है। राजस्थान में प्राथमिक विद्यालय श्रेणी में पंचायत समितियों के प्रशासन में है और ग्रामीण शहरी क्षेत्र में जिला शिक्षा अधिकारी के नियंत्रण में परंतु पंचायत समितियों में भी शिक्षा विभाग के आदेशों का पालन किया जाता है। सामान्यतः छात्र प्रवेश का कार्य प्रत्येक सत्र के प्रथम सप्ताह में समाप्त हो जाता है। कक्षा 1 में भी ऐसा ही यत्न होता है फिर भी इस कक्षा में प्रवेश पूरे सत्र खुला रहता है। जब भी कोई बालक विद्यालय में कक्षा एक में प्रवेश लेने जाता है, उसे प्रविष्ट कर लिया जाता है। जब भी कोई छात्र विद्यालय में प्रवेश के लिए आता है तो उसके पिता या अभिभावक से प्रवेश 'प्रायना पत्र' की पूर्ति कराई जाती है। प्रवेश प्रायना पत्र में कई पूर्तियाँ करनी होती हैं। इनमें सबसे महत्त्वपूर्ण है छात्र की जन्म तिथि। यह ईन्वी सन् में लिखाई जानी चाहिए और उसे अंको में लिखवाकर शब्दों में भी जरूर लिखवाना चाहिए। पिता के जीवित होने की दशा में अभिभावक में इस प्रायना-पत्र की पूर्ति यथा सम्भव नहीं करवाली चाहिए क्योंकि ऐसा होने पर छात्र के जन्म दिनांक पर भविष्य में कभी पिता द्वारा आपत्ति उठाई जा सकती है। ऐसी समस्या के समाधान के लिए मातृ धानी बरतना जरूरी है। इस प्रायना-पत्र में एक सूचना यह भी अंकित की जानी है कि छात्र ने इस विद्यालय में प्रवेश चाहने से पूर्व राज्य द्वारा स्वीकृत किसी अन्य विद्यालय में शिक्षा नहीं पाई है। इस सूचना का ध्यान से देख लेना चाहिए, जिससे भविष्य में उस छात्र के प्रवेश से सम्बंधित कोई आपत्ति पैदा न हो।

**नामांकन (Enrolment)**—छात्र प्रवेश का प्रार्थना-पत्र अनिभाक्क या छात्र के माता-पिता मे से किसी के हस्ताक्षर सहित पूरा और ठीक तरह भरा हुआ जैसे ही विद्यालय मे वापिस प्राप्त होता है तो उसकी जाच कर यह विश्वास किया जाता है कि इसमें पूर्णतया ठीक स्थान पर अंकित की गई हैं और जो भी विवरण छात्र के बारे में दिया गया है वह सही है। इस प्रार्थना पत्र को जाच के बाद प्रधानाध्यापक छात्र को विद्यालय मे प्रवेश देने की आज्ञा लिखित मे उसी प्रार्थना पत्र पर देते हैं। प्रधानाध्यापक की लिखित आज्ञा के उपरान्त उस छात्र का नामांकन विद्यालय की नामांकन पत्रिका मे कर लिया जाता है। इस पत्रिका को स्कालर्स रजिस्टर (Scholars Register) भी कहते हैं। इसमे छात्र के विद्यालय मे प्रवेश करते ही उनका नाम व उनसे सम्बन्धित सभी सूचनाएँ उनके प्रवेश प्रार्थना पत्र मे अंकित किये गये अनुसार अंकित करली जाती हैं। जिस क्रमांक पर एक बार छात्र का नाम अंकित हो जाता है, वह उसका उस विद्यालय मे रहने तक बना रहता है। जब वह छात्र विद्यालय छोड़ता है तब उसी मे कारण और दिनांक अंकित कर दिये जाने है और विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र (T C) दिया जाता है।

**छात्र उपस्थिति (हाजिरी)**—प्रवेश प्रार्थना पत्र की प्राप्ति पर दूसरी पत्रिका जिसमे छात्र का नाम अंकित किया जाता है, वह है— छात्र उपस्थिति-पत्रिका (Attendance Register)। ये पत्रिकाएँ कक्षावार होती हैं। जब किसी प्राथमिक विद्यालय में छात्रों की संख्या कम होती है तब एक रजिस्टर में ही एक से अधिक कक्षाओं के छात्रों के नाम लिखे जाकर हाजिरी ली जाती है। जब छात्र उपस्थित होता है उसे 'उ' या 'P', अनुपस्थित होता है तो 'अ' या 'A' और अवकाश पर रहता है तो 'अब' या 'L' संकेत का उपयोग उस छात्र के नाम की दाईं ओर निश्चित स्थान के नीचे किया जाता है। जब छात्रनिर्धारित प्रतिशत के दिन उपस्थित रहता है तभी उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने का अधिकार प्राप्त होता है। उपस्थिति का यह प्रतिशत राजकीय नियमानुसार बदलता भी रहता है। छात्रों की दैनिक उपस्थिति अंकित कर लेन के पश्चात् प्रतिदिन उपस्थित छात्रों का योग भी उपस्थिति पत्रिका (रजिस्टर) में अंकित किया जाता है। प्रतिदिन का उपस्थिति योग शिक्षक का यह दर्शाता रहता है कि छात्र छात्राएँ किम सीमा तक नियमित रूप से विद्यालय आ रहे हैं।

**मासिक एवं वार्षिक तालिकाएँ**—छात्र उपस्थिति रजिस्टर में जब पूरा एक महीना तक एक बक्सा के सभी छात्रों की उपस्थिति अंकित करली जाती है तब महीने के अन्तिम दिन प्रत्येक बक्साध्यापक छात्रों की उपस्थिति का औसत निवाचता है। यह औसत छात्रों की उपस्थिति के प्रतिदिन के योगों का जोड़कर और विद्यालय उन

महीने में जितने दिन चना— उन दिनों की सरया से भाग देकर छात्र उपस्थित श्रौसत निवाला जाता है। यह उपस्थिति श्रौमत, जो कक्षावार होता है, उसे एक 'मासवारे' में सभी कक्षाओं के लिए अर्पित कर पूरे स्कूल की 'मासिक श्रौसत तालिका बनाई जाती है। इस तालिका को भरकर उच्च अधिकारियों के कार्यालय में भेजने का नियम प्रचलित है। इस मासिक तालिका में छात्रों की जातीयगत संख्या, उन की संख्या में वृद्धि या कमी आदि का अर्पित करने की व्यवस्था रहती है। भिन्न-भिन्न राज्या में इसके लिए भिन्न-भिन्न प्रारूप प्रचलित है। इस मासिक तालिका में यह भी अर्पित किया जाता है कि अनुपस्थित महीने में कितने छात्रों ने किस किस कक्षा में प्रवेश पाया और कितने छात्रों ने विद्यालय छोड़ दिया या वे अपना स्थानांतरण प्रमाण पत्र ले गए।

जिस प्रकार स छात्रों के नामांकन, उपस्थिति श्रौमत और पृथक्करण की मासिक विवरण तालिका में तैयार किया जाता है उसी प्रकार सम्पूर्ण विद्यालय की सभी कक्षाओं के छात्रों की उपस्थिति का वार्षिक औसत, वष-भर में कितने छात्रों ने विद्यालय में जिन जिन कक्षाओं में प्रवेश लिया उनका विवरण और कितने छात्रों ने वष में विद्यालय छोड़ा उसका विद्यालय छोड़ने के कारण सहित विवरण वार्षिक तालिका में अर्पित किया जाता है। इन सभी सूचनाओं को अर्पित करने के लिए वार्षिक तालिका में स्थान खिंचे रहते हैं। ये मासिक और वार्षिक तालिकाओं के प्रत्येक छपे हुए शिफ्ट विभाग द्वारा सभी विद्यालयों में भेज दिये जाते हैं। राज्य स्तर पर तो यह कार्य सम्भव नहीं, परंतु विभाग द्वारा तो मासिक और वार्षिक तालिकाओं के प्रारूप निश्चित किये जाते हैं और उनके नमूने विद्यालय निरीक्षकों के पास भिजवा दिये जाते हैं। विद्यालय निरीक्षक या तो उन नमूनों को ही विद्यालयों में भेज देते हैं या फिर उनके आधार पर अपने यहां इन तालिकाओं के खाली प्रारूप छपवाकर प्रत्येक विद्यालय को भिजवा देते हैं। यदि छपे हुए प्रारूप विद्यालय में नहीं हों तो भी विभाग द्वारा निश्चित किये हुए प्रारूप में ये तालिकाएँ हाथ से बनाकर प्रति माह और वष के अंत में उच्च अधिकारियों को प्रत्येक विद्यालय द्वारा प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर एवं मुहर सहित उच्च अधिकारियों को भिजवानी पड़ती है।

नाम काटना—कक्षा 1 से 11 तक के छात्रों के नाम के पृथक्करण के लिए शिक्षा विभाग समय समय पर अवधियाँ निश्चित करता रहता है। उसके अनुसार ही विद्यालयों में पालना भी होती रहती है। मोटे रूप में कक्षा छ 1 से 11 तक अगर सात दिन तक लगातार एक छात्र अनुपस्थित रहे तो उसका नाम पथक क

दिया जाता है। कक्षा 1 से 5 तक इस नियम में बाड़ी डील काम में लाई जाती है। बालक के अनुपस्थित रहने का क्रम प्रारम्भ होता ही जघ्यापक को अभिभावक से सम्पर्क साधना आवश्यक हो जाता है। बालक विद्यालय में उपस्थित होना प्रारम्भ करदे, इसलिए प्रयत्न बराबर चलता रहता है और उसमें जब शिक्षक असफल हो जाता है तो उसके नाम को काट दिया जाता है। इस काम में एक महीना भी व्यतीत होना सम्भव है। प्राथमिक कक्षाओं के लिए यह छूट छात्रों की अतिवाय प्राथमिक शिक्षा देने की दृष्टि से रखी गई है।

जब छात्र का नाम काट दिया जाता है तो उपस्थिति रजिस्टर में उस दिनांक के कोष्ठक से थगले कोष्ठक तक छात्र के नाम के सामने यह अंकित किया जाता है कि नाम काट दिया गया। इसके साथ साथ वह कारण भी लिख दिया जाता है, जिससे एना जघ्यापक का करना पडा। उपस्थिति पत्रिका में यह पुष्टि कर देने के बाद छात्र नामांकन पत्रिका में भी ऐसी पुष्टि करदी जाती है।

स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र (T C) यह प्रमाण पत्र किसी भी विद्यार्थी को उस समय दिया जाता है जबकि वह किसी भी कारण से किसी दूसरे विद्यालय (उसी शहर या ब्लॉक व किसी दूसरे शहर के) में प्रवेश लेना चाहता है। इसके लिए छात्र को विधिवत् प्रायना पत्र प्रस्तुत करना होता है। इस प्रमाण पत्र में दो भाग होते हैं। एक में विद्यार्थी के विषय में सूचना संक्षिप्त रूप में अंकित की जाती है और वह विद्यालय में ही रखाडक रूप में रह जाता है। दूसरे भाग में सूचना विस्तृत रूप में अंकित की जाकर, इसे छात्र या छात्रा को दिया जाता है। इस प्रमाण-पत्र को सावधानी से संभाल करना जरूरी है। विशेषतः छात्र की जन्म तिथि, कक्षा जिससे उसने विद्यालय छोडा, और जिस दिनांक को विद्यालय छोडा, इन सूचनाओं को अंक और शब्द दोनों में अंकित किया जाना चाहिए। एसा करने से इस प्रमाण-पत्र में त्रुटि नहीं जन्म-तिथि या विद्यालय छोडने की कथा और दिनांक में से किसी में भी छान या उसके अभिभावक किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं कर सकेंगे।

इस प्रमाण पत्र को देने के साथ साथ छात्र का उसके उमर वष के टैस्टा एव अडवापिक परीक्षा में (यदि इस परीक्षा के बाद विद्यालय छोडा हो) प्राप्त किए हुए अंक का भी प्रमाण-पत्र दिया जाना चाहिए। छात्र न विद्यालय छोडते समय तक जो भी शुक्र उस चालू वष में जमा कराये हो, उनका उल्लेख भी स्थानांतर प्रमाण-पत्र में किया जाना चाहिए। यदि इसके लिए उस प्रमाण-पत्र में खाने पहले से ही विचेन होता पयक से ही विद्यार्थी को इस सम्बन्धी प्रमाण-पत्र देना चाहिए जिसमें छात्र का दूसरे किसी विद्यालय में विधिवत् प्रवेश सम्भव हो सके।

पुन नामांकन करना — विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्र को यदि उसी दिन तय म पुन प्रवेश चाहिए तो उसके लिए वह विधिवत् पुन प्रवेश के लिए प्रार्थना पत्र विद्यालय के प्रधानाध्यापक के नाम पर देना । जैसे ही पुन प्रवेश का प्रार्थना-पत्र विद्यालय म प्राप्त हो वैसे ही विद्यालय के रिकार्ड मे उस प्रार्थना पत्र मे लिखे विद्यालय छोड़ने की वृत्ता और दिनांक की जाच की जानी चाहिए । साथ ही अभिभावक का यह बतला देना चाहिए कि उसका बालक की उपस्थिति का प्रतिशत वार्षिक परीक्षा तक अमुक रहगा और वह वार्षिक परीक्षा मे सम्मिलित हो सकेगा या नहीं ।

माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयो मे छात्रो के प्रवेश, पुन प्रवेश, स्थानांतरण प्रमाण-पत्र तथा अन्य राजकीय एवं छात्र निधियो के अर्तगत लिय जाने वाले शुल्का की तात्विता निम्नांकित है जिन्ह सम्बन्धित छात्र से वसूल करना अनिवार्य होता है, अथवा गम्भीर अनियमितार्णै हानी है जिसके लिए प्रधानाध्यापक व सम्बन्धित विधिक या अध्यापक उत्तरदायी होता है —

### (क) छात्र-निधि (Boys Fund)

शुल्क	वृक्षा 6 से 8	वृक्षा 9 से 11
(1) शीतल शुल्क	6 रु वार्षिक	6 रु वार्षिक
(2) पुस्तकालय शुल्क	1 ”	1 ”
(3) वाचनालय ,	2 ”	2 50 ”
(4) विद्यालय पत्रिका ,,	1 ”	1 ”
(5) छात्र सङ्घ	1 ”	1 ”
(6) मनोरंजन	1 ,	1 ”
(7) उद्योग ,,	50 पें प्रति माह (12 माह तक)	50 पें प्रति माह (12 माह तक)
(8) विनाय	1 रु वार्षिक	3 रु वार्षिक
(9) चिन्ता ,	50 पें ”	50 पें ”
(10) कार्यानुभव	75 पें प्रति माह	1 पें प्रति माह
(11) माता प विधान ,	×	1 ”
(12) परीक्षा ,	3 रु प्रति परीक्षा	4 रु प्रति परीक्षा
(13) बर्तन मनी गोटार्ड (सात वारी) ×		5 रु

### (ग) राज्य-निधि (Govt Money)

(1) प्रवेश, पुन प्रवेश शुल्क	—	1 रु
------------------------------	---	------

- (2) स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र शुल्क
- (3) " (दूसरी प्रति)
- (4) प्रयोगशाला

1 रु  
50 प  
50 प मासिक

(ग) शिक्षण शुल्क (Tuition Fees)

कक्षा	माध्यमिक व उच्च माध्यमिक कक्षाओं के छात्रों से राज्य-निधि हेतु प्राप्य शुल्क
9	आयकर (Income Tax) नहीं देने वालों से 1 50 रु प्रति माह
10	1 50 " " आयकर देने वालों से 3 रु से 10 रु तक
11	4 " " आय-वर्गानुसार 4 " "

वृत्त गृह-कार्य का परम्परागत एवं नवीन सप्रत्यय (The Traditional and New Concept of Assignment)

गृह-कार्य की उपयोगिता को अधिकांश शिक्षाविद् स्वीकार करते हैं किन्तु यह उपयोगिता तब ही सम्भव है जब इसे उचित अर्थ में ग्रहण किया जाये। परम्परागत मायता-नुसार गृह कार्य केवल विद्यार्थियों को घर पर व्यस्त रखने हेतु, निष्प्रयोजन एवं पाठ्यवस्तु को रटने की दृष्टि से दिया जाता है। स्पष्ट है ऐसी मायता से गृह-कार्य उपयोगी होने की अपेक्षा निरर्थक एवं हानिकारक सिद्ध होता है। गृह-कार्य का आधुनिक सप्रत्यय उसे सोद्देश्य सृजनात्मकता, स्वाध्याय, आत्मनिर्भरता व आत्मविश्वास के गुणों के विकास हेतु तथा कक्षा शिक्षण को सपुष्ट करने में सहायक बनने हेतु दिये जाने में विश्वास करता है। गृह-कार्य की उपयोगिता के सम्बन्ध में निम्नांकित शिक्षाविद्दों के मत उल्लेखनीय हैं -

पी सी व्रेन (P C Wren) - "जब विद्यालय में प्रत्येक (विद्यार्थी) अपनी स्वी-के विषयों में गृह कार्य करता हो चाहे वे विषय नतिक या मानसिक हों, जब वह दैनिक, निर्देशन व पठामश द्वारा अपनी अभिरूचियों व अभिवृत्तियों के विकास में सलग रहता है, तो गृह-कार्य एक अच्छी बात है।" 1

(When everybody in School does homework on the subjects he enjoys be they moral or mental, when he follows his bent and pursues his inclinations under the daily guidance and advice of the teachers, then homework is a good thing)



लोरेन फॉक्स (Lorene Fox) — "गृह-कार्य विद्यार्थियों को चुनौती पूर्ण होना चाहिए ।"

(Homework should be challenging to the students )

गैड एव शर्मा — "शैक्षिक एव नैतिक दोनों ही दृष्टियों से गृह-कार्य का बहुत महत्व है ।"

डा एस एस मायुर — "गृहकार्य को विद्यालय शिक्षण में बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है । गृह-कार्य बालक अपने पाठ का पुनरावलोकन कर लेते हैं, उसे अच्छी तरह याद कर लेते हैं और इस प्रकार वह ज्ञान जो उन्होंने विद्यालय में प्राप्त किया है मजबूत रूप से उसके मस्तिष्क में संचित हो जाता है ।"

उपरोक्त कथनों से गृह कार्य प्रयत्न दत्त-कार्य की उपयोगिता प्रकट होती है तथा उसकी आधुनिक संरचना भी ।

किन्तु कुछ शिक्षाविद् दत्त-कार्य के विरोधी भी हैं । जैसे 'ब्रे' (Bray) का कथन है — "विद्यालय में लम्बे घण्टे तक कार्य के उपरान्त विद्यार्थियों को गृह-कार्य देना उचित नहीं है, इससे लाभ की अपेक्षा हानि अधिक होती है केवल संभवतः परीक्षा में सफलता की दृष्टि को छोड़कर ।"

(Under normal Condition, a reasonable days work for a child has been done at the close of the afternoon session and home-work as it is generally organised does more harm than good as rule except perhaps from the point of view of examination Success)

उपरोक्त मत दत्त कार्य की परस्पर अवधारणाओं के कारण है, नवीन संकल्प के कारण नहीं । जैसा कि किशन चन्द जैन ने कहा है — "गृह कार्य के उपरोक्त लाभ और हानियों की दृष्टि में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि व्यवहारिक जीवन में कुछ गृह-कार्य अपरिहार्य है । आवश्यकता इस बात की है कि उसे इस प्रकार संतुलित किया जाये कि उसकी हानियाँ कम प्रयत्न समाप्त हो जाय और विद्यार्थी को वह लाभदायक सिद्ध हो ।"

- 1 गैड एव शर्मा शैक्षिक एव माध्यमिक विद्यालय व्यवस्था
- 2 डा एस एस मायुर विद्यालय संगठन एव स्वास्थ्य-शिक्षा
- 3 किशन चन्द जैन । शैक्षिक संगठन, प्रशासन एवं संगठन

पेज/36

पेज/112-11:

पेज/79

## दत्त अथवा गृह-कार्य के उद्देश्य, आवश्यकता एवं महत्व

निम्नांकित बिंदुओं से स्पष्ट होते हैं—

- (1) गृह कार्य कक्षा कार्य का पूरा पूरक होता है क्योंकि वह कक्षा में अर्जित ज्ञान का पृष्ठ-पोषण (Reinforce) करता है।
- (2) यह पठित विषय-वस्तु की पुनरावृत्ति ( Revision ) द्वारा हृदयगम करने में सहायक होता है। अर्जित ज्ञान स्थायी होता है।
- (3) यह विद्यार्थियों को 'करके सीखने' ( Learning by doing ) के मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त द्वारा अधिगम में सहायक होता है।
- (4) यह विद्यार्थियों में स्वतंत्र रूप से स्वाध्याय करने की आदत का विकास करता है।
- (5) यह विद्यार्थियों की विचार, तर्क कल्पना, स्मरण व चिन्तन करने की शक्तियाँ का विकास करता है।
- (6) यह पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त अन्य पुस्तकों व सन्दर्भ ग्रंथों के अध्ययन का अवसर देता है।
- (7) यह छात्रों में नियमित रूप से कार्य करने की प्रेरणा देता है।
- (8) गृह-कार्य में छात्रों का अपनी रुचि के विषयों के अध्ययन द्वारा सृजनात्मक ज्ञान देता है।
- (9) यह छात्रों को अपनी गति एवं योग्यता के अनुरूप कार्य करने में सहायक होता है।
- (10) इससे छात्रों में आत्मनिर्भरता एवं आत्मविश्वास की भावना विकसित होती है।
- (11) गृह कार्य से अभिभावकों को छात्रों की प्रगति से अवगत होने का अवसर मिलता है।
- (12) गृह कार्य की मात्रा व गुणवत्ता के आधार पर शिक्षक को भी अपने शिक्षण कार्य हेतु पृष्ठ पोषण (Feed back) मिलता है और उसमें सुधार हेतु प्रेरणा मिलती है।
- (13) गृह-कार्य विद्यार्थियों की कमजोरियों के निदान (Diagnosis) में सहायक होकर शिक्षक को उपचारात्मक शिक्षण (Remedial teaching) की योजना बनाने की दिशा देता है।

### गृह-कार्य के प्रकार :

गृह-कार्य के निम्नांकित प्रमुख प्रकार हो सकते हैं —

- (1) लिखित कार्य — प्रायः विद्यार्थियों का गृह-कार्य हेतु लिखित कार्य ही दिया जाता है जिसमें निर्धारित प्रश्नों के उत्तर, व्याख्या, सारांश, पत्र, निबन्ध, कुछ विचार प्रेरक प्रश्नों के मौखिक ढंग से उत्तर लिखने को कहा जाता है।
- (2) स्वाध्याय कार्य अथवा मौखिक कार्य — कक्षा में पठित पाठ से सम्बन्धित

पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त पुस्तक, समाचार पत्र, सदन ग्रन्थ आदि के स्वाध्याय हेतु कहा जाता है अथवा कोई याद करने हेतु काय दिया जाता है जिसे मौखिक रूप से पुनःस्मरण कर सुनाना होता है जैसे गणित व विज्ञान के सूत्र, पद्य, ऐतिहासिक घटनाएँ व तिथियाँ आदि ।

- (3) प्रायोगिक काय (Practical work) — विज्ञान, उद्योग, कार्यानुभव, समाजोपयोगी उत्पादन काय, मानचित्र, रेखाचित्र, मॉडल, ममय रेखा, आदि से सम्बन्धित कई प्रायोगिक काय जो घर पर किया जा सके, गृह काय हेतु दिया जाता है ।

उपरोक्त गृह-काय के प्रकारों का अपना महत्व एवं प्रयोजन होता है । विषय व प्रकरण की प्रवृत्ति तथा उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए इन सभी प्रकारों का यथावस्य वना प्रयोग किया जा सकता है तथा गृह-काय में विविधता लाकर उसे रोचक व चुनौतीपूर्ण बनाया जा सकता है ।

### गृह-कार्य के सिद्धांत

निम्नांकित हैं —

151

- (1) गृह काय को विद्यार्थियों के लिए भारी रूप न बनाकर उसे रोचक तथा उसके मनोरंजन के काय में हस्तक्षेप न करने वाला बनाना चाहिए । उसकी मात्र निश्चित हो ।
- (2) गृह-कार्य एक सुनियोजित समय विभाग-चक्र के अनुसार दिया जाना चाहिए ताकि प्रतिदिन का ममस्त विषयो में दिया गया काय अधिकतम 2 घण्टे का हो ।
- (3) उसे इस रूप में दिया जाये कि छात्र उसे स्वयं कर सके तथा अर्थ किसी की सहायता न ले अथवा पुस्तक की नकल न करे ।
- (4) वह छात्रों की तक एवं चिन्तन शक्ति के विकास में सहायक हो सके ।
- (5) छात्रों के गृह-काय का शिक्षक द्वारा नियमित सशोधन हो व छात्रों द्वारा उसका अनुबद्ध न हो ।
- (6) गृह काय में छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखा जाये ।
- (7) वह छात्रों में स्वाध्याय की आदत का विकास करे ।
- (8) गृह काय में अभिभावकों का सहयोग छात्रों को साधन-सुविधा देने में लिया जाये ।
- (9) वह कला कार्य के पूरक या पुनर्मलन (Reinforcement) का कार्य करे ।
- (10) उसके आधार पर छात्रों की कमजोरियों का निदान हो सके व शिक्षक द्वारा उन चारात्मक शिक्षण की व्यवस्था हो ।

## गृह-कार्य सम्बन्धी समस्यायें और उनका निराकरण

गृह-कार्य सम्बन्धी समस्याओं को मुख्यतः निम्नांकित रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है —

- (1) गृह-कार्य की मात्रा का नियमन — प्रायः देखा जाता है कि छात्र को प्रतिदिन प्रत्येक विषय के अध्यापक द्वारा गृह-कार्य द दिया जाता है जो छात्र की योग्यता, क्षमता एवं समय की उपलब्धता की दृष्टि से अव्यवहार्य सिद्ध होता है। गृह-कार्य की मात्रा अनियंत्रित व अनियोजित होती है। फलतः छात्र या तो गृह-कार्य को अपने अभिभावक की सहायता से अथवा दूसरों की नकल कर पूरा करते हैं अथवा उसे पूरा न करने की दिशा में दण्ड से बचन हेतु स्कूल या कक्षा में नहीं जाते। इससे गृह-कार्य का प्रयोजन सिद्ध न होकर वह छात्रों के लिए हानिकारक बन जाता है।

अतः इस समस्या के निराकरण हेतु कक्षा को पढ़ाने वाले सभी विषयों के अध्यापकों को प्रधानाध्यापक के निर्देशन में मंत्र के आरम्भ में ही एक सुनियोजित गृह-कार्य हेतु साप्ताहिक समूह-विभाग-चक्र बना लेना चाहिए जिसकी प्रतियाँ प्रत्येक अध्यापक की डायरी में तथा कक्षा-कक्ष के प्रदर्शन पट्ट पर होनी चाहिए। इससे शिक्षक तथा शिक्षार्थी गृह-कार्य को एक सुनियोजित मात्रा में प्रतिदिन क्रियार्थित कर सकेंगे।

- (2) गृह-कार्य का सशोधन — प्रायः सभी विद्यालयों में सतोपजनक विधि से नहीं किया जा रहा है। इसके अनेक कारण हैं— कक्षा में छात्र सख्या अधिक होना, शिक्षकों को गृह-कार्य के सशोधन हेतु रिक्त कालांश न मिलना, अध्यापकों का प्रभाव होना, शिक्षक द्वारा सशोधन कार्य न केवल हस्ताक्षर कर औपचारिकता निभाना प्रधानाध्यापक का शिक्षित परिवीक्षण शिक्षक अभिभावक सहायक का अभाव आदि। अतः गृह-कार्य की उचित मात्रा निर्धारित की जाये, शिक्षक उसके सशोधन हेतु पर्याप्त रिक्त कालांश दिये जाये प्रधानाध्यापक द्वारा गृह-कार्य का उचित परिवीक्षण से तथा अभिभावक का इस कार्य में सहयोग निग्रा जाये। इनके अतिरिक्त सशोधन की नवीन विधियाँ अपनाई जायें।

- (3) गृह-कार्य का अनुवर्तन — (Follow-up) भी प्रायः देखने को कम मिलता है। गृह-कार्य के सशोधन के आधार पर छात्रों की त्रुटियों का उनके द्वारा शुद्ध रूप में प्रयोग कराया जाये तथा उनकी कमियों के निदान (Diagnosis) द्वारा उनके उपचारात्मक शिक्षण (Remedial Teaching) की व्यवस्था की जाये। गृह-कार्य

का अनुवर्तन उद्देश्यो की पूर्ति में सहायक होता है। इसकी उपेक्षा करने से उसकी उपयोगिता नष्ट हो जाती है।

इसके प्रतिरिक्त गृह-कार्य से सम्बन्धित अन्य गौण समस्याएँ भी हैं जैसे गृह-कार्य में छात्रों द्वारा नकल करना, गृह-कार्य न करने पर कक्षा से भाग जाना, शिक्षका द्वारा सशोधन कार्य की उपेक्षा करना, घर की स्थितियाँ गृह-कार्य के अनुकूल न होना आदि। इन समस्याओं का निराकरण पूर्व में दिये गये सुझावों के आधार पर किया जा सकता है।

गृह कार्य का समय-विभाग-चक्र— आगे अध्याय सं 11 'समय विभाग-चक्र' के अंतर्गत दिया गया है।

उपसंहार -

प्रवेश एवं गृह-कार्य सम्बन्धी माध्यमिक विद्यालयों की समस्याओं के निराकरण में अध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। वह प्रधानाध्यापक द्वारा आवंटित कार्य की बत-पनिष्ठा एवं कुशलता से सम्पन्न कर सकता है तथा अपनी सूझ-बूझ एवं पहल शक्ति द्वारा इन समस्याओं के हल खोजने में प्रधानाध्यापक की सहायता कर सकता है। अभिभावकों एवं विद्यार्थियों से निरंतर सम्पर्क साध कर तथा उनकी समस्याओं के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार अपनाकर वह उनका सहयोग प्राप्त करने में सफल हो सकता है। बड़ी कक्षाओं में गृह-कार्य के सशोधन की प्रभावी विधियों की खोज, प्रयोग व प्रायोगिकता के आधार पर शिक्षकों द्वारा की जा सकती है।



### मूल्यांकन (Evaluation)

(श) लघुत्तरात्मक प्रश्न (Short Answer Type Questions)

1. माध्यमिक विद्यालयों में प्रवेश सम्बन्धी कि-ही पांच समस्याओं व उनके समाधान का उल्लेख कीजिये।
2. प्राथमिक स्तर पर छात्र प्रवेश हेतु नामांकन अभियान से क्या तात्पर्य है? निम्न दृष्टि में अपना योगदान निम्न प्रकार दे सकता है?
3. माध्यमिक स्तर पर प्रवेश सम्बन्धी कौन सी सावधानियाँ रखनी आवश्यक है। सत्र में लिखिये।
4. गृह-कार्य देने के कि-ही पांच उद्देश्यों का वर्णन कीजिये।

- 5 गृह कार्य देने हेतु माध्यमिक विद्यालय की किसी एक कक्षा का साप्ताहिक समय-विभाग-चक्र बनाइये।
- 6 गृह-कार्य के प्रभावी सशोधन हेतु कोई पांच सुझाव दीजिए।
- 7 "शैक्षिक एवं नैतिक दोनों ही दृष्टियों से गृहकार्य का बहुत महत्व है।" गैड एवं शर्मा उपरोक्त कथन का औचित्य स्पष्ट कीजिए।

(व) निम्न-घात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

- 1 निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये -  
गृह-कार्य अथवा गृह-कार्य योजना का महत्व (बी एड, 1985, शिक्षा शास्त्री 1984)
- 2 राजस्थान में विद्यार्थियों के प्रवेश सम्बन्धी विभागीय नियमों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए।
- 3 माध्यमिक विद्यालयों में प्रवेश सम्बन्धी कौन सी समस्याएँ होती हैं? इनके निराकरण के क्या उपाय हैं?

[ विषय-प्रवेश (क) शैक्षिक परीक्षण का अर्थ एवं आधुनिक सप्रत्यय, शैक्षिक परीक्षण का नियोजन एवं क्रिया-व्यय, शैक्षिक परीक्षण सम्बन्धी समस्याएँ एवं उनका निराकरण (ख) प्रोन्नति का अर्थ एवं उद्देश्य, प्रोन्नति के सिद्धान्त, - प्रोन्नति के प्रकार, प्रोन्नति सम्बन्धी समस्याएँ एवं उनका निराकरण, प्रोन्नति सम्बन्धी विभागीय नियम, उपसंहार, मूल्यांकन ]


### विषय-प्रवेश -

माध्यमिक विद्यालयों की प्रमुख समस्याओं में से दो समस्याओं — प्रवेश एवं गृह-कार्य का विवेचन गत अध्याय में किया जा चुका है। प्रस्तुत अध्याय में अन्य दो प्रमुख समस्याओं— शैक्षिक परीक्षण तथा प्रोन्नति का अध्ययन करेंगे। यद्यपि मूल्यांकन की आधुनिक अवधारणा के अनुसार राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (SIERT) उदयपुर की मूल्यांकन एकक (Evaluation unit) तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (NCERT) दिल्ली के निर्देशन में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा शैक्षिक परीक्षण की एक नई दिशा दी है तथापि अभी भी अधिकांश माध्यमिक विद्यालयों में परम्परागत परीक्षा की अवधारणा के अनुसार शैक्षिक परीक्षण उद्देश्यनिष्ठ एवं वस्तुनिष्ठ नहीं हो पाया है। फलतः प्रोन्नति की प्रक्रिया भी निष्पक्ष एवं प्रभावी सिद्ध नहीं हो पा रही है। अतः इन दो समस्याओं के सही बोध एवं उनके निराकरण के उपायों से शिक्षका का अवगत होना वाछनीय है।

### शैक्षिक परीक्षण का अर्थ एवं आधुनिक सप्रत्यय

शैक्षिक परीक्षण (Academic Testing) का आधुनिक सप्रत्यय नवीन मूल्यांकन प्रणाली के स्वरूप में निहित है। मूल्यांकन की नवीन अवधारणा के अनुसार अब उद्देश्यों, मानाजम अनुभवों तथा मूल्यांकन तकनीक में घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हो गया है।

डा ब्लूम(Bloom) ने इस सम्बन्ध को निम्नांकित त्रिभुज के द्वारा स्पष्ट किया है।  
शैक्षिक उद्देश्य(Educational Objectives)



शिक्षण स्थितियाँ  
तथा ज्ञानाजन अनुभव  
(Teaching Situations of Learning Experiences)

मूल्यांकन तकनीक  
(Evaluation Techniques)

उपरोक्त रेखाचित्र में प्रदर्शित तीन चिह्न से उद्देश्य, ज्ञानार्जन, अनुभव तथा मूल्यांकन की परस्पर अन्तर्निभरता तथा सहसम्बन्ध भली भाँति स्पष्ट हो जाता है। ये परस्पर एक-दूसरे का निर्धारण भी करते हैं तथा एक-दूसरे से प्रभावित हो परस्पर शोधन, परिवर्तन तथा परिवर्द्धन भी करते रहते हैं। वस्तुतः परीक्षा अथवा मूल्यांकन व एक अच्छे शिक्षा-कार्यक्रम का अभिन्न अंग बन गया है। इसके कारण बाह्य परीक्षाओं के साथ आन्तरिक मूल्यांकन (Internal Assessment) को भी ब्रह्म भार देकर सवा महत्व स्वीकार कर लिया गया है। आन्तरिक मूल्यांकन के अस्तर्गिन सावधिक-ताव तथा विषयगत विद्यार्थी का व्यक्तिगत वाय तथा उसके लेख-गोष्ठे को ब्रह्म भार कर तथा उसे बाह्य परीक्षा के अको में जोडकर सफलता एवं असफलता का निर्धारण किया जाने लगा है। इससे परम्परागत बाह्य परीक्षा का प्रभुत्व कम हो गया है तथा अवधिक जाच द्वारा सत्रपयगत विद्यार्थी द्वारा की गई प्रगति को भी मूल्यांकन में समा-वेष्ट कर लिया गया है। यद्यपि इस नवीन अवधारणा के अनुसार मूल्यांकन की इस गणाली का सबत्र समान रूप से प्रचलन अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है किन्तु इस दिशा में काम प्रारम्भ हो चुका है।

मूल्यांकन के नवीन संप्रत्यय के अनुसार अब विषयगत उद्देश्य एवं व्यवहागत परिवर्तन निश्चित कर तदनुकूल शिक्षण एवं ज्ञानार्जन की स्थितियों की योजना एवं उसका क्रिया-व्ययन किया जाता है। तत्पश्चात् निर्धारित उद्देश्यों की उपलब्धि की जांच

1 ब्लूम बी एस इवेलुयेशन इन सकेण्डरी स्कूलस, पेज/8



हेतु मूल्यांकन के लिए प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। मूल्यांकन से प्राप्त परिणामों का विश्लेषण कर यह पता लगाया जाता है कि छात्रों की उपलब्धि में उद्देश्य, मानार्जन अथवा एव मूल्यांकन की त्रिकोणीय प्रभाविता में कहां और कितनी कमी रह गई है तथा उसके आधार पर तदनुसृत परिवर्तन कर शिक्षण को और प्रभावी बनाने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार परीक्षा का परम्परागत उद्देश्य विद्यार्थियों का उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण घोषित करना मात्र प्रचलित रह नहीं गया है। इसके स्थान पर अब यह माना जान लगा है कि परीक्षा विद्यार्थियों को अध्यापक प्रदानाध्यापक तथा अभिभावकों के निर्देशन हेतु उपयोगी सूचना प्रदान करती है तथा यह विद्यार्थियों की प्रगति के माप का माध्यम स अध्यापकों द्वारा प्रस्तुत शिक्षण काय प्रम का भी मूल्यांकन कर सकती है।<sup>2</sup>

निम्न-घात्मक परीक्षा के दोषों का दूर करने तथा उसमें निहित आत्मपरकता से उत्पन्न कमियों के निराकरण हेतु मूल्यांकन की नवीन अवधारणा एव स्वरूप में अब काफी परिवर्तन आ गया है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के सत्याधान में प्रकाशित "इतिहास की हार्बर संकल्पना के निमित्त प्रश्न-पत्र" नामक पुस्तिका में मूल्यांकन के नवीन स्वरूप की निम्नी कित विशेषताएँ स्पष्ट की हैं<sup>3</sup>

(1) प्रश्न-पत्र में निर्धारित उद्देश्य तथा पाठ्यक्रम के सम्पूर्ण अंशों के आधार पर प्रश्न निर्मित किये जायें।

(2) प्रश्नों की संरचना सरल एवं सुबोध हो जिससे छात्र को अवैधित उत्तर के विषय में पूर्ण स्पष्टता हो।

(3) निम्न-घात्मक प्रश्नों के स्थान पर अधिक संख्या में वस्तुनिष्ठ एवं लघुसंवाचक प्रकार के प्रश्न (Objective and Short Answer type) पूछे जायें जिससे कि सम्पूर्ण पाठ्यक्रम को उनमें समाविष्ट किया जा सके। इससे विद्यार्थियों में पाठ्यक्रम में कुछ चने हुए प्रकरणों को रटने की दुष्प्रवृत्ति समाप्त होगी। अभिव्यक्ति की दृष्टि से निम्न-घात्मक प्रश्नों की भी आवश्यकता होती है किन्तु उनकी संख्या कम हो।

(4) प्रश्न पत्र में 'किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर लिखिये' जैसे विकल्प न दिये जाए उससे स्थान पर प्रश्न के अंतर्गत ही विकल्प दिया जाना चाहिए जिससे विद्यार्थियों में चुने हुए अंशों को रटने की प्रवृत्ति कम हो सके।

2 धामा पी डी इम्प्रूविंग एग्जामिनेशंस (एन सी ई आर टी, न्यू देहली) पृष्ठ 3

3 बोर्ड ऑफ सैकण्ड्री एज्युकेशन, राजस्थान, अजमेर. संपुल क्वेश्चन पेपर फॉर हार्बर सैकण्ड्री एग्जामिनेशन पृष्ठ 3।

(5) प्रश्न-पत्र को उत्तर-तालिका एवं अंक विभाजन योजना परीक्षकों के निर्देश हेतु बनाया जाना अपेक्षित है जिससे कि परीक्षण में वस्तुनिष्ठता एवं एकस्यता प्राप्त हो सके।

(6) कुछ प्रश्न कक्षा स्तर के अनुकूल ऐसे अवश्य दिये जाएँ जो विद्यार्थियों में समीक्षात्मक कुशलता को विकसित कर सकें।

(7) प्रश्नों की भाषा एवं निर्देश सरल, स्पष्ट तथा विशिष्ट हो जो उत्तरों के क्षेत्र एवं परिणाम परिसीमित कर सकें जिससे कि छात्रों में आत्मपरकता कम हो।

नवीन मूल्यांकन प्रणाली की कमौदी निम्नांकित धीन विशेषताएँ होनी चाहिए। 14

(1) वैधता (Validity) — मूल्यांकन तब ही वैध माना जा सकता है जबकि वह उन उद्देश्यों की उपलब्धि का मापन करे जिनका मापन करना वाछनीय है। प्रश्न-पत्र में प्रत्येक प्रश्न किसी न किसी पूर्व निर्धारित उद्देश्य पर आधारित होना चाहिए तथा विभिन्न प्रश्न विभिन्न निर्धारित उद्देश्यों पर आधारित हाने। इस प्रकार प्रश्न-पत्र उन समस्त वाछनीय उद्देश्यों की उपलब्धि का मापन करेगा जो अध्यापक ने शिक्षण के पूर्व निर्धारित किये थे तथा जिनकी पूर्ति हेतु उसने अपने शिक्षण के माध्यम से प्रयास किया था।

वर्तमान परीक्षा-प्रणाली में वैधता की सर्वाधिक उम्मेदारी की जाती है। उदाहरण के लिए इतिहास में पानीपत के तृतीय युद्ध-प्रकरण के लिए यदि हम अवरोध उद्देश्य पर प्रश्न बनाना चाहते हैं तो यह पूछने की अपेक्षा कि "पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की पराजय के क्या कारण थे? यह प्रश्न पूछना कि "मराठों को विजय प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए था?" अधिक साधक होगा। पहला प्रश्न कक्षा में बतलाये गये कारणों की आवृत्ति मात्र होकर रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करेगा, जबकि दूसरा प्रश्न विद्यार्थियों को नवीन परिस्थितियों में उनकी समीक्षात्मक बुद्धि को प्रेरित करेगा। इस प्रकार वाछित उद्देश्य की उपलब्धि की जांच करना प्रत्येक प्रश्न की वैधता के लिए आवश्यक तत्व है।

(2) विश्वसनीयता (Reliability) — विश्वसनीयता से तात्पर्य मूल्यांकन द्वारा मापन की एकरूपता है। एक विश्वसनीयता प्रश्न के उत्तर पर विभिन्न समय में अथवा विभिन्न परीक्षकों द्वारा एवं जैसे अंक प्राप्त होंगे। उनमें किसी प्रकार के परिवर्तन की सम्भावना नहीं होगी। उदाहरण के लिए इतिहास के प्रश्न-पत्र में निम्नांकित दो प्रश्न अक्षर के शासन पर प्रबन्ध हैं —

(अ) अक्षर के शासन प्रबन्ध का वर्णन करें।

4 शर्मा, पी डी इन्प्रूविंग एग्जामिनेशंस, पृष्ठ 9।

(ब) अकबर ने भूमि प्रबंध तथा सैनिक संगठन के क्षेत्र में शेरशाह की व्यवस्था में क्या सुधार किए ? (उत्तर 10 पंक्तियों में अश्लेषित है) पहला प्रश्न अस्पष्ट एवं अपरिसीमित है। अतः उसके उत्तर पर विभिन्न समय अथवा विभिन्न परीक्षकों द्वारा प्रदान किए गये अंका में आत्मपरक तत्त्व व कारण विभिन्नता आना स्वाभाविक है और उसकी विश्वसनीयता सदिग्ध है। दूसरा प्रश्न स्पष्ट, विशिष्ट एवं परिसीमित है। अतः उसके उत्तर पर प्राप्त अंका में एकरूपता आना निश्चित है। दूसरे शब्दों में यह प्रश्न विश्वसनीय कहा जा सकता है। परम्परागत परीक्षा प्रणाली का प्रमुख दोष अंकों में आत्मपरकता रहा है जिसे नवीन मूल्यांकन प्रणाली में विश्वसनीयता लाकर ही दूर किया जा सकता है।

विश्वसनीयता निर्माकित घटकों (Factors) पर आधारित होती है। जिसका ध्यान प्रश्न-पत्र निमाता को सदैव रखना चाहिए—

(क) प्रश्न-पत्र की लम्बाई — छोटे प्रश्न-पत्र की अपेक्षा लम्बा प्रश्न-पत्र अधिक विश्वसनीय होता है। इसका कारण यह है कि लम्बे प्रश्न-पत्र में अधिक प्रश्नों को समाहित कर विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम मन्बन्धी अधिकवाधिक ज्ञान का मापन किया जा सकता है। किन्तु समय की सीमा के अंतर्गत प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती। इसके लिए वस्तुनिष्ठ तथा लघुप्रकार के प्रश्न निम्बन्धात्मक प्रश्नों की अपेक्षा उपयुक्त रहते हैं।

(ख) पुरोक्षांकन (Scoring) की वस्तुनिष्ठता — विश्वसनीयता परिणाम प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि उत्तरों का पुरोक्षांकन भी वस्तुनिष्ठ किया जाए इसके लिए प्रश्नों की स्पष्टता, बोधगम्यता तथा विशिष्टता वांछनीय है जिससे कि प्रत्येक प्रश्न का एकनिश्चित उत्तर ही प्रत्येक समय अथवा प्रत्येक परीक्षक के लिए अर्पित हो सके। पुरोक्षण के पूव प्रश्न-पत्र की उत्तर-मालिका एवं अंक विभाजन योजना सम सहायक होती है।

(ग) निर्देशों की स्पष्टता — विश्वसनीयता के लिए तीसरा घटक प्रश्न-पत्र में विद्यार्थियों तथा परीक्षकों के निमित्त उत्तर-सीमा, अंक विभाजन, प्रश्न-पत्र के विभाग एवं निर्धारित समय-सीमा आदि का विस्तृत उल्लेख करना है। यह वस्तुनिष्ठता आह्वता एवं प्रश्न पत्र के विद्यार्थियों के समक्ष सफल प्रस्तुतीकरण के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

(3) व्यावहारिकता (Practicability) — नवीन मूल्यांकन की तीसरी विशेष व्यावहारिक दृष्टि से उसकी उपयोगिता एवं औचित्य है। उपरोक्त विशेषताओं के होते हुए भी यदि प्रश्न-पत्र समय, साधन, एवं परीक्षण की दृष्टि से अनुकूल नहीं है तो वह

उपयोगी नहीं कहा जा सकता । उसकी उपयोगिता तब ही सम्भव हो सकती है जबकि उसका निर्माण उसके विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुतीकरण, क्रियाविति, परीक्षाकन परिणामों के वर्गीकरण एवं व्याख्या की दृष्टि से सरल एवं सुबोध हो । इसके लिए प्रश्न पत्र निर्माता को शाला-समय में परीक्षा हेतु उपलब्ध समयावधि की दृष्टि में रखते हुए उपलब्ध समयावधि को दृष्टि में रखते हुए ऐसे प्रश्नों का निर्माण करना चाहिए जिनके हल करने में अर्थात् कम समय लगे किंतु जिनका स्वर अथ अपेक्षित विशेषताया व आधार पर उच्च बना रहे ।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि मूल्यांकन या शैक्षिक परीक्षण के नवीन संप्रत्य से यह अपेक्षा की जाती है कि वह परम्परागत परीक्षा-प्रवृत्ति के दोषों एवं कमियों का उचित निराकरण कर मूल्यांकन को व्यापक एवं उपयोगी बना सके ।

## शैक्षिक परीक्षण का नियोजन एवं क्रियान्वयन

### Planning and Execution of Academic Testing)

(क) शैक्षिक परीक्षण का नियोजन (Planning) इस हेतु निम्नांकित तथ्यों एवं सोपानों से अवगत होना वाञ्छनीय है —

शैक्षिक परीक्षण के उपकरण (Tools) मूल्यांकन के स्वरूप की उपरोक्त विशेषताया के अनुरूप मूल्यांकन प्रश्नों के प्रायः निम्नांकित तीन रूप प्रयुक्त होते हैं ।

(1) निम्नलिखित प्रश्न—इस प्रकार के प्रश्न विद्यार्थियों की निम्नलिखित योग्यताओं की जांच हेतु विशेष उपयोगी रहते हैं —

- (क) जटिल विषय-वस्तु अथवा तथ्यों को समझकर ध्यवस्थित करना,
- (ख) समीक्षात्मक विवेचन करना,
- (ग) आलोचनात्मक योग्यता,
- (घ) प्रभावी अभिव्यक्ति ।

परम्परागत निम्नलिखित प्रश्नों के दोषों के निराकरण हेतु यह आवश्यक है कि इन प्रश्नों को अधिकधिक वस्तुनिष्ठ बनाया जाय इसके लिए उत्तर की अधिकतम सीमा का निर्धारण तथा विवेचनीय विशिष्ट बिन्दुओं का दिया जाना अपेक्षित है । इस प्रकार के प्रश्नों में स्पष्टता तथा अनिश्चितता का नितान्त अभाव होना चाहिए ।

(2) लघुत्तरात्मक प्रश्न—इन प्रश्नों के उत्तरों की सीमा 50 शब्दों तक निर्धारित होती है जो एक पराग्राह के अन्तर्गत लिखे जा सकें। ऐसे प्रश्न किसी प्रश्नपत्र के विभिन्न बिन्दुओं के मूल्यांकन के लिए उपयुक्त रहते हैं । इनकी सहायता से पाठ्यक्रम का अधिकांश प्रश्न-पत्र में समाहित किया जा सकता है ।

(3) वस्तुनिष्ठ प्रश्न— उपरोक्त दोनों के प्रश्नों की अपेक्षा वस्तुनिष्ठ प्रश्न परीक्षाकन की दृष्टि से पूरुणतया वस्तुनिष्ठ होते हैं तथा इनके द्वारा सम्पूर्ण पाठ्यक्रम को प्रश्न पत्र में समाहित किया जाना सम्भव हो जाता है। इनके प्रमुख रूप निम्नांकित है

(क) 'सत्य/असत्य' अथवा 'हां/ना' प्रकार के प्रश्न,— कुछ कथन दिए जाकर उनकी सत्यता अथवा असत्यता को पहचानने द्वारा विद्यार्थी प्रकट कर सकते हैं।

(ख) बहु विकल्पी (Multiple Choice) प्रश्न— इस प्रकार के प्रश्न में एक कथन प्रश्न अथवा वाक्य के रूप में होता है जिसकी पूर्ति प्रायः पाँच विकल्पों में से किसी एक सही विकल्प के द्वारा की जाती है। परीक्षार्थी यह पूर्ति आगे दिये गये कोष्ठक में सही विकल्प का अक्षर लिख कर करता है। यह रूप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में सर्वोत्तम माना जाता है क्योंकि इसमें विकल्पा द्वारा अनुमान लगाने का निराकरण हो जाता है।

(ग) रिक्त स्थान की पूर्ति — इस प्रकार के प्रश्नों में किसी वाक्य में दिये गये रिक्त स्थान की पूर्ति करना होता है।

(घ) युग्माधारित (Matching Type) प्रश्न — प्रश्नों का यह प्रकार बहु-विकल्पी प्रश्न के सिद्धांत पर आधारित है किन्तु एक भिन्न रूप में प्रस्तुत किया जाता है जैसे 3 स्तम्भों (Columns) में पहले स्तम्भ में कुछ घटनाओं की सूची दी जाती है तथा दूसरे स्तम्भ में दी गई तथ्यों की सूची में से सही तथ्य को चुनकर तीसरे स्तम्भ में लिखी जाती है।

उपरोक्त लिखित परीक्षा के अतिरिक्त विद्यार्थियों का मूल्यांकन मौखिक परीक्षा तथा आन्तरिक मूल्यांकन से भी परिपुष्ट किया जाता है।

### नवीन विधि के प्रश्न-पत्र निर्माण के सिद्धांत एवं सौपान

विद्यार्थियों के विषयगत अकादमिक संप्राप्ति (Academic achievements) के प्रभावी मूल्यांकन हेतु प्रश्न पत्र निर्माता को निम्नांकित सिद्धांतों के आधार पर प्रश्न पत्र की पूरुव योजना (Plan) बना लेनी चाहिए 5

(क) रूपरेखा (Disigen) का निर्माण—

प्रश्न-पत्र के निर्माण, उसके उत्तर देने तथा परीक्षाकन करने में आरम्भपरकता के निवारण तथा सम्पूर्ण पाठ्यक्रम एवं निर्धारित उद्देश्यों को समाहित करने की दृष्टि से उसकी रूपरेखा बना लेना आवश्यक होता है। मूल्यांकन एक अनवरत प्रक्रिया है।

6 बोर्ड ऑफ़ सुरुकुली एज्युकेशन, राजस्थान, अजमेर सैपिन सर्विशन पेपर इन हिंदी (एन सी ई आर टी — न्यू वेहली) पृष्ठ 17।

में शिक्षण की विभिन्न अवधि के अंत में मूल्यांकन हेतु विभिन्न प्रकार के प्रश्न पत्रों की रूपरेखा बनाई जानी चाहिए जैसे प्रत्येक पाठ के अंत में लघु मूल्यांकन, प्रत्येक विषयगत इकाई (Unit) के अंत में इकाई जांच पत्र तथा अर्द्ध-वार्षिक परीक्षा हेतु सम्पूर्ण प्रश्न-पत्र। रूपरेखा के निर्माण में निम्नलिखित पक्षा का ध्यान रखना चाहिए —

(1) उद्देश्यों का अंक भार (Weightage) पूर्व-निर्धारित विषयगत उद्देश्यों में से उन उद्देश्यों का चुनाव किया जाना चाहिए जिनका कि मूल्यांकन करना वाछनीय है। इस प्रकार चुने हुए उद्देश्यों के प्रश्न-पत्र के निर्माण में अंक भार निश्चित किये जाने चाहिए। अंक-भार निश्चित करते समय इन उद्देश्यों के विशिष्ट व्यवहारगत परिवर्तनों का ध्यान में रखना आवश्यक है। ऐसा करने से विद्यार्थियों में रुतने की प्रवृत्ति कम होगी तथा निर्धारित उद्देश्यों की उपलब्धि की जांच भी सम्भव हो सकेगी।

(2) पाठ्य-वस्तु का अंक-भार — उद्देश्यों के अंकभार के साथ ही उनसे सम्बन्ध पाठ्य-वस्तु के विभिन्न प्रकरणों अथवा इकाइयों का अंकभार निश्चित करना अपेक्षित है। पाठ्य-वस्तु के ये विभिन्न अंश शिक्षण एवं ज्ञानाजन की उन विभिन्न स्थितियों के द्योतक हैं जिनका कि निर्माण अध्यापक ने कक्षा-कक्ष में पढाते समय किया है। इसके लिए प्रश्न-पत्र निर्माता को इतिहास के उस पाठ्यक्रम का विश्लेषण कर प्रत्येक प्रकरण का अंकभार निश्चित करना होता है जिनका कि मूल्यांकन करना वाछनीय है।

(3) विभिन्न प्रश्न रूपों का अंकभार (Forms of Questions) — प्रत्येक प्रकरण तथा उद्देश्य की जांच हेतु उसके लिए सबसे अधिक उपयुक्त प्रश्न के प्रकार को प्राथमिकता देकर उसका अंक भार निश्चित करना चाहिए। मूल्यांकन हेतु प्रश्नों के अनेक रूप हात हैं जैसे वस्तुनिष्ठ, लघुतरात्मक एवं निबन्धात्मक तथा वस्तुनिष्ठ। प्रश्न के प्रश्नों के भी अनेक रूप हो सकते हैं जैसे बहुविकल्पी, हाँ ना के प्रश्न रिक्त स्थानों की पूर्ति, युग्माधारित आदि। उदाहरण के लिए कम समय में अधिकतम पाठ्यक्रम तथा उद्देश्यों की समाहित करने के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न उपयुक्त रहते हैं, इतिहास में समय ज्ञान की जांच के लिए युग्माधारित प्रश्न ठीक रहेंगे, घटनाओं के कारण-कारण सम्बन्धा की लघुतरात्मक प्रश्नों द्वारा ठीक जांच की जा सकती है तथा अभिव्यक्ति की जांच निबन्धात्मक प्रश्नों द्वारा ही सम्भव है।

कुछ प्रश्न रूपों के उदाहरण अधोलिखित हैं —

(अ) वस्तुनिष्ठ प्रश्न — (Objective type questions)

(1) सत्य/असत्य अथवा हाँ/नहीं के प्रश्न —

निम्नांकित कथनों के समक्ष सत्य/प्रसत्य प्रत्यवा ही/ना प्रकृत कीजिए—  
 अशोक का एक शिलालेख राजस्थान में बैराठ नामक स्थान पर है।—सत्य/प्रसत्य  
 फीरोज तुगलक की सांकेतिक मुद्रा चलाने की योजना विफल रही। —हाँ/नहीं

(2) रिक्त स्थानों की पूर्ति के प्रश्न—

निम्नांकित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए—

चन्द्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में नामक यूनानी राजदूत न पाटलिपुत्र का विवरण लिखा है। (मेगस्थनीज)

दुमासू को शेरशाह से वे युद्ध में पराजित हो भारत से भागना पड़ा (कन्नौज)

(3) बहुविकल्पी प्रश्न—

निम्नांकित कथन के सही विकल्प का क्रमाक्षर सामने दिये कोष्ठक में लिखिए—  
 शिवाजी के मन्त्रिमण्डल में विदेश मन्त्री का नाम था—

- |              |            |           |
|--------------|------------|-----------|
| (क) भ्रमात्य | (ख) सुमत्त |           |
| (ग) मन्त्री  | (घ) सचिव   | (ङ) पेशवा |

[ख]

(4) युग्माधारित (Matching type) प्रश्न

निम्नांकित घटनाओं के समक्ष दी गई तिथियाँ में से सही तिथि के अक्षर सामने दिये कोष्ठक में लिखिए—

- |                           |            |     |
|---------------------------|------------|-----|
| 1 कन्नौज की बौद्ध-सभा     | (क) 633 ई० | [घ] |
| 2 हर्ष का राज्यरोहण       | (ख) 619 ई० | [च] |
| 3 वल्लभी पर विजय          | (ग) 647 ई० | [क] |
| 4 ह्वेनसांग का भारत जागमन | (घ) 643 ई० | [घ] |
|                           | (च) 606 ई० |     |
|                           | (ङ) 630 ई० |     |

(व) लघुत्तरात्मक प्रश्न—

निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर 50 शब्दों के अन्दर दीजिए—

बहमनी राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई ?

शिवाजी की धार्मिक नीति औरगजेब से किस प्रकार भिन्न थी और क्यों ?

(स) निबन्धात्मक प्रश्न—

अकबर के शासन प्रबंध का विवरण निम्नांकित शीषका के अन्तर्गत लिखिए  
 (उत्तर 300 शब्दों से अधिक न हो) —

(क) प्रांतीय शासन

(स) भूमि-सुधार

(ग) सैनिक-संगठन

यह प्रश्न पत्र निर्माता के विवेक पर निर्भर है कि वह किस प्रकार उपयुक्त प्रश्न-रूपों का निर्धारण कर अक-भार निश्चित करता है।

(4) विकल्प (Options) की योजना — प्रश्न-पत्र की रूप रेखा बनाते समय इस बात का भी निर्धारण कर लेना आवश्यक है कि प्रश्न-पत्र में विद्यार्थियों को प्रश्नों के उत्तर देने में क्या विकल्प प्रस्तुत करने हैं। नवीन मूल्यांकन प्रणाली में प्रश्नों का परस्पर विकल्प देना उचित नहीं है। विकल्प केवल प्रश्नातर्गत ही देना चाहिए और वह भी ऐसे प्रश्नों के अन्तर्गत जिसके दोनों प्रश्न रूप उद्देश्य, पाठ्यवस्तु कठिनाई एवं स्तर के अनुरूप हों।

(5) प्रश्न पत्र के अनुभाग (Sections) — वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को प्रश्न-पत्र में समाविष्ट करने के कारण उसका कुछ विभागों में विभाजन आवश्यक हो जाता है। एक से प्रश्न रूपों को एक विभाग में रखना तथा उनके लिये समुचित समय निर्धारित करना चाहिए। विभिन्न विभागों की समयावधि इसी आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए। प्रायः सम्पूर्ण प्रश्न-पत्र को दो विभागों में विभाजित किया जाता है। प्रथम विभाग में वस्तुनिष्ठ एवं अतिलघुत्तरात्मक प्रश्न रखे जाते हैं तथा उसका समय 30 मिनट निर्धारित किया जाता है जो निश्चित अवधि के पश्चात् विद्यार्थियों से ले लिया जाता है। दूसरे विभाग में लघुत्तरात्मक तथा निवृत्तात्मक प्रश्न होते हैं तथा उसका समय ढाई घंटा निश्चित होता है।

(क) आधार-पत्रक (Blue Print) का निर्माण

उपरोक्त रूप-रेखा तैयार कर लेने के पश्चात् प्रश्न पत्र के लिये एक आधार पत्रक बनाया जाना चाहिए। आधार-पत्रक एक ऐसा अभिलेख है जो प्रत्येक प्रश्न की उपासक रूपरेखा के अनुसार स्थिति प्रकट करत हुए प्रश्न-पत्र का समग्र क्रियात्मक चित्र प्रस्तुत करता है। यह आधार-पत्रक एक त्रिपायी रेखा चित्र (The Dimensional Chart) होता है जो विभिन्न प्रश्नों की निम्नांकित सन्दर्भ में स्थिति प्रकट करता है —

(1) प्रत्येक प्रश्न द्वारा जांच किया जाने वाला उद्देश्य,

6 बोर्ड आफ सैकण्ड्री एज्युकेशन, राजस्थान, अजमेर यूनिट टेस्टस इन हिस्ट्री

(एन सी ई आर टी — यू देहली) पृष्ठ 2।



(2) प्रत्येक प्रश्न द्वारा जांच किया जाने वाला पाठय-वस्तु प्रकरण,

(3) प्रश्न का रूप जो उपरोक्त 1 तथा 2 की जांच हेतु अत्यंत उपयुक्त है।  
इसके प्रतिरिक्त आधार पत्रक द्वारा निम्नांकित तथ्य भी प्रकट होते हैं —

(1) प्रत्येक प्रश्न का भवभार, तथा (2) प्रश्नांतर्गत विफल्य की योजना।

“इस आधार-पत्रक प्रश्न पत्र निर्माण की रूपरेखा पर आधारित एक विस्तृत योजना है।”

(ख) आधार पत्रक के अनुरूप प्रश्नों का निर्माण

प्रश्न पत्र की रूपरेखा एवं आधार-पत्रक के बना लेने के पश्चात् तीसरा सोपान विभिन्न प्रश्नों का निर्माण है जो निर्धारित योजनानुसार होने चाहिए। प्रश्नों के निर्माण के लिए विषयगत उद्देश्य व तदनुसृत व्यवहारगत परिवर्तनों का ज्ञान, विषय वस्तु पर अधिकार तथा विभिन्न प्रश्न रूपों के बनाने की कुशलता आवश्यक है। अतः प्रत्येक प्रश्न का निर्माण करते समय प्रश्न पत्र निर्माता को निम्नांकित तथ्य दृष्टिगत रखना चाहिए कि वह —

(1) शिक्षण के पूर्व निर्धारित विशिष्ट उद्देश्य पर आधारित है,

(2) विशिष्ट पाठय-वस्तु प्रकरण से सम्बन्धित है,

(3) अपने स्वरूप में लिये अपेक्षित नियमों के अनुरूप है,

(4) वांछित कठिनाई स्तर का व्यक्त करता है

(5) भाषा-शैली की दृष्टि से विद्यार्थियों के लिए बोध्यगम्य एवं स्पष्ट है।

(ग) प्रश्न पत्र का संपादन (Editing) :—

उपरोक्त सोपानों के पश्चात् प्रश्न-पत्र के निर्माता द्वारा संपादन हेतु निम्नांकित प्रक्रिया अपनायी चाहिए —

(1) प्रश्नों का व्यवस्थापन — प्रश्न पत्र के विभिन्न विभागों के अन्तर्गत प्रश्नों का विभाजन कर उक्त कठिनाई स्तर के क्रम में व्यवस्थित करना चाहिए। यह क्रम सरल से कठिनतर होना चाहिए।

(2) परीक्षार्थियों के लिए निर्देश — परीक्षार्थियों से प्रश्न पत्र के उत्तर के सम्बन्ध में जो अपेक्षा की जाती है उसे सामान्य तथा विशिष्ट निर्देशों में विभक्त कर लिखा जाना चाहिए। ये निर्देश प्रश्न-पत्र के प्रत्येक विभाग के आरम्भ में अंकित होने चाहिए।

7 वाई आफ सैबप्ट्री एज्युकेशन, राजस्थान, अजमेर सैम्पल क्वेश्चन पेपर इन हिंदी  
सैकण्ड्री एजामिनेशन पृष्ठ 9।

(3) क्रियान्वयन (Administration or Execution) हेतु निर्देश — प्रश्न पत्र के विभिन्न विभागों की समयावधि का निर्धारण कर देना उसके प्रस्तुतीकरण की दृष्टि से उपयोगी रहता है। यह विद्यार्थियों में अनुचित साधनों के उपयोग को रोकने में भी सहायक होता है।

(घ) उत्तर-तालिका (Scoring Key) तथा अकयोजना का निर्माण — वस्तु-निष्ठ प्रश्नों की उत्तर तालिका तथा लघुत्तरात्मक एवं निवृत्तात्मक प्रश्नों के सभावित उत्तर-संकेतों की अक-योजना बनाई जानी चाहिए जिससे परीक्षकों के काम में वस्तुनिष्ठता एवं एकरूपता लाई जा सके।

(च) प्रश्नानुक्रम से प्रश्न पत्र का विश्लेषण — प्रश्न-पत्र की कमियाँ तथा उसके प्रभावी रूप का जानने के लिए यह आवश्यक है कि सम्पूर्ण प्रश्न पत्र का प्रश्नानुक्रम से एक तालिका में विश्लेषण कर लिया जाए। इस तालिका द्वारा प्रत्येक प्रश्न का सम्बद्ध उद्देश्य प्रश्न-रूप, कठिनाई स्तर समयावधि एवं अक भार स्पष्ट हो जाता है। परीक्षकों के पश्चात् इस तालिका के आधार पर परीक्षा-परिणाम का विश्लेषण एवं व्याख्या करना सरल हो जाता है। इस प्रकार मूल्यांकन उद्देश्या एवं शिक्षण-पद्धति में वांछित परिवर्तन करने में सहायक होता है।

शिक्षण में इकाई आच-पत्र तथा जट्टवापिक अथवा वापिक परीक्षा के लिए सम्पूर्ण प्रश्न पत्रों का निर्माण करना पडता है। दोनों प्रकार के प्रश्न पत्रों के सामान्य सिद्धांत एक जैसे होते हैं जिनका ऊपर उल्लेख किया जा चुका है। यहा हम उच्च माध्यमिक कक्षा के प्रथम प्रश्न-पत्र के अन्तगत मध्यकालीन भारत के इतिहास का प्रश्न पत्र नमून के रूप में लेंगे तथा उसके माध्यम से उपरोक्त सोपानों का अध्ययन करेंगे।

इतिहास के नवीन विधि के प्रश्न-पत्र का निर्माण — मध्यकालीन भारत के इतिहास की कक्षा 9 के निमित्त प्रश्न पत्र के निमाण में उपरोक्त सोपानों का निम्नांकित तालिकाओं में समायोजन किया जा सकता है यद्यपि इसमें आवश्यकतानुकूल परिवर्तन किये जा सकते हैं। 18

8 वही - पृष्ठ 19।

(क) प्रश्न पत्र की रूपरेखा (Design) —

(1) उद्देश्यों का अंक भार (Weightage) —

तालिका 1 प्रश्न-पत्र प्रथम (मध्यकालीन भारत)

क्रम संख्या	प्रक्षिप्त उद्देश्य	निर्धारित अंक	प्रतिशत
1	ज्ञान	25	50%
2	अवबोधन	15	30 "
3	उपयोजन	8	16 "
4	कीर्ण	2	4 "
योग		50	100

(2) पाठ्य-वस्तु का इकाइयों का अंक-भार-तालिका 2

तालिका 2-प्रथम प्रश्न-पत्र (मध्यकालीन भारत)

क्रम संख्या	पाठ्य वस्तु के प्रमुख क्षेत्र	निर्धारित अंक	प्रतिशत
1	दिल्ली सल्तनत	20	40%
2	मुगलकाल	30	60 "
योग		50	100

(3) प्रश्न रूपों का अंकभार — तालिका 3

अनुभाग	प्रश्न-रूप	प्रश्नों की संख्या	निर्धारित अंक	प्रतिशत
(अ)	वस्तुनिष्ठ	20	10	20%
	अति लघुआत्मक	5	5	10 "
(ब) भाग(1)	लघुआत्मक	5	10	20 "
	निबन्धात्मक	1	5	10 "
भाग(2)	लघुआत्मक	4	8	16 "
भाग(3)	निबन्धात्मक	2	12	24 "
योग		37	50	100

प्रश्न पत्र में प्रश्नों की ठीक-ठीक संख्या, विकल्प, विभाग तथा प्रस्तुतीकरण के आधार पर प्रश्नों की समयावधि का निर्धारण जैसे कि अगले पृष्ठ दिया है किया जाना चाहिए-

(4) समय निर्धारण तालिका 4

विभाग	प्रश्न-रूप	कुल अंक	प्रश्न संख्या	संभावित समय (मिनटों में)
(अ)	(क) वस्तुनिष्ठ	10	20	20
	(ख) अतिलघुत्तरात्मक	5		
(ब)	अतिरिक्त समय	—	5	5
	(क) लघुत्तरात्मक	17	—	6
	(ख) निबन्धात्मक	17	9	75
	योग	50	3	75
			36	180



पीछे की तालिका में अक्षर नि, ल, अ तथा व क्रमशः निबध्नात्मक, लघुत्तरात्मक अतिलघुत्तरात्मक तथा वस्तुनिष्ठ प्रश्न रूपों के संकेत चिह्न हैं। कोष्ठक के अंतर्गत प्रश्नों की संख्या तथा उनके बाहर प्रश्नों के निर्धारित अंक हैं। आधार पत्रक में निर्दिष्ट प्रश्नों का उद्देश्य, पाठ्यवस्तु तथा प्रश्न रूप के आधार पर अंक भार पूर्व तालिकाओं के अनुरूप है।

प्रश्न पत्र का कक्षा में प्रस्तुति (Administration) तथा परीक्षाकन (Scoring) प्रश्न-पत्र की कक्षा में समुचित प्रस्तुति की दृष्टि से यह आवश्यक है कि परी-  
क्षाधिको को वाञ्छित उत्तर देने में सहायक निर्देश स्पष्ट एवं बोधगम्य हों। इनका उल्लेख पहले किया जा चुका है। मूल्यांकन की वैधता, विश्वसनीयता एवं वस्तु-  
निष्ठता की रक्षा यह आवश्यक है कि प्रश्न पत्र की प्रस्तुति अनुकूल परिस्थितियों तथा समुचित वीक्षण (Invigilation) से अंतर्गत की जाए।

प्रश्न-पत्र के परीक्षाकन के लिए परीक्षकों के मार्गदर्शन हेतु विस्तृत उत्तर-  
तालिका एवं अंक विभाजन योजना पहले से तैयार कर उन्हें उपलब्ध कराई जाय। यह परीक्षाकन की वस्तुनिष्ठता एवं एकरूपता की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार समग्र रूप से प्रश्न पत्र वास्तविक शैक्षणिक का आधार बन सकता है। शिक्षण एवं परीक्षण में इसी नवीन दृष्टिकोण का अनुसरण करना वाञ्छनीय है।

**शैक्षिक परीक्षण सम्बन्धी समस्याएँ एवं उनका निराकरण**

शैक्षिक परीक्षण सम्बन्धी प्रमुख समस्याएँ निम्नांकित हैं -  
(1) शिक्षकों का नवीन मूल्यांकन प्रणाली में प्रशिक्षित न होना -

शैक्षिक परीक्षण के विभिन्न प्रकारों (Unit test, सावधिक परीक्षण Periodical Tests) अद्यवाधिक एवं वार्षिक परीक्षाओं के प्रश्न-पत्रों निर्माण एवं क्रियान्वयन का ही करना होता है जो विभागीय एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नियमानुसार नवीन मूल्यांकन प्रणाली के अनुकूल होने चाहिए। किन्तु सभी शिक्षक इस प्रणाली में प्रशिक्षित न होने के कारण प्रश्नों व प्रश्न पत्रों का निर्माण समुचित रूप से नहीं कर पाते। फलतः परी-  
क्षण का उद्देश्य पूरा नहीं होता। इस समस्या का निराकरण सभी विषयों को इन दिशा में अल्पकालीन प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। वर्तमान में राज्य मूल्यांकन एकक (SCERT Evaluation Unit) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित अल्पकालीन प्रशिक्षण शिविर अर्थात्त हैं, इनका विस्तार अपेक्षित है।  
2) प्रश्नों व प्रश्न पत्र के निर्माण में असावधानियों के कारण अनेक समस्याएँ उत्पन्न होती हैं जैसे प्रश्नों में वैधता (Validity) विश्वसनीयता (Reliability),



के उचित सधारण एवं उनकी गोपनीयता न रखने से अनेक अनियमितताएँ उत्पन्न होती हैं। अतः सस्य प्रथम द्वारा इन अभिलेखा के समुचित सधारण की व्यवस्था करनी चाहिए।

## प्रोन्नति (Promotion)

प्रोन्नति का अर्थ एवं उद्देश्य—

अर्थ—प्रोन्नति अथवा कक्षोन्नति का अर्थ शैक्षिक परीक्षण के आधार पर विद्यार्थी को क्षय—प्रोन्नति प्रथम कक्षोन्नति का अर्थ शैक्षिक परीक्षण के आधार पर विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर अगली कक्षा में प्रोन्नत (Promotion) करना है। यह प्रोन्नति विभागीय नियमों के अनुसार (जो प्रायः दिये गये हैं) सावधिक परीक्षणों (Partical Tests) लिखित कार्य की जांच अर्थात् वार्षिक परीक्षा तथा वार्षिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के योग आधार पर होती हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नियमों के अनुसार केवल बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा के आधार पर ही कक्षा 10 व 11 के विद्यार्थियों को प्रोन्नति होती है।

किशनचंद जैन के अनुसार—“छात्रों की कक्षोन्नति शिक्षा तथा प्रशासकों के लिए एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्या है। कक्षोन्नति बालक के जीवन को अत्यधिक प्रभावित करती है। परीक्षा में असफलता कभी-कभी बालक के जीवन को अच्छा या बुरा एक नया मोड़ देती है। इसके परिणाम स्वरूप वह अथिब परिश्रम एवं उत्साह से वंचित करने लगता है, अथवा वह निरोग होकर औपचारिक शिक्षा से विमुक्त हो जाता है। परीक्षा में असफल छात्रों की अत्यधिक संख्या के कारण वतमान परीक्षा तथा कक्षोन्नति की प्रणाली तीव्र आलोचना का शिपम बनी हुई है।” अतः प्रोन्नति के उद्देश्यों पर आधारित यदि उसकी नीति एवं नियम प्रत्येक विद्यालय में स्पष्ट एवं निश्चित हैं तो प्रोन्नति उपयोगी होती है अथवा वह आलोचना का कारण बनती है।

प्रोन्नति के प्रमुख उद्देश्य निम्नांकित होते हैं—2

(1) प्रोन्नति सम्बन्धी निम्न छात्र के हित में होना चाहिए। यदि वह अगली कक्षा के पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक समझ करके की क्षमता रखता है तो उसे प्रोन्नत करना वाछनीय है।

1 किशनचंद जैन शैक्षिक संगठन, प्रशासन एवं पर्यवेक्षण



- (2) प्रोन्नति केवल शक्षिक परिक्षण की लिखित प्रविधि के आधार पर किया जाना अनुचित है क्योंकि उसके द्वारा छात्र के सर्वांगीण विकास का मूल्यांकन नहीं हो पाता। इसके लिये अन्य प्रविधियों का भी अपनाना चाहिए।
- (3) प्रोन्नति सम्बन्धी विषय सभी बढावों व छात्रों के लिये समान होने चाहिए।
- (4) प्रोन्नति सतत एवं नियमित सावधिक परीक्षणों के योग के आधार पर की जानी चाहिए ताकि सतत रूप से किये गये कार्य व प्रदर्शित आचरण का मूल्यांकन हो सके। इसके सचित अभिलेखों का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है।
- (5) सत्र के अंतगत प्रत्येक सावधिक परीक्षण से प्रकट छात्रों की कमियों के निदान के आधार पर उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि छात्र का प्रोन्नति के इस उद्देश्य की पूर्ति हो सक कि उसे अपने प्रदर्शन की सुधारने का अवसर दिया जाता रहा है।
- (6) केवल एक दो विषयों में अनुत्तीर्ण होने पर ही उसे असफल न घोषित किया जावे बल्कि उसे पूर्व परीक्षाओं द्वारा इन विषयों में अच्छा प्रदर्शन कर दिखाने का अवसर दिया जाये।
- (7) प्रोन्नति का उद्देश्य केवल छात्र को सफल घोषित करना ही नहीं होना चाहिए, बल्कि कक्षा में उसके स्थान (Rank) प्रतिशत प्राप्तियों के आधार पर श्रेणी तथा मापीकृत मानदण्डों (Standardized Norms) के आधार पर उसकी उपलब्धियों गुणवत्ता का निर्धारण भी होना चाहिए। इससे प्रोन्नति छात्र की भावी उपलब्धियों का स्तरों न्यून करने में सहायक हो सकती है।
- (8) प्रोन्नति के आधार पर अगली कक्षा का पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ, शक्षिक क्रियावलाप व गत कक्षा की कमियों हेतु उपचारात्मक शिक्षण का निर्धारण किया जाना चाहिए। इस प्रकार प्रोन्नति आगामी शिक्षा-क्रम का आधार बननी चाहिए।

### प्रोन्नति के प्रकार

विश्वनाथ द जैन के अनुसार कक्षा-प्रोन्नति अथवा प्रोन्नति के प्रकार निम्नलिखित हैं—

- (1) वार्षिक प्रोन्नति - जिसमें केवल वष (सत्र) हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम में छात्र की संप्रप्तियों का मूल्यांकन सत्र के अंत में एक परीक्षा द्वारा होता है। यह विधि दोष पूर्ण है। सत्र पर्यंत नियमित कार्य के मूल्यांकन का लेखा जोखा सावधिक रूप से रखा जाना तथा प्राप्तियों के योग के आधार पर प्रोन्नति होनी चाहिए
- (2) अर्द्धवार्षिक प्रोन्नति - जिसे उप सत्र उपरांत (Semister) प्रोन्नति भी कहते हैं

इसका उद्देश्य अंतिम समाप्त में ली जाने वाली परीक्षा में असफल विद्यार्थियों को सही रास्ता बताना करना होता है।

- (3) शत-प्रतिशत प्रोन्नति - जिसमें छात्रों के पाठ्यक्रम पूर्ण करने के अनुभवों का आधार पर ही सभी को प्रोन्नत कर दिया जाता है जैसा कि अमेरिका के कुछ विद्यालयों में होता है।
- (4) सम्मिलित वार्षिक एवं उपसत्रिय प्रोन्नति (Combind Annual and Terminal Promotion) इसमें औसत स्तर के छात्रों को सत्र के मध्य में ही प्रोन्नत कर दिया जाता है तथा कुशाग्र बुद्धि के छात्रों को सत्र के अन्त में प्रोन्नत कर दिया जाता है।
- (5) विषयवार प्रोन्नति (Subjectwise Promotion) इसमें यदि कोई छात्र किसी एक या अधिक विषयों का पाठ्यक्रम अल्प समय में पूरा कर लेता है। तो उसे उन विषयों का अध्ययन वह अगली कक्षा में करता है किन्तु अन्य विषयों का उसी कक्षा में।
- (6) परीक्षण आधारित प्रोन्नति (Trail Promotion) - इसमें उन छात्रों को जिनकी सफलता या असफलता सदिग्ध हो उन्हें अगली कक्षा में इस शत पर प्रोन्नत कर दिया जाता है कि यदि उनकी प्रगति प्रथम उपसत्र में सतोषजनक नहीं रही तो उन्हें निचली कक्षा में अवनत कर दिया जायेगा। स्पष्ट है कि उपरोक्त प्रोन्नति सम्बन्धी प्रकारों में कुछ न कुछ दोष विद्यमान हैं। सर्वोत्तम विधि वही है जिसमें सत्रपथत सावधिक परीक्षणों में प्राप्तियों के योग पर छात्र को प्रोन्नत किया जाता है।

### प्रोन्नति सम्बन्धी समस्याएँ और उनका निराकरण

प्रोन्नति सम्बन्धी समस्याएँ प्रायः प्रोन्नति नियमों के अभाव में जयवा निर्धारित प्रोन्नति नियमों के अनुपालन न करने से उत्पन्न होती हैं। अतः विभागीय एवं माध्यमिक शिक्षा बाड द्वारा प्रोन्नति नियम निश्चित होने चाहिए जो प्रदेश के सभी विद्यालयों व छात्रों पर समान रूप से लागू होने चाहिए। राजस्थान में माध्यमिक विद्यालयों में प्रोन्नति नियम निर्धारित हैं। प्रत्येक शिक्षक तथा छात्र को उनसे अवगत होना आवश्यक है। प्रोन्नति शैक्षिक परीक्षण का अन्तर्गत सम्बन्ध होता है। शैक्षिक परीक्षण यदि पूर्वोक्त विधि से समुचित रूप से किया जाये तो प्रोन्नति का पूर्वोक्त

(पृष्ठ 116-118)

आधार सुदृढ़ तथा निष्पक्ष होता है। इसी प्रकार प्रोन्नति नियमों के समुचित अनुपालन से शैक्षिक परीक्षण का उद्देश्य भी पूरा होता है अथवा प्रोन्नति एवं शैक्षिक परीक्षण दोनों ही असफल होते हैं। इसका प्रभाव आज असफल छात्रों की एक बड़ी संख्या तथा उनमें व्याप्त असंतोष एवं निराशा में परिलक्षित होता है।

शैक्षिक परीक्षण की जो समस्याएँ हैं वे प्रोन्नति की समस्याओं से सम्बद्ध हैं। अतः जो निराकरण पूर्व में सुझाये गये हैं उनका पालन किया जाना वांछनीय है। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा परीक्षा एवं प्रोन्नति के नियमों का पालन क्रिया में आना अत्यन्त आवश्यक है। इन नियमों को यहाँ उद्धृत किया जा रहा है-

### परीक्षा एवं कक्षोन्नति नियम।

[1] क्षेत्र— ये नियम परीक्षा एवं कक्षोन्नति नियम कहलाएंगे तथा राजस्थान के सभी राजकीय एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों के कक्षा 1 से नौ तक समस्त छात्रों पर लागू होंगे।

[2] सामान्य नियम—

(1) परीक्षा प्रवेश योग्यता (1) कक्षा तीन से कक्षा नौ तक की वार्षिक परीक्षाओं में केवल वे ही छात्र प्रविष्ट हो सकते हैं जिन्होंने किसी राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में नियमित छात्र के रूप में सत्र पर्यन्त अध्ययन किया है अथवा जिन्हें स्वयं पाठी परीक्षार्थी के रूप में बैठने की आज्ञा दे दी गई है।

(2) यदि कोई छात्र या छात्रा बोर्ड की परीक्षा में लगातार दो वर्ष तक असफल रहे तो उसे विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाए। यह नियम कक्षा 1 से 9 तक पढ़ने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा।

(2) छात्रों की उपस्थिति— (1) नियमित छात्रों की उपस्थिति विद्यालय आरम्भ होने के दिन एवं पूरक परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की उपस्थिति पूरक परीक्षा परीक्षाम घण्टित होने के दिन से गिनी जाएगी।

(2) छात्रों को मात्र की कुल उपस्थिति का 60 प्रतिशत प्राथमिक कक्षाओं में, 70 प्रतिशत माध्यमिक कक्षाओं में उपस्थित रहना अनिवार्य है।

1 विभागीय सहायिका शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर (पृ 164-169)

### (3) स्वल्प उपस्थिति से मुक्ति—

यदि प्रधानाध्यापक सतुष्ट हो कि रूग्णावस्था व अन्य उचित कारणसे अनुपस्थित भयवा अवकाश पर रहा है तो वे विद्यालय के कुल दिवसों की प्रतिशत उपस्थिति न्यूनता के आधार पर छात्रों को निम्न प्रकार मुक्त करके वापिक परीक्षा में बैठने की आज्ञा दे सकते हैं।

- (1) कक्षा 3, 4 व 5
- (2) कक्षा 6, 7 व 8
- (3) कक्षा 9

15 प्रतिशत  
10 "  
20 "

### परीक्षा तैयारी अवकाश—

- (1) प्रयाध्यापक कक्षा 3 से 11 तक के छात्रों को अर्द्ध वापिक परीक्षा हेतु एक दिन तथा वापिक परीक्षा हेतु 3 से 9 तक के छात्रों को दो दिन का तैयारी अवकाश, राजपत्रित एवं रविवार की छुट्टियों के अतिरिक्त दे सकते हैं।
- (2) कक्षा 10 तथा 11 के छात्रों का परीक्षा तैयारी अवकाश अर्द्ध वापिक परीक्षा हेतु उपरोक्त प्रकार ही रहेगा तथा बोर्ड की वापिक परीक्षा हेतु बोर्ड के नियमानुसार भवकाश रहेगा।

### न पत्र व्यवस्था—

- (1) सभी कक्षाओं में परीक्षाधियों की संख्या 10 से अधिक होने की दशा में प्रश्न-पत्र मुद्रित/चक्र लेखांकित तथा इससे कम संख्या होने पर चक्र लेखांकित अथवा कार्बन पेपर से हस्तलिखित होंगे।
- (2) परखों में प्रश्न-पत्रों को लिखा कर या श्याम-पट्ट पर लिख कर लिखाया जाए।

### परीक्षाएँ—

- (1) कक्षा 3 से 11 तक प्रतिवर्ष नियमित अन्तर के साथ प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक विषय की दो प्रावधिक परखें होंगी।
- (2) कक्षा 9 की तीसरी प्रावधिक परख होगी और कक्षा 3 से आठ तक तीसरी प्रावधिक परख के स्थान पर लिखित कार्य का सत्र में दो बार (नवम्बर व मार्च में) मूल्यांकन किया जाएगा जो 55 अंकों का होगा। अर्थात् दोनों मूल्यांकनों का योग 10 अंक होगा।
- (3) बोर्ड की परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की तृतीय परख नहीं होगी। इसलिए उनके लिए तृतीय परख के पूर्णांक पहली दो परखों में ही वितरित कर दिये जाएँ।
- (4) सत्र में दो परीक्षाएँ होंगी। पहली (अर्द्धवापिक) कितनी भी समय विसम्बर मास

में तथा दूसरी (वार्षिक) 15 अप्रैल के पश्चात् ।

- (6) वार्षिक परीक्षा परिणाम ग्रीष्मवर्ष के लिए शालाघा के बन्द होने से पूर्व घोषित कर दिया जायेगा ।
- (7) वार्षिक परीक्षा में वही छात्र सम्मिलित किया जायगा जिसने कम से कम दो आवधिक परखे दी हों या एक परख और अर्द्ध वार्षिक परीक्षा दी हो और जिसमें वह नहीं बठा हो उनके कारणों की प्रामाणिकता से सस्था प्रधान का पूर्णतया से सतुष्ट कर दिया हो ।
- (8) अर्द्ध वार्षिक परीक्षा तथा वार्षिक परीक्षा क्रमशः अधिक से अधिक 10 दिन से 14 दिन में समाप्त कर ली जाए ।
- (9) विभिन्न परीक्षाओं में पूर्णांक निम्नलिखित सारणी के अनुसार होंगे ।

परीक्षा	अभिभक्त इकाई वक्षा 1-2	कक्षा 3 से 8 प्रत्येक विषय में	वक्षा 9 से 11					
			अनिवार्य विषय ।		ऐच्छिक विषय			
			हिन्दी व अंग्रेजी को छोड़ कर शेष में	हिन्दी व अंग्रेजी	वे विषय जिनमें केवल से परीक्षा होती है।	व विषय जिनमें सैद्धांतिक व प्रायोगिक दोनों परीक्षाएँ होती हैं।	स । प्रा । योग	
प्रथम परख	—	10	5	10	15	—	—	15
द्वितीय परख	—	10	5	10	15	—	—	15
तृतीय परख	—	—	5	10	15	—	—	15
लिखित कार्य वा दो बार मूल्यांकन	—	प्रत्येक लिखित कार्य का मूल्यांकन 5 × 2 (10)						
अर्द्ध वार्षिक परीक्षा	—	70	35	70	105	70	35	110
वार्षिक परीक्षा	100 इकाई वार सात्रिक मूल्यांकन का भाग	100	50	100	150	100	50	150
योग	100	200	100	200	300	170	85	300

- [3] उत्तीर्णना नियम—(1) छात्रों को उनकी आवधिक परख, अर्द्ध वार्षिक व वार्षिक परीक्षाओं के परिणाम को मिलाकर नियमानुसार उत्तीर्ण माना जाएगा जो उपरोक्त
- (2) (i) वही छात्र कक्षोन्नि/उत्तीर्णता का अधिकारी माना जाएगा जो उपरोक्त सारणी के पूर्णांक के न्यूनतम 36% अंक प्रत्येक विषय में प्राप्त करेगा।  
 (ii) इसके साथ ही वार्षिक परीक्षा में 20% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- (3) (i) यदि वार्षिक परीक्षा में कोई छात्र हज़रतता प्रमाण पत्र देता है, तो उसको उन सब विषयों में जिसके लिए हज़रतता प्रमाण-पत्र दिया गया है। पुनः परीक्षा (रि-एग्जामिनेशन) में बैठना पड़ेगा।  
 (ii) यह पुनः परीक्षा उही दिनों में जिन दिनों में पूरक परीक्षा होगी  
 (iii) पुनः परीक्षा के लिए वार्षिक परीक्षा शुल्क लिया जाय तथा परिणाम घोषित करते समय परख एवं अर्द्ध वार्षिक के अंकों को जोड़कर बिना कृपाक दिये हुए परीक्षाफल घोषित किया जाय।
- (4) माध्यमिक बच्चाओं के जिन विषयों में सैद्धांतिक व प्रायोगिक परीक्षा होती है, उन में अलग-अलग उत्तीर्ण होना आवश्यक नहीं है।
- (5) (i) यदि कोई छात्र अपनी हज़रतता के कारण अपनी किसी आवधिक परख या अर्द्ध वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने का स्थिति में नहीं रहा हो तो उसके द्वारा उक्त परीक्षा समाप्ति के एक सप्ताह के अन्दर हज़रतता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर केवल उही परीक्षाओं के आधार पर जिसमें वह सम्मिलित हुआ है, उसका परीक्षाफल घोषित किया जा सकेगा।  
 (ii) लेकिन ऐसी स्थिति में उसका कम से कम दो परख तथा एक परीक्षा अथवा एक परख और दो परीक्षाओं में बैठना आवश्यक है।  
 (iii) ऐसे छात्र कृपाक के अधिकारी नहीं होंगे।
- (6) कक्षा 9 तक निम्नलिखित अनिवाय विषयों में न्यूनतम 36 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर छात्र उत्तीर्णता के योग्य होगा। मगर इनमें वार्षिक परीक्षा में पृथक से न्यूनतम 20 / अंक प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है—  
 (i) तृतीय भाषा सस्कृत/उर्दू/सिंधी/पंजाबी/गुजराती  
 (ii) संगीत  
 (iii) ड्राइंग  
 उद्योग
- (7) किसी भी परख या परीक्षा के प्राप्तक यदि भिन्न (सही वटे) में हो तो उन्हें अगले पूर्णांक में परिवर्तित कर दिया जाए।

#### [4] श्रेणी निर्धारण—

- (1) (i) 60 प्रतिशत या अधिक प्राप्तांक होने पर प्रथम श्रेणी ।
  - (ii) 48 प्रतिशत या उससे अधिक परन्तु 60 प्रतिशत से कम प्राप्तांक होने पर द्वितीय श्रेणी ।
  - (iii) 36 प्रतिशत या उससे अधिक परन्तु 48 प्रतिशत से कम प्राप्तांक होने पर तृतीय श्रेणी ।
  - (iv) किसी विषय में 75 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर उन विषय में विनाप योग्यता मानी जाएगी ।
- (2) कक्षा 9 तृतीय भाषा व उद्योग के प्राप्तांक श्रेणी निर्धारण हेतु बहूत योगांक में सम्मिलित नहीं किया जाए ।
  - (3) श्रेणी निर्धारण कृपाक रहित प्राप्तांक के बहूत योगांक के आधार पर ही होगा। अर्थात् श्रेणी निर्धारित करने समय कृपाक ना जोड़ें ।
  - (4) कक्षा 1 से 2 अविभक्त द्वाँई मानी गई है । इसमें लिए अविभक्त कक्षा इकाई सदर्शिका देखें (जो कि राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा प्रकाशित है)

#### [5] कृपांक—

- (i) यदि छात्र किसी एक अथवा दो विषयों में उत्तीर्ण अंक प्राप्त करने में असफल रहता है तो उसे प्रधानाध्यापक निम्न प्रकार से कृपाक देकर कम्पेन्सति दे सकते हैं
- (ii) कृपाक पाने के लिए छात्र का आचरण तथा व्यवहार उस सत्र में उत्तम होना आवश्यक है ।
- (iii) प्रति एक कृपाक प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक होगा कि छात्र तिन विषयों में उत्तीर्ण है । उनमें न्यूनतम से 5 अंक अधिक प्राप्त करे । जब यदि कोई परीक्षार्थी अश्रेणी में असफल है । और परीक्षार्थी अश्रेणी को छोड़कर अन्य विषयों में कुल मिलाकर 36 / अंकों से 30 अंक अधिक प्राप्त कर लिए है तो उसे 6 कृपाक दिए जा सकते हैं ।
- (iii) यदि छात्र एक ही विषय में असफल है तो उसे अधिकतम 8 प्रतिशत कृपाक उसमें दिये जा सकते हैं ।
- (iv) यदि छात्र दो विषयों में असफल है तो उसे अधिक से अधिक 12 कृपाक दोनों विषयों में मिलाकर दिये जा सकते हैं । किन्तु दोनों में से एक विषय में 7 से अधिक न लिये जायें (अर्थात् उन 12 अंकों का अधिकतम वितरण 7+5 ही हो सकता है, 8+4 या 9+3 आदि नहीं हो सकता) ।

[6] पूरकपरीक्षाएँ -

(1) जो छात्र एक अथवा दो विषयों में अनुत्तीर्ण घोषित हो वह उसी वर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह में होने वाली पूरकपरीक्षा में सम्मिलित होने के अधिकारी होंगे यदि

(क) एक विषय में

(i) एक विषय में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र को उस विषय में समस्त आवश्यक परखों व परीक्षाओं को मिलाकर न्यूनतम 20 / अंक प्राप्त हो ;

(ii) यदि छात्र को सभी विषयों में उत्तीर्णक 36 / अंक अथवा अधिक अंक प्राप्त हो, परन्तु किसी एक विषय में वार्षिक परीक्षा में न्यूनतम 15 / अंक प्राप्त हो।

(ख) दो विषयों में

(i) दो विषयों में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र को यदि उन दोनों विषयों में पथक-पथक समस्त आवश्यक परखों व परीक्षाओं को मिलाकर 22 / से कम अंक प्राप्त हो।

(2) पूरक परीक्षा पूर्णक वही होंगे जो उस विषय की वार्षिक परीक्षा में हैं।

(3) पूरक परीक्षा में वही छात्र सफल घोषित किया जाएगा जो उक्त विषय/विषयों में (प्रत्येक में) न्यूनतम 36 / उत्तीर्णक प्राप्त कर।

(4) पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए वृत्तांक नहीं दिए जायेंगे।

(5) पूरक परीक्षा के परिणाम 15 जुलाई तक घोषित कर दिये जायेंगे।

(6) पूरक परीक्षा का शुल्क वही होगा जो वार्षिक परीक्षा के लिए है।

विभागीय नियमों में उपरोक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त उत्तर पुस्तकों की सुरक्षा, स्वयंपाठी छात्रों की परीक्षा, परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग एवं दण्ड सम्बन्धी नियम भी दिये गये हैं। इन नियमों के अनुपालन से शैक्षिक परीक्षण एवं प्रोन्नति की प्रक्रिया को राज्य के सभी विद्यालयों में समान रूप से क्रियावित करना अभिप्रेत है। अधिकार समस्याओं का निराकरण भी इन नियमों के अनुपालन से स्वतः ही हो जाता है।

उपसंहार -

प्रस्तुत अध्याय में शैक्षिक परीक्षण एवं प्रोन्नति सम्बन्धी समस्याओं के विवेचन से यह भली भाँति स्पष्ट हो जाता है कि ये दोनों प्रक्रियाएँ माध्यमिक विद्यालयों हेतु विशेष रूप में महत्वपूर्ण हैं। इस सन्दर्भ में यह भी ध्यातव्य है कि शैक्षिक परीक्षण एवं प्रोन्नति के परम्परागत सप्रत्यय में शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रयोग-प्रायोजनओं के माध्यम पर एक

शैक्षिक दृष्टिकोण से उपयोगी एवं उद्देश्यनिष्ठ हो गई हैं। यद्यपि इन सम्बन्धित विभागीय नियमों के निर्धारण से ये प्रक्रिया सभी विद्यालयों में समान रूप से सञ्चालित हानगी है तथापि इन नियमों में नवीन परिस्थितियाँ एवं आवश्यकताओं के अनुसर निरन्तर संशोधन, परिवर्तन तथा परिष्करण की अपेक्षा है।





## मूल्यांकन (Evaluation)

### (अ) लघुत्तरात्मक प्रश्न (Short Answer Type Questions)

- 1 'शैक्षिक परीक्षण' से आप क्या समझते हैं ? संक्षेप में लिखिये ।
- 2 शैक्षिक परीक्षण का क्या महत्त्व है ?
- 3 शैक्षिक परीक्षण सम्बन्धी किन्हीं पांच समस्याओं का उल्लेख कीजिए ।
- 4 किसी विद्यार्थी के वार्षिक परीक्षा में बैठने हेतु अनुमति देने के क्या नियम हैं ?
- 5 परीक्षा में कृपांक के क्या नियम हैं ?
- 6 परीक्षा प्रश्नपत्र निर्मित करने हेतु मायार-प्रिन्ट (Blue Print) का प्रास्य क्या होता चाहिए ?

### (ब) निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

- 1 निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये —  
(क) शैक्षिक परीक्षण (शिक्षा शास्त्री 1984)
- 2 राजस्थान के माध्यमिक विद्यालयों में परीक्षा एवं प्रान्ति नियम कौन से हैं ? संक्षेप में व्याख्या कीजिए ।
- 3 'शैक्षिक परीक्षण' का नियोजन एवं त्रिमान्दयन किम प्रकार किया जाना चाहिए ? विस्तार से समझाइय ।



समय-विभाग-चक्र  
(The Time Table)

[विषय-प्रवेश— समय विभाग चक्र का अर्थ, समय-विभाग चक्र की आवश्यकता एवं महत्व, समय विभाग चक्र के निर्माण के सिद्धान्त, समय विभाग चक्र के प्रकार, समय विभाग चक्र के उदाहरण, समय-विभाग चक्र तथा विकासमान शिक्षण-पद्धतियाँ, समय विभाग चक्र की परिसीमाएँ तथा सावधानियाँ, उपसंहार, परीक्षापरयोगी प्रश्न]

विषय-प्रवेश —

शिक्षा के लक्ष्यो एवं उद्देश्या की प्रभावो रूप से उपलब्धि ही विद्यालय-संगठन का मापदण्ड होता है। यह उपलब्धि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु विद्यालय में आयोजनीय विभिन्न बौद्धिक, शारीरिक, भावात्मक एवं सांस्कृतिक क्रियाकलापों की समुचित नियोजित पर निर्भर होती है। विद्यालय की दैनिक समयावधि की एक निश्चित सीमा होती है जिसके अंतर्गत ही ये समस्त क्रियाकलाप पूरे नियोजित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित किये जाने चाहिए। समय विभाग चक्र (Time Table) विद्यालय की इसी अपरिहार्य आवश्यकता की पूर्ति करता है। समय विभाग चक्र का क्या तात्पर्य है, इसकी आवश्यकता एवं महत्व क्या हैं इसके निर्माणगत सिद्धांत क्या होने चाहिए, यह किस प्रकार का हो सकता है तथा इसकी क्या परिसीमाएँ हैं व उनके निराकरण हेतु कौनसी सावधानियाँ रखनीं वाञ्छनीय हैं— ये प्रश्न इस सन्दर्भ में उभर कर आते हैं। इनकी व्याख्या प्रस्तुत ग्रन्थाय में की जायेगी।

समय विभाग चक्र का अर्थ —

समय विभाग चक्र का अभिप्राय अथवा अर्थ विभिन्न शिक्षाविदों ने भिन्न भिन्न प्रकार से स्पष्ट किया किन्तु प्रकारांतर से उन सब का तात्पर्य समान है। डा एच एच पायूर के अनुसार— 'समय-विभाग चक्र साधारण रूप से एक लेखा होता है जो विद्यालय के समय और कार्य के विवरण प्रस्तुत करता है। यह बहुधा एक सप्ताह में किस कक्षा का क्या क्या विभिन्न विषय पढ़ाये जाते हैं तथा किस किस घंटे में और कौन-कौन से अध्यापकों द्वारा पढ़ाये जाने का विवरण प्रदर्शित करता है। इस प्रकार समय विभाग-

चक्र विद्यालय की समस्त क्रियाप्रा पर नियंत्रण रखते हुए उनका विवरण प्रस्तुत करता है।"1

आत्माराम शर्मा के शब्दों में—“विद्यालय में पढाये जाने वाले विभिन्न विषय तथा अन्य क्रियाएँ किस किस समय और कितनी-कितनी देर तक पढाये अथवा कराई जानी है, इस बात का विवरण इसी समय-विभाग-चक्र में होता है।"2 किशन चन्द जन का कथन है कि—“विद्यालय की समय-तालिका विद्यालय के समय का विभिन्न विषय एवं प्रवृत्तियों में आवंटन का एक मानचित्र है। विद्यालय समय-तालिका विषयाध्ययन और प्रवृत्तियों को विधियुक्त एवं पूर्व व्यवस्थित योजना है जिसके अन्तर्गत विभिन्न विषय प्रवृत्तियों और कक्षाप्रा के मध्य दैनिक विद्यालय समय का आवंटन दिखाया जाता है।"3

उपरोक्त परिभाषाओं से प्रकट होता है कि समय विभाग-चक्र या समय-तालिका के दैनिक उपलब्ध समय का पाँच आयामी वर्गीकरण चार्ट ( Five dimensional classification chart ) है जिसमें सप्ताह के प्रत्येक वार को प्रत्येक कालाश ( Period ) में आयोजनीय विषय-शिक्षण अथवा क्रियाकलाप का सम्बन्धित कक्षा और अध्यापक या प्रभारी व्यक्ति के साथ वर्गीकृत आलेख रहता है। समय विभाग चक्र के पाँच आयाम सप्ताह के दिन, विषय या अन्य क्रियाकलाप जो पाठ्यक्रम सहगामी है, कक्षा, प्रभारी अध्यापक और कालाश हैं। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य आयाम भी होते हैं जो इनमें व्यक्त किये जाते हैं जैसे कालाशों की अवधि घण्टों अथवा मिनटों में, अंतराल (Interval or Recess) की अवधि, कक्षा-कक्षा या क्रियाकलाप के स्थान का उल्लेख तथा पारी ( Shift ) का निर्देश यदि विद्यालय दो या अधिक पारियों में लता हो। इस प्रकार समय-विभाग चक्र विद्यालय की प्रत्येक गतिविधि की सम्पूर्ण एवं स्पष्ट तालिका होती है जिसके कारण इसे विद्यालय की दूसरी घड़ी' ( Second Watch of the School ) भी कहा जाता है। समय-विभाग-चक्र का नमूना आगे दिया जा रहा है।

### समय-विभाग-चक्र की आवश्यकता एवं महत्व-

समय विभाग चक्र की उपरोक्त परिभाषा से उसकी उपयोगिता और महत्व स्पष्ट हो जाता है। पारस नाथराय के शब्दों में—“समय-तालिका विद्यालय का वह महत्वपूर्ण प्रपत्र है जिसके द्वारा विद्यालय की जटिल व्यवस्था का सुसंचालन संभव होता है। इसे विद्यालय की दूसरी घड़ी कहते हैं जिसके ऊपर स्पष्ट रूप में अंकित होता है कि विद्यालय की कौन सी क्रिया किस समय, किस कक्षा द्वारा किस शिक्षक के निर्देशन में कही

- |                  |                                     |               |
|------------------|-------------------------------------|---------------|
| 1 एस एस माथुर    | विद्यालय संगठन एवं स्वास्थ्य शिक्षा | ( पृष्ठ 101 ) |
| 2 आत्माराम शर्मा | विद्यालय संगठन                      | ( पृष्ठ 106 ) |
| 3 किशन चन्द जन   | शैक्षिक संगठन, प्रशासन एवं पयवरण    | ( 68 )        |

पर होगी। अच्छी समय तालिका विद्यालय के सुसंचालन और सुव्यवस्था को प्रकट करती है तथा इससे लक्ष्य-प्राप्ति में सहायता मिलती है।<sup>4</sup> निरजन कुमार सिंह ने इस महत्व को दूसरे शब्दों में व्यक्त करते हुए कहा है कि— 'इससे सभी कार्यों में व्यवस्था रहती है और प्रत्येक कार्य स्वाभाविक और नियमित रूप से ठीक समय पर सुगमता-पूर्वक सम्पन्न होता रहता है। समय-विभाग में कार्यों में संतुलन बना रहता है और जिस कार्य के लिए जितना समय वांछित और अपेक्षित होता है, उतना ही समय लगता है। अध्यापकों का समय व्यर्थ नहीं जाता, शक्ति और श्रम की बचत होती है और किसी विषय अथवा कार्य की उपेक्षा नहीं हो पाती।'<sup>5</sup>

समय विभाग चक्र की आवश्यकता एवं महत्व को प्रकट करने वाले बिंदु निम्नांकित हैं—

- (1) विद्यालय का सुव्यवस्थित संचालन — समय-विभाग-चक्र द्वारा विद्यालय कार्य का सुव्यवस्थित रूप से संचालन सम्भव होता है क्योंकि "समय तालिका में प्रत्येक वस्तु का पहले से ही नियोजन किया जाता है। अतः प्रत्येक शिक्षक तथा विद्यार्थी को यह ज्ञात होता है कि किस समय में उसे क्या कार्य करना है। समय तालिका के अंतर्गत उपयुक्त व्यक्तियों को उपयुक्त समय पर उपयुक्त कार्य, उपयुक्त प्रकार से दिया जाता है।'<sup>6</sup>
- (2) समय और शक्ति का सदुपयोग पूर्व नियोजित विधि से समय-तालिका के निर्मित होने के कारण प्रत्येक विषय एवं क्रियाकलाप को उपयुक्त समय में सम्पन्न किये जाने से अध्यापक और विद्यार्थी दोनों के समय एवं शक्ति का अपव्यय न होकर उसका सदुपयोग होता है। किसी भी वांछित कार्य की अनावश्यक पुनरावृत्ति एवं उपेक्षा नहीं हो पाती।
- (3) शिक्षकों को कार्य का समुचित आवंटन — सुनिर्मित समय तालिका में शिक्षकों की व्यक्तिगत योग्यता, कार्य क्षमता और रुचि की दृष्टि से उन्हें कार्य का आवंटन किया जाता है जिससे प्रत्येक कार्य प्रभावी रूप से सम्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त कार्य भार (Work load) का शिक्षकों में समुचित विभाजन व समान वितरण भी किया जाता है। उन्हें विभागीय या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित कालाश के कार्य भार के अनुसंधान कार्य दंडक पुच्छ अवकाश के कालाश भी दिये जाते हैं

4 पारस नाथ शक्ति प्रशासन एवं विद्यालय संगठन (पृष्ठ 63)

5 निरजन कुमार सिंह शिक्षालय संगठन (,, 218)

6 विश्व चन्द्र जन शिक्षक संगठन, प्रशासन एवं पर्यवेक्षण (,, 70)

5. जिसमे वे अपनी थकान दूर कर सकें तथा छात्रों के लिखित काय का सशोधन व ग्रन्थ विद्यालय काय (जैसे उपस्थिति रजिस्टरो की पूर्ति पाठ्यक्रम सहगामी क्रिया कलापो के आयोजन व आलेख, कर्तृ काय, सजावटित प्रतीचीक्षण पत्र्य प्राप्ति ) कर सकें । समय-तालिका से अध्यापको मे कायभार का समान एव वायोचित विभाजन किया जाना भी सम्भव होता है जिससे कि परिश्रमी शिक्षको पर अत्यधिक कायभार न पड सके तथा काय से जी चुराने वाले एव कूटिल मनोवृत्ति के अध्यापको को व्यस्त रख उ हें अज्ञामाजिक क्लायों द्वारा विद्यालय वातावरण को दूषित करने का अवसर भी न दिया जाये । कायभार का सतुलित विभाजन शिक्षक वर्ग मे अनावश्यक अस्त-तोप के निवारण हेतु वाद्यनीय है ।

(4) अनुशासन स्थापित करने मे सहायक — समय-विभाग-चक्र के अभाव मे शिक्षका और विद्यार्थियो को अनियन्त्रित और मनमाने काय करने की छूट मिल जाती है जिससे विद्यालय वातावरण मे अराजकता और अनुशासनहीनता व्याप्त हो जाती है । ऐसे दूषित वातावरण मे कोई भी कार्य कर पाना असम्भव हो जाता है । अत समय विभाग-चक्र द्वारा, विद्यालय वातावरण अनुशासन, सामञ्जस्य और सोद्ध्य नियोजित काय करने की भावना से विद्यार्थियो के सर्वांगीण विकास के अनुकूल बन पाता है ।

(5) नैतिक विकास मे सहायक — सुनिमित समय-विभाग-चक्र द्वारा शिक्षको एव विद्यार्थियो मे अनेक चारित्रिक और नतिक गुणो का विकास होना सम्भव होता है जैसे समय की पाब-दी, कतव्यपरायणता, क्रमबद्धता, निर्धारित काय को समय पर पूरा करने की आदत, परिश्रमशीलता, तत्परता, सलग्नशीलता प्राप्ति

(6) विद्यार्थियो की क्षमता एव आवश्यकता से समंजन — उद्देश्याधारित शिक्षा का आधार विद्यार्थियो की क्षमता, रुचि व योग्यता के अनुकूल विभिन्न क्रिया कलापो के आयोजन का आयोजन कर उनका सर्वांगीण विकास करना है । समय विभाग चक्र इस आधार के लिए अनुकूल अवसर प्रदान करता है । मनो वैज्ञानिक और शक्तिव दृष्टि से इसके द्वारा विभिन्न आयुवर्ग के विद्यार्थियो की क्षमता एव आवश्यकता से उचित समजन किया जाना सम्भव होता है ।

(7) पर्यवेक्षण मे सहायक — समय विभाग चक्र के आधार पर प्रधानाध्यापक या शक्तिव अधिकारियो द्वारा शिक्षक एव विद्यार्थी के काय और क्रियाकलापो का प्रभावी पर्यवेक्षण (Supervision) किया जाना भी सम्भव होता है । पर्यवेक्षकों को अपने काय मे हमसे सुगमता, सुविधा एव प्रेरणा प्राप्त होती है ।

उपरोक्त प्रमुख घटकों के कारण ही समय-विभाग-चक्र को शिक्षाविद् डॉ. डी. जी. जीवनायकम् ने 'विद्यालय की दूसरी घड़ी' कहा है। डी एन गेड तथा एम एन शर्मा न समय विभाग चक्र के महत्व का समझाते हुए कहा है— "सक्षेप में यह कहा जा सकता है कि अच्छी समय-तालिका बन जाने से समय नष्ट होने से बचता है, स्कूल का कार्य सफलता और सुगमतापूर्वक चलता है, शिक्षक और विद्यार्थियों को वाय करने के लिए उचित प्रोत्साहन मिलता है, स्कूल के अनुशासन का स्तर ऊँचा होता है और विद्यार्थियों को नियमपूर्वक समय की पाबन्दी एवं सकल्प के साथ कार्य करने की आदत पड़ती है।" 8

## समय-विभाग-चक्र के निर्माण के सिद्धांत

समय विभाग चक्र बनाते समय कुछ मूलभूत सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखना होता है। ये निम्नांकित हैं—

- (1) शिक्षा विभाग तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित नियम — प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए शिक्षा विभाग द्वारा तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कक्षाओं हेतु माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा समय विभाग चक्र के निर्माण हेतु विभिन्न कक्षाओं उनके लिए निर्धारित विषयों के शिक्षण हेतु प्रति सप्ताह कालांतर निर्धारित किये जाते हैं। समय-तालिका के निर्माण में इन नियमों का पालन किया जाना वाञ्छनीय होता है। राजस्थान राज्य के शिक्षा विभाग

7 Dr D Jivnayakam — "It is second clock, on the face of which are shown at intervals, the hour of the day, the kind of lesson in progress in every class, the recreation interval and moments for assembly and the dismissal"

8 डी एन गेड एवं एम एन शर्मा शैक्षिक एवं माध्यमिक शिक्षालय व्यवस्था (पृष्ठ 336)

9 गिगा-ग्रम कक्षा 1 से 5 तथा 6 से 8 (शिक्षा विभाग राजस्थान पृष्ठ 7 व 8, 4)

द्वारा यह प्रावधान निम्नांकित है —

विषय एवं क्रियाकलाप	प्रति सप्ताह कालाश एवं दैनिक समयावधि			विशेष
	कक्षा 1 व 2	कक्षा 3 से 5	कक्षा 6 से 8	
1 प्रारम्भिक वाप (सफाई, प्रार्थना सूचना, समाचार, प्रवचन आदि)	25 मिनट	25 मिनट	30 मिनट	कालाश की अवधि ऋतु के अनुसार 30 से 35 मिनट होगी तथा विद्यालय समय 4½ से 5 घंटा होगा
2 प्रथम/द्वितीय अवकाश	10/25,,	10/25 ,,	10/20 ,,	
3 हिन्दी	12 कालाश	12 कालाश	9 कालाश	
4 गणित	6 "	9 "	9 "	
5 सामान्य विज्ञान	3 "	3 "	6 "	
6 सामाजिक ज्ञान	3 "	3 "	6 "	
7 क्रियात्मक प्रवृत्तियाँ	} 6	9	X	
(1) ललितकला				
(2) संगीत				
(3) चित्रकला				
(4) हाथ के काम				
8 शारीरिक शिक्षा	6 "	6 "	3 "	
9 तृतीय भाषा	X	X	3 "	
10 कार्यानुभव एवं समाज सेवा	X	X	3 "	
11 अंग्रेजी	X	X	6 "	
कुल कालाश	36 ,	42 ,	48 ,	

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान द्वारा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कक्षाओं हेतु निम्नांकित प्रावधान है — 10

विषय	कालाश प्रति सप्ताह माध्यमिक कक्षा 9 व 10	उच्च माध्यमिक कक्षा 11
1 प्रथम भाषा (हिन्दी)	6 कालाश	9 कालाश
2 द्वितीय भाषा (अंग्रेजी)	9 "	9 "
3 तृतीय भाषा	3 "	X
4 सामान्य विज्ञान	5	X
5 सामाजिक ज्ञान	5	X
6 उद्योग	3	X
7 वैकल्पिक विषय (कोई तीन) प्रत्येक विषय	5 × 3 = 15	9 × 3 = 27
8 स्वास्थ्य शिक्षा	2	3
कुल कालाश	48 ,	48 ,

10 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान निर्देशिका

नवीन शिक्षा योजना के अंतर्गत विभिन्न कक्षाओं के लिए विषयवार समय निर्धारित किया गया है —11

विषय	कक्षा 1 व 2	कक्षा 3 से 5	कक्षा 6 से 8	कक्षा 9 व 10
1 प्रथम भाषा	25 /	25 /	8 कालाश	6 कालाश
2 द्वितीय भाषा	—	—	5 " 5 "	5 " 5 "
3 तृतीय भाषा	—	—	— " 2 "	— " 2 "
4 गणित	10 /	15 /	7 " 7 "	7 " 7 "
5 पर्यावरण अध्ययन (सामाजिक अध्ययन व सामान्य विज्ञान)	15 /	20 /	— " —	— " —
6 विज्ञान	—	—	7 " 7 "	7 " 7 "
7 सामाजिक विज्ञान (इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र व अर्थशास्त्र)	—	—	6 " 7 "	7 " 7 "
8 कार्यानुभव व कलाएँ	25 /	20 /	— " —	— " —
9 कार्यानुभव	—	—	5 " 5 "	5 " 5 "
10 कलाएँ	—	—	4 " 3 "	3 " 3 "
11 शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा व खेल	25 /	20 /	6 " 6 "	6 " 6 "
कुल समय	100 /	100 /	48 कालाश	48 कालाश

शिक्षा विभाग तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा विभिन्न कक्षाओं के विभिन्न विषयों के महत्व की दृष्टि से उनके अध्ययन का समय निर्धारित किया जाता है, अने नियमों का समय-तालिका के निर्माण में ध्यान रखा जाना आवश्यक है।

(1) अध्यापकों को कार्य का उचित आवंटन—शिक्षा के विभिन्न स्तरों के शिक्षकों की न्यूनतम योग्यताएँ एवं उनके कार्य भार (Work load) की मात्रा भी विभाग या बोर्ड द्वारा निर्धारित होती है। शिक्षण का उच्च स्तर बनाये रखने के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक कक्षा एवं विषय का अध्यापन उचित योग्यता के धारक शिक्षक को ही दिया जाये तथा उसका कार्यभार (जिसमें कक्षा अध्यापन के

11 The curricularm for the ten year School (NCERT P / 29&30)



कालांश तथा पाठ्यक्रम सहगामी क्रियायत्ताओं का आवंटित कार्य भी सम्मिलित है) उचित मात्रा में हो ताकि उसे रिक्त कालांशों में अपने शिक्षण कार्य की तैयारी करने अथवा अपनी थकान दूर करने का समय मिल सके। विद्यालय के समस्त अध्यापकों का कार्य भार सतुलित रखा जाना भी अपेक्षित है ताकि 'दुनाधिक कार्य-भार से अध्यापकों में असंतोष उत्पन्न न हो।' 'सूततम योग्यता के अतिरिक्त प्रत्येक शिक्षक की व्यक्तिगत कार्य क्षमता अभिवृद्धि, एवं अभिवृद्धि का ध्यान भी कार्य आवंटन करते समय रखा जाना चाहिए। प्रत्येक कार्य को उचित योग्यता क्षमता एवं अभिवृद्धि वाला अध्यापक ही कुशलता से संपादित कर सकता है। सस्था-प्रधान को ज्ञाना व्यवस्था के अतिरिक्त अध्यापन-कार्य हेतु निर्धारित कालांशों में कार्य करना चाहिए तथा अपनी कार्य क्षमता का आदर सभी अध्यापकों के समक्ष रखना चाहिए।

- (3) थकान से बचाव — समय-विभाग चक्र के निर्माण में विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की थकान का विशेष ध्यान रखा जाना आवश्यक होता है। अधिगम प्रक्रिया (Learning process) में मा और शरीर दोनों ही कार्य करते हैं, अतः मानसिक एवं शारीरिक दोनों प्रकार की थकान होती है। थकान को ड्रेवर ने परिभाषित करते हुए कहा है कि—“शक्ति व्यय होने के बाद कार्य करने की कुशलता या योग्यता में कमी को थकान कहते हैं।” 12 शारीरिक थकान प्रीमन के शब्दों में—“एक ऐसी अवस्था है जिसमें शरीर के तन्तु प्रतिक्रिया नहीं करते और शरीर जियिल पड जाता है,” 13 शारीरिक थकान में आलस्य का अनुभव होता है जिसका कारण ऑक्सीजन की खपत, रक्तचाप, मांसपेशियों का तनाव तथा शरीर में हानिकारक (Toxic) रसायनों की उत्पत्ति होना है। सोखने की प्रक्रिया में शारीरिक थकान की अपेक्षा मानसिक थकान का प्रभाव शीघ्र दिखलाई देने लगता है। मानसिक थकान का सम्बन्ध कार्य में रुचि (Interest) से होता है। बेल्ले इन के अनुसार — ‘मानसिक थकान साधारणतः केवल ऊबना अर्थात् बारिड (Boredom) होती है। जब तक व्यक्ति में रुचि बनी रहती है तब तक उसे थकान का अनुभव नहीं होता है।’ 14 अतः विद्यार्थियों तथा शिक्षकों की अधिगम प्रक्रिया में सहभागिता को प्रभावी बनाये रखने हेतु समय तालिका के निर्माण में शारीरिक तथा मानसिक थकान का ध्यान रखा जाना अपेक्षित है इस दृष्टि से निम्नांकित वि. दु. इ. ट. व्य. है —

12 Dreyer A Dictionary of Psychology

13 Freeman Theory & Practice of Psychological Testing

14 Valentine : Educational Psychology

(P/94)

(P/234)

(1) शाला-समय एवं कालाशो की अवधि — शिक्षा विभाग तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा शाला-समय तथा कालाशो की अवधि विभिन्न आयु वर्ग के बालकों की अवधान (attention) क्षमता के अनुसार निर्धारित की जाती है। प्राथमिक कक्षाओं के छोटे आयु के विद्यार्थी अधिगम प्रक्रिया में आने पाठ में अधिक देर तक ध्यान नहीं दे पाते, अतः उनके लिए शाला-समय व कालाश-अवधि कम रखे जाने चाहिए जबकि उच्च प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों में आयु परिपक्वता के कारण उनका अवधान अधिक समय तक टिक पाता है अतः उनके लिए शाला-समय व कालाश अवधि भी अपेक्षाकृत अधिक अवधि के हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए।

(ii) ऋतु का प्रभाव—ऋतु अथवा मौसम का प्रभाव कार्य क्षमता पर पड़ता है। शरद ऋतु में ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा बालक शीघ्र नहीं थकते तथा वे अधिक देर तक कार्य कर सकते हैं। इसीलिए शरद ऋतु में ग्रीष्म की अपेक्षा शाला-समय अपेक्षाकृत अधिक अवधि का रखा जाता है तथा ग्रीष्म ऋतु में शाला-समय प्रातः काल का होता है। ग्रीष्मावकाश भी इसी सिद्धान्त के अनुरूप किया जाता है। कुछ राज्यों में स्थान-विशेष के मौसम के अनुसार भी शाला-समय निर्धारित होना चाहिए जैसे राजस्थान में उच्च पर्वतों पर स्थित नगर आबू के विद्यालयों में ग्रीष्म की वजाय शरद ऋतु में लम्बा अवकाश रखा जा सकता है।

(iii) विषय क्रम यकान के निराकरण हेतु समय-तालिका में विषयों का क्रम भी विभिन्न कालाशो के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए। प्रायः देखा गया है कि समय-तालिका में कठिन विषयों (जैसे गणित, अंग्रेजी भौतिक शास्त्र आदि) का लगातार कालाशो में रखा जाना बालकों की यकान में वृद्धि करता है। इसी प्रकार शारीरिक या प्रायोगिक कार्य से सम्बन्धी विषयों (जैसे पी टी, चित्रकला, उद्योग, वार्तानुमय, वैज्ञानिक विषयों का प्रायोगिक कार्य आदि) अथवा सैद्धांतिक विषयों को भी निरंतर कालाशो में रखना यकान का कारण बनता है। अतः कठिन व सरल विषयों, सैद्धांतिक व प्रायोगिक या शारीरिक श्रम के विषयों तथा रुचिकर व अरुचिकर विषयों की निरंतर कालाशो में न रखकर एकांतर कालाशो में इस प्रकार रखा जाये कि बालक के अवधान पर अनावश्यक दबाव न पड़े और वह बोधित के कारण यकान महसूस न करे। इस सिद्धान्त को परिवर्तन का सिद्धान्त (The Principle of change) भी कहा जा सकता है क्योंकि कार्य की एकरसता द्वारा उत्पन्न ऊब के निराकरण हेतु समय-तालिका में भिन्न प्रवृत्ति के विषयों के

एकान्तर प्रावधान से काय में परिवर्तन या विभिन्नता उत्पन्न कर बालकों की रुचि एवं अवधान को बनाये रखने की चेष्टा की जानी है। श्री निरजन कुमार ने इस तथ्य को इस प्रकार प्रकट किया है — 'हमें यह धाद रखना चाहिए कि परिवर्तन भी विधाम है। अतः विषयों में परिवर्तन बच्चों के लिए रुचि और विधामदायक होता है। इससे उन्हें विविधता का आनन्द मिलना है।' 15 अतः विषय एवं पाठों में परिवर्तन आवश्यक है।

(iv) सप्ताह के दिन— रविवार का दिन प्रायः शालाओं में अवकाश का दिन होता है। अतः इस अवकाश के तुरन्त बाद वाला दिन सामान्य तया इस अवकाश से पूर्व वाला दिन शनिवार क्रमशः अवकाश भोगने के बाद की मन स्थिति एवं आनन्द वाले अवकाश के दिन की तीव्र आकांक्षा के कारण इन दिनों में बालकों में काय करने के लिए अधिक उत्साह एवं स्फूर्ति नहीं होती अतः इन दिनों यथासंभव ऐसे विषय न रखे जायें जो अधिक श्रमसाध्य हों अथवा कठिन विषयों का यदि इन दिनों प्रावधान भी हो तो ऐसे विषयों का सरल और रोचक अंशों का ही अध्ययन किया जाय। सप्ताह के दिनों के समय-तालिका में प्रभावी प्रावधान हेतु डा. एस. एस. माथुर के विचार हैं कि— "समय-विभाग-चक्र बनाने में इस बात की ध्यान में रखना चाहिए कि किसी विषय के सबसे कठिन भागों को मंगलवार एवं बुधवार का पढ़ाया जाय और सबसे सरल शनिवार को। इसके अतिरिक्त शनिवार को अधिक समय विषय की शिक्षा की ओर न देकर सहयोगी क्रियाओं की ओर लगा देना चाहिए।" 16

(v) अन्तरालों का प्रावधान शाला की दैनिक समय-तालिका में बालकों की थकान के निराकरण और अन्य अनिवाय आवश्यकताओं (जैसे पानी पीने व लघु शका करने) के लिए अन्तरालों का प्रावधान किया जाता है। प्रायः समय-तालिका 8 कालाशों में विभक्त होती है जिसमें एक अन्तराल मध्य में चौथे कालाश के बाद किया जाता है जो 30 मिनट की अवधि का होता है। किन्तु उपरोक्त कारणों से समय-तालिका में दो अन्तराल (Intervals) का प्रावधान किया जाना उचित रहता है— पहला अन्तराल दूसरे कालाश के बाद 10 मिनट की अवधि का हो जिसमें बालक पानी पीने व लघुशका आदि से निवृत्त हो सकते हैं तथा दूसरा अन्तराल पाचवे कालाश के बाद लम्बी अवधि (लगभग 20-25 मिनट) का होना चाहिए जिसमें बालक मध्याह्न भोजन (Midday meal)

15 निरजन कुमार सिंह शिक्षालय सगठन

(पृष्ठ 224)

16 डा. एस. एस. माथुर विद्यालय सगठन एवं स्वास्थ्य शिक्षा

( " 106)

कर पुन स्फूर्ति भी अर्जित कर सकें तथा कुछ देर विराम कर सकें। इनके अतिरिक्त प्रत्येक कक्षा के लिए उनके विषय से सम्बद्ध आकाशवाणी प्रसारण (School Broad cast) के लिए भी सप्ताह में एक दिन कार्यक्रम के अनुसार अंतरान किया जाना चाहिए जो विविधता एवं रोचकता के साथ उपयोगिता की दृष्टि से आवश्यक है। इन अंतरालों के पश्चात् कालाशो में बालका की स्फूर्ति के अनुरूप कठिन विषयों का अध्ययन किया जा सकता है।

इस प्रकार समय-तालिका में ध्यान के निराकरण हेतु उचित प्रावधान कर विद्यार्थियों की रुचि एवं अवधान को बनाये रख कर अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाना चाहिए। शिक्षकों को ध्यान के निराकरण हेतु उनके लिए समय तालिका में रिवत कालाशो की चर्चा पहले की जा चुकी है।

(4) शिक्षकों तथा छात्रों में सम्पर्क — समय-तालिका में सभी शिक्षकों का अधिकाधिक विद्यार्थियों के सम्पर्क में आने का अवसर प्रदान करने का भी प्रावधान यथासंभव किया जाना चाहिए। इससे अनेक लाभ हैं— शाला परिवार एवं अनुशासन की दृष्टि से सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों में आत्मीयता की भावना विकसित होती है, योग्य एवं कुशल शिक्षकों का लाभ अधिकाधिक छात्रों को मिलता है विद्यार्थियों की व्यक्तिगत, शैक्षिक एवं व्यवसायिक समस्याओं के निराकरण हेतु उन्हें शिक्षकों से मार्गदर्शन और परामर्श मिलता है तथा छात्र की प्रमोदति के साथ शिक्षकों से उत्साह निरंतर संपर्क बना रहता है। शिक्षक छात्र संपर्क हेतु प्रत्येक शिक्षक को यथासंभव शाला की छोटी तथा बड़ी दोनों स्तर की कक्षाओं का शिक्षण कार्य देना चाहिए तथा पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के माध्यम से उसे अधिकाधिक विद्यार्थियों के सम्पर्क में आने का अवसर देना चाहिए।

(5) स्पष्टता एवं पूणता — समय-तालिका की स्पष्टता से तात्पर्य यह है कि यह इतनी जटिल व पेचीली न बनाई जाय। शिक्षक और विद्यार्थी उसे समझने व याद रखने में कठिनाई का अनुभव न करें और उन्हें प्रतिदिन एवं प्रत्येक कालाश में पूव समय-तालिका देखना पड़े कि उन्हें क्या पढ़ना या पढ़ाना है। जटिल समय-तालिका से एक ही कालाश में एक से अधिक शिक्षकों का एक ही कक्षा में आ जाने की आशंका रहना, विषयों व स्थान परिवर्तन के कारण विद्यार्थियों का प्रत्येक कालाश के बाद इधर से उधर दौड़ना तथा कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा वाञ्छित पाठ्य-सामग्री न ला सकना आदि कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं। अतः समय तालिका यथा संभव सरल, स्पष्ट एवं बोधगम्य होनी चाहिए

जिससे शिक्षक एवं विद्यार्थियों में कोई भ्रम उत्पन्न न हो। विषयों का कालाशा में उल्लेख कर देना पर्याप्त है, विषय-शिक्षण संबंधी विस्तृत विवरण देना की आवश्यकता नहीं है जो शिक्षक के विवेक पर छोड़ देना चाहिए। समय-तालिका का पूर्णता का अर्थ यह है कि उसमें प्रत्येक कक्षा के पाठ्यक्रम के अनुसार समस्त विषयों के शिक्षण तथा पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाकलापों का उल्लेख संक्षेप में उचित कालाशो प्रभावी अध्यापक एवं स्थान विशेष के साथ किया जाये। क्रियाकलापों (activities) की विस्तृत समय-तालिका पृथक से बनाई जाये। इस प्रकार समय-तालिका में स्पष्टता एवं पूर्णता होनी चाहिए।

(6) स्थिरता एवं नमनीयता—समय तालिका की स्थिरता से यह अभिप्राय है कि उसमें समय-समय पर अनावश्यक परिवर्तन कर उसे अस्थिर न बनाया जाय अथवा उससे शिक्षकों एवं विद्यार्थियों में असंतोष उत्पन्न हो सकता है तथा शाला कार्य में अनिश्चितता व्याप्त हो जाती है। नमनीयता से तात्पर्य यह है कि समय-तालिका इतनी कठोर भी न हो कि छात्र हित एवं किसी विषय के पाठ की प्रवृत्ति के अनुकूल उसमें परिवर्तन व संशोधन करना असंभव हो। किशनचंद जैन के शब्दों में—“समय तालिका विद्यालय कार्य को सरलता से एवं निर्विघ्न सम्पन्न करने का एक साधन है। अतः उसका कठोर तथा सदा के लिए एक रूप में निश्चित होना वांछनीय नहीं है। विद्यालय में छात्र तथा शिक्षक की आवश्यकतानुसार उसमें परिवर्तन करना संभव होना आवश्यक है। 17 वित्तु नमनीयता का अर्थ यह नहीं कि समय तालिका में बार-बार अनावश्यक परिवर्तन कर उसे अस्थिर एवं अनिश्चित बना दिया जाये। सदाहरण के लिये यदि किसी विषय के अमुक पाठ को प्रायोजना विधि से पढ़ाने हेतु उसके लिये समय तालिका में दिये एक कालाश के स्थान पर दो या तीन कालाशों का समय अपेक्षित है तो ऐसा परिवर्तन किया जाना अपेक्षित है। इस प्रकार के परिवर्तन पूर्व नियोजित तथा सबद्ध अध्यापकों एवं प्रधानाध्यापक की सहमति से किये जाने चाहिए।

(7) शोर अथवा कोलाहल का वितरण—जिन विषयों के शिक्षण में शोर या कोलाहल होने की संभावना रहती है उन्हें समय और स्थान दोनों ही दृष्टियों से क्रमशः भिन्न कालाशों में तथा दूर स्थित कक्षा में रखना चाहिए ताकि शोर का वितरण हो सके। समय-तालिका में इस बात का यथा संभव ध्यान रखा जाय कि शोर वाले विषय विभिन्न कालाशों में पढ़ाये जायें तथा अधिक शोर वाले विषयों को कक्षा के मध्य शांति पूर्वक पढ़े जाने वाले विषयों का कक्ष रखा जाय।

अधिक शोर उत्पन्न करने वाले विषय हैं—भाषा, व्याकरण मौखिक पाठ, इतिहास आदि तथा शोर न करने वाले विषय हैं—सुलेख, चित्रकला, गणित आदि ।

- (8) विद्यार्थियों को वैकल्पिक विषयों के चुनाव की सुविधा—वर्तमान शिक्षा क्रम के अनुसार अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त कुछ वैकल्पिक विषयों का चुनाव विद्यार्थियों को करना पड़ता है । प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में वैकल्पिक विषयों के चुनाव में कोई कठिनाई नहीं आती क्योंकि केवल एक वैकल्पिक विषय चुनाव होता है जैसे कोई एक उद्योग तथा चित्रकला एवं वाणिज्य में से कोई एक विषय और इनका कालांश भी एक ही रहता है । वैकल्पिक विषयों के चुनाव में कठिनाई माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कक्षाओं में जब आती है जब कि उच्च किसी एक सहायक (Faculty) के कोई तीन वैकल्पिक विषयों का चुनाव करना होता है और समय तालिका के किसी एक कालांश में दो या दो से अधिक विषयों का प्रावधान होता है। ऐसी स्थिति में विद्यार्थी एक ही कालांश में पढ़ाये जाने वाले विषयों का चुनाव नहीं कर सकता । अतः यथासंभव समय-तालिका में प्रत्येक वैकल्पिक विषय को पृथक् कालांश देना चाहिए ताकि विद्यार्थी को उसकी रुचि के अनुसार शाला में पढ़ाये जा रहे उसे अधिक विषयों में से किन्हीं 3 का चुनाव करने की स्वतंत्रता हो ।

- (9) उपलब्ध साधन सुविधाएँ—समय-तालिका के निर्माण में विद्यालय में उपलब्ध साधन—सुविधाओं (शिक्षण सहायक उपकरण, कक्ष, प्रयोगशाला, उद्योग व कार्यानुभव की कार्य-शालाएँ आदि) का ध्यान रखा जाना चाहिये । उदाहरण के लिए उपलब्ध कक्षा के अनुसार ही शिक्षण कार्य की व्यवस्था एवं कक्ष के आकार के अनुरूप ही कक्षा में छात्रों की संख्या का ध्यान रखना पड़ेगा इसी प्रकार प्रयोगशाला और कार्यशाला की संख्या, आकार एवं उपकरणों के अनुरूप कालांशों का वितरण करना होगा, खेल के उपलब्ध मैदानों के अनुसार ही खेलों के लिये विद्यार्थियों के वर्ग बनाने होंगे व उनका दिन व समय निश्चित किया जायेगा । विद्यालय साधनों (Resources) को दृष्टिगत रखते हुए समय तालिका का निर्माण किया जाना चाहिए ।

- (10) गृह-कार्य का उचित आवंटन—प्रायः सामान्य समय विभाग चक्र में विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों में दिये जाने वाले गृह-कार्य का उल्लेख नहीं होता तथा कुछ विद्यालयों में गृह-कार्य को पृथक् समय तालिका बनाई जाती है । किन्तु गृह-कार्य की दृष्टि से आजकल विद्यालयों में व्याप्त अनेक अनियमितताओं के निराकरण हेतु यदि समय-विभाग चक्र में ही गृह-कार्य के विषयवार दिवस एवं उसकी मात्रा

निर्धारित कर दो जाये तो वाछनीय होगा। कक्षा कार्य एवं गृह-कार्य एक दूसरे के पूरक होते हैं तथा विद्यार्थी की अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाते हैं अतः गृह कार्य की उपेक्षा करना वाछनीय नहीं है। प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों के आयु वर्ग की योग्यता एवं क्षमता के अनुकूल उचित मात्रा में गृह कार्य दिया जाना चाहिए प्रतिदिन 2 या 3 विषयों में ही उचित मात्रा में यह गृह कार्य आवंटित किया जाये ताकि वह विद्यार्थी के लिये भार स्वरूप सिद्ध न हो तथा उसका उचित सशोषण भी शिक्षक द्वारा किया जा सके। समय-तालिका में पूर्व नियोजित वायव्यक्रम के अनुसार गृह कार्य के आवंटन हेतु दिशा-निर्देश दिया जाना चाहिए।

### समय-विभाग-चक्र के प्रकार

विद्यालय स्तर के अनुसार तो समय-विभाग-चक्र नियमानुसार बनाये ही जाते हैं किन्तु एक ही विद्यालय की समय-तालिका को विभिन्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है जिससे अभीष्ट पक्ष स्पष्ट हो सकत हैं। य प्रकार निम्नांकित हो सकते हैं -

- (1) सामान्य समय-विभाग-चक्र (General Time table) - इस प्रकार का समय विभाग चक्र बनाया जाना प्रत्येक विद्यालय के लिए नितांत आवश्यक है जिसकी एक एक प्रतियाँ प्रधानाध्यापक कक्ष, शिक्षक कक्ष तथा शाला के ओटिन बोर्ड पर प्रदर्शित करना चाहिये। इस तालिका में प्रत्येक शिक्षक, कक्षा, त्रिया-कलाप तथा कक्षा या स्थान का कालाश क्रम से क्रम से किया जाता है।
- (2) शिक्षक-क्रम समय तालिका (Teacherwise Time Table) - इस तालिका में प्रत्येक शिक्षक क्रम से उनसे सम्बन्धित वाय दिवस, कक्षा एवं विषय के रूप में प्रदर्शित होता है तथा उनके रिक्त कालाश भी होते हैं जिसके आधार पर किसी अन्य शिक्षक की अनुपस्थिति में उसके कार्य को सम्पन्न करने हेतु अथवा अपने ही विषय के शिक्षण हेतु रिक्त कालाश वाले शिक्षकों को प्रतिनियुक्त किया जा सकता है। यदि इस तालिका में अनुपस्थित रहने वाले प्रत्येक शिक्षक के कालाशों के स्थानापन्न शिक्षक (Substitut Teacher) का उल्लेख किया जाये तो विद्यालय व शिक्षकों दोनों को ही आवश्यक सूचना नियोजित रूप से मिल सकती है तथा शाला व्यवस्था में कोई व्यवधान भी नहीं आ पाता। इस तालिका से प्रत्येक शिक्षक का कार्य भार (Work Load) भी पता हो जाता है।
- (2) कक्षा-क्रम समय तालिका (Classwise Time Table) - इसमें प्रत्येक कक्षा के सम्बन्धित शिक्षक का नाम एवं करणीय वाय क्रम दर्शाया

जाता है। इससे प्रधानाध्यापक को हर समय यह ज्ञात रहता है कि अमुक कालाश में अमुक काय हो रहा है।

(4) पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाकलापों की समय तालिका (Co Curricular Activating Time Table)—विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से तालिका आवश्यक है। इसमें शाला में चल रही समस्त क्रियाकलापों (साहित्यिक समाजिक, सांस्कृतिक, खेलकूद, स्काउटिंग, एन सी सी समाज-सेवा आदि) का सप्ताह के एक दिन (प्रायः शनिवार) तथा प्रतिदिन अंतिम कालाश में संचालन के प्रभारी एवं सहायक अध्यापकों एवं सभागी विद्यार्थियों के वग (Group) व उस वग के केप्टेन, मानीटर, दल नायक आदि का अंकन किया जाता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान द्वारा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शालाओं में पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाकलापों में प्रत्येक विद्यार्थी का सभागत्व (Participation) तथा उसका मन्त्र में दो बार मूल्यांकन अनिवार्य कर दिया है। अतः प्रत्येक क्रियाकलाप तथा प्रत्येक विद्यार्थी के अभिलेख (Record) रखने व उसका मूल्यांकन करने हेतु इस प्रकार की तालिका आवश्यक है।

(5) विद्यालय की पारीक्रम से समय-तालिका — (Shiftwise Time Table) — केवल उन बड़े विद्यालयों में विशेषकर नगरों में जहाँ छात्र संख्या अधिक होती है तथा स्थानाभाव होता है, विद्यालय दो या अधिक पारियों (Shifts) में चलाये जाते हैं। प्रथम पारी में प्रायः उच्च प्राथमिक या छोटी कक्षाएँ होती हैं तथा दूसरी पारी में बड़ी कक्षाएँ होती हैं। तीन पारियों का चलना शाला-भवन एवं शिक्षक संख्या पर निर्भर होता है। ऐसे विद्यालयों में कालाशा की अवधि कुछ कम होती है। प्रत्येक पारी की सामान्य समय तालिका तथा अग्रे उपरोक्त प्रकार की तालिकाएँ बनाई जा सकती हैं।

(6) गृह काय समय तालिका — (Home assignment Time Table) — यद्यपि पूर्व में सामान्य समय तालिका में ही गृह काय को सुनियोजित संतुलित रूप से प्रदर्शित करने का सुझाव दिया गया है किंतु यदि ऐसा संभव न हो तो पथक से विषय एवं कक्षा क्रम से गृह काय की समय तालिका बनाया जाना वांछनीय होगा। इस तालिका से गृह काय विद्यार्थियों व शिक्षकों पर भार स्वरूप न बन कर संतुलित मात्रा में हो सकेगा तथा उसका समुचित सशोधन (Correction) किया जाकर उसकी गुणवत्ता (quality) का स्तरोन्मेषन भी हो सकता है।



## समय-विभाग-चक्र का उदाहरण

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर समय तालिका के प्रत्येक प्रकार का निर्माण किया जा सकता है। समय तालिका के निर्माण में प्रत्यत दूरदर्शिता, अनुभव एवं परिश्रम की अपेक्षा होती है। अतः यह कार्य विद्यालय के प्रधान या उसके वरिष्ठ सहयोगी अध्यापकों द्वारा सम्पन्न किया जाना चाहिए जिससे किसी को अनावश्यक असंतोष न हो। स्थानाभाव के कारण यहाँ केवल एक अध्यापकीय शाला की समय तालिका का नमूना प्रस्तुत किया जा रहा है —

वक्षा कालाश	1	2	3	4	5	6	7	8
I	हिंदी ❀	हिंदी (नकल करना)	कला	गणित ❀	हिंदी पढ़ाई लिखना	उद्योग	गिनती बालना	खेल
II	हिंदी ❀	कला	गणित ❀	सामाजिक गान ❀	उद्योग	सामान्य विज्ञान ❀	पहाड़ खोलना	खन
III	उद्योग व कार्यानुभव	उद्योग व कार्यानुभव	गणित ❀	कला	खेल	हिंदी ❀	सामान्य विज्ञान ❀	सामाजिक ज्ञान ❀
IV	उद्योग व कार्यानुभव	गणित ❀	उद्योग व कार्यानुभव	कला	हिंदी ❀	सामान्य विज्ञान ❀	खेल	सामाजिक ज्ञान ❀
V	उद्योग	गणित ❀	उद्योग व कार्यानुभव	सामाजिक ज्ञान ❀	हिंदी ❀	कला	अंग्रेजी ❀	सामान्य विज्ञान ❀

नोट — (1) शिक्षक प्रत्येक कालाश में जिन वक्षाओं में कार्य करेगा वहाँ (❀) चिह्न अंकित किया गया है।

(2) समय विभाग चक्र में वक्षाएँ पृथक दशायी गई हैं। यह केवल समझाने की दृष्टि से किया गया है किंतु एक अध्यापकीय शाला में सभी वक्षाओं के बालक एक साथ ही बैठते हैं। अतः बालकों पर शिक्षण का सीधा नियंत्रण बना रहता है।

18 डॉ. शिवकुमार व रमेश चंद्र शर्मा, नवीन शिक्षा सिद्धांत, शिक्षण पद्धतियाँ एवं विद्यालय व्यवस्था (पृष्ठ 249)

## समय-विभाग-चक्र तथा विकासमान शिक्षण-पद्धतिया

पूष म उल्लेख किया जा चुका है कि समय-विभाग-चक्रमे अधिक स्थिरता नही होनी चाहिए तथा इसम आवश्यकतानुसार नमनीयता (Flexibility) होनी चाहिए। प्राधुनिक शक्षिक एव मनावैज्ञानिक अनुसंधानो के फलस्वरूप नवीन विकासमान शिक्षण पद्धतियो का प्राथमिकता दी जा रही है जिनके लिए रूडिवादी स्थिर समय विभाग-चक्र का निरथक एव अनावश्यक बनलाया जा रहा है। प्रभिद्ध शिष्या शास्त्री जॉन डिवी (John Dewey) इस नवीन विचारधारा के प्रवतक है। उनका कथन है कि - "समय विभाग-चक्र की बात कोल कल्पना है। समय-विभाग विषयो की दृष्टि से नही, बल्कि क्रिया-कलापो (Activities)की दृष्टि से निर्धारित करने के प्रयत्न होने चाहिए। किसी उप-योगी काय को ही केन्द्र मानकर उसी के आधार पर अन्य विषया की शिक्षा प्रदान करनी चाहिए।" 19 डॉ एस एस माधुर के शब्दो मे - "नवीन शिक्षा पद्धतिया में विषय का शिक्षण क्रियाओ के चारो ओर केन्द्रित होता है अतएव अब जिन विद्यालयो मे नवीन शिक्षा पद्धतियो के अनुमार शिक्षा प्रदान की जाती है वहा पर समय विभाग चक्र को कोई महत्व नही दिया जाता।" 20 डाल्टन प्लान (Dalton plan) तथा प्रायोजना विधि (Project method) इसी प्रकार की विकासमान शिक्षण विधिया है।

इम नवीन विचारधारा के मूल मे तीन बिंदु प्रमुख हैं - (1) बालक को अधि-गम (Learning) की स्वतन्त्रता होनी चाहिए न कि कालाशा मे विषयो को पढ़ने की विषयता हो, (2) ऐसे बालको में वैयक्तिक विभिन्नताएँ (Individual Differences) होती हैं अत उन्हें अपनी गति से सीखने का अवसर दिया जाना चाहिए, तथा (3) पान अमण्ड तथा अविभाज्य होता है, अत विषयो को कालाशो के कटघरे मे बंद कर नही पनाया जाना चाहिए। किंतु इस नवीन विचार धारा के अनुकूल नई शिक्षण विधियो के प्रयोग हेतु न तो हमारा देश इतना साधन सम्पन्न है, और न उसके अनुकूल परिस्थि निर्मा ही हैं। अत विश्वन चन्द जन का यह मत उपयुक्त जान पडता है कि - "इस प्रकार के माध्यमिक विद्यालयो की सख्या हमारे देश मे नगण्य है परन्तु प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय के कार्यक्रमो मे नवीन पद्धतियो का आशिक समावेश किया जा सकता है। और यह समय तालिका मे भी तदनुमार प्रावधान किया जाना अपेक्षित है। 21 कथन सभी स्तर के विद्यालयो के लिए उपयुक्त प्रतीत होता है। समय-विभाग-चक्र मे नवीन शिक्षण-विधिया के अनुकूल यदाकदा परिवर्तन किया जाना चाहिए। यह परिवर्तन पूव नियोजित होना चाहिए।

19 निरजन कुमार सिंह शिक्षालय-सगठन

(पृष्ठ 229)

20 डा एस एस माधुर विद्यालय सगठन एव स्वास्थ्य शिक्षा

( " 1

21 विश्वनचन्द जीन, शैक्षिक सगठन, प्रशासन एव पयवेक्षण

( " "

## समय विभाग-चक्र की परिसीमाएँ तथा सावधानियाँ

समय-विभाग चक्र से संबंधित उपरोक्त विवेचन में प्रसंगानुसृत इसकी परिसामाया एव उनके निराकरण की चर्चा की जा चुकी है। फिर भी इनका संक्षेप में यहाँ उल्लेख कर देना उचित रहेगा। विभागीय एव बोर्ड के नियमों के अनुपालन में समय-तालिका के निर्माण से कुछ कठिनाईयाँ आना स्वाभाविक है किंतु विवेकपूर्वक उनका निराकरण भी अध्यापक एव प्रधानाध्यापक मिल कर कर सकते हैं। प्रथम कठिनाई शिक्षक में कार्य का सतुलित भावटन करने में होती है। कुछ अधिक योग्य एव कुशल अध्यापक का कार्य भार अपेक्षाकृत अधिक ही दिया जाता है जिससे उनमें असंतोष उत्पन्न हो सकता है। इसका निराकरण समय तालिका बनाने समय यथा समर्थ शिक्षकों से परामर्श करना चाहिए तथा उनकी योग्यता एव रुचि के अनुसृत उह कार्य सौंपा जाना चाहिए। दूसरी कठिनाई यह होती है कि कुछ कठिन विषयों को समय कम मिल पाता है जिससे सत्र में पाठ्यक्रम समाप्त नहीं हो पाता। इसका निराकरण अथ विषयों के अध्यापकों के सहयोग से किया जा सकता है। तीसरी कठिनाई को कालाशा में विभाजित कर पढ़ाने से उत्पन्न होती है। कुछ विकासमान शिक्षण विधियों के लिये निर्धारित कालाशों से अधिक समय की अपेक्षा होती है अथवा किसी रोचक पाठ का बर्नास समाप्त होते ही अपूर्ण छोड़ना पड़ता है। इसका समाधान भी शिक्षक के परस्पर सहयोग से किया जा सकता है। चौथी समस्या कक्षा-अध्यापन के समय व्यक्तिगत विभिन्नताओं की दृष्टि से मेधावी एव मंद बुद्धि छात्रों पर ध्यान नहीं दिया जा सकता। इसके लिये शाला-समय के अतिरिक्त संबंधित कार्यक्रमों (Enrichment programs) व उपचारात्मक शिक्षण (Remedial Teaching) की व्यवस्था करनी चाहिए। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाकलापों के लिये आवश्यक समय न निकल पाना पाँचवी कठिनाई होती है। शनिवारीय कार्यक्रमों के लिये पढ़ाई के कालाशा को छोटा कर अथवा एकांतर शनिवारों का प्रथम चार व अंतिम चार कालाशों का शिक्षण-कार्य कर समय निकाला जा सकता है। छठी कठिनाई किसी दिन अधिक अध्यापकों के अनुपस्थित रहने से स्थानापन्न-शिक्षकों (Substitute Teachers) की व्यवस्था न हो पाने से उत्पन्न होती है। ऐसे अवसरों पर उपलब्ध अध्यापकों से ही शिक्षण-कार्य की समय तालिका सजाकर अथवा किसी क्रिया-कलाप में विद्यार्थियों को व्यस्त रखकर शालाध्यवस्था बनाये रखना चाहिए। समय-विभाग-चक्र की परिसीमाओं को दृष्टिगत रख कर विवेक से शाला-कार्य की व्यवस्था की जानी वाछनीय है।

## उपसंहार —

वर्तमान परिस्थितियों में शाला-व्यवस्था की दृष्टि से समय विभाग चक्र एक अत्यंत उपयोगी एवं अपरिहाय उपकरण है जिसकी धुरी पर विद्यालय के समस्त क्रियाकलाप परिभ्रमण करते हैं तथा इस के आधार पर उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का समुचित उपयोग किया जा सकता है। किंतु इसका प्रतिबंध कठोर नहीं होना चाहिए। आवश्यकतानुसार इसमें परिवर्तन परिवर्द्धन एवं संशोधन यदा कदा होते रहना शकिक एवं मनोवैज्ञानिक दृष्टि से वाछनीय है।

## मूल्यांकन (Evaluation)

### (अ) लघुत्तरात्मक प्रश्न (Short Answer Type Questions)

- 1 एक माध्यमिक विद्यालय के एक सौ छात्रों को, तीन प्रमुख खेलों में समाहित करते हुए, एक व्यवहारिक साप्ताहिक समय विभाग चक्र बनाइये। (बी एड 1985)  
(बी एड पत्राचार 1984)
- 2 विद्यालय की समय सारिणी बनाते समय हमें किन पांच मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए ? (बी एड पत्राचार 1985)
- 3 कायशील विद्यालयों में समय-विभाग चक्र की पांच विशेषताएँ लिखिये। (बी एड 1985)
- 4 विद्यालय समय विभाग चक्र बनाते समय हमें कौन-कौन सी सावधानियाँ अपनानी चाहिए ? (बी एड 1984)
- 5 विद्यालय की समय-सारिणी के माध्यम से थकान के तत्त्व को न्यूनतम करने के लिए पांच सुझाव दीजिये। (बी एड पत्राचार 1984)
- 6 विद्यालय के लिए एक समय-विभाग-चक्र का निर्माण करने में आप किन दो सिद्धान्तों को ध्यान में रखेंगे ? (बी एड 1979)
- 7 थकान का असर कम करने की दृष्टि से आप माध्यमिक कक्षा के समय-विभाग चक्र में क्या क्या परिवर्तन करना चाहेंगे ? (बी एड 1978)

### (ब) निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

- 1 विद्यालय के प्रधानाध्यापक को समय सारिणी से सम्बंधित किन कठिनाईयों तथा समस्याओं का सामना करना पड़ता है ? इन्हें सुलझाने के लिए उसे क्या उपाय करना चाहिए ? (बी एड पत्राचार 1985)
- 2 विद्यालय समय सारिणी बनाते समय किन किन आधारभूत सिद्धान्तों को ध्यान में रखना चाहिए ? (बी एड 1981)
- 3 समय सारिणी बनाते समय आने वाली व्यावहारिक कठिनाईयों का विवेचन कीजिए और बताइये कि उसे कस दूर किया जाय ?
- 4 विद्यालय समय सारिणी की आवश्यकता एवं महत्व की विवेचना करें।

[ विषय प्रवेश— विद्यालय अभिलेख सधारण (रख रखाव) का महत्व, विद्यालय अभिलेखों के प्रकार एवं सधारण नियम (क) छात्र सम्बन्धी अभिलेख, (ख) सहायक सम्बन्धी अभिलेख, (ग) सस्थापन (सेवा) अभिलेख, (घ) परीक्षा अभिलेख, (ङ) अध्यापक दैनन्दिनी (डायरी)—उपसहार परीक्षापयोगी प्रश्न ]

### विषय-प्रवेश -

विद्यालय एक सामाजिक सस्था है। विद्यालय-संगठन एवं प्रशासन हेतु प्रधानाध्यापक को विद्यालय से सबद्ध अनेक घटकों— शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक अथ वन चारो, शिक्षाविकारी आदि से अनवरत सम्पर्क बनाये रखना होता है तथा भौतिक ससाधना व विद्यालय की प्रगति का लेखा-जोखा अंकित करना हाता है। इसके लिए विभिन्न प्रकार के अभिलेखों (Records) की आवश्यकता होती है जो विद्यालय कार्यालय में रखे जाते हैं। यद्यपि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अभिलेखा के सधारण (रख रखाव) हेतु लिपिक का प्रावधान नहीं होता किंतु प्रधानाध्यापक अध्यापकों के सहयोग से यह कार्य सम्पन्न करता है। विद्यालय के विभिन्न पक्षों— छात्र, सस्थापन, लेखा, परीक्षा, शक्षिक, पुस्तकालय, सह शैक्षिक प्रवृत्तियों आदि से सबद्ध पक्षों—की प्रगति का नियमित लेखा जोखा रखने हेतु कुछ आवश्यक पत्रिकाओं (Registers) तथा पत्रावलिया (Files) के रूप में अभिलेखों का सधारण करना आवश्यक है। इन अभिलेखों के सधारण-नियमों से अवगत होना भी वाछनीय है। प्रस्तुत अध्याय में प्राथमिक एवं उच्चप्राथमिक विद्यालयों में प्रयुक्त अभिलेखा एवं उनके सधारण नियमों का परिचय दिया जा रहा है।

### विद्यालय अभिलेखों का महत्व -

विद्यालय अभिलेखों का महत्व प्रकट करते हुए आत्माराम शर्मा ने कहा है कि—  
“पाठशाला समाज द्वारा सस्थापित एवं स्थायी सस्था है और स्थायी सस्था के लिए आवश्यक है कि उसका कोई इतिहास भी हो, उसमें अपनी परम्पराएँ हों। इन सब का

स्थायी रूप से बना रहना तब सम्भव है जबकि उसका लेखा नियमित रखा जाये।<sup>1</sup> विद्यालय के अभिलेखों की सामाजिक परिप्रेक्ष्य में महत्ता को किशन चंद जैन का भी इन शब्दों में प्रकट किया है—“विद्यालय एक सामाजिक सस्था है जो अभिभावकों, छात्रों, सरकार तथा समाज के प्रति उत्तरदायी होती है। इसलिये प्रत्येक सरकारी एवं मायता प्राप्त विद्यालय के लिए कुछ अभिलेख, प्रतिवेदन एवं रजिस्टर रखने आवश्यक होते हैं, जिससे उसके विकास उसकी भूतकालीन तथा वर्तमान दशा उसके उद्देश्यों, उसकी आकांक्षाओं एवं उपलब्धियों तथा उसकी काय दक्षता एवं उपयोगिता का स्पष्ट ज्ञान हो सके।”<sup>2</sup> विद्यालय-अभिलेखों का समुचित सधारण निम्नांकित उद्देश्यों की पूर्ति करने के कारण महत्वपूर्ण होते हैं -

(1) राज्य सरकार के नियमों के अनुकूल काय करने हेतु (2) शैक्षिक कार्यक्रम की प्रभावोत्पादकता के मूल्यांकन हेतु, (3) अभिभावकों के विद्यालय से निकट सम्बन्धों के विकास हेतु, (4) शैक्षिक नियोजन हेतु, (5) विद्यालय की वित्तीय एवं सम्पत्ति सम्बन्धी लेखा जोखा रखने हेतु, (6) विद्यालय के प्रभावी सगठन हेतु, (7) विद्यालय कर्मचारियों का सेवा लेखा रखने हेतु (8) शिक्षाधिकारियों से सम्पर्क बनाये रखने हेतु (9) विद्यार्थियों की प्रगति से उन्हें तथा अन्य सबद्ध व्यक्तियों को अवगत कराने हेतु, (10) विद्यार्थियों के मूल्यांकन एवं क्रमानति हेतु।

### विद्यालय-अभिलेखों के प्रकार एवं सधारण (रख-रखाव) के नियम

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा विभाग, राजस्थान द्वारा निर्धारित निम्नांकित अभिलेखों का सधारण आवश्यक है -

[क] सामान्य अभिलेख (छान प्रवेश उपस्थिति एवं परीक्षा सहित)

- (1) पत्र प्राप्ति रजिस्टर, (2) पत्र प्रेषण पुस्तिका, सा प्र 1, (3) पत्र-वाहक पुस्तिका-सा प्र 2 (3) अभिदशक पुस्तिका (Visitors Book), (5) निरीक्षण पुस्तिका (Log Book) (6) अध्यापक डायरी, (7) प्रधानाध्यापक द्वारा परिवीक्षण पुस्तिका (8) आदेश/सूचना रजिस्टर (Order Book), (9) पत्रावली पुस्तिका सा प्र 3 (10) परीक्षा परिणाम पुस्तिका, (11) स्काूल रजिस्टर (12) छात्र उपस्थिति रजिस्टर (कक्षावार) (13) स्थानांतरण

1 आत्माराम शर्मा विद्यालय सगठन

(पृष्ठ 282)

2 किशनचंद जैन शैक्षिक सगठन, प्रशासन एवं पयवेक्षण

( ,, 178)

3 'शिक्षा-सहिता' प्रस्तावित प्रारूप— 1978 (शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर

(मध्याय-16)

प्रमाण-पत्र पुस्तिका (T C Book), (14) छात्र प्रगति पुस्तिका (Progress Report), (15) छात्र दण्ड पुस्तिका, (16) शुल्क मुक्ति पुस्तिका ।

[ख] वित्तीय एव लेखा सम्बन्धी अभिलेख—

(1) रोकड़ बही (राजकीय) (2) रोकड़ बही (छात्र कोष), (3) डाक टिकट का रजिस्टर, (4) स्टॉक (स्थायी भण्डार) रजिस्टर, (5) स्थायी तथा उपयोग्य सामान का अवदान (Issue) रजिस्टर, (5) लेखन सामग्री (Stationary) रजिस्टर, (6) त्योहार अग्रिम का वसूली रजिस्टर—जी ए 185 एव (7) शुल्क प्राप्ति रजिस्टर, (8) छात्रवृत्ति रजिस्टर, (9) रसीद बुके जारी करने का रजिस्टर, (10) प्राथमिक एव उ प्रा विद्यालयों द्वारा जिला शिक्षाधिकारी को भेजे गये एव प्राप्त बिलों का विवरण ।

[ग] सस्थापन सम्बन्धी अभिलेख—

(1) उपस्थिति (कर्मचारी) रजिस्टर जी ए 159 (2) वाकस्मिक अवकाश रजिस्टर, (3) वार्षिक काय मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रपण रजिस्टर ।

उपरोक्त अभिलेखों के अतिरिक्त पुस्तकालय, छात्रावास आदि से सम्बन्धित अभिलेखों का उल्लेख यथास्थान पूर्व में किया गया है । इन सभी अभिलेखों में से जो अत्यन्त आवश्यक हैं तथा जिनसे जघ्यापकों को कार्यालय या परीक्षा प्रभारी अथवा कक्षाध्यापक के रूप में भ्रमगत होना वांछनीय है, उनका विवरण निम्नांकित है—

[क] छात्र सम्बन्धी अभिलेख—

(1) प्रवेश पत्रिका (Admission Register)—इस पत्रिका में विद्यार्थी के प्रवेश हेतु प्रधानाध्यापक के आदेश होते ही नामांकन किया जाता है जिसमें विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, कक्षा जिसमें प्रवेश हुआ, पूर्व पाठशाला का नाम, प्रवेश दिनांक आदि अंकित होता है ।

(2) स्कॉलर रजिस्टर (Scholar Register)—यह अभिलेख अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसमें उपरोक्त तथ्यों के अतिरिक्त विद्यालय में विद्यार्थी के अध्ययन पर्यन्त उसकी कम्प्लेन्सि का वर्ष वार विवरण भी होता है तथा चरित्र व व्यवहार संबंधी उल्लेख भी । इसमें अंकित विद्यार्थी का क्रमांक प्रवेश-पत्रिका, उपस्थिति-रजिस्टर एव स्थानांतरण प्रमाण पत्र में लिखा जाता है । जन्मतिथि त्रुटि व अन्वय दोनों में अंकित की जाती है ।

(3) छात्र उपस्थिति रजिस्टर—प्रवेश के पश्चात् कक्षाध्यापक द्वारा विद्यार्थी का

नाम व स्कॉलर रजिस्टर सरया इस रजिस्टर मे लिखी जाती है। यह कक्षा वार व वर्ग वार होता है जिसमे प्रतिदिन दोनो मीटिंग की उपस्थिति, अनुपस्थिति या अवकाश अंकित किया जाता है। इसी के आधार पर माह के अंत मे कक्षा की औसत उपस्थिति व मासिक मानचित्र (गोशुवारा) मे उपस्थिति सम्बन्धी तथ्य अंकित कर उच्चाधिकारियों को भेजे जाते हैं। गोशुवारे का प्रपत्र इस अध्याय के अंत मे सलग्न है।

- (4) स्थानान्तरण प्रमाण पत्र पुस्तिका— (Transfer Certificate Book) विद्यार्थी द्वारा किसी कारणवश विद्यालय छोड़ने पर जो स्थानान्तरण प्रमाण पत्र उसे दिया जाता है, उसका विवरण इस पुस्तिका मे रखा जाता है। इस प्रमाण-पत्र मे (इस अध्याय के अंत मे सलग्न प्रपत्र) विद्यार्थी का पूर्ण विवरण चरित्र प्रमाण पत्र तथा वसूल किये गए शुल्क का उल्लेख किया जाता है। छात्रों के प्रवेश, नाम पृथक्करण, पुनः प्रवेश एवं स्थानान्तरण सम्बन्धी नियम निम्नांकित है जिनके आधार पर उपरोक्त अभिलेखों का सधारण किया जाता है—

### विद्यार्थियों के प्रवेश एवं अनिलेख सधारण सम्बन्धी नियम एवं प्रपत्र

शिक्षा विभाग के आदेशानुसार ग्रीष्मावकाश के जून माह के अंतिम सप्ताह से यह कार्य प्रारम्भ किया जाकर एक जुलाई से शैक्षणिक कार्य प्रारम्भ कर दिया जाना आवश्यक है किन्तु विशेष परिस्थितियों मे प्रवेश कार्य जुलाई मास के प्रथम सप्ताह तक निरंतर चल सकता है। इसके बाद सत्रावधि मे कुछ मास कारणों के उपस्थित होने पर भी छात्रों को प्रवेश दिया जा सकता है।

छात्र-प्रवेश से संबंधित शिक्षक का यह प्रथम दायित्व है कि वह छात्र के अभिभावक से "पाठशाला प्रवेश प्रायना पत्र" की पूर्ति कराए। इस प्रायना-पत्र के खण्ड (अ) के अंतगत 17 बिंदु दिये गये हैं। इनमे जो बिंदु छात्र से सम्बंधित हों, उनकी पूर्ति अभिभावक से कराई जानी चाहिए। इस खण्ड मे बिंदु क्रमांक (4) जन्मनिधि की पूर्ति विशेष मावधानी से कराई जानी चाहिए। जन्मनिधि ईसवी सन् की तिथि से अको तथा शब्दों दोना में की जानी चाहिए ताकि उसमे परिवर्तन की आशंका न रहे। प्रायना पत्र के खण्ड (आ) में तीन बिंदु प्रमाणीकरण और प्रतिज्ञा से सम्बंधित होते हैं। इनमे प्रमाणीकरण 2 (क) — "छात्र/छात्रा न



पाठशाला में प्रवेश से पूर्व किसी भी राज्य द्वारा प्रमाणित पाठशाला में शिक्षा नहीं पाई है" - पर विशेष बल देना चाहिए क्योंकि भविष्य में इस बिंदु को लेकर अनेक समस्याएँ होने की आशंका रहती है।

**नामांकन** - बालक के प्रवेश प्रायनापत्र की अभिभावक द्वारा पूर्ति कर दिये जाने पर प्रायनापत्र में अंकित बिंदु "पाठशालाधिकारिया द्वारा पूर्ति निमित्त" की सम्बंधित आवश्यक पूर्ति (यदि छात्र/छात्रा की परीक्षा ली जाती है) प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका द्वारा की जानी चाहिए यदि परीक्षा ली जाती है तो सम्बंधित अध्यापक द्वारा परीक्षा ली जाकर विभिन्न विषयों में छात्र की योग्यता एवं श्रमयोग्यता की सूचना (रिपोर्ट) इसी प्रपत्र में प्रधानाध्यापक को दी जाती है। प्रधानाध्यापक छात्र/छात्रा को योग्य पाकर सम्बंधित कक्षा में शुल्क लेकर प्रविष्ट करने का आदेश देगा। शुल्क प्राप्त कर प्रवेशार्थ Scholar's Register Number प्रदान कर प्रधानाध्यापक को प्रबलोकनाथ प्रस्तुत करेगा। शुल्क दर विभाग द्वारा निर्धारित है।

उपरोक्त कायवाही हो जाने के बाद सम्बंधित कक्षा में छात्र का प्रवेश-पत्रिका (Attendance Register) में कक्षाध्यापक नामांकन (प्रवेशार्थ सहित) कर लेगा। प्रवेशार्थ सहित नामांकन पत्रिका (Scholar's Registers) में छात्र/छात्रा से सम्बंधित प्रविष्टियाँ कर प्रवेश प्रायनापत्र को सम्बंधित पत्रिका में पंजीकृत (File) कर लिया जाता है। इस नामांकन पत्रिका में छात्र/छात्रा से सम्बंधित आगामी प्रविष्टियाँ (जो इस विद्यालय में आगामी कक्षाओं में प्रत्येक सत्र की उपस्थिति सख्या, उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण होने का उल्लेख तथा चरित्र व व्यवहार सम्बंधी टिप्पणी की जाती है। शाला त्यागने या अन्य शाला में स्थानान्तरण के समय में प्रविष्टियाँ स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (Transfer Certificate) में अंकित की जाती है।

उपस्थिति विवरण विद्यार्थियों की उपस्थिति का विवरण सम्बंधित कक्षा की उपस्थिति पत्रिका में होता है। इस अभिलेख का काफी महत्व है क्योंकि इसी के आधार पर परीक्षार्थी को वापिक परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाती है तथा इसी के आधार पर शिक्षक अभिभावकों को उनके बालकों की विद्यालय में नियमित उपस्थिति के सबब में अवगत करा सकता है। परीक्षा में प्रवेश हेतु कक्षा 3 से 5 तक 60% जब कक्षाओं (कक्षा 6 से 8 तक) में 70% तथा माध्यमिक कक्षाओं (कक्षा 9 से 11- तक) में 75% उपस्थिति होना प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अनिवार्य है। यदि प्रधानाध्यापक किसी छात्र/छात्रा के लम्बे समय तक अनुपस्थित या अवकाश पर रहने के कारणों से मनुष्य हो जाये तो वह विद्यालय खुलने के कुछ दिवसों की प्रतिशत पूनता के आधार पर छात्रों का इस प्रकार मुक्त कर वापिक परीक्षा में बैठने की अनुमति दे सकता है -

- (1) कक्षा 3 से 5 तक 5 से 15%, (2) कक्षा 6 से 8 तक 8 से 10% तक ।  
 (3) कक्षा 9 को 20% तक । अतः छात्रों की उपस्थिति नियमानुसार बनाये रखने के लिए शिक्षक छात्र व अभिभावक का विशेष रूप से सतक व सावधान रहना चाहिए ।

**उपस्थिति पत्रिका (Attendance Register) -** उपस्थिति पत्रिका में क्रमांक के बाद प्रवेशक प्रत्येक छात्र/छात्रा का अंकित किया जाना आवश्यक है जिसके आधार पर प्रवेशक पत्रिका द्वारा विद्यार्थी की वार्षिक प्रगति का अवलोकन किया जाता है । पत्रिका में प्रवेश का दिनांक अंकित किया जाना चाहिए । उपस्थिति लेते समय उपस्थिति के लिये सकेत चिह्न 'उ', अवकाश के लिये 'अ' तथा अनुपस्थिति के लिये 'अनु' अंकित किया जाना चाहिए । प्रत्येक कक्षा की उपस्थिति प्रतिदिन प्राथना-सभा के पश्चात् अंकित कर उसका लम्बातर योग लगाया जाये जिसके आधार पर शाला के उपस्थिति पट्ट पर ममस्त कक्षाओं का उपस्थिति योग अंकित किया जाये । प्रत्येक मास व अंतिम दिवस की पूर्तिया करने के बाद उपस्थिति पत्रिका की सभी पूर्तियों, जैसे प्रत्येक विद्यार्थी की कुल उपस्थिति, कुल अवकाश कुल अनुपस्थिति कक्षा की औसत उपस्थिति, अनुपस्थिति शास्ति या जुमनि की राशि आदि कर लेनी चाहिए । यह कार्य कक्षाध्यक्ष द्वारा किया जाना वाञ्छनीय है । कक्षा के छात्रों की औसत उपस्थिति छात्रों की उपस्थिति के प्रतिदिन व मासों को जोड़कर उसमें विद्यालय के उस मास में बाय दिवसों के योग से भाग देकर निकाली जाती है । छात्र छात्राओं के प्रगति पत्र (Progress Reports) में अभिभावक की सूचार्थ आवश्यक सूचनाएँ इसी अभिलेख के आधार पर नियमित रूप से प्रेषित की जानी चाहिए ।

### मासिक गोशवारा मानचित्र -

मासिक मानचित्र शाला की दैनिक उपस्थिति पत्रिका के आधार पर तैयार किया जाता है । मासिक गोशवारा (मानचित्र) के प्रपत्र में निम्नांकित विवरण अंकित किये जाते हैं -

प्रपत्र के शीर्ष पर विद्यालय का नाम नगर/ग्राम वेतन चुकारा केंद्र (Pay center) जिला व माह की परिघमात्मक सूचनाएँ देनी होती है । प्रपत्र के प्रथम विवरण (घ) में जातिगत छात्रों की सख्या एवं दैनिक तथा प्रतिशत औसत उपस्थिति दिसानी पडती है । इसके अनतिरिक्त इसमें माह में हुए प्रवेश की कुल सख्या अक्षरणा आपतिया (Audit Objections) तथा छात्र सख्या में एकदम कमी व वेशी का कारण व अर्थ विवरण भी लिखने होते हैं ।

प्रपत्र (ब) में विद्यार्थियों की सख्या का विवरण कक्षावार व अनुभाग (Section) वार प्रस्तुत माह तथा पिछले माह का देते हुए छात्रों की कमी वेशी साल स्याही में अंकित की जाती है । इसमें किसी कक्षा में इस माह में खोल गये नये अनुभाग का विवरण

भी देना होता है। प्रपत्र पर प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर कर उसको एव प्रति उच्च शिक्षा विधायी का समय पर प्रेषित की जाती है।

**नाम काटना (नाम पृथक्करण प्रणाली)—**

निम्नांकित अवस्थाओं में विद्यार्थियों के नाम प्रवेश पत्रिका एव उपस्थिति पत्रिका से पृथक् किये जा सकते हैं—(अविभक्त इकाई भयात् कक्षा 1 व 2 हेतु कोई विशेष नियम नहीं है।)

- (1) यदि विद्यार्थी नियमित रूप से शाला में उपस्थित नहीं रहता किन्तु अध्यापक सम्बन्धित अभिभावक से इस सम्बन्ध में पत्र व्यवहार कर जानकारी अवगत करेगा।
- (2) यदि विद्यार्थी अपने अभिभावक के स्थानांतरण के कारण अथवा प्रवेश लेने हेतु प्रयत्नशील है।
- (3) यदि अविभक्त इकाई की कक्षाओं में विद्यार्थी लगातार पूरे माह अनुपस्थित रहता है।
- (4) यदि कक्षा 3 से 8 तक की कक्षाओं में विद्यार्थी 10 दिन तक लगातार अनुपस्थित रहता है।

विद्यार्थी का नाम प्रवेश एव उपस्थिति पत्रिका में 'शाला-परित्याग' कालम में काटने का दिनांक व पृथक्करण का कारण अंकित किया जाना है।

**पुनर्नामांकन या प्रवेश काय —**

शाला से नाम पृथक् होने के बाद यदि उसी शाला में किसी विद्यार्थी को प्रवेश दिया जाता है तो वह पुनर्नामांकन या प्रवेश कहलायेगा। इसके लिए अभिभावक को 'पाठशाला प्रवेश-प्रायना-पत्र' की पुनर्पूर्ति कर प्रधानाध्यापक के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। इस अवसर पर इस प्रायना पत्र के कालम संख्या 15 की पूर्ति पर बल दिया जाना चाहिए जिसमें पूर्व में छोड़े जानी वाली कक्षा एव छोड़ने का दिनांक अंकित किया जाना आवश्यक है इस प्रवृत्ति से यह पता लग सकता है कि कक्षा छोड़े हुए इतना अधिक समय तो नहीं हुआ जिसका वार्षिक परीक्षा में बैठने हेतु उपस्थिति प्रतिशत की पूर्णता के आधार पर प्रभाव पड़े। पुनर्प्रवेश हेतु राज्य सरकार ने शुल्क निर्धारित किया है— कक्षा 3 से 5 तक यह शुल्क 25 पैसे, कक्षा 6 से 8 तक 50 पैसे तथा कक्षा 9 से 11 तक एक रुपया निर्धारित है। यह शुल्क वसूल कर प्रवेश शुल्क की भाँति राजकीय कोष में जमा किया जाता है।

छात्र के पुनर्प्रवेश करने पर नवीन प्रवेशांक अंकित किया जायेगा किन्तु पूर्व प्रवेशांक भी सम्बन्धित कालम में प्रविष्ट किया जायेगा। प्राप्त शुल्क राशि भी उसके पूर्ववर्तन में अंकित की जायगी।

## छात्रों का स्थानान्तरण (Transfer) —

विद्यार्थियों के किसी विद्यालय से स्थानांतरण की दो स्थितियां होती हैं —

- (1) नगर की एक शाला से उसी सत्र में वहां की अन्य शाला में स्थानान्तरण इस स्थिति में विद्यार्थी जिस विद्यालय में प्रवेश चाहता है, उसके अभिभावक को प्रवेश प्राथना पत्र के साथ वतमान विद्यालय (जिसे छोड़ा गया) से प्राप्त निम्नांकित प्रमाण-पत्र विशेष रूप से प्रस्तुत करने होंगे —

1 ट्रांसफर सर्टिफिकेट (T C) 2 टेस्ट, Tests) व परीक्षाओं की अंक सूची  
3 विद्यालय में जमा की गई राजकीय एंव छात्र कोष (Boys Fund) से सम्बंधित राशि के विवरण का प्रमाण पत्र ।

- (2) अथवा किसी स्थान पर राजकीय विद्यालय में प्रवेश हेतु भी उपरोक्त प्रक्रिया अपनायी होगी ।

स्थानान्तर प्रमाण पत्र (Transfer Certificate) — इसे सक्षेप में (T C) कहते हैं । अभिभावक के प्राथना-पत्र के आधार पर विद्यार्थी को टी सी दिया जाता है । प्राथमिक कक्षाओं (कक्षा 1 से 5 तक) के लिए कोई टी सी शुल्क निर्धारित नहीं है तथा कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाओं के लिए 50 पैसे शुल्क है । यह शुल्क राजकीय कोष में जमा होता है ।

टी सी के दो अंग होते हैं — (1) प्रमाण-पत्र जिसमें विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, निवास स्थान व जिला, ज मतिथि, विद्यालय में प्रवेश की कक्षा व दिनांक, छोड़ी जाने वाली कक्षा व छाड़न का दिनांक छोड़ने का कारण, आचरण सम्बन्धी टिप्पणी प्रमाणित कर प्रधानाध्यापक हस्ताक्षर करता है । (2) छात्र के सम्बन्ध में विवरण प्रधानाध्यापक द्वारा हस्ताक्षरित होता है । इस टी सी की एक प्रति विद्यालय में रहती है ।

टी सी में जिन बिन्दुओं की प्रवृत्तियों की पूर्ति पर विशेष ध्यान देना चाहिए वे हैं — (1) ज मतिथि सम्बन्धी टी सी के दूसरे अंग के चौथे कालम की पूर्ति सावधानी से अंका व शब्दों में की जानी चाहिए (2) कक्षा जिससे स्कूल छाड़ा (3) दिनांक कक्षा छोड़ने का आदि । यदि कोई छात्र सत्र के मध्य में टी सी लेना चाहे तो टी सी देते समय उसके पृष्ठ भाग पर राजकीय छात्र कोष की वसूल की गई फीस (शुल्क) का विवरण मध्य स्मोद न व दिनांक के प्रधानाध्यापक द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए । इसके आधार पर विभागीय आदेशानुसार दूसरे विद्यालय में यह शुल्क छात्र से वसूल नहीं किया जायेगा । टेस्ट व परीक्षा अंक सूची भी टी सी के साथ दिया जाना आवश्यक है क्योंकि इसके आधार पर दूसरे विद्यालय में इसका समावेश उस विद्यालय में किये गये टेस्ट एंव परीक्षा के प्राप्तांकों में किया जाकर परीक्षाफल बनाया जाता है ।

विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र

राजस्थान शिक्षा विभाग

पाठशाला प्रवेश प्रार्थना-पत्र

(प्रवेशार्थी/प्रवेशार्थिनी के पिता या सरक्षक द्वारा पूर्ति निमित्त)

- अ पाठशाला का नाम स्थान
- 1 प्राथना-पत्र ग्रहण करने की तिथि
  - 2 छात्र/छात्रा का पूरा नाम
  - 3 (अ) धर्म (ब) क्या परिगणित या विद्युती जाति से है? उग जाति का नाम
  - 4 ज-मतिथि (ईस्वी मन् मे)
  - 5 प्रवेश के समय आयु
  - 6 छात्र/छात्रा के पिता का नाम पूरा पता नाम आजीविका एवं स्थायी पता ग्राम, तहसील तथा जिला सहित
  - 7 सरक्षक का पूरा नाम आजीविका एवं स्थायी पता (यदि पिता जीवित न हो)
  - 8 छात्र/छात्रा और सरक्षक का सम्बन्ध
  - 9 छात्र/छात्रा का स्थायी निवास स्थान  
ग्राम तहसील जिला
  - 10 राजस्थान की निवास की अवधि
  - 11 पिता या पति न हो तो सरक्षक की मासिक आय
  - 12 प्रवेश से पूर्व जिस पाठशाला से अध्ययन किया हो उसका नाम स्थान, प्रमाण पत्र तथा प्राप्तांक सूची सहित
  - 13 कक्षा जिसमें छात्र/छात्रा प्रवेश चाहता/चाहती है
  - 14 अभिष्ट ऐच्छिक विषय (1) (2) (3)
  - 15 यदि छात्र/छात्रा पुन इसी शाला में प्रविष्ट हो रहा/रही हो तो कक्षा का नाम जिससे पढना छोड़ा और कब छोड़ा
  - 16 छात्र/छात्रा कौनसी अल्प भाषा लेना चाहता/चाहती है
  - 17 छात्र/छात्रा कौनसा उद्योग लेना चाहता/चाहती है

हस्ताक्षर पिता या सरक्षक

## पिता या सरक्षक द्वारा प्रमाणीकरण और प्रतिज्ञा

- 1 मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त विवरण ठीक है।
- 2 मैं प्रमाणित करता हूँ कि छात्र/छात्रा का नाम  
(क) ने पाठशाला के प्रवेश से पूर्व किसी राज्य द्वारा प्रमाणित पाठशाला में शिक्षा नहीं पाई है।  
(ख) इस प्राथना-पत्र में अंकित छात्र की जन्मतिथि सही है।
- 3 मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि -  
(क) जब तक उक्त छात्र/छात्रा इस सस्था में शिक्षा प्राप्त करता रहेगा/रहगी मैं सस्था के नियमों उपनियमों से आबद्ध रहूँगा।  
(ख) छात्र/छात्रा की उल्लिखित जन्मतिथि में परिवर्तन करने के लिए अनुरोध नहीं किया जायगा।  
(ग) पाठशाला का नियमित शुल्क दूंगा।

पिता या सरक्षक के हस्ताक्षर

## पाठशालाधिकारियों के द्वारा पूर्ति निमित्त

कक्षा में प्रविष्ट करने के लिए छात्र/छात्रा की परीक्षा ली जावे।

प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका

विषय

सम्बन्धित अध्यापक के हस्ताक्षर

1	विषय में योग्य/अयोग्य पाया गया
2	" "
3	" "
4	" "
5	" "
6	" "
7	" "
8	" "
9	" "

कक्षा में फीस प्राप्त करके प्रविष्ट किया जावे।

प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका

यह प्रमाणीकरण तब करने की आवश्यकता है जब नम्बर 12 की पूर्ति न की गई हो  
प्रवेशान पर आवश्यक फीस प्राप्त करके प्रविष्ट किया गया (फीस का

विवरण

निम्न

)  
पाठशाला कर्मचारी

अवलोकित

तिथि

प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका

## शिक्षा विभाग, राजस्थान राज्य

- 1 नाम छात्र
- 2 पिता का नाम
- 3 निवासी
- 4 जन्मतिय
- 5 प्रवेश तारीख
- 6 प्रवेश नम्बर
- 7 कक्षा जिसमें पहले भर्ती हुआ
- 8 कक्षा जिसमें स्थान छोड़ी
- 9 तारीख छोड़ने की
- 10 कारण छोड़ने का
11. तारीख सर्टिफिकेट देने का

मुख्याध्यापक/अध्यापिका  
पाठशाला

## शिक्षा विभाग, राजस्थान राज्य

पाठशाला/तर प्रवेशानुज्ञा

प्रमाणित किया जाता है कि ..... पुत्र/पुत्री  
निवासी ..... जिला ..... जन्मतिय .....  
प्रविष्ट किया गया था कक्षा ..... में ता ..... को प्रवेश नम्बर  
घोर छोड़ा कक्षा ..... में से ता ..... कारण .....  
उसका आचरण नग्न तक विदित है ..... रहा  
उसने स्कूल की सब वाकियात भर दी है ।

तारीख सर्टिफिकेट देने की .....  
मुख्याध्यापक/अध्यापिका  
पाठशाला

## विवरण 'स'

नोट — यदि सब अध्यापकों के नाम इस स्थान में न आवें तो एक दूसरे कायज पर लिख दिये जायें ।

क्रम संख्या	नाम अध्यापक मय पद, निवास स्थान गाव, तहसील, डाकखाना, जिला	अध्यापक की योग्यता	प्रशिक्षण जो प्राप्त किया है	वेतन श्रृंखला	दिनांक जब से इस श्रृंखला में वेतन मिल रहा है	अंतिम वेतन वृद्धि का दिनांक	इस साल में ग्रान का दिनांक	इस माह का अवसृतिक अवकाश	अ य विवरण

अय विशेष विवरण —

नोट—विवरण 'म' केवल तीन बार भेजना है—यह जुलाई, नवम्बर व अप्रैल।



[ख] लेखा सम्बन्धी अभिलेख—

(1) रोकड— लेखा सम्बन्धी अभिलेखों में रोकड (राजकीय एव छात्र कोष) तथा स्टॉक रजिस्टर प्रमुख होते हैं। रोकड में आय व्यय का वायु लिखित में तत्काल होना चाहिए। राजकीय रोकड में आय विद्यार्थियों से प्राप्त प्रवेश, पुनः प्रवेश, स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र शुल्क तथा अनुपस्थित वण्ड की राशि होती है। वेतन तथा क्विंटर्जेंट बिलों की राशि भी आय के अन्तर्गत होती है। विद्यार्थियों से प्राप्त धनराशि की छपी हुई क्रमांकित रसीद की प्रति दी जाती है। रसीदों पर प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर होते हैं। रोकड में दो पृष्ठ होते हैं - बाया तथा दाया। बाये पृष्ठ पर निर्धारित स्थान व स्तम्भों (Columns) में आय तथा दाये पृष्ठ पर इसी प्रकार व्यय की राशियाँ विवरण एव दिनांक सहित अंकित की जाती हैं। प्रतिदिन लेन देन के अन्त में समस्त आय-व्यय के आकड़ों का योग दोनों ओर उगाकर शेष राशि अंकित कर उसका बिलान विद्यालय में रखी शेष राशि से कर लेना चाहिए ताकि कोई भूल न रह। रोकड में प्रतिदिन प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर होना चाहिए।

छात्र कोष सम्बन्धी रोकड में प्रविष्टियों की प्रक्रिया भी इसी प्रकार की जाती है। इस रोकड में स्तम्भों के शीर्षक छात्र कोष से सम्बन्धित मदों के अनुसार होते हैं जिनमें छात्रों से प्राप्त धनराशि विवरण सहित अंकित की जाती है। प्राप्त धनराशि की परक रसीदें देने की प्रक्रिया भी वही है। इस रोकड से छात्र-कोष की विभिन्न मदों में आय व्यय एव शेष राशि की स्थिति का पता चलता है। लेखा सम्बन्धी अभिलेखों का संघारण सामान्य वित्तीय व लेखा नियमों (G F & A R) के अनुसार किया जाना चाहिए।

निम्नांकित उदाहरण से खेल-कूद निधि के रोकड स्तम्भ की अंकन विधि स्पष्ट हो सकेगी —

बायाँ पृष्ठ सहा-12				दाया पृष्ठ-12			
जमा (आय)				खच (व्यय)			
दिनांक	विवरण	र	प	दिनांक	विवरण	र	प
8 4 84	गत शेष	200	00	8 4 84	फुटबाल तरीदा		15 50
	कक्षा 4 से प्राप्त शुल्क	25	00		(वाङ्कचर स 15)		
	(रसीद स 100 से 140)						
					योग		15 50
					शेष		209 50
	योग	225	00		योग		225 00
					गत शेष		209 50

सोना रोवडो की रसीदें त्रमवार सुरक्षित रखना आवश्यक है ताकि उनका बके-  
 साण किया जा सके। राजकीय रोवड की राशि राज-कोष में ट्रेजरी-पालान द्वारा  
 जमा की जाती है तथा छात्र-कोष की राशि राज-कोष के पीछे खाते मध्यम बैंक में  
 जमा की जानी चाहिए जिसकी पास-बुक तथा पालान की प्रतियां सभाल कर रखनी  
 चाहिए। ईनिश उपयोग में आने वाली कुछ राशि विद्यालय के टवल लॉक में रखी जानी  
 चाहिए। सर्विस पोस्ट्र के अर्थ म्यद का हिसाब G A प्रपत्र 114 के रजिस्टर में  
 रखा जाता है। राजकीय रोवड व रसीदों का प्रपत्र क्रमस G A 48 तथा G A 55  
 में रखा जाता है।

(2) स्टॉक रजिस्टर—स्थायी भण्डार (Permanent Articles)—रजिस्टर G A  
 162, त्रयता उपभाज्य सामान (Consumable Articles) रजिस्टर G A  
 161 निर्धारित प्रपत्रों में होते हैं। वस्तुओं को त्रम करने मध्यम विभाग से प्राप्त  
 होने के तुरन्त बाद उनकी प्रविष्टियां मय विवरण के सबवित स्टॉक रजिस्ट्रो में  
 की जानी चाहिए तथा उपभाज्य सामान के म्यदान (Issue) रजिस्टर में अंकित  
 कर वस्तुओं का उपयोग हेतु दिया जाना चाहिए। सत्र के म्यत में स्थायी सामान  
 का भौतिक सत्यापन (Physical Verification) करना होता है। तथा अनु-  
 पमोरय सामान (Unserviceable Articles) की सूची तैयार कर उह सक्षम  
 अधिकारी द्वारा निरस्त (Write off) करने व नीलाम करने की कायवाही की  
 जाती है। नष्ट करने योग्य वस्तुओं को सक्षम अधिकारी से आदेश प्राप्त कर नष्ट  
 किया जाता है।

### [ग] सत्यापन अभिलेख—

(1) सेवा सत्यापन रजिस्टर—प्रत्येक विद्यालय में एक सेवा रजिस्टर राज्य सरकार  
 द्वारा स्वीकृत प्रारूप में रखा जाना आवश्यक है इस रजिस्टर में प्रत्येक वेतन  
 श्रेणी (Grade) में स्वीकृत पदों का इन्द्रज तथा उन पदों पर कायरत  
 व्यक्तियों का विवरण होना चाहिए। प्रत्येक पद के बाद इतना स्थान छोड़ा जाये  
 कि उसमें 2-3 त्रम समय समय पर स्थापना त्रण होने के कारण लिखे जा सकें।  
 इस रजिस्टर से रिक्त स्थान (Vacant post) ज्ञात हो सकेंगी तथा कायरत  
 व्यक्तियों का पूर्ण विवरण - नाम, पिता का नाम व म तिथि, विद्यालय में काय  
 रत होने की तिथि, शैक्षिक व प्रशिक्षण योग्यताएं वेतन श्रेणी, वर्तमान वेतन  
 विदित होती है। जब कभी कोई कमचारी अतिरिक्त योग्यता अर्जित करता है तो  
 उसकी प्रविष्टि इस रजिस्टर में की जानी चाहिए। इस रजिस्टर के आधार  
 पर मासिक मानचित्र (गोसवारा) के विवरण 'स' की प्रुति की जाती है।

(2) अध्यापक की उपस्थिति पत्रिका—अध्यापक उपस्थित पत्रिका में केवल-शुद्धता तथा बरिष्ठता क्रम से अध्यापकों के नाम प्रत्येक माह में अंकित किये जाते हैं। इसमें तिथि के खाने में प्रत्येक अध्यापक को विद्यालय में अपने प्रागमन तथा गमन का समय नोट कर हस्ताक्षर करने होते हैं। विद्यालय समय से, 5 मिनट पूर्व उपस्थित होना वाछनीय है। विलम्ब से आने पर अपना स्पष्टीकरण देकर प्रधानाध्यापक के आदेश से ही हस्ताक्षर करना चाहिए। प्रधानाध्यापक द्वारा इस पत्रिका का प्रति दिन अवलोकन कर हस्ताक्षर करना चाहिए। अनुपस्थित अध्यापकों के अवकाश प्रायना पत्र पर उचित आदेश देकर इस पत्रिका में अवकाश की प्रविष्टि प्रधानाध्यापक द्वारा की जाती है तथा सर्वाधिक अध्यापक की कक्षाओं की व्यवस्था की जाती है। अवकाश स्वीकृति हेतु प्रधानाध्यापक को अवकाश नियमों से अवगत होना आवश्यक है।

### अवकाश नियम —

किसी भी आवश्यक या बीमारी की दशा में प्रार्थना पत्र देकर अवकाश प्राप्त किया जाता है यह तो सब जानते हैं, पर अवकाश कितने प्रकार के होते हैं और उनके नियम क्या हैं, यह ज्ञात होने से उन्हें प्राप्त करने और अधिकार होने की दशा में किसी को देने में सुविधा रहती है। अवकाश के बारे में कुछ मूलभूत बातें तो प्रायः सर्वे याद रखें (1) अवकाश कोई अधिकार नहीं है। यह केवल एक सुविधा है जिसे स्वीकार करने वाला अधिकारी राज्य काय की आवश्यकता का ध्यान रखते हुए स्वीकार करता है। (2) अवकाश के लिए केवल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर देने से ही उसकी स्वीकृति नहीं हो सकती अर्थात् उसका उपयोग स्वीकृति के पश्चात् ही किया जा सकता है।

(3) आवश्यकता होगी पर स्वीकृति भी पूणतया या आंशिक रूप से निरस्त कर कर्मचारी को कार्य पर उपस्थित होने के आदेश दिये जा सकते हैं। (4) किसी भी प्रकार का अवकाश (अलावा आकस्मिक के) किसी दूसरे प्रकार के अवकाश के साथ मिलाया जा सकता है। अब देखिए अवकाश कितने प्रकार के हैं —

1 आकस्मिक अवकाश — यह अवकाश कर्मचारी को आकस्मिक कारणों के लिए वर्ष भर में 15 दिन प्रदान किया जा सकता है। पर एक बार में यह अवकाश साथ में पडने वाले राजपत्रित अवकाश के अतिरिक्त अधिक से अधिक 10 दिन का लिया जा सकता है यह एक्त्रित नहीं होता। अस्थायी व्यक्तियों को प्रथम 3 माह में 5 दिन 6 माह में 10 दिन तथा इससे अधिक काल के लिए 15 देय होंगे। वैसे यह सुविधा अवकाश की परिभाषा में नहीं आती।

3 सवेतन अवकाश (Privilege leave) यह अवकाश उन कर्मचारियों को मिलता है जो उन विभागों में हैं जहां शिक्षण संस्थाओं के भीष्मावकाश की तरह

नियमित अवकाश नहीं होते । पर किसी भी कर्मचारी को अवकाश कितना प्राप्त हो सकता है ? इस बारे में सामान्य नियम यह है कि स्थायी कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर अपनी उपस्थिति पर अपनी उपस्थिति के दिनों की संख्या का 1/11 भाग संचेदन अवकाश ले सकता है । उपभोग न करने पर यह अवकाश 180 दिन तक एकत्रित रहता है । अनुपस्थिति के लिए यह अवधि सेवाकाल पर निर्भर करती है । हा, आकस्मिक अवकाश की तरह इसे साधारण तथा तत्काल प्राप्त नहीं कर सकते । इसके लिए तीन सप्ताह पूर्व प्राथना पत्र देना चाहिए । ग्रीष्म अवकाश का उपयोग करने वाले अध्यापकों को वष में 3 दिन तक सर्वनितक अवकाश देय है । पर किसी ग्रीष्म अवकाश में आदेश द्वारा सरकारी कार्य हेतु रोके जाने से आप उसका उपयोग न कर सके तो उसके स्थान पर आपको संचेदन अवकाश का लाभ होगा । यह लाभ एक विशेष अनुपात से दिया जाता है । उपयुक्त दशा क अतिरिक्त साधारणतया हमें संचेदन अवकाश प्राप्त नहीं हो सकता ।

3 अर्द्धवेतन अवकाश — अर्द्धवेतन अवकाश का नियम यह है कि कोई भी स्थायी या अस्थायी कर्मचारी अपने सेवाकाल के प्रत्येक समाप्त हुए वर्ष के लिए 20 दिन का अवकाश ले सकता है । बीमारी की दशा में चिकित्सक के प्रमाण पत्र पर अर्द्ध वेतन अवकाश के दुगुने के बदले आप संचेदन अवकाश ले सकते हैं । लेकिन स्वयं रूग्ण होने और पुनः स्वस्थ होने पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है । यह अवकाश परिवर्तित अवकाश या Commuted Leave कहलाता है और समस्त सेवाकाल में किसी भी कर्मचारी के लिए इसकी सीमा 180 दिन है ।

4 विशेष या असाधारण अवकाश (Extraordinary leave) — कभी कभी हमारे पास किसी भी प्रकार का अर्जित अवकाश शेष नहीं होता और हम अवकाश लेना आवश्यक होता है । बताइए ऐसी दशा में क्या होगा ? ऐसी दशा में हमें अर्द्धवेतन अवकाश या जिसे असाधारण अवकाश कहते हैं प्राप्त हो सकता है । इससे अतिरिक्त विशेष परिस्थितियों में ड्यूटी पर छोट लगने या अपग हो जाने के कारण भी अवकाश मिल सकता है ।

5 अध्ययन अवकाश — स्थायी राज्य कर्मचारी यदि शैक्षिक योग्यता बढ़ाना या प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहे तो अध्ययन अवकाश प्राप्त कर सकते हैं । लेकिन इसके लिए लिखित प्रतिज्ञा-पत्र प्रस्तुत करना पड़ता है कि अध्ययन या प्रशिक्षण के पश्चात् अवकाश की अवधि के अनुसार कुछ समय तक राज्य सेवा अवकाश की जायेगी । यह अवधि एक वर्ष के अवकाश के लिए तीन वर्ष और इससे अधिक के लिए अधिक होती है ।

6 प्रसूति अवकाश - महिला कर्मचारियाँ को प्रसूति काल या गर्भपात इत्यादि की दिशा में प्रसूति अवकाश की सुविधा और है। यह अवकाश अधिक से अधिक एक माह या प्रसव की तिथि से छ सप्ताह जो भी पहले समाप्त हो स्यायी और प्रस्थायी दोनों प्रकार के कर्मचारियों को डाक्टर के प्रमाण-पत्र पर प्रदान किया जा सकता है। यह सुविधा छेधाकाल में सिफ 3 बार ही दी जाती है।

[ग] परीक्षा-अभिलेख—परीक्षा-अभिलेखों में प्रमुख परीक्षा पत्रिका (Examination Register) होती है। जिसमें प्रत्येक कक्षा की परम्पों, अर्ध वार्षिक परीक्षा तथा वार्षिक परीक्षा के अंकों का अंकन किया जाता है। परीक्षा प्रभारी अध्यापक की देख रेख में इस पत्रिका की पूर्ति कक्षा अध्यापक द्वारा समय समय पर की जाती है। सत्र के अंत में सभी अंकों के योग के आधार पर विद्यार्थियों का परिणाम घोषित किया जाता है। परीक्षा अभिलेख की पूर्ति हेतु परीक्षा नियमा की प्रमुख जानकारी होना आवश्यक है।

### प्राथमिक एवं उच्च-प्राथमिक कक्षाओं के लिये परीक्षा एवं कक्षोन्नति नियम

विभागीय आदेश शिविरा/प्रा0/अ/19746/286/67/70 दि 21-11-72 तथा शिविरा/प्रा/अ/19746/41/74-75 दि 1-4-75 द्वारा प्रसारित परीक्षा एवं कक्षोन्नति नियमों के प्रमुख बिंदु निम्नांकित हैं—

- (1) छात्रों की उपस्थिति—परीक्षा प्रवेश योग्यता हेतु विद्यार्थियों को सत्र की कुल उपस्थिति का 60 / प्राथमिक कक्षाओं में तथा 70 / कक्षा 6 से 8 तक उपस्थित रहना अनिवार्य है।
- (2) स्वल्प उपस्थिति से मुक्ति—विद्यार्थी की रुग्णवस्था या अन्य उचित कारण से सतुष्ट होकर प्रधानाध्यापक विद्यालय के कुल दिवसों की प्रतिशत उपस्थिति यूनता के आधार पर निम्न प्रकार मुक्त करके वार्षिक परीक्षा में बैठने की आज्ञा दे सकता है।  
(i) कक्षा 3, 4 व 5 में 15 / ; तथा (ii) कक्षा 6, 7 व 8 में 10 /
- (3) परीक्षा की तैयारी अवकाश—कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों को प्रधानाध्यापक अर्धवार्षिक परीक्षा हेतु एक दिन का तथा वार्षिक परीक्षा हेतु दो दिन का परीक्षा तैयारी अवकाश (रविवार व राजपत्रित अवकाश के अतिरिक्त) दे सकता है।

4 विभागीय सदर्शिका—1977 (शिक्षा विभाग राजस्थान, बीकानेर।  
पृष्ठ 164-169

(4) प्रश्न-पत्र की व्यवस्था—सभी कक्षाओं में परीक्षार्थियों की संख्या 10 से अधिक होने की दशा में प्रश्न पत्र मुद्रित तथा कम होने पर चकलेर्खांकित या हस्त लिखित (काबन-प्रति) होंगे। परखों (Tests) में प्रश्न पत्र श्यामपट्ट पर लिखे जायें।

(5) परीक्षाएँ—कक्षा 3 से 8 तक प्रति वर्ष नियमित अंतर के साथ प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक विषय की दो आवधिक परखें (Periodical Tests) होंगी तीसरी आवधिक परख के स्थान पर लिखित काय का सत्र में दो बार (नवम्बर तथा मार्च में) मूल्यांकन किया जायेगा जो 5-5 अंका का होगा अर्थात् दोनों मूल्यांकनों का योग 10 अंक होगा। सत्र में दो परीक्षाएँ होंगी—अर्ध वार्षिक दिसम्बर मास में तथा वार्षिक 15 अप्रैल के पश्चात् वार्षिक परीक्षा में वी छात्र सम्मिलित किया जायेगा जिसने कम से कम दो वार्षिक आवधिक परखें दी हैं या एक परख और अर्धवार्षिक परीक्षा दी हो और जिसमें वह नह बठा हो उनके कारणों की प्रमाणिकता से संस्था प्रघान सतुष्ठ हो। अर्धवार्षिक परीक्षाएं क्रमश 10 व 14 दिन में समाप्त कर ली जायें।

(6) विभिन्न परीक्षाओं के पूर्णांक—निम्नांकित सारिणी के अनुसार होंग।

परीक्षा	अविभक्त इकाई कक्षा 1-2	कक्षा 3 से 8 तक प्रत्येक विषय में
प्रथम परख	—	10
द्वितीय ,,	—	10
लिखित काय का दो बार	—	$5 \times 2 = 10$
मूल्यांकन	—	70
वर्द्ध वार्षिक परीक्षा	100 (इकाई वार सारित्रिक	100
वार्षिक परीक्षा	मूल्यांकन का योग	
योग पूर्णांक	100	200

(7) उत्तीर्णता एवं श्रेणी निर्धारण नियम—उपरोक्त सारिणी के प्राप्तांक योग के आधार पर वही छात्र उत्तीर्ण एवं कक्षीनति का अधिकारी होगा जो प्रत्येक विषय में न्यूनतम 36% अंक प्राप्त करेगा। इसके साथ ही प्रत्येक विषय में

20 / न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य है । 36 / 48 / तथा 60 / प्राप्तांक होने पर क्रमशः तृतीय, द्वितीय व प्रथम श्रेणी और 75 / प्राप्तांक पर विशेष योग्यता प्रदान की जायेगी । यदि रुग्णता प्रमाण पत्र के आधार पर कोई छात्र वार्षिक परीक्षा में नहीं बैठता तो उसे शुल्क देने पर पुनः पूरक परीक्षा के साथ देने की अनुमति दी जायेगी । किन्तु उसे कृपांक नहीं मिलेगा ।

- (7) कृपांक—यदि विद्यार्थी एक अथवा दो विषयों में अनुत्तीर्ण रहता है तो प्रधानाध्यापक कृपांक देकर उसे कक्षा-नति दे सकता है किन्तु इसके लिये विद्यार्थी को उत्तीर्ण रहे विषयों में न्यूनतम से 5 अंक अधिक प्राप्त करना अनिवार्य है । यदि वह एक ही विषय में अनुत्तीर्ण है तो उसे 8 / कृपांक दिये जा सकते हैं और यदि दो विषयों में असफल है, तो उसे अधिकतम 12 कृपांक दोनों विषयों में मिलाकर दिये जा सकते हैं किन्तु दोनों में से एक विषय में 7 से अधिक कृपांक न दिये जायें ।

#### [ड] अध्यापक दैनिकि (Teachers' Daily Diary)—

अध्यापक दैनिकि का महत्त्व—अध्यापक अपने कार्य-शिक्षण योजना, शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षण-विधि, विद्यार्थियों के मू-याचन उनकी उत्प्रेरित गणना, प्रधानाध्यापक के अनुदेश, उपचारात्मक शिक्षण आदि की पूर्व-योजना के सक्षिप्त अभिलेख रखने हेतु जो स्वीकृत फॉर्म में पुस्तिका होती है, उसे अध्यापकीय दैनिकि के नाम से पुकारा जाता है । दैनिकि उसलिये बनी जाती है इसका उपयोग अध्यापक अपने दैनिक-कार्य के संपादन हेतु कर सके । अध्यापक दैनिकि अध्यापक के लिये व्यवस्थित योजनाबद्ध कार्य करने हेतु एक निर्देश-पुस्तिका (Guide Book) है ।

#### अध्यापक दैनिकि की आवश्यकता एवं महत्त्व

जैसा कि अध्यापक दैनिकि के अर्थ में ही निहित है । यह अध्यापक के प्रतिदिन के कार्य में पूर्ण योजनानुसार उसे निर्देश देने हेतु एक आवश्यक अभिलेख है । अध्यापक के कार्य को योजनाबद्ध, क्रमबद्ध एवं प्रभावी बनाने में इसका अत्यंत महत्त्व है । अध्यापक दैनिकि की आवश्यकता एवं महत्त्व उसके निम्नांकित उद्देश्यों से प्रकट होता है ।

- (1) दैनिक शिक्षण-कार्य को पूर्ण निर्धारित योजनानुसार प्रभावी रूप से सम्पन्न करने में अध्यापक की सहायता करना, (2) शिक्षण-कार्य को एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित समय में समाप्त करने हेतु (3) अध्यापक को दैनिक करणीय कार्य का स्मरण दिलाने एवं उसकी पूर्ण तैयारी कर बक्षा में जाने हेतु, (4) स्वयं को प्रोत्साहित

टित वक्षाओं एव प्रवृत्तियों (क्रियाकलापों) के समय विभाग चक्र एव प्रधानाध्यापक के निर्देशों के तत्काल सादर (Ready Reference) हेतु (5) विद्यार्थियों की उपस्थिति गणना द्वारा उनकी नियमितता पर दृष्टि रखने हेतु (6) मूल्यांकन-अभिलेख द्वारा माद एव तीव्र गति से सीखने वाले विद्यार्थियों का वर्गीकरण कर क्रमशः उनके उपचारत्मक शिक्षण (Remedial Teaching) तथा उन्नत शिक्षण की व्यवस्था करने हेतु (7) अभिभावकों को विद्यार्थियों की प्रगति से अवगत कराने हेतु, (8) विद्यार्थियों को गृह कार्य के आवंटन एव उसके मशौघन हेतु (9) विद्यालय के क्रियाकलापों में शिक्षक को स्वयं के एव विद्यार्थियों के सहभाग्य का अभिलेख रखने हेतु, (10) प्रधानाध्यापक एवं शिक्षाधिकारियों को अपने कार्य से अवगत कराने हेतु, (11) अध्यापक द्वारा व्यावसायिक अभिवृद्धि (Professional growth) हेतु विद्यार्थियों को दर्शाने के लिए, (12) दैनिक कार्य के संपादन के आधार पर पूर्व निर्धारित योजना में परिवर्तन, सशोधन एव परिवर्धन करने हेतु प्रतिपुष्टि (Feed back) करने के लिए ।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति अध्यापक दैनिकी में निर्धारित प्रश्नों के माध्यम से की जाती है । यद्यपि अध्यापकीय दैनिकी का स्वरूप में भिन्नता पाई जाती है किन्तु इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उसमें प्रावधान किया जाना वांछनीय होता है जिससे कि वह अध्यापक के लिए उपयोगी हो सके तथा उसमें कार्य में उत्कृष्टता आ सके । अध्यापक दैनिकी का स्वरूप —

जसा कि पूर्व में कहा जा चुका है अध्यापक दैनिकी के स्वरूप विभिन्न राज्यों तथा एक ही राज्य के राजकीय एव निजी विद्यालयों में भिन्न भिन्न प्रकार के पाये जाते हैं । राजस्थान के शिक्षा विभाग ने एकलपता लाने की दृष्टि से सभी राजकीय विद्यालयों में प्रयुक्त हानक निम्न प्रकार प्राख्य निर्धारित किया है तथा इसे अनिवार्य कर जिला शिक्षाधिकारियों के माध्यम से विद्यालयों में उनकी आवश्यकता अनुसार वितरित भी किया जाता है । प्रधानाध्यापक द्वारा अध्यापकीय दैनिकी विद्यालय के सभी शिक्षकों को उनकी आवृत्त वक्षा एव विषयों के अनुसार सत्र के आरम्भ ही में शुरू दे दी जाती है । इनके प्रचलित स्वरूप में निम्नांकित प्रश्नों का प्राख्य पाया है —

1) अध्यापक की वार्षिक शिक्षण योजना — इसका प्राख्य निम्नांकित है —

क्र.सं.	अध्यापक इकाई	अपेक्षित अध्यापन कालावधि	माह	उद्देश्य	प्रधानाध्यापक द्वारा टिप्पणी

उद्देश्यों का लघु रूप जो अध्यापक द्वारा अपेक्षित है — ज्ञ=ज्ञान, अव=अवबोध



ज्ञानो=ज्ञानोपयोग, कौ=कौशल, दृ=दृष्टि, अभि=अभिवृत्ति, रस=रस ग्रहण ।

(2) इकाई एव दैनिक पाठ-योजना (उपद्रवाइयो सहित) — इसका प्रारूप निम्नांकित है।

विषय                      इकाई का नाम                      दिनांक                      से                      तक  
कक्षा एव वग                      "                      घोषित अवकाश                      "

अतिरिक्त कालांश

विषय-वस्तु (पाठ-बिन्दु सहित)	विशिष्ट उद्देश्य एव अपेक्षित व्यवहारिक परिवर्तन	अध्यापन प्रणाली (छात्र अध्यापक क्रियाएँ)	विशिष्ट प्रकरण	सहायक सामग्री	गृह काय	मूल्यांकन का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7

सस्था प्रधान द्वारा टिप्पणी

अध्यापक के हस्ताक्षर

(3) अवकाश दिवस, उत्सव व अन्य निर्धार्य दिवसों की सूची—इसका प्रारूप है—

माह	अवकाश दिवस, उत्सव व निर्धार्य दिवसों के नाम	दिनांक	कुल दिवस	विषय विवरण
-----	--	--------	----------	------------

(4) सस्था प्रधान के अनुदेश विद्यालय काय सम्बन्धी सस्था प्रधान से प्राप्त अनुदेश सदाभ हेतु नीचे लिखे जावें —

दिनांक	अनुदेश
--------	--------

(5) अ को का अभिलेख — निम्नांकित प्रारूप में है —

कक्षा                      वर्ग

क्रमांक	छात्र का नाम	पूराक →	विशेष विवरण
		प्राप्ताक →	
		श्रेणी सीमाएँ →	
		दिनांक →	

उपरोक्त प्रारूपों के अतिरिक्त कुछ अन्य सूचनाओं सम्बन्धी पृष्ठ भी अध्यापकीय दैनिकी में निर्धारित रहते हैं — (1) कक्षा एव विषय का पाठ्यक्रम, (2) शिक्षण विधि, (3) मद एव तीव्र बुद्धि बालकों का वर्गीकरण एव उनके लिए करणीय काय का विवरण, (4) पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाकलापों हेतु आवंटित छात्रों का विवरण, (5) विषय एव कक्षा का समय-विभाग-चक्र (6) अध्यापक-अभिभावक सम्पर्क का

का विवरण, (7) अध्यापक द्वारा व्यावसायिक अभिवृद्धि हेतु किये गये प्रयासों का विवरण, तथा (8) विद्यार्थियों के उपस्थिति गणना प्रपत्र आदि ।

अध्यापकीय दैनन्दिनी कसे रखी जाये ? (उसमें प्रविष्टियों की विधि) —

अध्यापकीय दैनन्दिनी को उपयोगी एवं प्रभावी बनाने हेतु अध्यापको को इसके प्रपत्रों की पूर्ति के सन्दर्भ में निम्नांकित बिन्दु ध्यातव्य हैं —

(1) इसे सत्रारम्भ में दिये जाने का उद्देश्य यही है कि शिक्षण काय्य आरम्भ करने के पूर्व इसके सम्बन्धित प्रपत्रों की पूर्ति विधिवत् कर ली जाये । कुछ प्रपत्र जिनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है तथा जिनकी पूर्ति शिक्षण-काय्य के पूर्व ही की जानी है, उन्हें अविलम्ब किन्तु सावधानी से पूरा कर लिया जाये ।

(2) अध्यापकीय दैनन्दिनी की पूर्तियाँ स्वयं के काय्य को प्रभावी बनाने एवं भावी निर्देशन हेतु की जाती है । अतः उन्हें पूर्ण रूचि, दायित्व एवं कतव्यनिष्ठा से पूरा किया जाये । प्रायः देखा जाता है कि कुछ अध्यापक पढ़ाने के पूर्व पूर्तियाँ न कर उसके बाद करते हैं अथवा दीर्घ समय तक उपेक्षा एवं आलसस्वभाव इस काय्य को अग्रुरा छोड़ कर जब कभी निरीक्षण होता है तो उसे पूरा करते हैं । यह प्रवृत्ति दैनन्दिनी के उद्देश्यों के विपरीत है । समय पर पूर्तियाँ करना वाञ्छनीय है ।

(3) शिक्षण काय्य अध्यापक का प्रमुख काय्य होता है । अतः इसका पूर्व नियोजन वार्षिक, मासिक, साप्ताहिक, इकाई एवं पाठ योजनाओं में विभक्त कर विधिवत् किया जाना चाहिए तथा उनकी प्रविष्टियाँ दैनन्दिनी में यथास्थान सत्रारम्भ में ही कर लेनी चाहिए । केवल साप्ताहिक एवं दैनिक पाठ योजनाएँ उनकी त्रियाविति के कुछ समय पूर्व भी भ्रूषित की जा सकती हैं ।

(4) प्रधानाध्यापक का यह कर्तव्य है कि वह अध्यापको द्वारा दैनन्दिनी की नियमित एवं समुचित पूर्तियों का समय-समय पर भ्रवलोचन करे तथा शिक्षका को यथावश्यकता परामर्श दे ।

(5) दैनन्दिनी की पूर्तियाँ यद्यपि संक्षेप में की जाये ताकि यह काय्य शिक्षका को भार-स्वरूप न बन जाये तथापि जो पूर्तियाँ की जायें वे स्पष्ट, स्वच्छ एवं दैनिक काय्य को प्रभावी बनाने हेतु ही ।

(6) दैनन्दिनी की पूर्तियाँ केवल खाना पूर्ति के लिए नहीं की जायें बल्कि कार्य की प्रगति के आधार पर अध्यापन काय्य के नियोजन को प्रतिपुष्ट (Feed back) भी किया जाये तथा उसमें परिस्थिति एवं साधन-सुविधाओं की दृष्टि से आवश्यक संशोधन, परिवर्तन एवं परिवर्धन किये जाये । दैनन्दिनी उद्देश्यनिष्ठ शिक्षण की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में इस प्रकार सहायक हो सकती है ।

(7) शिक्षण काय्य के पूर्व उसका अवलोकन भ्रवश्य किया जाये ताकि पूर्व योजना-नुसार आवश्यक तैयारी के साथ कक्षा में प्रवेश किया जाये जिससे कि विद्यार्थियों एवं

विषय के प्रति 'याय दिया जा रहे ।

(8) दैनन्दिनी की पुस्तिका त्रिद्यायिका न त्रिशास एव अभिभावकों को उनकी प्रगति से अवगत कराते रहने क उद्देश्य से की जाय ।

(9) विद्यायियों की टेस्ट (Tests) एव परीक्षाओं में उपलब्धि का मूल्यांकन कर उनका वर्गीकरण किया जाय तथा म द गति से सीखने वाले बालकों क लिये उपचा-  
रात्मक शिक्षण एव मघाधी छात्रों हेतु अतिरिक्त काय का विवरण दैनन्दिनी म किया जाय।

(10) अध्यापकों का दैनन्दिनी की उपयोगिता में पूर्ण निष्ठा रत कर उसकी पुस्तिका अपन काय का प्रभायी बनाने की दृष्टि से करना वाछनीय है ।

अध्यापकीय दैनन्दिनी अध्यापक क काय की निर्देश पुस्तिका है, उसके काय की प्रभावात्प्रादकता म वद्धि करने की पूव तैयारी है तथा अपन दैनिक अनुभव के आधार पर शिक्षण प्रक्रिया म निरन्तर सुधार करत रहने का एक सशक्त माध्यम है । अत इस की पूति में अध्यापक की पूर्ण निष्ठा एव आस्था का होना नितात आवश्यक है जिससे कि वांछित उद्देश्य की उपलब्धि हा सके ।

उपसंहार — अत में आत्माराम शर्मा के शब्दों म विद्यालय अभिलेखों का महत्व इन प्रकार व्यक्त किया जा सकता है — "पाठशाळा समाज द्वारा सस्थापित एक स्थायी सस्था है और स्थायी सस्था के लिए आवश्यक है कि उसका अपना कोई इतिहास भी हो, जमम अपनी परम्पराएँ हो । इन सब का स्थायी रूप से बने रहना तभी सम्भव है जबकि उसका नियमित रूप से रखा जाय ।"

△

### मूल्यांकन (Evaluation)

#### (अ) लघुत्तरात्मक प्रश्न (Short Answer Type Questions)

- 1 विद्यालय अभिलेखों का क्या महत्व है?
- 2 विद्यालयों में अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं ? उनके रक्त रखाव के क्या नियम हैं?
- 3 लेखा सम्बन्धी अभिलेख कौन-कौन से होते हैं जिनकी माध्यमिक शालाओं में आवश्यकता है ?
- 4 परीक्षा सम्बन्धी अभिलेख कौन-कौन से हाते हैं ?
- 5 अध्यापकीय दैनन्दिनी की क्या महत्व है ? उसे कैसे रखा जाये ?

#### (ब) निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

- 1 सक्लित मूल्यांकन आलेख पत्र पर टिप्पणी कीजिये । (बी एड पत्राचार 1985)
- 2 विद्यालय अभिलेख से आपका क्या तात्पर्य है ? विद्यालय म इसकी क्या उपयोगिता है ? सामान्यतः विद्यालय में कौन कौन से अभिलेख तैयार किये जाते हैं ?
- 3 विद्यालय अभिलेखा व रजिस्टर के महत्व, प्रकारों व निर्माण पर सक्षेप प्रकाश डालें।
- 4 विद्यालयों में छात्रों की आपेक्षिक प्रगति का विवरण आप कैसे रखेंगे ? प्रत्यक छात्र की प्रगति निश्चित करते समय आप इसका किस प्रकार उपयोग करेंगे ?

अध्याय १३

संवैधानिक शैक्षिक प्रावधानों के क्रियान्वयन में अध्यापक की भूमिका

(The Role of Teachers in Implementing The Constitutional Provisions on Education)

( प्रस्तावना-भारतीय संविधान और शिक्षा-प्राथमिकशिक्षा निशुल्क व अनिवार्य अल्पसंख्यकों की शिक्षा धार्मिक शिक्षा स्त्री शिक्षा मातृभाषा प्रादेशिकभाषाओं सम्बन्धी प्रावधान राष्ट्रीयभाषा शिक्षा में अवसर की समानता स्मारकों के संरक्षण सम्बन्धी प्रावधान सव व राज्य-सरकार के दायित्व सम्बन्धी प्रावधान (सघ सूची राज्य सूची एव समवर्ती सूची) संवैधानिक प्रावधानों के क्रियान्वयन में अध्यापक की भूमिका उपसंहार-मूल्यांकन )

द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के लगभग १ माह बाद १९ नवम्बर, १९४५ घोषणा की कि 'यथासम्भव शीघ्र' एक संविधान निर्मात्री निकाय का आयोजन किया जाएगा और आग चुनावों के बाद निर्वाचित सदस्यों के प्रतिनिधियों एवं देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ प्रस्तावित संविधान निर्मात्री निकाय के आकार-प्रकार, उसकी सामर्थ्य व अधिकारों और कार्य विधि सम्बन्धी विचार-विमर्श किया जायेगा ।' १ इसी घोषणा की अनुपालनायें संविधान सभा का गठन हुआ जिसमें देश के सबसे अधिक योग्य व्यक्ति व स्त्रीया गभी धर्मों, सम्प्रदाय, प्रांतों, अल्पसंख्यकों तथा अनुसूचित जातियों व जनजातियों के प्रतिनिधित्व प्राप्त हो गया । उस सभा का प्रथम अधिवेशन ९ दिसम्बर १९४६ को हुआ था । संविधान सभा के सम्मुख ५० नहरे न संविधान सभा के कार्यों के बारे में प्रकाश डालते हुए कहा- 'सर्व प्रथम इस संविधान सभा का कार्य नये संविधान द्वारा देश को स्वतंत्र दम्बाना, गरीब जनता का भोजन, रोगों को रोकना तथा प्रत्येक भारतीय को अपनी योग्यता के अनुरूप विकास हेतु अवसर प्रदान करना है ।'

१ वैवल प्लान १४ जून १९४५ को प्रकाशित किया गया । देखिये मोतीराम की पुस्तक Guide to Constituent Assembly P 190

सौभाग्य से १५ अगस्त १९४७ को हम स्वतंत्र हुए । १४-१५ अगस्त को मध्य रात्रि को सविधान सभा का विशेष अधिवेशन सत्ता क हस्तांतरण तथा स्वतंत्र भारत के श्रीगणेश के लिए हुप्रा और उक्त अवसर पर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने सम्बोधित किया कि—' बहुत वर्षों पूर्व देश के भाग्य निर्माण हेतु निश्चय किया, अब समय आ गया है जब हम अपनी पूव निर्बन्ध प्रण से मुक्त हो गये हैं, केवल पूरणरूप से ही नहीं बल्कि सभी क्षेत्रों में सम्पूर्ण रूप से । अर्द्ध रात्रि के वक्त जब विश्व निद्रा में सो रहा है, भारत जीवन व स्वतंत्रता का नया जीवन प्राप्त करेगा । आज हम उपलब्धियों का उत्सव मना रहे हैं वह तो एक पग है, महान् उपलब्धियों जिनकी प्रतीक्षा है उसका ।'

लगभग ३ वर्ष बाद २६ नवम्बर को स्वीकार तथा २६ जनवरी १९५० को सविधान लागू किया गया । सविधान की प्रस्तावना

'हम भारत के लोग, भारत का एक सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों की

सामाजिक, आर्थिक व राजनीति याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए,

बड़े सख्त होकर अपनी इस सविधान सभा में आज तारीख २६ नवम्बर १९४६ ईस्वी को इतद् द्वारा इस सविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मसमर्पित करते हैं ।'

सविधान २६ जनवरी १९५० को लागू किया गया उसी रोज से भारत सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न प्रजातन्त्रिक गणराज्य हुआ। सविधान की प्रस्तावना में सम्पूर्ण प्रभुत्वगणराज्य, याय, सामाजिक, आर्थिक, व राजनतिक, दृष्टि वगर भेद भाव, जाति धर्म, रंग, धन से सभी समान होंगे । देश के सविधान की आकाशाभा की पूर्ति शिक्षा-दशन के माध्यम से उद्देश्य सम्मुख रखकर पूरे किए जाने चाहिए । स्वतंत्र भारत के उद्देश्य सविधान के अनुसार ही पूरा कर सकते हैं । शिक्षा के नये उद्देश्य से अपरिचित है और इन नये उद्देश्यों का सम्पूर्ण विचार सभी आसकेंगा जबकि हम समाज का नव निर्माण भारतीय सविधान के आधार पर करने का प्रयास करेंगे । सविधान के आदर्शों और मूल्यों का शिक्षा द्वारा ही संचार करना होगा ।

## सविधान द्वारा शिक्षा संचालन :-

प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सविधान ही राष्ट्र का माग दशक होता है । राष्ट्रीय जीवन के सभी पहलुओं पर उल्लेख होता है जिसकी अनुपालना राष्ट्र सरकार व समाज का पुनीत कर्तव्य है । यदि उमकी प्रभावशाली ढंग से उद्देश्यों के अनुरूप क्रियाविति नहीं हो पाती है तो दोष समाज व व्यवस्था का ही समझा जाएगा, नाकि सविधान का ।

शिक्षा के संगठन व संचालन सम्बन्धी सविधान में प्रावधान निहित किए हैं जिसे राष्ट्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति हो सके । सविधान की प्रस्तावना में सभी नागरिकों को सभी प्रकार का ज्ञान, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता, समानता और भ्रातृत्व की भावना । मौखिक अधिकारों के अध्याय में सांस्कृतिक तथा शैक्षिक विकास की स्वतन्त्रता एवं राज्य के नीति निर्देशन तत्वा में १४ वर्ष की आयु तक सभी बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध ।

लेकिन हम देखते हैं कि अभी तक इन आधारभूत प्रावधानों की सही ढंग से क्रियाविति नहीं हो पाई है । संस्थाओं में कार्यरत अध्यापकों का उत्तरदायित्व है कि वे सविधान की प्रस्तावना को दृष्टि में रखकर विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण करें । राज्यों में शिक्षा के अवसर वगैरे लिए जाति भेद के प्रदान करने हेतु तत्पर रहना है और निश्चय तत्त्वों के आधार पर अनिवार्य शिक्षा जो राष्ट्रीय अभियान की सफलता में सहयोग दिया जाय । शिक्षा का सामान्य उत्तरदायित्व राज्य सरकारों के कंधों पर ही है । सघ्न सरकार कुछ एवं विषयों पर काय संचालन करता है । सामान्य देश के लिए राष्ट्रीय आकांक्षाओं के अनुरूप शिक्षा नीति का प्रतिपादन करता है ।

## सविधान में शिक्षा-सूत्र एवं राष्ट्र निर्माण :-

भारतीय सविधान के द्वारा आदर्श व उद्देश्य शिक्षा द्वारा पूरे करते हुए प्रजातंत्र-व्यवस्था का स्वरूप ही नहीं जीवन बन सके । शिक्षा-जगत में सविधान की अपेक्षानुसार प्रगतिशील राष्ट्र के रूप में खड़ा हो सकेगा । भारतीय सविधान निर्मात्री सभा ने बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से भारतीय-भविष्य शिक्षा पर आधारित समझते हुए कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को रखा है जैसे-

### (१) सर्वसाधारण के लिए शिक्षा (Education for all) -

बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबन्ध अनु०

४५ के अन्तर्गत अधिका को दूर करने के उद्देश्य ने राज्य को १४ वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए उपबंध करने का निर्देश देता है ।

### अध्यापक की भूमिका (Role of Teachers) -

शिक्षा प्राप्त करना प्रजातांत्रिक भारत में किसी वर्ग विशेष का अधिकार नहीं है । राज्य सरकारों द्वारा प्रयोज्य मात्रा में प्राथमिक शालाएँ इतनी गति में स्थापित की जा रही हैं जिसका उद्देश्य सामान्य कार्यकर्ता की क्षमता एवं योग्यता में वृद्धि करके राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि करना है । अतः भिन्न भिन्न सामाजिक स्तरों में प्राप्त हुए बालक शिक्षा का पूरा लाभ ले सकें और उत्तरदायी नागरिक बन सकें ।

अध्यापक शाला में विभिन्न प्रकार की आने वाली समस्याओं की पूर्ति हेतु अपना वस्तुस्थिति समझकर निम्न काम प्रभावशाली ढंग से करेगा तो निश्चय ही धारा ४५ के प्रावधानों की पूर्ति हो सकेगी-

- १ अध्यापक को चाहिए कि वे आर्थिक साधन, भौतिक सुविधाओं को उपलब्ध करवाने हेतु जुटावे ।
- २ 'स्कूल चलो अभियान' की प्रभातफेरी निकालकर अभिभावकों से जनसम्पर्क करके छात्रों को शाला में प्रवेश हेतु उत्प्रेरित करे ।
- ३ आर्थिक कमजोरी के कारण अभिभावक छात्रों को नहीं भेजते उन्हें 'शिक्षा वसुधै क्वचित् कुर्यात्' योजना को प्रारम्भ कर देना चाहिए ।
- ४ जनता में राष्ट्रीय चेतना के लिए शिक्षा के महत्त्व पर प्रकाश अध्यापक द्वारा डालते रहें ।
- ५ पिछड़े वर्गों में राष्ट्रीय धारा से जोड़ने हेतु समाज कल्याण विभाग व माध्यम में विभिन्न सुविधाएँ प्रदान करवाने हुए छात्रों को आवश्यकताओं की पूर्ति करवाये ।
- ६ शाला यदि दूर है तो अध्यापक जी का छात्रों के लाने-लेजाने हेतु समाज के सहयोग से समुचित प्रबंध करना चाहिए ।
- ७ प्राथमिक स्तर पर अध्यापक इतना अधिक सचेत रहे कि बालक की एक रोज की अनुपस्थिति को गम्भीरता से लें, और मॉनिटर-छात्रों द्वारा बालक की शान्ति में चुनवान की व्यवस्था की जाय ।

- ८ अपव्यय एवं अवरोधन, के प्रति अध्यापक अधिक सचेत रहें।
- ९ १४ वर्ष की अवस्था के बालिकाओं को जो रूढ़िवादी व अशिक्षित अभिभावक नहीं भेजते हो उन्हें राष्ट्रीय चेतना के आधार पर उत्प्रेरित करने हेतु व्यक्तिगत सम्बन्ध स्थापित कर जालाओं से लाने का सफल प्रयत्न अपेक्षित है।
- १० प्राथमिक स्तर पर राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार, युनेस्को अथवा अन्य किसी भी मस्या द्वारा मिलने वाली अधिवनन मुविधान छात्रों को ही प्रदान करवाई जाय।

(२) सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से शिक्षा के अवसरों की समानता हेतु अल्पमध्यकों को सस्था की स्थापना व प्रशासन सम्बन्धी प्रावधान -

(Equality of Educational Opportunity as Social Justice)

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमें बताने का विश्वास दिलाया गया है कि प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक न्याय प्रदान किया जायेगा। संविधान ने दुर्बल तथा पिछड़े वर्गों की शिक्षा के लिए विशेष ध्यान रखा है। संविधान में कहा गया है— "अनुच्छेद २९ के मण्ड (२) की किमी बान में राज्य को सामाजिक और शिक्षात्मक दृष्टि में पिछड़े हुए नागरिक वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए कोई विशेष उपबन्ध करने में बाधा न होगी।"

अनुच्छेद २९ (१) भारत-क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के किमी भी वर्ग को जिनकी अपनी विशेष भाषा, लिपि, या संस्कृति है, उसे बनाये रखने का अधिकार प्रदान करता है। इस अनुच्छेद का उद्देश्य अल्प मध्यकों के हितों को सुरक्षित करना है। ऐसा वे अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को अपनी रूचि की सस्थाओं को स्थापित करके ही सुरक्षित रख सकते हैं।

अनुच्छेद ३० (१) "सभी अल्पमध्यकों को चाहे वे भाषा के आधार पर हों अथवा धर्म के आधार पर, अपनी रूचि की शैक्षिक मस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा।"

अनुच्छेद ३० द्वारा पल्लत अधिकार 'नागरिकों' और 'अनागरिकों' दोनों को प्राप्त है। परन्तु अनुच्छेद २९ द्वारा प्रदत्त अधिकार केवल 'नागरिक' को ही प्राप्त है।

अनुच्छेद ३० (२) के अनुसार 'राज्य शिक्षा-मस्थाओं को महायना



देने में किसी विद्यालय के विरुद्ध इस आधार पर विभे न करेगा कि वह धर्म व भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक के प्रबंध में है।

अनुच्छेद २६ (२) के अनुसार "राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्य निधि से सहायता पाने वाले किसी शिक्षा-मस्था में प्रवेश पाने में किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवश, जाति, भाषा अथवा इनमें से किसी भी आधार पर रूपा न किया जायेगा।"

अनुच्छेद २६ (२) द्वारा "शिक्षा-मस्थाओं में प्रवेश पाने का अधिकार व्यक्ति को एक नागरिक के रूप में प्राप्त है न कि समुदाय के सदस्य के रूप में"। १२ उदाहरणार्थ, यदि कोई स्कूल, जो अल्पसंख्यक द्वारा मंचानित किया जा रहा है राज्य निधि से सहायता प्राप्त करता है तो उसमें अल्पसंख्यक के बच्चों को प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। न राज्य ही ऐसे स्कूलों को अपने ही समुदाय के लोगों के लिए प्रवेश को सीमित रखने के निर्देश दे सकता है, क्योंकि ऐसा अनु० २६ (२) के विरुद्ध है।

राज्य द्वारा अल्प-संख्यक शिक्षा-मस्थाओं का अधिकार विनियमन से मुक्त नहीं है। जिस प्रकार अल्प-संख्यक मस्थाओं के शैक्षणिक स्वरूप को बनाये रखने के लिए विनियमन करने वाले उपाय जरूरी है, उसी प्रकार व्यवस्थित दशा तथा स्वस्थ प्रशासन / प्रशासन के अधिकार में कुप्रशासन का अधिकार नहीं है"। १३ ठीक इसी प्रकार अल्पसंख्यक मस्थाओं को शिक्षा बोर्ड, या विश्वविद्यालय में सम्बन्ध (Affiliation) का मूल अधिकार नहीं है। मस्था को सम्बन्ध प्रदान करने वाले बोर्ड व विश्वविद्यालय की शर्तों के लिए रजामद होना पड़ेगा।" १४

### अध्यापक की भूमिका (Teacher's Role)

- (i) छात्रों के साथ समान व्यवहार किया जाय, चाहे वे किसी भी जाति के क्यों न हो।
- (ii) अल्पसंख्यक छात्रों के प्रति अपेक्षाकृत अधिक मद व्यवहार करें।
- (iii) बहुसंख्यक व अल्पसंख्यक छात्रों के बीच आतत्व भावा का विकास करें।

२ पांडे जयनारायण 'भारत का संविधान' प्र २८८ (जोसेफ पोमस वनाम केरल राज्य ए आई आर १९५३ केरल ३३ मद्रास वनाम चम्पाकम दौरे राजन ए आई आर १९५१ सु० को० २२६

३ लिली कुरीयन वनाम सीनियर लेखिना ए आई आर १९७९ सु० को० ५२  
४ ए आई आर (१९७३) ३ उम नि प ३५५

- (iv) शाला में कक्षा शिक्षण व सहभागी प्रवृत्तियों में अल्पसंख्यकों के छात्रों को उत्तरदायित्व प्रदान करना चाहिए ।
- (v) छात्रों को छात्र वृत्तियों को निष्पक्ष रूप में प्रदान किया जाय ।
- (vi) अल्पसंख्यक छात्रों को वेधन ग्रहण न रखने के कारण ही प्रवेश देने से इन्कार किया जाय ।
- (vii) अल्पसंख्यक संस्था में कार्यरत अध्यापक, अथवा समुदाय के लोगों को प्रवेश से इन्कार नहीं करें ।

### (३) अनुसूचित जातियों, आदिम जातियों तथा पिछड़े लोगों हेतु शिक्षा (Education of s c, s T and Backward Classes)

अनुच्छेद ४६ इस बात का आह्वान करता है कि राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के, विशेषतया अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को शिक्षा तथा अर्थ सम्बन्धी हितों को विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा तथा सामाजिक अत्याय तथा सब प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा ।

#### अध्यापक की भूमिका (Teacher Role) -

- (i) अध्यापक को चाहिए कि अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों को शाला के कार्यक्रम में विशिष्ट स्थान प्रदान किया जाय ।
- (ii) कक्षा मॉनिटर, खेलकूद आयोजन में कप्तान बनाना, एन सी सी स्काउट आदि कार्यक्रमों में अग्रमंथान केवल योग्यता एवं क्षमता के आधार पर ही प्रदान करें ।
- (iii) अनुसूचित जाति के बालकों का मिलने वाली सभी सुविधाएँ उपलब्ध करवाने का सफल प्रयास करें ।
- (iv) सहभोज आदि की व्यवस्था की जाय जिसमें सभी जाति के साथ समान रूप से भागीदार रहे ।
- (v) छात्रावास में मानवीय व भौतिक सुविधा सभी का समान आधार पर प्रदान की जाय ।
- (४) राज्या पोषित शिक्षण-संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का उपासना का प्रतिषेध -

#### (Secularism in Govt Institutions)

अनुच्छेद २८ चार प्रकार की शैक्षिक संस्थाओं का उल्लेख करता है

- (1) राज्य द्वारा पूरी तरह पोषित संस्थाएँ,

- (ii) राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त मस्था,
- (iii) राज्यनिधि से सहायता पान वाली मस्थाएँ ,
- (iv) राज्य-प्रशासित किन्तु किसी धर्मस्व या धाम के अधीन स्थापित मस्थाएँ ।

न (१) की श्रेणी में आने वाली मस्थाओं में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती । न (२) और (३) की श्रेणी में आने वाली मस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है बशत कि इसके लिए लोग न अपनी मर्माति दें ही हैं । न (४) की श्रेणी में आने वाली मस्थाओं में धार्मिक शिक्षा देने के बारे में कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।

### अध्यापक की भूमिका (Role of The Teachers) -

- (i) छात्रों का सभी धर्मों पर प्रति सम्मान की भावना को विकसित कर धार्मिक सहिष्णुता विकसित करनी चाहिए ।
- (ii) अध्यापक का चाहिए कि वह छात्रों को सभी प्रमुख धर्मों में पाई जाने वाली समानता के बारे में पता दे ।
- (iii) विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के पूजास्थल जान कर उत्प्रेरित करें ।
- (iv) धर्म को सदैव वस्तु से जोड़ने का प्रयत्न करें ।
- (v) विभिन्न धर्मों की सुगुक्तियाँ तथा एक दूसरे में पाई जाने वाली समानता की ओर इंगित कर ।
- (vi) धर्म का व्यक्तिगत समझ एक दूसरे पर लादने का प्रयत्न न करें ।
- (vii) अध्यापक किसी भी धर्म विशेष का अनुयायी हो सकता है । परन्तु छात्रों पर अपने धार्मिक विचारों को नहीं धार ।

### (५) स्त्री-शिक्षा - (Women Education)

अस्तित्व के सघन में स्त्रियों की शारीरिक बनावट तथा उनके स्त्री जन्म काय उन्हें दुःखद स्थिति में कर देता है । अतः उनकी शारीरिक कुशलता का संरक्षण जनहित का उद्देश्य है जाता है जिससे जाति, शक्ति और निपुणता को सुरक्षित रखा जा सके । अनुच्छेद १५ (३) में इस प्रकार विचार प्रस्तुत किया है- "स्त्रियों एवं बालकों के लिए विशेष प्रावधान रखा है, राज्य सरकारों का इस पर नियम बनाने का अधिकार है ।"

### अध्यापक की भूमिका - (Role of the teachers) -

- (i) अध्यापक व अध्यापिकाओं का चाहिए कि, छात्रों को अध्ययन हेतु प्रवण लेने के लिए उत्प्रेरित कर ।

- (ii) छात्राग्री के साथ सहानुभूति रते ।
- (iii) छात्राग्री म मुपन शिक्षा व्यवस्था ढ वार म प्रचार करे ।
- (iv) छात्राग्री के अधुयन के बारे म फले हुए अधविश्वास को दूर करने का सफल प्रयास करें ।
- (v) छात्राग्री को मदों के समान गुणा, क्षमताग्री, लगन आदि के बारे म ज्ञान करते रहना चाहिए ।

**(६) भाषा सरक्षण सम्बन्धी प्रावधान :-**  
(Provision for Linguistic Safeguard)

भारत विभिन्न भाषाग्री वाला राष्ट्र है जो सबसे विवाद का विषय है । भारतीय संविधान की अनुच्छेद ३१० म कहा गया है- 'किसी व्यवस्था के विचारण के लिए मध या राज्य के किसी पदाधिकारी को यथा स्थिति सध म या राज्य म प्रवाग होने वाली किसी भाषा म प्रतिवेदन देने का प्रत्येक व्यक्ति का हक होगा ।'

अनुच्छेद ३१० (क) के अनुसार, 'संविधान प्रत्येक राज्य पर यह क्तव्य पारोपित करता है कि यह भाषा जाति अ-पसम्भव वग के बालकों को शिक्षा की प्राथमिक अवस्था मे मातृभाषा म शिक्षा देने के लिए पर्याप्त सुविधाएँ उपरिधत करे ।'

अनुच्छेद २१० (ख) के अनुसार- भाषा जात अल्पसंख्यक वर्गों के लिए राष्ट्रपति एवं पदाधिकारी नियुक्त करंगा जा भाषाजात अल्पसंख्यकों को दिये गये सरक्षणों से सम्बन्ध सत्र विषयों का अनुगधान करंगा और उा विषयों के सम्बन्ध म, जसा कि राष्ट्रपति निर्दिष्ट करे, राष्ट्रपति का प्रतिषदा देगा ।''

**अध्यापक की भूमिका (Role of The Teacher) -**

- (i) अध्यापक का चाहिए कि व राष्ट्रभाषा के महत्व पर प्रकाश डाले ।
- (ii) राष्ट्रभाषा के बारे में उचित दृष्टिकोण का विकास करने हेतु यागणा प्रदान करें ।
- (iii) भाषा के आधार पर अलगाववादी लागू म सचेन रहत हुए राष्ट्रभाषा की आवश्यकता तथा महत्व के बारे में बताय ।
- (iv) सस्या में अल्पसंख्यक बालक शाला में बीत व कथा म पाठ छात्र अधुयनरत है तो उनकी भाषा में अध्यापन की व्यवस्था करे ।

### (७) राष्ट्रभाषा हिन्दी के विकास हेतु प्रायधान -

(Provision For Development Of National Education)

सभ को राजभाषा हिन्दी और लिपि दवनागरी होगी, किन्तु सभ क राजकीय प्रयोजनके लिए प्रयोग होन वाले सभ का रूप भारतीय सभो का सतराष्ट्रीय रूप होगा। ८ अनुच्छेद (१) में विगी यत् के होत हुए भी सविधा के प्रारम्भ से १५ वर्ष की अवधि तक सभ क राजकीय प्रयोजना के लिए सभ्रोजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा। परन्तु उक्त वातावधि में भी राष्ट्रपति आदेश द्वारा सभ के राजकीय कार्यों में स किसी के लिए सभ्रोजी भाषा के साथ-साथ हिन्दी भाषा का तथा भारतीय सभ का सतराष्ट्रीय रूप के साथ-साथ दवनागरी रूप क प्रयोग का प्राधिकृत कर सकगा। इस अवधि के पश्चात भी सभ विधि द्वारा सभ्रोजी भाषा का एम प्रयोजना क लिए प्रयोग कर सकेगी कि एगी विधि में उल्लिखित हा। १५

अनुच्छेद ३५१ क अनुसार हिन्दी भाषा की वृद्धि (प्रसार) करना, उसका विकास करना ताकि यह भारत की सामाजिक सभ्रति के सब तत्वों की सभिव्यक्ति का माध्यम हो सके तथा उसकी मौलिकता स हस्तगत किया बिना हि दुस्तानी और सभ्रम अनुसूची में उल्लिखित सभ भारतीय भाषाओं क रूप, शली और पदावली को सभ्रत्मसात करते हुए तथा जहा-तहा आवश्यक का वाछनीय हो सहा तक उसके शब्द-भण्डार के लिए मुख्यत सभ्रति से तथा गौणत सभ्र भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना सभ का कर्तव्य होगा।

#### अध्यापक की भूमिका (Teacher's Role) -

- (i) हिन्दी दिवस शाला में प्रतिवर्ष भूमिगत स मनाया जाय।
- (ii) हिन्दी का प्रचार क प्रसार करना तथा हिन्दी साहित्य की प्रशानि लगायी जाय।
- (iii) हिन्दी क सभ्रप्रतिष्ठ कवि, नाटककार, लेखका क चित्र शाला की दिवारों पर लगाये जाय।
- (iv) हिन्दी भाषा स वाद-विवाद, निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाय।
- (v) भाषा अध्ययन में सभ्राने वाली समस्याओं के लिए त्रियात्मक अनुशासन करना चाहिए और उपचार भी दू डते रहना चाहिए।

४ अनुच्छेद भारतीय सविधान ३४३ (१)

५ अनुच्छेद भारतीय सविधान ३४३ (३)



## अध्यापक की भूमिका (Role of Teacher) -

- (i) प्राथमिक स्तर की शानाघो में गभी वाय प्रादेशिक भाषाभाषा में सम्पन्न हो ।
- (ii) पत्र-व्यवहार हिन्दी में किए जाय ।
- (iii) हिन्दी भाषा का जनममुदाय की भाषा में प्रतिष्ठित करने हेतु अभिभावक व सामाजिक मस्याघा को विश्वास में ले ।

## (९) राष्ट्रीय महत्त्व के स्मारकों के संरक्षण सम्बन्धी प्रावधान -

धनु० ४६ यह उपबन्धन करता है कि राज्य वनात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक स्मारक या स्थान या धनु की यथा स्थिति लुद्धन (Spoilation), विरूपण (Disfigurement), विनाश, अण्णमारण (Removal), अण्णयन अण्णवा निर्णान सं रक्षा करना राज्य का अण्णभार होगा ।

## अध्यापक की भूमिका (Role of The Teacher) -

राष्ट्रीय महत्त्व के स्मारक का संरक्षण प्रदान करने हेतु छात्रों को प्रशिक्षित किया जाय कि जब भी वे व्यवहारिक जीवन में प्रवेश करें तो इनके प्रति आत्मीय भाव बाणायें रगें उनमें गिण अण्ण्यापन का बद्धत ही तत्परता व भूमिका अण्णन करनी है —

- १ देश के भवनों के निर्माण व कलात्मक ढग की प्रशंसा की जाये जैसे ताजमहल, लालकिला, जामा मस्जिद, आदि ।
- २ ऐसे प्राचीन स्मारक, किला आदि के बारे में छात्रों को पान दिया जाय ।
- ३ ऐतिहासिक भवनों का अण्णवलोकन करने हेतु उत्प्रेरित करे ।
- ४ शाना भवन में ऐसी इमारतों के रेखाचित्र व छाया चित्रों का प्रदर्शन छात्रों के सम्मुख किया जाय ।
- ५ ऐसे ऐतिहासिक-भवन जा लुद्धक रहे हों, तो सम्बन्धित विभाग को सूचित करे ।
- ६ देश की दुर्लभ वस्तु यदि निघान की जाती है तो उसके लिए सरकार के सम्मुख विरोध प्रदर्शन किया जाय ।

## केन्द्रिय व राज्य सरकारें व सविधान सभ, राज्य व समवर्ती सूची - (Centre, State & Constitution)

भारतीय सविधान ने सघीय शासन व्यवस्था को अपनाया है, जिसमें तीन सूचियां तयार की गई हैं। यह सूचियां तीन प्रकार की हैं सघ, राज्य एवं समवर्ती सूचियां हैं। यह सूचियां भारतीय सविधान के ७ वे परिशिष्ट [अनुच्छेद २४६] के अंतर्गत दर्ज की गई हैं।" ६ मघ सूची पर केंद्र सरकार को, राज्य सूची में प्रत्येक विषयों पर राज्य सरकार को तथा समवर्ती-सूची पर दोनों केंद्र और राज्य सरकारों को कानून निर्माण का अधिकार है परंतु केंद्र सरकार के द्वारा निर्मित कानून ही लागू होंगे। इन सूचियों में प्रत्येक सूची के विषय जम्मू व कश्मीर पर लागू नहीं होंगे।

### (अ) सघ सूची (Union List)-

मघ सूची पर केन्द्रिय ससद कानून बना सकती है परंतु १३, ६२, ६३, ६४, ६५, ६६ विषय शिक्षा से सम्बन्धित हैं। शिक्षा के ७८ विषयों को केंद्र सरकार अपने अधीन रख सकती है। ये हैं—

प्रविष्ट १३—अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलनों, सम्मेलन आ तथा निवाया में भाग लेना तथा उनमें लिए गए निश्चयों की पूर्ति।

प्रविष्ट ६२—दस सविधान के प्रारम्भ पर राष्ट्रीय पुस्तकालय, भारतीय सग्रहालय, साम्राज्यिक युद्ध सग्रहालय, विक्टोरिया स्मारक, भारतीय युद्ध स्मारक नामों में जान मस्यायें तथा भारत सरकार द्वारा पूर्णतः या अंशतः वित्तपोषित तथा ससद में विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व की घोषित तैसी कोई अन्य तद्रूप सस्था।

प्रविष्ट ६३—दस सविधान के प्रारम्भ पर काशी हिन्दू विश्वविद्यालय अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और दिल्ली वि० वि० नामों में जान मस्यायें तथा ससद से विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व की घोषित कोई अन्य मस्था।

प्रविष्ट सग्या ६४—भारत सरकार द्वारा पूर्णतः या अंशतः वित्तपोषित तथा ससद से विधि द्वारा घोषित राष्ट्रीय महत्व की मस्थाएँ जो वैज्ञानिक तथा तकनीकी शिक्षा से सम्बन्धित हैं।



प्रविष्ट ६५-मधु अभिवरण की सम्झौतों में जो (क) वृत्तिक, व्यवसायिक या शिल्प प्रशिक्षण, जिन्हें अतगत आरक्षी पदाधिनारिया का प्रशिक्षण भी है के लिए है अथवा [ग] विशेष अध्ययनों या गवेषण की उत्पत्ति के लिए है अथवा (ग) अग्रगण्य के अनुसंधान या पता चलाने में वैज्ञानिक या शिल्पक सहायता के लिए है ।

प्रविष्ट मधु ६६-उच्च शिक्षा या गवेषण की सस्थाओं में वैज्ञानिक और शिल्पक सस्थाओं में वैज्ञानिक और शिल्पक सस्थाओं में एक सूत्रता जाना और माना का निर्धारण ।

### (ब) राज्य सूची (State List)-

इस सूची में ६६ विषयों पर राज्य सरकारों को कानून बनाने का अधिकार है लेकिन जम्मू तथा कश्मीर पर लागू नहीं है । इसमें सघ सूची की प्रविष्ट ६३, ६४ ६५, ६६ तथा समवर्ती सूची की २१वीं प्रविष्ट-२२ के उपबन्ध के अधीन रहते हुए शिक्षा, जिसके अतगत विश्वविद्यालय भी है ।

प्रविष्ट १२-राज्य के नियंत्रित या वित्तपोषित पुस्तकालय, सग्रहालय या अन्य समतुल्य सस्थाएँ (समद द्वारा निर्मित विधि के द्वारा या अधीन राष्ट्रीय महत्त्व की घोषित) ७ से भिन्न प्राचीन और ऐतिहासिक इमारत और अभिलेख ।

### (स) समवर्ती सूची (Concurrent List)-

समवर्ती सूची में ४७ विषयों पर कानून बनाने की व्यवस्था की गई है । शिक्षा से सम्बंधित दो प्रविष्टियाँ इसी सूची में हैं-

(i) आर्थिक और सामाजिक योजना ।

(ii) अधिकांश व्यवसायिक और शिल्पी प्रशिक्षण ।

शिक्षा मन्त्रालय द्वारा प्रकाशित पत्रिका "दी रोल ऑफ गवर्नमण्ट ऑफ इण्डिया इन एजुकेशन" में शिक्षाविद् श्री जे पी नायक ने, शिक्षा के इन कार्यों को दो भागों में विभक्त किया है-(१) प्रमुख (२) समवर्ती

(१) प्रमुख कार्य - इनके अतगत (i) शैक्षणिक और सांस्कृतिक (ii) शिक्षा संबंधी विचार और जानकारी प्राप्त करना, (iii) सघ तथा राज्य के शिक्षा कार्यों में सहयोग स्थापित करना, (iv) राज्य क्षेत्र में शिक्षा ।

(२) समवर्ती कार्य-इसमें (i) वैज्ञानिक गवेषण (ii) शिल्पिक शिक्षा, (iii) हिन्दी भाषा को समुन्नत बनाना और प्रचार करना, (iv) राष्ट्रीय

७ सावित्री सशोधन (६ वा) एक्ट १९५६ एस २७ संसद द्वारा विधि के द्वारा घोषित

कला सहित राष्ट्रीय सस्कृति को बनाए रखना, (v) भाषा संरक्षण, (vi) वि-  
 कलागी की शिक्षा, (vii) शैक्षिक अनुसंधान तथा सहयोग, (viii) अल्प गण्यको  
 व सांस्कृतिक हितों की रक्षा, (ix) अनुसूचित व आदिम जाति के हितों की  
 रक्षा, (x) राष्ट्रीय एकता, (xi) योग्य छात्रों का छात्र वृत्तियां, (xii) उच्चतर  
 भावसायिक प्रशिक्षण, (xiii) केन्द्रिय शिक्षा संस्थाओं को चलाना, (xiv) चौदह  
 वर्ष की आयु तक के बालकों के लिये निःशुल्क एक सावभौम शिक्षा की व्यवस्था  
 करना शामिल है ।

**शिक्षा का केन्द्रीयकरण हो या विकेन्द्रीकरण ?**

**(Centralization or Decentralization of Education)**

शिक्षा प्रणाली विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार की अनाइ गई है। इस  
 ने केन्द्रीकरण तो अमेरिका में विकेन्द्रीकरण काय प्रणाली का अनाया है ।  
 साधारणतः संसद और विधान मंडलों को संवधानिक शक्तियां व वितरण के  
 दो ढंग हैं प्रथम केन्द्री शासन को निश्चित शक्तियां देकर शेष राज्यों को ।  
 अमेरिका और आस्ट्रेलिया पहले प्रकार के उदाहरण हैं । दूसरी प्रणाली में  
 राज्यों को निश्चित शक्तियां देकर शेष केन्द्रीय संसद का छाड़ दी जाती है,  
 जिसका उदाहरण कनाडा है । केन्द्रीयकरण एक विकेन्द्रीकरण व मध्य एक  
 सामंजस्य की स्थापना की जानी चाहिए । ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली इन दोनों का  
 सुन्दर योग है । भारत जैसे राष्ट्र के लिए विकेन्द्रीकरण प्रणाली को  
 अपनाए के पक्ष में भारतीय संविधान सभा भी रही है और व्यक्ति एक  
 समष्टि को शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का अवसर प्रदान करता है । योजना  
 आयोग भी शिक्षा के प्रसंग में केन्द्रीय सरकार केवल चयनात्मक काय सम्पन्न  
 करवाने का पक्षधारी है । कोठारी वमीशान भी "वर्तमान संवधानिक व्यवस्था  
 में भी शिक्षा क्षेत्र में केन्द्र-राज्य सांभेदारी की पर्याप्त संभावना है ।" भारतीय  
 संविधान में भी शिक्षा में विकेन्द्रीकरण का आदेश रखा है । सप्रु समिति ने  
 १९६४ में प्रदत्त प्रतिवेदन में केवल उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में रखने  
 की सिफारिश की थी । शिक्षाविद् सब श्री मौलाना आजाद, श्रीमाली, प्रो०  
 हुमायूँ खान, आदि सभी राज्यों को शिक्षा सौंपने के पक्ष में रहे हैं लेकिन  
 नजर रखने के पक्ष में रहें हैं । शिक्षा आयोग (कोठारी) शिक्षा को केन्द्र  
 और राज्यों की सांभेदारी के पक्षधारी भी रहा है क्योंकि भारत जम सपीय  
 लोकतांत्रिक देश में कुछ उपयुक्त क्षेत्रों में तो केन्द्रीकरण करना ठीक है और  
 अन्य क्षेत्रों में, विकेन्द्रीकरण करना होगा ।

लेकिन हमें निरन्तर "शिक्षा में केन्द्रीकरण" "राष्ट्रीय नीति"

की मांग जोर पकड़ती जा रही है। विधिवेता श्री एल एम सिपवो एच चागला, डा० लुत्ना धात्रि शिक्षा के केंद्रीकरण में विश्वास करते हैं। श्री चागला न तो यहां तक कह डाला कि "सविधान बग़ैर समय शिक्षा को राज्य का विषय बनाना की गलती की गई है।"

शिक्षा काग्रेसी सरकार ने समवर्ती-सूची में रखा लेकिन जन्ता सरकार ने इसे पुनः राज्य सूची में डाल दिया। निम्पक्षरूप से निम्न लने से पूर्व केन्द्रीकरण व विकेंद्रीकरण का शिक्षा प्रक्रिया का अपनापन में क्या-क्या लाभ हानिया हैं उसके बारे में अध्ययन कर लिया जाता था छिन्न होगा-

**शिक्षक क्षेत्र में केन्द्रीकरण को अपनाये जाने वाले पक्षधरो का तर्क -**

- १ शिक्षा प्रणाली में एकरूपता लाना हेतु
- २ सार राष्ट्र का दृष्टि में स्वयंकर याज्ञा ब्राम्या जा गने,
- ३ ते द्री सरकार साधा सम्पन्नता के फनस्वरूप परियाजाए व प्रयोग आदि में सरलता ।
- ४ शिक्षक प्रयत्ना एव प्रयोग में अर्थात् सम-वय लाया जा सकता है और विभिन्न क्षेत्रों में एव प्रकार प्रयोगों को होने से रोका जा सकता है ।

**शिक्षक क्षेत्र में केन्द्रीकरण न अपनाये जाने के पक्ष में तर्क -**

- १ केन्द्रीकरण से छोटे छोटे वर्गों का भाग लेना का अवसर नहीं मिलता ।
- २ दूर स्थित क्षेत्रों की ओर किसी का ध्यान ही नहीं जायगा ।
- ३ विकेंद्रीकरण से ही यत्तित्व का विकास ।
- ४ कार्य करने का अवसर सभी क्षेत्र के लोगों का नहीं मिलता आदि ।

**शिक्षा के विकेंद्रीकरण के पक्षधारियों का तर्क -**

- १ विकेंद्रीकरण स्वयं ही प्रजातंत्र का आधार है ।
- २ राष्ट्रीय व सामाजिक चेतना सभी क्षेत्रों विकेंद्रीकरण से सम्भव ।
- ३ शिक्षा के प्रति रुजान स्वेच्छा से पढा हागा ।
- ४ स्थानीय लोगों द्वारा स्थानीय आवश्यकता अनुसार शिक्षा-प्रबंध सम्भव ।
- ५ विभिन्न क्षेत्रों के मूल्य व संस्कृति की रक्षा सम्भव ।

## शिक्षा के विकेन्द्रीकरण के विपक्ष में तर्क -

- १ विकेन्द्रीकरण होने से विभिन्न शैक्षिक इकाइयों को अधिकार प्रदान करने पर प्रबन्ध ठीक होने के फलस्वरूप शैक्षिक प्रगति में बाधा पड़ सकती है।
- २ एक समान शिक्षा नीति सम्भव।
- ३ जातीयता, भाषावाद, सम्प्रदायवाद, क्षेत्रीयता एवं संकुचित मनोवृत्ति जो देश के अहित में हो सकती है, बढ़ावा देता है।

### उपसंहार (Conclusion) -

शिक्षा से सम्बन्धित प्रावधान को राजनैतिक व शिक्षाविद् दोनों ने ही गम्भीरता से नहीं लिया है जिसका उदाहरण है कि ३५ वय सविधान को लागू हो जाने के उपरान्त भी अनिवाय शिक्षा के लक्ष्य पूरा नहीं कर पाये ता राष्ट्रभाषा का प्रतिष्ठित न होना। स्वतंत्रता भारत में अब भी समय रहते हुए शिक्षा का नियोजन तथा प्रशासन सविधान के आधार पर नहीं किया जायेगा तो सविधान निरर्थक और निष्फल सिद्ध होगा। आज स्वतंत्रता के ३६ वर्षों के उपरान्त भी प्रभावशाली शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन नहीं हुआ जिससे सामाजिक एवं राष्ट्रीय चेतना का विकास भी नगण्य सा हुआ है।

मुदालियर कमिशन (१९५३) कोठारी कमिशन (१९६४-६६) ने सविधान के प्रावधान के अनुरूप सजनात्मक सुझाव सरकार को प्रस्तुत किए, परंतु उनकी क्रियावृत्ति नहीं हो पायी और शिक्षा द्वारा देश की प्रगति की ओर बढ़ने की गति भी धीमी रही है जिसके फलस्वरूप विभिन्न राष्ट्रीय व सामाजिक समस्याओं से पूरे राष्ट्र को झूझना पड़ रहा है। यदि शालाओं का संगठन व प्रबन्ध देश के नये मूल्यों व आशाओं के अनुरूप, सविधान के सूत्रों से भली भाँति परिचित बने रहें तो शिक्षा-क्षेत्र में आंदोलन आ सकता है प्रतिफल सुयोग्य एवं शिक्षित नागरिक प्राप्त होंगे। भारत का आधार प्रजातंत्र है-ता प्रजातंत्र की सफलता प्रभावशाली ढंग से सविधान की क्रियावृत्ति पर निर्भर करती है, जो सामाजिक व राष्ट्रीय प्रवृत्तियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। शिक्षा के क्षेत्र में ता सविधान के सिद्धान्तों का विशिष्ट स्थान है, क्योंकि सविधान ही शिक्षा प्रणाली का जन्मदाता है और उपयुक्त शिक्षा प्रणाली सविधान व उसकी आशाओं को सबल करती है। इस महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व का निर्वाह करना बहुत कुछ हमारे राष्ट्र निर्माता शिक्षक पर निर्भर करेगा जिसने निरन्तर भावी पीढ़ी के साथ क्रियाशील रहने की भाषा की जाती है।

## मूल्यांकन (Evaluation)

### [अ] लघूत्तरात्मक प्रश्न -

- १ समुदाय के कमजोर वर्गों के लिए भारतीय संविधान में शिक्षा सम्बन्धी प्रावधान लिखिये ? [राज० १९८५]
- २ प्राथमिक शिक्षा के सावजनोक्तरण के सन्दर्भ में औपचारिक शिक्षा की तुलना में अनौपचारिक शिक्षा पद्धति की श्रेष्ठता सिद्ध करने के उद्देश्य से पाच तक प्रस्तुत कीजिये ? [राज० पत्राचार १९८४]
- ३ शिक्षा को राज्य सूची की वजाय समवर्ती सूची में रने जान के लिए अपने तर्क दीजिए ?
- ४ अल्प सङ्ख्यकों के बारे में संविधान में क्या प्रावधान रक्या है ?
- ५ "संविधान में शिक्षा सम्बन्धी प्रावधान सघीय शासन प्रणाली की दृष्टि से ठीक है ।" स्पष्ट करें ?
- ६ भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के बारे में क्या प्रावधान रक्या है ?

### (ब) निबन्धनात्मक प्रश्न -

- १ शिक्षा के लिए भारतीय संविधान में क्या प्रावधान है ? समुदाय के कमजोर-वर्गों की शिक्षा की प्रगति के लिए क्या सावधानियाँ हैं ? [राज० १९८४]
- २ हम जनतांत्रिक समाजवाद के प्रति समर्पित होने तथा शिक्षा सुविधाओं के व्यापक फलाव के उपरांत भी अमीरों व गरीबों की शिक्षा में भारी अंतर देखते हैं । विवेचन कीजिए । [राज० पत्राचार १९८४]
- ३ "अनिवार्य शिक्षा के प्रसार की समस्या अब मुह्यतया पिछड़े वर्गों की शिक्षा की समस्या है ।" इस कथन की विवेचना कीजिए । इन वर्गों में शिक्षा प्रसार के लिए उपाय सुझाइये । [राज० १९८३]
- ४ वर्तमान संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत केंद्रीय व राज्य सरकारों ने विविध स्तरों पर शैक्षिक अवसरों की समानता लाने के लिये अब तक क्या बंदम उठाये हैं ? उन बंदमों की ओर संकेत कीजिये जो समुदाय के कमजोर वर्गों के लाभ के लिये विशेष रूप से उठाये गये हैं ।
- ५ क्या आप शिक्षा के वेंद्रीयकरण के पक्ष में हैं या विकेंद्रीयकरण के ? विवेचन करे ।

(National & Emotional Integration)

( रूपरेखा-प्रस्तावना राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता राष्ट्रीय एकता के विघटनकारी कारक एकता बनाये रखने के कारक राष्ट्रीय एव भावात्मक एकता की आवश्यकता राष्ट्रीय एकता का सम्प्रत्य भावात्मक एकता का सम्प्रत्य शिक्षा व राष्ट्रीय एकता अध्यापक का उत्तरदायित्व अभिभावकों का उत्तरदायित्व विभिन्न समितियों की सिफारिशों विशेष सुझाव छात्रों में राष्ट्रीय व भावात्मक एकता के विकास हेतु अध्यापक की भूमिका उपसंहार मूल्यांकन )

### प्रस्तावना

राष्ट्रीय एव भावात्मक एकता का शिक्षा में गहरा सम्बन्ध है—इसके विकास की दिशा में शिक्षा का सर्वोत्तम योग होता है। चाहे कितना ही भ्रष्टा पाठ्यक्रम हो, चाहे कितनी ही अधिक सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जाय परन्तु यदि अध्यापक इस ओर उदासीन रहता है तो सारा प्रयास व्यर्थ हो जायेगा। अतः अध्यापक को विद्यार्थियों के समक्ष किसी भी तथ्य को बगैर किसी पूर्वाग्रह के छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहिए ताकि छात्र स्वयं के विवेक व ब्रह्मानुभूति से अपनी राय स्थापित करने का सफल प्रयास कर सके। अध्यापक के आचरण और शिक्षण व्यवस्था का छात्रों पर परोक्ष व अपरोक्ष रूप से गहरा प्रभाव पड़ता है। अतः उन्हें सकीर्ण बनोवति की भावना से दूर रखकर ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे इस दिशा में सुधार हो सके सम्पूर्ण देश के प्रति अग्रगण्य की भावना का विकास विद्यार्थियों में होना आवश्यक है, जो केवल अध्यापक द्वारा ही सम्भव है। उनमें एसी भावना बरी जावे कि वे समूचे देश को ही अपनी धाती या निधि समझें। देश के किसी भी एक भाग या प्रांत पर आई हुई कठिनाई या विपत्ति को वे अपनी बर्तनाई या विपत्ति अनुभव करें। रवीन्द्रनाथ टैगोर ने ठीक ही विचार रखे हैं—

“सबसे प्रथम देश के व्यक्तियों में मातृभूमि के लिये भक्ति की भावना उत्पन्न करना चाहिये। शेष बाय तो इसके उपरांत भी किये जा सकते हैं।’ अथर्ववेद में—“अह्यस्मि सहमान उत्तरोनाम् भूम्याम्। अभीषा इस्मि विश्वापाद शायशा विषमहि।”<sup>१</sup> अर्थात् मैं अपनी मातृभूमि के लिए और उसके दुख को दूर करने के लिए सब प्रकार के बप्ट सहने को तैयार हूँ। वे बप्ट चाहे जिस और से और चाहे जिस समय में आयें, चिंता नहीं।

गत दो दशकों में चीन व पाकिस्तान के द्वारा भारत पर आक्रमण हुए, उस वक्त सारे देशवासी भावात्मक एव राष्ट्रीय रूप में एक हो गये चाहे वे किसी भी जाति, धर्म, सम्प्रदाय व प्रांत में क्यों न थे। केवल इतने मात्र से ही हमारा कार्य समाप्त नहीं हो जाता, क्योंकि जहाँ चीन और पाकिस्तान के आक्रमणों के समय की बात हम करते हैं वह हम हाल ही में प्रांतों, भाषा आदि विषयक विघटनकारी शक्तियों के प्रियाशीलता की बात की अपेक्षा भी नहीं कर सकते। वर्तमान में भी असम, पंजाब का उग्रवादी आन्दोलन, महा राष्ट्र के साम्प्रदायिक दंगा एव गुजरात का आरक्षण आन्दोलन भावात्मक एकता के लिए गम्भीर चुनौति राष्ट्र के सामने है। जगह जगह तोड़-फोड़, राष्ट्रीय सम्पत्ति की क्षति, बम्ब विस्फोटक प्रवृत्तियाँ, एक धर्म व जाति के लोग दूसरे धर्म व जाति के निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारना, विदेशी राष्ट्रों के लिए जासूसी करना आदि भावात्मक एकता के लिये राष्ट्रीय चिंता का गम्भीर मामला है। डा० सम्पूर्णानन्द के विचार भी हैं कि “देश में एकता और यह एकीकृत रहेगा भी चाहे इसके निवासियों में कितनी ही विभिन्नताये क्यों न पाई जाये।’ यद्यपि भारतीय सस्कृति की प्रमुख विशेषता ‘विभिन्नताओं में एकता’, सविधान में समानता, स्वतंत्रता, आतृत्व की भावना धर्म निरपेक्षता, मूलमूल आधार है फिर भी देश राष्ट्रीय एकता एव भावात्मक समस्याओं से ग्रहित है। अतः शिक्षा सस्थाओं में शिक्षकों का पुनीत कर्तव्य है कि वे देश की स्वतंत्रता की रक्षा के लिये राष्ट्रीय एव भावात्मक एकता की बात को अपनी दृष्टि से ओझल न होने दें। “हमारा इतिहास प्रमाण है कि अपनी बुरी शिक्षा पद्धति से किसी राष्ट्र का कितना भला और बुरा हुआ है। गलत शिक्षा पद्धति का दुस्परिणाम ही आज हम लोग भोग रहे हैं।”<sup>२</sup> अतः देश की विकट परिस्थिति को दृष्टि में रखते हुए शिक्षण

१ अथर्ववेद १२ १ ५४

२ रामेश्वरदलाल दुवे भावात्मक एकता के लिए शिक्षा—साहित्य परिचय शिक्षा और राष्ट्रीय एकता विशेषांक पृ १७७।

संस्थाओं में अध्ययनरत भावी नागरिकों में अध्ययन-अध्यापन के माध्यम से राष्ट्रीय तथा भावात्मक एकता के संस्कार डाले जायें, जिसकी अत्यंत आवश्यकता अनुभव होने लगी है ताकि राष्ट्रीय सामाजिक, आर्थिक उन्नति, सस्कृति का विकास करते हुए एकता स्थापित की जा सके। "यह तभी सम्भव है जब शिक्षक और शिक्षा वस्तु दोनों का उद्देश्य एक ही हो—देश की भावात्मक और राष्ट्रीय एकता की प्राप्ति।"<sup>३</sup>

**राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता की आवश्यकता — ( Need of National & Emotional Integration )** भारत एक विशाल देश है। यहाँ विभिन्न जातियाँ, भाषा, बोनिया सम्प्रदाय व धर्म के लोग निवास करते हैं। भारत का केन्द्र बिन्दु 'धर्म' है। धर्म और सम्प्रदाय को आधार बनाकर यहाँ कहीं भी और कभी भी अशांति पैदा की जाकर देश की एकता को खतरा पैदा किया जा सकता है। देश को विदेशी ताकतों से जितना खतरा हो सकता है उतना ही आन्तरिक शक्तियाँ देश को विघटित करने में कमी नहीं रखते, जिम्मे लिये हमें अत्यधिक सचेत रहने की आवश्यकता है अतः राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता हेतु लोगों को विस्तृत व वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास बाँधिन है।

इसी प्रसंग में प० नेहरू ने कहा—'हमें सीमित स्वीकार्य प्रांतीय, साम्प्रदायिक एवं जातिगत भावना मन में नहीं रखनी है क्योंकि हमें बहुत बड़े उद्देश्य को प्राप्त करना है। हमें भारतीय गणतंत्र के नागरिक होने के नाते खड़े होना है, आकाश को घागे पीछे देखना है, हमें अपने कदमों को धरती पर मजबूती से जमाना है एवं एकता को भारतीय जनता में उत्पन्न करना है। राजनतिक एकता तो किसी सीमा तक प्राप्त हो चुकी है, परंतु मैं जिस तथ्य के पीछे हूँ, वह इससे कुछ अधिक गहरा है अर्थात् वहाँ हैं देश के लोगों का भावात्मक रूप से एक होना।'<sup>४</sup>

हम देश के सभी वर्गों में एकता व भावात्मक सहसम्बन्ध स्थापित करने के पीछे उद्देश्य है — (i) भारत को एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभरना। (ii) संविधान, राष्ट्रीय झण्डे व राष्ट्रीय प्रतीक के प्रति प्रेम पैदा करना। (iii) देश में शांति प्रेम, बंधुत्व व सहयोग की भावना का विकास। (iv) प्रजातन्त्रात्मक जीवन दर्शन और प्रशासन प्रवृत्तियों के विकास हेतु। (v) विज्ञान व तकनीकी प्रगति हेतु सभी भारतीय एक जुट होकर

३ प्रभाकरसिंह भावात्मक और राष्ट्रीयता के लिए शिक्षा वही पृ ८१।

४ जवाहर लाल नेहरू भाषण भाग ३ पृ ३५।



विकास में सभागी बन सके। (vi) राष्ट्रीय भाषा, साहित्य, संस्कृति व परम्पराओं का विकास। (vii) सत्यता को मान्य न मानने देना। (viii) आन्तरिक व बाहरी शक्तियाँ जो देश का विघटन चाहती हैं उनसे रक्षा करना। (ix) विश्व वस्तु की भावना पैदाकर विश्व-समाज में योगदान देना। (x) धर्म, सम्प्रदाय के आधार पर होने वाले द्वन्द्व को समाप्त करना।

**राष्ट्रीय एकता के विघटनकारी कारक (Disintegrating Factors of National Integration)** राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता के माँग में अनेक बाधाएँ हैं। कुछ तत्त्व समय-समय पर हिंसा भड़काते हैं, राष्ट्रीय सम्पत्ति और राष्ट्रीय हित को नुकसान पहुँचाने में कोई संकोच नहीं करते, जिससे राष्ट्रीय एकता को निरन्तर गम्भीर खतरा उत्पन्न हो जाता है तथा राष्ट्रीय प्रगति प्रवृद्ध हो जाती है। प्रमुख विघटनकारी कारक निम्नलिखित हैं -

(१) साम्प्रदायिकता—सदियों से एक साथ रहने वाले विभिन्न धर्मों के लोग प्रायः एक दूसरे के त्यौहारों व उत्सवों में भाग लेते हैं परन्तु कभी-कभी कुछ संकीर्ण व चतुर लोग अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न कर भगड़े करा देते हैं। अरिणां होता है हिंसा, आगजनी और वपयु आदि। राजनीतिक लाभ के दृष्टिकोण से ही प्रायः ये भगड़े होते हैं। १९४७ में हमारे देश का विभाजन भी साम्प्रदायिक आधार पर हुआ और जिसके पीछे अंग्रेजों की कुटनीति का सफल प्रयास था।

(२) जातिवाद—जातिवाद आजकल हर जगह दृष्टिगोचर होता है, चाहे विद्यालय हो, कार्यालय अथवा राजनीतिक, रंगमंच। वोट की राजनीति में जाति प्रमुख आधार भारतीय राजनीति में रही है। प्रवेश, नौकरी, पदोन्नति एवं राजनीतिक अधिकार सभी में जातीय पक्षपात होता है इससे लोगों में घृणा और मनमुटाव के भाव जन्म लेते हैं। अनुसूचित जातियाँ, जनजातियाँ तथा आदिवासियों के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसरों में अंतराक्षय से उन्हें लाभ हुआ है परन्तु अन्य वर्गों में इनके विरुद्ध प्रतिक्रिया से हुई है जिसका ज्वलंत उदाहरण—“आरक्षण आन्दोलन”। अहमदाबाद व गुजरात के दंगे हैं। व्यक्तियों को जातिवाद से ऊपर उठाकर कर्तव्य परायण बनाने पर ध्यान दिया जाना चाहिये।

(३) प्रांतीयता—भारत में अधिकांश लोग अपने को बंगाली, गुजराती, राजस्थानी आदि मानते हैं, भारतीय नहीं जबकि संविधान में एक ही नागरिकता की व्यवस्था है। प्रत्येक अपने प्रदेश को सुविधाएँ अधिक देना चाहते हैं। चाहे शिक्षण संस्थानों का या उद्योग-धंधों की स्थापना का प्रश्न

हो। अन्य प्रांत के लोगों को प्रवेश व सेवा हेतु प्रतिबंधित कर रखा है। यह राष्ट्रीय एकता के लिए बड़ा ही घातक है। आज प्रांतीय स्वायत्तता की मांग होने लगी है अतः केन्द्र राज्य सम्बन्धों को पुनः परिमार्जित करने के लिए आयोग गठित किया गया है।

(४) क्षेत्रीयता—क्षेत्रीयता की भावना एक अत्यंत बड़ी समस्या है। क्षेत्रीयता की भावना के पीछे भाषा का प्रयोग और क्षेत्र के प्रदेश का आर्थिक विकास है। यह कभी प्रदेश की सीमा निर्धारण, कभी स्वतंत्र राज्य की मांग, कभी जल विवाद, कभी उत्तर-दक्षिण विवाद के रूप में सामने आते हैं। बंगाल, विहार, मसूर, महाराष्ट्र, प्रथम मेघालय, पंजाब हरियाणा विभाजन और वर्तमान में अवाली आन्दोलन, चण्डीगढ़ विवाद इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।

(५) भाषावाद—संविधान की धारा ३४३ में हिन्दी को राष्ट्र-भाषा तथा देवनागरी लिपि को लिपि के रूप में मान्यता दी गई परन्तु दक्षिण भारत में अब तक भी हिन्दी का विरोध प्रयुक्त रूप में विद्यमान है। हमारे राष्ट्र की कोई भारतीय भाषा राष्ट्र भाषा नहीं तथा भाषा के आधार पर प्रांतों का पुनर्गठित हो तथा वे पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त हो, राष्ट्रीय एकता के दृष्टिकोण से सर्वथा अनुचित है। रेमजेम्योर का कथन है कि “किसी राष्ट्र को बनाने में जाति की अपेक्षा भाषा का अधिक प्रभाव होता है। सब साधारण के लिए एक भाषा का होना एकता का प्रबल तत्व है, किन्तु विभिन्न भाषाएँ हुईं तो विभाजन की स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।” अतः हिन्दी सम्बन्ध भाषा हानी चाहिए।

(६) आर्थिक स्थिति एवं युवकों का निराशपूर्ण दृष्टिकोण—दशवासियों की आर्थिक दशा भी राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करती है। अधिकांश विद्यार्थी अध्ययन समाप्त करने के उपरांत नौकरी चाहते हैं और कोई रोजगार सुलभ नहीं होने की स्थिति में निराश होकर अनुशासनहीनता की ओर झरसर होत हैं। ऐसे निराश युवक समाज विरोधी एवं राष्ट्र विरोधी तत्वों के चंगुल में सरलता से आ जाते हैं। कुछ प्रतिभाएँ विदेशों को पलायन करती जा रही हैं। अतः देश की आवश्यकताओं और प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या में संतुलन स्थापित किया जावे, सभी को उनकी योग्यता व क्षमता के अनुसार उपयुक्त कार्य के सुप्रवसर प्रदान करने से युवकों का व्यक्तित्व संतुलित रहेगा और राष्ट्रीय एकता सुदृढ़ हो सकेगी।

(७) दोपपूर्ण शिक्षा प्रणाली—हमारी मौलिक आवश्यकताओं में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् परिवर्तन हुआ है अतः शिक्षा नीति में भी उही के अनुरूप परिवर्तन होना चाहिए था, परन्तु हमारा शिक्षक-वर्ग जसा स्वतंत्रता से पूर्व था, लगभग वसा ही आज है। हमारी शिक्षा पद्धति हमारे व्यक्तित्व का पूरा विकास नहीं करती, योग्य नागरिक एवं राष्ट्रीय एकता के भाव उत्पन्न नहीं करती, परिणामतः राष्ट्रीय समृद्धि, एकता और उपयोगी नागरिक उत्पन्न नहीं हो रहे हैं।

(८) आदर्श विहीनता—आज राष्ट्र के युवकों के सम्मुख कोई आदर्श नहीं है। वे हर क्षेत्र में व्यक्तिगत लाभ को प्रमुखता व राष्ट्रीय हित की उपेक्षा करते देखते हैं। आदर्श के नाम पर उनके समस्त राजनेता या अभिनेता हैं जिनकी करनी व कपनी में अंतर है, तथा जो सामाजिक दलाने में सर्वथा अक्षम हैं। कांग्रेस समाज सेवा अपना ध्येय मानती थी। ऐसे वग को गांधीजी ने स्वयं सक्क नाम रक्का। समूचे राष्ट्र को एक सूत्र में बाधन और इसके अच्छी दशा में दखन व आदर्श की आवश्यकता है।

(९) विदेश भक्ति एवं विदेशी घन—कुछ निहित स्वार्थी व्यक्ति, संस्थाएँ एवं देश भारत की समृद्धि नहीं चाहते हैं। अतः वे अनुचित तरीकों से विदेशी घन भारत में लाकर कुछ समाज विरोधी एवं राष्ट्र विरोधी तत्वों के माध्यम से देश में उथल-पुथल कराने का सफल प्रयास करते हैं। यह घन घन परिवर्तन, साम्प्रदायिक भगडो, जासूसी कार्यों आदि में काम लिया जाता है। वर्तमान में जासूसी काण्ड का जा भण्डा फोड़ हुआ है वह हमारी आँखें खोल देने वाला है।

(१०) भारतीय सस्कृति के प्रति प्रेम का अभाव—हम अपनी सस्कृति से कोई लगाव नहीं है बल्कि शासन में नियुक्ति उच्च पदों व सरकारी नौकरियों में कहीं भी सस्कृति से प्रेम की कोई आवश्यकता नहीं, न ही सस्कृति का ज्ञान हमारे लिए कहीं अनिवाय है। हम सारी नतिवृत्ता, मानवता एवं शिष्टाचारों को तिलाञ्जलि देकर भौतिकता के पीछे भाग रहे हैं जो राष्ट्रीय एकता में बाधक सिद्ध हो रही है।

(१०) राजनतिक स्वाथपरता—देश में अनेक राजनतिक दल हैं। उनमें कुर्सी के लिए झूठ रहता है न की राष्ट्रीय सेवा। पद प्राप्ति के लिए दल बदलते हैं, यद्यपि ( प्रब दलबदल पर पाबन्धि है ) जिससे जनता जनादन का राजनेताओं से विश्वास उठता जा रहा है और निरन्तर असतोषी बनते जा रहे हैं जो देश के अहित में है।

## एकता बनाये रखने के कारक (Unifying Factors)--

सब विदित है भारत विभिन्नताओं को लिए हुए राष्ट्र है परंतु सामान्यतः 'भारतीयता' को महसूस करते हैं। भारतीय सभ्यता को विश्वकवि टेगोर ने स्पष्ट किया—“ भारतीय सभ्यता पूर्ण विकसित कमल है जिसकी प्रत्येक पखुड़ी में विविध गंध प्रवाहित होती है, यदि एक पखुड़ी नष्ट कर दी जाती है या अविकसित रह जाती है तो पुष्प का समग्र सौंदर्य पूर्णतः, प्रकाशित नहीं हो पाता।”

यद्यपि एकता में बाधा डालने वाले तत्व प्रचुर मात्रा में हैं फिर भी कुछ ऐसे तत्व हैं जो हमें भारत को एकता में बांधकर एक राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करता है। डा० एल डी शुक्ला ने कुछ ऐसे तत्वों का वर्णन किया है, जो निम्न हैं—

- १ गौरवमय इतिहास, सभ्यता और उमरती हुई 'मूल्य-व्यवस्था'।
- २ देश का द्रुत गति से आर्थिक विकास।
- ३ देश का उद्योगिक विकास।
- ४ शिक्षा तथा बोध का विकास।
- ५ विज्ञान व तकनीक का प्रभाव।
- ६ नागरिकों में बढ़ती हुई परिवर्तनशीलता (Mobility)
- ७ सामाजिक व क्षेत्रीयता में असमानता को समाप्त करने के प्रयास।
- ८ योजना व विकासदृष्टि अखिल भारतीय स्तर पर उपागम।

**राष्ट्रीय एकता (National Integration)**— सभी प्रकार के लोगों को ऐसे ढंग से एकीकृत कर के यह विचार हृदयगम करवाया जाय कि वे एक ही राष्ट्र के अपने आपको समझे। “जब किसी भी राष्ट्र के निवासी भावात्मक रूप से एक हो जाते हैं तब उनमें राष्ट्रीय प्रगति के लिए सङ्कुचित हितों एवं निजी स्वार्थों को त्यागने की वृत्ति का विकास होता है। राष्ट्र की समस्त भूमि से प्रेम होता है। अर्थात् समूचे राष्ट्र के हितों का ध्यान में रखना ही राष्ट्रीय एकता है।”<sup>१</sup> दूसरे शब्दों में राष्ट्रीय एकता एक ऐसा विचार है जो यह इंगित करता है कि एक राष्ट्र अथवा देश के रहने वाले परस्पर सद्भावना रखते हैं चाहे वे भिन्न भिन्न जाति, धर्म, प्रान्त, सम्प्रदाय

<sup>१</sup> Education Commission, Education & National Development  
Delhi 1966

(७) दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली—हमारी मौलिक आवश्यकताओं में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् परिवर्तन हुआ है अतः शिक्षा नीति में भी उही के अनुरूप परिवर्तन होना चाहिए था, परंतु हमारा शिक्षक-ढांचा जसा स्वतंत्रता से पूर्व था, लगभग वसा ही आज है। हमारी शिक्षा पद्धति हमारे व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं करती, योग्य नागरिक एवं राष्ट्रीय एकता का भाव उत्पन्न नहीं करती, परिणामतः राष्ट्रीय समृद्धि, एकता और उपयोगी नागरिक उत्पन्न नहीं हो रहे हैं।

(८) आदर्श विहीनता—आज राष्ट्र के युवकों के सम्मुख कोई आदर्श नहीं है। वे हर क्षेत्र में व्यक्तिगत लाभ को प्रमुखता व राष्ट्रीय हित की उपेक्षा करते देखते हैं। आदर्श के नाम पर उनके समक्ष राजनेता या अभिनेता हैं जिनकी करनी व कपनी में अंतर है, तथा जो समाज दिखाने में सबका प्रथम है। कांग्रेस समाज सेवा अपना ध्येय मानती थी। ऐसे बग को गांधीजी ने स्वयंसेवक नाम रक्खा। समूचे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने और इसके अर्च्छी दशा में देखने का आदर्श की आवश्यकता है।

(९) विदेश भक्ति एवं विदेशी घन—कुछ निहित स्वार्थी व्यक्ति, मर्यादा एवं देश भारत की समृद्धि नहीं चाहते हैं। अतः वे अनुचित तरीकों से विदेशी घन भारत में लाकर कुछ समाज विरोधी एवं राष्ट्र विरोधी तत्वों के माध्यम से देश में उथल-पुथल कराने का सफल प्रयास करते हैं। यह घन घम परिवर्तन, साम्प्रदायिक भगड़ो, जासूसी कार्यों आदि में काम लिया जाता है। वर्तमान में जासूसी काण्ड का जा भण्डा फोड़ हुआ है वह हमारी आँखें खोल देने वाला है।

(१०) भारतीय सृष्टि के प्रति प्रेम का अभाव—हम अपनी सृष्टि से कोई लगाव नहीं है क्योंकि शासन में नियुक्ति उच्च पदों व सरकारी नौकरियों में कहीं भी सृष्टि से प्रेम की कोई आवश्यकता नहीं, न ही सृष्टि का ज्ञान हमारे लिए कहीं अनिवाय है। हम सारी नतिकता, मानवता एवं शिष्टाचारों को तिलाञ्जलि देकर भौतिकता के पीछे भाग रहे हैं जो राष्ट्रीय एकता में बाधक सिद्ध हो रही है।

(१०) राजनैतिक स्वाथपरता—देश में अनेक राजनैतिक दल हैं। उनमें कुर्सी के लिए दूढ़ रहता है न की राष्ट्रीय सेवा। पद प्राप्ति के लिए दल बदलते हैं, यद्यपि (अथ दलबदल पर पाबन्ध है) जिससे जनता जनार्दन का राजनेताओं से विश्वास उठता जा रहा है और निरन्तर असतोषी बनते जा रहे हैं जो देश के अहित में है।

## एकता बनाये रखने के कारक (Unifying Factors)—

सब विदित है भारत विभिन्नताओं को लिए हुए राष्ट्र है परंतु सामान्यतः 'भारतीयता' को महसूस करते हैं। भारतीय सभ्यता को विश्वकवि टैगोर ने स्पष्ट किया—“ भारतीय सभ्यता पूर्ण विकसित कमल है जिसकी प्रत्येक पल्लु में विविध गंध प्रवाहित होती है, यदि एक पल्लु नष्ट कर दी जाती है या अशुद्ध रह जाती है तो पुष्प का समग्र सौंदर्य पूर्णतः प्रकाशित नहीं हो पाता।”

यद्यपि एकता में बाधा डालने वाले तत्व प्रचुर मात्रा में हैं फिर भी कुछ ऐसे तत्व हैं जो हमें भारत को एकता में बांधकर एक राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं। डा० एल टी शुक्ला ने कुछ ऐसे तत्वों का वर्णन किया है, जो निम्न हैं—

- १ गौरवमय इतिहास, सभ्यता और उभरती हुई 'मूल्य व्यवस्था'।
- २ देश का द्रुत गति से आर्थिक विकास।
- ३ देश का उद्योगिक विकास।
- ४ शिक्षा तथा बोध का विकास।
- ५ विज्ञान व तकनीक का प्रभाव।
- ६ नागरिकों में बढ़ती हुई परिवर्तनशीलता (Mobility)
- ७ सामाजिक व क्षेत्रीयता में असमानता को समाप्त करने के प्रयास।
- ८ योजना व विकासोद्दिष्टि-मूलित भारतीय स्तर पर उपागम।

### राष्ट्रीय एकता (National Integration)—

सभी प्रकार के लोगों को ऐसे ढंग से एकीकृत करके यह विचार हृदयगम करवाया जाय कि वे एक ही राष्ट्र के अपने भागों के समझे। “जब किसी भी राष्ट्र के निवासी भावात्मक रूप से एक हो जाते हैं तब उनमें राष्ट्रीय प्रगति के लिए सकुचित हितों एवं निजी स्वार्थों को त्यागने की वृत्ति का विकास होता है। राष्ट्र की समस्त भूमि स प्रेम होता है। अर्थात् समूचे राष्ट्र के हितों का ध्यान में रखना ही राष्ट्रीय एकता है।”<sup>१</sup> दूसरे शब्दों में राष्ट्रीय एकता एक ऐसा विचार है जो यह इंगित करता है कि एक राष्ट्र अथवा देश के रहने वाले परस्पर सद्भावना रखते हैं चाहे वे भिन्न भिन्न जाति, धर्म, प्रान्त, सम्प्रदाय

१ Education Commission, Education & National Development  
Delhi 1966

य लिंग को क्यों न हो । ये सभी मिल जुल कर देश की उन्नति, सुरक्षा एवं कल्याण के लिए सन्निय रहते हैं । उनमें देश प्रेम का स्तर ऊँचा होता है उनमें एकीकरण होता है । ब्रुबेकर (Brubacher) के अनुसार—“राष्ट्रवाद” एक ऐसा शब्द है जो पुनरुत्थान काल और विशेषतः फ्रांसीसी क्रांति के बाद प्रयोग में आने लगा है । यह सामान्यतः देशभक्ति की अपेक्षा निष्ठा के एक व्यापक क्षेत्र की ओर संकेत करता है । राष्ट्रवाद स्थानगत सम्बन्धों के प्रति रिक्त प्रजाति, भाषा, इतिहास, संस्कृति और परम्परा जैसे सम्बन्धों के द्वारा प्रदर्शित होता है ।<sup>२</sup> सगठित होने का आशय बढोतरता से नहीं बल्कि राष्ट्रीय हित में विश्वास में सगठित होने से है । गह अस्तित्व, सहनशीलता, सहयोग व एकीकरण आदि राष्ट्रीय एकता के मूलभूत आधार हैं । भावात्मक एकता राष्ट्रीय एकता के लिए आवश्यक है ही । अन्तर्गतता जिसका उद्देश्य—

१ एकता को कायम करना, २ राष्ट्र की सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति में सहायक होना, ३ विभिन्न वर्गों की संस्कृति का विकास करते हुए राष्ट्रीय जीवन को समृद्ध बनाना, ४ विभिन्न वर्गों की छिन्न भिन्न होने की वृत्ति को रोकना ।<sup>३</sup>

**राष्ट्रीय व भावात्मक एकता का सप्रत्यय—(Concept of National & Emotional Integregation)**—भावात्मक एकता का तात्पर्य है कि दिल और दिमाग को इस ढंग से प्रशिक्षित किया जाय जिसके फलस्वरूप सारे देशवासी बिना लिंग जाति व सम्प्रदाय सभी एक समझने हेतु उत्प्रेरित किए जाय । जब भी राष्ट्रीय हित के प्रकरण को उठाया जाय उस वक्त अपने व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनतिक व आर्थिक साम्प्रदायिक मत भेद को मुलाकर राष्ट्रीय हित की सम्पूर्ति हेतु सचय समर्पित की भावना बन सके । अर्थात् “सभी समूहों में समस्त मतभेद मुलाकर, जाति, धर्म भाषायी समुदायों एक” सघन समूहों में एकता का निर्माण करती है ।<sup>४</sup>

इस प्रसंग में प० नेहरू जी ने अपने भाषण में कहा—“हमें सकुचित दृष्टिकोण प्रांतीयता, साम्प्रदायिकता तथा जातीयता आदि सकुचित दृष्टिकोण को त्यागना होगा क्योंकि हम महान् उद्देश्य को प्राप्त करना है । हम सीधे लड़ा हाना है, पीछे स सीधे रहना है तथा आकाश की आर देखना है परों को मजबूती से जमीन पर जमाने हैं Bring about this Synthesis, यह

२ J S Brubacher A History of the problem of Edu P/52

३ भटनागर सुरेश आधुनिक भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ पृ ५५५

४ सुरेश भटनागर आधुनिक भारतीय शिक्षा और उनकी समस्याएँ पृ ५५५

भारतीय जनता का एकीकरण है।" आगे नेहरू जी ने कहा—“भावात्मक एकता से मेरा तात्पर्य अपने मस्तिष्क और हृदय के सम्बन्ध से है इसमें अलग-अलग की प्रवृत्ति का दमन सम्मिलित है।”

राष्ट्रीय एकता की समस्या राजनैतिक या आर्थिक प्रकृति से अपेक्षा कृत मनोवैज्ञानिक अधिक है। यह जनता के दृष्टिकोण व (attitudes) पर निर्भर करता है। इसलिए राष्ट्रीय एकता का आधार भावात्मक एकता ही है।

राष्ट्रीय एकता का उद्देश्य मोटे तौर पर दो है— १. प्रतिस्पर्धा एक दूसरे को नीचा दिखाकर प्रभुत्व को प्राप्त करने की प्रवृत्ति राष्ट्रीय एकता को समाप्त करती है। २. मवेगात्मक, विचार तथा भावनाओं में एकरूपता लाते हुए राष्ट्रीयता की भावनाओं का विकास किया जा सकता है।

हमारे मविद्यालय में प्रजातान्त्रिक, धर्मनिरपेक्षता, याय, स्वतंत्रता, समानता आतंत्र्य की भावनाओं का प्रावधान रक्खा है उन्हीं राष्ट्रीय एकता से मूर्तरूप सहज ही मिलेगा।

**राष्ट्रीय एकता व भावात्मक एकता में सह सम्बन्ध —**

(Inter relationship of National Integration & Emotional Integration)—राष्ट्रीय स्तर पर विविधता में एकता का प्रश्न ही राष्ट्रीय एकता का मानदण्ड है तथा भावात्मक एकता इसे प्राप्त करने का साधन है। प्रत्येक नागरिक स्वयं को राष्ट्र का अभिन्न अंग एवं महत्वपूर्ण इकाई समझे, इसके लिए आवश्यक है कि व्यक्तियों के सवेग पूर्णतया नियंत्रित, प्रशिक्षित एवं समन्वित किये जावे।

भावात्मक एकता द्वारा ही हमारी बहुमूल्य विविधता सुरक्षित रह सकती है। डा० राधाकृष्णन् के अनुसार—“राष्ट्रीय एकता ईट गारे तथा छेनी हथौड़े से नहीं निर्मित की जा सकती, इसे शांतिपूर्वक व्यक्तियों के हृदय और मस्तिष्क में विकसित करना होगा। तथा शिक्षण प्रक्रिया से उपलब्धि हो सकेगा।”

१. देरासरी एस टी समापति भाषण-राजस्थान विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय अध्यक्ष परिषद अलग्ग १९६७

'National integration cannot be built by brick & mortar or with chisel and hammer It has to grow silently in the minds & hearts of men and the process by which it could be achieved was by Education

२. हुमायु कवीर स्वतन्त्र भारत में शिक्षा पृ २४९



हमारे सविधान के अमानुर धम निरपेक्षता व सभी भारतीयों को अवसरों की समानता प्रदान कर अात्म विकास के साधन उपलब्ध कराना राष्ट्रीय दायित्व है । यह तभी सम्भव हो सकता है, जब देशवासी परस्पर प्रेम और सहिष्णुता से रहकर राष्ट्र निर्माण के कार्यों में लग जाय । अतः राष्ट्रीय एकता भावात्मक एकता पर आधारित है ।

**राष्ट्रीय एकता के लिए किये गये प्रयास (Efforts made for National & Emotional Integration)** -स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता की आवश्यकता अनुभव करके अनेक प्रयास राष्ट्रीय स्तर पर किये गये हैं जिसमें महत्वपूर्ण प्रयास निम्न लिखित हैं -

### १ राष्ट्रीय एकता समिति १९५८ (National Integration Committee)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित राष्ट्रीय एकता समिति के महत्वपूर्ण मुद्दाव -

- १ भारतीय इतिहास में से साम्प्रदायिकता की भावना विकसित करने वाले अंशों को हटा दिया जाए ।
- २ शिक्षण संस्थाओं में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं धार्मिक, सामाजिक उत्सव मनाये जायें ।
- ३ धर्म व जाति के आधार पर छात्रवृत्तियाँ न दी जायें ।
- ४ साम्प्रदायिक आधार पर छात्रावास न बनाये जायें ।

### २ उपकुलपति सम्मेलन-१९६१ (Vice chancellor Conference)

इस सम्मेलन में निम्नलिखित विचार प्रस्तुत किये गये -

- १ राष्ट्रीय दृष्टिकोण पदा करने हेतु विश्वविद्यालय अपने यहां देश के विभिन्न भागों के विद्यार्थियों के लिए कुछ प्रतिशत स्थान सुरक्षित कर, छात्रावास सुविधा उपलब्ध कराये ।
- २ सामाजिक विषयों की पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से छात्रों में प्रेम की भावना का विकास करे ।
- ३ छात्र-संघों को समाप्त कर दिया जाय ।
- ४ केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोले जाय जिसमें नियुक्तियाँ योग्यता के आधार पर हों । शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी या हिन्दी हो ।
- ५ छात्रों में धार्मिक सहिष्णुता का गुण विकसित किया जाय ।

(५) भारतीय शिक्षा आयोग—  
(Kothari Commission 1964-66)

कोठारी आयोग ने शिक्षा द्वारा अपने महत्वपूर्ण दायित्व को पूरा किये जाने हेतु कुछ सुझाव दिये हैं, जो निम्न हैं,—

१. सामान्य विद्यालय प्रणाली प्रारम्भ की जाय ।
२. राष्ट्रीय एकता के लिये सुविचारित भाषा नीति की आवश्यकता पर बल दिया ।
३. सामाजिक एवं राष्ट्रीय-मेवको को शिक्षा भ्रम बनाया जावे ।
४. देश की सांस्कृतिक विरासत से नयी भाषा परिचित करवाकर उनमें राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्र प्रेम विकसित किया जाना चाहिए ।

इसी प्रकार १९७६ में राष्ट्रीय एकता परिषद् की विशेष समिति की बैठक में सात सूचीय-छात्र हिंसा को कम करना, उद्योगिक क्षेत्रों में हड़ताल और तानाबन्धी रोकना, उग्रवादियों पर नियंत्रण, अल्प मरूपको को सुरक्षण हरिजनो की स्थिति में सुधार, अनुसूचित जन जातियो का विकास एवं क्षेत्रीय समता कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया । १९८२ में पुनः थोमती माधी ने राष्ट्रीय एकता परिषद् का पुनर्गठन किया । इसमें सभी विपक्षी राजनैतिक दलों को भी आमन्त्रित किया गया । अमम, पंजाब में प्रकाली आन्दोलन के उचित समाधान न निकलने तथा उग्रवादियों द्वारा नृशम घणात्मक कायवाहियों को देखते हुए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है ।

श्री जे पी नायक के राष्ट्रीय एकता सम्बन्धी सुझाव इस प्रकार हैं—

१. शिक्षा द्वारा युवा पीढ़ी को भारत मा की कल्याणकारी तथा पोषक बर्तन में परिचित कराकर उनमें प्रेम उत्पन्न कराया जाए ।
२. विद्यार्थियों के मन में विभिन्न कवियों और लेखकों द्वारा खींचे गए भारत मा के चित्र को बढाया जाए ।
३. अधिक समानता और राष्ट्रीय एकरव का भाव पुष्ट किया जाए ।
४. सभी सम्प्रदायों से एक ऐसा बुद्धिजीवी वर्ग तयार करना जो हिन्दी का प्रयोग करे और राष्ट्र भाषा के प्रचार प्रसार में योगदान करे ।
५. अखिल भारतीय शिक्षा सेवाएँ चालू की जाए ।

विभिन्न समितियाँ एवं शिक्षा आयोग की सिफारिशों के आधार पर यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता को सुदृढ करने में शिक्षा

प्रणाली एवं शैक्षिक कार्यक्रमों में सुधार की आवश्यकता है। लेकिन जब तक सुधार होत हैं, हमें राष्ट्रीय एकता हेतु निम्न उपाय काम में लेने चाहिए।

वर्तमान परिस्थितियों में राष्ट्रीय एकता हेतु महत्वपूर्ण सुझाव —

(Important Suggestions in Present time for National Integration)

१ कौमी एकता उत्पन्न करना, २ आर्थिक असमानता दूर करना, ३ सभी भारतीय भाषाओं का अधिकतम परिचय देना, ४ सभी प्रान्तीय लोगों को समझाकर एक राज्य भाषा हेतु तयार करना, ५ प्रगतिशील एवं राष्ट्रीय भावनाओं के लोगों द्वारा शोषण, साम्प्रदायिकता का विरोध करें, ६ युवाशक्ति को विघटनकारी शक्तियों का विरोध करने हेतु उत्प्रेरित करना, ७ धर्म को व्यक्तिगत जीवन तक सीमित रखें, ८ देश की परम्परा, सभ्यता एवं संस्कृति के प्रचार द्वारा राष्ट्रीय एकता बढ़ करें, ९ राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता के अनुरूप पाठ्यक्रम का निर्माण हो, १० शिक्षा प्रक्रिया व प्रशासन में राष्ट्रीय एकता के अनुरूप प्रभावशाली व अनुकरण आचरण वांछित है।

शिक्षा एवं राष्ट्रीय तथा भावात्मक एकता

(Education & National and Emotional Integration)

राष्ट्रीय तथा भावात्मक एकता के भाव पदा करने के लिए शिक्षा एक अत्यन्त महत्वपूर्ण माध्यम है। असामाजिक व राष्ट्र का विघटन कंकगार पर ले जाने वाले विघटन शक्ति के लिए शिक्षा ही प्रभावशाली हथियार है। शिक्षा को ही राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। यह प्रतिशयोक्ति नहीं होगी कि शिक्षा ही एकमात्र शक्तिशाली एवं प्रभावशाली साधन है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व पर प्रभाव डालने का सफल साधन सिद्ध हो सकता है। शिक्षा बालकों की आदतों, दृष्टिकोण तथा मानसिक नजरिया आवश्यकता के अनुरूप ढाल सकती है। हमारी शिक्षण व्यवस्था इस ढंग से हो, कि हमारे बालक जातीयता, क्षेत्रीयता, भाषा एवं सम्प्रदायवाद के संकुचित एवं लुभावने नारों के वशाभूत न होकर राष्ट्रीयता की भावनाओं से ओत-प्रोत हो सकें। राष्ट्रीय एकता के लिए भावात्मक रूप से उनका दिल और दिमाग को धीरे-धीरे तयार करने से ही सफलता सिद्ध हो सकती है, जिसके लिए शिक्षा के अलावा अन्य कोई साधन नहीं हो सकता।

अतः शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता लाना चाहते हैं तो शिक्षा-व्यवस्था का इस ढंग से परिवर्तन अविलम्ब किया जाय

जिससे राष्ट्रीय चेतना तथा आतृत्व भावना का उदय हो सके । इस उद्देश्य की पूर्ति-हेतु निम्नलिखित आधारभूत बिंदुओं का दृष्टि में रखना आवश्यक है-

१ सवेगा को इस ढंग से प्रशिक्षित करके हुए विरासत दिया जाय कि वे भावात्मक रूप से व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो सकें ।

२ ऐसे दृष्टिकोण का विकास हो कि आधारभूत मूल्यों व सहन शक्ति जीवन का आधार हो ।

३ राष्ट्र के विभिन्न भागों के द्वार में विस्तृत पान दिया जाय तथा स्वतंत्रता सप्राप्त व महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किए जाय ।

४ ऐसी विभिन्न प्रणतियों के आयोजन का प्रोत्साहित किया जाय जिससे जातीयता व प्रांतों के गहरी तथ्या को समझ सकें ।

५ राष्ट्र के मसाधनों का नागरिक होने में नात प्राप्त करने के मूल अधिकार है ठीक उसी प्रकार कसब्य भी उसके साथ जुड़े हुए हैं ऐसी भावनाओं का विकसित किया जाय ।

### राष्ट्रीय एव भावात्मक एकता के लिए शिक्षा का उत्तरदायित्व

The role of education in bringing National & Emotional Integration

शिक्षण संस्थाएं अध्ययन स्थल हैं जिनका मुख्य कार्य समाज की आकाशमार्गों के अनुरूप छात्र तयार करना । शालाओं के दो प्रमुख कार्य हैं— प्रथम परिक्षितन के उपरांत भी समाज के ढांच को बनाय रखना तथा द्वितीय छात्रों को समाज के अनुकूल कौशल युक्त बनाना । प्रथम के लिए छात्र राष्ट्रीय परम्पराओं को समझते हुए और अधिक राष्ट्र उपयोगी बनाने में तत्पर हो सके । यह अच्छी शिक्षा द्वारा ही सम्भव है । इस सदन में शाला-स्तर पर अत्यधिक सचेत रहने की आवश्यकता है ।

इस सदन में गजे द्र गडकर उपसमिति (१९६५) में राष्ट्रीय एकता समिति ने निष्कर्ष निकाला कि प्राथमिक से विश्वविद्यालय स्तर तक पुनर्गठन हो जिसमें निम्न महत्वपूर्ण बातों का समावेश हो-

- १ भारतीयता की एकता व प्रभुत्व सम्पन्नता की भावनाओं का विकास किया जाय ।
- २ प्रजातंत्र व्यवस्था में विश्वास करना ।
- ३ परम्परागत भारत को आधुनिक भारत बनाने में राष्ट्र को हर सम्भव मदद करना ।

अतः निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है शिक्षा ही एकमात्र शक्तिशाली साधन है जो ज्ञान प्रदान कर मूल्यों के आधार पर उपयुक्त दृष्टिकोण का विकास कर सकता है। छात्रों से समाज की आकांक्षाओं में अनुरूप सामाजिक आधार का निर्माण करने हेतु हृदय से रुचि ले सके।

शालाओं में देश के भावी-भावी कणधार तयार हो रहे हैं। वे शिक्षा द्वारा समाज में परिवर्तन लाने में सफल हो सकते हैं। अतः शालाओं का प्रमुख उत्तरदायित्व है कि वे राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता की भावनाओं का विकास करने हेतु सहयोग प्रदान करें। इस प्रसंग में माध्यमिक शिक्षा आयोग ने भी कहा है—“हमारी शिक्षा को ऐसी आदतों तथा दृष्टिकोणों एवं गुणों का विकास करना चाहिए जो नागरिकों को इस योग्य बना दें कि वे जन-तंत्रीय नागरिकता के उत्तरदायित्वों को वहन करके उन विघटनकारी प्रवृत्तियों का विरोध कर सकें जो व्यापक, राष्ट्रीय तथा धर्म-निरपेक्ष दृष्टिकोण के विकास में बाधा डालती हैं।”

**छात्रों में राष्ट्रीय व भावात्मक एकता के विकास हेतु शिक्षक की भूमिका**  
(Role of Teachers in the development of National & Emotional Integration)

राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता को विकसित करने के लिए अध्यापक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। केवल ऐसे शिक्षक ही बालकों में ऐसी भावनाओं का विकास कर सकता है जो स्वयं जातीयता, प्रांतीयता, साम्प्रदायिकता, धर्म और भाषा आदि दूषित एवं सकुचित प्रवृत्तियों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय एकता की भावना से ओत-प्रोत हो। वह सुयोग्य नागरिक, देश, व सस्कृति की सेवा करने वाले हो। राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता अध्यापक द्वारा प्रदत्त भाषण से नहीं बल्कि अध्यापन के विभिन्न सामाजिक विधियों को काम में लेने से, जैसे सेमिनार, सम्पोजियम, कांफेस, समूह-विचार-विमर्श, पनल-डिस्कसन आदि, इससे छात्रों में प्रजातान्त्रिक, सहयोगी, समानता, सामाजिकता, सहनशीलता आदि गुणों का विकास हो सके। भारतीय सस्कृति देश के विभिन्न भागों के तानों (Threads) को एक साथ बुनने से ही (Weave) भारतीय सस्कृति बनी है—ऐसे विचारों को हृदयगम करवाने का अध्यापक द्वारा सफल प्रयत्न करना चाहिए।

अध्यापक धर्म निरपेक्षता के सम्प्रत्यय का स्पष्ट करे और धर्म धर्म

के बारे में ही नहीं बल्कि ग्रन्थ धर्मों की जानकारी होना से ही तुलनात्मक ज्ञान छात्रों को दे सकेगा। ग्रन्थापन समान तत्वा एव घटनाओं द्वारा सामूहिकता की भावना का विकास कर। छात्रों को महान् भारत के छात्र हान का गौरव उत्पन्न करना चाहिए। समय समय पर छात्रों द्वारा एकता का सन्तुलन बरखाये। सामूहिक कार्य करने की प्रवृत्ति का विकास करे। अपने ग्रन्थ को जनतन्त्रीय मायताओं के अनुरूप ढालने का सफल प्रयास कर जनता की भाषा में ग्रन्थपन ग्रन्थापन प्रक्रिया सम्पन्न हो जो सारे देश में बोली जाती है। -

अतः कतिपय कठिनाइयों और असुविधाओं के उपरांत भी राष्ट्रीय एव भावात्मक एकता की वैचारिक क्रान्ति का द्रुतगति से स्थाई रूप में प्रसार हो सकता है तो एक मात्र शिक्षक के द्वारा ही।

**छात्रों में राष्ट्रीय व भावात्मक एकता के विकास हेतु अभिभावक व समाज की भूमिका**

**(Role of Parents and Society in the development of National & Emotional Integration) -**

बालक शाला में प्रवेश लेने से पूर्व पूणतया अपने अभिभावकों, सम्बन्धियों, पाठ-पढोसियों व समाज के प्रभाव में रहता है। उस उम्र के बालकों के दिमाग में राष्ट्रीयता एव देश प्रेम जसी भावनाएँ अभिभावक सहज ही भर सकते हैं। यदि बालक ऐसे तत्वा के सम्पर्क व प्रभाव में हो जाता है जो देश को विघटन बरवाने में रुचि रखते हैं तो शाला के लिए अत्यधिक मुश्किल हो जाता है कि ऐसे छात्रों में 'सब भारतीय एक है' की बात हृदयगम करवाना। शिक्षण संस्थाएँ अत्यधिक ऐसे अवसर प्रदान कर सकती हैं, भारतीय संस्कृति विभिन्नता में एकता का गुण लिए हुए है। भारत के विभिन्न प्रांतों में रहने वाले लोगों के प्रति आदर, सहनशीलता, अपने राष्ट्र के लोगों के प्रति संवेदनशीलता की भावनाओं का विकास कर सकती है लेकिन शालाओं के साथ-साथ अभिभावकों व सामाजिक संस्थाओं द्वारा समय-समय पर भारत की विभिन्न सामाजिक, विभिन्न-धर्मों, विभिन्न भाषाओं का होना हमारे देश की विशिष्ट विशेषता है और उनका आदर किया जाय। अभिभावकों व सामाजिक संस्थाओं का प्रमुख उत्तरदायित्व है कि वे अपने धर्म-सम्प्रदाय व सामाजिक परम्पराओं के प्रतिरिक्त अन्य लोगों के विश्वास, परम्पराओं, रीतिरिवाज, व्यवहार, तथा सभी धर्म, क्षेत्र व भाषा के लोगों की प्रशंसा करते हुए सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करने हेतु बालकों को

उत्प्रेरित करे। शिक्षण-संस्थाएँ वर्तमान परिस्थितियों में परिवार, समाज, प्रचार एवं संचार माध्यम, सांस्कृतिक व राजनैतिक संस्थाओं के बीच समन्वय (Co-ordinator) का कार्य ही राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता हेतु कर सकती हैं। अतः, प्रजातान्त्रिक भारत के नागरिकों अभिभावकों व सभी सामाजिक संस्थाओं का उत्तरदायित्व है कि वे इस अभियान में मुहूर्तदी के साथ अपनी भूमिका का निर्वाह करें।

**राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता की प्रगति हेतु निर्धारित शैक्षिक कार्यक्रम।**  
 Specific Educational Programme for Promoting National & Emotional Integration)-

शिक्षण संस्थाओं को राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता के लिए सभागी होना चाहिए। शिक्षण संस्था का सम्पूर्ण पर्यावरण ऐसा हो जिससे इसकी प्रगति (growth) में पर्याप्त मात्रा में सहयोग प्राप्त हो सके। छात्रों के वाञ्छित व्यवहार इस ढंग से विकसित हो कि वे भारत की एकता पर गव करने लगें।

### १ पाठ्यक्रम का पुनर्गठन - (Curriculum Re-orientation)

पाठ्यक्रम राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता की भावनाओं को जागृत करने हेतु अत्यधिक महत्वपूर्ण साधन है। इसके द्वारा छात्रों को पढ़ने के लिए विषय वस्तु तथा व्यवहारिक अभ्यास करने हेतु पर्याप्त साधन प्रदान किए जाते हैं। विषय वस्तु को वक्ष्ण कक्ष में अध्यापन किया जाता है तथा व्यावहारिक अभ्यास के लिए सहगामी प्रवृत्तियों का संगठन व संचालन द्वारा उद्देश्य पूर्ण सम्भव है।

“स्थानीय प्रादेशिक भाषायी, धार्मिक और अन्य वर्गगत या संकुचित निष्ठाओं के प्रभाव में राष्ट्रीय एकता की जो भावना सामान्यतः कमजोर होती जा रही है, उसमें ये प्रतिबिम्बित होती हैं। इस गतरनाक खाइयों को पाटने तथा राष्ट्रीय चेतना (National consciousness) एवं एकता को मजबूत बनाने के लिए प्रभावकारी कदम उठाए जाने चाहिए।”<sup>१</sup> इसके लिए आवश्यक है कि वर्तमान पाठ्यक्रम, सहगामी प्रवृत्तियों के संगठन एवं संचालन का पुनर्गठन

१ कोठारी डी एस शिक्षा आयोग की रिपोर्ट प्र ११

होना चाहिए तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारम्भ होना आवश्यक है—  
विषय शिक्षण (Subject Taught)

(अ) भाषा का शिक्षण (Teaching of Language) भाषा पर अधिचार होने की स्थिति में ही यह दूसरों को अपने विचार प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त करने में सफल हो सकता है। प्रथम भाषा अध्यापन के माध्यम से राष्ट्रीय एकता के विचारों में विचारों को बढ़ाने हेतु पर्याप्त साधन उपलब्ध हो जाता है। प्रारम्भिक स्तर पर भारत की महान् विभूतियों जैसे प्रबोध, चन्द्रगुप्त मौर्य, प्राणिक जस देवभक्तों की कहानियाँ नाट्य-रङ्ग में छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐतिहासिक साहित्य प्रभावशाली अध्यापन हेतु उद्देश्य पूर्ति-हेतु सहायक हो सकता है जस—पत्र लिखना, अनुवाद करवाना, व्याकरण, दोहा-पद्यराक्षरी, कविता पढ़ना, नाटक आदि।

अध्यापक को बहुत ही मचेष्ट होकर ऐसे विषय वस्तु का चयन करना चाहिए, जिससे राष्ट्रीय एक भावात्मक एकता की भावनाएँ बन सकें। एक भाषा से दूसरी भाषा में किसी गद्य का अनुवाद करवाने हेतु चयन करने में सकारात्मक दृष्टिकोण का राष्ट्रीय एकता हेतु विकास होना है। राष्ट्रीय नेता व स्मारक के बारे में गद्य का चयन बाँधित है। भारत के विभिन्न भागों के त्योहार, परम्पराएँ, आदि पर लेख लिखवाना लाभप्रद सिद्ध होगा। अध्यापक को चाहिए कि वे कभी भी ऐम प्रथमरो का हाथ से न गवाने दें, जब भी अवसर प्राप्त हो राष्ट्रीयता की भावनाओं में प्रोत्साहित कर रहे और उन्हें ऐसी कविताएँ, कहानियाँ, गद्य अनुवाद के लिए चयन करना चाहिए जिससे उक्त उद्देश्य की पूर्ति हो सके। अध्यापक को पुस्तकालय की ओर दृष्टि करना चाहिए जहाँ वे राष्ट्रीय एक भावात्मक साहित्य का अध्ययन कर सकें।

(ब) सामाजिक ज्ञान का शिक्षण (Teaching of Social Studies) सामाजिक विषयों की विषय वस्तु को लेकर सामाजिक ज्ञान शिक्षण किया जाता है। इस विषय को पढ़ाने का प्रमुख उद्देश्य छात्रों में सामाजिकता के दृष्टिकोण का विकास कर अच्छे नागरिक का निर्माण करना। प्रथम सामाजिक ज्ञान अध्यापन के माध्यम से राष्ट्रीय एक भावात्मक एकता के दृष्टिकोण का विकास सरल हो जाता है।

(स) इतिहास शिक्षण (Teaching of History) इतिहास अध्यापक को प्रत्येकता में एकता भारतीय इतिहास की विशिष्ट विशेषता पर जोर देकर पढ़ाना चाहिए। जिसमें विभिन्नताओं में एकता सम्भव हो। भार



तीय इतिहास का अध्यापन करवाते वक्त ऐसे स्थलो और घटनाओं पर जोर दिया जाए जिनसे राष्ट्रीय एकता को बल मिला हो। ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में की जानी चाहिए। राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलन को प्रमुख स्थान दिया जाय।

(द) नागरिक शास्त्र शिक्षण (Teaching of Civics) — भारतीय संविधान पढाते वक्त धर्म निरपेक्षता पर जोर दे ताकि छात्र समझ जाय कि भारतीय संविधान में जाति, सम्प्रदाय, धर्म व वंश विशेष का कोई महत्व नहीं है। समानता की संकल्पना पर भी जोर दे, ताकि समझे कानून के समक्ष सभी समान हैं—भारत में सभी को समान अवसर उपलब्ध होंगे। नागरिक शास्त्र अध्यापक राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता के अध्याय को गम्भीरता से पढाते हुए सम्कार डालने की कोई कोर-कमर नहीं छोड़े। नागरिकों के अधिकार व कर्तव्य का बोध कराकर अन्तर्गत नागरिक के रूप में उपयोगी नागरिक तैयार कर सकता है।

(न) भूगोल शिक्षण (Teaching of Geography) भूगोल अध्यापक राष्ट्रीय एकता के विकास करने का दृष्टिकोण के ध्यान में रखते हुए देश की भूमि, भौतिक व प्राकृतिक साधनों के बारे में ज्ञान। किसी एक भाग की उपज एवं खनिज किस प्रकार अन्य भागों के लिए उत्पादक सिद्ध हो रहे हैं। जीवन-स्तर में यह कने सह सम्बन्धी है।

(घ) अर्थशास्त्र शिक्षा (Teaching of Eco) प्रयत्नशास्त्र समूचे राष्ट्र के आर्थिक विकास को विभिन्न क्षेत्रों व प्रदेशों के विकास से सम्बद्ध करके पढ़ाना चाहिए।

(म) ललित कलाएँ (Teaching of fine Arts) संगीत, साहित्य एवं अन्य ललित कलाएँ व्यक्ति के संवेगों को सीधे प्रभावित करती हैं। अतः ललित कलाओं को पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया जाना चाहिए।

२ सहसंगामी प्रवृत्तियों का आयोजन (Org of Co Curricular activities)

सहसंगामी प्रवृत्तियों का शाला संगठन व संचालन से छात्रों को हृदय से छात्रों के बीच एकता की भावनाओं की वृत्ति के विकास हेतु प्रत्यधिक अवसर प्राप्त होते हैं। शिक्षण-व्यवस्था का यह अनिच्छित प्रणाली के रूप में बन जाता है राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता के उद्देश्य को दृष्टि में रखकर इन प्रवृत्तियों का नियोजन बहुत ही दक्षता के साथ किया जाना चाहिए। नियोजित प्रवृत्तियों निम्न उद्देश्यों की पूर्ति कर मने —

- १ एक महान् राष्ट्र की विचार धारा का विकास हो
- २ भारतीय संस्कृति, सामाजिक जीवन तथा आर्थिक विकास जो देश के विभिन्न भागों में विद्यमान है उसकी प्रशंसा करना और हृदय से इज्जत करना ।
- ३ सहनशीलता एवं परस्पर विश्वास की भावनाओं का विकास कर परस्पर द्वेष व हानि पहुँचाने वाले विचारों को दिल और दिमाग से हटाना ।

### राष्ट्रीय एकता हेतु सहगामी प्रवृत्तियों का संगठन एवं संचालन -

उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु एन सी आर टी नई देहली कुछ सहगामी प्रवृत्तियों के शाला में मुक्तावक रूप में संगठित व संचालित करने से छात्रों में राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता स्थापित होने की प्रबल सम्भावनाएँ बन जायेगी, वे निम्न हैं -

### राष्ट्रीय-गान का गाना (Singing of National Anthem)

राष्ट्रीय गान की तरह विशिष्ट ध्यान केंद्रित करना चाहिए, बालक उपयुक्त ढंग से, अनुशासनमय ढंग से तथा निर्धारित तरीके से गाये । बालकों को राष्ट्रीय गान का तात्पर्य व भावावधि खूब अच्छी तरह समझाया जाना चाहिए ।

### २ राष्ट्रीय ध्वज का आदर (Reverance of National Flag)

बालकों को राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास व महत्त्व के बारे में ज्ञान प्रदान किया जाय । उन्हें राष्ट्रीय ध्वज को प्रत्येक अवस्था में तथा प्रत्येक स्थान पर श्रद्धा प्रदान करना चाहिए ।

### ३ राष्ट्रीय पर्वों को मनाया जाना (Celebration of National Festivals)

स्वतंत्रता दिवस व गणराज्य दिवस प्रत्येक शाला में बड़े धूम-धाम व उल्लास के साथ मनाया जाय । शालाओं में सामायिक राष्ट्रीय समस्याओं के बारे में विचार-विमर्श व वार्ताएँ आदि का कार्यक्रम समय-समय पर संगठित किया जाय । स्वतंत्रता के उपरान्त प्रगति के बारे में भी वार्ता आयोजित की जाय ।

### (५) राष्ट्रीय नेताओं के जन्म दिवस मनाया जाना (Celebration of Birth Days of National Leaders)

राष्ट्रीय स्वतंत्रता विकास व उत्पत्ति के लिए जिन महान् राष्ट्र

नेताग्रा ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है उनके जन्म-दिवस मनाये जाय, जो छात्रों के लिए उत्प्रेरणादायक सिद्ध हो सके। ऐस महात् देशभक्त जैसे महात्मा गांधी, प० नेहरू, सुभाषचंद्र बोस, तिलक, मौलाना आजाद, टगोर, सरोजनी नायडू, इकबाल, जे पी बास, भामा, लाजपतराय आदि। अध्यापक को इन महान् सपूतों की राष्ट्र को देन रही उस पर प्रकाश डालते हुए राष्ट्रीय एकता कायम करने में उनकी भूमिका पर प्रकाश डालते।

#### (५) राष्ट्रीय एवं स्वदेशाभिमान प्रेरित गीत - (National and Patriotic Song)

राष्ट्रीय-गीत जैसे, "सारे जहा से अच्छा हिन्दुस्तान हमारा" समूह गान के रूप में शालाओं में नित्य प्रति गाय जावे। विभिन्न भाषाओं में स्वदेशाभिमान प्रेरित गीतों का संग्रह करते हुए उचित ढंग से गाने का प्रशिक्षण प्रदान किया जाय। छात्रों को उक्त गीतों के भावाथ, शब्दाथ व उद्देश्यों को स्पष्ट किए जाय।

#### (६) भाषा क्लब (Language Clubs) -

भाषा क्लब विभिन्न भाषाओं के जो उत्प्रेरणादायक गीत, नाटक, लोक गीत आदि का संग्रह करते हुए उद्देश्य पूर्ण-हेतु गाये जाय, विचार विमर्श करवाय और नाटक खेले जाय।

#### (७) पेन-फ्रेंडशिप क्लब (Pen Friendship Clubs) -

छात्रों के विभिन्न अन्य राज्यों के छात्रों से पत्र-व्यवहार द्वारा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, लोक कथाओं, दार्शनिक स्थल, राष्ट्रीय स्मारक आदि के बारे में जो परस्पर वितरण आदान प्रदान करने से भारत के अलग-अलग भागों में रहने वाले छात्रों में घनिष्ठ मित्रभाव के साथ साथ भारत की विभिन्न बातों में जो विभिन्नता है उसका ज्ञान प्राप्त करने में सफल होकर देश के बारे में ज्ञान हो सकेगा।

#### (८) साहित्य क्लब (Literary Clubs) -

शाला पत्रिका का प्रकाशन सम्पन्न हो। पत्रिका में देश के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों की वंशभूषा, रहन-सहन, भोजन, परम्पराएँ विभिन्न सामाजिक संस्थाएँ, मस्कार आदि का समावेश किया जाय जिससे उन लोगों के बारे में ज्ञान छात्रों को हो सके।

## (९) छात्रों का आदान-प्रदान व शैक्षिक भ्रमण (Exchange of Students and Educational Tours) -

छात्रों को अपने प्रान्त की शालाओं का भ्रमण हेतु जान की व्यवस्था जाननी चाहिए। उक्त कम समय व टहरन के काल में व वहाँ की भाषा, वेशभूषा, रहन सहन व तौर-तरीक, भोजन, कला तथा साहित्य आदि के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेगा।

शैक्षिक भ्रमण से भी विभिन्न भारतीय प्रांतों के रहन-सहन के बारे में ज्ञान प्राप्त करने व प्रवृत्त मिलते हैं।

## (१०) धार्मिक-सहिष्णुता के विकास हेतु क्रिया-कलाप (Activities to promote religious tolerance) -

छात्रों का सभी प्रमुख धर्मों में पाई जाने वाली समानता के बारे में ज्ञान देना। विभिन्न धर्मों व अनुयायियों के पूजा स्थल पर जाने हेतु उत्प्रेरित करना। इससे धर्मों व पूजा पाठ के तौर-तरीका के बारे में अंतर्मुख है, उसका ज्ञान प्राप्त करने में सफल हो सकेगा और अपने धर्म के साथ धर्म धर्मों के प्रति आदर भाव बढ़ेगा।

## (११) सांस्कृतिक कार्यक्रम (Cultural Programmes) -

विभिन्न प्रान्तों के लोक गीत तथा लोक-नृत्य, लोक-कथाओं आदि कार्यक्रम का सफल आयोजन किया जाना चाहिए। जिससे धर्म प्रान्तों की संस्कृति का ज्ञान होगा।

डा० सम्पूर्णानन्द समिति ने विभिन्न सहयोगी प्रवृत्तियों के संगठन व संचालन हेतु सुझाव दिए हैं जैसे- १ शाला यूनिफार्म, २ प्रतिदिन सभा का आयोजन, ३ गणन तले नाटक, ४ छात्रों का आदान प्रदान व शैक्षिक भ्रमण, ५ शाला-सुधार कार्यक्रम आदि की अभिप्रेक्षा की है। इन प्रवृत्तियों के अतिरिक्त निम्न सहयोगी प्रवृत्तियों के आयोजन से भी छात्रों में राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास हो सकेगा। वे प्रवृत्तियाँ निम्न हैं-

- १ सम्भावित विपत्तियों व मृत्यु हेतु घन इकट्ठा करना,
- २ शोभायात्रा उत्सव
- ३ अन्तर शाला वाद विवाद प्रतियोगिता एवं युवा कार्यक्रम
- ४ स्काउटिंग व गल गाइड कार्यक्रम
- ५ एन सी सी प्रशिक्षण

- ६ खेलकूद व स्पोर्ट्स
- ७ अध्यापको का आदान प्रदान
- ८ सामुदायिक भाज व रात्रि भाज
- ९ सचार साधनो का प्रचुर उपयोग ।
- १० प्रोजेक्ट्स-राष्ट्रीय ।

प्रदर्शन के माध्यम से राष्ट्रीय एव भावात्मक एकता स्थापित करने हेतु एन सी आर टी का सुझाव:-

- १ सभी राज्यों क नक्शे
- २ सभी धर्मों के रीति रिवाज ३ सभी राज्या के निवासियो के रीति रिवाज व तीर तरीको के बारे में चित्र ।
- ४ विभिन्न राज्यों क लोक नृत्य के चित्र एव माडल ।
- ५ राष्ट्र के विभिन्न भागा मे विचित्र ग्रह का काड बोड मॉडल ।
- ६ विभिन्न राज्यों की पदावार ।
- ७ विभिन्न राज्यों के कवि, पंढस, राष्ट्रीय नेता, समाज-सुधारक, वैज्ञानिको क चित्र ।
- ८ सभी राज्या के खनिज पदाथ ।
- ९ प्रत्येक क्षेत्र के जानवरों व पक्षियों के चित्र ।
- १० विभिन्न राज्यों में निर्मित बहुउद्देश्यीय योजनाओं के चित्र ।
- ११ रंगमंच नाटक की सुन्दरता के चित्र ।
- १२ महत्त्वपूर्ण इमारतों व ऐतिहासिक भवनो के चित्र ।
- १३ राष्ट्रीय महत्व के कल-कारखानों के चित्र ।
- १४ भारत का नक्शा जिसमें ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, इण्डस्ट्रीज, धार्मिक महत्व के स्थल प्रदर्शित हो ।
- १५ देश के महत्त्वपूर्ण मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद जो विभिन्न स्थानों पर स्थित है उसका चित्र ।
- १६ प्रत्येक राज्य द्वारा आयात-निर्यात वस्तुओं की सूची ।
- १७ भारत की विभिन्न भाषाओं के अक्षरों का चाट (अलग अलग नी घोर सप्रम रूप में भी)
- १८ विभिन्न धर्मों की सुयुक्तियाँ तथा एक दूसरे म पाई जाने वाली समानता की ओर इंगित करना ।
- १९ विभिन्न भाषाओं मे लिखित लब्ध प्रतिष्ठ प्राचीन व आधुनिक पुस्तकों तथा लेखकों की लिस्ट ।

सब मिलाकर मुख्य उद्देश्य है कि विभिन्न प्रवृत्तियाँ, क्रिया क्ताओं के माध्यम से विभिन्न जाति के लोगो, प्रान्तीय समूह में परस्पर सद्भाव, इज्जत करने व सहनशील तथा सम्बेदनशील बनाने का सफ़्त प्रयास किया जाय । जो सभी राष्ट्रीय हित में रहग ।

कोठारी कमीशन न इस 'प्रसग में कहा है—“सामाजिक और राष्ट्रीय एकीकरण एक ऐसी समस्या है जिससे कई मोर्चों पर जूझना पड़ेगा । जिनमें स एक शिक्षा भी है । हमारी राय में शिक्षा उसमें निम्नलिखित द्वारा एक अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है और उसे ऐसा करना भी चाहिए —

- १ लोक शिक्षा की एक समान स्कूल प्रणाली प्रारम्भ कर ।
- २ सभा स्तरो पर, सामाजिक और राष्ट्रीय सेवा की शिक्षा का एक अभिन्न अंग बनाकर ।
- ३ सभी प्राधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास कर तथा यथा-सभव शीघ्र हिन्दी को समृद्ध बनाने के लिए प्रावश्यक कदम उठाकर ताकि वह सघ की राजभाषा का काम प्रभावशाली ढग से करने में समथ हो सके, तथा
- ४ राष्ट्रीय चेतना को प्रोत्साहन देकर ।”

### मूल्याकन

#### (अ) लघूत्तरात्मक प्रश्न —

- १ हमारे देश में सामाजिक एकता को सबल करने क पाँच सुझाव दीजिये । (राज० १९८५)
- २ “राष्ट्रीय एकता वा सर्वाधिक प्रभावी सामाजिक साधन है, अन्तर्जातीय विवाह ।’ स्पष्ट कीजिए । (राज० १९८२)
- ३ आज कोई सस्कृति शुद्ध नहीं है, प्रत्येक सस्कृति सामयिक (सशिलषट है । टिप्पणी कीजिए । (राज० पत्राचार १९८१)
- ४ ‘राष्ट्रीय एव भावात्मक एकता की समस्या के दो प्रमुख कारणों तथा उपायों का उल्लेख कीजिए । (राज० १९७९)
- ५ राष्ट्रीय एव भावात्मक एकता के सम्बन्ध में कोठारी आयोग द्वारा सुझाई गई पाँच प्रमुख सस्तुतियों का उल्लेख कीजिये । (राज० १९७८)

(ब) निबन्धात्मक प्रश्न —

- १ राष्ट्रीय एव भावात्मक एकता से क्या समझते हैं ? उन कारणों की व्याख्या कीजिये जो राष्ट्रीय एव भावात्मक एकता में बाधक हैं ? [राज० १९८५]
- २ राष्ट्रीय एव भावात्मक एकता में बाधक कौन से विघटनकारी कारक हैं ? राष्ट्रीय एव भावात्मक एकता बढ़ाने में शिक्षा किस प्रकार सहायक हो सकती है ? [राज १९८५]
- ३ " उचित शिक्षा द्वारा राष्ट्रीय एकता संभव है ।" व्याख्या कीजिये । [राज १९८४]
- ४ हमारे सामाजिक व राष्ट्रीय एकता के अवरोधक कारक कौन-कौन से हैं तथा शिक्षा राष्ट्रीय एकता की लक्ष्य-प्राप्ति में किस प्रकार सहायक सिद्ध हो सकती है ? [राज पत्राचार १९८४]
- ५ भावात्मक एव राष्ट्रीय एकता से आप क्या समझते हैं ? त्रिनापी सूत्र विद्यालयों में भावात्मक एव राष्ट्रीय एकता के भावा को उत्पन्न करने में किन प्रकार सहायक सिद्ध हो सकता है ? [राज १९८३]
- ६ राष्ट्रीय एव भावात्मक एकता के विकास के माग में बाधक निम्न लिखित कारणों की विवेचना कीजिए और देश में एकता करने के उपाय मुझाइए-(क) प्रचलित भ्रष्टाचार, (ख) बढ़ती बेरोजगारी, (ग) धन का विषम वितरण, (घ) जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विदेशी भाषा का प्रभुत्व । [राज १९८२]
- ७ देशभक्ति राष्ट्रीय एकता, धर्मनिरपेक्षता, नागरिकता तथा भारतीयकरण के लिए भारतीय शिक्षा के उद्देश्यों के सदम में इस शब्दावली की व्याख्या करें और बताएं कि कितने कितने कठिनाइयों के कारण हमें इससे किसी भी उद्देश्य में सफलता नहीं मिली है । उपचार सुझाइए । (राज १९८०)
- ८ राष्ट्रीय तथा भावात्मक एकता की सकल्पनाओं को समझाइए । राष्ट्रीय एकता को स्थापित करने के उद्देश्य से स्वतन्त्रता के बाद पाठ्यक्रम के क्षेत्र में क्या ठोस उपाय किए गये हैं । [राज० १९७५]

(The Language Controversy-possible Solutions)

( रूपरेखा-प्रस्तावना प्रस्तावना भाषा विवाद भाषा विवाद के कारक क्षेत्रीय भाषाओं का स्थान अल्प सख्यकों की भाषा का स्थान अंग्रेजी का स्थान आधुनिक भारतीय भाषाएँ व उनका स्थान भाषा विवाद की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि-स्वतन्त्रता से पूर्व व स्वतन्त्रता के बाद विभिन्न आयोगों के सुझाव राष्ट्राध्यक्ष आयोग मुदालियर शिक्षा आयोग भाषा आयोग, केन्द्रिय शिक्षा सलाहकार परिषद व कोठारी आयोग तथा उसका व्यवहारिक त्रिभाषा-सूत्र त्रिभाषा-सूत्र की राजस्थान में क्रियान्विती उपसहार-मूल्यांकन )

प्रस्तावना —

प्रत्येक राष्ट्र के प्रमुख तीन मूलभूत उपागम भाषा जाति एवं संस्कृति होते हैं। इन तीनों के बीच गहरे सह-सम्बन्ध वांछित है चाहे तीनों के उद्देश्य भिन्न-भिन्न क्यों न हों। भाषा के माध्यम से ही विचारों का आदान-प्रदान सम्भव हो पाता है।

भाषा को शिक्षा में दो प्रकार की भूमिका का निर्वाह करना पड़ता है—वह शिक्षा का विषय है और माध्यम भी। भाषा वस्तुतः माध्यम के रूप में ही रही है विषय के रूप में कम। इसका कारण है कि भाषा के नाम से या तो भाषा विषय में अत्यन्त बाना का पढाया जाता रहा है या उसके माध्यम से साहित्य एवं संस्कृति आदि की जानकारी दी जाती रही है। शिक्षा के माध्यम के रूप में भाषा के प्रयोग की वास्तव में कोई मूलरूप से विवाद नहीं है क्योंकि भाषा केवल साधन है, साध्य है विभिन्न विषय जिनकी जानकारी भाषा के द्वारा दी जाती है। किन्तु 'माध्यम भाषा का प्रश्न वस्तुतः भाषा शिक्षण से भी अधिक विचार का रूप धारण करता जा रहा है क्योंकि बहुतेक के खासतौर से दक्षिणी भारतीयों के मन में यह बात घर घर गई है कि भाषा विवाद को जिस ढंग से सुलझाया गया है वह यथोचित न होकर एक



भाषा के समूह के लोग दूसरी भाषाओं के लोगों पर प्रभुत्व जमाना चाहते हैं। डा० सुनील कुमार चटर्जी ने तो अपने पश्चिमी बंग हिन्दी साहित्य-सम्मेलन, कलकत्ता के अध्यक्षीय भाषण [१९५१] में स्वीकारा है कि-“प्राधुनिक भारत में हिन्दी के प्रमुख स्थान के विषय पर पहले पहल हुए अहिन्दी प्रान्तों के लोग” (पृ १२) इसी प्रकार राजाजी ने “हिन्दी को राष्ट्र भाषा माना”<sup>१</sup> लेकिन दुर्भाग्य रहा कि राजाजी व डॉ० चटर्जी जैसे विद्वान स्वतंत्रता के बाद हिन्दी के विरोधी हो गये। अर्थात् भाषा के विवाद में पूर्वाग्रह, एक दूसरे पर अविश्वास है व राजनतिक स्वार्थवश उलझा रह है। जबकि मनुष्य समाज में समान मूल्यों व भाषा के आधार पर एक साथ रहते हैं। सामाजिक जीवन विचारों के आदान-प्रदान के साथ प्रत्येक क्षेत्र में समानता व मोहाद लाना ही शिक्षा और भाषा का उद्देश्य है न कि विवाद। व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के विकास करने का प्रयास अमफल रहना है वगैर भाषा के। जब भाषा विवाद अविश्वेकीय दृष्टि रूप में किसी भाषा विशेष के प्रति नावात्मक सम्बन्ध हृदय से स्थापित हो जाने पर अर्थ भाषाओं के प्रतिघर्ष व विवाद होता है और वह विवाद जो सामाजिक विभ्रतम रूप में सञ्चालन रोग की भाँति। यही स्थिति हमारे देश में है और भविष्य में विशेष आशाजनक स्थिति का भान नहीं हो रहा है।

भाषा विवाद जो देश के लिए स्याई दीमक बन गया है उसे स्थिर बुद्धि, स्वास्थ्य चिन्तन-से दिल और दिमाग से सभी क्षेत्रों के लोगों के सोचने में समाधान सम्भव है। अविश्वास की जड़ तब ही समाप्त हो सकेगी जब सभी प्राधुनिक भारतीय भाषाओं के अध्ययन-अध्यापन तथा माध्यम के रूप में प्रचुर व्यवस्था स्थापित की जाय तथा सभी भाषाओं के विकास करने की सुविधाएँ प्रदान की जाय। भाषा विवाद के समाधान कानून, डर नय लोभ सालच, पूर्वाग्रह से सम्भव नहीं है, यह तो शान्तिपूर्ण एवं मोहाद पूर्ण वातावरण में ही सम्भव है। भाषाई विवाद केवल व्यक्तिगत या समूह विशेष के लिए ही हानिकारक नहीं बल्कि राष्ट्रीय एवं भावात्मक एवता के लिए अनिवाय है।

---

१ Hindi or Hindustani is unquestionably the most Important Language of India and the only speech which can be said to be really National for all India

## भाषा-विवाद के विविध कारक (Different factors of the Language Controversy)

रूस में १५ स्वतंत्र गणराज्य हैं जहाँ ५० भाषाएँ हैं लेकिन वहाँ तब भी एकीकरण है जबकि दूसरी तरफ भारत में २२ भाषायी राज्य हैं और भाषा विवाद इस प्रकार खड़ा है कि राष्ट्र की एकता को चुनौती बना हुआ है। जब रूस राष्ट्रीय एकता को बनाये रखने में सफल हो सकता है फिर भारत के सम्मुख इस विवाद का समाधान क्यों नहीं? इसी प्रकार स्विट्जरलण्ड, कनाडा और बेल्जियम जैसे देश जहाँ अनेक भाषाओं के उपरान्त भी भाषा का विवाद नहीं, जसाकि हिन्दुस्तान में है। जब तक सद्भावना पूर्ण ढंग से सभी भारतीय हृदय से समाधान हेतु विश्वास की भावना से इस सांस्कृतिक व शक्ति प्रगति सम्भव नहीं है। परत इन कारकों की ओर दृष्टिपात करना होगा। समीचीन होगा जो इस विवाद की जड़ में है। इन्हें निम्नांकित शीपको में वर्गीकृत किया जा सकता है—

- १ प्रादेशिक भाषा या मातृभाषा का विवाद
- २ अल्प सङ्ख्यकों की भाषा का विवाद
- ३ अंग्रेजी भाषा का विवाद
- ४ शिक्षण के माध्यम का विवाद
- ५ राष्ट्र भाषा का विवाद

मुख्य रूप से हमारी समस्या है—सारे राष्ट्र हेतु प्रादर प्रदान माध्यम की। इस कमी के कई कारण हो सकते हैं।

प्रमुख रूप से हमारे राष्ट्र की 'लिक सेन्सिबल' का अभाव है। एक 'समान-भाषा' को एक समान संस्कृति एक से विचार तथा एक प्रकार के उद्देश्य, एक समान विश्वास व प्रेरणा प्राप्त हो सकती है। राजभाषा के विवाद से हमारे राष्ट्रीय नेता राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम काल में चिन्तित रहे हैं। भारतीय संविधान में विभिन्न भाषाओं को प्रतिष्ठित करने हेतु प्रस्तुत दावे स्वीकार किए गये। हिंदी भारत की राजभाषा के रूप में भी।

भारतीय संविधान अनुच्छेद ३४३ (१) के अनुसार सभ की राज भाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद ३५१ के अन्तर्गत हिन्दी भाषा की प्रचार-वृद्धि करना उसका विकास करना ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके, तथा

प्रातमीयता मे हस्तक्षेप किए बिना हिन्दुस्तानी और ग्रष्टम अनुसूची मे उल्लिखित अय भारतीय भाषाओ के रूप, शली और पदावली को आत्मसात करते हुए तथा जहा आवश्यक या वाछनीय हो वहा उसके शब्द भण्डार, के लिए मुख्यत, सस्कृत से तथा गीणत अय भाषाओ से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना सध का कतव्य होगा ।

हिन्दी सम्पक भाषा का स्थान दबाव तथा राजनतिक प्रभाव स नही ले सकती, यद्यपि मुदालिय आयोग ने सविधान का सहारा लेकर इसे राष्ट्र की सम्पक भाषा के रूप मे महत्व दिया है । यह जनता-जनादन द्वारा स्वय को हृदय से स्वीकार करना है । दबाव व प्रभाव स और अधिव भडकाने वाले दष्टिकोण का विकास हागा । अत हिन्दी भाषी लोगो को शान्ति व सहनशीलता प्रकट करने की आवश्यकता है । हिंदा का अहिन्दी भाषी क्षेत्रा म लोकप्रिय बनाने हेतु अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्या म प्रयोग की जाय, जैसे- अन्त राज्तीय पत्र व्ययहार, अन्तविश्वविद्यालय, अखिल भारतीय कार्यालय भाषा के रूप म, प्रभावशाली ढग स कदम उठान चाहिए । वगर अहिन्दी भाषी क्षेत्र के समथन के उपरान्त भी १९६५ से हिन्दी को कार्यालय भाषा (Official Language) के रूप मे मायता स्थापित की गई है । ५० नहरू द्वारा प्रदत्त आशवासन कि अग्रेजी सम्बध भाषा (Associate Language) के रूप म रहेगी, समय की माग है कि इसे उसी प्रकार का दजा कुछ वप और चालू रक्खा जाय ।

बहुभाषा सामाजिक घृणा नही है जब उचित दष्टिकोण का विकास होकर इसके बारे म अम्यस्त हो जाते है । अपनी भाषा के प्रति गलत ढग से लगाव व अय भाषाओ के प्रति घृणा रखने के बारे मे प्रशिक्षित लोगो स अस तुलित, भाषाओ के पूर्वाग्रह आदि से देश के विकास मे अवरूढ पंदा होगा बहुभाषीय राष्ट्रीय एकता का विघटन करने के लिए साधन के रूप में नही लिया जाय अन्यथा यह देश के लोगो का उमाद ही समभा जावेगा ।

भारत के सभी भाषाई लोगो को शिक्षित किया जाय कि वे स्पष्ट व वज्ञानिक दष्टिकोण से चिन्तन करे । राष्ट्रीय सम्पक भाषा के लिए एकजुट होकर देश की जनता, शिक्षाविद्, राष्ट्रीय नेताओ तथा नीति-निर्धारको को इस सम्बध में सयुक्त सफल प्रयत्न करना चाहिए । व्यक्तिगत, लोक प्रशासको व समाज के सभी लोगो को व्यक्तिगत भेद भूलकर एकजुट होकर काय करने से राष्ट्रीय उद्देश्यो को प्राप्त करने में सफल हो पायेगे ।

फलस्वरूप हिन्दी को सम्पर्क भाषा का दर्जा प्राप्त होगा और यह स्तर प्रतिष्ठित भारतीय स्तर पर ऐसे सिक्के के सामना होगा जो वतमान में ही नहीं बल्कि भावी जीवन में उपादेय सिद्ध होगा ।

हिन्दी को लोक-प्रिय बनाना हेतु रडियो व टेलीविजन जैसे साधन प्रभावशाली व शक्तिशाली साबित हो सकते हैं । शिक्षा भी हिन्दी को सम्पर्क भाषा के रूप में लोकप्रिय बनाना हेतु कारगर साधन है । हिन्दी को राष्ट्र की सम्पर्क भाषा को स्वीकार कर लेना ही राष्ट्रीय एकता में सहायक होगा ।

**हिन्दी को राष्ट्र की सम्पर्क भाषा के रूप-विकास हेतु किए गये प्रयत्न**  
(Steps to develop Hindi as the Link Language of the Nation)

१. अनेक अहिन्दी भाषी राज्यों में प्रचार व प्रसार के साथ ही हिन्दी के विकसित भाषा के रूप में स्वीकार किया है ।
२. हिन्दी भाषा की शिक्षा देने के लिये हिन्दी के २००० अध्यापकों से अधिक हिन्दी भाषी क्षेत्रों में कार्यरत है ।
३. विभिन्न राज्यों में १६ हिन्दी अध्यापक प्रशिक्षण कॉलेज काम कर रहे हैं । ऐसे ही नवीन कॉलेज मणिपुर एवं मिज़ोरम में स्थापित किये गये हैं ।
४. गर हिन्दी राज्यों में छात्रों को मट्रिक शिक्षा के बाद हिन्दी का अध्ययन करने हेतु छात्र वृत्तियाँ दी जाती हैं ।
५. स्वेच्छिक संस्थाओं को हिन्दी कक्षाओं के आयोजन तथा पुस्तकालय की स्थापना हेतु अनुदान दिया जाता है ।
६. हिन्दी की शिक्षा पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा अहिन्दी भाषी एवं विदेशी लोगों के लिए चलाई जाती है ।
७. विभिन्न राज्यों में सम्पर्क-कार्यक्रम की व्यवस्था ।
८. अहिन्दी भाषी केन्द्रों सरकार के कमचारियों के लिए प्रबोध, प्रवीण और प्रज्ञा पाठ्यक्रम का आयोजन ।
९. केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा देश के विभिन्न क्षेत्रों के छात्रों के लिये वैज्ञानिक विधि द्वारा हिन्दी शिक्षण सामग्री एवं सहायक सामग्री के निर्माण कार्य में रत है ।
१०. हिन्दी शिक्षा के लिए साधन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन
११. गर हिन्दी प्रदेशों के हिन्दी लेखकों का प्रोत्साहन देने के लिये पुरस्कार देने की योजना ।

- १२, वैज्ञानिक एवं तकनीकी विषयो मे हि दी शब्दावली व पुस्तको के प्रकाशन की योजना ।
- १३ हि-दी म सब प्रिय पुस्तका के निर्माण, हि-दी के विद्वाना के व्याख्यानों का आयाजन एवं विदेशो म हि-दी के प्रसार आदि कार्यक्रम को भी बढ़ावा दिया जा रहा है ।
- १४ अहि-दी भाषी क्षेत्रो म माध्यमिक स्तर तक हि दी द्वितीय भाषा के रूप मे पढाई जाती है ।
- १५ हमारे राष्ट्र के लब्धप्रतिष्ठ लोगो द्वारा सभी भाषाओ की एक समन्वित माला का विकास करना ।

### भाषा विवाद के सम्बन्ध मे विभिन्न विद्वानो के विचारः—

- १ महात्मा गांधी— 'शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो । छात्रो पर अंग्रेजी नहीं लादनी चाहिए । जब रूस मातृभाषा मे ही अपने देश का विकास कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते ।'
- २ स्व० डा राजेन्द्र प्रसाद न सब प्रथम सुभाव दिया कि हम सामान्य वर्णमाला (Common script) को लागू करनी चाहिए । जिसे कालान्तर म मुख्यमनियो के सम्मेलन (१९६१) मे उक्त विचारो को जोरदार शब्दो में समर्थन दिया ।
- ३ प नेहरू ने कहा—'वर्तमान में देश की एकता एवं अखण्डता के लिए हमें 'कामन-स्क्रिप्ट' को प्रयोग मे लाने से मूल रूप में साहित्यिक एकता हमारी परम्परा रही है ।
- ४, श्री एम सी छागल,—सामान्य वर्णमाला (Common Script) से विभिन्न प्रांतो के लोगो म घनिष्ठता पदा होगी । विभिन्न भाषाओ मे बहुत ज्यादा भेद नहीं है । संस्कृत सब साधारण की भाषा थी । यदि सामान्य-वर्णमाला को क्रिया-न्वित रूप दे दिया जाता है तो, बहुत जल्दी ही राष्ट्रीय एकता स्थापित होगी ।
- ५ डा वी के आर वो-हि-दी, प्रांतो के अक्षर-ज्ञान की भाषा मे पढाया जाय ।
- ६ हुमायू कबीर—हि-दी व अ य भारतीय भाषाओ मे रोमन वर्णमाला का प्रयोग हो उसके टंकण व मुद्रण हेतु सुविधाएं दी जाय ।

(७) डॉ० जाकिर हुसैन—मुझे इसमें शक नहीं कि युवकों को पूर्णरूपसे कुशल बनाने के लिए मातृभाषा आवश्यक है। मातृभाषा मानव मस्तिष्क के लिए उतनी ही आवश्यक है जितना बालक व शारीरिक विकास के लिए माँ का दूध आवश्यक है।”

(८) चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य—यदि भारतीय लोग राजनीति, व्यापार या कला में एक रहना चाहते हैं तो हिन्दी ही वह भाषा है जो समस्त भारतीयों का ध्यान आकर्षित कर सकती है, चाहे वे लोग अपने देश में कोई भी भाषा बोलते हों परंतु हिन्दी का ज्ञान प्राप्त करना भारत के सभी लोगों के लिए शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए।

(९) डॉ० सुनील कुमार चटर्जी—‘संस्कृत के राजभाषा के पक्ष में न होकर हिन्दी के पक्ष में रहे हों। अंग्रेजी के पक्ष में नहीं है।’<sup>१</sup> अभी तक एक समान वलमाला (Common Script) के बारे में कोई नियम नहीं लिया गया है। विवाद के समाधान हेतु जनानिको, व्यावहारिक तथा निरपेक्ष उपायों का उद्दिष्ट है। भावुकता, काल्पनिकता, असत्य एवं स्वयं की अभिलाषाओं के आधार पर कार्य न कर, हमें सर्वेव ठोस तर्क में ही निर्देशित होना चाहिए।

**प्रादेशिक भाषा का स्थान (The place of Regional Languages) —**

क्षेत्रीय व भारतीय भाषाओं के बारे में विवाद है। क्षेत्रीय भाषा का राष्ट्रीय जीवन में क्या स्थान है। अखिल भारतीय भाषाएँ अब राष्ट्रीय भाषाओं के लिये ली जाती हैं। लोकतांत्रिक-सरकार को चाहिए कि वह जनता-जनदिन की भाषा को कार्यालय कार्य हेतु प्रतिष्ठित करनी चाहिए।

“भारतीय संविधान का अनुच्छेद ३४५ में प्रादेशिक भाषाओं के बारे में—“३४६ और ३४७ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, राज्य का विधान मण्डल, विधि द्वारा उस राज्य के राजकीय प्रयोजनों में से सब या किसी के लिए प्रयोग के अथवा उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अनेकों को या हिन्दी को अंगीकार कर सकेगा।

परंतु जब तक राज्य का विधान-मण्डल विधि द्वारा इससे अथवा उपबन्ध न करे तब तक राज्य के भीतर उन राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा प्रयोग की जाती रहेगी जिनके लिए इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक

१ डॉ० चटर्जी भारत की भाषा-संबन्धी समस्याएँ (प्रथम संस्करण पृ ६० पृ ५४)

पहले वह प्रयोग की जाती थी ।”

प्रादेशिक भाषा को राज्य में प्रशासनिक भाषा के रूप में काम में लेने से पूर्व इसका पूर्णरूपेण विकास किया जाय । ठीक इसी प्रकार उच्च शिक्षा के माध्यम के रूप में काम में लेने से पूर्व भी सम्पूर्ण रूप से इसका विकास वांछित है । यह प्रजासैनिक-व्यवस्था का मूलभूत आधार है । सभी प्रकार की आधुनिक व प्रामाणिक शब्दों का प्रयोग किया जाय, अंग्रेजी को अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से तथा संस्कृत, पर्सियन, अरबीयन भारतीय दृष्टि से । प्रशासकीय व वैज्ञानिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एक समान शब्दावली का प्रयोग किया जाना चाहिए । इस प्रकार की व्यवस्था से सामान्य सम्पन्न भाषा सारे राष्ट्र के लिए बन सकेगी ।

अगर एक से अधिक आधुनिक भारतीय भाषा प्रांत में बहुसंख्यकों द्वारा बोली जाती है तो उन्हें सामान्यतर ढंग से शैक्षिक व प्रशासनिक भाषा के रूप में जिला स्तर पर प्रयोग में लाई जावे । प्रांतीय प्रशासन में अधिक लोगो द्वारा बोली जाती है उसे ही राज्य के विधान-मण्डल की मान्यता देनी चाहिए ।

(३) अल्पसंख्यकों की भाषा का विवाद (Controversy on Linguistic minorities) —

प्रत्येक प्रदेश में कुछ न कुछ जा समूह अल्पसंख्यक रूप में इस प्रकार के पाये जाते हैं कि कि ही कारणों से अपना प्रदेश छोड़कर उस प्रदेश में बस जाते हैं अथवा मरचारी सेवा में होने के कारण अन्य प्रदेशों में पहुंच जाते हैं जिससे शिक्षा ग्रहण करने में कठिनाई होती है । भारत में यह समस्या अधिक गम्भीरता के साथ उभरी है । आदिवासी एवं अल्पसंख्यक वर्गों ने अपनी कठिनाइयों को प्रस्तुत किया है ।

अल्पभाषी भागों की भाषा के मण्डलाधीश ने सुझाव दिया कि यदि किसी प्रदेश में किसी विद्यालय में ४० अल्पसंख्यक छात्र हैं अथवा किसी एक कक्षा में १० छात्र अल्पसंख्यक वर्ग के भाषी हैं तो प्रदेश की सरकार का कर्तव्य है कि वह उनके लिए उनके ही प्रदेश की भाषा के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था करे ।

(४) अंग्रेजी भाषा पर विवाद (Controversy over English Language) —

हिंदी अथवा प्रादेशिक भाषाओं के प्रति अत्यधिक प्रेम के फलस्वरूप

अंग्रेजी से घृणा का भाव पैदा हो रहे है जो भाषा के लिए स्वल्प चिन्तन की दृष्टि से यायोचित नहीं है। अथ देश की स्वतन्त्रता के बाद अंग्रेजी की भूमिका व महत्व को कम नहीं समझा जाना चाहिए। यह विश्व की सर्वाधिक प्रचलित माध्यम भाषा है। हमें इसे अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से इसके सांस्कृतिक तथा राजनैतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए अध्ययन अध्यापन के लिए माध्यम के रूप में अपनाना चाहिए। इसका विस्तार अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर है। यह विश्व के विज्ञान तथा साहित्य की भाषा है। भारत में शिक्षित लोगो में पढ़ी और समझी जाती है। देश में राष्ट्रीय चेतना को पैदा करने में इसका महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमारे देश में सांस्कृतिक पुनर्जागरण में भी इसने महत्वपूर्ण भूमिका बदा की है। भारत की महान् विभूतियाँ, कवि, राजनीतिज्ञ, व विश्व को सन्देश देने वाले, वैज्ञानिक जैसे डा० रामकृष्णन, श्रीमती सरोजनी नायडू, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जाकिर हुसैन, सर सी वी रमन तथा बहुत से प्रेरणा के स्रोत इस भाषा के फल स्वरूप अपने क्षेत्र में विशिष्ट स्थान प्राप्त करने में सफल सिद्ध हो पाये हैं।

हमें आखो के पट्टी बाधकर झूठे भावुकता में बंधीभूत होकर अनावश्यक रूप से घृणा की भावना अंग्रेजी भाषा से इसलिए करना कि यह उन शासको की है जिन्होंने हमें अपने अधीनस्थ परत व रखवा। हमें अत्यधिक स्टेण्डर्ड की अंग्रेजी को नहीं अपनाना चाहिए परन्तु भाषा के रूप में तथा भाषा माध्यम के रूप में जिससे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के ज्ञान को प्राप्त करने के दृष्टिकोण से स्वीकार करना ही पड़ेगा।

डा० के जी सैयदन—“विचार व सस्वृति की दृष्टि से भारत की महान् एवं महत्वपूर्ण देन ससार को रही है। यह अपनी स्वयं की तथा अंग्रेजी के माध्यम से ही हो सकता है।”

डा० के आर अनीवास अयगर—“अंग्रेजी एक महान् भाषा है, विश्व का महान् साहित्य है। विश्व में सबसे लोकप्रिय व अपरिचित भाषा है। यह गत्यात्मक भाषा है जिसने विकास छोड़ा नहीं है। यह वह भाषा है जो उलझे हुए मसले को सुलझाती है जिसमें सक्षम अन्तर भी स्पष्ट है। इसका विशिष्ट सम्बन्ध भारत की जनता तथा अंग्रेज भाषाओं से है जिसका सबसे लम्बा सम्बन्ध रहा है।

प्राचीन भाषाओं के उच्च श्रेणी के साहित्य के अध्ययन सम्बन्धी विवाद (Controversy over Classical Languages)—भाषाएँ सस्वृत्,



पसियन तथा धरबी जैसी प्राचीन एव उच्च श्रेणी की भाषा को प्रशासन तथा मध्यापन-माध्यम के रूप में मायता नहीं दी गई है। इन भाषाओं से ही कई अन्य भाषाएँ पदा हो विकास कर पाई हैं घत इसे विल्कुल महत्व न देना, अनुचित ही है। ये विषय ऐतिहासिक अध्ययन तथा शोध के विषय बन गये हैं। सरकार इन विषयों को पढ़ने वालों को विशेष आर्थिक प्रलोभन तथा उत्प्रेरित किया जाय। लेकिन कोठारी आयोग ने "प्राचीन भाषा को स्कूल पाठ्यचर्या में केवल ऐच्छिक रूप में दिया जा सकता है। ऐसा आठवीं वक्षा से ही किया जा सकता है।"१

भाषाएँ हमारे पूर्वजों की धरोहर हैं जो सस्कृति की ममृद्धि हेतु महत्वपूर्ण हैं परन्तु समस्त देश में विभिन्न शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रमुख समस्या देश के सम्मुख है। भारतीय मविधान द्वारा १५ भाषाओं को मायता प्राप्त है किन्तु इस विषय स्थिति में विवाद का समाधान नहीं किया। "भाषा सम्बन्धी एक समुचित नीति के विकास से भी सामाजिक और राष्ट्रीय एकीकरण में महत्वपूर्ण सहायता मिल सकती है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद देश में जिन अनेक कठिन समस्याओं का सामना किया है उनमें भाषा का प्रश्न एक सबसे पेचीदा और काबू में बाहर का प्रश्न रहा है और अब भी वैसा बना हुआ है। अनेक कारणों में जिनमें शिक्षा, सस्कृति और राजनीतिक से सम्बन्धित कारण भी शामिल हैं, इस प्रश्न का शीघ्र ही सन्तोषपूर्ण समाधान करना जरूरी है।"२

यह समस्या क्यों उत्पन्न हुई आदि प्रश्नों पर विचार करने से पूर्व यह आवश्यक है कि भाषा के विवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर गहराई से दृष्टिपात किया जाये, क्योंकि भाषा के माध्यम को लेकर विभिन्न प्रदेशों में हिंसात्मक आंदोलन हुए हैं और देश में भाषावार प्रांतों का निर्माण हुआ। स्वायत्तरता से प्रेरित राजनीति ने इस विवाद में अग्नि मघत डालने जसा कार्य किया। देश की वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए तथा राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय एव सामाजिक अभिवृद्धि के लिए एव उचित भाषा नीति वांछित है। भाषा-विवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Background of Language Issue)

(अ) स्वतन्त्रता से पूर्व—

अति प्राचीन काल में सस्कृत भारत की मुख्य भाषा थी। सस्कृत

१ कोठारी डी एस शिक्षा आयोग रिपोर्ट प्र २१९

२ कोठारी, डी एस शिक्षा आयोग की रिपोर्ट प्र १५

को पूर्ण सम्मान एवं प्रतिष्ठा प्राप्त थी राज्य भाषा का स्थान संस्कृत को ही प्राप्त था । बौद्ध धर्म के उदय होने के साथ पानी द्वारा उसका स्थान ले लिया गया फिर भी संस्कृत की प्रतिष्ठा व मान्यता बनी रही । मुस्लिम काल में अरबी और फारसी भाषाएँ राजभाषा प्रतिष्ठित हुईं । उक्त काल में भी हिन्दी उद्भूत एवं कई क्षेत्रीय भाषाएँ प्रचुर मात्रा में प्रचलित थी संस्कृत भारतीय मंदिर व पाठशालाओं की भाषा के रूप में ही अपना स्थान बनाये रही ।

अंग्रेजी काल में भाषा में पुनः परिवर्तन हुआ । इस काल में शिक्षा का उद्देश्य ईसाई धर्म पाश्चात्य विज्ञान, साहित्य एवं संस्कृति का प्रसार निश्चित किया गया । इस समय में शिक्षा, व विज्ञान के माध्यम की समस्या रही परंतु मैकाले की शिक्षा व्यवस्था में बालक को अंग्रेजी जबरन पढ़नी पड़ती क्योंकि उसका आधार या नौकरी प्राप्त करना । अंग्रेजी को माध्यमिक स्तर तक ही बल्कि उच्च शिक्षा के विषयों के अध्ययन वा माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित की गई और स्कूल स्तर पर अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाता था । अतः, इस प्रकार अंग्रेजी को नोहरा सम्मान दिया गया, शिक्षा के माध्यम के रूप में तथा विषय के रूप में भी । इस व्यवस्था के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी राजकीय भाषा के साथ साथ विभिन्न राज्यों की सम्पन्न भाषा भी बन गई । लेकिन इतना प्रचार-प्रसार एवं राजकीय प्रोत्साहन के उपरान्त भी केवल ४ या ५ प्रतिशत भारतीयों को भाषा ही रह गई । यद्यपि राष्ट्रपिता गांधी व डा. जवाहर लाल नेहरू शिक्षा का माध्यम मातृभाषा के पक्षधर रहे हैं ।

(ब) स्वतन्त्रता के बाद •

भारतीय संविधान व भाषा स्वतन्त्रता के उपरान्त संविधान में भी राजभाषा के प्रश्न पर विचार करते हुए धारा ३५१ में कहा—हिन्दी भाषा के प्रचार में वृद्धि करना, उसका विकास करना, ताकि वह भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक तत्वा की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके तथा उसकी आत्मियता में अक्षय्य किए बिना हिन्दी दुस्तानी और ब्राह्मणी सूची में उल्लिखित (असमिया उडिया, उर्दू कन्नड़, कश्मीरी गुजराती, तामिल तेलगू, पंजाबी, मराठी, मलयालम संस्कृत, हिन्दी) अन्य भारतीय भाषाओं के रूप, शली और पदावली को आत्मसात् करते हुये तथा जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो, वहाँ उसका शब्द भंडार के लिये मुख्यतः संस्कृत से गौणतः, वसी उल्लिखित भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि करना सध का कर्तव्य है ।”

विभिन्न आयोगों के भाषा सम्बन्धी सुझाव—स्वतंत्रता के बाद भाषा विवाद ने उग्र रूप धारण किया और उस विवाद के समाधान हेतु केन्द्रीय सरकार ने समय-समय पर नियुक्त समिति व आयोगों ने इसके बारे में गम्भीरता को समझते हुए सुझाव दिये हैं—जैसे १९४८ की ताराचन्द समिति ने सर्व प्रथम सब सम्मति से निणय लिया कि उच्च स्तर पर माध्यम अंग्रेजी के स्थान पर भारतीय भाषाएँ होनी चाहिए। इसके उपरान्त विभिन्न आयोगों द्वारा भी इस विवाद के समाधान हेतु सुझाव प्रस्तुत किए, जैसे—

(१) राधाकृष्णन आयोग के सुझाव—“हम अत्यधिक कीमत अंग्रेजी अध्ययन में चुकानी पड़ी है। चितन व तक की बजाय रटने पर जोर दिया हमने ज्ञान के बजाय अंग्रेजी शब्दों को ग्रहण किया। अतः वास्तविक चिन्तन अपनी भाषा से ही सम्भव है।”<sup>१</sup> इसके उपरान्त भी निम्न सुझाव और दिए हैं—

- १ भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में हिन्दी का विकास आवश्यक है, जिससे हिन्दी व्यापार, दशन, विज्ञान उच्च स्तर का अध्यापन एवं शोध की भाषा बन सके।
- २ “अंग्रेजी प्राधुनिक सभ्यता, विचारों तथा विज्ञान एवं दशन की बुजुर्ग है। अंग्रेजी भारत में एकता स्थापित करने के कारणों में से भी एक है। यह महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। परंतु अतीत की भांति अंग्रेजी राजभाषा के पद पर नहीं रह सकती और न ही भविष्य में यह उच्च शिक्षा का माध्यम रह सकती है। फिर भी अंग्रेजी भाषा का अध्ययन विश्वविद्यालय स्तर पर निरंतर रखा जाये।
- ३ संस्कृत के प्रति भक्ति भाव है फिर भी राजभाषा नहीं बन सकती।
- ४ शिक्षण एवं प्रजातन्त्रवाद के सिद्धांतों के अनुसार उच्च शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही होनी चाहिए। इसलिये शिक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी के साथ-साथ अन्य भारतीय भाषाओं का भी प्रयोग किया जाए। एक या अधिक विषयों की शिक्षा राष्ट्रभाषा के माध्यम द्वारा दी जाए।
- ५ उच्चतर माध्यमिक स्तर पर छात्रों को तीन भाषाओं का ज्ञान कराया जाये—(अ) प्रादेशिक भाषा, (ब) संघीय

१ राधाकृष्णन आयोग प्रतिवेदन पृ ३१७

भाषा तथा (स) अंग्रेजी ।

६ विश्वविद्यालय स्तर पर सभी कक्षाओं में हिन्दी की शिक्षा दी जाय ।

(२) मुदालियर शिक्षा आयोग—मुदालियर शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन अपने अध्याय ५ में 'भाषाओं के अध्ययन' में भाषा के माध्यम और अध्ययन के सम्बन्ध में निम्नलिखित सुझाव दिए गए—

१ माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा हो ।

२ मिडिल स्तर पर छात्र कम से कम दो भाषाओं का अध्ययन करे । इनमें से एक भाषा मातृभाषा हो और दूसरी हिन्दी । जहाँ हिन्दी मातृभाषा हो वहाँ किसी अन्य भारतीय भाषा का अध्ययन कराया जाए ।

३ माध्यमिक स्तर पर छात्र दो भाषाओं का अध्ययन करे । मातृभाषा का अध्ययन अनिवार्य हो । दूसरी भाषा हिन्दी (जहाँ हिन्दी मातृभाषा न हो) अंग्रेजी, आधुनिक भारतीय भाषा, कोई यूरोपीय भाषा या शास्त्रीय भाषा में से चुनी जाए ।

४ संस्कृत का अध्ययन वैकल्पिक विषय के रूप में हो ।

५ माध्यमिक स्तरों में अंग्रेजी को यथावत् रखा जाए परंतु अंग्रेजी का अध्ययन वैकल्पिक हो तथा यह अध्ययन जूनियर स्तर पर ही प्रारम्भ हो ।

६ हिन्दी को सम्पर्क भाषा के रूप में महत्त्व प्रदान किया जाए तथा सभी विद्यालयों में हिन्दी का अध्ययन अनिवार्य कर दिया जाए ।

(३) भाषा आयोग [१९५५]—श्री बी जी खर की अध्यक्षता में १९५५ में गठित आयोग (जो १९५७ में संसद के सम्मुख प्रस्तुत की गई) ने भी निम्न सुझाव दिये—

१ हिन्दी का ही शिक्षा का माध्यम बनाया जाए ।

२ विश्वविद्यालय स्तर पर परीक्षाओं का माध्यम हिन्दी हो ।

३ प्रतियोगी परीक्षा में वैकल्पिक माध्यम हिन्दी हो तथा क्षेत्रीय भाषाओं को उपयुक्त स्थान दिया जाए ।

(4) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद् का त्रिभाषी सूत्र (1956) —  
 Three Language Formula of the Central Advisory Board of Education)

26 जनवरी 1956 को केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद् ने भाषावी, विवाद को सुलझाने हेतु त्रिभाषा सिद्धान्त प्रस्तुत किया। इस सिद्धान्त के अनुसार, माध्यमिक स्तर पर छात्रों को तीन भाषाओं का अध्ययन करना होगा। इस योजना के मुख्य बिंदु —

- (1) मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा।
- (2) अंग्रेजी या अन्य आधुनिक विदेशी भाषा।
- (3) हिन्दी भाषा अहिन्दी क्षेत्रों के लिए एवं कोई भारतीय भाषा हिन्दी क्षेत्रों के लिए

त्रिभाषा सूत्र भाषा विवाद के समाधान हेतु प्रभावशाली नहीं रहा। इसका कारण यह था कि हिन्दी क्षेत्रों में अथवा भारतीय भाषाओं के स्थान पर संस्कृत के पढ़ाने की व्यवस्था की गई तथा अहिन्दी भाषी राज्यों ने हिन्दी का विरोध किया।

**राष्ट्रीय एकता समिति की अभिशपाएँ** — सन् 1962 में स्व. श्रीमती गांधी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय एकता समिति ने भी त्रिभाषी सूत्र को लागू करने पर जोर दिया। समिति ने हिन्दी को सम्पर्क भाषा (Link language) माना और कहा कि इसका अध्ययन अनिवार्य कर दिया जाय जिससे प्रदेशों के आपसी सम्बन्धों को बनाएँ रखा जा सके।

इसके उपरान्त डॉ. सम्पूर्णानन्द ने भावार्थक एकता के लिए भाषा विवाद को हल करने हेतु त्रिभाषा सूत्र को ही समाधान का सूत्र बनाया। "कार्यालय भाषा अधिनियम 1963" में पुनः सशोधन 1968 में भारतीय संसद ने हिन्दी के साथ अंग्रेजी को भी सह-भाषा की मान्यता प्रदान कर दी है।<sup>1</sup> इसके उपरान्त विवाद को शान्त न होता देखकर दलदल केन्द्रीय सरकार ने मुख्यमन्त्रियों के सम्मेलन सन् 1965 में अखिल भारतीयों सभाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा में क्षेत्रीय भाषा का माध्यम की स्वीकृति प्रदान कर दी लेकिन दक्षिण प्रांतों के विरोध के फलस्वरूप आज भी हिन्दी राष्ट्रभाषा के रूप में विवाद का विषय बनी हुई है।

**Kolhari Commission & Three Language Formula**

**कोठारी शिक्षा आयोग एवं त्रिभाषी सूत्र** — (1966) कोठारी आयोग ने त्रिभाषी सूत्र जो 1950 में दिया उसमें सशोधन किया गया। आयोग ने हिन्दी को राजभाषा के रूप में मान्यता देते हुए अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में दबाव से नहीं लादा जाय। किन्हीं भी स्तर पर दो नई भाषाएँ प्रारम्भ नहीं हानी चाहिए। कक्षा 8 से 10 तक का त्रिभाषी अध्ययन के लिए उपयुक्त बताया। चार भाषाएँ एक साथ पढ़ाने की मनाई

<sup>1</sup> बसु बी डी, इण्ट्रोड्यूसन टु दी कांसटीट्यूशन ऑफ इण्डिया, पृष्ठ 260-361

की गई है चाहे छात्र किसी भी स्तर पर अध्ययन रत क्यों न हो। सार रूप में त्रिभाषी सशोधित रूप निम्न है:—

- (1) मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा।
- (2) केन्द्र की राज्य भाषा या सहकारी भाषा।
- (3) प्राधुनिक भारतीय भाषा या यूरोपीय भाषा जो ऊपर 1, 2 में सम्मिलित न हो।

व्यवहारिक त्रिभाषी सूत्र का आधार तथा उसकी प्रियान्विति —  
(Practicable Three Language Formula & its Implementation)

स्कूलों के लिए व्यवहारिक त्रिभाषा सूत्र के निर्माण में निम्नलिखित मागनाँ सिद्धांतों से सहायता मिल सकती है।

- (क) मातृभाषा के बाद सघ की राजभाषा व रूप में स्थित हिंदी का ही स्थान प्राता है
- (ख) अंग्रेजी का व्यवहारिक ज्ञान छात्रों के लिए मूल्यवान बना रहेगा,
- (ग) भाषा में प्राप्त की गई क्षमता उपलब्ध शिक्षकों और सुविधाओं पर उतना ही निर्भर करती है जितना कि उसके सीखने के लिए दिये जाने वाले समय की लम्बाई पर,
- (घ) तीन भाषाओं को सीखने के लिए सबसे उपयुक्त व्यवस्था धवर माध्यमिक (आठवीं से दसवीं तक) है।
- (ङ) दो अतिरिक्त भाषाओं का एक दूसरे के बीच थोड़े अन्तर से शुरु करना चाहिए,
- (च) हिंदी या अंग्रेजी का अध्ययन तब शुरु करना चाहिए जब उनके लिए अधिकतम अभिप्रेरणा और आवश्यकता हो, और
- (छ) किसी भी अवस्था में चार भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य नहीं करना चाहिए।

इन सिद्धांतों के अनुसार सशोधित व्यवहारिक त्रिभाषी सूत्र में ये बातें सम्मिलित होनी चाहिए (क) मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा, (ख) सघ की राज भाषा या सघ की सहकारी भाषा (जब तक वह बनी रहे), और (ग) ऐसी भारतीय या यारोपीय भाषा जो (क) और (ख) में सम्मिलित न की गई हो और जो शिक्षण के माध्यम के रूप में प्रयुक्त न हो।

मायोग ने भाषाओं के अध्ययन के बारे में सुझाव दिये हैं —

- (1) धवर प्राथमिक अवस्था में छात्र सामान्यतः केवल एक मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा का अध्ययन करेगा। उच्च प्राथमिक अवस्था में वह दो भाषाएँ— मातृभाषा (या प्रादेशिक भाषा) और सघ की राजभाषा (या सहकारी भाषा) पढ़ेगा धवर माध्यमिक अवस्था में वह तीन भाषाएँ पढ़ेगा। मातृभाषा(या प्रादेशिकभाषा)

राज भाषा या सहचारी राज भाषा, एक आधुनिक भारतीय भाषा और उसके लिए राजभाषा या सहचारी भाषा, जिसे उसके उच्चतर प्राथमिक अवस्था में नहीं पढ़ा, का अध्ययन अनिवार्य होगा। उच्चतर माध्यमिक अवस्था में केवल दो भाषाएँ अनिवार्य होंगी।

- (2) प्रत्येक राज्य में कुछ चुने हुए स्कूलों में अंग्रेजी से भिन्न किसी आधुनिक पुस्तकालयों की भाषा के अध्ययन की सुविधाएँ मिलनी चाहिए और हिन्दी तथा अंग्रेजी के स्थान पर उसके अध्ययन की छूट होनी चाहिए। इसी प्रकार के अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों में कुछ चुने हुए स्कूलों में आधुनिक भारतीय भाषाओं के अध्ययन की सुविधाएँ मिलनी चाहिए और उसी प्रकार अंग्रेजी या हिन्दी के स्थान पर उनके अध्ययन की छूट होनी चाहिए।
- (3) अंग्रेजी और हिन्दी के अध्ययन के घण्टों और ज्ञान प्राप्ति के स्तर के रूप में व्यक्त किया जाना चाहिए। राजभाषा और सहचारी राजभाषा के सम्बन्ध में प्राप्ति के दो स्तर निर्धारित किये जाने चाहिए। एक तीन साल के अध्ययन के लिए और दूसरा छह साल के अध्ययन के लिए।
- (4) उच्च माध्यमिक शिक्षा में भाषा का अध्ययन अनिवार्य नहीं होना चाहिए।
- (5) ऐच्छिक आधार पर हिन्दी के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए एक देश-व्यापी कार्यक्रम बनाना चाहिए। लेकिन अनिच्छुक लोगों पर इस थोपना नहीं चाहिए।
- (6) प्रत्येक आधुनिक भारतीय भाषाओं के कुछ साहित्य को देवनागरी और रोमन दोनों ही लिपियों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सभी आधुनिक भारतीय भाषाओं को अन्तर्राष्ट्रीय अक्षर भी अपनाने चाहिए।
- (7) अंग्रेजी का अध्ययन, सामान्यतः पाचवी कक्षा से पहले, जबकि मानभाषा पर अभी पर्याप्त अधिकार प्राप्त नहीं हुआ होता, शुरू नहीं करना चाहिए। अंग्रेजी का अध्ययन पाचवी कक्षा से पहले शुरू करना शैक्षिक दृष्टि से बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं है।
- (8) आठवी कक्षा से ऐच्छिक आधार पर, प्राचीन भारतीय भाषाओं, जैसे संस्कृत या अरबी, के अध्ययन को प्रोत्साहित करना चाहिए और उन पर सभी विश्वविद्यालयों में निश्चित रूप से बल देना चाहिए। कुछ चुने हुए विश्वविद्यालयों में इन भाषाओं के उच्च अध्ययन केंद्र स्थापित किये जाने चाहिए। कोई नया संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित नहीं किया जाना चाहिए।<sup>1</sup>

<sup>1</sup> चौधरी डी एच, 'शिक्षा आयोग की रिपोर्ट का सार' (पृष्ठ 723-724)

राजस्थान में त्रिभाषी सूत्र की क्रियान्वति—राजस्थान में त्रिभाषी-सूत्र को बहूत  
(Implementation of three Language formula Rajasthan)

पहले से लागू कर दिया गया है। अल्प भाषा समुदाय के छात्रों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देने की योजना भी आरम्भ से क्रियान्वित की गई है। राजस्थान में भाषा शिपण की व्यवस्था निम्न प्रकार से है—

पूव प्राथमिक स्तर (कक्षा १ व २)—राजस्थान हिन्दी भाषी प्रान्त है एवं अधिकांश छात्रों की मातृभाषा हिन्दी है। अतः कक्षा 1 व 2 में छात्रों को हिन्दी के माध्यम से उनकी शिक्षण दिया जाता है। जिस अल्प समुदाय के छात्रों की मातृभाषा हिन्दी नहीं है उनको उनकी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। जिन भाषाओं को पढ़ाया जाता है, वे हैं—उर्दू, सिन्धी, गुजराती तथा पंजाबी। ये भाषाएँ राजस्थान के लिए अल्प सव्यका की भाषा के रूप से मान्यता प्राप्त हैं।

प्राथमिक स्तर (कक्षा 3 से 5) जिन छात्रों को हिन्दी के अलावा अन्य भाषा के माध्यम से शिक्षण किया जाता है, उन्हें कक्षा 3 से 5 तक हिन्दी प्रतिरिक्त भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है।

उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8) -छात्रों को कुल तीन भाषाओं का अध्ययन कराया जाता है, (i) हिन्दी (ii) अंग्रेजी तथा (iii) तृतीय भाषा सस्कृत, उर्दू, सिन्धी, पंजाबी तथा गुजराती में से कोई एक भाषा।

माध्यमिक स्तर (कक्षा 9 से 10) — छात्रों को तीन भाषाओं का अध्ययन कराया जाता है—(i) हिन्दी, (ii) अंग्रेजी तथा (iii) तृतीय भाषा, सस्कृत, उर्दू, सिन्धी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, तमिल, कन्नड, मलयालम एवं बंगाली में से कोई एक भाषा।

उच्च माध्यमिक स्तर (कक्षा 11) -छात्रों को केवल दो भाषाओं का अध्ययन करना होता है—हिन्दी, उर्दू, सिन्धी, पंजाबी गुजराती तथा अंग्रेजी।

राजस्थान में सस्कृत को तृतीय भाषा के रूप में पढ़ाए जाने का औचित्य—  
राजस्थान में प्राधुनिक भारतीय भाषा के रूप में तृतीय भाषा के स्थान पर सस्कृत का अध्ययन करवाया जाता है क्योंकि—

- (i) राजस्थान में सांस्कृतिक धरोहर के रूप में सस्कृत का उच्च स्थान।
- (ii) राजस्थान में सस्कृत अध्यापकों का बाहुल्य।
- (iii) कक्षा 6 से 10 तक के लिए उपयुक्त सस्कृत की पाठ्य पुस्तकें।
- (iv) प्राधुनिक भारतीय भाषाओं में से कोई भाषाओं की जननी।
- (v) सस्कृत तृतीय भाषा के रूप में कक्षा 9 शुरू करने की बजाय कक्षा कक्षा 6 से आरम्भ मनीषानिक एवं शक्षिक दृष्टि से उपयोगी है।
- (vi) सविधान के परिच्छि 8 में प्राधुनिक भारतीय भाषा के रूप में प्रतिच्छि 8 में



## राजस्थान मे आधुनिक भारतीय भाषाओं की क्रियान्विति.—

### (Implementation of modern Indian Languages in Rajasthan)

संस्कृत भाषा को तृतीय भाषा के रूप में पर्याप्त श्रेष्ठत्वपूर्ण मानने के वाक्य भी त्रिभाषी सूत्र की मूल भावना के अनुरूप क्रियाविति की दिशा में अथ उपाय किए जा रहे हैं। राजस्थान में तमिल, मलयालम, बंगाली एवं मराठी भाषाओं को पढ़ाने जाने की व्यवस्था कुछ विद्यालयों में की गई है।

राजस्थान में उर्दू, सिन्धी पंजाबी के अल्प समुदाय, की भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है जो इस भाषाओं में से कोई एक मातृभाषा के रूप में पढ़ते हैं। एने छात्रों को संस्कृत को छोड़ देने की पूरी छूट है।

राजस्थान में तृतीय भाषाओं (संस्कृत के अतिरिक्त) को पढ़ने वाले छात्रों की संख्या निम्नलिखित है —

भाषा	विद्यालय	छात्र संख्या	अध्यापक संख्या
1 उर्दू	372	26495	418
2 सिन्धी	102	12942	548
3 पंजाबी	70	3058	78
4 गुजराती	14	1019	13
5 मलयालम	8	512	8
6 तमिल	4	269	4
7 बंगाली	1	13	1
8 मराठी	1	19	1

### उपसंहार —

भाषा सम्बन्धी विवाद यहाँ तक बढ़ गया है कि प्रायः दिन शब्दों के क्रियाविति सम्बन्धी द्वन्द्व को लेकर देश में असमायता द्वन्द्व व अशांति पैदा हो जाती है। हम अपनी सारी शक्ति एक ऐसे दृष्टिकोण के विकास की ओर लगाना चाहिए जिनसे हम सब भारतीय अनुबन्धित होकर राष्ट्रहित को सब प्रथम प्राथमिकता दे। भाषा निक्षण समस्या इतनी समस्या नहीं जितनी अध्ययन अध्यापन के माध्यम का लेकर है। हमारा भाषा विवाद किसी भी दृष्टि से उलझा हुआ नहीं जबकि अपने राजनीतिक स्वायत्तता हेतु उलझाने वालों की कमी नहीं है।

स्वतंत्रता के बाद विभिन्न आयोगों, समितियों ने सजनात्मक सुझाव प्रदान किए हैं। शिक्षा जगत् में व्यवहारिक त्रिभाषा-सूत्र सब राग हर जीपथि व समान

विवादों का अचछा समाधान प्रतीत होता है, वशर्ते उसकी क्रियाविति में कोई ढील नहीं दी जाय। इसी प्रकार हिन्दी राष्ट्रीय स्तर पर, प्रमुख प्राचुनिक भारतीय भाषा, त्रिने स्तर पर स्थानीय लोकप्रिय भाषा को प्रशासनिक व कार्यालय की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का फलस्वरूप देश के सभी भाषाई लोग सतुष्ट हो जायगे, ऐसा विश्वास है। इस प्रकार की भाषा नीति राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

प्रत्येक भारतीय जा के जी सदैव के विचार से सहमत होग कि जिस राष्ट्र में बीस भाषाएँ होने के उपरान्त भी एक आवाज एवं एक होने में विश्वास करते हैं फिर नला हमारे देश में बहुभाषी को विघटन का कारण न समझकर राष्ट्रीय संस्कृति के विकास में सहायक समझना चाहिए। अतः हर भारतीय को देश हित को दृष्टि में रखते हुए छोटी छोटी बातों जैसे भाषा क्षेत्र सम्प्रदाय जादि को लेकर उग्र रूप धारण न कर देश में एक होकर याव, भ्रातृत्व, सामाजिकता, स्वतंत्रता, समानता जैसे गुणों के विकास हेतु सफल प्रयास करते हुए भारत की भारतीय व प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था में सहयोगी सिद्ध होकर "हम सब भारतीय एक हैं" के नारे का बुलंद करना, समय, देश व परिस्थिति को भाग है।



### मूल्यांकन (Evaluation)

#### (अ) लघुत्तरात्मक प्रश्न (Short Answer Type Questions)

1. क्षेत्रीय भाषा को सभी स्तरों पर शिक्षण का माध्यम बनाने के पक्ष में पाँच तर्क दीजिए। (राज 1983 व 1978)
2. संशोधित त्रिभाषा सूत्र की भावना क्या है? (राज 1982)
3. 'वस्तुतः आज भारत को दो राष्ट्र भाषाएँ हैं- अंग्रेजी और हिंदी।' इस कथन की परीक्षा कीजिए। (राज 1981)
4. शिक्षा जायाग द्वारा सुभाष्य गये त्रिभाषा सूत्र का वर्णन कीजिए। (राज पत्रा 1981)
5. भाषा समस्या का सम्बन्ध में मुदालिया आयोग की सस्तुतियाँ लिखिए। (राज 1979)
6. भाषा समस्या के दो प्रमुख कारणों व उपायों की चर्चा कीजिए। (राज 1979)

#### (ब) निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

1. त्रिभाषी सूत्र की व्याख्या कीजिए। त्रिभाषी सूत्र के क्या लाभ हैं? त्रिभाषी सूत्र को काय रूपमें बदलने के लिए शिक्षाविद् क्या कठिनाइयाँ अनुभव कर रहे हैं? (राज 1985)

- 2 वर्तमान भाषा समस्या को स्पष्ट कीजिये। त्रिभाषा मूत्र तथा सशोधित त्रिभाषा मूत्र के बावजूद यह समस्या अभी तक क्या बनी हुई है ? (राज पत्राचार 1985)
- 3 "भारत की भाषा समस्या का सर्वोत्तम सम्भव हल त्रिभाषा मूत्र नहीं, सशोधित त्रिभाषा मूत्र है।' इस कथन की समीक्षात्मक परीक्षा कीजिए। (राज 1982)
- 4 "विवेकपूर्ण शैक्षिक नीति की दृष्टि से शिक्षा का माध्यम विद्यालयी शिक्षा तथा उच्च शिक्षा में सामान्यतया एक ही रहना चाहिए। शिक्षा आयोग (1966) की इस सस्तुति का अब तक विरोध क्यों हो रहा है? इस विरोध का आप किस प्रकार उत्तर देंगे ? (राज 1981)
- 5 'तृतीय भाषा राजनैतिक प्रपञ्च या शैक्षिक आवश्यकता', कथन की व्याख्या कीजिए तथा अपना अभिमत प्रकट कीजिए। (राज पत्राचार 1981)
- 6 भारत सरकार की घोषित नीति शिक्षा के सभी स्तरों पर अध्ययन-अध्यापन की सुविधाएँ प्रादेशिक भाषाओं के माध्यम द्वारा देनी रहीं हैं। उक्त नीति के अनुपालनाय सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाये गए ? अंग्रेजी से प्रादेशिक भाषाओं के मार्ग में क्या प्रमुख कठिनाइयाँ हैं? (राज पत्राचार 1979)

[ विषय-प्रवेश (क) छात्र असंतोष-विश्वव्यापी व भारत (ख) छात्र असंतोष की सम्भारता (ग) छात्र असंतोष के प्रकार (घ) छात्र असंतोष व विभिन्न आयोग व समितियों की सिफारिश (ङ) छात्र असंतोष के कारण- (1) नेतृत्व शक्ति का हास (2) वर्तमान शिक्षा प्रणाली व संस्थाएँ (3) मादकों का पतन (4) मासिक कठिनाई (5) शैक्षिक कारण (6) सामाजिक कारण (7) राजनीतिक कारण (8) विद्यार्थी मध्यता और नवीन मायताय (9) पारिवारिक मायताय (10) पुलिस का व्यवहार (च) छात्र असंतोष का मानवज्ञानिक विश्लेषण (छ) छात्र असंतोष समाधान और सुझाव, (1) प्रशासक (2) शिक्षक (3) पंचवर्षीय योजना में शिक्षा, (4) अनिभावक (5) राजनैतिक, (6) लेखक व विचारक, (7) नैतिक मायताय (ज) उपसंहार व मूल्यांकन ]

विषय-वेश -

भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसके विद्यार्थी मादोलन का इतिहास काफी समय का है भारत के स्वतंत्रता-संग्राम में राष्ट्रीय नेताओं ने विद्यार्थियों का सहयोग प्राप्त किया था सब प्रथम गांधीजी ने असहयोग मादोलन के प्रवर्ष पर भारतीय नागरिकों से माग की थी कि वह अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने न भज । उसके पश्चात् निरन्तर भारतीय विद्यार्थियों से राष्ट्रीय मादोलन में सहभागता ली गई । भारत छोड़ो आन्दोलन एक प्रकार से विद्यार्थियों का ही मादोलन कहें तो अतिशयान्ति नहीं होगी क्योंकि इसमें विद्यार्थी अधिक प्रभावी भूमिका निभान हेतु सक्रिय रहे थे । उन्होंने जेल को स्वीकार किया और विध्वंसकारी कार्य करने में पहल की । विद्यार्थियों ने राष्ट्र के सार्वजनिक जीवन में भाग लेना राजनीति से प्रारम्भ किया ।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत का विद्यार्थी समाज राष्ट्रीय जीवन से अलग नहीं हुआ बल्कि उसका क्षेत्र और विस्तृत हो गया । विभिन्न राजनैतिक दलों ने विद्यार्थियों को प्रभावित किया तथा उन्हें विरोध व सघष करने के तरीकें भी बताये । स्वतंत्रता संग्राम में विद्यार्थियों का भाग लेना तथा विभिन्न राजनैतिक दलों का विद्यार्थियों के उत्साह को अपने उद्देश्यों की स्वायत्ति का साधन बनाना, विद्यार्थियों के

आंदोलन और अनुशासनहीनता का एक कारण तो हो सकता है परन्तु मूल कारण नहीं। इनका आंदोलन और अनुशासनहीनता का कारण उनका गम्भीर रूप से असंतोष है जिसका एक कारण नहीं बल्कि अनेकानेक कारण हैं यदि उत्तरदायित्वहीनता के कारण असंतोष है तो उसके कारणों का अध्ययन अवश्यभावी है।

छात्र असन्तुष्ट होकर आंदोलनात्मक रवैया अपनाते हैं, जो कवल भारत में ही नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रों में भी विभिन्न प्रकार से प्रकट हुए हैं।

वर्तमान युग में प्रत्येक राज्य में जिस तीव्रता से आर्थिक परिवर्तन हो रहे हैं या हुए हैं और उनके प्रभाव से जो सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं या होने चाहिए उनका ठीक प्रकार से हल न निकल पाना, इस समस्या का मुख्य कारण है, जो प्रत्येक राज्य में हमें समान रूप से प्राप्त होता है। द्वितीय महायुद्ध के उपरांत, विद्यार्थी समाज और प्रायः सभी युवक और युवतियों में उग्र खल और गैर कानूनी कार्य करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। जीवन की इन बदलती हुई परिस्थितियों ने उनके जीवन के लिये जहाँ अनेक नवीन मार्ग खोले हैं, वहाँ उनके सम्मुख अनेक समस्याओं को भी प्रस्तुत किया है। इन्हीं समस्याओं और मान्यताओं का हल निकालने के प्रयत्न से जो प्रति-क्रिया उनके जीवन, विचार और भावनाओं पर हुई उसी का एक परिणाम उनका तीव्र असंतोष और उससे उत्पन्न विध्वंसात्मक कार्य और अनुशासनहीनता है। अनेक भारतीय समाज सुधारक, विद्वान, शिक्षाविद् अध्यापक तथा विद्यार्थी इस अनुशासनहीनता के फलस्वरूप राष्ट्रीय सम्पत्ति की क्षति व मूल्य पर परोक्ष व अपरोक्ष रूप से प्रभाव डाली प्रहार से चिन्तित हैं। विद्यार्थियों का असंतोष बढ़ता ही जा रहा है और उसका समाधान मुश्किल प्रतीत होता है। जो सम्पूर्ण समाज को प्रभावित किये बिना नहीं छोड़ता। भारत के बड़े शहरों में हड़ताल, पथराव, आन्दोलन, घराव होता है, जिसके दमन हेतु लाल पगड़ी धारी मौजूद रहते हैं।

विश्व छात्र आन्दोलन—समस्त विश्व ही आज छात्र आन्दोलन से परेशान और क्षुब्ध है। योरोप में तो ये आन्दोलन पूरे जोरों पर हैं। वहाँ पुरानी पीढ़ी सरकार और बुद्धिजीवी सशक्त और आक्रामक हैं। विश्व में कोई भी देश ऐसा नहीं है जो इस दावानल रूपी आन्दोलन की लपेट में न आया हो। हाँ, हाँ सकता है इसका कहीं कम ता कहीं ज्यादा प्रभाव हुआ हो लेकिन प्रभाव पडा अवश्य है। भारत के अनुपात में योरोपीय देशों में यह सफल भी रहे हैं क्योंकि—

- (1) छात्र आर्थिक रूप से निश्चित हैं क्योंकि सरकार की ओर से प्रबंध है।
- (2) विवाह बंधन, सामाजिक, पारिवारिक और आर्थिक जिम्मेदारियाँ अनुत्क हैं।
- (3) पाठ्य बने रहने से सभी सुविधाएँ मिले तो फिर वे उनसे महत्त्व न्यो रहना

चाहेंगे ।

(4) जीते रहने का अनुभव करन के लिए आन्दोलन ।

(5) छात्र पारंपरिक उत्सवों के विरोधी, आन्दोलन की धार अग्रसर ।

(6) विज्ञान की दिन पर दिन प्रगति उसके मानस का उद्बलित कर रही है ।

छात्र असंतोष व आंदोलन की संरचना - छात्र आंदोलन की संरचना में कई राष्ट्र-विरोधी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष दबाव व पड़पत्र काय कर रहे हैं, जिससे कि उनकी शक्ति एवं स्वरूप को विकृत करने में उन तत्वों की सफलता मिल रही है । इसलिए यह भी विचारणीय सवाल है कि छात्र-असंतोष के फलस्वरूप आंदोलन का प्रचण्ड रूप को विकसित करना चाहिए । छात्र-आंदोलन को अपने सही रूप में विकसित क्यों नहीं होने दिया जाता है ? इसके विपरीत उससे राजनीतिक दल अपने अपने दल का हित साधते हैं । अथवा तो छात्र-आंदोलन इस तेजी से सामने नहीं आते, जिस तेजी से आ रहे हैं । कहना न होगा कि इन तत्वों ने छात्र-असंतोष की संरचना में बहुत गलत 'पाट' या भूमिका अदा की है ।"

छात्र-आंदोलन की मानस भूमि — छात्रों का सदैव सत्ता से दूर रखा है और उसके खिलाफ साजिस भरा प्रचार-प्रसार करके जनता के मस्तिष्क में उसकी 'एमज' का बिगाड़ा है । राजनीतिक स्वायत्त हेतु विरोधी दलों ने अभिहित किया है । नौजवानों में जागृ है और ऐसा तूफान खड़ा कर देते हैं जिससे जनता व सरकार घबराने लगते हैं । भारत के छात्रवर्तमान व्यवस्था से असंतुष्ट और सत्कार त्यागते हुए परम्पराओं को तोड़ना ही मानो उनका प्रमुख उद्देश्य हो गया है ।

भारत के छात्र-असंतोष व आंदोलन यूरोप की तरह सुविधाओं से नहीं, असुविधाओं के कारण शुरु हुए हैं । श्री आनंद कुमार ने लिखा है—

(1) पढाई की दुष्टतापूर्वक व्यवस्था ही विद्यार्थी असंतोष की रीढ़ है ।

(2) राजनीतिक प्रतिबद्धता के मुकाबले बल्लकर को संगठित और सामाजिक योजना आकर्षित करती है ।

(3) आज आंदोलन की अपरिहाय से इकारते हुए धुंध्र सवालों में उलझने वाले विद्यार्थी वे हैं जो ऊँचे परिवारों के बेटे बेटियों के नेतृत्व में हैं, शोषित होने की नियति से अपरिचित हैं ।

(4) विषमताओं से मुक्ति के लिए समता और सम्पन्नता का सपना देखने वाला दिल और दिमाग हमेशा अपने अभीष्ट के लिए तड़पता रहता है ।"

1 आनंद कुमार 'क्या विद्यार्थी-आंदोलन आर्थिक तथा सामाजिक कुठारा के प्रतीक है ?' साप्ताहिक हिंदुस्तान पृ/8 अंक 19 जुलाई 1970

छात्र असतोष के फलस्वरूप होने वाले आंदोलन के पीछे रचनात्मक कार्यों का अभाव है। यह आंदोलन सत्ता के ढंढे से भयावह बनेगा। अस्थायी तौर पर असतोष को दबा भी दिया जाता है तो समाज की शक्ति भविष्य में कुठित हो जायगी जिसकी जिम्मेदारी बतमान व्यवस्था का ही होगा।

**छात्र असन्तोष छात्रों का दृष्टि में —**

कोई भी काय कारण के बिना नहीं होता है और असन्तोष का विकृत रूप लम्बो कालकाल के उपरान्त दृष्टिगोचर होता है। जातिर वे कौन से कारण हैं, जिनकी वजह से वे इस प्रकार के निर्णय लेने के लिए विवश हैं। छात्रों की सगोष्ठी में कई बातें छात्र असन्तोष व उसके उत्पन्न आंदोलन के बारे में उभर कर आई हैं —

(1) 80 प्रतिशत से अधिक छात्र परसानी उठान हुए भी आंदोलन या विद्रोह के पक्ष में नहीं है।

(2) छात्राएँ तो नब्बे प्रतिशत से भी अधिक इसके विरुद्ध हैं।

(3) पक्षपातपूर्ण वातावरण की निश्चित ही इसके लिए जिम्मेदारी है।

(4) अधिकारियों को समझ में आ जाना चाहिए कि अब देश स्वतंत्र है। अब तानाशाही की बजाय सेवक के रूप में अधिकारियों को कार्य पद्धति अपनानी चाहिए।

(5) यूनिवर्सिटी में उन्हीं छात्रों को प्रवेश मिलना चाहिए जो सचरित्र हैं अर्द्धी श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं और जो ज्ञान के प्रति जिनासु हैं।<sup>1</sup> 2

**मनीषियों की दृष्टि में छात्र-असन्तोष —** छात्र-असन्तोष के अस्तित्व का नकारा नहीं जा सकता। इस असन्तोष को सन्तुष्ट करने की दिशा में कोई ठीक सूझ नहीं दी गई है। यह छात्रों की अंतर पीडा का प्रतीक है। पाठ्य पुस्तकें बेसिर की हैं, अधिकारी उसको नकार देते हैं। इस सर्वत्र व्याप्त असतोष के परिणाम बतमान और भविष्य में दूरगामी परिणाम हो सकते हैं जो सकट का कारण बन सकता है अतः हम समय रहते ऐसे उपाय और माध्यम ढूँढने चाहिए, जिनसे इन नवोन्नि शक्ति का दश की प्रगति हेतु इस्तेमाल किया जाने का सफल प्रयास किया जाय। विभिन्न मनीषियों के विचार वास्तव्यलोकन प्रस्तुत किये जा रहे हैं —

मि चित्रा - के अनुसार - (1) छात्रों को फीस में वृद्धि (2) छात्रवृत्तियों में कमी (3) राजनतिक दलों की हिस्सेदारी (4) राजनीतियों का पूर्ण सहयोग (5) छात्रों को बरगलाना (6) नब्बे प्रतिशत छात्र सीव सादे हैं। 3

2 भटनागर राजेन्द्र मोहन, "छात्र-आंदोलन समस्या और समाधान" (पृ 49)

3 चित्रा, एम एन, "ए स्टुडेंट स्टूडेंट इन मसूर ए सोसिआलॉजिकल एनलिसिस" प्रकाशित Journal of University Education Vol 4, No 3 मार्च 1966 P149 161

श्री जनेन्द्र कुमार— “असन्तोष और आक्रोश न हो, यह अस्वाभाविक और असम्भव है। नवयुवक के बढ़ते हुए जीवन की प्रक्रिया में ये भाव अनिवाय रूप से प्रेरक बनते हैं। पुरुषार्थ की सृष्टि आखिर होती कहां से है? व्यक्ति की चेतना अपनी सीमा पर धवरोषों में टकराती और पराजय अस्वीकार करती है। इसी में तो जीवन चेतन का प्रकथ और विकास सम्भव होता है।

इसलिए वह क्या युवक है जो वर्तमान पर रुक जाता है और भविष्य के धावाहक के तौर पर उसको चुनौती भी नहीं देता रहता है।

इसलिए युवक वर्ग के अस तोष और आक्रोश को मैं सर्वथा आवश्यक और श्लाघ्य मानता हूँ।

युवको का उत्साह केवल ताप बनकर यदि न रह जाए, यदि उसमें तप भी मित जाए, तो वह बहुत निर्माणकारी हो सकता है। तप के अभाव में वह ताप भीतर कष्ट क्षेत्र की ही सृष्टि करता है कुछ निर्माण नहीं कर पाता। “होश साथ न रहे तो जोश फिर टूट फूट मचाकर बुझ रहता है।

अस तोष और आक्रोश का फौरन बाहर लुटा देने की बजाय अगर युवक उन्हें अपने व्यक्तित्व की निधि और पूजा बनाने देते हैं, यानी उन प्रेरणाओं को जनन भीतर आत्म विसर्जन के सकल्प का रूप लेने देते हैं तो उनका व्यक्तित्व नम्र और इढ़ बनता है। उनमें आग्रह सत्याग्रह बनकर उभरता है। इस सत्याग्रह में अनायास दूसरे आक्रुष्ट होकर जुड़ जाते हैं और एक समवेत शक्ति का निर्माण कर सकते हैं।’ 4

डा सम्पूर्णानन्द—“छात्र असतोष धार्मिक शिक्षा के अभाव और आर्थिक विषमताओं में वृद्धि का परिणाम है।”

श्री प्रेम कृपाल—“छात्र-अध्यापक सम्बन्धों के विखराव को छात्र असन्तोष का प्रमुख कारण मानते हैं।”

श्री एम सी छागला—ने 7 नवम्बर 1966 में लोकमभा में छात्र-असन्तोष पर व्यक्तव्य का सार—

- (1) शिक्षा के प्रसार के सापेक्ष, सुविधाओं में विस्तार नहीं हुआ।
- (2) छात्रों के सामने और आगामी जीवन के लिए कोई ठोस कार्यक्रम नहीं।
- (3) आशिक्षक एवं क्षुब्ध राजनीति से प्रेरित तत्व निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए छात्रों को उत्तेजित करते हैं।
- (4) शक्षिक अधिकारी नेतृत्व देने में असमर्थ हैं।



स्व श्रीमती इंदिरा गांधी — 'छात्र अशान्ति के कारण राजनैतिक उत्तेजना और अधिक विपमताएँ। लक्ष्यविहीन शिक्षा विद्रोही भावना को जन्म देती है।

श्री हुमायूँ कबीर— "परम अनुशासन हीनता के अतिरिक्त नयी पीढ़ी के काफी बड़े दंग में अशान्ति और विद्रोह की भावना मर गई है। इसमें से कुछ तो निःसन्देह सारे विश्व में व्याप्त उस अशान्ति का एक अंश है। पुराने जीवन मूल्यों के विनाश और उनके स्थान पर नये मूल्यों के तैयार न हो जाने के कारण उत्पन्न हुई है। फिर भारत में कुछ ऐसे तत्व हैं जिनके कारण देश में विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता और असन्तोष उत्पन्न होता है। '5

### छात्र-असन्तोष के कारण (Student Unrest Causes)

देश में छात्रों के असन्तोष और उसके फलस्वरूप होने वाले प्रतिक्रियात्मक कार्यों पर समाज और सरकार दोनों ही गम्भीरता के साथ विश्लेषण करते आये हैं। जिससे एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि विभिन्न कारणों के फलस्वरूप ही व्यापक असन्तोष फैलता जा रहा है। यह कारण नई और पुरानी पीढ़ी के बीच दृढ़, वर्तमान तनाव और बंचेनी के युग के चिह्न पूरे देश में व्याप्त असन्तोष का प्रदर्शन, विश्वविद्यालयों में लगातार गिरती हुई परिस्थितियों, शिक्षा एवं प्रशासन का निम्न स्तरमान, शिक्षा क्षेत्र में आधारभूत कमियाँ, सत्तार के अन्य देशों में हो रहे प्रदर्शनों से प्राप्त प्रोत्साहन या छात्रावास, पुस्तकालय, शिक्षा शुल्क, छात्र-वृत्ति परीक्षा-प्रणाली के दोष आदि कुछ भी हो सकते हैं। वर्तमान समय में बढ़ती हुई महंगाई, प्रशासन एवं विश्वविद्यालयों में भी बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार तथा शिक्षित बेरोजगारी की भयंकर समस्या है। छात्र-असन्तोष के कुछ बाहरी कारण हैं, जैसे राजनैतिक दलों को छात्र शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए, देश में सख्त भ्रष्टाचार व आर्थिक अव्यवस्था। विश्वविद्यालय में भी बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार तथा शिक्षित बेरोजगारी की भयंकर समस्या ने इन कारणों की तालिका का और लम्बा कर दिया है। इस समस्या के मूल में गहन कारण है जिनका सम्बन्ध देश की ऐतिहासिक सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों से है। इन बिन्दुओं का गम्भीरता से विवेचन नीचे किया जा रहा है — (1) शिक्षा नीति और सस्थाएँ (2) आर्थिक परिस्थितियाँ (3) पारिवारिक और सामाजिक मान्यताएँ (4) विद्यार्थी सम्मता और नवीन मान्यताएँ (5) सांस्कृतिक कारण (6) नैतिकता।

कारण—(1) शिक्षा नीति और सस्थाएँ — विद्यार्थी किसी न किसी शिक्षा सस्था का सदस्य होता है और इस दृष्टि से वह राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था का भी सदस्य हो जाता है। अतः कुछ ऐसे दोष विद्यमान हैं जिससे उसमें असन्तोष निरन्तर बढ़ता

5 हुमायूँ कबीर—“स्वतंत्र भारत में शिक्षा”,

( „ 205 )

ही जा रहा है- (1) भारत की शिक्षा प्रणाली राष्ट्र की आवश्यकतानुकूल नहीं-सब प्रथम उसमें असन्तोष के कारण राष्ट्र की शिक्षा नीति या शिक्षा सस्थाएँ, जिसका वह सदस्य है उनके व्यवहार से उत्पन्न होते हैं। भारत में आधुनिक शिक्षा का विकास ब्रिटिश शासन सत्ता के समय में हुआ। अंग्रेजों ने इस शिक्षा प्रणाली का विकास मुरयतया अपने शासन प्रबंध की आवश्यकताओं की दृष्टि से किया था और जो प्रयत्न उन्होंने एक उदार शिक्षा प्रणाली की स्थापना के लिए किया भी उसमें भारतीय शिक्षा का आधार मूलतया बौद्धिक प्रगति न बन सका। इस प्रकार भारत की शिक्षा प्रणाली में यह दोष स्थायी रूप से रह गया कि एक तो वह विद्यार्थियों के ज्ञान के विस्तार के लिए शिक्षा प्राप्त करने की भावना को उत्पन्न न कर सकी और द्वितीय उस पर ब्रिटिश सम्पन्नता की छाया रही। इस प्रकार भारत की शिक्षा प्रणाली का विस्तार स्वाभाविक ढंग से अपने देश की संस्कृति के अनुरूप नहीं हो सका। स्वतंत्रता के पश्चात् भी भारतीय शिक्षा प्रणाली का आधार अंग्रेजों के द्वारा आरम्भ की गई शिक्षा प्रणाली ही रही। समय-समय पर उसमें जो परिवर्तन हुए हैं अथवा जो उसका विकास हुआ है, वह देश की नवीन और बढ़ती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप अब भी नहीं है। इसका कारण यह है कि भारत जैसे अर्द्धविकसित देश के पास वह साधन नहीं है जिनसे वह अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा प्रणाली का विकास कर सके। भारत अभी आर्थिक दृष्टि से पूर्णतया सम्पन्न नहीं हो सका है। इसके साथ ही साथ अभी पर्याप्त सख्या में योग्यता प्राप्त व्यक्ति नहीं हैं जो राष्ट्र की बढ़ती हुयी शिक्षा की आवश्यकताओं और विद्यार्थियों की सख्या के भार को सभाल सके।

(2) शिक्षा प्रणाली छात्रों को व्यवसाय प्रदान करने में असमर्थ-विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने का एकमात्र उद्देश्य, एक अच्छी नौकरी प्राप्त करना समझता है जबकि यह शिक्षा प्रणाली उसके इस उद्देश्य की पूर्ति करने में सदा असमर्थ है। जो शिक्षा व्यावसायिक है उस-डाक्टरी शिक्षा, इंजीनियरिंग शिक्षा एम बी ए आदि, उनमें प्रबल कठिनाता से मिलता है, फिर भी, उन्हें भी सेवा कार्य मिलना कठिन हो रहा है। अतः हमारी शिक्षा व्यवसाय प्रदान करती हो ऐसी आशा केवल कल्पना है यद्यपि ऐसी शिक्षा की व्यवस्था की जाने को है जिससे विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करके कितनी नौकरों को प्राप्त कर सकें, परंतु कहीं तक सफलता मिलती है यह भविष्य के गम में है।

(3) रुचि के अनुकूल शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ-बहुत से अवसरों पर प्रवेश प्राप्त करने की कठिनाई के कारण विद्यार्थी को कला अथवा विज्ञान के उन विषयों को पढ़ने के लिए बाध्य होना पड़ता है, जिन्हें वह पढ़ना चाहता है न उससे अभिभावक उसे पढ़ाना चाहते हैं। ऐसे विद्यार्थी अपनी शिक्षा में रुचि नहीं ले पाते हैं।

(4) शिक्षा में भाषा समस्या - शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो, राष्ट्रभाषा हिंदी हो अथवा प्रादेशिक भाषा हो, यह प्रश्न अभी ठीक प्रकार से नहीं सुलभ सकता है। विभिन्न विश्वविद्यालयों ने इस विषय में विभिन्न नीतियों को अपनाया है, परंतु अभी तक समस्या का सतोषजनक हल नहीं निकल सका है। अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जिसकी शिक्षा देना आवश्यक समझा जाता है तो हिन्दी और प्रादेशिक भाषा का ज्ञान भी प्राप्त करना चाहते हैं। विभिन्नता होने के फलस्वरूप भाषा के माध्यम की समस्या रहती है। जिससे उसकी शिक्षा का आधार ही समाप्त हो जाता है। विद्यार्थी तथा अध्यापक दोनों के लिए शिक्षा-माध्यम की समस्या रहती है। इसी प्रभाववश छात्रों में शिक्षा के प्रति अरुचि उत्पन्न होती है जो असतोष का कारण बनती है।

(5) पाठ्यक्रमों का अनुचित निर्माण - राष्ट्र की प्रगति और राष्ट्र की शिक्षा को विश्व स्तर पर बनाये रखने के लिए आवश्यक है पाठ्यक्रम का निर्माण आदर्श को सम्मुख रखकर बनाया जाय। परंतु यह आदर्श वास्तविक परिस्थितियों से पथक हो जाता है। जिस मात्रा में भारत में शिक्षा का प्रसार हो रहा है और जिस प्रकार सभी श्रेणी वर्ग और स्तर के विद्यार्थी शालाओं में शिक्षा प्राप्त करने आ रहे हैं। उसको देखते हुए पाठ्यक्रम वास्तविकता से परे हो जाते हैं। अध्यापक को अपनी रुचि, और तरीके व व्यक्तिगत प्रयास के कोई स्थान बाकी नहीं रह जाता तथा विद्यार्थी अध्यापक से केवल लिखे हुए नोट्स ही चाहता है जिनको रटकर वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। विद्वान गोरे ने इस विषय में लिखा है कि "इस प्रकार यह व्यवस्था निरक्षुणी है जिसमें एक अध्यापक अपने पढ़ाने के तरीके स्वयं के पाठ्यक्रम अथवा स्वयं की बौद्धिक प्रेरणा का बढ़ाने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं। 6

(6) दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली - वर्तमान की परीक्षा प्रणाली विद्यार्थियों को निरंतर काय करने तथा बौद्धिक जागृति हेतु उत्प्रेरणा नहीं दे पाती यह याद करने की क्षमता (Memory) पर अधिक बल देती है। छात्र कक्षा में रुचि नहीं लेते और अध्यापक के प्रति श्रद्धाभाव नहीं। उनकी श्रद्धा बाजार के नोट्स, प्रश्नोत्तर कुजिया में रहती है।

(7) छोटी आयु में कॉलेज जीवन - छोटी आयु में ही कॉलेज में आ जान से विद्यार्थी न तो कॉलेज जीवन के उत्तमदायित्व को समझने की स्थिति में होता है और न उसके अध्यापक ही उसके प्रति एक युवा पुरुष के समान व्यवहार करने की स्थिति में होते हैं। अध्यापक-छात्र निकटता नहीं बनती।

6 The System, then is an authoritarian one in which the lecturer is not free to develop his own style of teaching, his own courses on his own intellectual initiative " Mr Gore

(8) शक्ति और उत्साह के सदुपयोग हेतु सुविधाओं की कमी — हमारे देश की शिक्षण समस्याओं में विद्यार्थियों की शक्ति और उत्साह का प्रत्येक प्रकार से सदुपयोग करने की सुविधाएँ बहुत कम हैं। खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम व अन्य सहगामी प्रवृत्तियों का संचालन व उनमें उत्साह व शक्ति का सही उपयोग किया जा सकता है लेकिन शिक्षण समस्याओं में अध्ययन अध्यापन के प्रतिरिक्त बहुत ही कम सुविधाएँ वह भी सीमित समस्याओं में उपलब्ध हैं। मानवीय व भौतिक साधनों का अभाव व साथ साथ इन कार्यों के लिए समय बहुत कम रहता है। विभिन्न प्रकार के खेलों की व्यवस्था, व्यायामशाला, ड्रामा, वाद विवाद एवं ललित कलाओं की शिक्षा आदि से छात्रों के व्यक्तित्व का विकास होता है तथा बचे हुए समय का सदुपयोग भी सिद्धांत के तौर पर एन सी सी, एस एस यू आई, एस एम एल, स्काउटिंग, गल गार्ड्स आदि जैसी राष्ट्रीय उपयोगी समस्याओं का संगठन शिक्षण समस्याओं में कार्यरत है परन्तु छात्र उसका लाभ उठाकर समाजोपयोगी नागरिक के रूप में परिवर्तित हो सके, ऐसी आशा करना व्यर्थ है।

(9) योग्य अध्यापकों व उपयुक्त परिस्थितियों का अभाव — छात्रों के असंतोष का मुख्य कारण योग्य अध्यापकों का न होना और यदि योग्य अध्यापक हों तो उनके कार्य करने योग्य उपयुक्त परिस्थितियों का अभाव है। आज की अनुशासनहीनता का कारण बहुत हद तक अध्यापक हैं। बहुत से अध्यापक स्वेच्छा से इस व्यवसाय में प्रविष्ट नहीं हुए हैं उन्हें सम्मान देने वाला व अधिक पैसा देने वाला व्यवसाय न मिलने की स्थिति में अध्यापक बने हैं। अतः स्वाभाविक है कि वे लिलने पढ़ाने व छात्रों के विकास में कोई रुचि नहीं रखते। अपनी व्यवसायिक व शैक्षिक योग्यता बढ़ाकर पदोन्नति व पैसे जोड़ना ही उनका उद्देश्य रहता है। ऐसी स्थिति में विद्यार्थी भी उनका सम्मान नहीं करते। लेकिन कुछ अध्यापक अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहते हैं उन्हें कार्य करने का अवसर नहीं मिलता। अध्यापकों को सामाजिक आर्थिक, व स्तर (Status) की दृष्टि से होय समझा जाता है। इसलिए योग्य व्यक्ति इस व्यवसाय में नहीं आते, आते भी हैं तो उनको ऐसी परिस्थितियाँ उपलब्ध नहीं होती कि उनका पूरा लाभ उठाया जा सके।

अध्यापकों का जीवन कठिन है। जब अध्यापक स्वयं अपनी परिस्थितियों से असंतोष का अनुभव नहीं करते तो विद्यार्थियों पर भी उनके असंतोष का प्रभाव घातक अवश्यभावी होगा। बम्बई विश्वविद्यालय की खोज की एक रिपोर्ट में लिखा गया है कि "प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विद्यार्थियों की अधिकांश निराशा का कारण उदासीन अध्यापकों और अप्रगतिशील शिक्षा के तरीकों में पाया जा सकता है। 7

7 A large amount of student of Frustration can be traced directly & indirectly to indifferent teachers & unprogressive teaching methods. Report of a Sarvey of the Student of University of Bombay

इस प्रकार, भारत की शिक्षा नीति व शिक्षा संस्थाओं की कार्य प्रणाली में अनेक ऐसे त्रुटिपूर्ण हैं जिनका प्रभाव भारतीय विद्यार्थी समाज पर प्रत्यक्ष रूप से आता है और जो उनके असन्तोष का कारण बनता है। भारत के विद्यार्थियों के अधिकांश आंदोलनों का मूल कारण यही रहा है।

(2) आर्थिक परिस्थितियाँ — छात्र असन्तोष के पीछे पारंपारिक संस्कृति अतिभौतिकवादी दृष्टिकोण और शारीरिक सुखवाद काय रहा है। अर्थ सभ्यता व संस्कृति का विकास औद्योगिक क्रान्ति के समय से प्रारम्भ हुआ है। 1960 से घाटे की ग्रंथ व्यवस्था का युग प्रारम्भ हुआ है। जमानों और सट्टे बाजारी ने मूल्य वृद्धि में और अधिक सहयोग दिया है। गरीबी के इस बड़ते हुए कुचक्र ने जन जीवन को परेशान कर दिया। इससे उनमें असन्तोष और आक्रोश बढ़ा। मध्यमवर्ग के छात्र ज्यादातर अध्ययनरत हीत हैं जिनका उद्देश्य अच्छी नौकरी प्राप्त करना है। मध्यम वर्ग के छात्रों के पास राजनैतिक प्रभाव और उत्कृष्ट आदि न होने से नौकरी में भी पिछड़ गये और वह छात्र समुदाय बुरी तरह झँकुला उठा क्योंकि उस नौकरी मिलने की सम्भावना कम होने लगी और उसका अचेतन मस्तिष्क उसे उत्तरदायित्वहीन ही नहीं बल्कि अनेक अवसरों पर अपने आर्थिक, सामाजिक और शिक्षात्मक ढाँचे के प्रति विद्रोही बना देता है अर्थात् छात्र असन्तोष का कारण भूलमरी और भविष्य के प्रति आशंका है।

प्रत्येक कार्य तत्परता से होगा आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि नहीं होगी और सुगमता से मिलता रहेगा तो ईमानदारी बढ़ेगी इससे छात्रों का असन्तोष घटेगा। तत्कालीन वित्त मंत्री स्व. श्री चान्दान ने लोकसभा—“चौजो जिन पर जीवन आश्रित है, के दाम सामान्य रहते तो भी छात्रों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है।”

(3) पारिवारिक व सामाजिक मायताएँ — (1) औद्योगिक क्रान्ति व समाज — औद्योगिक प्रगति और बदलती हुई आर्थिक परिस्थितियाँ हमारी पारिवारिक और सामाजिक जीवन को प्रभावित किया है। आर्थिक प्रगति की गति के मुकाबले सामाजिक प्रगति नहीं हुई है जिनके फलस्वरूप जन-तुलन पैदा होगी और आक्रोश व द्वन्द्व पैदा हुआ। औद्योगिकरण के कारण सामाजिक मायताएँ बदल रही हैं। परंतु परम्परा, समाज और धर्म का प्रभाव भी भारत पर बड़ा गम्भीर है। इससे मानसिक तनाव विशेषकर शिक्षित छात्र वर्ग पर आ रहा है। भारत की संयुक्त परिवार व्यवस्था बच्चों का मा-बाप और परिवार के प्रति उत्तरदायित्व, व्यक्ति का अपनी जाति पड़ोसी सम्बन्धियों आदि के प्रति कर्तव्य आदि सभी कुछ एक औद्योगिक समाज के अनुकूल नहीं है। इससे औद्योगिक प्रगति के मांग पर अग्रसर भारत में ये सभी टूटते या बदलते जा रहे हैं।

है। परन्तु इस परिवर्तन से जा तनाव उत्पन्न हो रहा है वह विद्यार्थी-समाज को गभीरता से प्रभावित कर रहा है और यह उनकी अनुशासनहीनता का एक मुख्य कारण है।

## (2) विद्यार्थियों में निरकुश व स्वतन्त्र वातावरण का द्वन्द्व —

प्राज्ञ का विद्यार्थी पर निरकुशी और मित्रों में स्वतन्त्र विचारधारा, दोनों से मानसिक तनाव बढ़ता है। वह परिवार के कठोर वातावरण के सम्मुख प्रकट नहीं कर पाता। उसको प्रकट करने का सबसे उपयुक्त स्थान अपनी स्वयं की शिक्षण सस्था होती है।

(3) लड़के व लड़कियों के सह सम्बन्ध — भारतीय समाज लड़के व लड़कियों के पारस्परिक सम्बन्ध स्वतन्त्रता, सहयोग और मित्रता के नहीं है। इसके परस्पर मित्रता के सम्बन्ध स्वीकार नहीं है। लेकिन सह शिक्षा व सेवाओं के लिए समान ध्वस्त गैरी व्यवस्था में दोनों के सहयोगी और मित्रता के सम्बन्ध सम्भव हो गये हैं। जबकि समाज इसे मूल्यों के प्रतिकूल समझता है। लड़के व लड़कियों के पारस्परिक सम्बन्ध ऐसी परिस्थितियों में स्वाभाविक नहीं बन पाते और तनाव को पैदा करते हैं। दुर्भाग्य है कि अधिकांशतया लड़कों का व्यवहार लड़कियों के प्रति उद्दता और उश्रुलता का होकर प्रशासनीय हो जाता है और लड़कियों का व्यवहार लड़कों के प्रति शका और नय का हो जाता है। इसका प्रभाव विद्यार्थियों के व्यवहार पर प्रभाव डालता है। अनेक ध्वस्त पर सह शिक्षा में अनुशासनहीनता का मुख्य कारण लड़के व लड़कियों के स्वाभाविक सम्बन्धों का न होना ही है।

## (iv) धार्मिक मायताओं व परम्पराओं से वास्तविक जीवन में निराशा —

भारत धर्म प्रधान देश है, जिसका सामाजिक जीवन पर प्रभाव डालता है। विद्यार्थी इस प्रभाव से मुक्त होना चाहता है लेकिन प्रत्यक्ष रूप से धर्म से अपने आपको पृथक नहीं कर सकता। धर्म प्रधान देश के नवयुवकों के लिए दिल और दिमाग में सधप पैदा करता है। उसकी धार्मिक मायताओं और परम्परागत धारणों का जो सधप उसके जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से होता है, उससे उसे निराशा और दुःख का अनुभव होता है। एलीन डी रोस ने ठीक ही लिखा है— 'धार्मिक विश्वास मात्र को छोड़ने के साथ समझौता कठिन नहीं है, परन्तु जब एक विद्यार्थी इसे अपने पहले के अनेक विश्वासी के साथ-साथ खोता है तो यह उसके लिए एक बड़ा हानिकारक अनुभव हो सकता है।'<sup>8</sup>

## (4) विद्यार्थी-सभ्यता और नवीन मान्यताएँ —

(1) धार्मिक और शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन - विद्यार्थी समाज की अपनी

<sup>8</sup> Loss of religious faith itself may not be difficult to adjust to but when it occurs at the same time as a student loses men of of his early beliefs, it may be a very upsetting experience 'Aileen D Ross

जलम सम्म्यता का निर्माण हुआ है । देश की आर्थिक और शिक्षा व्यवस्था म बहुत तीव्रता से परिवर्तन हुए हैं । बगैर लिंग व जातिभेद के व्यवसाय चयन की स्वतन्त्रता है । विद्यार्थी घर से दूर छात्रावास में भी रहते हैं जिनकी जलम मनोवृत्ति का विकास होता है । विद्वान मातजा लिखते हैं— 'नवयुवका में पृथक होकर अपनी एक पृथक सम्म्यता के निर्माण की भावना प्रमुख है, यह इस बात से समझा जा सकता है कि यह प्रवृत्ति केवल एक किसी विशय राष्ट्र या सामाजिक वर्ग तक सीमित नहीं है बल्कि प्रौद्योगिक दृष्टि से प्रगतिशील सभी देशों में पाई जाती है ।' 9

छात्र व छात्राओं के केश-वि यास, वेशभूषा, विचारों, भावनाओं की कुछ विशेषताएँ दृष्टिगोचर होती हैं । फिल्में उनकी वेशभूषा, विचारों व आदर्शों को प्रभावित करते हैं । धर्म और सामाजिकता वर्ग के आधार पर नहीं मानते । आज का विद्यार्थी आर्थिक, सामाजिक समानता व व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का पक्षधारी है । इस प्रकार अनेक बातें विद्यार्थी-संस्कृति को भारतीय समाज की साधारणतया माय संस्कृति से अलग करती हैं । परन्तु इनके अतिरिक्त उसकी दो बातें विशेष हैं—

(1) वर्ग-भावना और (2) प्राचीन के प्रति विरोध की भावना ।

ii) विद्यार्थियों के विचार प्रौढ़ पीढ़ी स्वतन्त्रता व प्रगति में बाधक —

जहाँ उन्हें अधिक स्वतन्त्रता भी होती है वहाँ पर भी वह अपने मस्तिष्क से इस विचार को नहीं निकाल पाते । टी आर फीवेल के अनुसार— "जो है इसके प्रति विद्यार्थियों में एक आलोचनात्मक भाव है । यह आलोचनात्मक दृष्टिकोण परम्परा से होती आई आलोचना और अलगाव की भावना और आधुनिक समाज के बुजुर्गों के प्रति नव-युवकों का विद्रोही दृष्टिकोण है ।" 10 इस प्रकार शिक्षित युवा पीढ़ी और प्रौढ़ पीढ़ी में जो अन्तर और विरोध हो गया है उसका परिणाम भी विद्यार्थियों का असन्तोष है ।

(iii) युवा पीढ़ी और प्रौढ़ पीढ़ी का अन्तर निरन्तर बढ़ रहा है — अभिभावक, समाज व अध्यापकों पर विद्यार्थियों का आश्रय है कि वे उनकी स्थिति से अनभिन्न हैं प्रतः उन्हें अपना रास्ता स्वयं तलाश करना है । ऐसे विचार छात्रों को शाला व समाज में सफल की ओर प्रसर करता है ।

9 The fundamental nature of this separation of young people into a Sub culture of their own is evident from the fact that this Phenomenon is not confined to any particular nation or Social class, but is found in all highly industrialized Countries" Matza

10 "There is an inherent tendency for students to take a critical attitude towards the status quo This critical attitude is the product of a tradition of criticism & alienation and of the rebellions of youth towards their elders in modern society" —T R Fyvel

(iv) प्रौढ पीढ़ी आदर्श और मायताओं को प्रदान करने में असफल— वास्तव में प्रौढ पीढ़ी छात्रों को समय व युग के बदलते हुए परिवेश के अनुकूल आदर्श और मायताएँ प्रदान करने में असफल रही है। देश के विशिष्ट वर्ग चाहे व्यापारी, राज नेता, समाज सुधारक हो स्वतंत्रता के उपरान्त नैतिक चरित्र ही प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही रोप और धृष्टा पदा करने जैसी काय-प्रणाली को अपनाया है। अध्यापक व शिक्षाविदों ने भी कोई ठोस काय नहीं किया, जिससे छात्रों में असतार्थ व विद्रोह की भाव को प्रज्वलित किया। युवा पीढ़ी के घलगाव का कारण उनमें मनका के सम्मुख आने वाली विरोधी भावों और मायताएँ हैं।

(v) छात्रों की कठिनाई और बुराई दूर करने के लिए समाज द्वारा प्रयत्न नहीं— समाज सभी वर्गों के लोगों का अभियान है कि छात्रों को अनुशासन में रहना चाहिए। उन्हें अपनी शिक्षा के प्रति उत्तरदायित्वपूर्ण आचरण अपनाना चाहिए। छात्रों के लिए मानवीय एवं भौतिक साधनों का अभाव है। अध्यापक व छात्रों के बीच भावात्मक संबंध का अभाव है। ऐसी स्थिति में इन अनुविद्यार्थियों को दूर करने के लिए भी विद्यालयों के पास अपना असंतोष को प्रकट करने के अतिरिक्त कोई अन्य साधन नहीं है। अपनी आवश्यकताओं और सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने का उत्तरदायित्व विद्यार्थियों पर ही छोड़ दिया गया है और ऐसी स्थिति में उनके पास हड़ताल, जुलूम नारे, घेराव भूख हड़ताल आदि के अतिरिक्त और कोई ऐसा साधन ऐसा नहीं होता- ह जो उन्हें उनकी उचित सुविधा दिला सके।

(5) सांस्कृतिक कारण— आज हम सांस्कृतिक ह्रास के युग में जी रहे हैं। सस्कृति है क्या? इसके लिए श्री ई बी रायलर का कथन— "सस्कृति वह सशिलस्ट अभियोजन है, जिसमें समाजगत ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून, रस्म रिवाज की सभी प्रकार की क्षमताएँ और आदतें सम्मिलित रहती हैं।" भारतीय सस्कृति की चार विशेषताएँ हैं- (1) राष्ट्रीय एकता (2) गत्यात्मकता (3) ममत्व (4) साम्प्रदायिकता रहित भावना। लेकिन हम देखते हैं कि हमारी सस्कृति के अनुरूप काम न होकर पाश्चात्य सस्कृति देश में फैल रही है। डा एम राधाकृष्णन ने तत्सम्बन्धी के अनुसार— "पश्चिमी सस्कृति की मुख्य प्रवृत्ति मनुष्य और ईश्वर में विरोध बढ़ाना है जिसमें ईश्वर की शक्ति का प्रतिरोध करता है। भारत में मनुष्य ईश्वर से उदभूत माना जाता है। भारतीय चिंतन में ईश्वर और मनुष्य में हादिक सम बराबर है।"

श्री के एम मुशी का कथन है— "पाश्चात्यवाद मनुष्य की उनके निकृष्टतम विचारों के घरातल पर गिरा देता है। उसके लिए अपनी स्वाभाविक इच्छाओं और भाव-शक्तियों को पूरा करने के सिवाय और कुछ है ही नहीं, जिसे वह अपना ध्येय बनावे।"



भारत अथ सस्कृतियों को अपने मे आत्मसात करता आया है । प्रो राधा कुमुद मुकर्जी 'यह वह राष्ट्र है जिसने भौगोलिक सीमाओं का अतिक्रमण करके सांस्कृतिक परिसीमा को नूतन अवधारणाओं को अंगीकार किया है अर्थात् हम अपनी सस्कृति बना रहे हैं ।

आज के भारत मे "मन्त्रा सस्कृति" व 'भौतिक सस्कृति' जिसका प्रतीक धन, भौतिक प्रतियोगिता और भौतिक शक्ति की पूजा है जिसके कारण अनतिकता, स्वाधपरता, भ्रष्टाचार अश्लीलता, मदिरापान, नाइट क्लब, रेस, गैम्बलिंग, मडर केबरा आदि का प्रयोग बढ़ रहा है ।

आज हमारी शिक्षा, सांस्कृतिक क्रान्ति का मार्ग खोलने मे पूणतया असफल रही है। समय की माग है कि पाठक्रम में सस्कृति का समावेश हो जायया आज का बालक दिशा भ्रष्ट और विद्रोही होता रहेगा । विध्वंस ही उसकी मृजन शक्ति है और आत्मसन्तोष का कारण'। हमारी शिक्षा उधार ली गई पद्धति पर आधारित है ।

(6) नैतिक कारण — पाश्चात्य सस्कृति के प्रभाव से सिनेमा, चलचित्र जीवन केवरे, ब्लू-प्रिंट यौन उ मुक्तता का दृष्टिकोण तेजी से बढ़ता जा रहा है । इसका प्रसार होने का कारण देश के नतिक मूल्यों का पतन है जिसे अब भी गम्भीरता से नहीं लिया जा रहा है । मुक्त यौनाचार, लडके-लडकियों का 'डेटिंग पर जाना 'एडवॉस समझा जाता है । इसके साथ ही अश्रद्धा और अनास्था नैतिकता की कमी का कारण है । यही अनतिकता अराजकता को जन्म देती है । छात्र असन्तोष व आक्रोश कुण्ठा और जवि-स्वास अनैतिकता के कारण है । अत हमारी शिक्षा का दृष्टिकोण छात्रों मे नतिक दृष्टि पैदा करना हो जाय तो उनमे कतव्य के प्रति उत्तरदायित्वों की भावना बलवती हो जायगी और स्वस्थ चिन्तन की आदत बढेगी ।

### छात्र असन्तोष का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण — (Psychological Analysis of Student Unrest)

आज भारतवर्ष का छात्र भी अथ पाश्चात्य देशों की भांति सामाजिक स्तीकरण, मायताओं, मूल्यों परम्पराओं को तोड़कर नये ढंग से स्थापित करने मे रुचिकर है । किशोर अवस्था मे छात्रों पर समाज, शाला व अभिभावक द्वारा अत्यधिक नियंत्रण रखने का सफल प्रयास किया जाता है जबकि इस अवस्था मे बालक नियंत्रित नहीं होना चाहता । 'बाल-केन्द्रीत' शिक्षा अवस्था मे बालक को स्वतंत्र चिन्तन व स्व-ध्याय पर बल दिया जाता है । बदलते हुए मूल्यों मे किशोर एवं नवयुवक स्वतंत्रता चाहता ही है । इसीलिए आज का युवक प्रौढों की परवाह किये बगैर ही अपनी विचार-धारा, क्रियाकलाप, अपनी पहचान को बनाये रखने का प्रदर्शन करने मे कोई कानाई नहीं करता छात्र-असन्तोष प्रौढ व बुढों का, नय तथा परम्परागत लोगों के बीच नई विकसित मायताओं एवं प्राचीन प्रथाओं का संघर्ष है ।

मनोवैज्ञानिक किसी भी असन्तोष को घबराने वाली स्थिति की श्रेणी में नहीं रखता चाहिए जैसे कि विद्रोह, विप्लव प्रादि स। भारतीय छात्र आवश्यकताओं मूल्यों, दिशाओं और निरन्तर परिवर्तन के लिए कटिबद्ध है ता एसी अवस्था में असन्तोष एवं सामाजिक असंतुलन जैसी स्थिति का प्रादुर्भाव होना स्वाभाविक क्रिया है। कभी-कभी प्रगति के लिए असन्तोष आवश्यक भी होता है। छात्रों में डर, भय, प्रलोभन व परम्परा की आड में अनुशासन बनाने हेतु निर्देशित करने की बजाय प्रारम्भ-अनुशासन के लिए सस्कार डाले जाय। ऑडर व डिसिप्लिन के भेद को स्पष्ट किया जाय। जहाँ अनुशासन है वहाँ ऑडर स्वतः ही बना रहेगा परन्तु जहाँ ऑडर है वहाँ अनुशासन का होना आवश्यक नहीं। अनुशासन एक मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति को सर्वोच्च मानसिक एवं सामाजिक प्रयत्न करना सम्भव है।

नये विकास के फलस्वरूप राजनतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक व पारिवारिक दबाव व तनाव बढ़ रहा है जिससे इन से सम्बन्धित समस्याओं के प्रति असन्तोष व विध्वंसात्मक प्रवृत्ति बढ़ रही है। उनमें मानसिक कमजोरी बढ़ती है जिससे शाला, परिवार, कक्षा, प्रवृत्तियों में सम्भागी नहीं होना चाहिये। इस प्रकार से विकसित असन्तोष सामुहिक हड़ताल करते हैं जो 'माँव-मनोविज्ञान' के अन्तर्गत विचार का विषय बनता है। छात्रों में असन्तोष मुख्यतः कार्य आगे बढ़ने में रुचि न लेना भी है। पाठ्यक्रम से ऊपर कर गलत तरीकों से परीक्षा उत्तीर्ण करना चाहता है। वे पाठ्यक्रम को हृदय से स्वीकार नहीं करते तो एकाग्रता को ही कल्पना ही है। पुराने व नये युग के बीच, नौजवानों व प्रौढ़ों के बीच विचारों का संघर्ष है। इसलिए छात्रों के असन्तोष तथा विद्रोह से भय नहीं है। भय इस बात का है कि छात्रों में केवल नकारात्मक एवं विध्वंसात्मक प्रवृत्तियों का प्रभाव बढ़ रहा है। यदि उसकी शक्ति का उचित स्तेमाल करते हुए सृजनात्मक कार्यों के प्रति उत्प्रेरित किया जाय तो उत्तम रहेगा। सोदय-दृष्टि से व्यभिचार, अश्लीलता, घृणा व आक्रोश समाप्त होकर उपयोगी नागरिक बनना।

### छात्र असन्तोष समाधान और सुझाव

(Student Unrest remedial measures & Suggustions)

छात्रों की ऊर्जा, का उचित ढंग से उपयोग करने और उनमें असन्तोष दूर करने के लिये निम्नलिखित बिन्दु सामने आते हैं, जिनके सहयोग और सम्यक् दृष्टिकोण से इस समस्या का समाधान हो सकता है —

(i) प्रशासन, (ii) शिक्षक, (iii) शिक्षा का नियोजन, (iv) अभिभावक (v) राजनीतिज्ञ,

(vi) नैतिक विचारक (vii) छात्र (viii) नैतिक मायताएँ (ix) अय कारण ।

(i) प्रशासक —

- (a) शिक्षण सस्थाओं को प्रजातान्त्रिक ढंग से पुनर्गठन करते हुए नयी व्यवस्था हो ।
- (b) शिक्षण सस्थाओं के प्रशासकों में अधिकार के प्रयोग की बजाय सेवा की भावना हो ।
- (c) शिक्षण-सस्था प्रधान की समझदारी और सद् व्यवहार का वातावरण बनावें ।
- (d) परीक्षा-व्यवस्था निष्पक्ष व नियमितताओं को लिए हुए हो ।
- (e) ग्रन्थजस की स्थिति को समाप्त करने हेतु सकल प्रयास वाञ्छित है ।
- (f) सस्था प्रशासन के गठन व संचालन में छात्रों को भागीदार बनाया जाय ।
- (g) शिक्षण-सस्थाओं में कोई किसी पर अविश्वास न करे, ऐसा प्रशिक्षण नै ।
- (h) 'शिक्षक छात्र परिषद्' का निर्माण किया जाय ।
- (i) 'छात्र कल्याण' के लिए समुचित व्यवस्था हो ।
- (j) किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन को लागू करने से पूर्व छात्रों को विश्वास म लिया जाय ।
- (k) सस्था में गम्भीर व चि तन के वातावरण को बनाया जाय ।
- (l) व्यवसायिक सूचना, परामश, हावी क्लब, आदि का संगठन किया जाय ।

(ii) शिक्षक —

- (a) शिक्षक व छात्रों के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे ।
- (b) बढ़ती हुई छात्र सस्या के साथ शिक्षक सस्या बढ़ायी जाय ।
- (c) शिक्षका को सभी सुविधाएँ व पदोन्नतिया दी जाय ।
- (d) सस्ते नोटस और कु जिया लिखना अपराध समझा जाय ।
- (e) अध्यापक को छात्र के हित में कायरत रहना चाहिए ।
- (f) अध्यापकों को आदर्श व्यावसायिक रूप में अपन का प्रतिष्ठित करना चाहिए ।
- (g) शिक्षक को छात्र में मैत्री भाव स्थापित हो । उनका परस्पर व्यवहार भी प्रिय और श्रद्धाजनक हो तो उत्तम हेरगा ।
- (h) छात्रों के सशय का निकालने में मदद करना चाहिए ।
- (i) शिक्षक को विश्वसनीय और सम्मानीय बनाने से छात्रों में रुचि और रुझान लेने लगेगा ।
- (j) शिक्षक छात्रों का आदर्श नेतृत्व तब ही कर सकता है जब स्वयं प्रत्येक प्रवृत्ति में भागीदार बने और छात्रों को भाग लेने हेतु उत्प्रेरित करे ।

(iii) पंचवर्षीय योजना में शिक्षा —

- (a) शिक्षा-नियोजन इस ढंग से किया जाय कि आवश्यकता और पूर्ति का सन्तुलन बना रहे ।

- (b) श्रम ]निष्ठा तथा श्रम का सम्मान करवाने की दृष्टि से श्रमिक वर्ग का स्तर उठाया जाना चाहिए ।
- (c) श्रम का समुचित और सम्माननीय मूल्य नौका जाय तो नौकरी की समस्या बहुत कुछ सुलभ जायगी ।
- (d) स्वतन्त्र व्यवसाय चयन में दिलचस्पी का विकास किया जाय ।
- (e) समाज के विनिष्ट वर्ग के लोगों पर, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर कृपा रख जनान स छात्रों में भी ईमानदारी, श्रमनिष्ठा व कृतब्य पातन क गुणा का विकास हा सकेगा ।
- (f) पंचवर्षीय योजनाय श्राविक विपमता की खाई को पाटे ।
- (g) बेकारी की महामारी से देश को बचाने की व्यवस्था योजना में हो ।
- (h) पंचवर्षीय योजनाएँ ठोस, तथा यथायपरक होनी चाहिए ।
- (i) ज्ञानाजन के साथ धर्नाजन (सीनो कमाग्री, एम यू पी डन्नु ) क तिर उचिन अवसर उपनब्ध हो ।
- (iv) अभिभावक —
- (a) अभिभावक छात्रों की हर प्रवृत्ति की ओर ध्यान दे ।
- (b) अभिभावक की लापरवाही से ही छात्र गैर-जिम्मेदार बनते हैं ।
- (c) उन्हें छात्रों के मन में शय रहित स्थिति पदा करनी चाहिए ।
- (d) छात्रों को समय-समय पर सृजनात्मक सुभाव प्रदान करे ।
- (e) अभिभावकों व छात्रों के बीच प्रतिदिन परस्पर वार्ता हो ।
- (f) परिवार में लोकतांत्रिक वातावरण का निर्माण करे ।
- (g) छात्र की रुचि, और आदतों के विकास में मदद कर ।
- (h) छात्रों में रुचि, उनके काय के प्रति जिज्ञासा तथा भावी योजना में परस्पर मद योग से अस ताप समाप्त होता है ।
- (i) परिवार-संस्कृति को बरकरार रखना ।
- (v) राजनीतिज्ञ —
- (a) राजनीतियों को अपने अनुकरणीय काय करने चाहिए ।
- (b) गुटबंदी, दल बदल राष्ट्र विराधी कायवाही को कानूनी अपराध घोषित किया जाय, ताकि छात्र राजनेताओं के आचरण का अनुसरण करे ।
- (c) विदेशी राष्ट्रों के एजेण्टों को राजनतिक दल कानूनी पाब द करे ।
- (d) सभी राजनतिक दल एकजुट हाकर देश को जनत व व मानवतावादी ढावे में डालें ।
- (e) हमारी संस्कृति, रिवाज व परम्परा आध्यात्मिकता पर भाहित है । अतः अध्यात्म व नैतिक शिक्षा का समावेश हो ।

- (f) राजनैतिक दल को छात्र-निर्वाचन व आंदोलन में भाग नहीं ले ।
- (g) राजनीतिज्ञ सौदेबाजी छोड़कर जनहित नीति को अपनाय ।
- (h) राजनैतिक दल को अपनी आदर्श नीति पर आधारित शिक्षण-सत्याजा री रथा पना करनी चाहिए ।
- (i) दलों के बीच पारम्परिक द्वन्द्व समाप्त किया जाय ।
- (vi) लेखक व विचारक —
- (a) लेखक और विचारकों का दायित्व है कि वे माँग की पूर्ति के दृष्टिकोण से साहित्य-संजन न कर जनता की मनोगति का परिष्कार करे ।
- (b) विचारकों को चाहिए अर्द्धा दशन प्रदान करे जिसकी आदर्श या लक्ष्य के रूप में देश अपनाय ।
- (c) सुबोध साहित्य की ही रचना करे ।
- (d) लेखक विचारक और प्रकाशक छात्रों को स्वस्था साहित्य दे ।
- (vii) छात्र —
- (a) छात्र अध्ययन को और अनुप्रेरित हो ।
- (b) शिक्षा को नौकरी पाना ही उद्देश्य न समझकर चरित्र विकास का साधन समझे ।
- (c) छात्र बेरोजगारी के हौए से भयभीत न हो ।
- (d) अध्ययन और मनन से श्रम क प्रति निष्ठाभाव पैदा करे ।
- (e) स्वयं आर्थिक-लाभ को योजना का निर्माण करे ।
- (f) अपने बीच स्टूडी सिकल का निर्माण कर अर्द्धे वातावरण का निर्माण करे ।
- (g) वह हल्का बहुकामिया और बहुकाने वाला न हो ।
- (h) शशक्त वीययुक्त, स्वात्मवी निर्भीक शा त स्वभाव का, निष्ठावान और मधुरभाषी हा ।
- (i) विपरीत परिस्थितियों में डगमगाय नहीं ।
- (viii) नैतिक मान्यताएँ —
- (a) प्रौढ़-पीढ़ी, नव-पीढ़ी के कार्यों की भस्ना करना छोड़ दे ।
- (b) नय दृष्टिकोण को आत्मसाध करना ।
- (c) जहाँ नतिक दृष्टि से सशोधन वाछित है, वहाँ अविलम्ब कर देना चाहिए ।
- (d) प्रौढ़पीढ़ी को आवश्यक सशोधन में पहल करनी चाहिए जिससे विवाद जैसी परिस्थिति ही नहीं आने पावे ।
- (e) दृष्टिकोण और दायरा विस्तृत व उदार हो ।
- (f) पाश्चात्य मान्यताओं का विरोध की बजाय मंत्री और सौज पूर्ण वातावरण बनने से नई और प्रौढ़ पीढ़ी में द्वन्द्व नहीं होगा ।

- (g) नैतिकता का सही प्रत्यय छात्रों का स्पष्ट करे कि यह नानव विक्रम हेतु ही तो है।  
 (h) नैतिक तथा धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था से छात्रों में सहयोग,सद्भावना,सहिष्णुता, स्वस्थ प्रतियोगिता तथा आत्मनुशासन आदि गुणा का विकास हो सके ।

### (ix) अय कारण —

- (a) छात्रों को सुविधाएँ देना विरोध के लिए अवसर न दे ।  
 (b) छात्रों के विश्वास का पुन स्थापित किया जाय ।  
 (c) विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी संस्थाएँ छात्रों के हितों को वाय करने से छात्र अकेलापन नहीं समझे ।  
 (d) असन्तोष पदा होने से पूर्व ही मनोवैज्ञानिक ढंग से व्यक्तिगत निर्देशन व परामर्श प्रदान किया जाय ।  
 (e) पाठ्यक्रमों में विविधता व शिक्षा प्रणाली रूचिकर हो ।

### उपसंहार —

यह कहा जाना अनुपयुक्त नहीं होगा कि छात्र-असन्तोष के पीछे सामाजिक सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक नैतिक तथा शैक्षणिक अपरिपक्व योजनाओं का अज्ञानीय होना बहुत बड़ा कारण है । आज के युग में सब का समन्वित प्रभाव परस्पर पड़ता है । आज किसी भी प्रश्न को एक दूमरे से जुदा करके नहीं देखा जा सकता है । प्रत्येक प्रश्न के साथ अनेक सर्वांगीण प्रश्न या समस्याएँ हैं । छात्र असन्तोष वर्तमान परिस्थितियों की देन है । यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है और न सिर्फ चोकाने वाली है, बल्कि जीवन के विभिन्न घटकों में ही रहे परिवर्तन और प्रयोग का प्रतिकूल है और इसके पीछे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि काय कर रही है । इसलिए इस समस्या में कई क्षेत्रों को प्रभावित किया है और यह सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि कहीं यह विस्फोटक रूप राजनैतिक उपलब्धि का कारण नहीं बन जाए । यदि इस युवा शक्ति का सही दिशा में प्रयोग नहीं किया गया तो इसमें दो राय नहीं कि यह शक्ति जन-श्रुति तक की स्थिति पैदा कर सकती है और तब इस पर विचार करने का समय निकल चुका होगा, वस्तुतया यह एक भयावह और विध्वनात्मक स्थिति होगी, जिसके परिणाम व प्रभाव को आज सोचना कठिन होगा ।

छात्र-असन्तोष का मुख्य कारणों में से बेरोजगारी है । शिक्षा पद्धति और पाठ्यक्रम में कार्रकारी परिवर्तन शिक्षा का रोजगार से जोड़ा जाय । देश का भौतिक सुविधाओं से नहीं आध्यात्म दृष्टिकोण के विकास से उन्नत किया जाना चाहिए । नये मूल्यों के आधार पर नये समाज की रचना हेतु दर्शन प्रस्तुत किया जाय । हमारी शिक्षा नीति

म निरन्तर परिवर्तन हो रहा है उसे एक राष्ट्रीय नीति के रूप में प्रस्तुत किया जाय । और निश्चित भारतीय दृष्टिकोण को विकसित करते हुए शिक्षा को जीवन की आवश्यकता से जोड़ा जाना चाहिए । छात्र, शिक्षक अभिभावक, राजनीतिज्ञ, लेखक विचारक और शैक्षिक प्रशासकों को चाहिए कि वे सभी सहयोगी रवैया अपनाकर छात्र-असतोप को समाप्त करने का मफल प्रयास करें । छात्रों को रोव, डर, भय से नहीं बल्कि विश्वसनीय तथा सामाजिक व सन्तोपप्रद वातावरण का निर्माण करें जिससे देश व छात्र समुदाय दोनों को लाभ हा सके ।



### मूल्यांकन (Evaluation)

#### (अ) लघुत्तरात्मक प्रश्न (Short Answer Type Questions)

- 1 छात्र असन्तोप के निवारण हेतु पाच सुझाव दीजिए । (राज पत्राचार 1985)
- 2 आपक राज्य में छात्र-असन्तोप के पाच कारणों की सूची बनाइये । (राज 1984)
- 3 छात्र-असन्तोप न्यायसगत हो सकता है, कि तु छात्र-आन्दोलन' नहीं । टिप्पणी कीजिये । (राज 1983)
- 4 शिक्षण संस्थाओं के प्रशासन में विद्यार्थियों के सम्भाग से छात्र अस तोप की समस्या किस सीमा तक सुलभ सकती है ? (राज 1982)
- 5 'भारत में छात्र असतोप का मूल कारण है वरोजगारी ।' इस कथन की परीक्षा कीजिए । (राज 1981)
- 6 युवा शक्ति के मार्गातरीकरण से आप क्या समझते हैं ? (राज पत्राचार 1981)
- 7 राजस्थान में छात्र-असतोप के मुख्य दस कारणों की सूची बनाइये । (राज 1979)
- 8 शिक्षित वरोजगारी तथा छात्रों में बढ़ती हुई अनुशासनहीनता पर टिप्पणिया लिखिये । (राज पत्रा 1979)
- 9 युवाशक्ति को राष्ट्रीय पुनर्निर्माण हेतु ठीक दिशा में प्रवाहित करने हेतु पाच सुझाव दीजिए । (राज 1978)

#### (ब) निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

- 1 विद्यार्थी आन्दोलन के लिए शैक्षिक कारक कहा तक उत्तरदायी ठहराये जाते हैं ? इनके निराकरण करने के उपाय सुझाइये । (राज पत्रा 1984)
- 2 छात्र असन्तोप को कम करने के लिए एक शैक्षिक योजना बनाइये । (राज पत्रा 1981)
- 3 छात्र असन्तोप को कम करने के कारकों पर प्रकाश डालिए और साथ में ऐसे सुझाव प्रस्तुत कीजिए जिनके द्वारा विद्यालय इस समस्या का निराकरण कर सकते हैं । (राज 1975)

[रूपरेखा— विषय प्रवेश, भारतीयकरण की आवश्यकता, शिक्षा में भारतीयकरण का सम्प्रत्यय, भारतीयकरण का अर्थ, शिक्षा में भारतीयकरण की वांछनीय व्यवस्था सस्कृति और भारतीय सस्कृति, भारतीय शिक्षा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, शिक्षा का भारतीयकरण हेतु प्रयास स्वतंत्रता से पूर्व तथा स्वतंत्रता के उपरांत भारतीयकरण प्रयास क असफलता के कारण, भारतीयकरण हेतु सुभाव, उपसहार मूल्यांकन]

विषय प्रवेश—

अंग्रेजी काल में लार्ड मैकाले की शिक्षा नीति का उद्देश्य भारत के बालक व बालिकाओं का सर्वांगीण विकास करना न होकर कूटनीति दृष्टि से एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का प्रारम्भ करना था जिससे रण से भारतीय बने रहे परन्तु विचार, रूचि और अभिरुचियों रहन सहन, दृष्टिकाण तौर-तरीके से, नैतिक मूल्य समग्र अंग्रेजीयत का और मुकाबल निरंतर द्रुत गति से हो सक। विज्ञान की प्रगति, तकनीकी विकास यंत्रों का आविष्कार एक दूसरी प्रक्रिया है। प्रकृति की देन— जलवायु मूल्य चाद के समान ही ये विज्ञान के उपकरण भी मानवमात्र के लिए एक सरीखे हैं किन्तु अंग्रेजों की सत्ता के पिपासु मैकाले जैसे लोग विज्ञान की विशालता का सकुचित बनाकर अपने साम्राज्य एवं अपनी भोगवादी सस्कृति एवं अज्ञान विदेशी धर्म के प्रचार के लिये विज्ञान को एक अस्त्र बना रहे व। भारतीय मनीषियों समाज सुधारकों ने इस प्रकार की शिक्षा नीति का वैचारिक दृष्टि से ही नहीं भिन्न-भिन्न मृजनात्मक क्रियाकलापों के माध्यम से भी प्रतिकार किया। नातिकारी सावरकर ने विदेशीयन से देश को सावधान करने के कारण मानसिक दासता से मुक्त करने वाले कायाकल्प का जनक कहा है। अर्थात् वे चाहते थे कि शिक्षा का माध्यम राष्ट्रभाषा हो और राष्ट्रीय शिक्षा हो ताकि देश भक्ति का विकास हो सक।

भारतीय मनीषि व समाज सुधारक चाहते थे कि भारत के प्राचीन गौरव से बतमान को गुंजाते हुए आध्यात्मिकता एवं वनानिकता के समक्य का प्रयत्न करते हुए भारतीय शिक्षा में सुधार के लिए उपयुक्त माग का अवैक्षण करते हुए शिक्षा के



के क्षेत्र में कुछ नये सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। बुनियादी शिक्षा, गुरुकुल प्रणाली, शांतिनिकेतन आदि सफल प्रयोग रहे हैं। राष्ट्रपिता व अथ राष्ट्रनायक भारतीय शिक्षा को भारतीय परम्पराओं पर आधारित करने के पक्ष में थे। पाण्डुरेरी आश्रम में अरविंद तथा काशी में मालवीजी, अहमदाबाद की गुजरात विद्यापीठ आदि शिक्षा में भारतीयता पर आधारित करने हेतु सफल प्रयोग कहे जा सकते हैं। इन संस्थाओं ने स्वतंत्रता से पूर्व ही महान् देशभक्त पदां किये हैं जो स्वतंत्रता संग्राम में अहम् भूमिका निभाने में सक्षम रहे हैं।

स्वराज्य प्राप्ति से पूर्व राष्ट्रपिता राष्ट्रीयता की ज्योति जगाई जिसके विकास में महामना, श्री नेहरूजी, सरदार पटेल, नेताजी राजाजी एवं श्री देसाई आदि जुटे रहे परन्तु स्वतंत्रता के उपरांत हमारा दृष्टिकोण नकारात्मक बनता ही गया और सामाजिक एवं राजनैतिक क्षेत्र में निरन्तर भ्रष्टाचार का बोलबाला तथा 'मूल्यों' का ह्रास तो वहाँ ही साथ ही पश्चात्य देशों की नकल के जादी होते गये जिसके फलस्वरूप हम अपनी महान् संस्कृति, हमारे सामाजिक, राजनैतिक मूल्यों एवं आदर्शों से दूर होते जा रहे हैं। इसी का कारण है कि आये दिन देश के सम्मुख साम्प्रदायिकता, जातीयता, धर्म क्षेत्र भाषा तथा भारतीय संविधान के प्रावधानों को लेकर ताडवन्त्य दृष्टिकोण हो रहे हैं। ऐसी स्थिति का जड़ से समाप्त करने के लिए भारत में प्राचीन मूल्यों में आस्था स्थापित और पश्चात्य सभ्यता का अनुकरण न कर, देश की आवश्यकता के अनुरूप भारतीयकरण करने के सफल प्रयास से ही देश सभी क्षेत्रों में प्रगति की ओर प्रसरण हो सकता है। इसलिए मैं दयानंद भारतीयता का अवमूल्यन नहीं करना चाहते थे। भारत के शव पर प्रगतिवाद—एवं पश्चिम के डिजाइन (Design) का भवन व सहन नहीं कर सकते थे। जिस प्रकार किसी वस्त्र की पहचान हम उसके फल से करते हैं और फल की परीक्षा स्वाद से होती है, ठीक उसी प्रकार शिक्षा की पहचान देश से एवं देश की पहचान सांस्कृतिक मूल्यों से ही पाती है। यद्यपि हमने राजनैतिक व्यवस्था में तो इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, स्वीजरलैंड आदि का अनुसरण किया है लेकिन देश में शिक्षा तथा शिक्षा प्रदान करने के माध्यम अनेक अनेक हैं। अतः अरविंद ने इसीलिए कहा— 'आधुनिक भारतीय शिक्षा न तो आधुनिक है न भारतीय और न शिक्षा ही।' अतः वर्तमान पद्धति की जड़ता से पीछा छुड़ाया जाना आवश्यक है। हमारी शिक्षा नीति 'जियम अंतरंग सुनभ्यता हो ताकि वह अपने आपको बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप ढाल सके।'<sup>1</sup>

1 कोठारी दीर्घसिंह, शिक्षा आयोग की रिपोर्ट (शिक्षामंत्री श्री छांगला को पत्र 29 जून 66)

किसी दश की पहिचान उसकी संस्कृति से होती है। संस्कृति क हस्तावण सरक्षण एव सवद्धन का प्रमुख साधन शिक्षा ही है। जत किमी राष्ट्र की शिक्षा उसकी ससृति का परिचायक नहीं है ता वद् सच्चे षय म शिक्षा नहीं है। संस्कृति के प्रमुख तत्व है, जीवन-दशन, जीवन-धर्मा, भाषा और साहित्य परम्पराएँ व रीति-रिवाज आदि। दीधकालीन दामता के कारण हमार राष्ट्र मे शिक्षा की स्थिति निरतर भारतीयता क दृष्टिकोण स कमजोर बनती ही गई। यह बुझा नारन जो शिक्षा को दृष्टि स सवश्रेष्ठ जीर जगद्गुरु कहा गया था दुभांग्य से आज इस ंग की शिक्षा-पद्धति की कोई पहचान तक नहीं है हाँ नारत की पहिचान ग्रिटेन क उपनिबन्ध क रूप म अवश्य रही है। हम 21वी सताब्दी म प्रविष्ट होन हेतु प्रयत्नशील है ता हमार राष्ट्र की पहिचान ही और यह पहिचान अपनी स्वय की शिक्षा व्यवस्था द्वारा ही। प्रत शिक्षा म भारतीयकरण का प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है।

### शिक्षा मे भारतीयकरण की आवश्यकता

(Need of Indianization of Education)

- (1) शिक्षा दश की आवश्यकता व प्राकाशापो के धनुरूप हो।
- (2) शिक्षा का दशन भारतीय हा, जिसे देश का पहचान हो सके।
- (3) भारत म निर्मित भारतीय परिस्थितियों क धनुकूल हो।
- (4) शिक्षा भारतीय संस्कृत व परम्पराओ के धनुकूल हो।
- (5) शिक्षा जिसे धार्मिक सहिष्णुता एव राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास हो सके।
- (6) भारतीय मूल्यों के प्रति आस्वा, राष्ट्रीय-चरित्र का निर्माण।
- (7) भारतीय जीवन-दर्शन, भाषा, साहित्य और परम्पराओ के प्रति गौरव की भावना का उदय।
- (8) भारतीय सविधान, ऋण्डे, राष्ट्रगीत, व राष्ट्रीय चिह्न क प्रति आस्थावान।
- (9) शिक्षा द्वारा चारित्रिक विकास भारतीय आधार पर।
- (10) सामाजिक, राष्ट्रीय भावनाओ का विकास करते हुए कर्नव्यों के प्रति उत्तरदायित्व की भावना का उदय हो सके।

### शिक्षा मे भारतीयकरण का सप्रत्यय

(Concept of Indianisation of Education)

भारतीयकरण का क्या आशय है और भारतीय परम्पराजा या भारतीय लोगों के द्वारा अय संस्कृति का धषनाने का- यह सप्रत्यय स्पष्ट नहीं है, क्योंकि स्वतंत्रता से पूव भारतीय वस्तुमा का प्रयाग ही भारतीयकरण समझा जाता था। "भारतीय संस्कृति

सद्व समन्वयन तथा नये उपकरणों को पचाकर आत्मसात् करने की अद्भुत योग्यता है। 1

देश में ईरानी, ग्रीक शक, हूण, कुपाण तुक, मुगलों का गहरा सम्बन्ध रहा है। लेकिन फिर भी हमने अपनी आधारभूत आयामों को नहीं छोड़ा। जिस प्रकार विभिन्न नदियों का पानी हिंद महासागर में विलीन होने पर नदियाँ अपनी पहिचान खत्म करती हैं ठीक इसी प्रकार भारतीय संस्कृति से इन विदेशी संस्कृतियों का परोक्ष व अपरोक्ष सम्बन्ध प्रभाव होते हुए भी हम अपनी मूलभूत सांस्कृतिक आधार को नहीं छोड़ पाये। अतः भारत में प्रो बलराज मधोक ने भारतीयकरण का आशय—“भारतीय भावना तथा आध्यात्मिक एवं सांसारिक सम्बन्ध स्थापित करने से है।” भारत राष्ट्र के प्रति राष्ट्रीय भावना उज्ज्वल करने का ही दूसरा नाम है— भारतीयकरण।

### शिक्षा में भारतीयकरण के आधार तत्व

राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति राष्ट्रीय दर्शन पर निर्भर है तो राष्ट्रीय दर्शन के आधार पर शिक्षा दर्शन का निर्माण होता है और उसी आधार पर पाठ्यक्रम का, जिसके माध्यम से हम अपनी राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुषंग उद्देश्यों की पूर्ति करने का सफल प्रयास करते हैं। देश के सम्मुख अनेक विकट चुनौतियाँ का सामना शिक्षा में ऐसे आधारभूत तत्वों का समावेश करने से ही समस्याओं का समाधान सम्भव है। शिक्षा में भारतीयकरण वर्तमान समय में अहम् मांग है। भारतीयकरण के निम्न आधारभूत तत्व हैं —

- (1) धर्मों की विभिन्नता में एकता — भारतीयकरण हेतु सभी धर्मों की मूलभूत एकता को समझना। क्योंकि किसी भी धर्म की शिक्षाओं में अथवा उसके माध्यमों में पारस्परिक विद्वेष, ईर्ष्या, सघर्ष आदि प्रतिपादन नहीं किया गया है। “मजहब नहीं मिलाता, आपस में बैर रखना।” सम्राट अकबर ने ‘दीन इलाही,’ धर्म को प्रचारित किया जो एकता हेतु प्रभावशाली प्रयोग रहा।
- (2) धार्मिकता — धर्म का तात्पर्य ‘कृतव्य’ से जोड़ें। सभी धर्मों में मानवीय आचरण से सम्बन्धित नियम निकालकर शिक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने का सफल प्रयास करें तथा परोपकार, अहिंसा, सत्यपालन, सदाचार अपरिग्रह आदि।
- (3) भारतीय जीवन शैली — अर्धव्ययन काल में बिना लिंग, जाति, सम्प्रदाय व क्षेत्र भेद के सभी को सामान्य रूप से शैक्षिक व अन्य सुविधाएँ प्रदान की जाय चाहें वस्त्र व खानपान की भी कुर्यात न हों। लेकिन इन सुविधाओं के पीछे उद्देश्य

1 रामचारी सिंह दिनकर, “संस्कृति के आठ अध्याय” प्रस्तावना लेखक पृ 11 12

सादगी, उच्च विचार, समस्त वर्ग द्वारा निर्भल वर्ग की कल्याणकारी कार्य करना प्रयत्न दान देना, भोगवाद से दूर रहना, तन की उपधा देने में अधिक धर्म, विश्वास, अतिथि सरकार त्याग, तपस्या का श्रेष्ठ बताया है तथा भोग को तुच्छ। जनसख्या नियंत्रण हेतु ब्रह्मचर्य पालन, जनसख्या शिक्षा को छात्रों को समझाया व पढ़ाया जाय सहकारी वृत्ति-सयुक्त परिवार। इन वृत्तियों एवं विचारों की शिक्षा द्वारा पुनः स्थापना वांछित है।

(4) आध्यात्मिक मूल्यों की प्राथमिकता — 'इस देश ने आध्यात्मिक मूल्यों का मुकाबले में भौतिक वस्तुओं का ऊँचा नहीं माना। ऐसा क्यों है कि इस देश का राजनीतिक नेता भी धार्मिक व्यक्ति ही रहे हैं उदाहरणार्थ गांधीजी श्री विवेक श्री अरविन्द, स्वामी विवेकानन्द 'क्योंकि वे अपनी छाप इस देश पर छोड़ चुके' यह उनकी राजनीतिक प्रतिभा के कारण सम्भव नहीं हुआ बल्कि यह संभव हो सका है उनके त्याग और वे राम की भावना के कारण जिसके वे जोते-भागते उदाहरण यह, क्योंकि वे त्याग की उस भावना को, जिसका अनुसरण यह देश हमेशा से करता आ रहा है, अपने जीवन में उतारने में सफल हुए थे। 1

(5) प्रजातन्त्र — 'भारत में आजादी मिलने से पहले लोगों में इस प्रकार की आतङ्क और भय था। भारत की आजादी से विन्न हुए इन आलोचकों को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद घटी घटनाओं ने पूरी तरह निराश कर दिया। आज विशाल जनसख्या वाला देश का यह एकता किसी प्रकार के बल प्रयोग या तानाशाही के दबाव से नहीं बल्कि उनके लोकतांत्रिक विचारों के कारण ही सम्भव हो सकी है।' 2 हमने लोकहितकारी समद प्रणाली को अपनाया है। अतः बालका में इसमें अधिकार व कर्तव्यों के बारे में जान करवाकर सार भारतीयों के हित में काम ही बिना लिंग, जाति धर्म, सम्प्रदाय के।

(6) धार्मिकता की स्वतंत्रता — पिछली तीस चालीस शताब्दियों से हमारी धार्मिक सहिष्णुता की नीति रही है। स्वतंत्रता के बाद भी संविधान में 'धर्म-निरपेक्षता को क्रियावित रूप देने हेतु प्रावधान रखा है। धर्म मनुष्य द्वारा ईश्वर को अतिगत स्तर पर साजन का एक साधन है। अशोक ने अपने एक शिलालेख में कहा था 'धर्म को लेकर ऋगुदने की बजाय समन्वय आवश्यक है। किसी भी धर्म का अनुयायी होने के बावजूद तुम्हारे व्यक्तित्व में समन्वय स्थापित हो गया तो तुम ऐसा महसूस करोगे कि तुम सब एक ही परिवार के सदस्य हो।' 3

1 राधाकृष्णन् "हमारी विरासत" पृ 5  
 2 राधाकृष्णन्, "हमारी विरासत" पृ 9  
 3 राधाकृष्णन् "हमारी विरासत" पृ 10

- (7) ज्ञान विज्ञान तथा प्रविधि का समावेश — भारतीय जीवन की आत्सङ्कता-नुसार पश्चिम के ज्ञान को हमारी शिक्षा में समावेश करते हुए शोध तथा उनके परिणामों का उपयोग सर्वजन हित में किया जाय ।
- (8) राष्ट्रीय विकास तथा चुनौतियों से सामना करने की शक्ति — भारत जैसे विकासशील देश में आर्थिक राजनतिक व सामाजिक, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में सच्चे, परिश्रवान् परिश्रमी, माहवी राष्ट्र के प्रति भावात्मक लगाव रखने व लेनागरिक ही पदा करने का सफल प्रयास की आशा की जाती है ।
- (9) दुःख तथा दुःभावनाओं से मुक्त करने वाली शिक्षा व्यवस्था हो ।
- (10) गुरु की महत्ता — शिक्षा में गुरु को ऊँचा स्थान देना चाहिए तथा “गुरुणुग विद्यायुक्त शिक्षा दन योग्य हो” 3
- (11) सादा छात्र जीवन — अत्यंत विपत्ती वस्तुओं के सेवन से पृथक् रहकर शुद्ध आहार व्यायाम शारीरिक परिश्रम एवं समय से जीवन निर्वाह और स्वच्छ वस्त्रादि धारण करे अर्थात् सादा जीवन उच्च विचार 4 छात्र विद्या व्यसनी बने ।
- (12) भारतीयता के प्रति गौरव की भावना — भारतीय इतिहास का एक विहंगम दृश्य प्रस्तुत कर सकें चुनकर अमेरिका के विलियम्स वर्ग के नमून पर विकसित किया जाय ।
- (13) समन्वय का सूत्र — उदारता विज्ञानरूपतात्यता हो । विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, सम्प्रदायों, जातियों का समान आधार पर श्रद्धा प्रदान करे ।

भारतीयकरण का संकुचित अर्थ — (Meaning of Indiaization) काँग्रेस ने अग्रज प्रारम्भिक काल में भारतीयकरण का तात्पर्य यह माना था कि राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विदेशियों को हटाकर भारतीयों की नियुक्ति करना । कतिपय व्यक्तियों ने भारतीय वेशभूषा एवं खान-पान को ही भारतीयकरण की सजा दे दी जो अनुपयुक्त है ।

शिक्षा के भारतीयकरण का व्यापक अर्थ — भारत के प्रथम प्रधानमंत्री प. नरसिंहराजे ने अपनी पुस्तक 'हमारी खोज' में बताया कि विदेशी आक्रमण के समय भारतीयों ने उनका सामना करके उन्हें भगाया । जिन्हें भगा नहीं सका उन्हें आत्मसात कर लिया । अर्थात् उनके अनुसार विदेशी तत्वों के समावेश और आत्मसातकरण की प्रक्रिया का नाम भारतीयकरण है । अतः प. नरसिंहराजे की दृष्टि में विदेशी तत्वों के समावेश और आत्मसातकरण की प्रक्रिया का ही नाम भारतीयकरण है ।

3 म. दत्तानन्द — 'दयानन्द के सर्वश्रेष्ठ भाषण', पृ. 123

4 म. दयानन्द वही — पृ. 122

प्रो० बलराज मधोक ने अपनी पुस्तक भारतीयकरण में लिखा है—“भारतीयकरण का आशय है भारत और भारतीय सभ्यता के प्रति रागात्म-भावात्मक सम्बन्ध रचना। भारत राष्ट्र के प्रति राष्ट्रीय भावना उज्जीवित करने का ही नाम है भारतीयकरण।”<sup>1</sup> यदि हम इस ऐसे भी स्पष्ट कर सकते हैं—“सामाजिक और राष्ट्रीय उत्तरदायित्व की भावना के विकास का दूसरा नाम ही भारतीयकरण है। राष्ट्रीय भावना का अर्थ केवल राजनैतिक निष्ठा ही नहीं बल्कि राष्ट्र की सांस्कृतिक धरोहरों पर गव, राष्ट्रध्वज, राष्ट्र गीत, राष्ट्रभाषा, राष्ट्र के महापुरुषों, राष्ट्र के मृत्यों व विरासत आदि का हृदय से सम्मान करें।

प्रो० मधोक ने भारतीयकरण<sup>2</sup> पुस्तक में भारतीयकरण की बहुत आवश्यकता माना है। जिससे भारतीयों में चेतना और गर्व पैदा करने के प्रभावशाली साधन प्राप्त हो सके। उन्होंने बताया है—

- (i) नैतिक शिक्षा एवं राष्ट्रीय भावना पैदा करने वाले कार्यक्रमों का समावेश पाठ्यक्रम में हो
- (ii) वर्गभेद दूर हो और राष्ट्रीय एकता की बात विद्यालय से प्रारम्भ हो। यदि विद्यालयों में कोई एकता नहीं तो बाहर के जीवन में एकता नहीं हो सकती।
- (iii) कुछ सम्प्रदाय भाषा विशेष से लगाव रखते हैं। यदि सम्प्रदाय या जाति विशेष के आधार पर एक भाषा विशेष के माध्यम से अध्ययन करने की मांग करे तो राष्ट्रीय एकता में बाधक है।
- (iv) इतिहास के प्रति सही दृष्टिकोण यह है कि तत्वों को पवित्र समझा जाए और जाति की सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार उनकी व्याख्या की जाए। धृष्ट, दूषित पैदा करने वाला न होकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इतिहास का अध्ययन हो जिससे सम्प्रदायों में मोहादपूर्ण वातावरण बनेगा।

प्रो० रमेश कुन्तल मेघ के अनुसार—“भारतीयकरण’ आधुनिक भारतीयता तथा भारतीय आधुनिकता’ का सामञ्जस्य है।”<sup>3</sup>

‘आधुनिक भारतीयता’ का अर्थ वह भारतीयता जो भारत में आज है प्रतीत की भारतीयता नहीं। ‘भारतीय आधुनिकता’ से आशय है आधुनिकता का वह रूप जो भारत में विकसित और स्वीकृत हुआ है। प्रो० मेघ का सम्प्रयय तथा प नेहरू के विचार

1 मधोक बलराज, भारतीयकरण—1970 पृष्ठ 101-112

2

3 रमेश कुन्तल मेघ, “आधुनिकता बोध और आधुनिकता” पृष्ठ 79

एक समान ही है ।

म दयानन्द—“परिवर्तन एव सुधार एक फैसन नहीं राष्ट्रीय आवश्यकता समझ कर वे करना चाहत थे । उनका दृढ मत था— यदि शाश्वत मूल्यों की जो रत्न एव मणियाँ हैं । हमने अपनी भूल परस्पर फूट से उनको धून धूमरित कर दिया है उसी को धोकर स्वच्छ कर नवीन सदर्भों में उनके उन्नत पक्ष को दर्शाना हमारा ध्येय है।”

स्वामी विवेकानन्द जी भी पूर्व और पश्चिम के विचारों में आदान-प्रदान के हामी थे । उनका विश्वास था कि भारत पश्चिमी राष्ट्रों को अध्यात्मवाद की शिक्षा दे सकता है और पश्चिम से भौतिक प्रगति की शिक्षा प्राप्त कर सकता है ।

डा. सवपल्लि राधाकृष्णन् भी अपनी प्राचीन परम्पराओं में अन्धधार्मिक है उन्हें अपने माने तथा आधुनिक बातों में स्वीकार करने योग्य है उन्हें मानने को तैयार है । उन्होंने कहा— ‘म आधुनिक हूँ लेकिन मैं यह मानता हूँ कि आधुनिकता का अर्थ है— अपनी प्राचीन विरासत की मूल्यवान् बातों को बनाये रखना और घटिया बातों को छोड़ देना । ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हम परम्परा से प्राप्त हुई हैं लेकिन वे हमारी संस्कृति या देश के लिए गौरवपूर्ण नहीं हैं । इसके अलावा, बहुत सी बातें अत्यन्त मूल्यवान् हैं और उन्हीं की वजह से यह देश टिका हुआ है । 2

सिकन्दर जैसे सम्राट जो सभी गैर यूनानीयों को जगली समझते रहे हैं लेकिन कालान्तर में उनके विचारों में परिवर्तन आया और कहने लगे—“प्रतिभा और गुणों में सम्पन्न सभी व्यक्ति एक ही परिवार के सदस्य हैं । “केवल दुर्जन-दुष्ट ही विद्वान् हैं ।” इससे स्पष्ट है कि बगैर लिंग, जाति, धर्म, व सम्प्रदाय भेद के सभी सज्जन नागरिक भारतीय हैं और भारतीयकरण की श्रेणी में जाते हैं अधिक अस्मानता, धार्मिक विचार सामाजिक ढाँचे में विभिन्नता होते हुए भी समन्वय व सज्जनता एक-विचार—भारतीय ही रहेगा । जब कभी कोई कहता है कि वह भारतीय है, फिर वह विद्वान् या भारत में कहीं भी बसना न बसता हो, उसका सम्बन्ध भौतिक सीमाओं से न होकर भारतीय सन्धे गौरवमय इतिहास से हाता है जहाँ आदर्श जाति, प्रसन्नता व जस महान् आदर्श है ।

### शिक्षा में भारतीयकरण को वांछनीय अवधारणा

शिक्षा का भारतीय संस्कृति के अनुरूप इस प्रकार नियोजित किया जाय कि समुचित सामाजिक एव राष्ट्रीय उत्तरदायित्व की भावना का विकास करे और हमारी आज

1 'नव जागरण'

—म दयानन्द (पृ. ६)

2 डा. राधाकृष्णन् 'हमारी विरासत'

की आवश्यकताओं को अधिकतम तीन तत्वा पर ध्यान दे—

(अ) शिक्षा को भारतीय संस्कृति के अनुरूप नियोजित किया जाए।

(ब) शिक्षा सामाजिक और राष्ट्रीय उत्तरदायित्व की भावना का विकास करे।

(स) शिक्षा हमारी आज की आवश्यकताओं को अधिकतम सीमा तक पूरी करे।

संस्कृति का अर्थ और भारतीय संस्कृति — 'संस्कृति किसी समुदाय के सम्पूर्ण व्यवहार का एक प्रतिरूप (Pattern) है जो अशत भौतिक पर्यावरण (Environment) से अनुकूलित (Conditioned) होता है। यह पर्यावरण प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित होता है, परन्तु मुख्यतः यह प्रतिरूप सुनिश्चित विचारधाराया, प्रवृत्तियों, मूल्यों तथा आदतों द्वारा अनुकूलित होता है। जिसका विकास समूह द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है।'<sup>1</sup> डा. राधाकृष्णन् ने ऋग्वेद के सप्तम मंत्र में कहा है कि— 'उस काल से लेकर आज तक, इस देश की संस्कृति हमें मिल-जुलकर समान आदर्शों और उद्देश्यों को प्राप्त करने का उपदेश देते हैं।' डा. राधाकृष्णन् ने हमारी संस्कृति के बारे में लिखा है— "अभय अथवा अहिंसा—ये तीन गुण भारतीयता के वैश्विकीय प्रकाश डालते हैं। यदि हम जानना चाहें कि भारतीय संस्कृति की क्या विशेषताएँ हैं तो कहा जा सकता है ये तीनों गुण ही भारतीय संस्कृति की विशेषताएँ हैं।'<sup>2</sup> अतः भारतीयता द्वारा अर्जित ज्ञान, उनके विश्वास, आदत सामाजिक मूल्य, रीति-रिवाज आदि का अध्ययन ही भारतीय संस्कृति का अध्ययन है। भारतीयों में विभिन्नताओं के कारण भारतीय संस्कृति सशिलषट, सामाजिक एवं समन्वयवादी है।

डा. रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार— "भारतीय संस्कृति का मूल त्रिभुजाधीन की सम्यता तथा द्रविण सम्यता में है, मध्य एशिया से आये आर्यों की इस संस्कृति पर गहरी छाप है तत्पश्चात् यह पश्चिम से आने वालों से प्रभावित हुई।

"प. नेहरूजी ने भारतीय संस्कृति की उपमा गंगा से दी है। अनेक छोटी-बड़ी नदियाँ उसमें मिलकर उसकी धारा को पुष्ट कर गति को वेगवान बनाती हैं।"

भारतीय संस्कृति में मुक्ति का विशेष महत्व रहा है। लाला लाजपत राय ने मुक्ति को राष्ट्रीय आदर्श बताया हुआ उसकी व्याख्या की है— "हर प्रकार की दासता, अज्ञानता, रोग, निचनता और कष्टों से इसी जीवन में अपनी और अपनी सतति की मुक्ति है।" इसी प्रकार स्वामी दयानन्द सरस्वती ने शिक्षा में प्राचीन भारतीय दर्शन और जीवन-मूल्यों का पुनः लौटने पर बल दिया। उनके विचार अपने सर्वश्रेष्ठ भाषण में लिखे

1 ब्राऊन, जे. एफ., 'एज्युकेशनल साइयोलॉजी

(पृष्ठ 72)

2 डा. राधाकृष्णन्, हमारी विरासत

(,, 30)



है—“अपने देशवासियों में स्वयं अपनी राष्ट्रीय भाषाओं के माध्यम से साहित्य सृजन हो ता एकता एवं सगठन भी इसके सम्पर्क से निश्चय ही घाजायेगा।” इसी को वे शिक्षा का भारतीयकरण मानने लगे जो वास्तव में ब्रिटिश शासकों की शिक्षा प्रणाली की गम्भीर प्रतिरिधा थी ।

भारतीयकरण हेतु किये गये प्रयास दो कारणों से पूर्वतः सफल नहीं हो सके—

- (i) भारत के मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, सिख, जैन सम्प्रदाय के लोगों ने निःशुल्क वेदकालीन शिक्षा की ओर लौटना सहन नहीं हुआ तथा
- (ii) थोड़े से हिन्दुओं के अतिरिक्त अविकाश भारतीय यह समझ नहीं पाय कि नान विज्ञान के वर्तमान युग में प्राचीन वेद कालीन शिक्षा पद्धति द्वारा आधुनिकता की मांगों की पूर्ति सम्भव नहीं है ।

अतः भारतीयकरण सदैव समन्वयपूर्ण शिक्षा प्रणाली से ही हो पायगा । विज्ञान आधारित शिल्प विज्ञान के अत्यन्त महत्वपूर्ण परिणाम सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पर होते हैं और उसके कारण ऐसे मूलभूत सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन आते हैं जिन्हें मोटे तौर पर ‘आधुनिकरण’ कहा जाता है । क्योंकि विज्ञान के विस्फोट, जल्दी जल्दी वाले सामाजिक परिवर्तन, शीघ्र उत्थिति की आवश्यकता आदि ऐसे आधारभूत विदु हैं जिन्हें दृष्टि में रखकर प्राचीन परम्पराओं व संस्कृति के तत्वों के साथ आधुनिक ज्ञान विज्ञान का मयोग से ‘भारतीयकरण’ सम्भव है, जिन्हें सभी सम्प्रदाय व क्षेत्रों के लोगों को माय भी हो सकेगा ।

## भारतीय शिक्षा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

(Historical Perspective of Indian Education)

वैदिक कालीन शिक्षा — जीवन का लक्ष्य पुरुषार्थ चतुष्टय (धर्म, धन, काम और मोक्ष) की प्राप्ति करना है शिक्षा के उद्देश्य — धार्मिक भावना का विकास, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, सामाजिक कर्तव्यों पर बल, सामाजिक कुशलता का विकास, सामाजिक कर्तव्यों पर बल, सामाजिक कुशलता का विकास एवं संस्कृति का संवर्द्धन ।

प्रमुख विशेषताएँ — (i) धर्म का वचस्व (ii) सुसंगत विकास (iii) प्रकृति सानिध्य (iv) गुरुकुल प्रणाली (v) गुरु-शिष्य सम्बन्ध, गुरु आध्यात्मिक एवं बौद्धिक पिता, शिष्य उसकी मानसी सन्तान— गुरु सरक्षक व मार्गदर्शक होता था (vi) व्यक्तिवादी शिक्षा (vii) निःशुल्क शिक्षा (viii) सबके लिए शिक्षा (ix) वशानुक्रम और पर्यावरण (शुद्ध के द्विज बनाने में पर्यावरण का महत्व) (x) शिक्षण विधियाँ श्रवण मनन ध्यान करना अभ्यास, परिश्रम द्वारा समाधान ।

**बौद्धकालीन शिक्षा** — उस काल में वैदिक धर्म का पतन, बाहरी आक्रमण, पशुहिंसा, वर्ण व्यवस्था कमजोर हो गई, शुद्धों पर अत्याचार प्रभृति भगवान् बुद्ध ने सुधार मार्ग बताया बौद्ध धर्म प्रचारको के लिए । कालांतर में बौद्ध शिक्षा सबके लिए वैदिक शिक्षा का प्रभाव-महत्त्व स्वीकार लेकिन उद्देश्य वही ।

**विशेषताएँ** — (i) जातिभेद नहीं—शिक्षा बौद्ध धर्म प्रवेश पर ही, 'पञ्चजा' संस्करण द्वारा श्रमण सघ प्रवेश (ii) विद्या समाप्ति पर 'उपसम्पदा' संस्कार— भिक्षु धर्म प्रचार विशेष स्थिति सघ त्यागकर— गृहस्थाश्रम प्रवेश । (iii) गुरु शिष्य- निकटवादी वैदिककाल से काम, पवित्रता मधुरता, शिक्षक उपाध्याय, (iv) सघ, बिहार का जीवन सुलभ, बिहार महला की भाँति विशाल एवं सुन्दर, (v) भोजन— शिक्षा द्वारा, (vi) पाठ्यक्रम धार्मिक साहित्य की प्रधानता, औद्योगिक व अन्य जीवनोपयोगी शिक्षा भी संस्कृत अनिवार्य, (vii) स्त्री शिक्षा प्रारम्भ में उपेक्षित फिर उच्च वर्ग हेतु रहने की व्यवस्था एक ही बिहार में फिर पृथक (viii) शिक्षा का माध्यम जन भाषा, (ix) शिक्षा में केन्द्रीयकरण— मठ, सघ आदि प्रचारको के प्रशिक्षण हेतु (x) विद्यार्थी जीवन वैदिक काल की तपश्चर्या नहीं बरन् सुविधाजनक, (xi) एक सघ में अनेक शिक्षक विषय विशेषज्ञ, (xii) शुल्क किसी न किसी रूप में देय ।

**मुसलमान युग में शिक्षा** — मुसलमान आक्रमणकारियों ने वैदिक बौद्ध शिक्षा केन्द्र नष्ट कर इस्लामी शिक्षा प्रणाली की स्थापना की । इस्लाम धर्म में शिक्षा अनिवार्य पवित्र प्रभृति शिक्षा हेतु व्यय धरमादा खाता विद्यालय बनाना मस्जिद के समान पवित्र— प्रारम्भिक शिक्षा हेतु मकतब (मस्जिद के साथ) उच्च—शिक्षा हेतु 'मदरसा' । मदरसों के लिए छात्रावास जीवन सुलभ, शिक्षा—सामग्री, भोजन वस्त्र, जेब खर्च आदि के लिए दान में प्राप्त जागीरों की आय ।

**प्रमुख विन्दु** — (i) व्याख्यान पद्धति, (ii) बठोर शारीरिक दण्ड, (iii) पर्याप्त प्रथा के कारण स्त्री शिक्षा की समाप्ति सम्पन्न घरों व्यक्तिगत रूप से घर पर ही स्त्रियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था (iv) शिष्यों की प्रशिक्षण घर या कारखाने में (v) शिक्षक का सम्मान, शिष्य विनयी परन्तु प्राचीन धारणा का लोप (vi) शिक्षा का उद्देश्य राज्य में पद, मान व नौकरी प्राप्त करना ही था ।

**मुसलमान शासन में हिन्दू शिक्षा** — निजन वनों एवं ग्रामों में गुरुओं के आश्रम चलते रहे जहाँ वेद, पुराण स्मृति उपनिषद् दर्शन आदि का अध्यायन होता था त्रिमूर्ति माध्यम जन-भाषा । हिन्दी का विकास भी इस काल में हुआ ।

**अंग्रेजी शासन में शिक्षा** — वर्तमान भारतीय शिक्षा की नींव 15 वीं शताब्दी के अन्तिम भाग में है जब ईसाई धर्म प्रचारको ने धर्म प्रचार हेतु भारतीय भाषाओं का

अध्ययन किया, बाइबल का अनुवाद किया तथा प्राथमिक विद्यालय खोले। 1835 में वायसराय के कानूनी सलाहकार मेकाले ने अंग्रेजी शिक्षा की स्थापना इस उद्देश्य से की कि जिससे भारत के निवासी रग, रक्त में भारतीय हो, परंतु रुचि नीति का अनुसरण पूर्णतया ब्रिटिश शासन काल में होता रहा।

विभिन्न आयोगों के सुझावों पर भारतीय भाषाओं एवं शिक्षा पद्धति को भी स्थान मिला तथा शान्ति निकेतन, गुरुकुल कांगड़ी, गुजरात विद्यापीठ काशी विद्यापीठ जैसी संस्थाएँ स्थापित हुईं। इन संस्थाओं का दृष्टिकोण मेकाले के विपरीत सच्चे भारतीय, जो राजभक्त एवं देशभक्त हो तैयार करना था जो कालान्तर जब वे व्यवहारिक जीवन में प्रवेश कर लें तो भारत की भारतीय के अनुकूल आचरण करते हुए सभी भारतीयकरण हो सकें।

### शिक्षा का 'भारतीयकरण' हेतु भारतीय संस्थाओं के प्रयास

(Efforts to Indianisation by Education of Indian Institutions)

शिक्षा के भारतीयकरण हेतु तीन प्रवृत्तियाँ सक्रिय रूप से कार्यरत थीं —

- (1) प्राचीन भारतीय शिक्षा को पुनर्जीवित करने का प्रयास जिसके लिए महर्षि दयानन्द द्वारा गुरुकुल व्यवस्था का प्रादुर्भाव।
- (2) शिक्षा का जाधुनिकीकरण करने का प्रयास राजा राममोहनराय, दी एंग्लो-हिंदू स्कूल विश्व धर्म के सिद्धान्त पश्चिमी विज्ञान, दर्शन एवं साहित्य का अध्ययन।
- (3) समन्वित प्रयास—डी ए वी कॉलेज, शान्ति निकेतन, जगदीश प्रशम, वैदिक शिक्षा आदि का क्रान्तिकारी प्रयास।

प्रमुख शिक्षाविदों व शिक्षण संस्थाएँ जिन्होंने शिक्षा का भारतीयकरण हेतु प्रयास किया उनके बारे में संक्षिप्त विवेचन व देन प्रस्तुत कर रहे हैं। जिन्हें हम दो भागों में विभक्त भी कर सकते हैं।

(अ) स्वतंत्रता से पूर्व किये गये प्रयास (ब) स्वतंत्र भारत व भारतीयकरण

- (1) महर्षि दयानन्द सरस्वती के अनुसार शिक्षा का प्रयास — "जिससे विद्या सम्यक्ता धर्मात्मा जिवे द्वियता की बढ़ोतरी हो और अविद्या दोष छोटे उसको शिक्षा कहते हैं। वे विद्या का आधार वेद मानते थे जिसमें सभी तरह का ज्ञान विद्यमान है। उनके अनुसार 'माता-पिता, आचार्य और जतिथि का सत्कार वांछित है। वे अध्यापकों से आशा करते थे कि जो अध्यापक दुष्टाचारी हैं, वे शिक्षा देने योग्य नहीं हैं। वे बालिकाओं की शिक्षा के हामी थे। पाचवे या आठवें वर्ष से आगे कोई अपने लड़के या लड़कियों को घर में न रखे— पाठशाला भेजे। डा. चौबे ने अपनी पुस्तक 'रिसेट एज्यूकेशनल फिलोसोफी इन इण्डिया' में दिये हैं 2

1 स्वामी दयानन्द के सर्वश्रेष्ठ भाषण

2 चौबे, एस पी, रिसेट एज्यूकेशनल फिलोसोफी इन इण्डिया

- (1) गरीब अमार, राजा व रक, ऊँचे नीचे ब्राह्मण व तथाकथित नीची जात के सभी समान रूप से अध्ययन करने के अधिकारी है।
- (2) प्रजातान्त्रिक समाजवाद के लिए आवश्यक है कि जाति, सम्प्रदाय व लिंग भेद क शिक्षा की सुविधाएँ सभी को सरकार द्वारा प्रदान करने की व्यवस्था हो।
- (3) वह यह नहीं चाहते थे कि अध्ययन-प्रध्यापन का माध्यम विदेशी भाषा हो।
- (4) अपनी भाषा सांस्कृतिक विरासत व राष्ट्रीय प्रगति का राष्ट्रीय भाषा में अध्ययन के पक्ष में थे।
- (5) यदि ज्ञान विदेशों से प्राप्त करता है तो प्राप्त किया जाय।
- (6) जिज्ञासु एवं शिक्षा के पात्र हेतु ही शिक्षा के द्वार खुलें।
- (7) विचार-व्यवहार शिक्षा जीवन में एकलपता लाना।
- (8) छात्रों को आदर्श ब्रह्मचर्य सादगी जागृतात्मकनियमित जीवन जीने की शिक्षा देना।
- (9) शिक्षा में स्वाध्याय चिन्तन, तक भजन, व्याख्यान उदाहरण तथा अनुभव पर बल देना।
- (10) अध्यापक में पंडित्व अनुभव त्याग माँ जैसा स्नेह, निःस्पृहता जादि गुण हो।

लाला लाजपत राय के अनुसार 1 - राष्ट्रीय शिक्षा के लिए चलाई गई योजनाओं में से डी ए वी कॉलेज व स्कूल ही ऐसी योजना है जिसमें अधिक समस्या पर भी ध्यान दिया गया तथा स्वदेशी का विचार समाविष्ट किया —

- (i) शिक्षितों और अशिक्षितों के मध्य की खाई को दूर किया जाय।
- (ii) कलाओं और उद्योग में तकनीकी शिक्षा की आवश्यकता, जिससे भावी नागरिक सरकारी नौकरी में मोहताज न रहे।
- (iii) यह योजना सरकारी संरक्षण से दूर रहे।

डा एस पी चौबे के अनुसार — कालान्तर में उपरोक्त विदुषा पर ध्यान नहीं दिया गया और उद्देश्य पूर्ति- भारतीयकरण की धूमिल हो गई यद्यपि इन समस्याओं में सुबह की प्रायना, धार्मिक व नतिक शिक्षा का अध्ययन गुरुकुल में प्रातःकाल से पूर्व ही छात्रों का कार्यरत होना, कुछ हद तक ध्यान देने के विचारों से मूल खात है लेकिन वास्तव में स्वामीजी की आशा की पूर्ति नहीं हो रही है। 2

(2) महर्षि रवीन्द्र नाथ ठाकुर के अनुसार भारतीयकरण हेतु प्रयास —  
रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने अपनी शिक्षा-प्रणाली के माध्यम से भारतीयकरण हेतु प्रयास

1 लाजपतराय, प्रोबलम आफ नेशनल एज्युकेशन

2 दयानन्द एम्प्लो ददिक कॉलेज डी ए वी कॉलेज

परोक्ष और अपरोक्ष रूप से किया। आज शिक्षा ही देश में परिवर्तन हेतु प्रभावशाली माधन है मत उनके शिक्षा सम्बन्धी विचार—

- (1) बालक को पूर्ण स्वतन्त्रता प्राकृतिक वातावरण मिले, आडम्बर नहीं।
- (2) व्यक्ति को महान् समझते हुए व्यक्तित्व का विकास करने हेतु 'बाल-केन्द्रित' शिक्षा व्यवस्था पर जार दिया।
- (3) हस्तों की भाँति पाठ्य-पुस्तकों की आवश्यकता को नहीं समझा गया।
- (4) प्रकृति द्वारा शिक्षा। (5) शिक्षा संगठन प्राकृतिक वातावरण में,
- (6) शिक्षा के उद्देश्य—पूर्व पश्चिम में एकता की स्थापना, प्रतिभा का विकास, विश्व बन्धुत्व के भाव, सत्य की एकता का ज्ञान, देश की आवश्यकता के अनुसार सैनिक सुधार
- (7) शिक्षा का माध्यम राष्ट्र भाषा हो।

- (8) शिक्षा में आदान-प्रदान की प्रक्रिया में पारस्परिक सम्मान भाव हो,
- (9) समाज शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण-क्षेत्र में शिक्षा का प्रसार हो।

निर्विवाद रूपसे श्री ठाकुर की शिक्षा व्यवस्था भारतीयकण ही नहीं अंतर्राष्ट्रीयता' को धार झुकाव रखती है लेकिन इनकी विचारधारा के आधार पर शिक्षण सस्यामों द्वारा व्यवहारिक रूप से प्रचार व प्रसार नहीं हो पाया है।

- (3) गांधी की बुनियादी शिक्षा द्वारा भारतीयकरण' का प्रयास—  
अंग्रेजों द्वारा प्रतिपादित शिक्षा प्रणाली में विदेशी तत्वों की प्रमुखता को लिए हुए थी जिसमें भारतीय दशन संस्कृति व जीवन प्रणाली से प्रोत्-प्रोत् नहीं थी। गांधीजी के विचारों में वह पूणतया अभातीय और अस्वाभाविक थी। सन् 1914 में वे भारत लौटने के उपरान्त सब प्रथम शान्तिनिकेतन तदुपरान्त साबरमती के तट पर रह कर शिक्षा सम्बन्धी प्रयोग करते रहे और इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि भारतीयों के लिए शिक्षा ऐसी हो जिसमें—(1) किसी उद्योग को देना बनाकर दी जाय, (2) शिक्षा ग्रहण करते वक्त छात्र अपना मय स्वयं विकास सक(3) ग्रामोद्योग से सम्बन्धित हो। गुजरात विद्यापीठ में इसे प्रारम्भ की। उनके विचार थे कि भारत निधन व किसानों का देश है। निशुल्क, स्वयत्सन्धी व उद्योग सहित विद्या प्रारम्भ की। उद्योग पर जोर देने का कारण मुद्रि पराँ और श्रमिक वर्ग नगर निवासी औरग्रामवासी मिल-जुलकर में समाज में समागत आयेगी।

वे अंग्रेजों की शिक्षा से बुनियादी शिक्षा पर जोर देने का कारण समझते थे कि—(1) देश की आवश्यकताओं के प्रतिकूल है, (2) अंग्रेजों को शिक्षा मुठ्ठी भर लोग के लिए है, (3) इस शिक्षा से मानसिक बर्बादी होती है जो तैयारी हो जाती है, उत्पादन काय नहीं (4) संस्कृति को भूलकर विदेशी तत्वों को मिला लेने

है, (5) गांधी से भारतीय जीवन विच्छेद होता जा रहा है। अतः गांधी न देश को राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक दृष्टि का ध्यान में रखकर ज्ञान विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान हेतु बुनियादी शिक्षा को प्रदान की। इसमें मूल तत्व वर्तमान भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल है जस — (1) यह अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित है, (2) इसमें हाथ से काम करने को महत्व दिया है, (3) हस्तकौशल के द्वारा मस्तिष्क के विकास पर जोर, (4) शिक्षा का माध्यम मातृभाषा रखी गई है, (5) पाठ्यक्रम ऊपर से न थोपकर स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर अध्यापकों द्वारा निर्मित, (6) बाहरी परीक्षा को स्थान नहीं (7) उद्योग ऐसे छाटे जाते हैं जो उत्पादक भी हो (8) विषय प्रत्यक्ष प्रयोग नहीं पढ़ाये जाते बल्कि एक दूसरे से सम्बन्धित कर दिये जाते हैं।

देश में साम्प्रदायिकता, क्षेत्रीयता, घम, सामाजिक व आर्थिक असमानता भारत को एक समृद्धि देश बनने देने में बाधा है लेकिन गांधीजी को यह बुनियादी शिक्षा इनके समाधान हेतु धर्मोद्यम के रूप में है। लेकिन प्रयास असफल रहा—सरकार ने सावा औद्योगीकरण के माध्यम से व्यवसायहीनता की स्थिति समाप्त हो जायगी प्रथम यह ध्येय है।

(4) महर्षि भरविन्द द्वारा 'भारतीयकरण' के प्रयास - भरविन्द के अनुसार मनुष्य क्षणिक एवं परिवर्तनशील प्राणी है—मनुष्य से कई मीट्रियाँ ऊपर यह मानवता (Supermanhood) का स्थान है जो दिव्य (Divine) है, यही हमारा गन्तव्य (शिक्षा का उद्देश्य) है।

'केवल यही शिक्षा सच्ची और वास्तविक है जो व्यक्ति को अन्तर्निहित (Inner) सभी शक्तियों का इस प्रकार विवास करती है कि वह उससे पूरुणतया लाभान्वित हो सके। मानव जीवन को सफल बनाने में यह शिक्षा उमकी महामता करती है। 1

"सही शिक्षा यात्रिक न होकर दिमाग की शक्ति जो मानव मात्र के लिए उत्तम योगी हो जो राष्ट्र के लिए उपयोगी हो। शिक्षा का काम है कि वह बालक को स्वयं अपने प्रयत्न से शिक्षा प्राप्त करन तथा अपनी मानसिक, प्राणायामिक, सृजन-आत्मक शक्तियों के विकसित करन में सहायता प्रदान करे।" 2

आश्रम में रुचि के अनुरूप कार्य करने की स्वतन्त्रता निःस्वाय सेवा भावना

1 श्री भरविन्द 'ए मिस्टम ग्राम नेशन' चौथे, एस पी, रिसेंट एजुकेशनल फिलोसोफी इन इण्डिया पृ/99)

2 वही पृ/102)

प्राचीन ऋषियों के आश्रमों की विशेषताओं के साथ-साथ आधुनिक तकनीकी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। आश्रम में परीक्षा-प्रणाली न होकर अध्यापकों द्वारा परस्र के आधार पर कसो-नति की व्यवस्था है। अध्यापक भी समर्पित भाव से वपन वेतन प्राप्त कर कायरत हैं। 1950 के पश्चात् तो "श्री अरवि द अतर राष्ट्रीय विश्व-विद्यालय केद्र क रूप में हो गया है जहाँ भारतीय तथा पाश्चात्य दशन गणित, अतरराष्ट्रीय, सम्प्रथ समाजशास्त्र आदि विषय पढ़ाए जाते हैं। अनुसन्धान की सुविधा भी है।

वे प्रत्येक बालक को राष्ट्र के इतिहास व राष्ट्र की सस्कृति के बारे में ज्ञान प्रदान करने के पक्षधारी थे। इस प्रकार देश की स्वतन्त्रता से पूव भारतीयों के लिए 'भारतीय शिक्षा' प्रदान कर, दश में 'भारतीयकरण' के लिए प्रभावशाली काय किया।

इसके साथ ही साथ काशी विद्यापीठ गुजरात विद्यापीठ, बनस्थली, हिंदू विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया दिल्ली गुरुकुल, आदि ने देश की स्वतन्त्रता से पूव 'भारतीयकरण' के लिए सफल व असफल प्रयास किया है।

स्वतन्त्रता से पूव किये गये प्रयास तथा इनकी असफलता के कारण —

देश की महान् विभूतियों ने स्वतन्त्रता से पूव भारतीयकरण हेतु विभिन्न सस्थाओं को जन्म देकर शिक्षा-दशन को क्रियावित रूप देन का प्रयास किया, लेकिन निम्न-लिखित कारण हैं जिससे वे असफल रहे —

- (1) प्राचीन मूल्यों में आस्था का अभाव — 'भारत स्वतन्त्र होत ही भारतीय साहित्य सस्कृति धीरे-धीरे के प्रति रुचि गायब हो गई।' (जे पी नायक)
- (2) अंग्रेजों का शासन मकाले की शिक्षा प्रणाली।
- (3) धर्म निरपेक्षता की नीति सबको प्रमत्न रखन के लिए अंग्रेजों ने यह नीति अरनाई- प्राचीन हिंदू ज्ञान एवं दशन के स्थान पर पाश्चात्य ज्ञान का प्रमुक्ता दी।
- (4) पाश्चात्य सस्कृति का मोह-जाल भारतीय, पश्चिम की भौतिक उपलब्धियों की चकाचौंध से प्रभावित होकर भारत के अध्यात्म धर्म एवं सस्कृति से परे हो गए।
- (5) भारतीयकरण के व्यापक जय का अभाव।

(अ) स्वतन्त्र भारत में 'भारतीयकरण' की शिक्षा हेतु प्रयास —

महात्मा गांधी ने देश की स्वतन्त्रता में पूव यह घोषणा की थी कि स्वतन्त्रता के पश्चात्-अंग्रेजी शिक्षा के स्थान पर राष्ट्रीय शिक्षा सस्थाओं की शिक्षा को मायता दी जायेगी, परन्तु ऐसा नहीं हुआ। शिक्षा का लोकतंत्रीकरण स्वाधीन भारत का एक महत्वपूर्ण निश्चय है जिसके अतर्गत दस वर्षों में 6 से 14

वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए अनिवार्य निशुल्क प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान किया। यद्यपि यह शत प्रतिशत पूर्ण नहीं हुआ है फिर भी घटती प्रगति हुई। राष्ट्रीय चेतना द्वारा हम सभी लिंग, जाति व मन्त्रदाय के लोगों में भारतीयकरण की भावना से ओत प्रोत करने में सफल हो सकते हैं। स्वतन्त्रता के उपरांत निरंतर इसके लिए सरकार सचेत है और समय समय पर नियुक्त आयोगों ने अपने सुझाव प्रस्तुत किए हैं जैसे — (1) काठारी आयोग (2) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, (1968 व 1979)

कोठारी आयोग — 'शिक्षा जो विज्ञान पर आधारित हो, जो भारतीय संस्कृति और मूल्यों के अनुरूप हो, राष्ट्र की उन्नति, सुरक्षा और कल्याण की बुनियाद और साधन पदा कर सकती हो' आयोग शिक्षा को राष्ट्रीय विकास की कतिमय समस्याएँ जिसका समाधान शिक्षा का दायित्व है निम्न प्रकार हैं —

- (1) अन्त में आत्मनिर्भरता।
- (2) आर्थिक विकास तथा व्यवसायहीनता उन्मूलन।
- (3) सामाजिक राष्ट्रीय एकरता का विकास।
- (4) प्रजातन्त्र की भावनाओं में विश्वास करने हेतु विकास।
- (5) शिक्षा में आतिकारी परिवर्तन-आधुनिककरण की प्रक्रिया का सुचारु रूप।
- (6) शिक्षा को भारतीय जीवन, आवश्यकताओं व आकांक्षाओं से जोड़ना।
- (7) सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास।

### राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968 तथा 1979)

1968 के कार्यक्रम का सुझाव

- (1) शिक्षा को लोगों के जीवन के निकट लाया जाये।
- (2) शिक्षा को जीवन के निकट लाने के लिए निम्न कार्यक्रम अपनाया —
  - (क) शिक्षा प्रणाली का रूपान्तरण
  - (ख) शैक्षिक अवसरों का विस्तार।
  - (ग) शिक्षा के सभी स्तरों पर गुणात्मक सुधार।
  - (घ) विज्ञान एवं शैत्य विज्ञान पर बल।
  - (ङ) नैतिक और सामाजिक मूल्यों का निर्माण।

इसके अनुसार 10+2+3 की योजना की घोषणा हुई परन्तु कांग्रेस सरकार के पतन के बाद जनता सरकार ने 1979 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की जिसमें काठारी आयोग व राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सामान्य संधोधन के साथ भारतीय



शिक्षा जगत का प्रदान को गई जिसके मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार है ।

- (1) नि शुल्क और अनिवार्य शिक्षा ।
- (2) कामन स्कूल सिस्टम अर्थात् सामान्य विद्यालय प्रणाली जिसमे धनी व निधन का भेद न हो ।
- (3) प्रौढ़ शिक्षा
- (4) माध्यमिक शिक्षा का गुणात्मक उन्नयन सामाजिक उपयोगी उत्पादन काय (SUPW) के द्वारा व्यवसायीकरण ।
- (5) उच्च शिक्षा में प्रवेश चयनात्मक, स्तर सुधार, सामान्य पदों के लिए उपाधि अनिवार्य न हो ।
- (6) शिक्षा संरचना माध्यमिक शिक्षा 12 वर्षीय, प्रथम उपाधि 3 वर्षीय ।
- (7) प्राविधिक शिक्षा—कुशल राष्ट्रीय जन शक्ति की सूचना व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्र का विशेष अध्ययन ।
- (8) कृषि शिक्षा—औपचारिक, अनौपचारिक विधि से प्रसार हो, कृषि विश्वविद्यालय में शोध कार्य हो, कृषि विज्ञान केन्द्रों का संचालन हो ।
- (9) आयुर्विज्ञान (Medical) शिक्षा - का आधार चिकित्सालय तक सीमित न रहकर देश की स्वास्थ्य रक्षा होना चाहिए । प्राकृतिक यूनानी, होमियोपथी आयुर्वेदिक आदि चिकित्सा पद्धतियों से पारस्परिक सहयोग हितकर होगा ।
- (10) संस्कृति-पारस्परिक एवं समकालीन संस्कृति के तत्वों का शिक्षा द्वारा सम्मेलन हो
- (11) शारीरिक शिक्षा—सामान्य शिक्षा का एक अंग हो । प्रत्येक स्तर पर राष्ट्रीय अन्तरराष्ट्रीय कौशल प्राप्त करने की प्रेरणा एवं व्यवस्था हो । जो प्रत्येक विद्यार्थी हेतु अनिवार्य हो ।
- (12) शिक्षा माध्यम—प्राथमिक स्तर मातृभाषा, अथवा स्तर क्षेत्रीय भाषा ।
- (13) त्रिभाषा-सूत्र—माध्यमिक स्तर पर अंग्रेजी के साथ अहिंदी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी तथा हिन्दी भाषी क्षेत्रों में आधुनिक भारतीय भाषा (विशेषतः दक्षिण भारत की) का अध्ययन ।
- (14) भारतीय भाषाओं का विकास—भाषा शिक्षण की विधियों का, संस्कृत अध्ययन का, सम्पक भाषा हिन्दी का व अन्य शास्त्रीय भाषाओं का विकास व प्रसार ।
- (15) परीक्षा प्रणाली में सुधार—वस्तु परक एवं विश्वसनीय बनाएँ, पाठ सामग्री में क्रियाओं का महत्त्व, अतिरिक्त परीक्षा का महत्त्व; विश्वविद्यालय उपाधि तक तीन से अधिक सावजनिक परीक्षा न हो ।

- (16) पाठ्य पुस्तकों में गुणात्मक सुधार तथा क्षेत्रीय भाषा में पुस्तकें तैयार करवाना ।
- (17) शिक्षा प्राप्त करने के अवसर — लड़कियाँ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, भूमिहीन, श्रमिक, रिद्धि वगैरें नगरा क निम्न क्षेत्रों के लिए विनाय अवसर प्रदान करें ।
- (18) अध्ययनको का सवाकालीन प्रनिक्षण अधिक हो, शोध, प्रयोग के अवसर मिलें ।
- (19) समाज का सम्भाग-स्थानीय समाज को विद्यालय से जोड़ें ।
- (20) स्वच्छिक सगठनों का सहयोग प्राप्त करें ।
- (21) निवेश - योजना के अनुसार गालामा म बहन वाल व्यय का शिक्षा शुल्क जो समय हो उनसे ही ले तथा समाज से सहायता प्राप्त कर पूरा किया जाए ।
- (22) समीक्षा-पाँच पाँच वर्षों के पश्चात् शिक्षा को राष्ट्रीय नीति के क्रियान्वयन और परिणाम को समीक्षा कर अप्रति पश्चितन किए जाय ।

### भारत के लिए सांस्कृतिक नीति (1972)

जून 1972 में शिक्षा मंत्रालय की सहायता से राष्ट्रीय अध्ययन सन्धान, शिमला में एक परिसवावद आयोजित किया गया था । विषय था—'भारत के लिए एक सांस्कृतिक नीति की दिशा में ।'। इन परिसवावद में श्री बी बी जॉन, डॉ सुरेश चुनला, श्री रजनी कोठारी, डॉ नामवर सिंह डा सुरेश घवस्थी, डॉ विजयदेव नारायण साही जैसे अनेक शिक्षाविदों और विद्वानों ने भी भाग लिया । अनेक विवादा से जुद्धे बाद लगभग 1500 शब्दों का अंग्रेजी में जा वक्तव्य जारी किया गया उसमें यह स्वीकार किया गया कि एक सांस्कृतिक नीति का मून उद्देश्य यह होना चाहिए कि वह जन मन में जनतांत्रिक भावना पदा करे । उसका उद्देश्य भारत निभरता समतावाद रा द्रौप एकता और ऐसे मानवतावाद का विकास करना होना चाहिए जो आधुनिक ज्ञान और तकनीकी तथा हमारी परम्परा के सशक्त तत्वों के समन्वय पर आधारित हा ।

वर्तमान शिक्षा को भारत की सस्कृति से जाडन के लिए जा नीति स्वीकार की गई वह संक्षेप में नीचे दी जा रही है — ।

1 शिक्षा के ढांचे में इस तरह सुधार किया जाना चाहिए ताकि यथा-स्थिति के बने रहने की जगह पर सामाजिक व्यवस्था में आमूल परिवर्तन हा । विशिष्ट वर्गों का शिक्षित करन की अवधारणा को इसलिए तिरस्कृत कर देना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से निरंतर असमानता बढ़ती है और उम प्रक्रिया - में त्रिभाषी के बद्रिगमन की प्रवृत्ति उभरती है ।

1 विस्तार के लिए देखिए, दिनमान, दिल्ली, 2 जुलाई, 1972, पृष्ठ 17, 19-21 तथा 9 जुलाई, 1972, पृष्ठ 13-14 ।

2 शिक्षा का नया स्वरूप निश्चय ही ऐसा होना चाहिए जो साम्प्रदायिक और विभाजक शक्तियों से लोहा ले सके। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निरक्षरता का विनाश करना, तथा गिज़ग संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण करना विशेषाधिकार पर आधारित शिक्षण संस्थाओं और पब्लिक स्कूलों की समाप्ति करना आवश्यक है। ऐसी स्थितियाँ खान की भी आवश्यकता है जो लोगों में शिक्षा व्यवस्था में भागीदार बनने की प्रवृत्ति को विकसित कर सके। उचित मूल्य पर भारत सम्बन्धी साधक सामग्री वाली पाठ्य-पुस्तकों के प्रकाशन को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

3 भाषायी अल्पसंख्यकों के हिता की प्रभावकारी संरक्षण देते हुए हर स्तर पर सम्बद्ध राज्यों की भाषा को शिक्षा माध्यम बनाना चाहिए। अनुसूचित पिछड़ी जातियों की भाषा के विकास के लिए उचित कदम उठाया जाना चाहिए।

4 शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय स्त्री को विशेष कठिनाइयों की स्थिति में काम करना पड़ता है। शहरी, ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्तरों पर इसकी स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई है। पर एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था के निर्माण में यह सांस्कृतिक और पारिवारिक दोनों क्षेत्रों में एक नाजुक भूमिका निभानी पड़ेगी। शिक्षा के नए प्राव्य में यह क्षमता होनी चाहिए कि जटिलताओं से भरे मुद्दों के साथ पूरा साहस कर सके।

5 हरिजनों, अनुसूचित जातियों, गरीब बस्तियों में रहने वाला, भूमिहीन मजदूरों जैसे सुविधाहीन वर्ग के लोगों को शिक्षा देने की हर कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए शिक्षा के मद में बड़ी राशि की व्यवस्था करने की आवश्यकता होगी जिसमें प्रारम्भिक, माध्यमिक और तकनीकी शिक्षा पर उच्चतर शिक्षा की अपेक्षा अधिक बल देना होगा। अब तक उच्चतर शिक्षा को उसके अनुपात से कहीं अधिक हिंसा मिलता रहा है। शिक्षा में विभिन्न स्तरों पर समाज की दृष्टि से उपयोगी कार्यों को मुख्य स्थान मिलना चाहिए, ताकि बुद्धिजीवियों और मजदूर वर्ग के बीच के अन्तर को खत्म किया जा सके। जिस समाज में युवा वर्ग के बहुसंख्यक छात्र स्कूल के अहाते से बाहर रहने को विवश हों, वहाँ जरूरी है कि सुविधाहीन या अपेक्षाकृत कम सुविधा प्राप्त लोगों के लिए मनोरंजन के साधन उपलब्ध किए जाएँ। उनके लिए शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सामुदायिक क्रीडा क्षेत्रों की आवश्यकता है। इस तरह की सुविधाओं के रूप में जनता के लिए बड़े पैमाने पर युवा केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता है। खेल कूद न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि अन्तर्-राष्ट्रीय स्तर पर सम्पर्क को अधिक बढ़ाने के लिए भी। अतः राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से भी इसका अधिक महत्व है।

शिक्षा का भारतीयकरण कस किया जाए—इस विषय पर विद्वानों में अभी सह-मति नहीं है। इसलिए अभी इस विषय पर कोई निश्चित बात कहने से पूर्व विद्वानों के विचारों का सर्वेक्षण करने की आवश्यकता है। इस विषय में विद्वानों का ध्यान आकृष्ट किया है। यह एक शुभ लक्षण है।

## 'भारतीयकरण' के राष्ट्रीय लक्ष्य तथा उनकी चुनौतियों के समाधान से

देश की स्वतन्त्रता के उपरांत प्रजातंत्र प्रणाली को सफल बनाने हेतु व्यक्ति का महत्व तथा सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक धन्य प्रदान करना समाज का उत्तर-दायित्व है। धार्मिक सहिष्णुता का विकास करते हुए जीवन स्तर सुधारने का सफल प्रयास करना चाहिए। समाजवादो व्यवस्था की जड़े गहरी करते हुए भारतीयों को एकता के सूत्र में बाधना आदि प्रमुख लक्ष्य हैं ताकि देश में मोहादपूर्ण वातावरण बन सके।

लेकिन दुर्भाग्य है कि हम अपने लक्ष्यो को प्राप्त करने में कई बिन्दु बाधाओं का सामना करते हैं जैसे भावादी का विस्फोट, राष्ट्र में जाति, सम्प्रदाय व क्षेत्र के आधार पर हिंसा वृत्ति जिसका पंजाब, असम व गुजरात उदाहरण है। राष्ट्रीय-चरित्र गिरता जा रहा है तो देश में नेतृत्व प्रभावशाली नहीं जो जनसाधारण में लोकप्रिय हो। विश्व में शक्ति का ध्वीकरण तो दूसरी तरफ पड़ोसी देश पाकिस्तान, चीन आदि से ब्रिगडे हुए सम्बन्ध। इन सभी चुनौतियों का सामना करते हुए देश में भारतीयकरण का प्रशिक्षण देना वांछित है।

शिक्षाविद् जे पी नायक ने राष्ट्रीय लक्ष्य, को प्राप्त करने हेतु शिक्षा व्यवस्था तथा उसकी प्रगति में माने वाली बाधाओं को दृष्टि में रखते हुए कार्यक्रम दिया है - 1

(1) शिक्षा में प्रजातन्त्र का समावेश —

(i) ज्ञान तथा सामाजिक शिक्षा द्वारा निरक्षरता विनाश।

(ii) अनिषाध तथा मुफ्त शिक्षा।

(iii) छात्रों में सहिष्णुता आत्म सयम, अपनी गलतियाँ और दूसरों की राय धर्म-पूर्ण सुनना, उचित राय का स्वीकार करना आदि गुणों को विकसित करना।

(iv) शैक्षिक प्रशासन का विकेन्द्रिकरण।

(v) छात्रों को प्रजातंत्र की विचारधारा का पान देना और प्रजातांत्रिक जीवन का अभ्यास।

(2) धर्म निरपेक्षता का समावेश —

(1) धर्म का व्यापक अर्थ समझा जाय धर्म का अर्थ 'धारण करना' अर्थात् मनुष्य की

- (ii) हर धर्मावलम्बी छात्र का अपने विद्यालय में उसके धर्म की शिक्षा देने की छूट देना परन्तु धर्मावलम्बी छात्र को वह शिक्षा पाने के लिए विवश न करना ।
- (iii) हर धर्मावलम्बी छात्र को दूसरे धर्म की उत्तम वाता का ज्ञान कराना ।
- (iv) श्री प्रकाश समिति (1960) के जो आर्थिक तथा नैतिक शिक्षा पर विचार करने के लिए बनी थी सुभाषी के अनुसार धर्म से उपासना या कमकाण्ड को छोड़कर शिक्षा के लिए नतिकता की शिक्षा को स्वीकार करना ।
- (v) धर्म निरपेक्षता का अर्थ अभाविकता नहीं है जसा कि आज समझा जाता है और जिसके कारण आम जनता के मन से धर्म की भावना समाप्त होती जा रही है।
- (3) शिक्षा द्वारा देश के आर्थिक विकास कार्यक्रम —
- (1) आम छात्रों में धर्म तथा हाथ के काम के लिए आदर का भाव जगाना ।
- (ii) कृषि तथा उद्योग विकास के लिए विज्ञान तथा प्रविधि की उत्तम शिक्षा देना ।
- (iii) शिक्षा द्वारा ऐसी अभिव्यक्ति जगाना जिससे युवा जन अधिक उत्पादन, अधिक धर्म करने तथा मितव्ययी बनने के आदि बन ।
- (iv) जनसंख्या शिक्षा की व्यवस्था जिसके द्वारा परिवार नियोजन सफल हो ।
- (4) विज्ञान तथा प्रविधि की शिक्षा —
- (1) छात्रों में वैज्ञानिक अभिव्यक्ति पैदा करना जिससे वे तक पूर्वक जोर चिंतन द्वारा तथ्यों को सत्यासत्य निरूपण द्वारा स्वीकार करें ।
- (ii) प्रतिभाशाली छात्रों का चयन और उत्तम विज्ञान शिक्षा की व्यवस्था परन्तु विज्ञान के साथ नैतिक मूल्यों का संयोग करना ।
- (5) सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए शिक्षा —
- (1) शिक्षा के द्वारा प्राचीन भारतीय मूल्यों की रक्षा की जाय । ग्राह्य मूल्यों को ही स्वीकार करना ।
- (ii) एक ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग को तैयार करना जो आस्थावान हो और जो मानविकता तथा विज्ञान विषयों का सन्तुलित ज्ञान रख सके । उसमें भारतीयता के प्रति प्रेम तथा श्रद्धा हो ।
- (iii) आम जनता और बुद्धिजीवी वर्ग के बीच सन्तुलित सम्बन्ध कायम करना ।
- (6) राष्ट्रीय एकता और शिक्षा —
- (1) शिक्षा द्वारा आम जनता में भारत के प्रति प्रेम उत्पन्न करना ।
- (ii) समस्त देशवासियों के लिए एक समान आर्थिक विकास के द्वार खोलना ।
- (iii) एक ऐसा बुद्धिजीवी वर्ग तैयार करना जो सारे भारत में फैला रहे और भाषा,

विचार, कार्य क्षमता तथा जीवन-पद्धति में समान रहे ।

(iv) राष्ट्रीय सस्थाएँ एक ही पैटन पर चलायी जायँ ।

(7) समाजवाद और शिक्षा —

(i) शिक्षा द्वारा जाति, धर्म, वर्ग, वर्ण, क्षेत्र और लिंग की विभिन्नता से परे हर नागरिक की क्षमताओं का पूर्ण विकास किया जाय ।

(ii) अनिवार्य तथा मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था ।

(iii) शिक्षा के समान अवसर का सूत्र अपनाये ।

(8) बढ़िया किसम की शिक्षा — (i) प्रतिभाशाली छात्रों की खोज, ध्यान तथा उनके लिए सुविधाएँ जुटाना (ii) शिक्षा के पाठ्यक्रम में अधिक गहराई लाना ।

(iii) शिक्षा-काल को बढ़ाना । (iv) निर्धारित समय में अधिक ज्ञान देना ।

शिक्षाविद् श्री नायक के द्वारा शिक्षा-प्रणाली को राष्ट्रीय स्वरूप देने का प्रयास किया गया है । ज्ञान के विस्फोट हान और उसे प्राप्त करने के विभिन्न रूप हैं । एक दश की अच्छी प्रणाली का दूसरा देश अपनाता है, उसी प्रकार हम भी उसे विदेशी प्रणाली जो भारतीय भूमि के अनुकूल है उसे अपनाने में कोई अशुविधा नहीं होनी चाहिए यही भारतीयकरण का सही प्रयास है ।

### स्वतन्त्र भारत की शिक्षा में भारतीयकरण की बाधाएँ

शिक्षा के माध्यम से बालक का मानसिक शारीरिक सामाजिक आर्थिक विकास कर देश के लिए उपयोगी नागरिक बनाना प्रमुख ध्येय है । इसके साथ ही सारे भारतीयों में एक होने की भावना से राष्ट्र प्रगति की ओर अग्रसर हो पायेगा । जब सकृचितता का त्यागकर भारतीय समझे लेकिन भारतीयकरण के माग में अत्यधिक बाधाएँ आ रही हैं यद्यपि राष्ट्रीय विभूतियाँ न अत्यधिक प्रयास स्वतंत्रता से पूर्व व उपरान्त भी किए हैं । वर्तमान में भी भारतीयकरण हेतु निम्न बाधाएँ प्रमुख रूप से खड़ी हैं जो समाधान की माग करती हैं । प्रमुख बाधाएँ —

(1) 'भारतीयकरण के सम्प्रत्य स्पष्ट नहीं — देश को स्वतन्त्र हुए अठतीस वर्ष होने जा रहे हैं फिर भी भारतीयकरण का अर्थ विभिन्न विद्वान अपने ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं । स्वतंत्रता से पूर्व, प्रत्येक पारश्चात्य मूल्य को हटाकर भारतीय-मूल्यों को अपनाया ही भारतीयकरण माना जाता था जबकि स्वतंत्रता के उपरान्त विदेशी संस्कृति व मूल्यों को जो भारतीय भूमि के उपयुक्त है उन्हें अपने में मिला लेना अर्थात् आत्मसात करने को प. नेहरू ने भारतीयकरण की सलाह दी है । प्रो० मधोक भारतीयकरण, भारतीय संस्कृति के प्रतिराधात्मक एवं भावनात्मक

सम्बन्ध के विकास को मानते हैं। स्वामी दयानन्द प्राचीन भारतीय ज्ञान विज्ञान और सस्कृति भाषा की शिक्षा को 'भारतीयकरण' मानते थे। मालवीयजी, तिलक, प्रो. हुमायूँ कबीर आदि विद्वानों के मत एक नहीं हैं, जिसे भारतीय स्वल्प शिक्षा में प्रदान करना मुश्किल प्रतीत हो रहा है। भारत में हिंदूओं के प्रतिरिक्त धर्मविलम्बी लोग वेदकालीन शिक्षा को आधुनिक परिवेश में उपयुक्त नहीं मानते। ऐसी स्थिति में समन्वयपूर्ण शिक्षा प्रणाली को अपना देने का प्रयास किया जिसका अर्थ है कि प्राचीन सस्कृति को आधुनिक ज्ञान विज्ञान से आवश्यकतानुसार जोड़ विठाना चाहते हैं। वर्तमान युग में हम अपने दिमाग दिल व कान खुले रखने होंगे और अपनी आवश्यकतानुसार अन्य देशों से ज्ञान वाले ज्ञान को भी प्राप्त करना पड़ेगा—अर्थात् हम और अधिक पिछड़े जायेंगे। अस्तु शिक्षा के भारतीयकरण का अर्थ कुछ और होगया। आज शिक्षा में भारतीयकरण का अभिधान द्रुतगति से नहीं फैलने का प्रमुख कारण अस्पष्ट अर्थ है।

## (2) प्राचीन मूल्यों के प्रति अनास्था —

आज अर्थ प्रधान युग है जिसमें भौतिकता का केन्द्र स्थान प्राप्त है। सारा विश्व भौतिकवादिकता की ओर झुकता ही जा रहा है, ऐसी स्थिति में भारत भी अलुता नहीं है। जब भौतिकवादी खाने-पीने और मोज करने में विश्वास करते हैं ऐसी स्थिति में हमारी विरासत जिसमें दया, धर्म, कर्तव्य, मोक्ष आदि को न मानकर पार्श्वार्थ विचारों से आत-प्रोत होते जा रहे हैं और प्राचीन मूल्यों व परम्पराओं के प्रति आस्था हटती जा रही है। आधुनिक युग में न्यूनतम साधनों का विकास अत्यन्त आवश्यक है लेकिन नतिक मूल्य जो भारतीय विरासत हैं उसमें पिछड़ते ही जा रहे हैं। अपने प्राचीन मूल्यों को छोड़ने के फलस्वरूप विश्वास के स्थान पर अविश्वास अभय के स्थान पर भय का वातावरण देश में बना हुआ है। दश में असन्तुलन, आर्थिक सामाजिक व राजनितिक क्षेत्र बढ़ा है और विषय जायाजन का वातावरण भी उसे हमारी सस्कृति परम्पराओं में पुन आस्था स्थापित कर ही अस्पष्टता का स्पष्ट वातावरण में तबदील करने में सफल हो सकेगा। हम वर्तमान के साथ भूत व भविष्य के बारे में सोचने हेतु छात्रों को तैयार करना है वह हमारी प्राचीन सस्कृति में आस्था रखने से ही सम्भव है।

## (3) लम्बे समय तक परतन्त्रता —

हम बहुत लम्बे समय तक दासता की बड़ियों में जकड़े रहे। मुगलों, अंग्रेजों व अन्य जातियों ने हमारी सस्कृति पर नियोजित उग्र स प्रहार किया। मकान की शिक्षा व्यवस्था ने भारतीय परम्परा व सस्कृति का समाप्त करने की गति

की थी। हम पाश्चात्य भौतिकवादी संस्कृति के दास बन गये और अपने आपको भूल गये और अपने पूर्वजों के स्थान से गिर गये तितर-बितर हो गये और भौतिक लान, छोना-रूपटी में सलमन हो गये। लेकिन हमारे संस्कृति की आत्मा जोवित है जिसके कुछ महत्वपूर्ण आदर्श हैं। हमें विभिन्न धर्मों के लोगों को परस्पर मिल जुलकर रहने की आवश्यकता है ना कि दगा-फसाद की। हमें आज पुनः संसार का एक आत्मा दनी है क्योंकि विश्व की अग्र्य संस्कृतियाँ सिर्फ शरीर हैं। हम अपने दामता के काल में खोई हुई प्रतिष्ठा को प्राप्त कर देना व विदेशियों को चेतना देकर जाग्रत करना है यदि हम सच्चे भारतीय हैं।

- (4) धर्म निरपेक्षता की नीति — धर्म निरपेक्षता, जिसे गलती से धर्म निरपेक्षता कहा जाता है का अर्थ सभी धर्मों का समान रूप से आदर करना, इसका अर्थ धर्मों को जोड़ना नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति द्वारा पवित्र समझी जाने वाली चीज का आदर करना चाहिए। लेकिन देश में आदिवासी, गरीब जातियाँ प्रलोभन व मजबूरी में विदेशी धर्म प्रचार व प्रसार के चकाचौंध में आकर बड़ी संख्या में धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं जो हमारी उदारता का नाजायज लान उठा रहे हैं और हम प्रतिरोध नहीं कर पा रहे हैं और न भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रचार के लिए ही उपयुक्त कार्य कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी संस्कृति परोक्ष व अपरोक्ष रूप में धर्म से सम्बन्धित है। विश्व के सभी धर्मों के अनुयायी रहते हैं वे सभी धर्मों के लोग भारत के नागरिक हैं जो ज्ञान-विद्वानों से रहते हैं उन्हें भारतीय परम्पराओं से जोड़ना है सभी भारतीयकरण हीगा।
- (5) पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव — पाश्चात्य सभ्यता के क्षेत्र बिंदु अर्थ है। भौतिकवादी जीवन जीने की लानसा देसवासिया में पाश्चात्य सभ्यता का ही प्रभाव है। हमें आज विरामन में जो सभ्यता परम्पराएँ व धारणाएँ प्राप्त हुई हैं सभी से हमारा उधार सम्भव है। भारत आध्यात्मिक मूल्यों का हमारी रक्षा है लेकिन पाश्चात्य सभ्यता की चकाचौंध करने वाली संस्कृति की ओर हमारा झुकाव बढ़ रहा है। हम अपनी भारतीय के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने में हिचकिचाते हैं। हमें पुनः आदर्शों पर ही चलना है, हमें नये भौतिकवादी पाश्चात्य विचारों में खो नहीं जाना है और न ही उनसे प्रभावित होना है। मांग इस बात है कि हमारी नावी पीढ़ी को प्राचीन मूल्यों का ज्ञान प्रदान किया जाय। इसी कमी के कारण आज के विचारियों में इतनी अधिक स्वेच्छाचारिता या अनुशासन



हीनता बढ रही है। यदि हम पुन विद्यार्थियों को शिक्षा पद्धति के माध्यम से अपनी सस्कृति व मूल्यों की ओर लौटा लाये और उन्हें यह समझा दें कि हमारे धर्म की बुनियाद सबसे अधिक वैज्ञानिक सबसे अधिक नैतिक, सबसे अधिक अनुकूल और सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यह शिक्षा संवेतन हो सकती है और सभी नागरिकों में भारतीयकरण की ओर सफल प्रयास रहेगा।

### भारतीयकरण हेतु उपाय

- 1) भारतीय दर्शन का विकास — प्राचीन नैतिक तथा धार्मिक मूल्यों वित्तन तथा सस्कृति के आधार पर वर्तमान वैज्ञानिक उन्नति के सद्भ्रम दर्शन का विकास।
- 2) शिक्षा दर्शन का विकास — सभी धर्मों के मूल में एकत्व है। किसी भी धर्म की शिक्षा में बिद्वेष ईर्ष्या, सपथ का प्रतिपादन नहीं किया है। अतः सभी धर्मों की विशेषताओं का समन्वय स्थापित कर शिक्षा दर्शन बनाया जाय जिससे वस्तु स्थिति को समझकर व्यापक दृष्टिकोण का विकास हो।
- 3) जीवन से सम्बद्धता — शिक्षा दर्शन काल्पनिक या विदेशी विचारों से अलग प्रोत न हो बल्कि भारतीय जीवन से सम्बद्धित हो।
- 4) सर्वधर्म-समन्वय — भारत के सभी धर्मों में आत्मा अहिंसा, सत्य परोपकार, दया सहिष्णुता, मानवता आदि गुण विद्यमान हैं सभी धर्मों का समन्वय करते हुए शिक्षा-प्रणाली का अभिन भाग बनाया जाय। सभी धर्मों में मानव कल्याण, ईश्वर की समान कल्पना, देवी देवताओं के विवाह सम्बन्धी कथाएँ समान नैतिक पक्ष की एक रूपता है। डा. भगवानदास ने उदाहरण देते हुए यह प्रमाणित किया है कि विभिन्न धर्मों की स्थिति क्लिप्त रंगों के समान होती है। इस प्रकार शिक्षा प्रदान की जाय तो भावात्मक एकता स्थापित हो सकेगी।
- 5) विज्ञान और उद्योग शिक्षा - वैज्ञानिक प्रगति भारत में प्राचीन काल में इतनी अधिक थी कि विश्व का सिरमौर था। रामायण, महाभारत में उदाहरण प्राप्त है। वैज्ञानिक प्रगति भारतीयकरण का एक अविभाज्य अंग है, परन्तु विज्ञान को नैतिकता तथा धर्म से जोड़ना होगा। इसकी शिक्षा का प्रचार व प्रसार बड़े पैमाने पर करने की आवश्यकता है।
- 6) मानवीय गुणों का विकास — हमारी शिक्षा प्राचीन सस्कृति को आधार मानकर बनाई जाय जिसमें मानवीय गुण का समावेश हो। 'मादा जीवन उच्च विचार' दया, निष्ठा, सहानुभूति, परोपकार, समानता सहिष्णुता, महकारिता, प्रेम आदि इसको आधार बनाकर शिक्षा व्यवस्था की जाय।

(7) सामाजिक शिक्षा — प्राचीन भारत में श्रौत और आदमी को समान अधिकार होते थे कोई छोटा बड़ा नहीं होता। बगैर श्रौत के आदमी भी बगैर आदमी के श्रौत कोई सस्कार सम्पन्न करने का अधिकारी नहीं होते थे। ब्रिहकानन्द ने वन के आधार पर जाति को माना है। परशुराम क्षत्रिय तथा विश्वामित्र राज ऋषि हो सकते थे। देश में बगैर लिंग जाति धर्म क्षेत्र के सामाजिक समानता को आधार बनाकर शिक्षा व्यवस्था वांछित है।

(8) उत्पादनशील शिक्षा — प्राचीन शिक्षा में शारीरिक परिश्रम को सर्वत्र महत्व दिया जाता रहा है। आश्रम-व्यवस्था का अन्तर्गत शिष्यो को आश्रम से सम्बन्धित सभी कार्य करने पड़ते थे। पाश्चात्य सभ्यता जहाँ भोग प्रधान रही है, जिसका प्रभाव भारतीय शिक्षा पर दृष्टिगोचर होता है। आज छात्र विद्याभ्यसनी होने के बजाय मास मदिरा के व्यसनी हैं। वर्तमान शिक्षा का भारतीयकरण करते समय 'श्रम को प्रधानता देनी होगी और उस उत्पादनशीलता से जोड़ना होगा जिससे दान, त्याग आदि गुणों का विकास होगा।

निम्नलिखित कार्यक्रमों को सर्व प्राथमिकता देनी चाहिए —

- (1) शिक्षा और सस्कृति के मूल मूल्यों के रूप में विज्ञान।
- (2) सामान्य शिक्षा के एक अभिन्न मूल के रूप में कार्य-अनुभव।
- (3) उद्योग कृषि और व्यापार की आवश्यकताओं को पूरित करने के लिए शिक्षा का व्यापककरण, विशेषकर माध्यमिक स्कूल स्तर पर, और
- (4) विश्वविद्यालय स्तर पर वैज्ञानिक और शिल्प वृत्तान्तिक और शिक्षा एवं अनुसंधान में सुधार किंतु कृषि और सबंध विज्ञानों पर विशेष जोर।
- (9) लोकतान्त्रिक मूल्यों का विकास 2 — शिक्षा में भारतीयकरण का स्वरूप ऐसा हो जो लोकतान्त्रिक मूल्यों का विकास कर सके जैसे कि मन की वैज्ञानिक प्रवृत्ति, सहनशीलता अल्प राष्ट्रीय समूहों की सस्कृति के प्रति आदर आदि पर भी विशेष रूप से जोर दिया जाना चाहिए ताकि हम लोकतंत्र को न केवल शासन के प्रकार के रूप में अपितु एक जीवन शैली के रूप में भी ग्रहण कर सकें। भारत की आबादी में विभिन्न धर्म व भाषायी, प्रजातियाँ जातियाँ व वर्ग के समुदाय रहते हैं। लोकतान्त्रिक प्रवृत्ति-सहनशीलता सबसे महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है। इससे स्वस्थ दृष्टिकोण का विकास होने से विभाजन का अन्त की सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक समूहों को सहायता मिलेगी।

1 कोठारी डॉ एस—'शिक्षा आयोग की रिपोर्ट (पृ 7-8)

2 वही वही (पृ 20 21)

उपसंहार — भारत में प्रचलित शिक्षा प्रणाली हमारे राष्ट्रीय उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम सिद्ध नहीं हुई है क्योंकि यह ब्रिटिश शासन की देन है। आज पढ़े लिखे नव-युवक अपनी परम्पराओं, मूल्यों, व सस्कृति को भूलकर पाश्चात्य जीवन शैली के अधे भक्त होते जा रहे हैं। इसमें दोष छात्रों का कम और शिक्षा पद्धति का अधिक है, क्योंकि उन्हें 'मूल्यों', परम्पराओं व सस्कृति का अध्ययन करवाया ही नहीं जाता है। इस ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के विपक्ष के बारे में स्वामी दयानन्द, रवीन्द्रनाथ, विवेकानन्द लाला लाजपत राय व गांधीजी जैसे देश भक्तों को इनके द्वारा पढ़ने वाले प्रभावों के बारे में खूब जानते थे और उन्होंने प्रतिकार भी किया।

देश की सस्कृति के प्रमुख तत्व इस देश की सस्कृति के प्रमुख तत्व इस देश की अनेक मानव पीढ़ियों को घोर परिश्रम, सधप, साधना और बलिदान के उपरांत निर्मित हुए है। यह हमारी बहुमूल्य धरोहर है जिसके कारण ही हम विश्व में सर्वोच्च प्रतिष्ठित हो सके। आज देश की आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक क्षेत्रों में द्रुत निरंतर फलता जा रहा है और देश दिन-प्रतिदिन मूल्यों व सस्कृति के दृष्टि से कमजोर हो रहा है। आज स्वयं के लाभ को प्राप्त करने में छीना झपटी कर रहे हैं। हमारे देश का प्रगतिशील विचारों की ओर अग्रसर करना है और भावी पीढ़ी को देश के बारे में सही तस्वीर देनी है तो समय रहत छात्रों को भारतीय सस्कृति मूल्यों, धार्मिक सहिष्णुता, प्रजातान्त्रिक जीवन शैली, सम्बेदनशीलता आदि गुणों से श्रोत-प्रोत शिक्षा का भारतीयकरण करके सफल हो सकत है और जो आदर्श दर्शन, राष्ट्रीय संविधान में निहित है उसकी पूर्ति करने में सहायक सिद्ध हो सकती है।



### मूल्यांकन (Evaluation)

#### (अ) लघु उत्तर प्रकार के प्रश्न (Short Answer Type Questions)

- 1 'शिक्षा में भारतीयकरण' के तथा शिक्षा के आधुनिकीकरण के पांच मुख्य प्रश्न लिखिये। (बी एड पत्राचार 1985, बी एड 1984)
- 2 शिक्षा का भारतीयकरण करने के अत्र तक क्या प्रयास किये गये हैं? (बी एड 1983)
- 3 'भारतीयकरण' आधुनिक भारतीयता और 'भारतीय आधुनिकता का समन्वय है' स्पष्ट कीजिए। (बी एड 1982)
- 4 माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के भारतीयकरण के लिए आप किस कार्यक्रम का सुभाव रहे है। (बी एड पत्राचार 1981)

5 शिक्षा के 'भारतीयकरण' और शिक्षा के आधुनिकीकरण के अंतर को स्पष्ट करने के लिए पांच प्रमुख बिंदुओं का लिखिए। (बी एड 1968)

(घ) निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

1 शिक्षा में भारतीयकरण का क्या अर्थ है ? उन शैक्षिक पक्षों की व्याख्या कीजिए जो भारतीयकरण में सहायक होंगे। (बी एड 1985)

2 शिक्षा में भारतीयकरण का क्या अर्थ है ? शिक्षा के भारतीयकरण के लिए किन-किन शैक्षिक क्षेत्रों में परिवर्तन की आवश्यकता है और क्यों ? (बी एड 1984)

3 'भारतीयकरण एवं आधुनिकीकरण' के अंतर को बतलाइय तथा भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में दोनों में सामंजस्य स्थापित करने की सम्भावना लिखिए।

(बी एड पत्राचार 1984)

4 शिक्षा के भारतीयकरण से आप क्या समझते हैं ? क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968 से 1969) के आधार पर शिक्षा का भारतीयकरण सम्भव है ? 'देश के भावात्मक एकीकरण के लिए शिक्षा का भारतीयकरण पूर्वावश्यकता है।' विवेचन कीजिए। (बी एड 1981)

5 शिक्षा के भारतीयकरण से आपका क्या अभिप्राय है ? शिक्षा के भारतीयकरण के उद्देश्य की प्रगति हेतु उदाहरण देते हुए ठोस सुझाव दीजिए। (बी एड 1979)

## धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा (Moral & Religious Education)

[ विषय-प्रवेश-धार्मिक शिक्षा का अर्थ ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य-संविधान में धार्मिक शिक्षा-प्रगतिशील राष्ट्रों में धार्मिक शिक्षा-स्वतंत्र भारत में धार्मिक शिक्षा की आवश्यकता आध्यात्मिक मूल्यों की आवश्यकता-धर्म निरपेक्षता एवं धर्म-आध्यात्मिकता व नैतिक मूल्यों की शिक्षा कैसे दी जाय विभिन्न आयोगों की सिफारिश ]

—नैतिक शिक्षा—का अर्थ—नैतिक शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्त्व—नैतिक शिक्षा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य—नैतिक शिक्षा का स्वरूप—पाठ्यक्रम एवं विधियाँ—उपसंहार मूल्यांकन ]

### (अ) धार्मिक शिक्षा

भारतीय शिक्षा पद्धति में धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा से अधिक अन्य कोई भी विषय विवादास्पद नहीं है। केवल भारत में ही नहीं विश्व के अनेक राष्ट्रों में भी अनुशासकीय तथा सामाजिक मूल्यों का ह्रास द्रुतगति से किशोर बालक व बालिकाओं में दृष्टिगोचर हो रहा है। हम शरीर का पोषण करने में आत्मा का हनन कर रहे हैं। शिक्षा का उद्देश्य सर्वांगीण विकास करना है, लेकिन हम एकाकी विकास करने में तत्पर हैं। सर्वांगीण विकास जिसमें शांति, बौद्धिक, भावात्मक सामाजिक, आध्यात्मिक, नैतिकता का विकास करना है जो सम्भव प्रतीत नहीं होता है। विश्व की प्रगतिशील व 'तनोय' विश्व के राष्ट्र इस विषय को गम्भीरता से लेते हुए अपनी शिक्षण-व्यवस्था पाठ्यक्रम में मूल्यों (Values) को पुनः स्थापित करने का सफल प्रयास कर रहे हैं। विश्व का हर व्यक्ति भौतिक दौड़ में लगा हुआ है। जागन ने अचिरकाल (Recently) अपने अभिकृत पाठ्यक्रम में परीक्ष व अपरीक्ष रूप से इस विषय को प्रारम्भ किया है। इंग्लैंड व अमेरिका भी अत्यन्त गम्भीरता से आत्मा व जीवन मूल्यों की शिक्षा प्रदान करने के पक्ष में हैं। भारत में लगभग पिछले चार हजार वर्षों से धर्म की परम्परा रही है कि उनमें दशन, सिद्धांत आत्मा व मूल्यों को हम विरासत में प्राप्त हुए हैं। लेकिन दुःख इस बात का है कि आज हम धार्मिक विश्वास के प्रति अनास्था और विरासत में प्राप्त

पारपरिक मूल्यों के विखण्डन के युग में जी रहे हैं। विज्ञान और नैतिक मानवतावादी के प्रभाव में पले हुए व्यक्ति प्राप्तवाक्य के रूप बुद्ध भा स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते। फलस्वरूप विश्व के अनन्त भागों में धार्मिक विश्वासों को छोड़ रहे हैं। यदि हम इतिहास के महत्व को वैज्ञानिक दृष्टि के महत्व को, धर्म के नम वय के महत्व को, लोकतन्त्र के बुनियादी महत्व को आधुनिक युग की विशेषताओं के रूप में स्थापित करता ह तो हम अपने आदर्शों को नहीं छोड़ना ह हम नये विचारों-म-नहीं-सो-जाना ह। आज शान्ति व महाविद्यालय स्तर तक छात्रों को 'मूल्यों' व धर्म व नैतिकता का ज्ञान न होने के फलस्वरूप ही इतने अधिक स्वच्छाचारिता, या अनुशासनहीनता व्याप्त ह। 'धर्म' की शिक्षा के नाम पर विवाद होता है लेकिन भारतीय धर्म की बुनियादी वैज्ञानिक, लोकतांत्रिक है। हमारे संविधान की प्रवृत्ति धर्म निरपेक्ष है। जिसे गलत ढंग से प्रयुक्त लिया जा रहा है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है सभी धर्मों का समान रूप से आदर करना इसका अर्थ धर्म को छोड़ना नहीं है। अतः हम किशोर अवस्था से ही बालकों को धार्मिक व नैतिक शिक्षा प्रदान करने की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए।

कोठारी कमिशन के आधार पर धर्मनिरपेक्षता व धर्म — कोठारी कमिशन ने 'धर्मनिरपेक्षता व धर्म' पर कहा है— 'धर्म निरपेक्ष नीति अपनाने का अर्थ यह है कि राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक मामलों में, सभी नागरिकों को, वे चाहे किसी भी धर्म के मानने वाले हों समान अधिकार प्राप्त होंगे किसी भी धार्मिक संप्रदाय का साथ न तो कोई पक्षपात किया जाएगा और न ही उसके साथ कोई भेदभाव किया जायगा।'<sup>1</sup>

लोकतांत्रिक भारत में अनेक धर्म व सम्प्रदाय के लोग निवास करते हैं। अतः यह आवश्यक है कि वह सभी धर्मों के सहिष्णुतापूर्ण अध्ययन का प्रास्ताविक करे ताकि उसके नागरिक एक दूसरे को और अच्छी तरह समझ सकें तथा शांतिपूर्वक साथ साथ रह सकें। अब जो बच्चे बड़े हो रहे हैं स्वयं अपने ही धर्म का कोई स्पष्ट ज्ञान नहीं है और न ही उन्हें अपने धर्मों की कोई बात सीखने का अवसर मिलता है। वास्तव में नई पीढ़ी में, इन बातों सम्बन्धी ज्ञान सामान्य अज्ञान और गलतफहमी है कि उनमें उन नोस्तन के विकास के लिए बड़ा खतरा है जिनमें सहिष्णुता को एक उच्च मूल्य समझा जाता है। हमारा यह सुझाव है कि प्रत्येक प्रमुख धर्म से सम्बन्धित चुनी हुई जातकारों के द्वारा एक पाठ्य-विवरण स्कूलों तथा कॉलेजों में प्रथम उपाधि तक प्रारम्भ किए जाने चाहिए क्योंकि विश्व के महान् धर्मों में जो मूलभूत समानताएँ हैं, तथा वे मोटे तौर पर तुलनीय जिन नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के निर्माण पर जो बल

स्त है, उस भा प्रकाश में लाए।" " उसमें कोई ऐसी बात शामिल नहीं है, (सुनिश्चित हो जाय) जिस पर कोई भी धार्मिक संप्रदाय उचित आपत्ति उठा सके।' 2 जिससे कालांतर में सम्पूर्ण मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा न कि उसके-परिष्कार के किसी खण्ड विशेष का।

अतः यह महसूस किया जाने लगा है कि धार्मिक व नैतिक शिक्षा पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग होना चाहिए। हमारी वर्तमान शिक्षा-व्यवस्था में महान् कमजोरी रही है लेकिन हमें धीरे-धीरे धार्मिक व नैतिक शिक्षा छात्रों को प्रदान की जानी चाहिए।

### ऐतिहासिक प्रारम्भिकता (Historical Background)

- (1) वैदिक-काल — प्राचीन भारत में धार्मिक व नैतिकता का शिक्षा में सर्वोच्च स्थान रहा है। वास्तव में शिक्षा तथा धर्म एक दूसरे के बीच गहरे सम्बन्ध में रहे हैं। अध्यापन का कार्य धार्मिक गुरुओं द्वारा आश्रम में प्रदान किया जाता था। धर्म व्यवहारिक जीवन का आधार था और सारी सामाजिक जीवन की धर्म के आधार पर ही व्याख्या की जाती थी। अध्यापक का मुख्य उद्देश्य अपने शिष्यों की व्यक्तिगत व सामाजिक जीवन में आचार-विचार नैतिक व धार्मिक दृष्टि से निर्मित करना था। उनका विश्वास था कि भावात्मक व नैतिक आचार सम्बन्धी विकास बाल्यकाल में होकर सस्वार पड़ जाते हैं वे जीवनपर्यन्त बने रहते हैं। उक्तकाल में जीवन का उद्देश्य धर्म अथ, काम, मोक्ष की प्राप्ति, जिसमें धर्म को सर्व प्रमुख माना जाता था। उन समय आत्म ज्ञान व ब्रह्म ज्ञान विशेष महत्व दिया जाता था। उस समय भीष्म गितामन राजा हरिश्चन्द्र, सीता, राम सावित्री के गुणों का वर्णन इसी काल में किया जाता। अर्थात् सम्पूर्ण शिक्षा धर्म और नैतिकता पर आधारित थी।
- (2) उत्तर वैदिक काल — इस काल में उपनिषदों की रचना की गई तथा याज्ञिक पद्धतियों द्वारा, पूजा उपासना तथा बलि देने की प्रथा प्रारम्भ की गई। इन समय परिवर्तनों का तत्कालीन शिक्षा पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा। शिक्षा पूर्ण तथा आध्यात्मिक बन गई थी।
- (3) ब्राह्मण काल — इस काल में आश्रम व्यवस्थाएँ प्रचलित हो गई थी जहाँ आश्रम में गुरु तथा शिष्य अध्ययन-अध्यापन करते थे। गुरु अपने व्यक्तिगत जीवन का आदर्श शिष्य पर छोड़ता था। शिक्षा का अंतिम उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना था। शिक्षा का सम्पूर्ण रूप धार्मिक था तथा शिक्षा के माध्यम से विभिन्न पहलुओं का ज्ञान कराते हुए बालकों में मानवीय गुणों का विकास किया करते थे।

2 कोठरी, (डी एस) 'शिक्षा आयोग की रिपोर्ट'

(4) बौद्धकाल—बिहार व मठ बौद्धकालीन शिक्षा के केन्द्र स्थल थे। मूर्ति-पूजा, वलि देना, ग्राहण-युग में प्रारम्भ ही गई थी। इस काल की कुप्रथाएँ समाज में इस ढंग से जड़े जमा गईं कि धर्म का सही रूप लुप्त हो गया जिसका शिक्षा पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही था। चिन्तन, मनन न हाकर आश्चर्य ही गया।

(5) मुस्लिम काल — इस काल में शिक्षा मक़तब और मदरसा में इस्लामी धर्म एवं कुरान की पवित्रता के धारे में प्रदान की जाती थी जो सामान्यतः मस्जिदों में लगते थे। प्राचीन भारतीय गुरुओं की नीति इस काल में शिक्षा प्रदान करने वाले धार्मिक नेता मुल्ला या मौलवी ही होते थे, वे छात्रों में ईश्वर भक्ति व धर्मानुसारिता की शिक्षा देते थे।

(6) अंग्रेजी काल व उनकी उपेक्षित धार्मिक नीति —

ब्रिटिश-शासन का भारत में आगमन के साथ ही हमारी प्राचीन व मध्यकालीन शिक्षा-पद्धति का द्रुतगति से महत्व समाप्त होना लगा। क्रिश्चियन मिशनरियाँ भारत में यूरोपीयन व्यापारिक कम्पनियों के साथ ही आगमन हुआ। इन मिशनरियों ने शिक्षण संस्थाओं की स्थापना देश में ही की जिसका प्रमुख उद्देश्य धर्म धर्म का प्रचार व प्रसार भारत की जनता में करना था। पतंगाली मिशनरियों द्वारा कैथोलिक धर्म की शिक्षा दी जाती थी और प्रोटेस्टान्टों द्वारा ईसाई धर्म की। भारत में ब्रिटिश-शासकों ने इन संस्थाओं को वित्तीय सहयोग के साथ-साथ धन्य तौर तरीकों से भी मदद की। परन्तु प्रकट रूप में पूर्णतया तटस्थ दृष्टिकोण होतों।

ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने तुष्टी की नीति अपनाकर सुसलमान व हिन्दुओं को खुश करने के लिए क्रमशः कलकत्ता मदरसा (1780) व बनारस संस्कृत कॉलेज (1791) खोले। सन् 1813 के चाटर् एक्ट का स्वरूप धर्म निरपेक्ष माना गया।

डेविड हेयर, जेम्स बेंथून राजा राममोहन राय, जगन्नाथ, शंकर सेठ आदि ने धर्म निरपेक्ष शिक्षा पर जोर दिया। मैकाले ने इन लोगों का समर्थन किया लेकिन वे इस बात को स्वीकार करते थे कि अंग्रेजी भाषा तथा साहित्य निरपेक्ष रूप से भारतीय जनता के धार्मिक दृष्टिकोण में फल लायेगे। मैकाले की धर्म निरपेक्षता के समयन के पीछे चाल थी कि लोग मूर्ति-पूजा की अभ्यास से हट जाय और वे सफल भी रहे। लार्ड मैकाले ने 1836 में लिखा— "हिन्दुओं का धर्मनाश धर्म नहीं यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि अगर हमारी शिक्षा योजनाएँ परामर्शानुसार क्रियाविधित हुईं तो बंगाल के प्रतिष्ठित परिवारों में 30 वर्ष पश्चात् कोई मूर्ति पूजक नहीं रहेगा। बगैर धर्म परिवर्तन करवाय और बगैर धार्मिक



स्वतंत्रता में दखल 'दाजी की स्वाभाविक रूप से पाश्चात्य ज्ञान व प्रभाव से यह प्रभाव पड़ेगा।'<sup>1</sup>

1854 के बूड के घोषणा पत्र ने यद्यपि कहने की धम निरपेक्ष शिक्षा का सम-पन किया परन्तु मिशिनरी स्कूलों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से ईसाई धर्म को प्रश्रय दिया और सभी पुस्तकालयों के लिए बाईबल रखना अनिवार्य कर दिया। ऐसे तो 1859 में भारत राज्य के सरकारी ने पुन घोषणा कर दोहराया कि ब्रिटिश सरकार शिक्षण संस्थाओं में पूणतया धमनिरपेक्षता को अपनायेगा। 1882 में हटर कमीशन ने धमनिरपेक्षता के सिद्धान्त को तो माना लेकिन नतिक पाठ्यक्रम के सुभाव को निरस्त कर दिया और कुछ नैतिक शिक्षाएँ छात्रों को सामान्य पाठ्य-पुस्तकों में प्राकृतिक धम के बारे में राजकीय महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य या प्रोफसर द्वारा विभिन्न 'मानव के कर्तव्य' के बारे में भाषण का सुझाव दिया जिसकी क्रियान्विति बिलकुल नहीं हुई। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 ने धार्मिक शिक्षा को विश्वविद्यालय से त्याग दिया क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं समझी गई। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग (1917-1919) ने धम को भेदभाव का कारण समझते हुए किसी भी तरह का सुभाव ही नहीं दिया।

### केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड 1944-45 —

द्वितीय महायुद्ध के उपरान्त भारत में शिक्षा के विकास हेतु केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड 1944 में अपनी बैठक में धार्मिक शिक्षा को मायता दी और माय पादरी श्री जी डी बर्ने के सभापतित्व में एक समिति का गठन हुआ जिसने सुभाव दिए — जबकि हम मानते हैं कि चरित्र निर्माण आध्यात्मिक और धार्मिक शिक्षा की आवश्यकता है परन्तु इस शिक्षा की व्यवस्था स्कूलों में नहीं की जा सकती। यह बालकों के परिवार

1 "No Hindu his religion. It is my firm belief that if our Plans of Education are followed up, there will not be a single idolator among the respectable classes in Bengal, thirty years hence. And this will be effected with out any effort to proselytics with out the smallest interference in their religious liberty, merely by the natural operation of knowledge and reflection."

—Lord Macaulay (1836)

व समाज का उत्तरदायित्व ।<sup>2</sup> मुख्य उद्देश्य इस प्रस्ताव का था, हमारी शिक्षण संस्थाओं में धर्म निरपेक्षता को बनाय रखना ।

## स्वतन्त्र भारत के संविधान में धार्मिक शिक्षा

(Constitution provision regarding Religious Education)

स्वराज्य-प्राप्ति के बाद 1950 में हमारी संविधान सभा न तार देश के लिए सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य की संविधान में व्यवस्था की । इसने अनुच्छेद 28 व 30 के अनुसार धार्मिक शिक्षा के विषय में निम्न निर्णय लिए गए —

अनुच्छेद 28 - (1) राज्य-अनुदान पर पूरातया आश्रित शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जायेगी ।

(2) खण्ड (1) में निहित मत उन शिक्षा संस्थाओं पर लागू नहीं होगा जो राज्य द्वारा प्रशासित की जाती हों किन्तु जिनकी स्थापना किसी धर्मादा अथवा पास द्वारा की गई हो और जिनमें धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक माना गया है ।

(3) राज्य द्वारा मायता प्राप्त अथवा राज्य अनुदान प्राप्त करने वाली शिक्षा संस्थाओं में कोई भी व्यक्ति ऐसी धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो इन संस्थाओं में दी जाती हो बाध्य नहीं किया जायगा और न उनसे सम्बन्धित किसी परिभाषा में धार्मिक पूजा में भाग लेने के लिए बाध्य किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति की अपनी (अथवा यदि वह नागलिंग हो तो उसके अभिभावक का) अनुमति न हो ।

अनुच्छेद 30 —

- (1) सभी धर्म मतों की चाहें वे धर्म अथवा भाषा के आधार पर हों अपनी इच्छानुसार शिक्षा संस्थाओं को स्थापित करने तथा प्रशासित करने का अधिकार होगा ।
- (2) राज्य की ओर से अनुदान देते समय किसी भी शिक्षा संस्था में इस आधार पर कि वह भाषा अथवा धर्म के आधार पर अल्पमत द्वारा प्रतिबंधित है भेदभाव नहीं बरता जाएगा ।

2 'While we recognise the fundamental importance of spiritual and moral instruction in the building of character, the provision for such teaching, except in so far as it can be the responsibility of the home and the community to which the pupil belongs'

इन अनुच्छेदों के शब्दा से यह स्पष्ट है कि जहाँ एक ओर ऐसी शिक्षा मस्याओं में जो पूर्णतया राज्यकोष पर आश्रित हैं कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जायेगी वही दूसरी ओर राज्य सरकार धर्मोदाय अथवा न्यास द्वारा स्थापित शिक्षा संस्थाओं का जिनमें धार्मिक शिक्षा दी जाती है सहायता देती रहेगी, इन अनुच्छेदों से यह भी निर्दिष्ट होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा की कक्षाओं में उपाध्यक्ष होने का विचार नहीं किया जा सकेगा। धर्म अथवा भाषा के आधार पर अल्पमतों को अपनी इच्छानुसार शिक्षा संस्थाएँ स्थापित करने का पूर्ण अधिकार है। राज्य सरकार उनको अनुदान प्राप्त करने से वंचित नहीं कर सकती। संविधान निर्दिष्ट इन विद्वान्ता में किसी प्रकार के परिवर्तन करने की संस्तुति करना भी बाध्य नहीं है।

### प्रगतिशील राष्ट्रों के संविधान में धार्मिक शिक्षा -

अमेरिका गणराज्य एक धर्म निरपेक्ष राज्य है। वह न तो धार्मिक और न ही बिना धर्म के है। अमेरिका के संविधान के प्रथम संशोधन में नैतिकता के लिए न तो धर्म को मान्यता दी और न ही इसकी अवहलना की है। सभी अमरीकी नागरिकों को स्वतंत्रतापूर्वक अपने विचारानुसार पूजा का अधिकार है। अर्थात् धार्मिक स्वतंत्रता है। कानून की दृष्टि से सभी धार्मिक संस्थाएँ समान हैं। वे केवल नागरिकों की स्वयं सेवी संस्थाएँ हैं।

ऑस्ट्रेलिया के संविधान के द्वारा सभी को अपने धर्म और मान्यताओं में विश्वास रखने का अधिकार प्राप्त है।

भारतीय संविधान के प्रावधानों व प्रगतिशील राष्ट्रीय के संविधान के अवलोकन से स्पष्ट है कि आज विश्व में धर्म निरपेक्षा को ही प्रवर्तना देने है क्योंकि लार्ड ब्रून कहते हैं कि 'यूरोप की आधी लड़ाइयाँ और आन्तरिक विद्रोह धार्मिक विरोध और राज्य तथा धर्मों के आपसी सम्बन्धों के कारण हुए।' भारत का विभाजन ही संकुचित धार्मिक भावना का ही प्रतिफल था। देश के युवक और नवयुवतियाँ शालाओं से एस निकले कि वे समयी, उत्तमदायित्वपूर्ण तथा आस्थावान हो और एक स्वतंत्र देश के योग्य मान्यता हो सकें। धर्मनिरपेक्षता का नैतिक नियम त्यों से पूव मुक्ति के रूप में गलत अर्थ लगाया जा रहा है जिसके कारण हम सभी मान्यताओं को खो बैठे हैं-इस कमी का पूरा करना ही होगा और सम्भवतया जीवन में उच्चतर मान्यताओं की शिक्षा द्वारा ही सम्भव है। गांधीजी सभी धर्मों की अच्छाइयाँ बताकर संस्कार निर्माण के पक्षधर थे।

## धर्म का अर्थ भारतीय विचार —

भारत में धर्म शब्द पर विवाद होते रहते हैं और आज भी विवाद का विषय बना हुआ है— एक धर्म वालों दूसरे पर भिन्न-भिन्न प्रकार से कीचड़ उछालने में कभी पीछे नहीं रहते लेकिन धर्म की भ्रष्ट में चालाक लोग आने व्यक्तिगत स्वार्थसिद्धि में सफलता पाने का सबसे सरल रास्ता समझ रहे हैं जबकि हमारी संस्कृति में ऐसा नहीं है। धर्म शब्द संस्कृत के धु धातु से निकला है जिसका अर्थ होता है धारण करना या जिस धारण किया जाय। व्यक्ति और समाज धर्म का आधार पर ही टिके हुए हैं सुरक्षित हैं उनमें व्यवस्था और शान्ति है। धर्म का अर्थभारत की संस्कृति में ही नहीं बल्कि मानव जाति में कलकाल से प्रेम, शान्ति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए ही हुआ होगा। 'मनु' ने बताया है कि वह धर्म नहीं अर्थात् अधर्म है, चोरी, लोभ का बुरा चिन्तन करना, मन में द्वेष, ईर्ष्या करना, मिथ्या निश्चय करना और लोगों में अशान्ति, भय व असुरक्षा और अव्यवस्था उत्पन्न करे। महर्षि कणाद—“जिसमें भौतिक उन्नति तथा आध्यात्मिक प्रगति दोनों सिद्ध हो।” मनु स्मृति में महाराज मनु(2/1) ने धर्म का कई प्रकार से परिभाषित करने का प्रयास किया है। एक स्थान पर कहा है कि अपने देश के राज द्वेषहीन सदाचारी विद्वान् जिसका अनुष्ठान करते हैं और अपना हृदय भी जिसे स्वीकार करता है उसे धर्म कहते हैं। एक अन्य स्थान पर मनु स्मृति में धर्म के दस लक्षण बताये हैं। धर्म, 2 क्षमा, 3 मनोषान्ति, 4 चोरी न करना, 5 पवित्रता, 6 इंद्रियों पर नियंत्रण, 7 बुद्धिमत्तापूर्वक काम करना 8 विद्या प्राप्त करना, 9 सच बोलना, 10 क्रोध न करना 6/9:

डॉ. राधाकृष्णन् — “धर्म न तो उन सिद्धांत का नाम है जिस पर हम विश्वास करते हैं न उन भावों का नाम है जिनका हम अनुभव करते हैं, न उन अनुष्ठानों का नाम है जो धर्म के नाम पर हम करते हैं। यह तो एक प्रकार का परिवर्तित जीवन है।”

मनुष्य जीवन की उस व्यापक नीति का धर्म कहते हैं जिसका पालन करने से मनुष्य पूर्ण बनता है। धर्म धर्म और जीवन दो पथक वस्तुएँ नहीं हैं। प्राचीन काल में जीवन का प्रत्येक पक्ष और शिक्षा धर्म से मनुष्यसिद्धि में थी। आजकल धर्म को मात्र कुछ विश्वासी धर्मियों और पूजा-विधि तक सीमित मान रखा है। धर्म की संकुचित अर्थों में ही धार्मिक कट्टरता तथा धर्मविता तथा अंध धर्मों के प्रति धृष्टता का भाव विकसित कर दिये हैं। अतः आज धार्मिक शिक्षा के माध्यम से कट्टरपंथी व धृष्टता पैदा करने का व्यवस्था न बनने जा रहे हैं बल्कि बालकों के सर्वांगीण विकास करते हुए उनके भौतिक एवं आध्यात्मिक अंशों को धारण प्रसरण करना चाहते हैं जिसकी आज देश को आवश्यकता है।

स्वामी दयानन्द — स्वामीजी शिक्षा को विद्या का ही पर्यायवाची मानते थे। वे निरन्तर उद्देश्य-विशेष से विद्या सम्बन्धता, धर्मों में अन्विष्टता दि-ली बढ़ती ही और अविद्यादि दाप हूँ उनको शिक्षा कहते थे। जो मनुष्य विद्या और अविद्या के स्व-रूप का साथ ही साथ जानना है उद्देश्य-विद्या अर्थात् उद्देश्य-विद्या से मनुष्य को जीतकर विद्या अर्थात् यथाथ ज्ञान से मोक्ष का प्राप्ति कर सकता है। विद्या के बिना मनुष्य को निश्चय ही सुख नहीं मिलता अतः उद्देश्य-विद्या के लिए विद्या-प्राप्त करना चाहिए। मनुष्य को विद्या से यथाथ ज्ञान केवल यथायोग्य व्यवहार कराया जाय।

स्वामी विवेकानन्द — स्वामी जी धर्म का अन्विष्टता की आत्मा मानते थे लेकिन धर्म से उनका अभिप्राय किसी विशेष धर्म से नहीं है धर्म एक माधन है, अनुभूति है, आत्म-साक्षात्कार है। आधुनिक शिक्षा हृदय का परिष्कार तथा प्रशिक्षण नहीं करती इसलिए अधूरी है। वे लिखते हैं— “अधुनिक मानसिक प्रशिक्षण से अधर्मी मनुष्यों का निर्माण होता है। पश्चात्य शिक्षा का यह एक दाप है। यह कई गुना स्वार्थी बना देता है। बुद्धि व्यक्ति को उस सर्वोच्च स्तर पर नहीं पहुँचा सकती है, जिस पर हृदय उसको पहुँचाता है। अतः हृदय का परिष्कार करो। ईश्वर हृदय का माध्यम सही सन्देश देता है। स्पष्ट है कि वे शिक्षा का अर्थ मानसिक विकास से न लेकर हृदय का विकास या आध्यात्मिक विकास से लेते थे।

गान्धीजी — वे नीति और सदाचार के नियमों की शिक्षा के पक्षपाती थे क्योंकि वे मानते थे कि मूल मूलतः सब धर्मों के एक स है। वे सभी धर्मों के मुख्य सिद्धांतों को अनुसर नीति की शिक्षा देना चाहते थे। वे मानव धर्म को मानते थे।

धर्म का अर्थ पश्चात्य दृष्टिकोण —

मनुष्यमूलक अन्विष्टता की खोज को धर्म मानते हैं जो हीमल-सन्त-तता का ही धर्म मानते हैं। विश्व-वटलर विद्य-म आध्यात्मिक शासन (अर्थात् ईश्वर) से विश्वास को धर्म मानते हैं। वाइबल म दीन-दुखिया की सेवा ही धर्म वत-पाया गया है।

## स्वतन्त्र भारत में धार्मिक शिक्षा की आवश्यकता

(Need for Religious Education in Free India)

हमारे विचार सत्याजी में कुछ न कुछ अन्विष्टता तो हैं ही इसके कारण हमारे धर्मों को चाहें वे सरकार के अर्थ ही या जनता के, इन समस्या पर पुनर्विचार के लिए बाध्य होना पड़ा है। क्योंकि आज विभिन्न भागों में विद्याधिया में अनुशासनहीनता,

दगी और हत्याओं की दुःखद घटनाएँ हुई हैं। शिक्षण नस्यामा में अनुगमन सप्त हात जा रहा है और विद्यार्थी सामाजिक कार्यों में भाग लेने लग रहे हैं। स्पष्ट है कि युवकों में जीवन मूल्यों के प्रति अधिक जागरूकता तथा चरित्र बल उत्पन्न करने का प्रबल आवश्यकता है।

परिवार, व्यवसाय, राजनीति तथा प्रत्येक क्षेत्रों के कार्यों में प्रौढ़ों के पाठ्यक्रम तथा मानक मूल्यों से प्रभावित होते हैं। आज राष्ट्रीय परम्परा का समृद्ध बनाने की प्रक्रिया समाज में सत्ता और संरक्षण का तिर्यक प्राप्त करने के लिए सभाओं के साथ जानुर है। इनका पराध व अपराध रूप से वास्तविक बालिकाओं प्रभाव पर बड़े बतौर नहीं रहे सकता।

धर्मों की विविधता हमारे राष्ट्रीय जीवन की महत्वपूर्ण विषयता है। निहित व्यक्ति भी अपने धर्म व ग्राम धर्मों की जानकारो नहीं रखते। निहित होकर नोकरा व उच्च पद प्राप्त करना ही हमारा ध्येय न हो अपरा हमारा पान करल राजतन द्वारा निर्धारित दण्ड संहिताओं तक ही सीमित रहेगा ता हम विगुड मानवोचित सवदना और भातृत्व को स्थापित नहीं कर सकते। श्री प्रकाश न धर्मों की शिक्षा के महत्त्व का स्पष्ट किया है—“धर्मों में अन्तर्निहित सामाजिक और आध्यात्मिक तत्त्व पान है और यदि हम उन्हें जान सकें और समझ सकें, तो इसमें हमारा ही कल्याण है”।

श्री प्रकाश ने नैतिक व आध्यात्मिक शिक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है— ‘नैतिक और आध्यात्मिक मान्यताओं के शिक्षण पर हम विशेष धन देना होगा। विभिन्न परिस्थितियों में, यथा परिवारों में, सामाजिक और आर्थिक क्षमता में या सामान्य लोक जीवन में साधारण मनुष्य परस्पर समीप प्राते रहते हैं। नैतिक मान्यताओं को ठेठ बचपन से ही हमारे मस्तिष्क में बँटा देना परम आवश्यक है।’ जिस प्रकार नैतिक मान्यताएँ मनुष्य के परस्पर सम्य धो को प्रभावित करती हैं, उन्ही प्रकार आध्यात्मिक मान्यताएँ व्यक्ति और उसकी अंतरात्मा को प्रभावित करती हैं। मुख्यतः नैतिक और आध्यात्मिक मान्यताओं द्वारा प्रतिपादित सामाजिक कर्तव्यों के धारणज्ञान में ही हम भौतिक स्वार्थों से ऊपर उठ सकते हैं और परहित में समन हो सकते हैं। यदि ये सद्गुण हमें बचपन से ही नहीं सिखाए जाते तो हम बड़े हाकर कभा नहीं सीख सकेंगे और कालान्तर में जब विद्यार्थी व्यवहारिक जीवन में प्रविष्ट करेगा तो अचानक वे वैशम्य बनेगा क्योंकि उसने बाल्यकाल में वास्तविक निष्ठा का मूल्य नहीं समझा है।

अतः धर्म में ही वह शक्ति है जो उच्च आदर्शों की स्थापना कर सकता है। सतार तक से नहीं, हृदय के आदर्शों द्वारा सञ्चालित होता है और हृदय पर प्रभाव एक विशेष परिवारण में विशय स्थिति में विशेष व्यक्तियों द्वारा विशेष ढंग से कही हुई बात का ही पड़ता है। अतः धार्मिक व नैतिक शिक्षा देना वाञ्छित है क्योंकि —

- (1) देश में धर्म की प्रधानता धर्म की जच्छाईयो की हृदयगम करवाना—अथ एजेसिया के पास व्यवस्थित साधन नहीं है।
- (2) हमारे जीवन में भौतिकवाद बढ़ रहा है।
- (3) छात्रों में अनुशासनहीनता, अराजकता, अशिष्टता हुल्लडवाजी बढ़ रही है।
- (4) आत्मबल और सहिष्णुता हेतु
- (5) गुरु व शिष्य के सौहादपूर्ण सम्बन्ध के लिए
- (6) व्यक्तिगत स्वायत्तता की वजाय अन्तराष्ट्रीयता के लिए
- (7) भ्रष्टाचार, अनैतिकता को रोकने के लिए
- (8) व्यक्तित्व के सन्तुलित विकास, धर्म के भय से दूषित कार्य करने से रूकता है।
- (9) जीवन मूल्यों की अपवित्रता चोरी बलात्कारी, बेईमानी, भ्रष्टाचार को रोकने तथा अपवित्रता की जोर अग्रसर करने हेतु।
- (10) अनुशासित जीवन के लिए—अशिष्टता व अराजकता को समाप्त हेतु।
- (11) चारित्रिक विकास सत्य, अहिंसा, ईमानदारी, कृतव्य परायणता सहिष्णुता, दया का पाठ पढाकर।
- (12) भौतिकवादियों के अवगुण—पथर्षण व तनावपूर्ण वातावरण को समाप्त कर सामाजिक मूल्यों के अनुरूप तैयार करने हेतु प्रयत्न।

काठारी कमिशन (1964-66) ने भी धार्मिक व नैतिक शिक्षा को पाठ्यक्रम में समाविष्ट करने हेतु सिफारिश की है —

“हमारे विद्यालयीय पाठ्यक्रम का एक बहुत बड़ा दोष यह है कि उसमें सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का प्रावधान नहीं किया गया है। अधिकांश भारतवासियों के जीवन में धर्म एक अत्यधिक प्रोत्साहक एवं प्रेरणात्मक शक्ति है और वह चरित्र निर्माण तथा नैतिक मूल्यों के विकास से घनिष्ठता से सम्बन्धित है। राष्ट्रीय शिक्षा-प्रणाली जो जन-साधारण के जीवन तथा उसकी आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं से सम्बन्धित है इस रचनात्मक शक्ति की उपेक्षा नहीं कर सकती। इसलिए विद्यालयों के द्वारा नैतिक शिक्षा प्रदान करने तथा आध्यात्मिक मूल्यों के निर्माण हेतु व्यवस्थित प्रयास किया जाना चाहिए।”

इसी प्रकार श्री प्रकाश समिति (1960) में धार्मिक एवं नैतिक शिक्षण के बारे में इसी ही बात पर जोर दिया है—

धर्म मूलभूत सिद्धान्तों का लोप के हृदय से हट जा तो हमारा विश्वास जगत व समाज में बहुत सी पुराइयों से ग्रहित है। पुराने व धन या भिन्न भिन्न समूहों और वर्गों को एक सूत्र में बांधे हुए थे अब समाप्त हो गये हैं। वास्तविकता से ही नैतिक व धार्मिक मूल्यों के बारे में अध्यापन करना ही एकमात्र समाधान है। अगर हम उन उद्देश्यों को दिलाएँ, हम बगैर हृदय राष्ट्र के समान हो जायेंगे।<sup>1</sup>

## आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा की आवश्यकता

(Need of Education for Spiritual Values)

वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हम बगैर मान-सम्मान, पारिवारिक व भौतिकता आदि मूल्यों की आरंभ करते जा रहे हैं जो हमारी परम्पराओं व मर्यादों से प्रतिबन्धित हैं। हम अपनी शानदार आध्यात्मिक धरावर व विरासत में प्रकृत दूर हो रहे हैं। इस क्षेत्र में आध्यात्मिक मूल्यों के मुकाबल में भौतिक प्रयुक्तता का ऊँचा नहीं माना है। त्याग व वरगम्य की भावना का अनुसरण यह देश हमारा करता जा रहा है प्रचलन जीवन में उतारन में सफल हुए हैं।

श्री प्रकाश ने इसकी आवश्यकता पर सूत्र डालते हुए लिखा है — नैतिक और आध्यात्मिक मायताओं की शिक्षण पर हम विचार करना चाहिए। विभिन्न परिस्थितियों में परिवार में, सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों में या कामों व शक जीवन में साधारण मनुष्य समीप आते रहते हैं। नैतिक मायताओं का विशेष चरन इन विभिन्न परिस्थितियों में मनुष्यों का एक दूसरे के प्रति आचरण की आरंभ होता है।

देश की प्राचीन परम्पराओं के अनुसार आध्यात्मिक शिक्षा का पाठ्यक्रम राष्ट्रीय का जो पढ़ाना चाहिए। आध्यात्मिक मूल्यों का विकास भाषणा, इतिहास और छोटी-छोटी पुस्तिकाओं के द्वारा प्रयत्न रटियों और सिद्धांतों के माध्यम से सफल प्रयास होना चाहिए ताकि छात्रों में शिष्टाचार व्यवहार जायगी व विकास हो सके। आज के

1 The many ills that our world of Education and our Society as a whole is suffering to day, are mainly due to the gradual disappearance of the hold of the basic principles of religion on the hearts of the people. The old bonds that kept them together are fast loosening and the various new ideologies that are coming to us are increasingly worsening the situation. The only cure it seems to us is in the deliberate inculcation of moral and spiritual values from the earliest years of our lives. If we lose them, we shall be a nation without a soul."



ज में दृढ़, अशांति, शोषण, व्यक्तिगत स्वायत्तता से राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर भी गहरा प्रभाव पड़ा है—विश्व में धूर्णा व दृढ़ का वातावरण विद्यमान है।

यह हमारे लिए दुर्भाग्य है कि आज के नवयुवक अपनी आध्यात्मिक वाता क द्वार जानकारी नहीं रखते हैं, जबकि विश्व के अनेक राष्ट्रों के लिए भारतीय आध्यात्मिक शिक्षा का सिद्धांत उन्हें दिग्दर्शन के रूप में काम जा रहा है। हमारा शिक्षा का मूल रूप उद्देश्य आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना ही होना चाहिए। इस तरह के विकास जाति व धर्म के आधार पर भेदभाव अनुचित है।

आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान न करने की स्थिति में विज्ञान का नष्ट करने के हाथ में स्वायत्तता का उपयोग स्वायत्तता का कमजोर तथा पण्डित प्रवृत्ति का विकास सतार में हो रहा है। क्योंकि विज्ञान की प्रगति में विज्ञान का विकास रूप में महायुद्धों में हुआ है अतः विज्ञान के युग में सामाजिक उत्थान का भावना का विकास हो। शिक्षा आयोग ने कहा है कि आध्यात्मिक मूल्यों के बिना ज्ञान तराफ हो सकता है, 'पश्चिमी देशों की युवा पीढ़ी में सामाजिक तथा नैतिक मूल्यों की अक्षयता के कारण जनक गम्भीर सामाजिक तथा नैतिक समस्याओं का जन्म हुआ है, और वहाँ के विद्वान अथवा यह चाहते हैं कि विज्ञान और तकनीकी द्वारा प्राप्त ज्ञान व कौशल को उन मूल्यों तथा अन्तर्दृष्टि से समुचित किया जाय जो धर्म और नैतिकता से सम्बन्धित है, जैसे यह खोज करना कि कौन है? जीवन का क्या अर्थ है? एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से तथा वास्तविकता से क्या सम्बन्ध है? आदि। दूसरी ओर शिक्षा में 'मूल्यों के शिक्षण आवश्यक है। यह मनुष्य पर निर्भर है कि वह इन मानवता के हानि को स्वीकारे या आध्यात्मिक मूल्यों में जोन प्राप्त हो। इन दोनों में अन्तर्गत ने कहा है — 'नैतिक आचार व आध्यात्मिक मूल्यों से विनाश न... अस्तित्व में विश्वास पदा करता है।' इंग्लैंड की 'न्यू सोम रिपोर्ट (New Som Report) 1963) के अनुसार—'विशिष्ट धार्मिक शिक्षा प्रदान करना, जो केवल नैतिक शिक्षा ही नहीं है, विद्यालय का कर्तव्य है।'

### धर्म निरपेक्षता और धर्म (Secularism and Religion)

- (ब) धर्म निरपेक्षता धर्महीन या धर्म विरोधी नहीं — धर्म निरपेक्ष नीति अर्थान का अर्थ यह है कि राजनीतिक, आर्थिक सामाजिक मामला में, सभी नागरिकों को, वे चाहे किसी भी धर्म के चाहने वाले हो समान अधिकार प्राप्त हों, किसी भी धार्मिक सम्प्रदाय के साथ न तो पक्षपात किया जाएगा और न ही उनका साथ भेद भ्रष्ट, जो एक, "शिक्षा आयोग की रिपोर्ट" (पृ. 22 स 25)

भाव दिया जाएगा, और राज्य की स्कूलों में धार्मिक मिट्टान्तों की शिक्षा नहीं दी जाएगी। किन्तु यह नीति धर्महीन हो धर्म विरोधी नहीं है, प्रहलधर्म की महत्ता को भी कम नहीं करती है। यह प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म को मानन तथा उपासना करने की पूरी स्वतन्त्रता देती है। वह विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों में अन्तर्गत मन्त्र व मुनिरचित करने के साथ ही साथ न केवल धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देना चाहती है अपितु सभी धर्मों के लिए सक्रिय आदर का भी प्रोत्साहन करना चाहती है।

(व) धार्मिक शिक्षा' और 'धर्मों के बारे में शिक्षा' में भेद - धार्मिक शिक्षा का सम्बन्ध तो अधिकतर किसी धर्म विशेष के सिद्धान्त एवं अचार की उसी रूप में शिक्षा देने से होता है जो कि सम्बन्धित धार्मिक सम्प्रदाय द्वारा परि कल्पित है किन्तु 'धर्मों के बारे में शिक्षा' तो एक व्यापक दृष्टिकोण-आत्मा की अनन्त खोज-से धर्मों वाले धर्म निरपेक्ष राज्य के लिए यह व्यवहार्य नहीं होगा कि वह किसी एक धर्म की शिक्षा दे धर्म का कोई स्वरूप न हो सके लोक-तन्त्र के विकास के लिए खतरा है जिसमें सहिष्णुता को महत्वपूर्ण समझा जाता है। जत वे मोटे तौर पर तुलनीय द्रिज नतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के निर्माण पर जोर देते हैं उसे भी प्रकाश में लाए, उसमें ऐसी कोई बात शामिल नहीं की जाय जिस पर कोई भी धार्मिक सम्प्रदाय उचित आपत्ति उठा सके।

(ग) धर्म निरपेक्षता संपूर्ण मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन - विज्ञान के उस जीवन अध्ययन से, जिसमें उदार मन होने सहिष्णुता और वस्तु निष्ठता पर जोर दिया गया है, अंत में जाकर विभिन्न धर्मोवलम्बियों में और भी अधिक धर्म निरपेक्ष दृष्टिकोण का विकास होगा, ठीक उसी अर्थ में जिसमें कि हम धर्म निरपेक्ष शब्द का प्रयोग करते हैं डॉ इकवाल के शब्दों में आत्मा अपने विकास का अवसर भौतिक प्राकृतिक तथा धर्म निरपेक्ष जातों में पाता है। इसलिए जिसकी जड़ों में ही धर्म निरपेक्षता है वह पवित्र है। भारत को विज्ञान तथा आत्मा सम्बन्धी मूल्यों को निकट एवं सगति में लाने की कोशिश करनी चाहिए जिससे सम्पूर्ण मानव की पूर्ति करेगा न कि व्यक्तित्व के किसी एक विशेष की।

अत स्पष्ट है कि धर्म निरपेक्षता और धर्म या आध्यात्मिक मूल्यों में कोई आपसी द्वन्द्व नहीं है। यदि कोई कमी है तो हमारी शिक्षा-पद्धति की है जिसे हमें अविलम्ब परि वतन करना चाहिए। इसकी पूर्ति धार्मिक आध्यात्मिक या जीवन के उच्च मूल्यों की शिक्षा प्रदान कर ही सकता है।

## 1. 'आध्यात्मिक' व 'नैतिक' मूल्यों की शिक्षा कैसे दी जाय

(How to Impart Education in Moral & Spiritual Values)

श्री प्रकाश ने राज्य सरकारों द्वारा शालाओं में शारीरिक, व्यायाम, खेलकूद तथा मनोरंजनात्मक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रति अधिक रुचि दिखाकर नैतिक मान्यताओं की शिक्षा देने का विस्तृत कार्यक्रम बताया है। चरित्र और अनुशासन के विकास में इन कार्यक्रमों का प्रभावकारी उपयोग करना चाहिए। मुख्य निष्कर्ष यहाँ दिये जाते हैं।

- (1) शिक्षा संस्थाओं में नैतिक और आध्यात्मिक मान्यताओं की शिक्षा वाछनीय है और कुछ सीमाओं में रहते हुए इसका विशेष प्रबंध सम्भव है।
- (2) महान् धार्मिक मार्गों देशकों की जीवनी और उपदेशों की तुलनात्मक तथा सचेतन-शील अध्ययन को शिक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर लेना चाहिए। शुद्ध आचरण, समाज सेवा और सच्ची देशभक्ति का सभी स्तरों पर निरन्तर महत्त्व देते रहना चाहिए।

(प्र) हम समझते हैं कि यह नितांत महत्त्वपूर्ण है कि किसी भी शिक्षा व्यवस्था में घर-परिवार की उपेक्षा न की जाये और हमारा सुभाव है कि इश्तहारों, वाताओं, रेडियो और सिनेमा जैसे व्यापक माध्यमों से तथा स्वयं सेवी संगठनों के द्वारा घर-परिवार की लौकिक व्यवस्था और मूर्तोन्नैतिक वातावरण की कमियों और कमजोरियों का प्रकट कर देना चाहिए तथा यह भी बताया चाहिए कि इनको किस प्रकार मिटाया जाये। यदि यह काम निष्पक्ष दृष्टि से किया जाता है तो इससे किसी को चोट नहीं पहुँचेगी वरन् सम्बन्धित व्यक्तियों का ध्यान अपनी कमियों की ओर आकर्षित होगा और इस प्रकार वे उन्हें मिटाने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित होंगे।

(आ) यह अत्यंत वाछनीय है कि समस्त शिक्षा संस्थाओं में प्रतिदिन कुछ समय के लिए मौन चिंतन से कार्य आरम्भ किया जाये, चाहे वह कक्षाओं में हो या सभा-भवन में हो। कोई एक प्राथनाओं की जा सकती है जो न तो किसी देवता की स्तुति में हो या उससे कोई वरदान मागने की दृष्टि में हो, वरन् वह जारम समय तथा आदर्श भावना के प्रति प्रेरित करने वाली हो। कभी कभी इन सामूहिक सभाओं में धार्मिक और लोकोपक महान् साहित्यिक प्रेरणादायक उद्धरण जो ससार के सभी धर्मों और संस्कृतियों से सम्बन्धित हो, पढ़े जाएँ। इनका लाभ होगा। स्कूल स्तर पर प्रेरणादायक गानों और स्त्रातों का सामूहिक गान भी बड़ा प्रभावशाली सिद्ध हो सकता है।

(६) प्राथमिक स्तर से लेकर विद्यालय और स्तर तक उपयुक्त पुस्तकों तैयार कराये जाय। इसमें तमाम धर्मों के मूल मूल विचारों का तथा सभी धर्मों के मान्यता सन्ता मनोविद्या और दर्शन का जो जोर होगा और उनके ज्ञान का तुलनात्मक तथा सर्वदलशील सक्षिप्त वर्णन हो। ये पुस्तकें स्कूल और बालकों का विभिन्न वर्गों के मनन-मनन साधन-साधन के विद्यार्थियों के अनुसूचित ज्ञानी चाहिए और सभी को इनका अध्ययन करना चाहिए। तबसे ही नए विद्यार्थी तथा समस्त पारसी, प्रवेष्टा और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं से उत्पन्न उद्भवों का संरक्षण बताया जाय इन प्रधानों से उचित शिक्षा और सम्भवतः मन्त्री बुद्धिमानों प्राप्त हो सकती। इनसे ये यह भी जान लगे कि उनका धर्म प्रति तथा दूसरा क प्रति क्या बतलव है? जिसे के विभिन्न स्तरों के लिए उपयुक्त पुस्तकें तैयार कराये जायें चाहिए जिसमें विद्यार्थियों के मन में दशभक्ति और समान सेवा की भावना प्रिष्टायी जा सके। इनमें माहृतिक कार्यों और राष्ट्रहित तथा परहित के लिए आत्म-त्याग पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। हमारी दृष्टि में एसी पुस्तकें के जावाजन प्रकाशन का बड़ी महत्ता है। एसा पुस्तकें के लक्षकों का ध्यान बड़ी आवश्यकता और सततता से करना चाहिए और प्रथम प्रथम विद्यार्थियों के परामर्श से उनकी पाठ्यलिपियाँ का संसाधन करा जाना चाहिए। एसी पुस्तकें के निर्माण और प्रसारण का समस्त कार्यक्रम के क्षेत्रीय शिक्षा-मन्त्रालय के तत्वावधान में किसी एजन्सी द्वारा करना चाहिए।

(७) पाठ्यतर आयुष्य के प्रथमतः पारस्परिक धार्मिक उद्भाव पर वातावरण के लिए विद्वान एव अनुभवी व्यक्तियों को आमंत्रित करना चाहिए। नैतिक और प्राध्यात्मिक मान्यताओं के अध्ययन में क्वि उत्तम करने के लिए अधिक प्रसारणों और सामूहिक वाच विवादों का जावाजन किया जा सकता है।

(८) शिष्ट आचरण की शिक्षा पर विशेष बल दिया जाना चाहिए और श्रद्धा और सौजन्य के गुणों का प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उत्तरी भारत में मुस्लिम मौलवियों जैसी शिक्षकों के द्वारा परम्परागत साधनों से समुचित शिक्षा-प्रणाली का प्रोत्साहित करना चाहिए। एक तरह से सभी को कथ से कथा मिलाने के काम के लिए शिक्षा बोलना चाहिए और शिष्ट आचरण तथा सौजन्य का भावना की उत्पत्ति के लिए कोई कोर कसर उठाकर नहीं रखनी चाहिए।

(९) प्रत्येक स्तर पर किसी न किसी प्रकार की व्यायाम शिक्षा को अनिवार्य बना देना चाहिए। और बच्चों और बालक से लेकर एसी सी और एन सी सी तक यह विभिन्न वर्गों में विभाजित की जा सकती है। खेल-कूद को बढ़ावा मिलना चाहिए।

और विद्यार्थियों को अपने हाथ से काम करने की गरिमा तथा समाज सेवा की भावना सिखानी चाहिए। भाजकल बहुत कम विद्यार्थी इन कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। हमारी सम्मति में सभी को इस प्रकार के किसी न किसी कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए ताकि वे सहभाग्य और निष्पक्ष खेल विलाडी की भावना को ग्रहण कर सकें।

(ए) यह उपर ही कहा जा चुका है कि शिक्षा मन्त्रालयों में नैतिक और आध्यात्मिक मायताओं की शिक्षा वाञ्छनीय है और निश्चित सीमाओं में इसके शिक्षण का विशेष प्रबन्ध भी किया जा सकता है सीमाएँ प्रत्येक हैं। मविज्ञान के मूल अभिप्राय का आदर करना चाहिए तथा विभिन्न धार्मिक समुदायों की भावनाओं की धक्केलना नहीं करनी चाहिए। पाठ्यक्रम पहले से ही काफी बोझिल है और उन्मुक्त अध्यापक सुगमता से प्राप्य नहीं हैं। ऐसे समाज में जहाँ कई प्रकार के धर्म प्रचलित हैं और जहाँ पर धार्मिक आदेशों का सुगमता से उल्लंघित किया जा सकता है राज्य सरकार के लिए नैतिक और आध्यात्मिक मायताओं की शिक्षा के पाठ्यक्रम को निर्धारित करने में बड़ी सावधानी बरतनी होगी। इस शिक्षा से विद्यार्थी उदार बने, परस्पर भाई चारा बढ विभिन्न मतों के लोगों में एक-दूसरे के प्रति आदर भाव उत्पन्न हो, राष्ट्रीय एकता स्थापित हो। मुख्य बात यह है कि हमारी नयी पीढ़ी के सामने जीवन का कोई महान् आदर्श प्रस्तुत किया जाये और यह आदर्श उनमें ऐसा समा जाये कि जब वे अपनी शिक्षा समाप्त कर चुकें तो यह उनके शरीर और आत्मा का एक अभिन्न अंग हो जाय। हमारे सामने यही समस्या है कि यह सब किस प्रकार किया जाय।

### आध्यात्मिक शिक्षा के लिए रूपरेखा —

यहाँ पर शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर नैतिक और आध्यात्मिक मायताओं के शिक्षण के लिए सामान्य रूपरेखा प्रस्तुत की जाती है।

#### प्राथमिक स्तर

(1) साप्ताहिक गान के लिए प्रतिदिन सबसे पहले विद्यालय के सभी विद्यार्थी बैठ जाने चाहिए।

(2) पम्बरा, स तो और धार्मिक मागदशकों के जीवन और उपदेशों से सम्बन्धित सरल और रोचक कहानियों का भाषा-शिक्षण के पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना चाहिए।

(3) जहाँ तक सम्भव हो बालक की अभिरुचि श्रेष्ठ द्रव्य सामग्री के प्रति बढ़ाने के लिए विशेषतया अक्षर किस्म के फोटो, फिल्म, रंगीन चित्र आदि के विषय में जिनमें सत्कार के चेतनशील मुख्य-मुख्य धर्मों से सम्बन्धित कला और वास्तुशिल्प

की सुन्दर कृतियाँ हैं। ऐसी सामग्री को भूगोल के शिक्षण में भी प्रयुक्त किया जा सकता है।

(4) विद्यालय के कार्यक्रम में प्रति सप्ताह दो घण्टे नैतिक शिक्षा के लिए अलग से नियत कर देना चाहिए। इन कथाओं में अध्यापक को सप्ताह के सभी महान् धर्मों से सकलित रोचक कहानियाँ सुनानी चाहिए और उनके नीति वचन को स्पष्ट करना चाहिए। हठधर्मों और धार्मिक कमकाण्डों का नैतिक शिक्षा में कोई स्थान नहीं होना चाहिए।

(5) विद्यालय के कार्यक्रम में सेवाभाव और धर्मोपासना की प्रवृत्ति विकसित की जानी चाहिए।

(6) व्यायाम शिक्षा तथा सभी प्रकार के खेलों के आयोजन से चरित्र का निर्माण होना चाहिए और खेलकूद में निष्पक्ष भावना को विद्यार्थियों के मन में बिठला देना चाहिए।

### माध्यमिक स्तर

(1) प्रातःकालीन प्रायश्ना में दो मिनट का मौन रखा जाय। तदुराल्ले धर्म-ग्रन्था या सप्ताह के महान् साहित्य में से कुछ अंश पढ़कर सुनाये जाय या कोई समयानुकूल वार्ता हो। सामूहिक गान का भी प्रास्तावित किया जाना चाहिए।

(2) सप्ताह के महान् धर्मों के सारभूत उपदेशों का सामाजिक तथा इतिहास के पाठ्यक्रम के एक अंग के रूप में अध्ययन किया जाना चाहिए। विभिन्न धर्मों से सम्बन्धित सरल मूल पाठ और आख्यानों का भाषा के शिक्षण तथा सामान्य पठन-पाठन में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

(3) प्रति सप्ताह एक घण्टा नैतिक शिक्षा के लिए नियत कर देना चाहिए। अध्यापक को कक्षा में विचार-विमर्श की आदत को प्रोत्साहित करना चाहिए। नियमित कक्षा शिक्षण के अतिरिक्त उपयुक्त वस्तुओं को नैतिक और आध्यात्मिक मा मताओं पर वार्ता के लिए आमन्त्रित करना चाहिए। सभी धर्मों के मुख्य त्योहारों पर सम्मिलित उत्सवों का आयोजन किया जाय। अपने धर्म के अतिरिक्त अन्य धर्मों का ज्ञान तथा परिचाय अनेक अध्यापकों के प्रति श्रद्धा को नियोज्य प्रतियोगिताओं और शायरों जैसे विभिन्न माधमों से प्रोत्साहित करना चाहिए।

(4) छुट्टियों में अथवा विद्यालय के समय के बाद संगठित समाज सेवा पाठ्येतर कार्यक्रमों का विशिष्ट अंग होना चाहिए। ऐसी सेवा श्रम-श्रद्धा, मानव प्रेम, देश भक्ति तथा आत्म-समय का पाठ पढ़ाती है। खेलकूद में भाग लेना अनिवार्य कर देना चाहिए।

व्यायाम शिक्षा और यौन स्वास्थ्य विज्ञान को विद्यालय के कार्यक्रम का सामान्य भाग देना चाहिए। विद्यार्थियों का आचरण तथा चरित्र का गुण उनके विद्यालय के सम्पूर्ण भूल्याकन का विशिष्ट भाग होना चाहिए।

## खविद्यालय स्तर

(1) प्रातः समय विद्यार्थियों को समूहों में मौन चिंतन के लिए प्रोत्साहित करना है। इनका किसी वरिष्ठ अध्यापक द्वारा स्वेच्छा से निरीक्षण किया जाना चाहिए।

(2) विभिन्न मतों का सामान्य अध्ययन स्नातक कक्षाओं के सामान्य-शिक्षा कार्यक्रम का प्रमुख अंग होना चाहिए। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग निम्नलिखित सस्तुतियाँ प्रस्तुत की जाती हैं—

(क) स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में भगवान् बुद्ध, कन्फुशियस, अरस्तु, सुकरात, शंकराचार्य, रामानुज, माधव, मुहम्मद कबीर, नानक और गांधीजी जैसे महान् व्यक्तियों तथा आध्यात्मिक नेताओं की जीवनोपदेशों को पढ़ाना चाहिए।

(ख) धर्म-ग्रन्थों के विश्व सम्मत उद्धरणों का द्वितीय वर्ष में अध्ययन किया जाना चाहिए।

(ग) तृतीय वर्ष में धर्मशास्त्र की मूल समस्याओं पर विचार विमर्श करना है। इस प्रकार के अध्ययन के लिए उन विशेषज्ञों से प्रामाणिक ग्रन्थें तैयार कराने हैं जिन्हें धार्मिक विषयों का गहरा ज्ञान और विवेक हो।

(3) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए धर्म के तुलनात्मक अध्ययन के लिए प्रबंधन करना चाहिए। ओनम और एम. ए. के पाठ्यक्रम में ह्यूमनिटीज और सामाजिक विषयों के अध्ययन के लिए निम्नलिखित विषयों पर आवश्यक बल दिया जाना चाहिए—(क) धर्मशास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन, (ख) धर्मशास्त्रों के इतिहास का अध्ययन।

(4) सभी विश्वविद्यालयों में काफी लम्बे समय तक समाज सेवा करानी चाहिए। समाज सेवा को संगठित और व्यावहारिक रूप देने के लिए नैतिक और आध्यात्मिक नेताओं का ज्ञान और उन पर आचरण करने पर बहुत ध्यान देना चाहिए।

धार्मिक शिक्षा के प्रसंग में प्रमुख शिक्षा आयोग के विचार—

विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948— अतीत में धर्म का सम्प्रदाय माना गया अतः जिन्होंने इस धर्म रूपी सम्प्रदाय के दुष्परिणाम देखे, सुने या पढ़े वे धर्म के विरोधी हो गये। पर विष्णु भौतिकवाद का राज्य के दशन के रूप में स्वीकारना भारत के स्वभाव के विपरीत होगा। भारतीय दृष्टिकोण धर्म के बारे में जो है और धर्मनिरपेक्षता में कोई भेद नहीं। भारतीय धार्मिक परम्परा का आधार मानुष्य है। आध्यात्मिक प्रशिक्षण पर आधारित है जिसमें जिज्ञासा उत्पन्न होती है। स्वतन्त्रता देती है। दूसरे धर्मों का उतना ही आदर देना है जितना अपने धर्म को।

“एक सद् विधा बहुधा वदति” (ऋग्वेद) ऋग्वेद में कहा गया है कि सत्य एक है, पर विद्वान उसे विभिन्न नामों से पुकारते हैं। हमारे सविधान के आधारभूत सिद्धांतों की भाँति है कि जनता को आध्यात्मिक प्रशिक्षण दिया जाय। अर्धनिरपेक्षता का धर्म धार्मिक दृष्टि से अप्रशिक्षित होना नहीं बल्कि गम्भीर रूप से आध्यात्मिक होना है।

आयोग ने धार्मिक शिक्षा को प्रभावी बनाने हेतु सुझाव दिए हैं —

- (1) धार्मिक शिक्षा का उद्देश्य है मानव हृदय का विकास तथा सदाचार के उच्च स्तर तक डालना।
- (2) विद्यालय में शान्तचिन्तन से कार्य प्रारम्भ करना।
- (3) महापुरुषों की जीवितियाँ, जीवन की घटनाएँ, वे कहानियाँ जो महान् नैतिक और धार्मिक नियमों पर आधारित हों।
- (4) महापुरुषों के विचारों के अध्ययन से विचारों में दृढ़ता एवं सद्विचारों में आस्था मजबूत होगी।
- (5) विभिन्न समुदायों के धार्मिक साहित्य का अध्ययन किया जाय।
- (6) डिग्री कक्षा के प्रारम्भिक वर्ष में बुद्ध, कन्फूसियस, सैक्रेट्रीज, जीसेस, शकर, माहम्मद, कबीर, नानक, गांधी आदि का ज्ञान देना।
- (7) डिग्री के दूसरे वर्ष में संसार के विभिन्न धर्मों के सामान्य तत्वों का ज्ञान देना।
- (8) तीसरे वर्ष में छात्रों का धर्म के दशन पर विचार करना चाहिए और नई दुनियाँ के लिए उसके संदेश को समझने का प्रयत्न करना चाहिए।

माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952-53) — इस आयोग ने ‘धार्मिक नैतिक शिक्षा’ के बजाय ‘चरित्र की शिक्षा’ की चर्चा की है।

- (1) सामूहिक प्रार्थना और प्रेरणापूर्ण प्रवचनों की व्यवस्था।
- (2) शालाओं में नियमित धार्मिक व नैतिक शिक्षा के स्थान पर घर नमाज़ तथा विद्यालय के वातावरण को श्रेष्ठ बनाने के प्रयास बताये हैं जिससे चरित्र निर्माण में सहयोग मिलेगा।

भावात्मक एकता समिति (1962) — डॉ. सम्पूर्णानन्द की अध्यक्षता में गठित भावात्मक एकता समिति ने अपना प्रतिवेदन सन् 1962 में सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया इस समिति ने बालकों में राष्ट्रीय व भावात्मक एकता के विकास के लिए उन्हें धार्मिक व नैतिक शिक्षा प्रदान करने की बात कही। इस समिति ने जिस प्रकार की धार्मिक व नैतिक शिक्षा का प्रस्ताव दिया, वास्तविक रूप से वह धार्मिक व नैतिक शिक्षा न होकर चारित्रिक शिक्षा थी। भावात्मक एकता समिति का विचार था कि बालकों के चारित्रिक विकास के लिए धार्मिक व नैतिक शिक्षा अपरिहार्य है।



## शिक्षा आयोग (1964-66) व धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा

कोठारो समिति ने आधुनिककरण पर जोर दिया है ताकि देश का प्राधुनिकीकरण हो लेकिन उसका तात्पर्य यह नहीं है- "हमारे राष्ट्रीय जीवन में नैतिक, आध्यात्मिक एवं जात्मानुशासन के मूल्यों के निर्माण के महत्त्व को पहचानने से इन्कार कर दिया जाये। आधुनिककरण यदि जीवन्त शक्ति है तो इसे आत्मा से शक्ति प्राप्त करनी होगी।"

'स्वभावतः व्यक्ति की प्रेरणा एवं मूल्यों के अवबोध पर निर्भर करता है कि ब्यक्तिक सन्तोष के लिए एवं भावी कल्याण के लिए इन मूल्यों को ग्रहण करे।'

'नई पीढ़ी में सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों की दुर्बलता पश्चिमी समाज में अनेक गम्भीर सामाजिक और नैतिक समस्याओं को उत्पन्न कर रही है। पाश्चात्य विचारक यह अनुभव करने लगे हैं कि ज्ञान एवं कौशल में सतुल्यता हो, विज्ञान तथा तकनीक को नैतिकता तथा धर्म से सम्बंधित किया जाए। जीवन का अर्थ जाना जाए। मानव मात्र क सम्बंधा का ज्ञान ही एवं वास्तविक सत्य का उद्घाटन हो।'

कोठारो कमीशन ने राष्ट्र विकास के लिए आध्यात्मिक, नैतिक तथा सामाजिक मूल्यों का प्रत्यक्ष आवश्यक बतलाया है। कमीशन के अनुसार— "शिक्षा पद्धति को सामाजिक नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों का निर्माण करने में इस प्रकार सहयोग देना चाहिए।'

- (1) केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा सभी शिक्षण संस्थाओं में नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा की व्यवस्था की जाए। यह शिक्षा राबाकृष्णन् कमीशन द्वारा सुझाये गए पाठ्यक्रम के अनुसार दी जाए।
- (2) निजी संस्थाओं में भी इन सुझावों के अनुसार नैतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा दी जाए।
- (3) पुष्कल कालांश की व्यवस्था व पुष्कल-पुष्कल शिक्षक हों।  
अथ विषयों के पढ़ाने वाले अध्यापक ही इस विषय को पढ़ावें।
- (4) शिक्षक अच्छे मादण प्रस्तुत करें।
- (5) विश्वविद्यालय के तुलनात्मक धर्म विभाग ऐसी विधियाँ खोजें जिनके द्वारा मूल्य प्रभावी ढंग से विकसित किए जा सकें।
- (6) प्रमुख धर्मों के बारे में आवश्यक जानकारी देने वाली पुस्तकें तैयार की जाएं जो या तो नागरिकता के पाठ्यक्रम के अंग हों या सामान्य शिक्षा का अंग। ऐसी पुस्तकें राष्ट्रीय स्तर पर तैयार की जा सकती हैं।

## धार्मिक शिक्षा और भारतीय विद्यालय,

शालाओं में धार्मिक शिक्षा पर पर्याप्त बल देने के लिए राधाकृष्णन् आयोग, मुदालियर आयोग तथा कोठारी आयोग ने सिफारिश की है लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से अभी तक महत्व प्राप्त नहीं हो पाया है। राज्यों के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस नैतिक शिक्षा के रूप में समावेश तो किया है परन्तु यह बहुत ही सीमित, अनुपयुक्त एवं व्यवहारिक है। शिक्षक व छात्र दोनों ही रुचि नहीं लेते क्योंकि यह परीक्षा हेतु विषय नहीं रखा गया है और 'परीक्षा के दौरे' शिक्षा व्यवस्था में इसका उपलब्ध होना स्वाभाविक है।

देश में मिसनरी स्कूलों या अन्य निजी संस्थाओं में अप्रत्यक्ष रूप से नैतिक वातावरण अध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्यों का विकास करना है लेकिन उनका दृष्टि कोण सकुंचित होता है जो देश में साम्प्रदायिकता के बीज बोते हैं।

देश में धर्म निरपेक्षता के सङ्कुचित अर्थ को लेकर शिक्षा प्रशासन भयभीत है, वे अध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्यों की शिक्षा पर ध्यान आकर्षित नहीं करने के फलस्वरूप इसके अभाव में देश के लोगों का व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन अस्त-व्यस्त होता जा रहा है। देश में प्रगति की दृष्टि में जनक सामाजिक आर्थिक, राजनैतिक व व्यक्तिगत जीवन की समस्याएँ बढ़ती ही जा रही हैं। अतः इस ओर राजनता, शिक्षाविदों व सामाजिक कार्यकर्ताओं की सहकारिता के माध्यम पर ठोस कदम उठाने की परम आवश्यकता है।

### (ब) नैतिक शिक्षा

नैतिक शिक्षा का भारत में सदैव ही महत्व रहा है। शिक्षा की सकल्यता एवं उद्देश्यों का विवेचन करते हुए पूरे देश में स्पष्ट किया जा चुका है कि प्राचीन भारत में शिक्षा और धर्म का सम्बन्ध घनिष्ठ रहा है तथा शिक्षा का उद्देश्य नैतिक एवं धार्मिक जीवन-यापन करते हुए मोक्ष प्राप्त करना था। पाठक व शर्मा के शब्दों में—“भारत में शिक्षा और धर्म का सम्बन्ध प्राचीनकाल में बहुत घनिष्ठ था। उस समय बिना धर्म के शिक्षा का कुछ महत्व नहीं था। शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को धार्मिक बनाकर मोक्ष तक पहुँचा देना था। तभी उस समय का यह एक पवित्र नारा था कि विद्या वही है जो मुक्ति की ओर ले जाय— सा विद्या या विमुक्तये। ‘आत्मात्म विद्धि’ अर्थात् आत्मा को जानो। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य था और इस लक्ष्य की प्राप्ति विद्या द्वारा होती थी।”

1 एम पी पाठक व श्रीमती एम डी शर्मा—भारतीय शिक्षा की वृत्कालीन समस्याएँ (पृष्ठ 340)

नैतिक शिक्षा की यह घमसमचित सकल्पना भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग थी। कातातर में पराधीनता के कारण देश में नैतिक ह्रास हुआ और इसका कारण रहा शिक्षा में नैतिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों का अभाव एवं उनके प्रति उपेक्षा। यह नैतिक ह्रास आज तृती चरम सीमा पर पहुँच गया है। राजस्वान में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में सत्र 1981-82 से अनिवार्य रूप से लागू की गई नैतिक शिक्षा हेतु प्रकाशित 'नैतिक शिक्षा उपागम' निर्देशिका में यह तथ्य स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि—“आज देश के सभी वर्गों, व्यवसायों और तबका के लोग अनुभव करते हैं कि हमारे जीवन में नैतिक मापदण्ड शिथिल हो रहे हैं। अनैतिक कार्यों के विरोध का भाव भी लोगों में से घटता जा रहा है। सामाजिक जन-जीवन में नैतिक जीवन जीने का भाव भी लोगों में से घटता जा रहा है।”<sup>1</sup> नैतिक मूल्यों के ह्रास की उन परिस्थितियों में देश से भावी नागरिकों के निर्माण हेतु नैतिक शिक्षा की अत्यंत आवश्यकता है। प्रस्तुत अध्याय में नैतिक शिक्षा के विभिन्न पक्षों पर विचार किया जायेगा।

### नैतिक शिक्षा का अर्थ

खी ड्र अग्निहोत्री ने नैतिक शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा है कि— नैतिकता शब्द नी धातु से व्युत्पन्न है जिसका अर्थ है 'ले चलना'। मानवीय सम्बन्धों का निर्वाह जिसके द्वारा ही उसे 'नीति कहते हैं। इसी आधार पर एक विद्वान ने धर्म और नीति का अन्तर स्पष्ट करते हुए लिखा है कि 'आत्मा और परमात्मा के संबंधों की चर्चा धर्म के अन्तर्गत आती है तथा सामाजिक व्यवहार के नियमों की चर्चा नीति के अन्तर्गत की जाती है। अंग्रेजी में भी 'Moral' का अर्थ है 'Relating to principles of right and wrong in behaviour' अर्थात् व्यवहार में उचित अनुचित का विवेक करने वाले सिद्धान्त।" इनके दो पक्षों— आचार और अनुष्ठान—का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है। आचार नैतिकता का ही पर्याय है। नैतिकता सिद्धि सामाजिक आचरण या व्यवहार का द्योतक है।<sup>2</sup>

शिक्षा के वैयक्तिक एवं सामाजिक उद्देश्यों की चर्चा करते समय पूर्व में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि शिक्षा द्वारा मनुष्य के वैयक्तिक एवं सामाजिक आचरण या व्यवहार का इस प्रकार निर्माण किया जाता है कि वह समाज एवं राष्ट्र का योग्य नागरिक बन सके। एक योग्य नागरिक से समाज-सम्मत व्यवहार की अपेक्षा की जाती है तथा साथ ही उससे यह अपेक्षा भी की जाती है कि वह अपने सुसंस्कृत

1 नैतिक शिक्षा-उपागम' ('नया शिक्षक — अक्टूबर-दिसम्बर 1981 पृ 85-85)

2 खी ड्र अग्निहोत्री : भारतीय शिक्षा की वर्तमान समस्याएँ (पृ 261)

प्रबुद्ध व्यक्तित्व एव चरित्र से समाज के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में योगदान करे। व्यक्तित्व एव चरित्र का निर्माण नैतिक शिक्षा का लक्ष्य है। नैतिक शिक्षा द्वारा विद्यापिया में समाजोचित आदतों एव व्यवहार का विकास किया जाता है जो देश की संस्कृति एव राष्ट्रीय आदर्शों पर आधारित हो। नैतिक शिक्षा जहाँ एक ओर चारित्रिक गुणों का विकास करती है वहीं दूसरी ओर वह लोकतन्त्र समाजवाद धर्म निरपेक्षता विज्ञानाधारित आधुनिकीकरण राष्ट्रीय एकता, प्रतराष्ट्रीय सद्भाव आदि राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुकूल नये समाज की स्थापना में सहायक अभिवृत्तियों, अभिवृत्तियाँ एव कीर्तना का विकास भी करती है। आधुनिक परिवर्तन में नैतिक शिक्षा का सर्वोपरि व्यापक हो गया है जिसमें वैयक्तिक एव सामाजिक व्यवहार के विकास तक ही सीमित न रहकर उसकी परिधि में समस्त समाजवादी एव विश्व बहुत्व की अभिवृत्तियों का विकास भी आ जाता है।

**नैतिक शिक्षा की आवश्यकता एव महत्त्व -**

जैसा कि हमने देखा चुके हैं आधुनिक युग में जब कि नैतिकता का ह्रास हो रहा है तथा शिक्षा में नैतिक शिक्षा की उपेक्षा के कारण विद्यार्थियों में उच्छ्वलता एव भ्रष्टाचारवादी प्रवृत्तियाँ पायी रहीं हैं नैतिक शिक्षा की आवश्यकता शिक्षा संस्थाओं में तीव्रता से अनुभव की जा रही है। आज के सामाजिक, आर्थिक राजनैतिक तथा वैश्विक परिवेश में चारित्रिक गुणों का तेजी से विघटन हो रहा है, धर्म धर्म के भावी नागरिकों के निर्माण हेतु तथा राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुकूल समाज के पुनर्निर्माण हेतु नैतिक शिक्षा की निरन्तर आवश्यकता है।

अंग्रेजों से विरासत में मिली शिक्षा व्यवस्था में धर्मनिरपेक्षता के नाम पर जिस प्रकार नैतिक शिक्षा का निर्वासन हुआ, उन्हीं गति से विद्यार्थियों के चरित्र में गिरावट आती गई धर्मनिरपेक्षता का अर्थ धर्महीनता कदापि नहीं होता। खीद्र अग्निहोत्रों के शब्दों में - धर्म नीति का निर्वारण करता है। धर्म नैतिकता की पूर्व आवश्यकता है। धर्म धर्म कारण है नैतिक व्यवहार उसका परिणाम है। धर्मनिरपेक्षता के अनुसार परस्पर एक दूसरे के धर्मों के प्रति आदर एव सद्भाव रखने हुए सभी धर्मों के आधारभूत नैतिक मूल्यों पर आधारित, नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए यह गत शिक्षाविद् एव शिक्षा आयोगों ने समस्त-समय पर प्रकट किया है।

नैतिक शिक्षा का महत्त्व प्रकट करते हुए डॉ. राधाकृष्णन् विश्वविद्यालय नागपुर (1948) ने कहा है कि "हमारे संविधान के आधारभूत सिद्धान्तों की भाँति है कि जनता का आध्यात्मिक प्रशिक्षण दिया जाए। धर्म निरपेक्ष होने का अर्थ धार्मिक दृष्टि से

प्रशिक्षित होना नहीं है, बल्कि गभीर रूप में आध्यात्मिक होना है।' 1 मुद्रालय  
 माध्यमिक शिक्षा आयोग (1953) ने भी नैतिक शिक्षा का महत्व स्वीकार किया  
 है— 'धार्मिक व नैतिक शिक्षा भी चरित्र के विकास में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती  
 है। राज्य का धर्म निरपेक्ष होने का यह अर्थ नहीं है कि राज्य में धर्म का कोई  
 स्थान नहीं है। 2 कोठारी शिक्षा आयोग (1966) का मत है कि— 'यदि आधुनिकी-  
 करण को एक जीवन शक्ति होना है तो उसे आत्मा की शक्ति से अपनी शक्ति प्राप्त  
 करनी चाहिए। आधुनिक समाज का हमस जो ज्ञान का विस्तार और बढ़ती हुई शक्ति  
 मिरती है उसका संयोग इस कारण सामाजिक उत्तरदायित्व को सुदृढ़ तथा गहरी हाती  
 हुई भावना तथा नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के उत्पत्तापूर्ण गुण-ग्रहण के साथ  
 होना चाहिए। हम अपनी शिक्षा प्रणाली को उचित रूप में मू-या मुख करे।' 3 पाठ्य-  
 चर्या के सदन में भी कोठारी शिक्षा आयोग ने नैतिक शिक्षा के महत्व पर प्रकाश  
 डाला है— 'स्कूल पाठ्यचर्या में एक गभीर नुाट यह है कि उपम सामाजिक, नैतिक  
 और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा की व्यवस्था नहीं की गई है। प्रकाश भारतीयों  
 के जीवन में धर्म एक बड़ी अभिप्रेरण शक्ति के रूप में विद्यमान है और चरित्र के  
 निर्माण तथा नैतिक मूल्यों की शिक्षा से उसका आंतरिक संबंध है। एक ऐसा राष्ट्रीय  
 शिक्षा कार्यक्रम जो लोगों के जीवन आवश्यकताओं और अभिलाषाओं से संचालित हो  
 इस उपयोगी शक्ति की उत्पत्ता नहीं कर सकता। इनलिये हमारी सिफारिश है कि जहां  
 कहीं संभव हो बड़े-बड़े वर्गों के नीति संबंधी उपदेशों की सहायता से सामाजिक  
 नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा देने का जागरूक और संगठित प्रयत्न  
 किया जाये।' 4

अतः नैतिक शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्त्व को देखते हुए अब शिक्षा संस्थाओं  
 में इसकी व्यवस्था करने की और जनसाधारण एवं सरकार की जागरूकता प्रकट हो रही  
 है। राजस्थान में य न प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नैतिक शिक्षा को  
 निश्चय कर 'स शिक्षा में साहित्यिक काम उठाया है।

**नैतिक शिक्षा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य —**

भारतीय शिक्षा में नैतिक शिक्षा की स्थिति एवं औचित्य को समझने में ऐति  
 हासिक परिप्रेक्ष्य का सविस्तृत सर्वेक्षण उपयोगी रहेगा।

Report of the University Education Commission

Report of Secondary Education Commission (पृ 125)

कोठारी शिक्षा का आयोग—पृ 22-23।

कोठारी शिक्षा आयोग—पृ 228-229।

(क) स्वाधीनता पूर्व भारत में—

इस पुस्तक में अथर्व सव्यवित्त स्यलो पर शिक्षा के उद्देश्य एवं उसके राष्ट्रीय विकास एवं समाज से संबंधों की चर्चा करते समय स्वाधीनतापूर्व भारत में नैतिक शिक्षा का प्रसंगानुकूल उल्लेख किया गया है। प्राचीन भारत में धर्म एवं नैतिकता की शिक्षा का घनिष्ठ संबंध रहा है तथा यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि धर्म व नैतिकता ही शिक्षा का उद्देश्य रहा था। शिक्षा द्वारा सत्य, त्याग, उदारता, सहयोग, सद्भावना आदि चारित्रिक गुणों का विकास किया जाता था तथा मान 'प्राप्ति का आध्यात्मिक लक्ष्य अथर्व शिक्षा उद्देश्यों से सर्वोपरि माना जाता था। डॉ. सीताराम जायसवाल तत्कालीन शिक्षा को नैतिकता या आचार का मुख्य आधार मानत हुए लिखत हैं कि—प्राचीन भारतीय संस्कृति में शिक्षा को स्वच्छता और आचार का मुख्य आधार माना गया है। मनु ने इस बात पर बल दिया है कि नये ब्रह्मचारी को स्वच्छता और शिष्टाचार के नियम नली-भाति पात होने चाहिए।" 1

कालान्तर में नैतिक शिक्षा का महत्त्व देना की पराधीनता तथा विदेशी शासकों की शिक्षा के प्रति उपेक्षा के कारण कम होता गया मध्यकाल में मुस्लिम व हिन्दू संस्कृतियों का सम्बन्ध हुआ तथा नैतिकता के -ये मापदण्ड विकसित हुए। दोनों संस्कृतियों की शिक्षा व्यवस्था पृथक् होने के कारण प्राचीन भारतीय शिक्षा का नैतिक उद्देश्य किसी न किसी रूप में बना रहा किन्तु मुस्लिम शिक्षा-पद्धति एवं सन्मता को राजाश्रय प्राप्त होने तथा उसके प्रति भारतीयों का आकर्षण होने के कारण प्राचीन नैतिक आदर्शों का ह्रास होने लगा।

स्वाधीनता पूर्व अंग्रेजी शासन के आधुनिक काल में शिक्षा के प्रति शासकों की उदासीनता तथा धर्म में हस्तक्षेप न करने की नीति के फलस्वरूप नवीन शिक्षा-पद्धति में नैतिक शिक्षा को कोई स्थान नहीं दिया गया। अंग्रेजी भाषा और शिक्षा-प्रणाली के प्रति आकर्षण होने से जन-साधारण में भारतीय नैतिक आदर्शों की उपेक्षा ही नहीं पनपी बल्कि उनके प्रति घणा का भाव भी विकसित होने लगा। अंग्रेजी शासन में धर्म निरपेक्षता के नाम पर शिक्षा-संस्थाओं में ईसाई धर्म की ही प्रश्रय दिया जाने लगा। सब प्रथम 1854 में ब्रुड के घोषणा-पत्र (Woods Despatch) में सभी धर्मों के आधारभूत सिद्धांतों को लेकर एक नैतिक शिक्षा की पाठ्य-पुस्तक तैयार करने

1 डॉ. सीताराम जायसवाल भारतीय शिक्षा की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ('साहित्य परिचय'—शिक्षा और संस्कृति विशेषांक—पृ 134)

व उसे शिक्षा संस्थाओं में पढ़ाने की प्रतिज्ञा की गई किंतु सरकार ने इस सुझाव को घम में हस्तक्षेप समझकर अस्वीकार कर दिया। 1944-46 में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने जी डी बार्न की अध्यक्षता में धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा की आवश्यकता एवं सम्भावना पर विचार करने हेतु एक समिति गठित की जिसने चरित्र-निर्माण के लिए धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा की उद्योगिता तो स्वीकार की किंतु इस शिक्षा का दायित्व समाज और परिवार का माना। इस प्रकार स्वाधीनतापूर्वक भारत में नैतिक शिक्षा को घम में हस्तक्षेप करने की प्रार्थना से तथा अंग्रेजी शासकों की कूटनीतिक कारण नहीं अपनाया गया।

### स्वाधीनता पश्चात् भारत में—

भारत का स्वाधीनता मिलने के पूर्व अंग्रेजी शासनकाल में स्वाधीनता संग्राम के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति की संकल्पना विकसित होती रही जिसमें नैतिक शिक्षा का उपयुक्त स्थान दिये जाने का आग्रह किया गया। महात्मा गांधी, विवेकानन्द स्वामी दयानन्द, धरविन्द जादि ने नैतिक शिक्षा को विशेष महत्त्व दिया। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की जिस नीति का प्रावधान किया गया उसका उल्लेख प्रथम संशोधन में किया जा चुका है। इस नीति के कारण शिक्षा-संस्थाओं में नैतिक शिक्षा को अब तक महत्त्व नहीं दिया गया है, यद्यपि विभिन्न आयोगों ने इसकी प्रतिज्ञा की है। विभिन्न शिक्षा आयोगों ने नैतिक शिक्षा को जो महत्त्व दिया है, उसका उल्लेख भी हो चुका है। 1959 में "धार्मिक-नैतिक शिक्षा पर श्री प्रकाश की अध्यक्षता में जो समिति गठित की गई थी जिसने 1960 में नैतिक शिक्षा हेतु शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए सुझाव दिये। इन सुझावों का कोठारी शिक्षा आयोग ने ममथन किया।

### नैतिक शिक्षा का स्वरूप पाठ्यक्रम व विधियाँ

#### (क) पाठ्यक्रम -

नैतिक शिक्षा के महत्त्व को स्वीकार करते हुए हमें शिक्षा-संस्थाओं में लागू करने हेतु उसके पाठ्यक्रम को विकसित करने के प्रयत्न किए गए। श्री प्रकाश समिति द्वारा निर्माणांकित पाठ्यक्रम सुझाया गया - 1

#### प्राथमिक स्तर पर धार्मिक शिक्षा का पाठ्यक्रम

- (1) प्रायः सभी के समय विद्यालयों में विद्यार्थियों द्वारा सामूहिक गानों का गान को बढ़ावा बनानी चाहिए जहाँ धार्मिक व नैतिक अर्थ सामूहिक रूप से विद्यार्थी गाय,

- (2) विद्यार्थियों को महापुरुषों की कहानियाँ सरल तथा मनोरंजक ढंग से सुनाई जाये,
- (3) मुख्य धर्मों से सम्बन्धित कला व वास्तुकला के चित्र एवं वस्तुओं का शृंगार द्रव्य साधनों द्वारा प्रदर्शन किया जाये ,
- (4) सेवा की अभिवृत्ति का प्रचार व विकास किया जाये,
- (5) नैतिक शिक्षा हेतु विद्यालय के समय विभाग चक्र में दो कार्याणि निम्न किये जायें।

### माध्यमिक स्तर पर धार्मिक शिक्षा का पाठ्यक्रम

- (1) विद्यालयों में प्रातः कालीन प्रार्थना-सभा का आयोजन,
- (2) विश्व के प्रमुख धर्मों की आधारभूत शिक्षाओं का अध्ययन,
- (3) अथकाश के दिनों में या कक्षा-शिक्षण के पश्चात् समाज सेवा के कार्यक्रमों का आयोजन,
- (4) विद्यार्थियों में सूचकांक करते समय विद्यार्थियों के चरित्र एवं व्यवहार का मूल्यांकन किया जाये।

### विश्वविद्यालय स्तर पर धार्मिक शिक्षा का पाठ्यक्रम—

- (1) विभिन्न धर्मों का अध्ययन स्नातक कक्षाओं की सामान्य शिक्षा का आवश्यक अंग बनाया जाये,
- (2) स्नातक कक्षाओं के दो अथवा तीन वर्षों में धर्म तथा धार्मिक प्रथा का अध्ययन किया जाये
- (3) स्नातकोत्तर शिक्षा में विभिन्न धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाये,

### राजस्थान में लागू पाठ्यक्रम—

काठारी शिक्षा आयोग ने पाठ्यक्रम की उपरोक्त रूपरेखा की प्रतिष्ठा की। राजस्थान राज्य की प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में सत्र 1981-82 से नैतिक शिक्षा के जिस पाठ्यक्रम को प्रतिपाद्य बनाया गया है उस शिक्षा विभाग द्वारा सुबुद्ध शिक्षा प्रकाशन— 16 में "नैतिक शिक्षा-उपागम" (पाठ्यक्रम कक्षा 1 से 8) के नाम से प्रकाशित व प्रचारित किया है। इसके अनुसार नैतिक शिक्षा का उद्देश्य निम्नांकित है" (1) विविध आचरणों में से सही आचरणों को चुनना एवं जान सकें, (2) अपने स्तर पर सही आचरण के अनुरूप व्यवहार कर सकें (3) छात्र सही तथा गलत आचरण के बीच अंतर कर सकें, (4) छात्र विभिन्न क्षेत्रों में अपना कर्तव्य स्थिर कर सकें, (5) अपने कर्तव्य के अनुरूप उपयुक्त व्यवहार कर सकें,



(6) छात्र जीवन के विभिन्न प्रसंगों में वांछित दृष्टिकोण बना सके, (7) अपने वांछित दृष्टिकोण का जीवन में निर्वाह कर सके, (8) छात्र आपस में मिलजुल कर काम करने की आदत बना सके, (9) छात्र विषय परिस्थितियों में निर्भिकता एवं धीरज बनाये रखने की आदत बना सके, (10) छात्र अपने व्यवहार के कारण बर्ता सके की आदत बना सके, (11) छात्र सदाचारी लोगों व महापुरुषों के सद्गुणों की मराहना कर सके, (12) व्यवहार करते समय छात्र दूसरों के हितों का ध्यान में रखने की आदत बना सके, (13) छात्र सभी लोगों को समानता की नजर से देखने की आदत बना सकें, (14) छात्र सावजनिक सम्पत्ति व सामग्री के प्रति सद्भावना रखने की आदत बना सकें, (15) वे दूसरों के विचारों को धीरज के साथ समझन की आदत बना सके ।”

उपरोक्त उद्देश्यों के अनुसार बालकों में कुछ महत्वपूर्ण आदतों के विकास हेतु मुझसे लिये गये हैं जैसे — (1) समय की पाबन्दी, (2) सम्मान एवं अभिव्यक्ति करना, (3) स्थान की सफाई, (4) काम में आनेवाली चीजों की सफाई, (5) बोलने सम्बन्धि आदतें, (6) अपनी बारी की प्रतिक्षा करना, (7) अनुशासन एवं शांति बनाय रखना, (8) घर आए अतिथि के साथ शिष्टाचार, (9) भोजन सम्बन्धि आदतें (10) वस्त्रों की सफाई, (11) शारीरिक स्वच्छता, (12) खेल सम्बन्धि आदतें, (13) उत्सवों एवं सभाओं के नियमों का पालन, (14) कुछ विशिष्ट आदतें जैसे पहल करना, काय को बीच में न छोड़ना, घर के काम में रुचि लेना मित्रों के काम में सहयोग देना आदि । 2

इन आदतों के विकास हेतु इसकी प्रेरणास्वरूप कुछ जीवन मूल्यों का पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों व शाला-कायक्रमों में प्रतिबिम्बित होना आवश्यक माना गया है। ये जीवन मूल्य हैं—सच्चाई सहयोग साहस, दृढ निश्चय, आत्मविश्वास, पराजकार प्रेमभक्ति कृत-व्य-परायणता, ईमानदारी समाज-सेवा की भावना श्रम में निष्ठा त्याग की भावना, विश्व-बंधुत्व विनम्रता, अहिंसा, प्रेम सहानुभूति, धैर्य, सहिष्णुता दया, क्षमा, दूसरों का आदर दान, तत्परता मित्रता दूसरों के गुणों की प्रशंसा, निर्भिकता, स्वावलम्बन, आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना, फिजूलखर्ची न करना, अनुशासन तथा सादगी । 3

1 नविक शिक्षा उपागम-पाठ्यक्रम कक्षा 1 से 8 (नया शिक्षक' अक्टूबर-दिसम्बर

1981 पृ 87)

2 पूर्वोक्त—(पृ 88)

3 पूर्वोक्त—(पृ 80)

## (ख) नैतिक शिक्षा की विधियाँ—

जा शिक्षाविद् एव शिक्षा-आयोग नैतिक शिक्षा को पाठ्यक्रम का अंग बनाना चाहते हैं उन्होंने इसकी विधियों का सुझाव दिया है। इनका मत है कि नैतिक शिक्षा प्रत्यक्ष शिक्षण का विषय नहीं है बल्कि अप्रत्यक्ष विधियों द्वारा शिक्षक के आदर्श महापुरुषों के जीवन प्रसंगा तथा विद्यालय के वातावरण एव क्रियाकलापों से की जानी चाहिए। इस सन्दर्भ में मुदालियर माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कहा है कि— 'चाहूँ धार्मिक शिक्षा दी जाय प्रथवा नैतिक शिक्षा, इस प्रकार की शिक्षा को कक्षा शिक्षण की परम्परागत विधियों से प्रभावी नहीं बनाया जा सकता बल्कि शाला के वातावरण तथा शिक्षकों के प्रभाव द्वारा ही उपयुगी बनाया जा सकता है।'

कोठारी शिक्षा आयोग ने श्री प्रकाश समिति की अभिवृत्तियों का समर्थन करते हुए नैतिक शिक्षा की विधियों के विषय में अपना मत प्रकट किया है—  
 'शिक्षण-पद्धति चाहे भी क्यों न हो, इसके कारण नैतिक शिक्षा न तो बरकी पाठ्यचर्या से कटकर अलग पड़ जानी चाहिए और न एक ही घण्टे में सीमित रह जानी चाहिए। यदि मूल्यों को छात्र के चरित्र का अंग बनना अभीष्ट हो तो नैतिक जीवन को सब ओर से संवारन का प्रयत्न करना चाहिए। प्रत्येक घण्टे के साहित्य में अनुयायियों को किसी नैतिक मूल्य का महत्त्व बताने के लिए कहानी या पृष्ठांत को मुख्य स्थान दिया जाता है। नैतिक शिक्षा के कार्यक्रम में यदि शिक्षक ठीक मीर पर ऐसी कहानियाँ सुनाएँ तो उनका बहुत ही अच्छा असर पड़ेगा, निचनी कक्षाओं में तो यह ज्ञात और भी प्रभावी होगी। यदि की आवश्यकताओं में महान् धार्मिक और आध्यात्मिक नेताओं के जीवन का चित्र करना स्वाभाविक होगा। इसी प्रकार विभिन्न धर्मों के त्यौहार मनाने में इन धर्मों के नेताओं के जीवन के इतिहास में से खास-खास घटनाओं को सुनाने का अवसर मिलता है। माध्यमिक स्कूल के अन्तिम दो वर्षों में बड़े-बड़े धर्मों के सारभूत उपदेशों के अध्ययन के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए।'

राजस्थान में अपनाये गये नैतिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में भी शिक्षण की उपरोक्त विधियों पर ही बल दिया गया है। इसमें जीवन मूल्यों के प्रस्तुतीकरण के संबंध में कहा गया है कि— 'क्या छात्रों का सीधे यह उपदेश दिया जाय कि 'सच बोली, माता-पिता का आदर करा', 'ईमानदार बनो'—ये सब उपाय कारगर नहीं

1 मुदालियर माध्यमिक शिक्षा आयोग—(पृष्ठ 125—126)

2 कोठारी शिक्षा आयोग—(पृ 230)

होने क्योंकि इस प्रकार की अमूर्त या भावात्मक बातों का छात्र रट तो सकता है, परं उनका व्यावहारिक सन्दर्भ नहीं जानने के कारण समझ नहीं सकती।<sup>100</sup> होना यह चाहिए कि उपरोक्त बातें न रटवाई जायें, न इनकी परिभाषा बताई जाय, बल्कि उन्हें जीवन की वास्तविक स्थिति में या अनुभव आधारित बनाकर छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाय।<sup>1</sup> अतः नैतिक शिक्षा में मूल्यों का घटना, कहानी या महापुरुषों के जीवन प्रसंगों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप में विकसित करना वाञ्छनीय है।

### उपसंहार —

धर्म का सम्प्रत्यक्ष गलत ढंग से प्रस्तुत किया जाता है जबकि प्राचीन काल से ही धर्म का सम्बन्ध कर्तव्यों से लिया गया है। स्वतन्त्र भारत में गिरते हुए मूल्यों को पुनः स्थापित करने के लिए तुलनात्मक एवं विवेकपूर्ण अध्ययन छात्रों को बाँधित है। धार्मिक शिक्षा उत्तम नागरिक और चरित्र निर्माण के लिए परम आवश्यक है। देशवासी धर्म के विद्वान्तों से अपरिचित होते जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन बिम्बुव्य धीरे धीरे-धीरे खस्ता हो गया है। अतः जीवन के प्रारम्भिक काल से ही आध्यात्मिक व नैतिक मायताओं की शिक्षा देनी चाहिए। आज देश में विध्वंसकारी प्रवृत्तियाँ बढ़ रही हैं। हमारे धाने वाली पीढ़ी शिक्षण संस्थाओं में जसा सीखेगी वसा ही व्यवहारिक जीवन में आचरण करेगी। यदि हम समय रहते प्रभावशाली ढंग से धार्मिकता व आध्यात्मिकता का मूल्यांकन की शिक्षा छात्रों को नहीं देगे तो राष्ट्र का भविष्य अन्धकारमय और भयानक हो जावेगा।

नैतिक शिक्षा का अर्थ सही ढंग से समझकर उसके पाठ्यक्रम को आयु वर्ग के अनुरूप अप्रत्यक्ष विधि से प्रस्तुत करने पर ही नैतिक शिक्षा प्रभावी हो सकती है। राजस्थान में प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर नैतिक शिक्षा का अनिवाय किया गया है। यह शिक्षार्थी का दायित्व है कि उसे सही परिप्रेक्ष्य में ग्रहण कर उसकी दिशावृत्ति हेतु प्रयास करे।

1. पूर्वोक्त—(पृ 90)

### मूल्यांकन (Evaluation)

- (ब) लघुत्तरात्मक प्रश्न (Short Answer Type Questions)
- (1) 'धार्मिक शिक्षा' तथा 'नैतिक शिक्षा' में भेद बतलाइये। (बी एड पत्रा 1985)
  - (2) विद्यालयों में नैतिक शिक्षा के महत्त्व पर संक्षेप में लिखिये। (बी एड 1984)
  - (3) हमारे विद्यार्थियों को नैतिक शिक्षा प्रदान करने की दृष्टि से कोई पांच विकल्प प्रस्तावित कीजिए। (बी एड पत्राचार 1982)

- (4) 'धार्मिक शिक्षा' और 'धर्मों की शिक्षा' के पदों में अंतर बताइये। (बी एड 1982)
- (5) धार्मिक शिक्षा से प्राय क्या समझते हैं? धमनिरपेक्षता' का प्रत्यय स्पष्ट कीजिए।  
(बी एड पत्रा 1981)
- (6) राधाकृष्णन् आयोग द्वारा धार्मिक शिक्षा के सम्बन्ध में क्या क्या मुख्य सन्तुतियां प्रस्तुत की गई है ?  
(बी एड 1979)
- (7) 'धार्मिक शिक्षा' एवं 'नैतिक शिक्षा' के मध्य भेद को स्पष्ट करने वाले पांच बिंदुओं का उल्लेख कीजिए।  
(बी एड 1978)

(ब) निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

- 1 'नैतिक शिक्षा विद्यालयी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण भाग है।' उन मूल सिद्धांतों की व्याख्या कीजिये जिसके आधार पर नैतिक शिक्षा विद्यालयीय शिक्षा का एक भाग बन सकता है।  
(बी एड 1985)
- 2 हमारे जैसे धमनिरपेक्ष राज्य के विद्यालय में धार्मिक शिक्षा देना उचित नहीं परन्तु नैतिक शिक्षा का प्रावधान होना नितांत आवश्यक है।' इस कथन को समीक्षा कीजिये तथा धार्मिक शिक्षा और नैतिक शिक्षा के मध्य भेद स्पष्ट कीजिये। (1983)
- 3 (क) धार्मिक शिक्षा और (ख) नैतिक शिक्षा का क्या अर्थ है? इन दोनों पक्षों का प्रायः साथ-साथ प्रयोग क्यों किया जाता है? सच्चे धमनिरपेक्ष समाज के निर्माण के लिए सच्ची धार्मिक शिक्षा अपरिहार्य है।' इस कथन की परीक्षा कीजिए।  
(बी एड 1981)
- 4 राजनीतिज्ञों द्वारा धमनिरपेक्षता की गलत व्याख्या ने भारतीय समाज का बहुत हानि पहुंचाई है। जीवन के उच्च आदर्शों एवं नैतिक आधार को गहरी ठस लगी है।' इस कथन पर अपने विचार प्रकट कीजिए तथा धमनिरपेक्ष भारत में माध्यमिक स्तर पर धार्मिक शिक्षा देना हेतु एक योजना प्रस्तुत कीजिए। (बी एड 1979)
- 5 'नवयुवकों में नैतिक मूल्यों के विकास की दृष्टि से हमारी शिक्षा संस्थान बहुत ही बुरी तरह असफल रहे हैं।' इस कथन पर अपने विचार प्रकट कीजिए। पाठ्यक्रम सम्बन्धी एवं पाठ्यक्रम सहूगामी ऐसे उपयोगी कार्यक्रमों का भी सुझाव दीजिए जिनके द्वारा उनमें नैतिक मूल्यों का विकास किया जाना संभव हो। (बी एड 1978)
- 6 हमारा संविधान धमनिरपेक्ष दृष्टिकोण पर किस प्रकार आधार रखता है? साथ ही इस उपायों और तरीकों का विवेचन कीजिए जिनके द्वारा हम विद्यालयों में सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता का भाव पैदा कर सकते हैं?  
(बी एड 1975)

[ विषय प्रवेश—व्यावसाय के लिए शिक्षा और समाज—विद्यालयों द्वारा व्यावसायिक उपक्रम (तयारी) सहकारी हो—आजीविका—सम्बन्धी समाज का निम्नतर पथ-विकास—व्यावसायिक तयारी के प्रकार नियुक्ति प्रारम्भ होने से पहले की तयारी नियुक्ति के सम्बन्ध में तयारी—आजीविका परिवर्तन की तयारी—आर्थिक एवं सामाजिक प्रवृत्तियों का व्यावसायिक तयारी के साथ सम्बन्ध—उपसंहार—मूल्यांकन ]

विषय प्रवेश -

भारत देश में माध्यमिक शिक्षा प्राप्त बेरोजगारों की लम्बी कतार खड़ी है क्योंकि उन्हें व्यावसायिक उपक्रम (तयारी) की दृष्टि से शिक्षित नहीं किया गया है। माध्यमिक शिक्षा मात्र उच्च शिक्षा हेतु प्रवेश प्राप्त करने की तयारी मात्र है। देश की आर्थिक व सामाजिक धारा से छात्रों को जोड़े जाने की गरज से तथा औद्योगिक विकास में उत्पादक-नागरिक के रूप में छात्रों के सहयोग के लिए, बालक व बालिकाओं का व्यावसायिक तयारी विद्यालय में करना, उन्हें श्रम के प्रति आस्था तथा रचनात्मक दृष्टिकोण के विकास हेतु वाञ्छित है।

विद्यालय से आजीविका सम्बन्धी सफलता में स्थानान्तरण की प्रक्रिया की दिशा में निम्नदेह कर्तव्य-कहीं उसी क्रम में आजीविका का तयारी घटित होनी चाहिए। व्यापार और उद्योग दोनों ही स सम्बन्धित आजीविकाओं में नियुक्ति के बाद ही यह घटित होती है। दूसरों में नियमित पूर्वकाल-नियुक्ति प्राप्त करने के पहले ही विद्यालय पथवेक्षण में आजीविक मात्रा में तयारी की जाती है। और भी आजीविकाओं में आजीविका, सफ़र की कलाओं को वास्तविक रूप में ग्रहण करने के पहले ही लम्बी, अवधि तक प्रति विशिष्ट तयारी की जाती है।

किसी भी स्थिति में यह स्पष्ट है कि व्यक्ति की व्यावसायिक सफलता उसकी तयारी के गुण, उसकी उपयुक्तता तथा आजीविका के समुचित चुनाव पर निर्भर है। अतः इसके लिए विद्यालय द्वारा व्यावसायिक निर्देशन छात्रों को प्रदान किया जाकर उन्हें व्यावसायिक तयारी करने में भरपूर सहयोग प्रदान किया जाना परम आवश्यक है।

सूचना-पाठ्यक्रमों, परीक्षात्मक अनुभवों और व्यक्तिगत परामर्श के सहारे अपने कार्य को चुनने में शाला परामर्शदाता से सहायता प्राप्त कर छात्रों को तैयारी की योजना बनानी चाहिए। विद्यालय व्यावसायिक तैयारी प्रदान करने तथा व्यक्तियों का उनकी विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति सम्बन्धी तैयारी की योजना बनाने में सहायता करना अपना दायित्व समझना चाहिए ताकि, व्यवहारिक जीवन में प्रवेश के समय व्यावसायों में सफलता प्राप्त हो सकें। अभिरूचियों का विकास कर स्वयं अपने व्यावसाय का चयन कर घनाजन करने में सफल सिद्ध हो सकें।

**व्यावसाय के लिए शिक्षा और समाज** — भारतीय सचिवालय के प्रावधानों के अनुरूप यदि हम सबके लिए समान अवसर' के सम्बन्ध में वास्तविक रूप देना चाहते हैं तो व्यावसाय की तैयारी के लिए शिक्षा में समाज के उत्तरदायित्व का अवश्य स्वीकार और ग्रहण करना होगा। विद्यालय व्यक्तिगत योग्यताओं आवश्यकताओं एवं विद्यालय से भी लाभ उठाने की सम्भावनाओं से निरपेक्ष सबके लिए समान अवसर देवे। यदि हम देश में समान अवसरों को वास्तविक रूप देना चाहते हैं तो विद्यालयों को विविध आजीविकाओं में प्रवेश करने वाले युवक व युवतियों को आजीविकाओं के लिए पूरा तैयारी प्रदान करने में सक्रिय सहयोग प्रदान करे। आज देश में पढ़ लिखे व विभिन्न वर्ग अपने बालक व बालिकाओं का उच्च प्राथमिक शिक्षा दिलवाने की अवस्था में विद्यालयों का पूर्ण उपयोग अपने बालकों के हित में करते हैं तो दूसरी ओर सामान्य, गरीब व निरक्षर अभिभावकों के बालक संघातिक ज्ञान प्रदान करवाके परीक्षा उत्तीर्ण करवाना ही अपने उद्देश्य की पूर्ति समझते हैं। यहाँ तक की वे उन्हें साधारण से साधारण हस्त-कला व कौशल के कार्य के लिए तैयार होने में बिल्कुल सहायता नहीं करते जबकि दोनों प्रकार की व्यवस्था पर समाज का ही धन भार पड़ता है जिससे देश में असन्तोष व असमानता की भावनाओं से शिक्षा के वास्तविक उद्देश्य समानता के आधार पर अवसर प्रदान करने का खुलकर उत्पन्न होता है।

व्यावसाय की तैयारी हेतु शिक्षा सबंधी समाज का यह उत्तरदायित्व ठीक उन्हीं स्तरों से विस्तार हो पाता है, जिससे सामान्य शिक्षा। तात्पर्य यह है कि यदि सामान्य उच्च विद्यालयों के पाठ्यक्रम को बनाए रखा जाय, तो उच्च विद्यालयों ऐसी की व्यावसायिक तैयारी भी प्रदान की जानी चाहिए। उच्च माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा के इच्छुक और उससे लाभ उठाने की तत्पर व्यक्ति की विद्यालय से वैसी शिक्षा की मांग ठीक उसी प्रकार युक्ति संगत है, जिस प्रकार सामान्य शिक्षा के इच्छुक व्यक्ति की।

विद्यालय जैसा कि इसे होना चाहिए, लोक-समाज का प्रतिकरण बन जाता है,

सहकार एक लाभ श्रेणी या स्तर की व्यावसायिक तयारी की शिक्षा और धरणी या स्तर का मायाय शिक्षा उन्हें उपलब्ध हो जाती है जो उसके इच्छुक हैं ।

**विद्यालयों में व्यावसायिक उपक्रम संबंधी शिक्षा सहकारी हो'—**

प्राजदश में बहुत ही कम मर्यादा में उद्योग, व्यापार एवं राजकीय संस्थाएँ भी समुचित व्यावसायिक तैयारी प्रदान करने हेतु व्यवस्था करते हैं । अतः विद्यालयों को बढ़ती हुई छात्र-संख्या के प्रति अपने उत्तरदायित्व के पालन के लिए यह तैयार करना चाहिए कि प्रत्येक आजीविका के लिए यह तैयारी किस प्रकार अधिक प्रभावशाली और मितव्ययिता पूर्ण ढंग से प्रदान की जा सकती है तथा अभिप्राय के लिए कौनसी जन-शक्ति आवश्यक और वाछनीय है । सम्भवतः तैयारियाँ, जो अभी नियुक्ति काल में प्रदान की जाती हैं व विद्यालयों में प्रारम्भ होने के पहले अधिक अच्छी तरह प्रदान की जा सकती हैं । मानव नियोजता एवं कार्यकर्ताओं के बीच व्यवस्थित सहकारी योजना के माध्यम से अधिक व्यावसायिक तैयारी प्रदान करनी चाहिए ।

इस दिशा में देश की परम्पराओं, इस अभिप्राय के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों और इनकी प्राप्ति के लिए विकसित विधियों के साथ निश्चय ही विद्यालयों को किसी भी अधिकरण की अपेक्षा समाज के आवश्यक व्यावसायिक कार्यों का भार उठाने के अधिक योग्य है । जन-देश में व्यावसायिक तैयारी के प्रभावशाली कार्य करने के लिए नियोजकों और कार्यकर्ताओं के बीच सहयोग नितान्त आवश्यक है ।

**आजीविका सम्बन्धी समाज का निरन्तर पर्यवेक्षण --**

विद्यालयों का यह निर्णय करना चाहिए कि कौन कौन से छात्रों को कौन से व्यावसायिक तैयारी प्रदान करनी चाहिए और किस प्रकार प्रदान करनी चाहिए । कार्यकर्ताओं और नियोजताओं के सहयोग से प्रत्येक आजीविका की सावधानी पूर्वक खोज या सर्वेक्षण आवश्यक है । सर्वेक्षण करने के लिए अवसर पर दो बातों को ध्यान में रखनी चाहिए — (1) आजीविका में सफलता के लिए कौन सा प्रशिक्षण आवश्यक है ? तथा (2) इस प्रशिक्षण को प्रभावशाली तथा मितव्ययिता पूर्ण ढंग में प्रदान करने के लिए कौन-सी व्यवस्था आवश्यक है ? विद्यालय द्वारा की गई व्यावसायिक तैयारी की प्रभावोत्पादकता की खोज होनी चाहिए । इनके साथ ही साथ यह भी निर्धारित करना आवश्यक है कि विद्यालय कौन सी व्यावसायिक तैयारी प्रदान करे तथा

उसे कितने प्रभावशाली ढंग से प्रदान किया जाये। व्यावसायिक आवश्यकताएँ विभिन्न समाज में विभिन्न प्रकार की होती हैं। समाज की जनसंख्या, उसकी औद्योगिक एवं व्यापार-क्रियाओं का सामान्य स्वरूप, नियुक्ति के विभिन्न क्षेत्रों के लिए आवश्यक प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की संख्या, विविध रीतियों से पहले प्रदान की गई व्यावसायिक-शिक्षा तथा नियोक्ताओं एवं कार्यकर्ताओं से अपेक्षित सहयोग की सीमा पर विचार करना होगा।

व्यावसायिक तैयारी से पूर्व स्थानीय समस्याओं के सर्वेक्षण के साथ साथ ग्रन्थ नगरी द्वारा अपनी आवश्यकता व उनकी पूर्ति के लिए किये गये प्रयासों पर निरन्तर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए। अन्यत्र जो कुछ इस दिशा में किया गया है वह प्रायः अभिरूचिपूर्ण सभावनाओं का संकेत करता है किन्तु सुरक्षित ढंग में इसकी नकल केवल तभी की जा सकती है जब समस्याएँ बिल्कुल समान हों। किसी भी स्थानीय समाज के व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम के निर्धारण में प्रत्येक नियुक्ति के प्रयास करने वालों की आवश्यकताओं और स्थानीय समाज में रहने वालों की आवश्यकताओं दोनों पर ही विचार करना चाहिए।

### व्यावसायिक तैयारी के प्रकार (Kinds of Vocational Preparation) -

व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रम के निर्धारण के सम्बन्ध में अभी भी जो कुछ कहा गया है, उसके प्रकाश में यह प्रश्न करना तर्कसंगत है कि इस सम्बन्ध में अभी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय क्या कर रहे हैं और किस दिशा में विकास को सभावनाएँ हैं।

व्यावसायिक तैयारी के तीन सामान्य प्रकार भारतीय विद्यालयों में स्थाई स्थान प्राप्त कर चुके हैं। ये तीन प्रकार की क्रियाएँ हैं जो कृषि, वाणिज्य, सामाजिक, उपयोगी उत्पादन कार्य एवं औद्योगिक क्षेत्रों में सफल न की जाती है। फिर भी हमारी शिक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से कार्य-केन्द्रित शिक्षा व्यवस्था (Work Centred Education) नहीं बन पाई है। ये तीन प्रकार हैं —

- (1) नियुक्ति प्रारम्भ होने से पहले की तैयारी।
  - (2) नियुक्ति के संबंध में तैयारी।
  - (3) आजीविका-परिवर्तन की तैयारी।
- (1) नियुक्ति प्रारम्भ होने के पहले की तैयारी — देश की स्वतंत्रता के बाद शिक्षा को ऐसी बनाये जाने के पक्ष में शिक्षाविद, राजनेता रहे हैं कि उन्हें नौकरियों एवं बान्गिरी पेशों के लिए तैयार न कर व्यवसाय की तैयारी की जाय।



इसके लिए माध्यमिक शालाओं में व्यावहारिक विषयों को प्रारम्भ करने के पक्ष में रहे। यह बात स्वतन्त्र भारत में ही नहीं बल्कि 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग ने भी इस प्रसंग की सिफारिश की थी। 'देश में व्यावसायिक तैयारी हेतु पाठ्यक्रमों में भरती होने वालों का प्रतिशत कुल विद्यार्थियों के मुकाबले में केवल 9 ही है जो कि दुनियाँ में सबसे कम है।' 1 'विश्वविद्यालय छात्रों में से अधिकांश-26,000 में से लगभग 22,000 केवल साहित्यिक पाठ्यक्रम लेते हैं जो कि उच्च प्रशासनिक क्लर्क, शिक्षण और वकील पेशा के अलावा अन्य किसी पेशे के योग्य नहीं है।' 2 कन्नडा आयोग की रिपोर्ट के पच्चास वर्ष पश्चात् कुछ सुधार हुआ है और विश्वविद्यालय स्तर पर 23 प्रतिशत व्यावसायिक तैयारी की शिक्षा के पाठ्यक्रम में भरती हो रहे हैं। कोठारी आयोग की आशा थी—'भविष्य में स्कूल शिक्षा की प्रवृत्ति सामान्य और व्यावसायिक शिक्षा के लाभदायक मिश्रण की ओर होगी— इस सामान्य शिक्षा में व्यवसाय-पूर्व और तकनीकी शिक्षा के कुछ तत्व होंगे और इसी प्रकार व्यावसायिक शिक्षा के कुछ तत्व होंगे और इसी प्रकार व्यावसायिक शिक्षा में भी सामान्य शिक्षा के कुछ तत्व होंगे।' 3 इन बातों को दृष्टि में रखत हुए माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों का व्यावसायिक तैयारी प्रदान करने के निमित्त विभिन्न प्रकार के उद्योग प्रशिक्षण, कार्यानुभव (work Experience), समन्वययोगी उत्पादक कार्य (S U P W), जैसी योजनाओं को क्रियान्वित रूप दिया जाय। इस मत का अनुसरण करते हुए गृह-विज्ञान, ग्रामीण युवाओं के लिए व्यवसाय शिक्षा को समबद्ध करते हुए कृषि कक्षाएँ संगठित की गईं तथा लड़के एवं लड़कियों को औद्योगिक भाजीकामों के लिए तैयार करने के निमित्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर के विशेष विद्यालयों की स्थापना की गई है। निश्चय ही इनमें करणीय अधिकांश कार्य का वास्तविक व्यावसायिक मूल्य विवादास्पद था और अभी भी है, किन्तु जहाँ तक इसके व्यावसायिक होने का प्रश्न था, यह लगभग नियुक्ति के पहले की पूर्ण तैयारी ही है। प्रचलित व्यावसायिक तैयारी के निम्नांकित रूप रहे हैं—

- (1) व्यापार प्रयत्नों के लिए — देश में व्यावसायिक तैयारी के लिए विद्यार्थी रुचि नहीं रखते हैं वे साहित्य, सामाजिक विषय एवं कानून की पढ़ाई के सैद्धांतिक पान के आधार पर नौकरी प्राप्त करने के पक्षधर रहे हैं जबकि अब देश में निरन्तर व्यावसायिकरण की ओर झुकाव द्रुतगति से बढ़ रहा है। स्वतन्त्रता के उपरांत वाणिज्य विषयों को प्रहण किया गया जो अन्य विषय-समूह की अपेक्षा

1 कोठारी शिक्षा आयोग की रिपोर्ट पृ 10

2 कन्नडा विश्वविद्यालय आयोग की रिपोर्ट, खण्ड 1 पृ 21

3 कोठारी शिक्षा आयोग— पृ 11

है। शिक्षा के अंग के रूप में कृषि अनुसंधान दिया जाना चाहिए। क्योंकि 'ज्यो-ज्यो फार्मों की ग्रामदनी अधिक कृषि उपज के साथ बढ़ेगी, त्यो त्यो अधिक कायिक सफल रूपक अपने लडको वा कृषि की शिक्षा देना चाहेंगे।'

(iv) औद्योगिक वृत्तियों के लिये नियुक्ति के पहले युवकों को औद्योगिक प्रज्ञा विकास के लिए तयारी करने में एक बड़ी कठिनाई है कि वाणिज्यात्मक प्रज्ञा विज्ञान गृह निर्माण, कृषि की शिक्षा की अपेक्षा औद्योगिक शिक्षा बहुत अधिक हद तक विशिष्ट आजीविकाओं की तयारी में बढी रहती है, जैसे बढहीगिरी, इलेक्ट्रीक सामान की तयारी, चित्रकारी उपकरण निर्माण साचा निर्माण, मुद्रण और इन्ही सहाय जय आजीविकाएँ। इस प्रकार अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा इसमें उन आजीविकाओं की सख्या अधिक है जिनके लिए तयारी आवश्यक है। केवल बडे नगरों में अथवा जहाँ एक ही उद्योग की प्रधानता है, वहाँ ऐश काको लडके पाए जात हैं जा इन आजीविकाओं में से किसी एक ही की तयारी करना चाहते हैं और इस प्रकार आवश्यक उपकरण के निर्वाह तथा भली भाँति तयारी शिक्षक की नियुक्ति के व्यय को युक्ति सगतसिद्ध करते हैं। देश के विभिन्न राज्यों की शिक्षण सस्थाओं में पहले पहल बुनियादी शिक्षा के माध्यम से बालका में अथ के प्रति निष्ठा, महत्ता के अनुकूल अभिवृत्ति का विकास करन हेतु स्वयं अपन हाथ से काम करने का प्रशिक्षण दिय जाने क पक्ष में धे जोर महत्ता गांधी न इसी उद्देश्य को लेकर बुनियादी शिक्षा के माध्यम से उद्योग के महत्त्व का प्रति पादन किया एव समग्र शिक्षा को उद्योग से जाडने पर बल दिया था। आज भी भारत के कुछ राज्यों की शिक्षण सस्थाएँ व्यावसाय की तयारी के दृष्टि से कायतर है।

### कार्यानुभव (Work Experience)

कोठारी कमीशन ने 'करना ही सीखना है' (Learning is doing) मताज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित 'कार्यानुभव के रूप में एक नए विषय को गठनक्रम में समावेश करने की सस्तुति 10-12 शिक्षा प्रणाली में की इन सस्तुति के पीछे उद्देश्य शिक्षा को जीवन से जोडना है। कार्यानुभव का उद्देश्य बालक का स्वयं व्यावसाय क लिए तयार करना है। कार्यानुभव स्कूल, घर, कारखाने, खेत, फँवटरी या अन्य किसी भी उत्पादक स्थिति में उत्पादक काय में भाग लेना है जिसका उद्देश्य छात्रों को व्याव सायिक तयारी है। इसके माध्यम से बालक व्यावसाय की समस्या को और अधिक आसत बना सकता है। हम अपनी शिक्षण सस्थाओं में विद्यापिषया में कठिन और उत्तरदायित्व

पूरा कार्य करने की जात डालने का सफल प्रयास कर सकते हैं। 1977 के एक सर्वेक्षण के आधार पर देश में 95 विभिन्न प्रवृत्तियों व्यावसाय की तयारी हेतु शालाओं में क्रियाशील है और कुछ स्थितियों में इनके द्वारा बालक स्वावलम्बी भी बन रहे हैं।

## समाजोपयोगी उत्पादन कार्य एवं समाज सेवा

(Socially Useful Productive Work & Community Service SUPW & CS)

सन् 1977 में साउथ गुजरात विश्वविद्यालय गुजरात के कुलपति ईश्वर भाई पटेल ने इसे परिभाषित किया— 'यह सोद्देश्य अथ पूर्ण शारीरिक श्रम युक्त कार्य है जिसके प्रतिफल समुदाय के लिए लाभप्रद सामग्री अथवा सेवाएँ होती हैं।' इमे कक्षा 10 तक के विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम में पूर्ण विषय का स्तर प्रदान करने का पक्षधारी है अर्थात् कुल समय का 18% कार्यभार समाजोपयोगी उत्पादन कार्य एवं समाज सेवा (SUPW & CS) को प्रदान किया जाये, जिसका क्षेत्र शारीरिक स्वच्छता एवं स्वास्थ्य, भोजन आवास, वस्त्र संस्कृति, एवं मनोरंजन व सामुदायिक कार्य एवं समाज सेवा है। आदेशोपेया समिति ने ईश्वरभाई की सिफारिश को उच्च माध्यमिक स्तरीय (+2) शिक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने की सिफारिश की है। इसके अंतर्गत विभिन्न उद्योगों या 'सीखो कमाओ (Earn while you learn) कार्यानुभव (work Experience) आदि के लाभों को दृष्टि में रखकर नई संकल्पना को स्वीकारा जिसका मुख्य उद्देश्य बालक के हाथ से कार्य करने की क्षमता श्रम के प्रति आस्था एवं अनुकूल अभिवृत्ति तथा सहयोग से कार्य करने की योजना का विकास कर व्यावसाय के लिए तयार करना है।

एस यू पी डब्लू में घर पर दैनिक किये जाने वाले कार्य घर पर कभी कभी किये जाने वाले कार्य, आवश्यकता एवं सुविधानुसार सामग्री उत्पादन विद्यालय के दैनिक कार्य, शाला में कभी कभी किये जाने वाले कार्य सामुदायिक कार्य विद्यालयों के लिए उपयोगी निर्माण आदि से छात्रों को व्यावसायिक तयारी के लिए जागरूक उपलब्ध हो सकता है। जैसा कि उनकी सिफारिशों से स्पष्ट है - There are two pertinent aspects of this recommendation First SUPW is given the status of special Subject Secondly the Committee has recommended that it should not be 'Education Plus work' but "Education through work" अथवा कठिनाईयों के बावजूद सम्पूर्ण दिन उद्योग कार्य करते हुए छात्रों का समय बीतता है जो बहुत अधिक हद तक मूल्यवान व्यावसायिक तयारी प्राप्त की जा रही है। छात्रों के लिए

S Buch & Patel, 'Towards work Centred Education P/29

विद्यालय द्वारा SUPW कार्यक्रम में किय गये कार्यों द्वारा जीविकोपार्जन करने की अधिक समुचित व्यवस्था की जा सकती है ।

राजस्थान में शिवाण सत्र 1984-85 से समस्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में SUPW & CS नामक एक नया विषय माध्यमिक शिवा बाई, भ्रजपर न प्रारम्भ किया है । जिसका उद्देश्य राजस्थान के विद्यार्थी उत्पादक कार्य के प्रति रुचि लेते हुए समाजोपयोगी साहित्य हागे और उ हें व्यावहारिक जीवन में व्यावसाय प्राप्त करने में असुविधा न रहें ।

डा. मेल्कम एम. आदिशेशय्या, तत्कालीन कुलपति मद्रास विश्वविद्यालय ने पत्र समिति (1977) की शिफारिशों के पुनरावलोकन कर 28 फरवरी 1978 को प्रपत्रा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने प्रकृत क्रियाएँ जो समाज-प्राधारित तथा शाला-प्राधारित तथा एक कल्पना मूलक अध्ययनक स्थानीय परिस्थितियों व आवश्यकताओं के अनुसार अन्य क्रियाएँ भी जोड़ सकते हैं । '6 प्रश्नार्थकों के निर्देशन हेतु सत्र 85 प्रवृत्तियाँ गिनाई है जिन्हें चार भागों में विभक्त किया है - 1 प्राडेवटपू वर्क, 2 प्राडेवटपू प्रवृत्तियाँ, 3 सामुदायिक सेवा प्रवृत्तियाँ तथा समुदाय के रहन-सहन सम्बन्धी प्रवृत्तियाँ । आदिशेशय्या ने छपि प्राधारित प्रवृत्त एव वाणिज्य सम्बन्धी, स्वास्थ्य एव पराचिकित्सकीय व्यावसाय सम्मिलित कि जाने की शिफारिश की है । व्यावसाय को अध्ययन का अन्तिम भाग मानने का उद्देश्य रोजगार में वृद्धि की दृष्टि से प्रस्तावित की गई है । इसके अन्तर्गत छपि एव छपि प्राधारित व्यावसाय कुटीर उद्योग, वाणिज्य एव कार्यालय व्यवस्था सम्बन्धी व्यावसाय, पराचिकित्सकीय व्यावसाय, पत्रकारिता सबकी व्यावसाय, गृह विज्ञान सबकी व्यावसाय तथा अन्य सेवाएँ ।

देश में औद्योगिक वृत्तियाँ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शालाओं, चाहे बुनियादी शिक्षा, चाहे 10+2 शिक्षा योजना में कार्यानुभव चाहे समाजोपयोगी उत्पादक कार्य एवं समाज सेवा चाहे आदिशेशय्या प्रतिवेदन इन सभी का परोक्ष व अपरोक्ष रूप से उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा के माध्यम से बालकों को आत्म निर्भर बनाना और अलग अलग कार्यों को सीखाना जो कालांतर में व्यावसाय की तयारी के रूप में सिद्ध हो सके।

(5) पत्राचार पाठ्यक्रमों के सहारे व्यावसायिक तैयारी — पत्राचार पाठ्यक्रम पर तैयारी करवाते हुए अल्पतम व्यय के सहारे माध्यमिक व उच्च

6 Report of the National Review Committee on Higher Secondary Education with Special Reference to Vocationalisation

माध्यमिक विद्यालय के अने छात्रों को कुछ व्यावसायिक तैयारी प्रदान कर सकते हैं। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति जो इस योजना के अनुसार आजी-विकाओ की तैयारी प्राप्त कर भी रहे हैं। कमशाला अभ्यास के लिए निकटवर्ती या स्थानीय कमशाला में कार्य करने का अवसर दिया जाता है। देश में बहुत सी ऐसी शिपण सस्थाएँ हैं जो शाम को, दिन की छुट्टी या अत स्थापित आधार पर अशकालीन पाठ्यक्रम सचालित कर रही हैं जो सामान्य शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण दोनों प्रकार की व्यवस्थाएँ रखती हैं। “बहुत से देशों, जैसे आस्ट्रेलिया समुक्त राष्ट्र तथा रूस में व्यावसायिक तथा तकनीकी प्रशिक्षण के लिए पत्राचार अध्ययन का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। स्पष्ट है कि बहुत से व्यावसायिक पाठ्यक्रमों जैसे लेखा विधि और बहरी खाते में वकशाप अभ्यास की आवश्यकता नहीं परन्तु यहाँ भी अवकाश के दिना में पढाई व कुछ घण्टे शिक्षकों से तय किये जा सकते हैं। वक शाप अभ्यास तथा प्रयोगशाला प्रशिक्षण वाले क्षेत्रों में सस्यान सप्ताह के अन्त तथा अवकाश की अवधि में छोले जा सकते हैं, जिससे कि पत्राचार छात्रों को ये सुविधाएँ उपलब्ध हो सकें। 7 कुछ ऐसे ही पाठ्यक्रम हैं जिन्हें पत्राचार द्वारा सम्पूर्ण कर व्यावसाय की तैयारी की जा सकती है - लेखाविधि वानानुकूलन वास्तुकला आलेखन मोटर गाडी यांत्रिक, भवन-ठंका आभार-प्रदर्श, व्यग-चित्र निर्माण, वाणिज्यात्मक कला डलाई-शाला सिद्धांत पत्रकारिता यत्र-आलेखन, प्रारूप निर्माण सिद्धांत फोटोग्राफी व्यावहारिक विद्युत्, व्यावहारिक परिचर्चा रेफ्रिजरेशन, विक्रय कला, पशुओं की खाल में भूषा इत्यादि भरकर उसे सजीववत् बनाने की कला आदि देश में अधिक व व्यवसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम के द्वारा बहुत सी सरकारी, अर्द्ध सरकारी, रज्यो के वाड, विश्वविद्यालय व गैर सरकारी सस्थाएँ कायरत हैं। इस प्रकार पत्राचार द्वारा व्यावसायिक तैयारी प्रदान की जा सकती है।

## (2) नियुक्ति हेतु व्यावसायिक तैयारी

नियुक्ति के सम्बन्ध में सचालित व्यावसायिक तैयारी तीन सामान्य प्रकार की होती है - (1) पहले प्रकार में विद्यार्थी विद्यालय में रहता है और उसकी नियुक्ति प्रधानत उसकी व्यावसायिक तैयारी योगदान के साधन के रूप में समझी जाती है। कुछ स्थितियों में आधा समय विद्यालय में बिताता है और आधा काम में, जबकि कुछ अन्य स्थितियों में विद्यालय में व्यतीत समय का अनुपात कम होता है। (2) दूसरे

7 कोठारी शिक्षा आयोग की रिपोर्ट, पृ 440

प्रकार में प्रदानत वह एक कर्मचारी होता है और विद्यालय पहले से सलगन काम प्रयत्न  
 अथ भावी काम के लिए उसे अधिक प्रशिक्षण देने में सहायता प्रदान करता  
 है। विद्यालय में प्रति सप्ताह केवल कुछ घंटे बिताना पड़ता है। (3) तीसरे प्रकार में  
 सीखने वाला विद्यालय में बिल्कुल समय बिना ही काम के सम्बन्ध में कुशलता  
 एवं ज्ञान प्राप्त कर लेता है। पहले प्रकार में 'विधि-आजीविका' सम्बन्धी कार्यक्रम  
 होते हैं। दूसरे प्रकार में आर्थिक काल विद्यालय, व्यस्क के लिए 'अनुभव-आजीविका'  
 सांख्यिक कक्षाएँ, कभी कभी इन तीनों समन्वित रूप से 'अनुभव विद्यालय' कहते हैं।  
 तीसरे प्रकार में काम के समय प्रायः सह-कर्मचारी द्वारा प्रदान की गयी अत्यधिक  
 प्रतियोगितात्मक शिक्षा निहित रहती है।

सहकारी एवं आजीविका-कार्यक्रम — सहकारी योजना के अन्तर्गत विद्यार्थी  
 युग्म काम करता है। एक काम में लगा रहता है दूसरा विद्यालय में और ये दोनों  
 अलग-अलग एक सप्ताह या इससे अधिक काल तक काम करते हैं। आजीविका योजना  
 के अन्तर्गत प्रत्येक विद्यार्थी सामान्यतः आधा दिन काम-काज में बिताता है और आधे  
 दिन विद्यालय में। विद्यालय में आधे समय तक सामान्य रूप से प्रतिदिन सम्बन्धित विषय  
 की शिक्षा देता है। इस व्यवस्था में कई विभिन्न आजीविकाओं का प्रतिनिधित्व कर  
 सकता है। विद्यार्थी पूराकाल में नियुक्ति के तुरन्त पहले सम्पूर्ण दिन के कार्यक्रम में  
 आजीविका की तैयारी के बाद आजीविका कार्यक्रम में विशिष्ट आजीविका की तैयारी  
 की ओर अग्रसर होता है।

प्रशिक्षित शिक्षा — इस प्रकार की व्यावसायिक तैयारी के लिए विद्यालय,  
 नियोजताओं और कर्मचारियों के बीच सहयोग आवश्यक है।  
 अशकालीन विद्यालय — व्यावसायिक तैयारी जो नियुक्ति प्रारम्भ होने के बाद  
 प्रदान की जाती है। इनका लक्ष्य युवा कर्मचारियों को उनके रोजगार के जीवन में  
 आवश्यक अभियोजन स्थापित करने में सहायता करना तथा विशेष आजीविकाओं के  
 लिए प्रशिक्षण प्रदान करना है।

सध्या विद्यालय एवं कक्षाएँ — व्यस्क कर्मचारियों के दैनिक अनुभवों की  
 अनुभूति करना और जिन आजीविकाओं में पहले से सलगन है उनमें उन्हें  
 अधिक प्रयोग बनाना। कुछ हद तक औद्योगिक आजीविकाओं की तैयारी सध्या विद्या  
 लयों में प्रदान की जाती है। ये विद्यालय सभी प्राण-वर्ग के व्यस्क कर्मचारियों को  
 व्यावसायिक विस्तार-शिक्षा प्रदान करने के महत्वपूर्ण साधन हैं।  
 कामकाज में कार्यरत रहकर तैयारी — अलग से समय की व्यवस्था किए बिना  
 स्वतः ही कामकाज में बहुत अधिक मात्रा में व्यावसायिक शिक्षा घटित होती है।  
 सह-कर्मचारी सीखने वाले को यत्र-तत्र प्रशिक्षण या संकेत द्वारा सहायता प्रदान  
 करता है।

### (३) आजीविका परिवर्तन के लिए तैयारी

व्यापार में मंदी की अवस्था अथवा अन्य कारणों से सेवा से मुक्ति करने, उद्योग सम्बन्धी बेरोजगारी, नये उद्योगों के विकास एवं आजीविकाओं में ऐच्छिक परिवर्तनों का कारण यह एक स्थायी समस्या बनी हुई है। प्रतिव्यय व्यस्क कमचारियों को आजीविका परिवर्तन के लिए बाध्य होना पड़ता है। इसके लिए औद्योगिक पुनर्शिक्षा की पक्की व्यवस्था की आवश्यकता है। बुद्धि स्थितियों में पुराने कार्य को छोड़ने से पहले ही परिवर्तन की प्रत्याशा कर ली जाती है और आवश्यक तयारी भी प्राप्त कर ली जाती है। अन्य स्थितियों में अचानक परिवर्तन आ जाता है और कम-चारी का नया कार्य में लग जाना पड़ता है जिनके लिए पूर्व में प्रशिक्षण प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। अनेक स्थितियों में परिवर्तन के साथ-साथ प्रायः बेरोजगारी की एक लम्बी अवधि आती है और जब व्यक्ति बेरोजगार रहता है तो यह तयारी प्राप्त की जाती है।

आर्थिक एवं सामाजिक प्रवृत्तियों का व्यावसायिक तैयारी के साथ सम्बन्ध व्यावसायिक तैयारी कार्यक्रम के अभिप्राय की भिन्नि प्रभावशाली ढंग से तभी हो सकती है जब व्यावसायिक शिक्षा के नेता व्यापार उद्योग राष्ट्रीय आवश्यकताओं में हानि वाले परिवर्तनों के प्रति निरंतर सतर्क रहें और सामान्यतः सामाजिक समस्याओं में अनसतर्कता की बड़ी आवश्यकता होती है। जब तक शक्ति नेता इन प्रवृत्तियों पर तथा इनके सहस्र अन्य प्रवृत्तियों पर ध्यान नहीं देगा और जहाँ परिवर्तन की स्पष्ट आवश्यकता हो, वहाँ शीघ्र ही परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक व्यावसायिक शिक्षा भावी कार्य की तैयारी के बदले प्राचीन आजीविकाओं की तैयारी मान रहे जाएगी।<sup>18</sup>

उपसंहार—व्यावसायिक तैयारी कुशलता पूर्वक प्रदान करना वांछित है लेकिन वह हतैयारी प्रत्यक्ष व्यय साध्य भी होनी चाहिए। यदि इस तैयारी के लिए शिक्षण मस्यारों अपने ऊपर उत्तरदायित्व ही लेती हैं तो सभी के लिए समान शक्ति अवसर' नारा मान्य रह जायगा। व्यावसायिक तैयारी एक शक्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत ही जाना जाता है। विद्यालय शक्ति कार्यक्रमों को करने के अभिप्राय से स्थापित समाज का चयनित अभिकरण है। भारत गरीबों व किसानों का देश है। बहुत बड़ा भाग अतिभावका का निरक्षर है, ऐसी अवस्था में व्यावसायिक तैयारी का उत्तरदायित्व शासनाग्रा को निभाना होगा।

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में तीन सामान्य प्रकारों से व्यावसायिक तैयारी हेतु शिक्षण व्यवस्था का विकास किया जा सकता है— 1 नियुक्ति प्रारम्भ होने के पहले की तैयारी, 2 नियुक्ति के सम्बन्ध में तैयारी, 3 नियुक्ति के परिवर्तन के लिए तैयारी। इनमें से तीनों सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों के अन्तर्गत कृषि,

<sup>18</sup> चार्ल्स ए. वियड सिडनी वेब और वीयट्टिस वेब, 'लेबर', इन विदर नन काइड पृ 140

व्यापार, गृहविज्ञान, उद्योग व व्यवसाय विशेष के लिए प्रशिक्षण विभिन्न अनुपातों में पाये जाते हैं। शिक्षा में व्यवसाय की तयारी का मुख्य उद्देश्य जात्मनिर्भर बनाना, बेरोजगारी की समस्या को सुलभाना, देश की जाधिक धारा में छात्रों को जोड़ना, ग्रामीण विकास एवं भिन्न-भिन्न सामाजिक एवं जाधिक धारा से आने वालों का उनकी क्षमतानुसार प्रशिक्षण की व्यवस्था करना है।

स्वतंत्रता के बाद देश में 'युनिटादी शिक्षा', 'कार्यानुभव', समाजोपयोगी उत्पादन कार्य एवं समाज सेवा का विभिन्न स्तरों पर समावेश कर परांपरा व अपरोक्ष रूप से प्रभावशाली क्रियावित्ति की प्रेरणक शक्ति को प्रोत्साहित करने पर समाजोपयोगी उत्पादन ही छात्रों में सामुहिक रूप से श्रम काय सामुदायिक सेवा करे। शिक्षा में व्यावसायिक नय तरीके के लिए प्राथमिक कक्षा के सुझाव भी मुख्यतः कार्य आधारित होता है। आज देश की प्राथमिक और मायाजिक परिवर्तनशील व्यवस्थाओं का सामना करने के लिए विद्यालयों द्वारा प्रेरित करना, व्यावसायिक तयारी की प्रभावशाली व्यवस्था में निरन्तर विस्तार एवं पुनर्भियोजन का जारी रहना देश की अनिवार्य आवश्यकता है जिससे उद्योगी नागरिक प्राण हागे जो देश की प्राथमिक, राजनयिक व सामाजिक उन्नति के लिए उपायय निड ह। सकें।

### मूल्यांकन (Evaluation)

- (अ) लघुत्तरात्मक प्रश्न (Short Answer Type Questions)
- (1) सेवाकालीन मध्यापक शिक्षा के पांच कायनों के नाम बताइये। (बीएड पत्रा 1985)
  - (2) यदि समग्र प्राथमिक शिक्षा व्यावसायिक कर दी जाय ता वर्तमान शिक्षा का स्वरूप में पांच महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या होंगे ? (बीएड 1984)
  - (3) शिक्षा एवं राष्ट्रीय उत्पादकता पर टिप्पणी लिखिये। (बीएड 1978)
  - (4) शिक्षा के व्यावसायिककरण और व्यावसायिकता की तयारी के अंतर स्पष्ट कीजिए ?

### (ब) निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

- (1) 'शिक्षा का व्यावसायिककरण में क राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान प्रस्तुत कर सकता है।' इस कथन की विवेचना कीजिये। ऐसे व्यवसायों का सुझाव दीजिये जिनके विषय में पूर-स्नातक शिक्षा-स्तर पर निर्देशन दिया जा सक। (बीएड 1983, 1978)
- (2) 10+2+3 की नई शिक्षा योजना लागू करने में कौन कौन सी प्रमुख समस्याएँ हैं ? (बीएड पत्राचार 1981)
- (3) 'कार्यानुभव' और व्यावसायिक शिक्षा में सम्प्रत्यत विचार या अवधारणा मूलक अंतर क्या है ? राजस्थान उच्च विद्यालयों शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर सन्निविष्ट करने की दृष्टि से क्या योजना अपनाने का विचार कर रहा है ?



## विद्यालय-समुन्नयन-योजना (Institutional Planning)

[विषय-प्रवेश—विद्यालय-समुन्नयन-योजना के विभिन्न अंग—योजना निर्माण विधि—विद्यालय-योजना का एक नमूना—मच्छी समुन्नयन-योजना की विशेषताएँ—योजना में शिक्षक प्रयोगों का स्थान—उपसंहार—परीक्षोपयोगी प्रश्न।]

### विषय-प्रवेश

अध्याय संख्या-12 में अध्यापन काय के नियोजन एवं अध्याय संख्या-17 में विद्यालय-कार्यक्रम के नियोजन का विवचन करते समय शिक्षक-योजना का प्रय, उनका महत्त्व, सिद्धांत, पक्ष, क्रिया वयन एवं मूल्यांकन तथा विद्यालय-योजना के विभिन्न पक्षों पर विस्तार से चर्चा की जा चुकी है। अतः प्रस्तुत अध्याय में उन तथ्यों की पुनरावृत्ति करना वांछनीय नहीं है। पूर्वोक्त तथ्यों के मदद में प्रस्तुत अध्याय में विद्यालय-समुन्नयन योजना के विभिन्न अंगों, उसकी विशेषताएँ तथा शिक्षक प्रयोगों का महत्त्व स्पष्ट किया जायेगा।

### विद्यालय-समुन्नयन-योजना के विभिन्न अंग

विद्यालय-कार्यक्रम के नियोजन के सदर्भ में यह पूरा ही बतलाया जा चुका है कि विद्यालय-कार्यक्रम का नियोजन क्या है, यह क्या किया जाता है नियोजन कौन करे तथा विद्यालय-योजना के विभिन्न क्षेत्र या अंग कौन से होते हैं। यह स्मरण कराना आवश्यक है कि विद्यालय-योजना विद्यालय के विभिन्न पक्षों-शिक्षक, महाशिक्षक तथा भौतिक पक्षों के भिन्न-भिन्न कार्यों में अनुभूत आवश्यकता के अनुसार तथा उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक साधनों के आधार पर सुधार प्रथवा उन्नयन लाने हेतु पूर्व योजना होती है, अतः इसे विद्यालय-समुन्नयन-योजना (School Improvement Plan) कहा जाता है। इसके साथ ही यह भी स्मरण रखना है कि विद्यालय के सामान्य नियमित (Routine) कार्यों की योजना से भिन्न वित्तीय विधि से शाला-कार्यों में सुधार हेतु क्रियावित्त की जाने वाली विशिष्ट योजना है।

विद्यालय-समुन्नयन-योजना के प्रमुख अंग निम्नांकित हैं —

### विद्यालय-योजना के क्षेत्र

1. शिक्षक पक्ष—विद्यालय के शिक्षक काय में सुधार हेतु बनाई

शैक्षिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। जैसे छात्रों की संख्या बढ़ाना, प्रपञ्च्य एवं प्रवरोधन रोकना, विषय-प्रध्यापन में सुधार, परिवीक्षण को प्रभावी बनाना आदि। शिक्षा विभाग राजस्थान के प्रकाशन 'विद्यालय-योजना-2' में शैक्षिक क्षेत्र से सम्बंधित विद्यालय-योजना के चुनाव हेतु निम्नांकित विषय सूची प्रस्तावित की है<sup>1</sup> -

1 छात्रों की संख्या बढ़ाना, 2 प्रपञ्च्य एवं प्रवरोधन रोकना, 3 लिखित काय का संशोधन, 4 'प्रविभक्त इकाई' पद्धति से प्रच्छा प्रध्यापन, 5 वस्त्री सुधार, 6 शिशु-क्रीडा-के ड्र का संचालन, 7 उच्चारण सुधार, 8 कविता-पाठ में सुधार 9 कहानी-प्रभिनयीकरण, 10 मेरा सग्रह, 11 सकलन काय, 12 शब्द भण्डार वृद्धि, 13 मानचित्र-रचना सुधार, 14 सामाय ज्ञान वृद्धि 15 भित्ति (दीवार) पत्रिका, 16 हस्तलिखित पत्रिका, 17 श्रुति लेख, 18 समाचार वाचन योजना, 22 वाचनालय का सदुपयोग, 23 पुस्तकालय का समुचित उपयोग 24 कक्षा पुस्तकालय की व्यवस्था, 25 गणित शिक्षण सुधार, 26 सप्रालय निर्माण।

2 सहशैक्षिक-पक्ष — इसके अंतर्गत विद्यालय के पाठ्यक्रम सहनामी क्रिया कलाओं में सुधार हेतु बनाई गई योजना होती है। 'विद्यालय-योजना-2' में इस क्षेत्र की निम्नांकित सूची प्रस्तावित की गई है —

1 व्यायाम शिक्षण सुधार, 2 खेल कूद सुधार 3 सामूहिक वी टी 4 बाल-सभा 5 राष्ट्र-गीत धम्यास, 6 समय-पालन, 7 मध्याह्न भोजन की व्यवस्था, 8 हचि काय (हावी) का आयोजन 9 कबिग स्काउटिंग 10 स्वास्थ्य रक्षा, 11 शाला-गणवेश का सुधार, 12 प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम, 13 छात्रों की स्वास्थ्य परीक्षा और उसके बाद सुधार-कार्यक्रम, 14 उत्सव दिवसों का सफल आयोजन 15 प्रध्यापक-प्रभिभावक-सघ, 16 शिष्टाचार 17 प्राचना सभा सुधार।

3 भौतिक पक्ष — योजनाएँ जो शाला भवन, प्राणण उद्यान खेल के मदान, शिक्षण सहायक उपकरणों से सम्बंधित होती है, वे भौतिक पक्ष के अंतर्गत आती जाती है। उसकी प्रस्तावित सूची निम्नांकित है —

1 बाल-वाटिका, 2 फुलवारी जगाना 3 जन सहयोग से शाला भवन निर्माण 4 अंतर्कक्षा सफाई-प्रतियोगिता, 5 विद्यालय की दीवारों पर यथोचित सामग्रियों का प्रदर्शित करना, 6 विद्यालय-प्राणण में सुनिश्चित रूप से वृशारोपण, 7 पर्यजन की उचित देख-रेख।

1 विद्यालय-योजना-2 (शिक्षा विभाग, राजस्थान-पृ० 14-15)

## तना-निर्माण विधि

सुधार हेतु चयनित कार्यों में से प्रत्येक की कार्य योजना बनाई जानी चाहिए। योजना में निम्नांकित पद, चरण या सोपान होते हैं —

कार्य का नाम, 2 वर्तमान स्थिति, 3 उद्देश्य  
क्रियाविति के चरण, 5 उपलब्ध साधन, तथा 6 मूल्यांकन

सम्पूर्ण विद्यालय समुच्चयन योजना का प्रपत्र निम्नांकित होना चाहिए —  
विद्यालय का सामान्य-परिचय, स्थिति, पहुँच के साधन आदि।

विद्यालय का इतिहास-प्रति संक्षेप में।

विद्यालय के प्रपत्र में मुख्य उद्देश्य यदि कोई स्पष्ट हो तो।

विद्यालय की छात्र संरचना तथा वयवहार (निम्नांकित प्रपत्र में)

II तथा वय	छात्र संख्या	बालक	बालिका
1	2	3	4

विद्यालय परिवार निम्नांकित प्रपत्र में —

(अ) प्रध्यापक वय

प्रधानाध्यापक

सहायक "

प्रध्यापक गण

योग

श्री	श्री श्री	श्री श्री	अथ (पी टी भाई टेकनीकल आदि)	योग
------	-----------	-----------	----------------------------	-----

वयवहार

	कला वय	विज्ञान वय	कृषि वय	आदि
संख्या	ट्रेड/अनट्रेड	ट्रेड/अनट्रेड	ट्रेड/अनट्रेड	

सिस्ट प्रनुएट

जुएट

इण्ड्री/हामर संरुण्ड्री

टेकनीकल

योग

योग—

2 विद्यालय योजना-3 (शिक्षा विभाग, राजस्थान पृ० 33-34)

विषयवार		उच्च प्राथमिकस्तर	
विषय	प्राथमिकस्तर	विषय	मध्यापको की सख्या
(ब) ग्र य परिवार			
लेखक वग	वरिष्ठ	कनिष्ठ	योग
पुस्तकालयाध्यक्ष	—	—	
प्रयोगशाला सहायक	—	—	
चतुथ श्रेणी कमचारी	—	—	
लेब बॉय (Lab Boy)	—		

6 विषय जो पढाये जाते हो —

विषय	प्राथमिकस्तर छात्र सख्या	उ प्रा स्तर विषय छात्र सख्या
प्रतिवाय		
वैकल्पिक		
उद्योग एव ग्र य		

7 भवन एव उपकरण आदि (निम्नांकित प्रपत्र मे) —

प्रकार	साइज	संख्या	विषय

8 खेल के मदान (निम्नांकित प्रपत्र मे) —

खेल	सख्या	स्थिति (प्राण से दूरी)	स्तर

9 पुस्तकालय मे पुस्तको की सूचि विषयवार ।

10 वाचनालय मे पत्र पत्रिकाओ का विवरण ।

11 परीक्षा-परिणाम प्रत्येक सत्र का कक्षावार ।

12 वर्तमान सत्र मे उपलब्ध काय दिवसो की सख्या (माह एव सप्ताह के दिन मे विभक्त कर)

13 आर्थिक साधन (निम्नांकित प्रपत्र मे) —

राजकीय स्त्र ( )	छात्र बोप सत्र ( )	योग	मद गत सत्र का शेष नया योग

समुनयन काय-बि दु (निम्नांकित प्रपत्र मे) —

पत्र सत्र...	मे लिये गये	इस सत्र	मे प्रस्तावित
(प्र) शिक्षक			
(ब) सह शिक्षक			
(स) भौतिक			
(द) अध्यापक उ ययन			
(ई) विभाग द्वारा प्रसारित			
(फ) प्र य			

हर एक समुनयन काय बि दु की योजना नीचे क शीपको मे दी जाये—

1 समुनयन काय का नाम, 2 प्रभारी शिक्षक/समिति, 3 समिति का जक (यदि हो), 4 मानक अपेक्षाए, 5 वर्तमान स्थिति का विश्लेषण, काय के लक्ष्य एवं समय सीमा, 7 क्रियाविति सम्बन्धी क्रिया पद—(क) समय 1, (ख) साधन-सुविधाए, 8 मूल्यांकन-विधि ।

उपरोक्त शाला-समुनयन-योजना के निर्माण, उच्चाधिकारियो को प्रेरित 1 प्रद सत्रीय मूल्यांकन, सत्र के प्र त का मूल्यांकन तथा प्रतिम रिपोर्ट भेजने निर्धारित तिथिया क्रमश 30 अप्रैल, 7 मई, 30 नवम्बर, 15 अप्रैल तथा अप्रैल है ।

### द्यालय-योजना का एक नमूना<sup>3</sup>

विद्यालय-समुनयन-योजना की एक काय योजना का नमूना प्राथमिक विद्यालय पूर्वोल्लिखित सोपानो मे निम्नांकित है —

कायक्रम का नाम:—'पहली कक्षा मे छात्रो की सख्या मे वृद्धि करना' ।

वर्तमान स्थिति—विद्यालय की छात्र सख्या काफी कम है । केवल 125 विद्यार्थी है । विद्यालय पहली से पाचवी कक्षा तक है । शिक्षक शिक्षार्थी अनुपात 1:25 है । पहली कक्षा में केवल 40 विद्यार्थी हैं ।

उद्देश्य —पहली कक्षा की छात्र सख्या 40 से बढ़ाकर 60 करना ।

क्रियान्विति के चरण —

क्र	पद	प्रभारी अध्यापक	समय	पद पूर्ति की तिथि
1	पांच म स्कून जाने योग्य बालको	कक्षाध्यापक		
	प्र पना लगाना (सर्वेक्षण करना)	(पहली कक्षा)	10 दिन	10 जुलाई

3. विद्यालय-योजना-2 शिक्षा विभाग, राजस्थान-पृ० 16)

2	ऐस बालका के अभिभावका स मिलना व भेजने का साग्रह करना	कक्षाध्यापक (पहली कक्षा)	7 दिन	17 जुलाई
	कक्षाध्यापक के प्रयत्न के बावजूद न जाने वाले बालको के अभिभावको से मिलना	प्रधानाध्यापक	3 दिन	20 जुलाई
4	छात्रो की सस्या बढ़ाने के लिए गाव की पचायत की सहायता से सभा करना	कक्षाध्यापक कक्षा-1 (सहयोगी सभी अध्यापक)	1 दिन	25 जुलाई
5	पहली कक्षा म भर्ती होकर प्रनुपस्थित रहने वाले छात्रो के अभिभावको से मिलना	कक्षाध्यापक कक्षा-1	सप्ताह मे एक दिन	प्रति शनिवार
6	छात्रो के लिए अच्छे खेल-कूद की व्यवस्था	सभी अध्यापक	एक कालाश	प्रतिदिन

5 उपलब्ध साधन — इसके लिये कोई विशेष साधनो की आवश्यकता नहीं है। नि शुल्क पाठ्य-पुस्तकें प्राप्त हुई तो छात्रो म बाट दी जायेंगी। कक्षा 1 क हाजिरी रजिस्टर के माध्यम से उपस्थिति का लेखा जोखा रखा जायेगा।

6 मूल्यांकन — 1 प्रतिमाह सोसत हाजिरी निकाली जायेगी, 2 वर्ष क प त मे प्रारम्भ की हाजरी से तुलना की जाएगी।

### अच्छी समुन्नयन योजना की विशेषताएँ

अच्छी समुन्नयन योजना की निम्नांकित विशेषताएँ हो सकती हैं —

- 1 योजना के निर्माण म सभी सम्बन्धित व्यक्तियो का योगदान रहे, 2 वह महात्वाकांक्षी न हो बर्यात् उपलब्ध समाधनो एवं कामकर्ताओं की क्षमता के प्रनु मूल हो, 3 उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक साधनो का अधिकतम उपयोग हो, 4 समुन्नयन काय विदुषो का चुनाव प्रनुभूत आवश्यकता पर आधारित हो, 5 चयनित काय विदुषो को प्राथमिकता क प्रनुमार क्रियावित दिया जाये, 6 योजना के लक्ष्यो का निधारण सावधानी से हो 7 योजना के क्रिया ब्यन प्रभारी का चुनाव उपमुक्त हो, 8 क्रियावित के समय समुचित शक्ति द्वारा परिवोधोग, निर्देशन एवं मूल्यांकन की व्यवस्था रहे 9 योजना का प्रमिलन सावधानी से रखा जाय 10 योजना समय बद्ध (Time bound) कार्यक्रम क प्रनुमार सम्पन्न की जाय, 11 निष्पाधिकारियो द्वारा इन योजनाओं क सफल क्रिया ब्यन हेतु निरंतर प्रारम्भान मिलता रहे।

## ता मे शैक्षिक प्रयोगो का स्थान—

यह तथ्य स्पष्ट हो चुका है कि विद्यालय समुनयन-योजना की काय योजनाए लय क सामान्य नियमित (Routine) कार्यों की योजनाएँ नहीं है। वस्तुत काय-योजनाओं मे वर्तमान समस्याओं के निराकरण हेतु वैज्ञानिक विधि एव उ प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। समस्याओं के समाधान मे अवेपण ा खोज (Research) का दृष्टिकोण रखा जाता है जिससे समस्या के समा हेतु सभावित उ नत क्रियाओं का प्रयोग कर उनकी प्रभावोत्पादकता सिद्ध की है ताकि शैक्षिक विकास हेतु उ ह विद्यालय की नियमित काय पद्धति के रूप परनाया जा सके। समुनयन योजनाओं मे प्रायोजनाओं (Projects) और ां (Experiments) का विशेष स्थान एव महत्त्व होता है। प्राथमिक एव र प्राथमिक विद्यालयो मे शैक्षिक अनुसंधान की सर्वेक्षण (Survey) तथा ानसंधान (Action Research) की विधियाँ समस्याओं के समाधान हेतु उपयुक्त हैं। त्रिनका उपयोग विद्यालय-समुनयन योजनाओं मे किया जाना चाहिए।

### संहार—

विद्यालय-समुनयन-योजनाएँ इन नवीन धारणा पर आधारित है कि विद्या न-सुधार का योजनाएँ ऊपर से शिक्षाधिकारियों द्वारा विद्यालय पर थोपी न िर उन योजनाओं से प्रभावित सम्बन्धित विद्यालय के व्यक्तियों द्वारा ही बना- र क्रियावित की जायें। इस प्रक्रिया द्वारा विद्यालयों की अनुभूत आवश्यकताओं े पूर्ण एव समस्याओं का निराकरण सम्भव है तथा स्वयं द्वारा निर्मित योजनाओं ि विद्यालयन मे भी सम्बद्ध व्यक्तियों का लगन उत्साह एव अपनत्व की भावना े प्रदान करना स्वाभाविक एव अवश्यमभावी है। इन योजनाओं मे शैक्षिक अनु- ाधान की नवीन दृष्टि अपनाई जाती है जो सामान्य परिणियमित काय (Routine) ो अभिवृत्ति से भिन्न है। यही कारण है कि इन योजनाओं के प्रति कुछ लोगो ो शकाम होती हैं। ये शकाम हैं—1 योजनाओं से शिक्षा मे यत्रीकरण हो ेकेगा, 2 योजनाएँ मात्र कागजी है, 3 वर्तमान गिरत हुए स्तर मे ये सम्भव ेही, 4 समाज का वातावरण दूषित है जो इन योजनाओं के अनुपयुक्त है, 5 शैक्षिक विद्यार्थी व प्रशासक अपने कर्तव्य के प्रति उदासीन है, 6 योजनाएँ ियकों का काय भार बढ़ायेंगे, 7 नियमित काय ही पर्याप्त है तो योजनाओं की े आवश्यकता नहीं है, तथा 8 योजनाओं को सही रूप से नोग अनभिन्न है।<sup>4</sup> शिक्षा विभाग द्वारा प्रकाशित "विद्यालय योजना 3" पुस्तिका मे इन सभी शकामों को निमूल

<sup>4</sup> विद्यालय-योजना-3 (शिक्षा विभाग, राजस्थान-पृ० 45-55)

<sup>5</sup> बर्रोक्त (पृ० 47)

बतलाते हुए विद्यालय-समु नयन-योजनाओं का समर्थन किया है-“मूल बात यह है कि योजना-निर्माण की प्रक्रिया का मूल आधार प्रतिवार्य समानीकरण नहीं है वह है अपनी समस्याओं एवं आवश्यकताओं को एक वैज्ञानिक, तकसगत एवं पूर्व-निर्धारित नियमों के आधार पर हल करने की यादत डालना।”

□ □ □

## मूल्यांकन (Evaluation)

### (अ) लघूत्तरात्मक प्रश्न (Short Answer type Questions)

- 1 प्रभावी सस्थागत योजना बनाने के पाच सिद्धान्त लिखिय ।  
(बी एड 1985)
- 2 विद्यालय योजना (Institutional Planning) से आप क्या समझते हैं?  
(बी एड 1983)
- 3 सस्थानिक योजना से आप क्या समझते हैं ?  
(बी एड 1981, 1979)
- 4 विद्यालय योजना के प्रमुख प्रायाम कौन-कौन से हैं तथा किन शीघकों के अ तगत इसे प्रस्तुत किया जा सकता है ?  
(बी एड पत्राचार 1981)
- 5 विद्यालय योजना के स दम म जे॰पी॰ नाथक ने एक बार कहा था “निम्न लक्ष्य नहीं, अपितु असफलता अपराध है।” इस पर टिप्पणी कीजिए ।  
(बी एड 1978)

### (ब) निबन्धात्मक प्रश्न (Essay type Questions)

- 1 अच्छी समु नयन योजना की क्या विशेषताएँ होनी चाहिए ?
- 2 सफल सस्थागत नियोजन के लिए किन-किन तत्वों का होना आवश्यक है?
- 3 सस्थागत योजना से क्या अभिप्राय है ? सस्थागत योजना और शक्ति विकास कार्यक्रमों को किस प्रकार प्रभावित करता है ? सस्थागत योजना क लाभो का उल्लेख कीजिए ।
- 4 सस्थागत योजना की असफलता के कौन कौन से कारक होते हैं ? एक उपयोगी सस्थागत योजना निर्माण के सोपानों का उल्लेख कीजिए तथा अपने सृजनात्मक सुझाव दाजिए ।



रूपरेखा

[(प्र) व्यक्तिगत स्वास्थ्य — विषय प्रवेश, व्यक्तिगत स्वास्थ्य का अर्थ एव महत्त्व व्यक्तिगत स्वास्थ्य हेतु, शाला के काम, वैयक्तिक स्वच्छता के प्रशिक्षण व उसके स्तर, व्यक्तिगत स्वास्थ्य व व्यक्तिगत स्वच्छता विद्यालय में चिकित्सक परीक्षण निरंतर देखभाल का काम, भोजन, बीमारियाँ व उनके लक्षण व बचने के उपाय ।

(ब) विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम — विषय प्रवेश स्वास्थ्य कार्यक्रम के अर्थ, स्कूल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के उद्देश्य, स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम में प्रधानाध्यापक व अध्यापक के कर्तव्य, सुधार हेतु सुझाव, उपसहार-मूल्यांकन ।]

विषय प्रवेश — स्वास्थ्य विज्ञान का क्षेत्र अत्यंत ही विस्तृत है । इसके अंतर्गत उन सभी विज्ञानों का समावेश हो जाता है जो बाल्यवस्था से वृद्ध अवस्था तक मनुष्य को स्वस्थ जीवन प्रदान करने में लाभकारी सिद्ध होता है जैसे शरीर प्रिया विज्ञान (फिजियोलोजी) शरीर रचनाशास्त्र (एनोटोमी), रोग के लक्षण (सिम्प्टमस) क्रमशः हम स्वस्थ अवस्था में शरीर के विभिन्न अवयवों की कार्य प्रणाली, बालकों के स्वास्थ्य विज्ञान का ज्ञान तथा स्कूल के बच्चों में साधारणतः पाये जाने वाले रोगों के लक्षणों से अवगत करवाता है । इनके बिना प्रारम्भिक परीक्षा, कारण तथा उनका निदान मुश्किल हो सकता है । अतः प्रो. ली. केलीफोर्ड ने—'स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत स्कूल और स्कूल के बाहरी अनुभव जो प्राप्त होते हैं जो व्यक्ति वगैरे और समाज के स्वास्थ्य से सम्बंध रखने वाली समस्त प्रादता, मनोवृत्तियों और ज्ञान को प्रभावित करते हैं ।' परंतु इन सभी को रोगों एव अपरिपक्व रूप में विद्यालयी स्वास्थ्य कार्यक्रम को नहीं अपितु सामाजिक स्वास्थ्य शिक्षा तथा व्यक्तिगत स्वास्थ्य तक को प्रभावित किए बगैरे नहीं रह सकती क्योंकि इस शिक्षा में भी व्यक्ति प्रधान है अतः व्यक्तिगत स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में छात्रों का अभिभावकों द्वारा शाला में प्रविष्ट होने से पूर्व स्वास्थ्य सम्बंधित शिक्षा अनौपचारिकरूप से दी जाती है ।

श्रीमती रे "विद्यालय के आरोग्यपूर्ण वातावरण के साथ व्यक्तिगत और सामाजिक स्वास्थ्य की आदतों के विकास करने की अनुमति की है क्योंकि व्यक्तिगत स्वास्थ्य आवश्यक है । स्वास्थ्य शिक्षा के मोटे तौर पर तीन उपभाग व्यक्तिगत

सामाजिक व विद्यालयी स्वास्थ्य शिक्षा है।" व्यक्तिगत स्वास्थ्य और स्वच्छता का ध्यान रखना केवल व्यक्तिगत हित का विषय नहीं अपितु प्रत्येक नागरिक का यह सामाजिक कर्तव्य है कि वह अपनी निजी और घर की तथा भास-पड़ोस की स्वच्छता में पूरा सहयोग दे। यदि सभी नागरिक व्यक्तिगत स्वास्थ्य और स्वच्छता का ध्यान रखेंगे तो सामाजिक स्वास्थ्य और स्वच्छता का उद्देश्य स्वतः ही पूरा हो जाएगा। विद्यालय का यह उत्तरदायित्व है कि वह छात्रों को स्वच्छता और स्वास्थ्य के सामान्य नियमों का पान कराए इनकी विधियों पर प्रकाश डाले तथा अस्वस्थ और अस्वच्छता को दूर करने के उपायों में परिचित कराए तथा छात्रों में अच्छी आदतों का निर्माण करवाने का सफल प्रयास करें।

### व्यक्तिगत स्वास्थ्य का अर्थ एवं महत्त्व

व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए शरीर के सम्पूर्ण अवयवों की बनावट और उनके काम का ज्ञान, भोजन, जल और वायु का ज्ञान, मुँह, दाँत, बाल, त्वचा, श्वाँस नाखून आदि की स्वच्छता, विभिन्न ऋतुओं में पहिने जाने वाले वस्त्रों का पान व उनकी स्वच्छता, व्यायाम, एकान्ति, विश्राम, थकान को दूर करने के उपाय, सतुलित शरीर भार, आसन, विभिन्न प्रकार के सकारण रोग तथा उनकी रोकथाम आदि का पान आवश्यक है। जिससे हमारे शरीर को कोई रोग न लग और उसके विकास का क्रम ठीक चलता रहे तथा हम स्वस्थ रहें। इही ज्ञान गरी से ही बालक में अच्छी आदतों का निर्माण और स्वच्छता की वृत्ति उत्पन्न होती है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य शरीर के बाहरी धर्मों की स्वच्छता तथा सुरक्षा में सम्बन्धित है जिसे भी उतना ही महत्त्व दें जितनी कि सामाजिक एवं सव्ययन आरोग्य को ली जाती है। व्यक्तिगत आरोग्य का सम्बन्ध मुख्य रूप से बाल-जीवन की दो बुराईयों से जाड़ा जा सकता है—लापरवाही तथा अस्वच्छता। वही बुराईयों के फलस्वरूप बालक कई तरह के रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं।

बालकों में अनेक रोगों एवं व्याधियों के लिए जहाँ तक उनकी अपनी लापरवाही तथा अस्वच्छ रहने की प्रकृति जिम्मेदार है वहाँ उनका अभिभावकों की अक्षिभा एवं अन्याय कुछ कम जिम्मेदार नहीं है। अस्तव्य बालक विद्यालय में प्रवेश करते समय अनेकों ऐसे रोगों एवं दोषों से पीडित होते हैं जिन्हें उनके माँ-बाप की तनिक-सी सावधानी में बचाया जा सकता था। अतः वैयक्तिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में शिक्षका का यह भी धर्म हा जाता है कि वे बालकों में स्वास्थ्य के प्रति जागृति उत्पन्न करने के साथ-साथ उनके अशिक्षित अभिभावकों के प्रशिक्षण के प्रति भी रुचि प्रदर्शित करें।

भारत जैसे दश में जहाँ अधिकांश बालक निचले, अशिक्षित एवं गरीब स्थितियों में रहने वाले परिवारों से सम्बन्धित हैं वे अपने परिवार तथा आस पास में घन

जाने ही अनेको अस्वस्थ्य आदतें सीख लेते है । ऐसी परिस्थितियों मे विशेष रूप से उह स्वास्थ्यकारी आदतों का सिखाया जाना शिक्षको का पुनीत कर्त्तव्य है ।

## व्यक्तिगत स्वास्थ्य हेतु विद्यालय के कार्य

- 1 बालक म ऐसी आदते डाने जिससे वे प्राकृतिक आवश्यकताओ से निवृत्त होकर दैनिक काय म चुस्ती से लगे ।
- 2 बालका के समक्ष अनुकरणीय आदत प्रस्तुत करें जिससे व्यसनो सबचा जाय ।
- 3 त्वचा की सफाई की शिक्षा दी जाय ।
- 4 बालको को स्नान और उमरू लाभो से अवगत कराया जाय ।
- 5 नेत्रों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाय ।
- 6 नाखूना के अगत हिस्सो के नीचे मल जमी रहती है जिसस रोगिले कीटाणु पलत रहते हैं अत उह उसकी सफाई के लिए सचेत करें ।
- 7 बालो के कई प्रकार के रोगो से बचने हेतु उनकी सफाई की आवश्यकता पर प्रकाश डालें ।
- 8 कान की सफाई की आवश्यकता का बरण किया जाय ।
- 9 दान का सफाई न रखने पर रोग के कीटाणु पनप जाते है और भोजन के साथ शरीर क अंदर जाकर नुक्सान करते हैं अत इसकी सफाई के बारे म व्यापक ज्ञान प्रदान किया जाना वाछित है ।
- 10 वस्त्रो की सफाई के बारे म छात्रो को सचेत किया जाय । वस्त्र हमारे शरीर को गर्मी सर्दी और तज वायु से रक्षा करता है । हल्के तथा कम बजनी वस्त्रो को पहनन हेतु उत्प्ररित किए जाय ।
- 11 विद्यालय-चिकित्सक द्वारा छात्रो का स्वास्थ्य परीक्षण होना चाहिए । छात्रो व अभिभावको को उनके दोष दूर करने के उपाय बताय जाएं ।
- 12 छात्रो को शारीरिक क्षमता व उम्र के अनुरूप व्यायाम करवाया जाय ।
- 13 पोष्टिक-भाजन करने व उनके गुणा पर प्रकाश डाला जाय । स्वादिष्ट भोजन का पोष्टिक हाना जरूरी नहीं हाता ।
- 14 छात्रो को निद्रा की उपयुक्त परिस्थितियों का ज्ञान कराया जाय ।
- 15 विद्यालय का वातावरण स्वास्थ्यवद्धक हो ।

## व्यक्ति स्वच्छता के प्रशिक्षण व उनके स्तर

बालक की मनोवैज्ञानिक विकास की दष्टि से उसके जीवनकाल को तीन पृथक स्तर (Stages) म विभाजित किया जा सकता है —

- 1 जब बालक मे तक शक्ति का अभाव होता है,
- 2 जब बालक सामाजिक मायता (Social approval) तथा प्रशंसा (Appreciation) का इच्छुक होता है, तथा
- 3 जब बालक म स्वाभिमान की भावना जागृत हो जाती है ।

इन तीनों स्तरों के बीच कोई निश्चित सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है। शिक्षक को अपने अनुभव के आधार पर यह जात करने योग्य होना चाहिए कि बालक किस समय किस स्तर पर है तभी वह स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम की ठीक ढंग से योजना बना सके।

प्रथम स्तर पर अभ्यास एवं अनुकरण द्वारा ही स्वास्थ्य शिक्षा दी जानी चाहिए। रुमाल का प्रयोग दाँतों की सफाई समय पर सोना, उठना, शौच जाना तथा भोजन करना, यह सब बातें उसे निरन्तर अभ्यास द्वारा ही सिखाई जानी चाहिए। इस स्तर पर अभ्यास की प्रमुखता के कारण इसे ड्रिल जोर अभ्यास स्तर (Practice Stage) भी कहते हैं।

द्वितीय स्तर पर बालक को मे स्वस्थ ढंग से रहने की आदत का विकास करने में स्कूल-भवन की स्वच्छता, नियमितता (Orderliness), व्यवस्था द्वारा अधिष्ठान रखते हैं। बालक द्वारा की गई भूलों पर शर्मिन्दा नहीं करना चाहिए वस्तु सफलताओं पर प्रशंसा की जाय।

इस अवस्था के बाद बालक कुछ बड़ा हो जाता है। वह जान-बूझकर एक कार्य करता है जो उसे दूसरों की दृष्टि में ऊँचा उठा सके तथा उस सम्मान एवं मान्यता प्रदान करा सके। विशेष रूप से वह अपने अभिभावकों व बड़े भाई बहनों तथा शिक्षकों द्वारा अपनी सफलता पर प्रशंसा की आशा रखता है। इस स्तर पर शिक्षक को बालक के सामने अपना आदर्श उपस्थित करना चाहिए जिससे वह अनुकरण द्वारा अच्छी आदतें सीख सके। छात्रों में स्पर्धा व चिह्न जीवन के लिए उत्प्रेरित करना चाहिए और उत्साह बढ़ाने का सफल प्रयास भी।

तृतीय स्तर पर बालक की तार्किक बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है। वह अध्ययन के आधार पर अपना एक आदर्श बना लेता है और उसी के अनुसार कार्य करने में आत्मसंतोष का अनुभव करता है। उस समय उसे किसी की प्रशंसा एवं बुराई की कोई परवाह नहीं होती है। इस स्तर पर स्वास्थ्य शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो तक सगत हो जिससे बालक उसकी अच्छाई या बुराई को समझ कर उस पर प्रभाव डाल सकें।

### व्यक्तिगत स्वास्थ्य व व्यक्तिगत स्वच्छता

#### (Personal health & Personal Cleanliness)

हमारे विद्यालयों में अधिकांश बालक निधन, अशिक्षित एवं गरीबी वस्ति में रहने वाले परिवारों से सम्बंधित हैं वे अपने परिवार तथा पास पड़ोस में मनजाने ही अपना प्रस्वस्थ्य आदतें सीख लेते हैं। ऐसी परिस्थितियों में विशेष रूप से उन्हें स्वास्थ्यकारी आदतों का सिखाना अध्यापकों का परम कर्तव्य हो जाता है। यदि बालक घर से हाथ-मुँह धोकर, नहाकर तथा दाँत साफ करके स्कूल नहीं आते हैं तो उनसे यह सब स्कूल भवन में उपलब्ध सुविधाओं के

रूपरेखा

[(अ) व्यक्तिगत स्वास्थ्य — विषय प्रवेश, व्यक्तिगत स्वास्थ्य का अर्थ एवं महत्त्व व्यक्तिगत स्वास्थ्य हेतु, शाला के काय, वैयक्तिक स्वच्छता के प्रशिक्षण व उसके स्तर, व्यक्तिगत स्वास्थ्य व व्यक्तिगत स्वच्छता विद्यालय में चिकित्सक परीक्षण निरंतर देखभाल का काय, भोजन, बीमारिया व उनके लक्षण व बचने के उपाय ।

(ब) विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम — विषय प्रवेश स्वास्थ्य कार्यक्रम के अर्थ, स्कूल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के उद्देश्य, स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम में प्रधानाध्यापक व अध्यापक के कर्तव्य, सुधार हेतु सुझाव, उपसहार-मूल्यांकन ।]

विषय प्रवेश — स्वास्थ्य विज्ञान का क्षेत्र अत्यंत ही विस्तृत है । इसके अन्तर्गत उन सभी विज्ञानों का समावेश हो जाता है जो बाल अवस्था से वृद्ध प्रवस्था तक मनुष्य को स्वस्थ जीवन प्रदान करने में लाभकारी सिद्ध होता है जैसे शरीर क्रिया विज्ञान (फिजियोलोजी) शरीर रचनाशास्त्र (एनाटोमी), रोग के लक्षण (सिम्प्टमस) क्रमशः हमें स्वस्थ अवस्था में शरीर के विभिन्न अवयवों की कार्य-प्रणाली, बालका के स्वास्थ्य विज्ञान का ज्ञान तथा स्कूल के बच्चों में साधारणतः पाये जाने वाले रोगों के लक्षणों से अवगत करवाते हैं । इनके बिना प्रारम्भिक परब, कारण तथा उनका निदान मुश्किल हो सकता है। अतः प्रो ली केलोफोड ने—'स्वास्थ्य शिक्षा के अन्तर्गत स्कूल और स्कूल के बाहरी अनुभव जो प्राप्त होते हैं जो व्यक्ति वय और समाज के स्वास्थ्य से सम्बन्ध रखने वाली समस्त भावना, मनोवृत्तियों और ज्ञान को प्रभावित करते हैं ।' परन्तु इन सभी को परोक्ष एवं अपरोक्ष रूप से विद्यालयी स्वास्थ्य कार्यक्रम को नहीं अपितु सामाजिक स्वास्थ्य शिक्षा तथा व्यक्तिगत स्वास्थ्य तक को प्रभावित किए वगैर नहीं रह सकती क्योंकि इस शिक्षा में भी व्यक्ति प्रधान है अतः व्यक्तिगत स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में छात्रों का अभिभावकों द्वारा शाला में प्रविष्ट होने से पूर्व स्वास्थ्य सम्बन्धित शिक्षा अनौपचारिकरूप से दी जाती है ।

श्री मती ने "विद्यालय के आरोग्यपूर्ण वातावरण के साथ व्यक्तिगत और सामाजिक स्वास्थ्य की आदतों के विकास करने की अनुशंसा की है क्योंकि व्यक्तिगत स्वास्थ्य आवश्यक है । स्वास्थ्य शिक्षा के मोटे तौर पर तीन उपभाग व्यक्तिगत

सामाजिक व विद्यालयी-स्वास्थ्य शिक्षा है।" व्यक्तिगत स्वास्थ्य और स्वच्छता का ध्यान रखना केवल व्यक्तिगत हित का विषय नहीं अपितु प्रत्येक नागरिक का यह सामाजिक कर्तव्य है कि वह अपनी निजी और घर की तथा भ्रास-पड़ोस की स्वच्छता में पूरा सहयोग दे। यदि सभी नागरिक व्यक्तिगत स्वास्थ्य और स्वच्छता का ध्यान रखेंगे तो सामाजिक स्वास्थ्य और स्वच्छता का उद्देश्य स्वतः ही पूरा हो जाएगा। विद्यालय का यह उत्तरदायित्व है कि वह छात्रों को स्वच्छता और स्वास्थ्य के सामान्य नियमों का पान कराए इनकी विधियों पर प्रकाश डाले तथा अस्वस्थ और अस्वच्छता को दूर करने के उपायों से परिचित कराए तथा छात्रों में अच्छी आदतों का निर्माण करवाने का सफल प्रयास करे।

### व्यक्तिगत स्वास्थ्य का अर्थ एवं महत्त्व

व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए शरीर के सम्पूर्ण घटकों की वनावट और उनके काय का पान भोजन जल और वायु का पान मुँह, दाँत बाल त्वचा आँत नाखून आदि की स्वच्छता, विभिन्न श्रुतुओं में पहिन जाने वाले वस्त्रों का पान व उनकी स्वच्छता, व्यायाम, मकान निर्मा विधाम यकान को दूर करने के उपाय स तुलित शरीर भार, आसन, विभिन्न प्रकार के सक्रामक रोग तथा उनकी रोकथाम आदि का पान आवश्यक है। जिससे हमारे शरीर को कोई रोग न लग और उसके विकास वा क्रम ठीक चलता रहे तथा हम स्वस्थ रहे। इही जान कारी से ही बालक में अच्छी आदतों का निर्माण और स्वच्छता की वृत्ति उत्पन्न होती है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य शरीर के बाहरी अंगों की स्वच्छता तथा सुरक्षा से सम्बन्धित है जिसे भी उतना ही महत्त्व दे जितनी कि सामाजिक एवं सस्यान आरोग्य को दी जाती है। व्यक्तिगत आरोग्य वा सम्बन्ध मुरय रूप स बाल-जीवन की दो बुराइयों से जोड़ा जा सकता है—नापरवाही तथा अस्वच्छता। इही बुराइयों के फलस्वरूप बालक बड़े तरह के रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं।

बालको के अनेकों रोगों एवं व्याधियों के लिए जहाँ तक उनकी अपनी साप रवाही तथा अस्वच्छ रहने की प्रकृति जिम्मेदार है वहाँ उनके अभिभावकों की अशिक्षा एवं अज्ञान कुछ कम जिम्मेदार नहीं है। अमरय बालक विद्यालयों में प्रवेश करते समय अनेकों ऐंसे रोगों एवं दोषों से पीडित होते हैं जिन्हें उनके माँ-बाप की तनिक-सी सावधानी से बचाया जा सकता था। अतः वैयक्तिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में शिक्षकों का यह भी धम हो जाता है कि वे बालकों में स्वास्थ्य के प्रति जागृति उत्पन्न करने के साथ-साथ उनके अशिक्षित अभिभावकों के प्रशिक्षण के प्रति भी रुचि प्रदर्शित करें।

भारत जैसे देश में जहाँ अधिकांश बालक निधन, अशिक्षित एवं गन्दी बस्तियों में रहने वाले परिवारों से सम्बन्धित हैं वे अपने परिवार तथा आस-पास में घन

जाने ही अनेको अस्वस्थ्य आदते सीख लेते है । ऐसी परिस्थितियो म विशेष रूप स उ हें स्वास्थ्यकारी आदतों का सिखाया जाना शिक्षको का पुनीत कर्त्तव्य है ।

### व्यक्तिगत स्वास्थ्य हेतु विद्यालय के कार्य

- 1 बालक म ऐसी आदतें डाने जिससे वे प्राकृतिक आवश्यकताओ से निवृत्त होकर दैनिक काय म चुस्ती से लगे ।
- 2 बालको के समक्ष अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत कर जिससे व्यसनो सबचा जाय ।
- 3 त्वचा की सफाई की शिक्षा दी जाय ।
- 4 बालको को स्नान और उमके लाभो से अवगत कराया जाय ।
- 5 नेत्रों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाय ।
- 6 नाखूनो के अगल हिस्सा के नीचे मैल जभी रहती है जिससे रोगिले कीटाणु पलत रहते हैं अत उ ह उसकी सफाई के लिए सचेत करें ।
- 7 बालो के कई प्रकार के रोगा से बचने हेतु उनकी सफाई की आवश्यकता पर प्रकाश डालें ।
- 8 नान की सफाई की आवश्यकता का वणन किया जाय ।
- 9 दांत की सफाई न रखने पर रोग के कीटाणु पनप जाते हैं और भोजन के साथ शरीर के अंदर जाकर नुक्सान करते ह अत इसकी सफाई के बारे म व्यापक नान प्रदान किया जाना वाछित है ।
- 10 वस्त्रो की सफाई के बारे म छात्रो का सचेत किया जाय । वस्त्र हमारे शरीर को गर्मी सर्दी और तेज वायु से रक्षा करता है । हल्के तथा कम वजनो वस्त्रा का पहनने हेतु उत्प्रेरित किए जाय ।
- 11 विद्यालय-चिकित्सक द्वारा छात्रा का स्वास्थ्य परीक्षण होना चाहिए । छात्रा व अभिभावको को उनके दोष दूर करने के उपाय बताये जाएँ ।
- 12 छात्रा को शारीरिक क्षमता व उम्र के अनुरूप व्यायाम करवाया जाय ।
- 13 पीष्टिक-भोजन करने व उनके गुणो पर प्रकाश डाला जाय । स्वादिष्ट भोजन का पीष्टिक होना जरूरी नहीं होता ।
- 14 छात्रो को निद्रा की उपयुक्त परिस्थितियो का नान कराया जाय ।
- 15 विद्यालय का वातावरण स्वास्थ्यवद्धक हो ।

### व्यक्तिक स्वच्छता के प्रशिक्षण व उनके स्तर

बालक की मनोवैज्ञानिक विकास की दृष्टि से उसके जीवनकाल को तीन पृषक स्तर (Stages) म विभाजित किया जा सकता है —

- 1 जब बालक म तक शक्ति का अभाव होता है,
- 2 जब बालक सामाजिक मायता (Social approval) तथा प्रशंसा (Appreciation) का इच्छुक होता है, तथा
- 3 जब बालक म स्वाभिमान की भावना जागृत हो जाती है ।

इन तीनों स्तरों के बीच कोई निश्चित सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है। शिक्षक को अपने अनुभव के आधार पर यह जात करने योग्य होना चाहिए कि बालक किस समय किस स्तर पर है तभी वह स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम की ठीक ढंग से योजना बना सके।

प्रथम स्तर पर अभ्यास एवं अनुकरण द्वारा ही स्वास्थ्य शिक्षा दी जानी चाहिए। रूमाल का प्रयोग दातों की सफाई, समय पर सोना, उठना, शौच जाना तथा भोजन करना, यह सब बातें उसे निरंतर अभ्यास द्वारा ही सिखाई जानी चाहिए। इस स्तर पर अभ्यास की प्रमुखता के कारण इस ड्रिल और अभ्यास स्तर (Practice Stage) भी कहते हैं।

द्वितीय स्तर पर बालको में स्वस्थ ढंग से रहने की आदत का विकास करने में स्कूल-भवन की स्वच्छता, नियमितता (Orderliness) व्यवस्था द्वारा अधिक महत्व रखते हैं। बालको द्वारा की गई भूला पर शर्मिन्दा नहीं करना चाहिए बल्कि सफलताओं पर प्रशंसा की जाय।

इस अवस्था के बाद बालक कुछ बड़ा हो जाता है। वह जान-बूझकर ऐसे कार्य करता है जो उसे दूसरों की दृष्टि में ऊँचा उठा सकें तथा उस सम्मान एवं मायता प्रदान करा सकें। विग्न रूप से वह अपने अभिभावकों व बड़े भाई बहनों तथा शिक्षकों द्वारा अपनी सफलता पर प्रशंसा की आशा रखता है। इस स्तर पर शिक्षक को बालको के सामने अपना आदर्श उपस्थित करना चाहिए जिससे वे अनुकरण द्वारा अच्छी आदतें सीख सकें। छात्रों में स्पर्धा व जिह्म जितने के लिए उत्प्रेरित करना चाहिए और उत्साह बढ़ाने का सफल प्रयास भी।

तृतीय स्तर पर बालक की तार्किक बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है। वह अध्ययन के आधार पर अपना एक आदर्श बना लेता है और उसी के अनुसार कार्य करने में आत्म-मत्तों का अनुभव करता है। इस समय उस किसी की प्रशंसा एवं बुराई की कोई परवाह नहीं होती है। इस स्तर पर स्वास्थ्य शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो तक सगत हो जिससे बालक उसकी अच्छाई या बुराई को समझ कर उस पर अमल कर सकें।

## व्यक्तिगत स्वास्थ्य व व्यक्तिगत स्वच्छता

### (Personal health & Personal Cleanliness)

हमारे विद्यालयों में अधिकांश बालक निधन, अशिक्षित एवं गरीब बस्तियों में रहने वाले परिवारों से सम्बंधित हैं व अपने परिवार तथा पाम पड़ोस में अनजाने ही अनेकों अस्वस्थ आदतें सीख लेते हैं। ऐसी परिस्थितियों में विशेष रूप से उन्हें स्वास्थ्यकारण आदतों का सिखाना अभ्यासकों का परम कर्तव्य हो जाता है। यदि बालक घर में हाथ-मुँह धोकर नहाकर तथा दाँत साफ करके स्कूल नहीं आते हैं तो उनसे यह सब स्कूल भवन में उपलब्ध सुविधाओं के



प्रतगत शिक्षको को देख रख मे कराया जाना चाहिए । स्कूल कायक्रम म दनिक स्वच्छता निरीक्षण तथा छोटी कन्हाओ म स्वास्थ्यकारी कृत्यो जैसे दात साफ करना खाना खाने से पहिले हाथ-मुँह धोना तथा वाद म कुल्ला करना आदि की नियमित ड्रिल (भ्रन्यास) निश्चित रूप से बालको मे स्वस्थ जादतो के विकास म सहायक सिद्ध होते है ।

बालको के वतमान व भविष्य के जीवन को सुखी बनाने के लिए शरीर का स्वास्थ्य और शक्तिशाली होना भी अत्यंत आवश्यक है उसके लिए अध्यापको का यह दायित्व है कि वे बालका मे स्वास्थ्य के प्रति जागृति उत्पन्न करने के साथ साथ उनके अशिक्षित अभिभावको को भी प्रशिक्षण के प्रति रुचि प्रदर्शित करें । व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता (Personal Cleanliness) आवश्यक है जिसका क्षेत्र है—1 सूर्य स्नान (Sun Bathing), 2 हाथ मुँह धोना (Washing), 3 त्वचा का स्वास्थ्य एवं स्नान (Care of skin and Bathing), 4 बालो, उगलियो नाखूनो, दाँता, नाक नेत्र तथा गल को सफाई, तथा 5 बस्त्रो एवं जूतो की उपयुक्तता एवं सफाई ।

### विद्यालय मे चिकित्सक-परीक्षण

हमारे देश म शिक्षा संस्थाओ म इस पहलू की ओर भी कम ध्यान दिया गया है । हमारे विचार म एक प्रतिशन से अधिक ऐसे विद्यालय नहीं है जहाँ पर पूरा रूप से चिकित्सक परीक्षण की व्यवस्था हो । प्राय, यह देखा गया है कि छात्रो की ऊँचाई, कद, वक्ष का फूलना, जादि नापकर सतुष्ट हो जाते है । इस प्रकार स इस बात का आडम्बर रचा जाता है कि विद्यार्थियो की स्वास्थ्य परीक्षा हुई है । वास्तव म डॉक्टरो परीक्षण होता ही नहीं । स्कूलो के प्रधान व अधिकारी इस विषय म अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते । सभी छात्र-छात्राएँ इस विषय से सम्बन्धी शुल्क देते हैं पर तु इस दिशा म उह मिलता कुछ भी नहीं । डॉक्टरो परीक्षण बिल्कुल ही प्रभावहीन है । जबकि इसी के आधार पर बालको के विभिन्न रोगो के बारे म पता चल जाता है कि वे ठीक ढग से विकसित हो रहे है या नहीं । जहाँ प्रतिनिन डॉक्टर आने की व्यवस्था न हो सके तो दैनिक स्वास्थ्य निरीक्षण अध्यापक द्वारा सम्पन्न हो ।

### चिकित्सक परीक्षण उद्देश्य

- 1 विद्यालय म प्रवेश से पूरा भिन्न रोगो के बारे म निदान उपचार दोनों करना ।
- 2 विकास होने म जो दोष हो उनका पता लगाना और उपचार करना ।
- 3 मंद बुद्धि के बालको का पता लगाना और अलग से कक्षा की व्यवस्था करना ।

- 4 डॉक्टरों जांच प्रतिवेदन अभिभावकों द्वारा अवलोकन करने से बालकों के स्वास्थ्य का मालूम पड़ जाता है।
- 5 बालकों में छूत की बीमारी का मालूम होने से भय छात्रों से अलग रखने की व्यवस्था सम्भव।
- 6 डॉक्टरों जांच से अप्रत्यक्ष रूप से स्वास्थ्य के महत्व को समझने है।
- 7 प्रत्येक बालक की ओर समुचित ध्यान दिया जा सकता है और सफल प्रयास किया जा सकता है कि प्रत्येक बालक का स्वास्थ्य ठीक रहे।

### डॉक्टरों जांच को प्रभावशाली बनाने हेतु सुझाव

- 1 डॉक्टरों-परीक्षण सुयोग्य और प्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा हो।
- 2 विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की पूर्णरूपेण जांच हो।
- 3 बीमार छात्रों को विशेषज्ञ के पास भेजा जाय।
- 4 बीमार हुए छात्रों की वष में तीन-चार बार परीक्षण हो।
- 5 परीक्षण के पश्चात् उसके परामर्श का मूल्यांकन हो।
- 6 सक्रामक रोग से पीड़ित छात्रों का तुरंत अस्पताल भेजा जाय।
- 7 जांच-प्रतिवेदन अभिभावकों को भेजा जाय।
- 8 छात्रों वास में दवाखाना हो जहाँ डॉक्टर प्रतिदिन वहाँ सेवाएँ दे।
- 9 सक्रामक रोग फैलने की आशंका में टीका लगवा देना चाहिए।
- 10 स्वास्थ्य निर्देश समय समय पर प्रदान किए जाय।

### निरन्तर देख-भाल का कार्य (Follow-up work)

स्कूलों में डॉक्टरों परीक्षण के पश्चात् निरन्तर देख-भाल का कार्य चलते रहना चाहिये। यदि इस प्रकार का कार्य स्कूल के स्थाई माध्यम का भाग नहीं तो डॉक्टरों परीक्षण बेकार होगा। विद्यालय अपने सर्वांगीण विकास के उद्देश्य में तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक बालकों के स्वास्थ्य की ओर सदैव जागरूक नहीं होगा। इसलिये प्रत्येक विद्यालय में स्वास्थ्य निरीक्षण के प्रबंधक स्थाय-स्थाय इस प्रकार का एक चिकित्सा कक्ष भी होना चाहिए जहाँ समय समय पर विद्यार्थी चिकित्सक से परामर्श ले सकें अथवा उनका निरीक्षण हो सके। शिक्षा विभाग द्वारा नियुक्त जिला स्वास्थ्य अधिकारी हो जो शिक्षण संस्थाओं के स्वास्थ्य के प्रति जिम्मेदार हो। सरकार को बजट में प्रावधान इसके खर्च हेतु करना चाहिए।

### भोजन (Food)

शारीरिक विकास और स्वास्थ्य के लिये भोजन प्राप्त करना उतना ही आवश्यक है जितना कि मशीन को चलाने के लिये उसमें तेल और ग्रीस की जरूरत पड़ती है। अगर भोजन हमारी शक्ति क्षीण हो जाती है और हम काम करने के योग्य नहीं रहते। भोजन से हमारे शरीर का ताप बना रहता है। नया रक्त



13 वष के बच्चा व 18 वष तक के किशोर-किशोरिया के लिये  
कैलोरीज व पोषक तत्वों का विवरण (ICMR)

उम्र	कैलोरीज	प्रोटीन gms	कैल्शियम gms	Fe mg	विटामिन c		विटामिन A IU	विटामिन B <sub>1</sub> mg	विटामिन B <sub>2</sub> mg	विटामिन B <sub>6</sub> mg	विटामिन E mg	विटामिन K <sub>1</sub> mg	विटामिन K <sub>2</sub> mg	विटामिन D <sub>3</sub> IU
					रेटीनोल 4E	βकैरोटीन 4E								
13 से 15 वष लड़के	2500	55	0.6	25	750	3000	13	14	17	30	50	0.5	0.5	00
लड़कियाँ	2200	50	0.7	35	"	"	11	12	14	50	100	"	"	"
16 से 18 वष लड़के	3000	60	0.5	25	"	"	15	17	21	"	"	"	"	"
लड़कियाँ	2200	50	0.6	35	"	"	11	12	14	"	"	"	"	"

## सक्रात्मक रोग

बालको को सक्रामण रोगो की छूत से बचाने के लिए शाला को उन परिस्थि तिया का ज्ञान होना चाहिए जो सक्रामण रोगा के फलाते है जैसे स्वच्छ वायु का प्रभाव, कमरो न सीलन, असंतुलित भोजन, अधिक भीड व अनुपयुक्त शाला व्यव स्था, अधिककाम (Over work) आदि । छूत एक छात्र से दूसरे छात्र को वायु द्वारा, स्पश द्वारा, भोजन द्वारा, जीवधारियो द्वारा जीवाणुधो को रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक ले जाते है ।

## रोगो से बचाने के सम्बन्ध मे शिक्षक के कर्तव्य

सक्रामण रोगा द्वारा स्वस्थ बालको को प्रभावित होने से बचाने के सम्ब ध म रोगो बालका के प्रति शिक्षको को चाहिए कि वह-सूचना (Notification) बहिष्कार (Exclusion) प्रयत्नकरण (Isolation), सगरोधन (Quarantine), निसक्रमण (Disinfection) प्रतिरक्षण (Immunisation) जैसे कार्यों को प्रभावशाली ढग से सम्पन्न करे ।

## बालको मे होने वाले सामान्य जीवाणु-जन्य रोग

शारीरिक अवरोध (Resistance of the body) व्यक्ति की आयु से साथ साथ बढ़ता है बालका म बडो की अपेक्षा कम शारीरिक अवरोध होता है । अत उनके सम्ब ध म रोगो स रक्षा के विषय मे अधिक सावधानी रखने की आवश्यकता होगी है । पराश्रमी जीवो (Parasites) द्वारा बालको मे हाने वाले रोगो को निम्नलिखित वर्गो म बाटा जा सकता है -

(1) तीव्र सक्रामण-ज्वर (Acute Infectious Fever) खसरा जमन खसरा, लाल ज्वर, डिप्थीरिया चेचक, कण फेर, कुक्कर खाँसी पचिस, हैजा तथा मलरिया आदि ।

(2) दीघकालीन सक्रामण रोग (Chronic Germ Diseases) — क्षय (Tuberculosis) तथा गठिया (Rheumatism) आते हैं ।

(3) छोटे मान्ने श्वसन सम्बन्धी रोग (Minor Respiratory Diseases) रॉसिन गडोनाइडज, ब्रो काइटिस, गला खराब हाना, इ फ्लूए जा, निमोनिया तथा स्त्रायत्र की सूजन इस वर्ग के प्रमुख रोग है ।

(4) ससर्गज रोग (Contagious Diseases) — ये रोग प्राय रोगी को ससर्गज त्वा से लग जाते है । रोगी के स्पश के कारण सक्रामण लगने के कारण ही इहे स्पर्शाक्रामक अथवा ससर्गज रोगो की सज्ञा दी गई है । इस वर्ग म दाद, रॉकर इम्पेटिगो तथा त्वचा सम्बन्धी अ य रोग सम्मिलित किए जा सकते ह ।

विज्ञान तथा मानव शरीर नामक विषय हाई स्कूल तक अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाता था। इसके तात्पर्य को विस्तार से समझने के लिए शारीरिक क्रियाएँ, खेल-कूद पीटी आदि का सम्मिलित किया है।

## स्कूल स्वास्थ्य-सेवा कार्यक्रम के उद्देश्य -

विद्यालय के सम्पूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम के अंतर्गत तथा विद्यार्थी सेवा कार्यक्रम के रूप में स्वास्थ्य कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य निम्न प्रकार है —

(1) शिक्षकों को बालकों की सामान्य डाक्टरी जाँच के लिये प्रशिक्षित करना।

(2) निधन और जरूरतमंद बालकों के लिए पौष्टिक भोजन की व्यवस्था करना जिससे शिक्षा का पूरा लाभ उठा सके।

(3) बालकों को रोगों के कारण लक्षण तथा रोकथाम के लिए सावधानियों की शिक्षा देना जिससे वे रोगों से बच सकें।

(4) बालकों को व्यक्तिगत स्वास्थ्य के नियमों का ज्ञान देना तथा उनके द्वारा पालन किए जाने पर बल देना।

(5) बालकों के स्वास्थ्य की प्रसामान्य जाँच की व्यवस्था करना।

(6) बालकों के रोगों व दोषों को यथा साध्य चिकित्सा करना अथवा उनके अभिभावकों को उचित सम्बंधित सलाह देना जिससे बालक शिक्षा ग्रहण करने योग्य हो सकें।

(7) बालकों की सामर्थ्य के अनुसार शैक्षिक कार्यक्रमों में हेर फेर की सलाह देना।

(8) शिक्षकों के लिए स्वास्थ्य शिक्षा एवं शरीर विज्ञान सम्बन्धी प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

(9) स्कूल की सफाई एवं व्यवस्था के सम्बंध में बालकों के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सलाह देना।

(10) समाज स्वास्थ्य सेवा का आयोजन करना।

(11) छात्रों की सम्पूर्ण स्वास्थ्य सम्बन्धी सम्भाव्य क्षमता का मूल्यांकन करने के साधन उपलब्ध कराना।

(12) अभिभावकों, शिक्षकों तथा प्रशासकों को छात्र-स्वास्थ्य में आवश्यक भागदशन एवं निर्देशन उपलब्ध कराना जिससे स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रपक्षित कार्यों को जाँचा जा सके तथा कार्यक्रम का उचित समन्वय सम्भव हो।

## स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम में प्रधानाध्यापक का उत्तरदायित्व - (Duties of Headmaster)

(1) शारीरिक शिक्षा अध्यापक विद्यालय डाक्टर एवं नर्स, मानसिक स्वास्थ्य यत्नानिष्ठ मन्द मय स्थापित करें।

(2) अध्यापको को उपयुक्त सामग्री प्रदान करने की व्यवस्था करें ।

(3) सामयिक स्वास्थ्य पर्यवेक्षण कराये तथा सन्तान रोगों को विद्यालय में फलन न दे ।

(4) अभिभावकों व समाज को विश्वास में लेकर उनसे सहयोग प्राप्त करें ।

(5) सावजनिक स्वास्थ्य विभाग व समाज के विभिन्न साधनों का उपयोग करें ।

(6) सुस्त व बीमार छात्रों की जांच करवाकर उपचार की व्यवस्था करें ।

(7) घर के भोजन तथा स्कूल के दोपहरी भोजन को सन्तुलित बनाने की व्यवस्था करें ।

### शिक्षकों के कर्तव्य (Duties of Teachers) —

1 छात्रों के सम्मुख व्यक्तिगत स्वास्थ्य तथा स्वस्थ ढंग से रहने का सजीव आदेश उपस्थित करना ।

2 दैनिक निरीक्षण करना तथा सशयात्मक छात्रों को चिकित्सक के पास भेजना तथा उसे स्कूल से छुट्टी देना ।

3 व्यक्तिगत स्वच्छता का अवलोकन करना ।

4 दोपहर के भोजन के समय स्वस्थ-आदतों का निरीक्षण करना ।

5 स्कूल-सफाई एवं अथ स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं पर नजर रखना ।

6 स्कूल चिकित्सक की नियमित (routine) स्वास्थ्य परीक्षण के समय सह-यता करना ।

7 अपने से सम्बन्धित छात्रों के अभिभावकों से सम्पर्क स्थापित करना तथा उन्हें घर की सफाई आदि के बारे में सुझाव देना । सद्भावना के आधार पर पारिवारिक स्वास्थ्य की समस्याओं का हल निकालने का प्रयत्न करना ।

### हमारे विद्यालय तथा स्वास्थ्य कार्यक्रम की क्रियान्विति

अब उपयुक्त विद्युत् की क्रियाविति हेतु हम वर्तमान में विद्यालयों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में किये जा रहे क्रिया कलापा का आकलन करना अनुचित न होगा । ख़द है हमारे देश में स्वास्थ्य सेवा अभी भी उपेक्षित है । बहुत ही शालाओं में इनके लिए कोई स्थान नहीं है । डाक्टरों जांच के नाम पर छात्रों को ऊँचाई, बदन, बस स्थल माप, आदि औपचारिक रूप से, सत्र में प्रायः एक बार सम्पन्न होता है । राजस्थान माध्यमिक शिक्षा-बोर्ड द्वारा शारीरिक स्वास्थ्य की दिशा में सीमित, परन्तु व्यवस्थित प्रयास किया गया परन्तु यह भी सब विद्यालयों द्वारा भावना के अनुरूप क्रियाविति नहीं किया जा रहा है । हमारे शहरी व ग्रामीण, बालक व बालिकाओं को विद्यालयों द्वारा स्वास्थ्य कार्यक्रम के महत्व को समझाते हुए प्रभावशाली क्रियाविति करने का सफल प्रयास वाञ्छित है ।

## स्वास्थ्य एव शारीरिक क्रियाओं व कार्यक्रमों की व्यवस्था हेतु ध्यान देने योग्य बातें -

इन क्रियाओं व कार्यक्रमों के उपयुक्त चुनाव के साथ-साथ उनकी प्रभावी व्यवस्था एवं संगठन भी आवश्यक है। इस दृष्टि से निम्नांकित बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए—

(1) **समयावधि**—विभिन्न क्रियाओं एवं छात्रों की क्षमता के अनुरूप इनकी समयावधि निर्धारित की जानी चाहिये।

(2) **समय विभाग चक्र**—विद्यालय के सभी छात्रों का इन क्रियाओं में उनकी रुचि के अनुकूल सहभाग्य (Participation) हो तथा व नियमित एवं व्यवस्थित हो, इसके लिए उपयुक्त समय-विभाग-चक्र बनाना चाहिये।

(3) **उपलब्ध भौतिक संसाधन**—खेल क मदान या स्थान विभिन्न उपकरण तथा साज सजा की वस्तुएँ जो विद्यालय में उपलब्ध हों, उन्हें दक्षिण रखने हुए इनका आयोजन किया जाना चाहिए।

(4) **प्रभारी अध्यापक**—विभिन्न कार्यक्रमों एवं क्रियाओं में दक्ष अध्यापक ही छात्रों के मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण हेतु प्रभारी बनाये जाने चाहिए।

(5) **परिचीक्षण एवं मूल्यांकन**—इन क्रियाओं के नियमित व्यवस्थित एवं प्रभावी रूप से संचालन हेतु प्रधानाध्यापक या अन्य वरिष्ठ अध्यापक प्रथम शारीरिक शिक्षा अध्यापक द्वारा परिचीक्षण (Supervision) तथा मूल्यांकन (Evaluation) भी किया जाना चाहिए जिससे इनमें सुधार व परिष्कार लाया जा सके और उन्हें छात्रों के लिये उपयोगी बनाया जा सके।

## स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम में सुधार हेतु सुझाव -

(Suggestions for Improvement-School health Programme)

- 1 स्वास्थ्य-परीक्षणों के पश्चात् रोगों के उपचार पर जोर दे।
- 2 बालक के स्वास्थ्य सम्बन्धी इतिहास, निम्न प्रतिवेदन को परीक्षण के अवसर पर दृष्टि में रखा जाव।
- 3 डाक्टरों की परीक्षण पुरुरूप से हो।
- 4 स्वास्थ्य सलाहकार सेवा की समुचित व्यवस्था हो।
- 5 डाक्टरों के सुझावों को क्रियावित रूप देने के लिए अभिभावकों से मिलकर व्यवस्था करने का सफल प्रयास कर।
- 6 स्वास्थ्य सेवा के निर्धारित उद्देश्यों के आधार पर ही मूल्यांकन हो।
- 7 कम से कम एक अध्यापक स्वास्थ्य शिक्षा में प्रशिक्षित हो।
- 8 स्वास्थ्य-समस्या व उनके समाधान हेतु स्वास्थ्य समिति का गठन हो।
- 9 शान्ति में स्वास्थ्य कार्यक्रम को प्रभावशाली ढंग से क्रियावित करने हेतु



सफाई समिति, मध्यकालीन भोजन समिति, सुरक्षा समिति मनोरजन-समिति तथा खेल कूद समिति का गठन किया जाय ।

10 शाला योजना में इस कार्यक्रम का समावेश अवश्य है ।

### उपसंहार-

व्यक्तिगत स्वास्थ्य का प्रभाव परोक्ष व अपरोक्ष रूप से समाज पर पड़ता ही है । व्यक्तिगत स्वास्थ्य हेतु शाला के द्वारा कार्यक्रम का नियोजन करना चाहिए । उच्च स्वच्छता हेतु भिन्न-भिन्न उम्र पर प्रशिक्षण दिया जाय । छात्रों के लिए चिकित्सक द्वारा पूरा रूप से परीक्षण व उपचार काय अभिभावकों के सहयोग से सम्पन्न करना चाहिए । बालकों को सतुलित भोजन के बारे में सलाह को सचेत रहने की आवश्यकता है । बोठारी शिक्षा आयोग (1964-66) के प्रतिवेदन में भी विद्यालय स्वास्थ्य सेवाओं से सम्बन्धित प्रकाश डाला है । आयोग ने श्रीमती रेनुका डे की अध्यक्षता में गठित विद्यालय स्वास्थ्य समिति की अनुसंस्थाओं को स्वीकारा है । शिक्षा विभाग ने भी समय-समय पर दोपहरी भोजन कार्यक्रम पर जल, विद्यालय सजावट आदि पर प्रभावशाली ढंग से कार्य करने हेतु अनुसंधान प्रसारित किये हैं । विभाग ने विद्यालय में कार्यरत प्रधान व अध्यापकों को ध्यान इस ओर आकृषित कर स्पष्ट किया है कि विद्यालयों में स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम का गिया बचन करवाना उनका नैतिक व धार्मिक उत्तरदायित्व है । अन्य समावश्यक उत्तरदायित्वों के दबाव के रहने पर भी इनके लिए विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम का विस्तार करके फेंक देना ध्यान नहीं देना याय सगत नहीं है अतः इस ओर गम्भीरता से ध्यान दिया जाना चाहिए ।

□ □ □

### मूल्यांकन (Evaluation)

- (अ) लघूत्तरात्मक प्रश्न (Short Answer type Questions)
- 1 व्यक्तिगत सफाई के निरीक्षण में किन बातों पर ध्यान देना चाहिये । (बी एड 1983)
  - 2 विद्यालय स्वास्थ्य सेवा से क्या-क्या उद्देश्य होते हैं ? (बी एड 1982)
  - 3 स्वयं विद्यालयों द्वारा विद्यालयों की सफाई बनाए रखने के लिए क्या किया जा सकता है ? (बी एड पत्राचार 1982)
  - 4 एक अध्यापक के नाते आप ऐसे विद्यार्थियों को जिसकी डाक्टरी रिपोर्ट निम्न दृष्टि बतलाइ है किस प्रकार सहायता देंगे । (बी एड 1978)
- (ब) निबन्धात्मक प्रश्न (Essay type Questions)
- 1 व्यक्तिगत तथा विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम पर टिप्पणी कीजिये । (बी एड पत्राचार 1985)

- 2 बी 0ड पाठयक्रम मे स्वास्थ्य शिक्षा के समावेश के औचित्य की मालोचना कमक समीक्षा कीजिये ।  
(बी एड 1983)
- 3 उन सक्रामक बीमारियो का उल्लेख कीजिये जो सामान्यतः स्कूली बच्चों में देखने का मिलती है । इनमें से कि ही दो के लक्षणा को बताइये तथा यह भी बताइये कि स्कूल उनके रोकथाम के लिये कौन से पूर्वापाय कर सकता है ।  
(बी एड 1983)
- 4 मध्य अन्नकाश भोजन, कैटिन सेवार्थे तथा टिफिन सेवार्थे एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है ? किन परिस्थितियाँ में एक की अपेक्षा दूसरे को बरीयता देनी चाहिए ?  
(बी एड 1983)
- 5 व्यक्तिगत तथा विद्यालय सफाई का निरीक्षण क्यों आवश्यक है ? इस प्रकार के निरीक्षण में किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए ।  
(बी एड 1982)
- 6 विद्यालय स्वास्थ्य पर्यवेक्षण तथा सेवा कार्यक्रम में किन क्रियाओं का समावेश होना चाहिए ? इनका किस प्रकार सगठित किया जाना चाहिए ।  
(बी एड 1981)
- 7 आपके विद्यालय में बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण का क्या प्रबन्ध है ? उसके वास्तविक प्रभावी सुधार के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे ।  
(बी एड 1979)

[विषय प्रवेश, जनसंख्या शिक्षा का अर्थ, जनसंख्या शिक्षा के उद्देश्य जन-संख्या शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व, भारत में जनसंख्या शिक्षा सम्बन्धी धारणा शिक्षण हेतु, जनसंख्या शिक्षा का पाठ्यक्रम व क्रियाविधान, जनसंख्या शिक्षा की प्रगति हेतु व्यावहारिक कारक शाला अध्यापक व छात्र, उपसंहार मूल्यांकन]

जनसंख्या विस्फोट आज विश्व की सबसे ज्वलंत समस्या है। हमारी अनेकानेक समस्याएँ जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप उत्पन्न हुई हैं। जनसंख्या को नियंत्रित करने हेतु परिवार कल्याण कार्यक्रम तथा व्यस्कों के लिए अर्थ कार्यक्रमों का अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी है। इसी कारण यह आवश्यक हो गया है कि छात्र जनसंख्या के प्रति सही दृष्टिकोण अपनाते हुए व्यस्क होने पर जनसंख्या सम्बन्धी सही निर्णय लेकर देश की जनसंख्या नीति के अनुसार कठोर पालन कर सकें। इस बात को ध्यान में रखते हुए एशिया के अधिकांश देश जैसे थैलैण्ड, फिलिपाइंस, एंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया थाईलैण्ड आदि ने राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा प्रायोजनार्थ प्रारम्भ की है। इसी परिपेक्ष्य में भारत ने भी 1979 से राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा प्रायोजना को प्रारम्भ किया है क्योंकि निम्नांकित तथ्य देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के दुष्परिणाम प्रकट करते हैं —

- 1 भारत में प्रत्येक डेढ़ सत्रह मिनट में एक बच्चा का जन्म होता है।
- 2 विश्व में प्रत्येक सातवा व्यक्ति भारतीय है।
- 3 भारतवर्ष की आबादी में प्रतिशत 1 करोड़ 10 लाख लोगों की वृद्धि हो रही है अथवा एक आस्ट्रेलिया जुड़ रहा है।
- 4 वर्तमान वृद्धि दर लगभग 2.2 प्रतिशत प्रतिवर्ष के हिसाब से 30 वर्ष में जनसंख्या दुगुनी हो जावेगी।
- 5 स्वाधीनता के पश्चात् से 1981 तक भारत में साक्षर जनसंख्या का प्रतिशत दुगुना हो गया है यद्यपि उस समय तक निरीक्षकों की कुल संख्या भी बढ़कर लगभग 30 करोड़ से 38.60 करोड़ हो गई।
- 6 भारतीय जनसंख्या का मध्यमान आयु (Mean age)—49 वर्ष है।
- 7 भारत में जन्म दर प्रतिहजार व्यक्ति के पीछे 38.8 है, जबकि इंग्लैंड में 16, फ्रांस में 18 तथा जर्मनी में 17 है।
- 8 भारत में प्रति व्यक्ति की वार्षिक आय 89 डॉलर है जबकि अमेरिका में 2697 डॉलर है।

9 विश्व की 2 सूची भाग में ज़रूर विश्व की जनसंख्या का 14% है।  
 10 भाग में प्रजातंत्रिक दण्डों का बढावा व सामाजिक प्रभाव बढ़ रहा है।  
 उपरोक्त तथ्यों का प्रभाव बनाने पर यह अनुभव कर गत है कि जन  
 संख्या वृद्धि हमारे देश का राष्ट्रीय समस्या है और आज इसका एक गम्भीर रूप  
 धारण कर लिया है। जन संख्या का बढ़ना हुआ रूप आज राष्ट्रीय जीवन के  
 हर पहलू पर गहरा प्रभाव डाल रहा है। इसमें राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय,  
 जीवन-स्तर में सुनिश्चित जाहान शर्णांगिक विकास प्रादि सभी प्रकार की समस्याएँ  
 उत्पन्न हो रही हैं। इस प्रकार प्रतिवर्ष वृद्धि के लिए भारत को 1 लाख 12  
 हजार विद्यार्थी 3 लाख 30 हजार श्रमिकों 22 लाख मकान 16 लाख मीटर  
 कपडा 1 करोड 11 लाख टिन घनाज और 40 हजार नौकरियाँ की आवश्यकता  
 पड़ेगी।

देश की बढ़ती हुई जनसंख्या की विस्फोटक स्थिति के कारण प्रशास्त्री,  
 शिक्षाविद् एवं योजनाकार बड़े चिन्तित हैं। जनसंख्या की बढ़ती हुई स्थिति  
 पर नियंत्रण करने के लिए मात्र जनसंख्या प्राधारित शिक्षण की अत्यधिक आव-  
 श्यकता है क्योंकि मानव के विचारधारा के अनुसार यह जनसंख्या को प्रव-  
 र्ण किये बिना यह ज्योमिनि प्रक्रिया स बढ़ती है जैसे घन चक्रवर्ती व्याज क  
 समान जबकि आवश्यक आवश्यकताओं को वस्तुएँ अकण्ठित क अनुपात में ही।  
 ऐसी स्थिति में हम चाहे जितनी प्रगति शिक्षा, तकनीकी, उद्योग में बना न कर ल  
 उम अनुपात में लाभ नहीं मिल पायगा जिस अनुपात में हम चाहते हैं।  
 सारांश में कह सकते हैं कि जनसंख्या विस्फोटक हमारे देश के लिए अभिशाप  
 हो गया है जिनमें विनाम सम्बन्धी सभी योजनाओं को विफल कर दिया है।  
 जोड़ खान्ती हुई जान पड़ती है। अतः देश के सभी क्षेत्रों के विभिन्न वन  
 इसी दृष्टि से अगस्त 1969 को शिक्षा मंत्रिया, शिक्षा-सचिवों, समाज कल्याण  
 एवं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के प्रतिनिधियों व सम्बन्धी म राष्ट्रीय परिषद्  
 आयोजित हुई। इस परिषद् में जनसंख्या शिक्षा को विद्यालय एवं शिक्षक  
 प्रशिक्षण सम्बन्धी तम पहुँचाने की दृष्टि से यौन रहित जनसंख्या शिक्षा कायक्रम  
 लागू किया जाय निम्न दो निष्पत्तियाँ लिये गए —

- (i) सभी स्तर की शिक्षा में जनसंख्या को समाहित (Integral) रूप दिया जावे।
- (ii) जन संख्या शिक्षा स बनकर यह समक सके कि परिवार के आकार को  
 नियंत्रित रखा जा सकता है और जनसंख्या को सीमित करने पर राष्ट्रीय  
 जीवन को अधिक उन्नत व सम्पन्न किया जा सकता है। छोटा परिवार  
 भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति में ज्यादा सहायक हो सकता है।  
 जनसंख्या शिक्षा का अभिप्राय बढ़ती हुई जनसंख्या के प्रति जागरूकता पैदा  
 करते हुए चिक्क मुक्त व्यवहारों का विकास करना है जिससे व्यक्ति, परिवार,  
 ( 26 )

समुदाय, राष्ट्र और विश्व के परिवेश में सोचता हुआ उनमें जीवन की प्राप्ति कर सके।

## जनसंख्या शिक्षा का अर्थ

यद्यपि जनसंख्या शिक्षा की धारणा अभी अविहसित अवस्था में ही है। कुछ वर्षों पूर्व इस धारणा को व्यक्त करने के लिए 'यौन शिक्षा', "पारिवारिक जीवन की शिक्षा" आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता था। 1962 में जनसंख्या शिक्षा' शब्द का सृजन हुआ और अब शब्दों की अपेक्षा उसे उपयुक्त बताया गया। कुछ विद्वान जनसंख्या शिक्षा के स्थान पर 'जनसंख्या जागृति' शब्द के प्रयोग को भी अधिक मानते हैं। संक्षेप में कहा जा सकता है कि जनसंख्या शिक्षा एक यौन शिक्षा रहित शैक्षणिक कार्यक्रम है, जिसमें परिवार, समाज, राष्ट्र एवं विश्व की जनसंख्या की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। इस अध्ययन का उद्देश्य छात्रों में इस स्थिति के प्रति विवेकपूर्ण उत्तरदायित्वपूर्ण दृष्टिकोण एवं व्यवहार का विकास करना है।

जनसंख्या की तीव्र गति से वृद्धि के परिणाम स्वरूप मानव-जीवन के सामाजिक आर्थिक राजनतिक तथा सांस्कृतिक पक्षों पर पड़ने वाले कुप्रभावों के प्रति जागरूक एवं सम्बद्ध समाधानों के विषय में वैचारिक क्रांति की शैक्षिक व्यवस्था ही जनसंख्या शिक्षा है।

यूनैस्को के वैश्व (वर्ल्डवैड) स्थिति क्षत्रिय कार्यालय के तत्वाधान में आयोजित सितम्बर 1970 में जनसंख्या तथा पारिवारिक जीवन-शिक्षा पर एशिया क्षेत्र की सम्मेलन में जनसंख्या शिक्षा की निम्न परिभाषा की है—

"छात्रों में जनसंख्या के प्रति उचित दृष्टिकोण उत्तरदायित्व अभिवृत्ति तथा व्यवहारों का विकास करने की दृष्टि से एक शैक्षिक कार्यक्रम ही जनसंख्या शिक्षा है जो परिवार, समुदाय, राष्ट्र तथा विश्व की जनसंख्या की स्थिति का ज्ञान कराते है।"

'जनसंख्या शिक्षा एक शैक्षिक कार्यक्रम है जो कि परिवार समुदाय राष्ट्र तथा विश्व की जनसंख्या स्थिति के प्रति तक सम्मत एवं उत्तरदायित्वपूर्ण अभिवृत्तियों का विकास करना है।'

विश्व जनसंख्या सन्दर्भ ब्यूरो (World Population Reference Bureau) ने भी जनसंख्या शिक्षा के सन्दर्भ में कहा है जनसंख्या शिक्षा परिवार समुदाय राष्ट्र तथा विश्व की जनसंख्या में होने वाले परिवर्तनों परिणाम तथा उनके सुधार हेतु गहन सावभौमिक तथा क्रियात्मक शिक्षा वह शैक्षिक कार्यक्रम है जिसके द्वारा, जनसंख्या विस्फोट के व्यक्तिगत पारिवारिक सामाजिक तथा वातावरण में

प्रभावा का अध्ययन किया जाता है, जनसंख्या में होने वाले परिवर्तनों, स्थानान्तरणों, केन्द्रीकरण तथा वितरण का अध्ययन किया जाता है, जनसंख्या वृद्धि में सम्बन्धित समस्याओं तथा उनके निराकरणों के उपायों से अवगत कराया जाता है, तथा आगामी एक या दो शतक में बचने वाले माता-पिताओं को माता-पिता के रूप में सफलतापूर्वक एवं समुचित उत्तरदायित्व निभान का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।<sup>1</sup>

इसी संकल्पना को उद्देश्यों की दृष्टि से परिभाषित करते हुए 1960 में बम्बई में आयोजित जनसंख्या शिक्षा की राष्ट्रीय विचार-गोष्ठी (National Seminar) के प्रतिवेदन में कहा गया है कि "जनसंख्या शिक्षा विद्यार्थियों को यह समझने योग्य बनाती है कि परिवार के आकार पर नियंत्रण किया जा सकता है कि राष्ट्र में जीवन स्तर को उच्च बनाने में जनसंख्या परिसीमन से सहायता मिलती है और यह कि व्यक्तिगत परिवार के जीवन स्तर के भौतिक दृष्टि से उच्चतम में परिवार के छोटे आकार का योगदान रहता है। जनसंख्या-शिक्षा विद्यार्थियों को यह समझने में भी सहायक होती है कि परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य एवं कल्याण की सुरक्षा, परिवार के आर्थिक स्वामित्व तथा बच्चों के अच्छे भविष्य के निर्माण हेतु भारत में वर्तमान तथा भविष्य में दो या तीन बच्चों के छोटे व सुगठित परिवार होने चाहिए।"<sup>2</sup> इस सम्प्रत्य के बारे में देश विदेश के विद्वानों ने परिभाषित किया है—

बर्लिन के अनुसार - "जनसंख्या समस्या से सम्बन्धित ज्ञान के प्रति चेतना है।"

स्टैनगर - जनसंख्या व पर्यावरण की शिक्षा है क्योंकि जनसंख्या व पर्यावरण को किसी प्रकार अलग नहीं किया जा सकता।"

हेराल्ड - 'यह केवल जनसंख्या की गतिशीलता की शिक्षा है जिसमें सब गारमन्तों से प्रभावित क्षेत्र, जहाँ काम सतानोत्पत्ति पर नियंत्रण एवं परिवार नियोजन को प्रोत्साहित रखा जाना है।"

मसियालिस :- 'मानक जनसंख्या की प्रकृति के बारे में तथा जनसंख्या परिवर्तन के स्वाभाविक एवं मानवीय परिणामों के बारे में विश्वस्तरीय ज्ञान प्राप्त करना।

प्रा० वी के आर वी राव - "जनसंख्या शिक्षा का प्रयोजन बचने जनसंख्या घटाना नहीं बल्कि जनसंख्या का गुणात्मक दृष्टि से बेहतर बनाना है। इस प्रकार यह वास्तविक मानवीय शोभा ने विकास का वास्तविक है। यह प्रशिक्षण मूल्यों व अभिवृत्तियों के विकास पर बल देता है।"

चाल्स - "जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम में छात्र की संस्कृति, उसके समाज की जनसंख्या की स्थिति, स्थिति के प्रति उनके अपने विचार जनसंख्या परिस्थिति पर उनके तार्किक तथा सुमधुवर्द्ध विचार तथा इसके प्रभाव सम्मिलित होने चाहिए।"

फ्रेयुस - 'जनसंख्या शिक्षा एक ऐसा शैक्षिक कार्यक्रम है जिसका प्राथमिक उद्देश्य प्रनियमित जन्म की समस्या के प्रति मनुष्यात्मक उपागम विकसित करना है।'

सियस - 'जनसंख्या शिक्षा का उद्देश्य परिवार नियोजन के कार्यक्रमों की जानकारी के साथ ही प्रभिवृत्ति, व्यवहार एवं मूल्यों में अपक्षित परिवर्तन करना है।'

टेलर - "जनसंख्या शिक्षा एक ओर तो परिवार को नियोजित करने की प्रेरणा प्रदान करती है, दूसरी ओर जनसंख्या की समस्या, उनके सम्भावित परिणाम तथा सम्भावित विकल्पा की जानकारी देती है।'

प्रा० स्लान और वेलड - 'सजा चाह जो हो हमारा सम्बंध औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत निर्देश नीति, परिवार तथा राष्ट्र परिवार नियोजन की वाद्यनीयता आदि को सम्मिलित किया जाए। साथ ही जनसंख्या का आर्थिक सामाजिक विकास परिवार के प्रकार तथा व्यक्तित्व परिवार के गुणों की गतिशीलता का भी अध्ययन किया जाना चाहिए।'

एवरी एवं कार्कण्डल - "जनसंख्या शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व का विकास, शुद्ध-प्रबंध में कुशलता, विवाह तथा माता पिता के उत्तरदायित्व की तैयारी बालक की देखभाल एवं विकास तथा यौन शिक्षा की जानकारी।'

एम् चंद्रशेखर - जनसंख्या शिक्षा न तो यौन शिक्षा है और न विभिन्न परिवार नियोजन की विधियों की शिक्षा। जनसंख्या शिक्षा जनसंख्या की वृद्धि इसके वितरण एवं जीवन स्तर से इसके सम्बंध तथा इसके आर्थिक एवं सामाजिक परिणामों का अध्ययन समाज शास्त्र है।'

प्रा० पोह्लमन-(Pohlman Edward w) के अनुसार जनसंख्या-शिक्षा शिक्षण संस्थाओं से सम्बंधित कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत अध्यापन करवाया जाता है-

1. द्रतगति से जनसंख्या की वृद्धि उससे उत्पन्न होने वाले नुकसान, जो राष्ट्र के लिए समस्या पैदा करती है
2. छोटे परिवारों को व्यक्तिगत लाभ,
3. विलम्ब से शादी व बच्चों के जन्म
4. प्रतिरिक्त अथ सम्बंधित विषयवस्तु लेकिन यौन (Sex) के सम्बंधित नहीं होनी चाहिए।

इन परिभाषा के बाद में इस दृष्टि से परिवर्तन किये गये कि जनसंख्या शिक्षा को परिवार नियोजन कार्यक्रम से न मिलाया जाये। राणौअप्र परिपद

(NCERT) का जनसंख्या प्रसार इकाई के प्रभारी प्रो. रमेशचंद्र न जनसंख्या शिक्षा की संकल्पना को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट करते हुए कहा है कि "जनसाधारण की भाषा में जनसंख्या शिक्षा वह कार्यक्रम है जो विद्याभ्यास में जनसंख्या की गतिशीलता (Dynamics) के प्रति जागरूकता विकसित करे। उह वह समझने में सहायता दे कि यदि जनसंख्या वृद्धि के कारणों का समाधान न किया जायें और इस वृद्धि रहने दिया जाय तो व्यक्तिगत, सामाजिक, प्राथिक तथा जीवन के अर्थ क्षेत्रों में अनेक अनुविधाएँ उत्पन्न हो जाती हैं। इसके द्वारा विद्याभ्यास में यह धारणा विकसित करनी है कि वे छोटे परिवार के प्रतिमानों (Norms) की श्लाघा कर सकें तथा वह उह ऐसे भावी दायित्वपूर्ण जनक बन सकें जो अपने तथा देश के कल्याण हेतु उपलब्ध संसाधनों के अनुकूल अपने परिवार का नियोजन कर सकें। यह मुख्यतः इस कार्यक्रम के दो अर्थों में अंतर स्पष्ट करता है—प्रतिमूक्षम या व्यष्टि (Micro) तथा सूक्ष्म या समष्टि (Macro)। अति सूक्ष्म या व्यष्टि स्तर पर यह कार्यक्रम भावी जनक बनाने वाले विद्याभ्यास के जीवन स्तर में सुधार में सम्बन्धित है तथा सूक्ष्म या समष्टि स्तर पर यह विद्याभ्यास को राष्ट्रीय विकास में सहभागी बनाने का प्रयास करता है।" इस प्रकार इस परिभाषा में जनसंख्या शिक्षा की संतुलित संकल्पना व्यक्त की गई है जिसे स्वीकारित किया जाना आवश्यक है।

संराज रूप में कह सकते हैं कि जनसंख्या पर नियंत्रण की जान वाली समस्या के रूप में नहीं, बल्कि उसकी यादों की जान वाली सामाजिक एवं जैविकीय-घटना के रूप में विचार करना है।

### जनसंख्या शिक्षा के उद्देश्य (Objectives of Population Education)

जनसंख्या शिक्षा का उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि एवं राष्ट्रीय विकास के अर्थ सम्बन्धी सभी सम्बन्धों को विकसित करना है। समाज के एक सदस्य के रूप में पूरे समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है यह समझना इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है। सूचना देना एवं अभिवृत्ति निर्माण करने के अतिरिक्त यह इस शिक्षा का नैतिक उद्देश्य भी है।

जनसंख्या शिक्षा के निम्नांकित उद्देश्य हैं।

(1) बालकों में सीखने की वह प्रवृत्ति विकसित करना जिससे जनसंख्या से सम्बन्धित विभिन्न पक्षों का अवलोकन करते हुए तथ्यों का सकलन कर विश्लेषण एवं संश्लेषण करने का क्षमताओं का विकास कर सकें जो सामाजिक दृष्टि से

1 Ramesh Chandra Implementation of the Population Education Programme (नयाशिक्षक जनवरी-मार्च-1975 (p/68)

2 NCERT Reading in Population Education (P/77)



उपयुक्त है (इसके साथ ही जनसंख्या शिक्षा का यह दृष्टिकोण नहीं है कि बालक पर तैयार की हुई पाठ्य सामग्री लाद दी जावे बालक में ऐसी क्षमताओं का विकास होना चाहिए जिससे जनसंख्या की समस्या का सदृश में छोटे परिवार से गुणात्मक जीवन के महत्व को स्वीकार कर सकें) ।

(2) जनसंख्या शिक्षा के अतिसरत द्रुतगति से जनसंख्या में वृद्धि इसका मुख्य कारण इसके मुख्य कारण जो सतुलित करने में सहायक सिद्ध हो सके ।

(3) सामाजिक सांस्कृतिक, आर्थिक व राजनैतिक को जनसंख्या वृद्धि राष्ट्रीय जीवन-स्तर को बढ़ाने का कार्यक्रम कैसे प्रभावित करती है ।

(4) दुर्भिक्ष, बीमारियाँ जिससे मृत्यु अधिक होती थी उसे विनाश के विकास द्वारा नियंत्रित किया गया है इस बात को मान्यता देना है कि विज्ञान ने अनियोजित जन्म का नियंत्रित किया है । यह जान करवाते हुए दृष्टिकोण का विकास किया जाकर सजनात्मक स्थाईत्व लाना है ।

(5) जनसंख्या में वृद्धि होने से व्यक्तिगत तथा परिवारिक जीवन की जिम्मेदारियों का प्रति अभिवृद्धि तथा सहयोग व्यक्तिगत रूप से तथा परिवारिक जीवन के प्रति जिम्मेदारियों ।

(6) माता के अछे स्वास्थ्य बच्चे के हित परिवार की आर्थिक सुदृढता, घानेवाली पिडी की उन्नति हेतु जनसंख्या शिक्षा की प्रशंसा की जाने तथा जो वर्तमान के भारतीय परिवार छोटे हो जिनमें दो या तीन बच्चे से अधिक न हो सक ।

(7) छात्रों को जनसंख्या वृद्धि के दुप्रभावों से परिचित करवाना ।

छात्रों को मुख्य रूप में व्यक्तिगत जीवन में परिवार, सामाजिक व्यवस्था तथा राष्ट्रीय जीवन का प्रसंग में मूल्यों (Values) का ज्ञान प्रदान करवाना चाहिए । सामाजिक आर्थिक विकास तथा जनसंख्या वृद्धि का किस प्रकार सहसम्बन्ध है इसे हृद्यगम करवाया जाय । अछे जीवन-स्तर व मानव अधिकार का जनसंख्या वृद्धि से प्रभावित होते हैं ।

जनसंख्या शिक्षा को अघापन का दृष्टि से विस्तृत रूप दिया जाय या सक्षिप्त जान तक ही सीमित रखा जाय, यह तो बदलते हुए मूल्यों को दृष्टि में रखते हुए शिक्षाविदों पर ही निर्भर करता है । परिवार व्यवस्था, परिवार का कार्य, परिवार का लोगो में परस्पर सम्बन्ध मान्य द्वारा अपने जन्म जीवों को जन्म देने का ज्ञान यौन व उसके कार्य आदि के बारे में ज्ञान छात्रों को दिये जाने की वर्तमान समय की आवश्यक मांग है इन्हें प्रभावित करने वाले मुख्य कारणों के बारे में विश्वसत् व आवश्यक ज्ञान दिया जाना चाहिये है ।

पाश्चात् दशा की शहरी शिक्षण संस्थाओं में इस विषय की आवश्यकता

समभूत हुए 'मौन-शिक्षा' या "परिवार जीवन की शिक्षा" के रूप में प्रारम्भ किया गया है लेकिन भारत में 'जनसंख्या शिक्षा' की शिक्षा कार्यक्रमों में उल्लेखनीय काम नहीं हो पाया है। भारतीय संस्कृति, मूल्य, परम्परा व विभिन्न रीतिरिवाज व विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाली जनता के अपने विभिन्न दृष्टिकोण व जीवन पद्धति का है। अतः भारतीय परिवारों के जीवन मूल्यों व सामाजिक परम्पराओं आदि का शोध के आधार पर अध्ययन वांछित है। जनसंख्या-शिक्षा' को यौन शिक्षा' का पर्यायवाची मानने की धारणा को स्पष्ट करने की आवश्यकता है। आज जनसंख्या के सम्प्रत्येक वारे में सचेत करने तथा पाठ्यक्रम में ज्ञान प्रदान करने की व्यवस्था करना एक आवश्यक आवश्यकता है। ताकि छात्रों में इसके वारे में सही दृष्टिकोण का विकास हो सके और इससे उत्पन्न होने वाली विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का गम्भीरता से समय रहते हुए समाधान करने की स्थिति में हो सके। इस प्रसंग में रमाशंकर गुप्त ने भी लिखा है— 'यद्यपि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश ने कृषि तथा उद्योगिक क्षेत्रों में काफी प्रगति की है तथापि सीमित साधनों को देखते हुए हम देश की बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण रखना आवश्यक हो गया है। यदि इस बढ़ती हुई आबादी को हम नहीं रोक सकते तो परिणाम भयंकर हो सकते हैं। यही कारण है हम पाठ्यक्रम में जनसंख्या-शिक्षा सम्बंधी शिक्षा को स्थान देना उपयुक्त समझते हैं।'<sup>1</sup>

इस डोनेशिया के जनसंख्या विशेषज्ञ ने जनसंख्या शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्यों को इस प्रकार व्यक्त किया है —

- 1 जनसांख्यिकी के आधारभूत सिद्धांतों को समझना।
- 2 जनसंख्या की तीव्र वृद्धि बढ़ने के कारणों को जानना।
- 3 जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के परिणामों को समझना।
- 4 जनकल्याण और सामाजिक आर्थिक विकास के घनिष्ठ सम्बन्धों को समझना।
- 5 पर्यावरण सम्बंधी एक रूपता के अर्थ एवं महत्व को समझना।
- 6 भाग्यवादी बमने के बजाय परिवार के आकार को नियंत्रित किए जाने योग्य समझना।
- 7 छोटे परिवार के मानकों के महत्व को समझकर जीवन स्तर की गुणवत्तता से सम्बंध स्थापित करना।
- 8 व्यक्ति के 'स्व' तथा पर्यावरण पर जनसंख्या घनत्व तथा जनसंख्या वृद्धि के परिणामों को समझना।

1 रमाशंकर गुप्त, 'जनसंख्या शिक्षा तथा पाठ्यक्रम' (साहित्य परिषद पाठ्यक्रम विशेषांक 1973) पृष्ठ 205-206

- 9 सामाजिक संरचना तथा सामाजिक परिवर्तना क मानव व्यवहार क प्रत्यक्ष प्रभाव का अनुभव करता ।
- 10 राष्ट्र तथा विश्व कल्याण के प्रति उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना ।

## जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता व महत्व

### (Need & Importance of Population Education)

जनसंख्या-शिक्षा एक अपरिहाय आवश्यकता बन गई है जिसे शीघ्रतिशीघ्र भावो जनको (Futureparents) प्रर्थात् विद्यार्थियों की तत्सम्बन्धी प्रभिवृत्ति के विकास हेतु विद्यालयो म प्रपत्ताया जाना वाढनीय है ।

शोध एव सर्वेक्षण द्वारा भी जनसंख्या-शिक्षा की आवश्यकता एव महत्व स्वीकार किया गया है । 1969 मे पोहलमन (Pohelman and Reo) क सर्वेक्षण द्वारा यह तथ्य प्रकट हुपा है कि दिल्ली के 90% अध्यापको ने छोटे परिवार की आवश्यकता तथा भारत म अध्याधिक जनसंख्या के नियंत्रण सम्बन्धी शिक्षा को पाठ्य क्रम मे सम्मिलित करना उपयोगी माना है तथा 80% अध्यापको ने इस कालिजो की शिक्षा के पूव ही देना अच्छा समझा है । क्योंकि "स्कूल शिक्षा समाप्त करने से पूव प्रत्यग्मायु में शादी हो जाती है । इसी प्रकार लडकियों की किशोर प्रवस्था पूरा करने से पूव ही शादी करदी जाती है । राष्ट्रीय औसत शाग्ी की उम्र लडकियों की 14.5 वर्ष है।" जो जनसंख्या वृद्धि म सहयोगी बन जाते है प्रत उह सही दृष्टिकोण का विकास वाङ्गित है स्कूल अध्यापन-काल म ही । विदेशो म यह धारणा भी निमूल सिद्ध हो चुकी है कि यौन शिक्षा के बिना जन संख्या शिक्षा प्रसार नहीं किया जा सकता । टीचस कालज कोलम्बिया (अमेरिका) विश्व विद्यालय न इस प्रकार का पाठ्य क्रम बनाकर उसका प्रयोग किया है जा उक्त तथ्य को सत्यापित करता है ।

जो लोग यह कहते है कि जनसंख्या शिक्षा का विद्यालय शिक्षा स बाई सम्बन्ध नहीं होना चाहिए यह धारणा अनुचित है । जनसंख्या म प्रसाधारण वृद्धि जसी भयकर समस्या का सामना करने के लिये समाज द्वारा प्रपनी महत्वपूर्ण सस्या 'विद्यालय का उपयोग करने की बात सोचना स्वाभाविक है । डा० वी के प्रारबी राव न "राष्ट्र के आर्थिक एव सामाजिक विकास के लिये जनसंख्या की शिक्षा को आवश्यक बताया है ।" इससे समाज की समस्याओं के समाधान म तो यागदान होगा ही विद्यालयो की स्थिति म भी सुधार होगा । जनसंख्या म वृद्धि के कारण शिक्षा की गुणवत्ता एव विद्यालयो के भौतिक विकास म सीमित आर्थिक साधनो मे गति लाना सम्भव नहीं हो पाता । ऐसी स्थिति मे विद्यालय जनसंख्या

1 Ministry of Health & Family Planning— Facts about Population & Planning in India" Govt of India 1967

वृद्धि से उत्पन्न समस्याओं के समाधान में योग देकर परोक्ष रूप में अपनी ही समस्या हल करेंगे। एम. फिलिप हाँजर न भी समर्थन करते हुए कहा है कि—  
 “यद्यपि समय आ गया है कि बीसवीं सदी के स्कूलों के पाठ्यक्रम में बीसवीं सदी की जनसंख्या की प्रवृत्ति तथा परिणामों का अध्ययन कराया जाय।” मत जन-संख्या-शिक्षा विद्यालय की प्रगति में भी सहायक होता है।

जनसंख्या नियंत्रण एवं छोटे परिवार के प्रोत्थित्य के प्रति विद्यार्थियों में प्रारम्भ से ही प्रवृत्तियों का विकास करना वांछनीय है। इरविन एल. स्लेमनिक का मत है— ‘अध्ययन में विकसित प्रवृत्तियाँ ही बहुधा प्रौढावस्था के व्यवहार को निर्देशित करती हैं। यदि समाज अपनी जनसंख्या के आकार को नियंत्रित करना चाहते हैं तो उसे नवयुवकों का इस प्रकार प्रभावित करना चाहिये कि उनमें जन-संख्या की प्रवृद्धि के परिणामों के प्रति जागरूकता उत्पन्न हो, वे छोटे छोटे परिवार के प्रतिमान के गुणों को पहचान सकें तथा उनमें यह अवबोध विकसित होना चाहिये कि वह जनसंख्या के उचित आकार के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रीति की स्थिति में व्यक्तिगत रूप में क्या करना चाहिये।’<sup>1</sup> सक्षिप्त रूप में कह सकते हैं कि इनकी आवश्यकता निम्न प्रकार है—(i) छोटा परिवार सदब सुखी परिवार होता है। (ii) यदि पाठ्यक्रम में खोव विज्ञान के अध्ययन की आवश्यकता मान कर सम्मिलित किया गया है तो मानव जनसंख्या के अध्ययन को उससे अधिक आवश्यक मानना ही चाहिये। (iii) भारत के युवकों युवतियों को विवाह से पूर्व जनसंख्या वृद्धि की समस्याओं से अवगत कराया जाय। (iv) राज्य एवं समाज का उत्तरदायित्व है कि वह जनसंख्या वृद्धि के कुप्रभावों से नागरिकों को अवगत करवा दें। (v) द्रुतगति से जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप देश की आर्थिक सामाजिक एवं व्यक्तिगत उन्नति अवरुद्ध हो रही है।

### भारत में जनसंख्या-शिक्षा सम्बन्धी धारणा

कोठारो शिक्षा आयोग ने जनसंख्या शिक्षा सम्बन्धी धारणा को स्पष्ट करते हुए कहा है कि देश के विकास हेतु प्रौद्योगिकीकरण तथा साधनों के अधिकतम उपयोग तथा भौतिक प्रगति के द्वारा जीवन स्तर में सुधार का लक्ष्य शिक्षा को इन सबके माध्यम के रूप में स्वीकार करने पर सम्भव हो सकेगा। जनसंख्या शिक्षा इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति का साधन है। अपने वाली जीवन सम्बन्धी समस्याओं के समाधान के लिए जनसंख्या शिक्षा की व्यवस्था सभी प्रकार के प्रतिष्ठानों (Agnecies) के सहयोग से की जानी चाहिये।

जहाँ एक मत विद्यालय स्तर पर जनसंख्या शिक्षा को प्रदान किया जाना

1 Irwin L. Slesnic, 'Population Education—A response to a social Problem (The Science Teacher)—Feb 1971—P/22)

आवश्यक माना है तो दूसरा पक्ष इस शिक्षा को नहीं देने हेतु तक प्रस्तुत करता है कि तु जनशरया शिक्षा का समबन मे प्रस्तुत तक अधिक माय है ।

## विद्यालय स्तर पर जनसख्या शिक्षा देने के पक्ष मे तर्क

1 यदि माध्यमिक व उच्च मा० स्तर पर एकदम दी जाती है तो बालका का ध्यान आकषित होकर काम चेतना बढने की सम्भावना हो सकती है जो हानिकारक है ।

2 प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थी-सरया सबसे अधिक होती है ।

3 बालका मे मस्तिष्क नवीन अभिवृत्तिया का शीघ्रता स विकसित करते हैं।

4 शहरो म अधिक जनसरया के कुप्रभावो से प्राय सभी परिचित हात जा रहे हैं । अभी जनसख्या जागरूकता ग्रामीणो, आदिवासियो तथा गिछडे बाँो म इसका पहुचना बहुत जरूरी है और वहा अधिकाश स्थानो पर प्राथमिक स्कून ही है ।

5 भावी समाज का भविष्य सुरक्षित करने के लिए ।

6 मनोवैज्ञानिक रूप स विद्यार्थी-जनसख्या निय त्रण सीखने म रुचि लेते है जबकि प्रौढो पर कम प्रभाव पडता है ।

7 सहगामी क्रियाओ द्वारा अच्छा सामाजिक प्रशिक्षण दिया जा सकता है ।

8 बच्चो के मष्तिष्क अधिक निष्पक्ष एव सही चि तन युक्त हाते है ।

## जनसख्या शिक्षा का पाठ्यक्रम

जनसरया शिक्षा का विद्यालयो स्तर पर प्रसार करने क लिए पाठ्यक्रम म भी कुछ परिवतन व परिवधन आवश्यक है । कुछ विषयो के साथ पठठपक्रम म जनसख्या शिक्षा का समायोजन करना वाँछनीय होगा जसे सामा य विज्ञान, सामाजिक ज्ञान, हि दी व स्वास्थ्य शिक्षा । ब्रैककाक सेमीनार मे जनसख्या क निधरक "जनाङ्किकी तथा परिणाम" की जनसख्या शिक्षा को विषय वस्तु का आधार माना गया तथा अनेक देशो मे इसके अनुरूप शक्षिक योजनाए बनाई गई ।

राष्ट्रीय शक्षिक अनुमधान और प्रशिक्षण परिषद् न यून्स्को द्वारा तोये पये प्रोजेक्ट के अ तगत वर्तमान म देश म पढाई जाने वाली विभि न विषयो की विद्यालय स्तरीय पाठ्य पुस्तको को आधार बनाते हुए उन अशो को खोज निकाला जिनका सम्ब ध जनसख्या शिक्षा से है । यह एक 'माधार नूत सर्वेक्षण' (Bas Line Survey)वा । इस यह बात ज्ञात हो सकी कि प्रचलित पाठ्यत्रम म किस सीमा तक जनसख्या शिक्षा विषयक सामग्री उपलब्ध है और राजस्थान राज्य म भी यह राज्य शक्षिक अनुमधान एव प्रशिक्षण सांस्थान, उदयपुर के माध्यम स भी यह सर्वेक्षण सम्पन्न क्रिया गया । इस सर्वेक्षण से यह स्पष्ट हो गया कि विभि न विषयो म कितने प्रतिशत विषय सामग्री जनसख्या शिक्षा स सम्बधित उपलब्ध है ।

## जनसंख्या-शिक्षा शिक्षण हेतु कार्यक्रम (Teaching Programme for Population Education)

जब जनसंख्या शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित हो गये हैं तो स्वाभाविक है, उसकी पूर्ति हेतु शिक्षण कार्यक्रम बनाना सम्भव है। सर्वप्रथम इस कार्यक्रम बनाना सम्भव है। सर्वप्रथम इस कार्यक्रम में संलग्न किए जाने वाले सभी अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही साथ इस प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त श्रवण दृश्य सामग्री को भी तैयार किया जाय। शालाओं में क्रियान्वित करने हेतु इस प्रसाग का उपयुक्त साहित्य तथा श्रवण दृश्य सामग्री भी तैयार की जानी चाहिये। यह छात्रों की उम्र व स्तर के अनुरूप होना चाहिये। प्रारम्भिक कक्षाओं के छात्रों और किशोर प्रवस्था की छात्रों व छात्राओं के लिए प्रथम प्रथम विषय वस्तु व सहायक सामग्री होगी। छात्रों के लिए अध्ययन हेतु विषय वस्तु ऐसी हो जिसे छात्र स्वयं की रुचि से पढ़कर प्युष हो। स्वाध्याय के लिए उपलब्ध कराया जाना वाला साहित्य ऐसा हो जिसमें मूल्यवान् बातें जनसंख्या शिक्षा से सम्बंधित हो।

यह ध्यान रखने की आवश्यकता है जनसंख्या शिक्षा एक लचीले प्रकार का विषय है जिस शाला पाठ्यक्रम में स्वयं प्रदान किया जाय या इतिहास, भूगोल, सामाजिक ज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गृह विज्ञान, प्रकृति के बारे में ज्ञान, नागरिक शास्त्र आदि विषयों का प्रदान वक्त बहुत सारे विदुषों जो जनसंख्या शिक्षा से सम्बंधित है समावेश चाहिये है।

यह अभी तक विवाद का विषय है कि क्या विषय वस्तु के लिए प्रथम से पाठ्य पुस्तकें तैयार की जाय या विषयों के साथ ही पढ़ाया जाय। यह 'परिवार कल्याण' तथा 'शिक्षा विदो' के परस्पर विचार-विमर्श तथा सहयोग के उपरान्त ही निश्चय लेना बाध्य होना होगा।

विभिन्न राज्य जनसंख्या-शिक्षा की उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए इसको विद्यालय पाठ्यक्रम में उचित स्थान देने हेतु प्रयत्नशील है।

राजस्थान राज्य के शिक्षा विभाग ने कक्षा 8 तक की सामाजिक अध्ययन सम्बन्धी राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों में जनसंख्या शिक्षा सम्बन्धी कुछ पाठों का समावेश किया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने भी इस दिशा में माध्यमिक स्तर पर कुछ प्रयास किया है।

## जनसंख्या-शिक्षा का पाठ्यक्रम (Curriculum of Population Education)

जनसंख्या शिक्षा एक अभिनव शिक्षण प्रवृत्ति है। अतः इसके पाठ्यक्रम का निर्माण व क्रिया ब्ययन उचित शोधन, परिवर्तन व अनुभव के आधार पर

सावधानी से किये जाने चाहिए। सभी स्तरों के बालकों का जनसंख्या शिक्षा प्रदान करने में शिक्षण संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। वे छात्र व अध्यापकों को जनसंख्या की वृद्धि व उसके सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक प्रभावों के बारे में सचेत करने हेतु प्रभावशाली एजेन्सी के रूप में कार्य करती हैं। अन्य महत्वपूर्ण कार्य उद्देश्यों की विधाविवृति हेतु ज्ञान प्रदान कर उनकी अभिरूचियों को विकसित करने में सफल हो सकें, ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाय।

लेकिन खेद है कि 'जनसंख्या-शिक्षा' एक गम्भीर समस्या विद्वद्-यात्री होने के बावजूद भी उसके पाठ्यक्रम के लिए उपयुक्त साहित्य भी अप्रयाप्त है। डा० स्लोन वे लैंड (Dr Sloan way Land) ने तो यहाँ तक कहा है कि विश्व में एक भी देश ऐसा नहीं है जिसने इस प्रसंग में सवमाय प्रतिरूप (Model) तैयार किया हो।<sup>1</sup> फिर भी हम यूनेस्को की वर्गकॉक विचार गोष्ठी में जनसंख्या-शिक्षा के पाठ्यक्रम में निम्नांकित पक्ष सम्मिलित किये जाने का निश्चय लिया गया।<sup>2</sup>

(1) जनसंख्या वृद्धि के निर्धारित तत्त्व (Determinants of Population Growth) — जनसंख्या वृद्धि के निर्धारक तत्वों से अवगत होने से विद्यार्थी परिवर्तनशील समाज के सदस्य में जनसंख्या वृद्धि के आधारभूत कारणों को समझते हैं। यद्यपि प्रत्येक समाज में सांस्कृतिक प्रतिमान भिन्न-भिन्न होते हैं। इन निर्धारक तत्वों को समझकर वे इस समस्या के विभिन्न पक्षों का अध्ययन कर सकते हैं।

(2) जनसंख्या वृद्धि के परिणाम (Consequences of Population Growth) — को पाठ्यक्रम में इसलिये सम्मिलित किया गया है कि विद्यार्थी 'मिक्रो एव मैक्रो स्तरों में (Micro and Macro Levels) पर जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणामों को आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से ग्रन्थ क्षेत्रों तथा पदार्थ, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, रोजगार आदि क्षेत्रों में देख सकेंगे। ये दुष्परिणाम परिवर्तनशील प्रदूषण के रूप में भी देखे जा सकते हैं।

(3) जनसांख्यिकी (Demography) — जनसांख्यिकी जर्मात समाज की स्थितियों को बतलाने वाले महत्वपूर्ण आंकड़ों को पाठ्यक्रम में इसलिये सम्मिलित किया गया है कि विद्यार्थियों उर्वरता (Fertility), मृत्यु दर (Mortality) तथा प्रवासन (Migration) के कारण जनसंख्या संरचना में परिवर्तनों को समझ सकें। विद्यार्थियों को जनसंख्या संख्या भी ग्राफों के विवरण चरन तथा उनके आधार पर जीवन-स्तर से सम्बन्धित सम्भावित निष्पत्ति निकालने का प्रशिक्षण भी

1 NCERT, Readings in Population Education (P/57)

2 UNESCO, Population and Family Planning (P/34)

जनांकिकी द्वारा मिनता है तथा वे वतमान एव भूतनालीन प्रवृत्तियो (Trends) व जाधार पर भविष्य म जनसह्या वडि का आकलन वर सकत हैं ।

उपरोक्त तीन पक्षा के अतिरिक्त निम्नांकित दो पक्षा जनमरपा-शिक्षा क पाठयक्रम म सम्मिलित किये जाने बाछनीय है<sup>1</sup> —

(4) मानव प्रजनन (Human Reproduction) — इस दृष्टि से पाठयक्रम म बाछनीय है कि जिससे विद्यार्थी यह समझ सके कि शिशु का जन्म कोई आकस्मिक घटना या देवी कृपा का फल नहीं है बल्कि विद्यार्थियो म यह जागृकता उत्पन हो सके कि जब वे वैवाहिक-जीवन म प्रवेश करें तो वे अपने परिवार के आकार के विषय मे यायसगत निर्णय ले सके । प्रजनन की शिक्षा देने म आपत्ति करना निरथक है क्योकि उच्च प्राथमिक कक्षाओ के सामान्य विज्ञान के पाठयक्रम मे प्रकरण पहले से ही पढाये जा रहे हैं ।

(5) जनसंख्या सम्बन्धी नीतियाँ एव कार्यक्रम — जो सरकार द्वारा अपनाये और क्रियावित किये जा रहे हैं उहे पाठयक्रम मे सम्मिलित किया जाना चाहिए क्योकि विद्यार्थी प्रतिदिन प्रचार साहित्य एव कार्यक्रमो के माध्यम से इन प्रवृत्तियो से अपने पर्यावरण से परिचित हो रहे हैं तथा उनकी स्वाभाविक जिज्ञासा उहे समझने की होती है । अत उह देश व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रियावित किये जा रहे, एस कार्यक्रमो एव नीतियो से अवगत कराना चाहिए ताकि व इनम सहयोग देने की अभिवृत्ति विकसित कर सकें ।

जनसंख्या शिक्षा के उपरोक्त पाठयक्रम किस प्रकार से शाला पाठयक्रम म समाविष्ट किया जाये और उसे क्रियावित रूप दिया जाये यह समस्या विचारणीय है ।

## राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा प्रोजेक्ट व पाठयक्रम —

जनसंख्या शिक्षा के पाठयक्रम म उसकी अवधारणा, जनसंख्या वडि तथा शक्षिक आर्थिक सामाजिक विकास, जनसंख्या वडि एव परिवार कल्याण, स्वास्थ्य सरकार की जनसंख्या सम्बन्धी नीति तथा भारत एव विश्व म जनसंख्या की स्थिति । यद्यपि जितना इस समस्या के समाधान हेतु युद्ध स्तर पर समाधान करने का सफल प्रयास किया जाना चाहिए था उतनातो नहीं हो पाया फिर भी 1980 म गुरु किये गये राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा प्रोजेक्ट के तत्वाधान म देश के सोनह राज्यों ने आथमिक और उच्च प्राथमिक स्तरों के लिये और चौदह राज्यों ने माध्यमिक स्तर के लिये पाठयक्रम तैयार कर लिया है । यह प्रोजेक्ट स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से चलाया जा रहा है तथा

1 Ramesh Chandra Implementation of the Population Education programme (नया-शिक्षक जनवरी-माच 1975 P/69)



1	उद्देश्य	1 सूचना सामान्य ज्ञान	1 सूचना एवं प्रभिवृद्धि
2	विषय वस्तु (Goal)	2 जनसंख्या वृद्धि तथा उसका हमारे जीवन पर प्रभाव	2 जनसंख्या वृद्धि तथा उसके कारण उसके प्रभाव का विश्लेषण करना व समाधान
3	अध्यापन विधि (Method)	3 विभिन्न विषयों में की मिलाकर पढ़ाना जो पाठ्यक्रम में है।	3 विभिन्न विषयों जो पाठ्यक्रम में है उन्हें पढ़ाना तथा जनसंख्या की गतिशीलता पर विशिष्ट लोगों का भाषण।
4	विषय वस्तु (Material)	4 विवरणात्मक उसी पाठ्यपुस्तक को काम में लेना जो पढ़ाई जाती है।	(1) विश्वरणात्मक व विश्लेषणात्मक पाठ्यपुस्तक और अतिरिक्त अध्यापन (ii) सामग्री के बारे में जान
5	अध्यापक (Staff)	5 शाला का वे ही अध्यापक जो अध्यापन करते हैं	(1) वही शाला अध्यापक
6	विषय (Subjects)	6 मूल्य से विषय वस्तु नहीं हो, व्यक्तिगत व परिवार	(ii) विषयों के विज्ञान जो विशिष्ट योग्यता करने सक्षम व्यक्ति के रूप में
7	प्रसंग (Context)	7 व्यक्तित्व व परिवार	जनसंख्या शिक्षा से सम्बन्धित उद्देश्यों की
8	उपागम (Approach)	8 पूरा रूप से अप्रत्यक्ष तथा परिवार की स्थिति।	पाठ्य वस्तु में ज्ञान प्रदान करना। परिवार तथा समाज
9	अध्यापक शिक्षा (Teacher Education)	9 (i) जनसंख्या वृद्धि की समस्या का अध्यापन के अध्यापन में विधियों का सम्बन्ध। (ii) ग्राम, वस्ती व जिला राज्य एवं देश की जनसंख्या के बारे में ज्ञान प्रदान करना।	8 अप्रत्यक्ष लेकिन सामाजिक परिवर्तन से सम्बन्ध स्थापित कर सके। 9 (i) विषयों के सहसम्बन्ध स्थापित कर जनसंख्या वृद्धि के बारे में अधिगम करवाना (ii) जनसंख्या की गतिशीलता, जनाना की के बारे में ज्ञान प्रदान करना। (iii) पाठ्यक्रम में मुख्य विषय वस्तु के बारे में पूर्व ज्ञान के आधार पर जनसंख्या शिक्षा का सम्बन्ध स्थापित करने का समावेश करना।

इस पर लगभग 5 करोड़ 20 लाख रुपये काय किया जायेगा। इस प्रोजेक्ट में 21 राज्य और 6 केन्द्र शासित प्रदेश भाग ले रहे हैं।<sup>1</sup>

**जनसंख्या-शिक्षा का कार्यक्रम** — जनसंख्या-शिक्षा के पाठ्यक्रम का विद्यमान स्तर पर कार्यक्रम हेतु उस पहले से स्वीकृत पाठ्यक्रम में किम प्रकार समाविष्ट किया जाय इस सम्बन्ध में निम्नांकित दो मत मुख्य हैं —

(1) प्रथम विषय के रूप में — जनसंख्या-शिक्षा को विद्यालय में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि इस विषय की उपरिहार्यता आज के सदन में सर्वोपरि है। ऐसी मायता कुछ लोग व्यक्त करते हैं। इस मत के विपक्ष में यह तक दिया जाता है कि विद्यालय पाठ्यक्रम पहले से अनेक विषयों के भार से बोझिल हो रहा है अतः एक नये विषय का अध्ययन करना अत्यायु के विद्यार्थियों के साथ साथ नहीं होगा किन्तु यह आपत्ति निराधार प्रतीत होती है क्योंकि यह कहना विषयों की संख्या जो आज पाठ्यक्रम में है वह अपने चरम बिंदु पर पहुँच चुकी है, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है इसके अतिरिक्त विषयों के भार को घटाने के लिये वर्तमान विषयों का अनावश्यक एवं अनुपयोगी अंश हटाया जा सकता है तथा जनसंख्या-शिक्षा को पाठ्यक्रम में बिना किसी अतिरिक्त भार के सम्मिलित किया जा सकता है। इस सम्भावना को प्रमाणित किया जा सकता है।

(2) विद्यमान विषयों के पाठ्यक्रम में समाविष्ट कर — जनसंख्या शिक्षा के पाठ्यक्रम को विद्यालय-प्रवधि के सम्पूर्ण पाठ्यक्रम में फलाकर अद्यो पाठ्यक्रम में समाविष्ट कराना चाहिए। इसका अध्ययन कराया जाना कुछ लोगों के मत में अधिक उपयोगी रहेगा क्योंकि आयु-वर्ग के अनुकूल विभिन्न विषयों के विद्यार्थियों की क्षमताएँ एक योग्यता के आधार पर अलग-अलग विषयों का विकास किया जाना उचित है। अधिकांश राज्यों में 1980 में शुरू किये गये 'राष्ट्रीय जनसंख्या-शिक्षा प्रोजेक्ट' के तत्वाधान में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तरों के लिए सोलह राज्यों ने पाठ्यक्रम तैयार किया है, राजस्थान भी उसमें एक है। इस प्रोजेक्ट पर राजस्थान में राज्य शिक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर द्वारा क्रियाविध रूप दिया गया है जो राज्य में पूर्व से प्रचलित कक्षा 3 से 8 तक की पाठ्य पुस्तकों (गणित, सामाजिक विज्ञान, मानव विज्ञान) में विद्यमान जनसंख्या शिक्षा-अंश को खोजकर उसमें जोड़ी जान वाली अतिरिक्त सामग्री का निर्धारण किया है तथा जनसंख्या शिक्षा पाठ्यक्रम को विषयवार एवं कक्षा वार विभाजित कर शिक्षण हेतु शिक्षण अधिगम त्रिपात्रों तथा उपेक्षित परिवारों को किये गये हैं।<sup>2</sup> अतः प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर पर यही पद्धति आवश्यक है। इस पद्धति के

1 The Hindustan Times, 12 March 1983

2 Population Education Publication Series p-384 (SIERT, Udaipur)

विरोध में यह तय दिया जाता है कि प्रत्येक समस्याओं में अनिवार्य विषयों में उनका स्थान सुरक्षित करना चाहिए, जैसे 'मूल्य बचत', 'यातायात नियम', 'स्काउटिंग' रेड-क्रास', नैतिक शिक्षा', 'नागरिक सुरक्षा' आदि कार्यक्रम। यदि इन सभी कार्यक्रमों को पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया तो वह और भी बोझिल हो जायेगा।

पाठ्यक्रम सम्बन्धी दूसरी समस्या यह है कि जनसंख्या पाठ्यक्रम को किस प्रकार विद्यालय स्तर की कक्षाओं में विभक्त किया जाये तथा किस विषय के पाठ्यक्रम में, इसे समाविष्ट किया जाये ताकि मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक दृष्टि से जनसंख्या का पाठ्यक्रम उपयुक्त लगे न कि एक फटे कपड़े में पैर द' की भाँति बन जाये। ये कुछ समस्याओं निरंतर प्रयोग एवं अनुभव आधार पर हल की जानी हैं ताकि जनसंख्या-शिक्षा जैसी अपरिहार्य अभिनव शैक्षिक प्रवृत्ति का पाठ्यक्रम में उचित स्थान मिल सके।

## जनसंख्या शिक्षा की प्रगति हेतु कारक

### (Factors Promoting Population Education)

जनसंख्या शिक्षा को व्यावहारिक रूप देकर उसका क्रिया ब्ययन द्रुतगति से देश में एक अभियान के रूप में किया जाये। इसके लिए इस विषय को पाठ्यक्रम में प्राथमिकता देने होगी जनसंख्या शिक्षा के प्रथम जनसाधारण तक पहुँचाना होगा, भारत व विश्व में इस विषय से सम्बन्धित साहित्य को उपलब्ध करवाना, इस शिक्षा के अभाव में हानि वाली सम्भावित कष्टों पर प्रकाश डालना होगा, विषय की पाठ्य पुस्तकें व सहायक सामग्री को तैयार करना अध्यापकों को प्रशिक्षित करें ताकि वह कक्षा में पर्यावरण बनाने हेतु उत्प्रेरित कर सकें, राज्य व केन्द्र सरकार को राष्ट्रीय समस्या के रूप में गम्भीरता से हाथ में लेकर त्रिधातित रूप देने, तथा पूर्व में प्रस्तावित कार्यक्रम में आवश्यकता व परिस्थितियों के अनुकूल संशोधन किया जाकर और राज के जनसंचार साधनों-रेडियो, टेलीविजन, आदि का भी समुचित प्रयोग किया जाये।

इन सब के उपरांत शिक्षण के मुख्य कारक शाला, अध्यापक व छात्र हैं। परंतु इनमें मनोवैज्ञानिक ढंग से एक दूसरे के परस्पर सम्बन्ध व दृष्टिकोण में समानता वांछित है। इस सम्बन्ध में प्रगते पृष्ठपर प्रदर्शित चाट से स्पष्ट होता है —

जनसख्या-शिक्षा कार्यक्रम को सफल करने वालों में सहसम्बन्ध — 1

अपरोक्ष रूप से		परोक्ष रूप से
शिक्षा विभाग	विद्यालय	1 शाला प्रबन्धकारिणी 2 सभापति 3 प्रधानाध्यापन
शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय	अध्यापक	1, अध्यापक सामग्री 2 पाठ्य पुस्तकें 3 सहायक सापग्री
अभिभावक समाज	छात्र	1 अधिगम के सात 2 पाठ्यक्रम 3 सहगामी प्रवृत्तियाँ

जनसख्या शिक्षा की प्रगति पथ पर ले जान के लिए (1) विद्यालय व पर्यावरण (2) अध्यापकों को पुनः तैयार करना तथा छात्रों को उत्प्रेरित व प्रोत्साहित करना व्यवहारिक दृष्टि से आवश्यक है, तभी इस समस्या का सही व स्थाई हल की आशा की जा सकती है। हम यहाँ संक्षिप्त में तीन महत्वपूर्ण अवयवों के बारे में विवेचन करेंगे ताकि उन्हें इस राष्ट्रीय समस्या के समाधान में कमे प्रभावी बनाकर उद्देश्यों की सम्पूर्ति की जा सके।

[1] शाला पर्यावरण नवीन ढंग से सृजन (Creation of School Climate) — भारत की परिवर्तित परिस्थिति में शाला का उत्तरदायित्व है कि वह छात्रों को व्यवहारिक जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान करने की क्षमताओं का विकास करना। राज्य की विद्यालयों में नवीन ढंग से जो समय की मांग के अनुरूप हो, का पर्यावरण निर्माण हेतु राज्य का शिक्षा-विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अनुदान प्राप्त संस्थाओं की प्रबन्धकारिणी परोक्ष रूप से तथा शिक्षा विभाग अपरोक्ष रूप से प्रभावित करता है। यदि इन दोनों को ठीक ढंग में इस नये विचार के बारे में ज्ञान दे दिया जाता है तो उनके दृष्टि कोण में परिवर्तन आयेगा और वे अपनी शालाओं में इसे क्रियावित रूप देंगे। निम्न उपाय भी आवश्यक है —

- 1 शिक्षा निदेशक को इस कार्य में सलग्न होकर जनसख्या शिक्षा की आवश्यकता के बारे में बालकों को समझाने हेतु कार्यक्रम बनावे।
- 2 निम्न जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों का चाहिए कि वे जनसख्या शिक्षा के सम्प्रत्य को क्रियावित रूप तथा उसके लिए प्रोत्साहन दें।
- 3 यदि अनुदान प्राप्त निजी संस्था (Grant in aid) है तो व्यवस्थापिका

को जनसंख्या शिक्षा पर प्रकाशित साहित्य, परिपत्र आदि शिक्षा विभाग द्वारा प्रदान कर पूरा रूप से सूचित करते रहना ।

4 शाला प्रधान जनसंख्या शिक्षा' की काय गांठी समिनार प्रशिक्षण द्वारा पूरा जान रखना चाहिये ताकि अध्यापक साथियों को पथ प्रदर्शन करने में सक्षम रहें ।

[2] अध्यापकों के नवीन ढंग से पथ प्रदर्शन (Reorientation of Teachers)—अध्यापक ही छात्रों को ज्ञान व नये विचारों के बारे में जान प्रदान करता है । अतः अध्यापकों को इन नये विचारों के बारे में नवीन ढंग से पथ प्रदर्शन व अध्यापन विषय वस्तु शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों के विस्तार सेवा' के माध्यम से प्रदान की जाय । प्रशिक्षण महाविद्यालय वर्तमान 'मूल्या' व आवश्यकता के अनुरूप अध्यापकों में नये दृष्टिकोण व अभिवृत्तियों का विकास कर सकते हैं, तभी विद्यालय में प्रभावशाली क्रियावित्ति सम्भव हो सकती है । सहायक सामग्री व विषय वस्तु के न होने की स्थिति में भी क्रियावित्ति मुश्किल प्रतीत होती है । अतः अध्यापकों को जनसंख्या शिक्षा के बारे में नवीन ढंग से पथ प्रदर्शन किया जाय । बड़ोटा से टर प्रॉल पापुलेशन एजुकेशन' में विस्तार भाषण (Extension Lectures) निम्न क्षेत्रों में प्रदान कर 'प्रभिनवन कार्यक्रम' बनाया है —<sup>1</sup>

1 जनसंख्या शिक्षा के बारे में परिचय करवाना (Introduction to Population Edu )

2 जनसंख्या वृद्धि तथा शिक्षा (Population Growth & Education)

3 जनसंख्या शिक्षा हेतु विधि एवं उपाय (Methods & Approaches of Population Education)

4 जनसंख्या शिक्षा का शालागत हेतु पाठ्यक्रम (Curriculum for Population Edu )

5 जनसंख्या शिक्षा के लिए अध्यापक की तैयारी व उत्तरदायित्व (Teacher's Role & Preparation for Population Edu )

6 जनसंख्या शिक्षा का मूल्यांकन (Evaluation in Population Edu )

7 जनसंख्या शिक्षा वास्तविक विवाद (Controversis & Issues)

8 प्रायोगिक कार्य (Practical Work)

अध्यापकों को रिपारिये टेशन प्रोग्राम हेतु निम्न कार्य किए जायें —

1 बी एड उपाधि से पूर्व सभी अध्यापकों को जनसंख्या शिक्षा पर विस्तार भाषण के माध्यम से या नियमित बी एड प्रशिक्षण में तैयार किया जाय ।

1 Population Education Centre Orientation courses in population Edu for Experimental Try out in B Ed and M Ed Classes 1979 (Mimeographed), Baroda

2 उ ह कुछ प्रम्पास पाठ जनसंख्या शिक्षा पर देने चाहिए जिसमें जनानिकी (Demography) के तथा का समावषण हो ।

3 इ ह फिल्ड र्व तथा शोध काय करना चाहिए कि जनसंख्या वृद्धि से स्वास्थ्य, कल्याण व शिक्षा कायक्रम पर व्यक्तिगत रूप से तथा समाज पर क्या क्या प्रभाव पडत है ।

4 शिक्षण महाविद्यालयों को 'जनसंख्या शिक्षा' को सूच्यांकन क प्रवर्धन पर प्रश्न पूछ जाय ।

5 पाठ्य पुस्तकों में जनसंख्या शिक्षा में सम्बंधित प्रकरण, नियमित पाठ्य पुस्तकों में ही समावषण किया जाय ।

6 भारत व विश्व में जनसंख्या की गत्यात्मक वृद्धि व बार में जान दन वाले चाट, ग्राफ पिक्चर प्राप्ति सहायक सामग्री के रूप में उपलब्ध करवाये जाय ।

7 प्रत्येक स्कूल की प्राज्ञा-पुस्तकालय में 'विशिष्ट कॉर्नर' जनसंख्या-शिक्षा के महत्त्व में बनाया जाय जहाँ अनुलय विषयवस्तु (Reference materials) उपलब्ध हो सकें ।

8 प्रत्येक शाला में श्रव्य-दृश्य सामग्री व फिल्म पुस्तकालय, की व्यवस्था की जाय । प्रत्येक राज्य में स्थिति श्रय दृश्य विभाग' से इस प्रमग में वांछित सहयोग प्राप्त किया जाय ।

### [3] छात्रों का उत्प्रेरित करना (Motivation to Pupils) —

छात्रों की भूमिका 'जनसंख्या शिक्षा' की गपचता में प्रत्यधिक हो सकती है। परंतु उ ह जनसंख्या से उत्पन्न होने वाली समस्याओं की व्यक्तिगत जीवन, समाज व राष्ट्र पर किस प्रकार प्रतिकूल प्रभाव पडता है और मय समस्याओं कष पदा हाती है इस बात का हृदयगम करवाता । पढे लिखे अभिभावक अधिर जनसंख्यास रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं की समस्या के बारे में जान देत है । लकिन भारत में अधिनात अभिभावक पढे-लिखे नहीं है व इस अनुचित समझत हैं।<sup>1</sup> एम जे पाठक ने संक्षिप्त शोध हेतु लिए गये साक्षात्कार में अभिभावकों के दृष्टिकोण निम्नलिखित है—

(अ) यह परिवार नियोजन का दूसरा नाम है (आ) यह यौन-शिक्षा से सम्बंधित है, (इ) जनानिकी (Demography) गत्यात्मकता (Dynamics) जने मुश्किल सम्प्रत्य छाटे बालकों के लिए मुश्किल प्रतीत होत है (ई) यह विशेषी प्रायात किया गया विचार है जो भारत में लागू किया जा रहा है ।

'जनसंख्या शिक्षा' पर बडोदा के ड्र ने 25 प्रश्न उत्तर, की एक नुकलेट उपार की है जो अभिभावकों को संकल्पना तथा शालाओं में इसके प्रस्थापन के उपायों का जान प्रदान किया है ।<sup>2</sup>

1 Puthal M J 'A Study of Population Awareness Among Father of X class Students at Varnama Village' (M Ed Student, 1970-71) Baroda

2 Population Education Centre Know About Population Education' 1970, Baroda Faculty of Edu



## मूल्यांकन (Evaluation)

### (अ) लघूत्तरात्मक प्रश्न (Short Answer type Questions)

- 1 जनसंख्या शिक्षा के पांच मुख्य उद्देश्य क्या हैं ? (बी एड 1984)
- 2 जनसंख्या शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधक तत्वों को बताइये । (1983)
- 3 'वास्तविक समस्या जनसंख्या' वृद्धि नहीं, अपितु उत्पादकों का विपणन विवरण है ।' इस कथन की परीक्षा कीजिए । (राज बी एड 1982)
- 4 "समस्या जनसंख्या वृद्धि की नहीं, राजनतिक कुप्रवृत्तियों की है ।" डा० के० श्रीनिवासन । विवेचना कीजिए—इस कथन के पक्ष में तीन तथा विपक्ष में दो तर्क दीजिए । (बी एड राज 1981)
- 5 जनसंख्या शिक्षा को आवश्यकता पर टिप्पणी लिखिए ।  
(राज बी एड पत्राचार 1981)

### (ब) निबन्धात्मक प्रश्न (Essay type Questions)

- 1 'जनसंख्या शिक्षा' तथा 'यौन शिक्षा' में भेद स्पष्ट कीजिये । माध्यमिक विद्यालयीय स्तर पर इनकी शिक्षा प्रारम्भ करने के बारे में टिप्पणी कीजिये और बतलाइये कि ऐसा करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है । (बी एड पत्राचार 1985)
- 2 जनसंख्या शिक्षा को परिभाषित कीजिये । इस परिभाषा से मुख्य बिंदु निकालिये । शिक्षकों का जनसंख्या शिक्षा में कार्य और कर्तव्य भी लिखिये ।  
(बी एड 1984)
- 3 शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण में किस प्रकार सहायक हो सकती है तथा इसके विपरीत जनसंख्या नियंत्रण शिक्षा में किस प्रकार सहायक हो सकता है ?  
(बी एड पत्राचार 1984)
- 4 जनसंख्या शिक्षा की विद्यालयी शिक्षा में भूमिका स्पष्ट कीजिए तथा इसके प्रभावी क्रिया ब्ययन हेतु सूचनात्मक मौलिक सुभाव दें ।
- 5 जनसंख्या शिक्षा का अर्थ, उद्देश्य, आवश्यकता स्पष्ट कीजिए । इस शिक्षा की प्रगति हेतु विद्यालय वातावरण, शिक्षक व छात्र किस प्रकार उद्देश्य पूर्णता में सहायक हो सकते हैं ?



[प्रस्तावना—यौन-शिक्षा का अर्थ भारतीय एवं पाश्चात्य मत-आवश्यकता-उद्देश्य-सिद्धांत-विभिन्न स्तरों पर यौन शिक्षा-विद्यालय व यौन शिक्षा-पाठ्यक्रम अधिगमविधियाँ-उपसंहार-मूल्यांकन]

विषय प्रवेश — यौन-शिक्षा को माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शालाओं में प्रदान करने के प्रसंग में शिक्षा प्रशासकों व नियोजकों ने विभिन्न प्रकार से अधिगम करवाने की व्यवस्था हेतु सुझाव प्रदान किया है क्योंकि यह एक विश्व व्यापी समस्या होने के फलस्वरूप अत्यधिक चिंता करत हुए ध्यान आकृषित किया गया है। पूर्व में 'यौन-शिक्षा' के प्रसंग में एक धारणा बनाई गई थी कि पाठ्यक्रम में जीव-विज्ञान की विषय-वस्तु में समावेश कर दिया जाय प्रजनन उत्पादन शक्ति, तथा प्रजनन इंद्रियों के सामान्य रोगों के बारे में स्वास्थ्य-शिक्षा प्रदान करते वक्त विचार विमर्श कर लिया जाय। आज छात्र छात्राओं सहविचरण प्रवृत्ति को भी वहीं पाठ्यक्रम में विचार विमर्श हेतु निर्धारित करने मात्र से यौन के बारे में सामान्य ज्ञान छात्रों को स्वतः ही प्राप्त हो जायेगा। लेकिन हम देखते हैं कि आज यौन शिक्षा वास्तव में माध्यमिक शिक्षा में अत्यधिक गम्भीर व चिंताजनक समस्या के रूप में खड़ी है।

आज यौन शिक्षा के प्रसंग में नवीन दृष्टिकोण गम्भीरता से लिया जा रहा है उसके प्रमुख दो कारण हैं प्रथम पूर्व विवाहित सभोग (Premarital Coitus) वगैरे विवाहित किशोरियों का माँ बन जाने की घटनाएँ निरंतर बढ़ रही हैं, वैज्ञानिक किशोरियों द्वारा गर्भपात, प्रजनन इंद्रियों के सम्बंधी सामान्य रोग जैसे गुजाव (Gonorrhoea) आतिसक (Syphilis) प्रदर (Leucorrhoea) घनि, हस्त मयुत (Masturbation), वंदनावृत्ति समलिंगता तथा प्रतिजातीय वस्त्रधारण करना आदि प्रमुख हैं। यह सामाजिक समस्याएँ यद्यपि कुछ उदाहरण स्वल्प ही हैं जिसका कारण अपरिपक्वता तथा गलत लोगों गलत ढंग से यौन शिक्षा प्रदान करना है। नैतिक व सामाजिक स्वास्थ्य परिपक्व ने निष्कण निकास है कि लपनम दम से पंद्रह प्रतिशत इंद्रियों के सम्बंधी रोगों से पीड़ित होते ही हैं।<sup>1</sup> और लगभग आठ प्रतिशत 13 से 19 वर्ष तक की उमर के बालक इस

1 Memorandum on Sex Edu to the Edu Commission of the India by Association for Moral & Social Hygiene in India (P/4)

रोगा के फलस्वरूप मौत के घाट उतर जाना है। इस उम्र के बच्चे सामान्यतः माध्यमिक उच्च माध्यमिक शालाघ्रा म दृष्ययन रत होते हैं। द्वितीय प्रभाव सका रात्मक मानवना के प्रति सही दृष्टिकोण का अभियान, कोमल हृदयता, ज्ञान, मानवीय सहमन्त्र धो का विकास शिक्षा क द्वारा, और शिक्षा उद्देश्य, यौन के बारे मे नान प्रदान की जिम्मेदारी है। द्वितीय दृष्टिकोण अस्वीकार ह क्योंकि यौन अत्यधिक क्षमता सुराई ह। वैज्ञानिक विकास ने यौन के बारे म नये विश्वास वान काय सम्भवतः विण है। इम समस्या के समाधान हेतु विद्व व्यापी प्रयत्न हो रहे है परन्तु तीन-चार गम्भार का प्रश्न है कि यह उडा नाजुक व उलझे हुए विषय का कसे पढाया जाय कौन-कौनसी विषय वस्तु का समावेश किया जाय, कब पढाया जाय, कौन पढाये। प्रादि प्रश्ना के प्रतिउत्तर नहीं है।

मवम मद्रवपूण प्रश्न है कि यौन शिक्षा कौन पढाये? उपयुक्त, मघासीन निरापद तथा किशोर बालक व बालिकाघ्रा क साथ रहने म तथा उक्त शिक्षा प्रदान करने म धानादित महधुस करे तथा जिसकी शिक्षा उगत म प्रतिष्ठा हा ऐस शिक्षा विद् को प्रध्यापन हेतु उपयुक्त कह सकत ह। एसा अध्यापक जो छात्र और छात्राओ स पूछी गई सूचनाएँ स्पष्ट व सत्य से श्रोत-प्रात हा प्रदान करने मे सफल रहे। असबाशील व ग दे दिमाग क प्रध्यापक नाम की वजाय हानिप्र सिद्ध हो सकते हैं।" किस प्रकार यौन शिक्षा दी जाय? यह प्रश्न एसा है जिस प्राकस्मिक उपागम द्वारा दी जाय और इसे छात्र छात्राभा का अन्य समय म टी जाय और इमके दूरगामी परिणामो के बारे म मचेत कर दिया जाय। यौन-शिक्षा म विषय वस्तु क्या हो? अध्यापक को जीवन के विनान मनोविनान मनुष्य जाति का विज्ञान, समाज शास्त्र तथा अय उपयुक्त विषय वस्तु को इन प्रकरणा म समावेश करते हुए एकीकरण रूप म रक्ता जाना वाछिा है। जहा तक इत विषय का कब पढाया जाये। इम प्रसंग म हम पूव प्राथमिक कक्षा स हि दो सामाजिक ज्ञान, के सामा य विनान, गणित प्रादि विषया स सहसम्ब व स्थापित करत हुए उह पढाना उचित है परन्तु बारह वष की अवस्था म गम्भीरता स लेते हुए विषय क बारे म सही सूचनाएँ प्रदत्त की जानी वाँछिन है।<sup>2</sup>

### यौन शिक्षा का अर्थ

यौन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालकी व बालिकाघ्रा का उमश जादमी व औरत के रूप म विकास के स्तर के अनुकूल परिवर्तन हाने का रूपबद्ध नान प्रदान करना। यौन शिक्षा का परोक्ष व अपरोक्ष रूप स सारी शिक्षा व्यवस्था को प्रभा वित करता है और मानसिक अस् तुलन स सुरक्षा, यौन रोगा के प्रसार तथा

2 Alexander, William M (Ed) The Changing Sec School Curriculum Reading NY

त्व का सहज ही विकास प्रशिक्षण प्राप्त कर व्यवहारिक जीवन म समायोजन म सहायक सिद्ध होने मे सक्षम हो सकें । यह जीवन की परिपक्वता, को जो शरीर सेवेगा, दिल व दिमाग पर प्रभाव डालता है । अतः,

(1) यौन शिक्षा को परिपक्वता जीवन की शिक्षा से किसी भी स्थिति म अलग नहीं की जा सकती ।

(2) यौन शिक्षा भविष्य के जीवन के उत्तरदायित्व से सम्बन्धित होनी चाहिए क्योंकि म किशोर ही कालांतर म व्यवहारिक गृह्य जीवन व सामाजिक जीवन म अपने उत्तरदायित्वो को निभाना है ।

(3) यौन शिक्षा सामाजिक व नैतिक-मूल्या से एकीकृत की जानी चाहिए । यौन शिक्षा 'मद' व 'जनाना' के द्वारे में ज्ञान प्रदान करती है । स्त्री व मद के जीव की बनावट मे जो विभिन्नता है उसके बारे में ज्ञान प्रदान करता है । यौन सम्बन्धी बिमारिया, उसके प्रति सचेत रहना व उपाय आदि के बारे में युवक व युवतियो को वाञ्छित ज्ञान प्रदान किया जाना । काम शिक्षा का क्षेत्र अन्तर-व्यक्तिगत सम्बन्धो पर है और सम्पूर्ण जीवन क विकास में कामेच्छा की भूमिका पर भी बल देता है । काम शिक्षा को क्रमबद्ध व व्यवस्थित रूप से प्रदान करने से चरित्र निर्माण में सहायक सिद्ध हो सकता है । इसमें भौतिक, मानसिक, सवगात्मक सामाजिक, आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक मानव सम्बन्धों में प्रभावित होते हैं । इस शिक्षा में यह निहित है कि मानव की कामुकता उसके सम्पूर्ण जीवन से एक स्वास्थ्य की इकाई के रूप में और एक सजनात्मक शक्ति के रूप में सम्बन्धित है ।

### प्राचीन भारत व यौन शिक्षा (Ancient India & Sex Education)

प्राचीन भारत म यौन शिक्षा को बच्चे पैदा करने के साधन के रूप म नहीं लिया गया था बल्कि स्वस्थ्य आमोद प्रमोद के साधन के रूप म लिया जाता था । प्राचीन ऋषि मुनियो ने जीवन के सारे ज्ञान को चार भागो म विभक्त किया है धर्म (Duty) धन (Money), काम (Injoymment) व मोक्ष (Liberation) प्राचीन ऋषियो न काम को उतना ही महत्व दिया है जितना धर्म धन या मोक्ष को प्रहस्या धर्म म काम का बहुत महत्व है । ऋग्वेद म लिखा है—

यमस्या या यम्य काम प्रागन यामने यौनो सदशेय्याय ।

जायेव पत्ये तव रिचिष्या कि चिद् वृहेव रथ्येव चञ्जा ॥ (10 10 7)

अर्थात् मुक्त ब्रह्मचारिणी का कामना है कि मैं अपने समान ब्रह्मचारी को करूँ और उसके साथ शयन करूँ, उसे पति मानकर उसकी पत्नि बनकर रहूँ । बनना शरीर उसके अर्पण कर दूँ । हम दोनों, रथ के दो पहियों के समान दृष्टी रूपी रथ को चलाएँ । इस प्रकार काम अर्पण म पवित्र है और प्रहस्या-

धर्म के सम्पूर्ण सुख के लिए काम शास्त्र का अध्ययन आवश्यक है। इसीलिए मृष्टि व आरम्भ में भगवान् प्रजापति ने धर्म और अर्थ के साथ 'काम' पर भी उपदेश दिए और उही के आधार पर भगवान् महादेव क मनुचर 'न 1' ने काम सूत्र की रचना की। वात्स्यायन ने काम-सूत्र की रचना की जिसमें यौन सम्बन्धी नियमों तथा यौन-क्रिया पर प्रकाश डाला है। वे काम को धर्म और अर्थ के समान श्रेष्ठ मानते हैं। ज्योति ऋषि द्वारा पञ्चाश्वर जयदेव द्वारा रतिमञ्जरी, भानुसूत द्वारा 'रसमञ्जरी' आदि ग्रन्थों की रचना की गई है। कोका नामक लखरू ने 'कोकशास्त्र' की रचना की जिसमें स्त्रियों के भेद और रति-क्रिया पर प्रकाश डाला गया है। इन काम शास्त्रों में मनुष्य को सामाजिक-सीमाओं में ही यौन-ग्राम्यता का लाभ लेने के साथ ही इन्द्रियों पर नियंत्रण पर जोर दिया गया है।

भारतीय संस्कृति में शिव व शक्ति का सत्कार का प्रतीक माना है 'गृह्य-आश्रम' और उनके कृत्यों पर बल देना कारण ही स्त्री और पुरुष का समान अधिकार प्रदान करने से था। लेकिन वर्तमान में आज भारत की सत्ता को व्यवहारिक रूप में कम करने हेतु समाज पुनः उत्थान प्रयत्न कर रहा है।

प्राचीन भारत की कला और यौन शिक्षा - नृत्य में नारी का लक्ष्मी का प्रदर्शन किया जाता रहा है। एलोरा व एलीफंटा की गुफाओं में हिंदू मंदिर जैसे पुरी कोनाक खजुराह आदि में मंदिर व यौन, यौन-सम्बन्धी के चित्रण किया गया है। मध्यकाल में इस कला माना है और स्वतंत्र रूप से विचार-विमर्श होत थे। आधुनिक काल में यह सब लुप्त हो रहा है। जिस समाज मन्त्री को यौन-नैतिक साधन के दृष्टि से देखा जाता है वह समाज पतन की ओर चला जाता है। यदि मनुष्य आज के भौतिकवाद में धर्म का प्रतीक है तो नारी आध्यात्मिक क्षेत्र का प्रतीक है। इन दोनों के पवित्र सम्बन्ध में ही मानव सभ्यता का वैभवं क्षीण हुआ है। अतः भारत में तो यौन-शिक्षा धार्मिक सामाजिक व सांस्कृतिक पहलु पर ही आधारित है।

यौन शिक्षा का महत्व एवं आवश्यकता —

(Importance and Need of Sex Education)

काम प्रवृत्ति एक जन्मजात प्रवृत्ति है जो प्रत्येक प्राणी मान में पाई जाती है। मुसलिम मनीषात्मक फ्रयड के अनुसार यह प्रवृत्ति जन्म-काल से ही व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करने लगती है। आगे एक जगह तो लिखा है— 'सत्कार की सम्बन्ध क्रियाओं का आधार यौन ही है।' भारतीय संस्कृति में शिव व शक्ति को समार का प्रतीक माना है। आज सामाजिक लक्ष्य व समाज विरोधी वाद-हत्या, तलाक आदि यौन-धर्म यानि यौन-शिक्षा से अभिन्नता ही है अतः इस



सभोग के फलस्वरूप स्त्री का गभवती होने का जबरदस्त भय व्याप्त है। यौन शिक्षा अत्राकृतिक उपायो से ज म निरोध का शिक्षण देता है। जिससे नवयुग विवाहपूण सभोग करने म रूचिकर हो सके। यद्यपि भारतीय मूल्यों के यह प्रतिकूल है। भारतीय लड़कियों की विवाहित होने की औसत उम्र 14½ वष है लेकिन ग्रामीण बालिकाओं का तो बहुत छोटी उम्र म भी शादि हो जाती है यहा तक की 10 वष या उससे पूव के उदाहरण भी बहुतायत से मिलते है लेकिन उह यौन के बारे म कोई पान नही होता जो अधिक हानिप्रद सिद्ध होती है परिवारिक जीवन तथा व्यक्तिगत स्वास्थ्य के दृष्टिकोण स भी।

भारतीय ग्रामीण गाय, भस बररी आदि जानवरों के माध्यम स ही यौन क्रियाओं के बारे म ऊपरी ज्ञान प्राप्त करत है। व यौन के बारे म क्या सोचते है वही पान उह रहता है क्याकि यौन के बारे म विविध परिवार के लोगों द्वारा पान प्रदान करने की परम्परा नही है। बाहर के लोगों स यह न प्राप्त करते है अद्यापक इंद्रियों के द्वारा उपलब्ध पान को हृदयगम करवान का काय कर सक्ते है।

यद्यपि बहुत स भारतीय ग्रामीण अभिभावकों को चाहिए कि व यौन शिक्षा उनके बालक व बालिकाओं को प्रदान की जाय। सामाजिक पर्यावरण व पारिवायिक सम्यता के निरंतर पढत हुए प्रभाव के फलस्वरूप वादित है कि छात्र व छात्राओं को इस बारे म ज्ञान प्रदान किया जाय ताकि विभिन्न प्रकार की अत्रसामाजिक वृत्ता स समाज को बचाया जा सकता है और शुद्ध अभिरुचियों का विकास होने की अधिक सम्भावनाएं बन सके। क्याकि इसका उद्देश्य व्यक्ति को कंट्रोलिक परिस्थिति म अपना उत्तरदायित्व सम्पन्न हेतु सहायता देना है।

अमेरिका की यौन सूचना एव शिक्षा परिषद् ने यौन-शिक्षा कायक्रम को शिक्षा का अभिन्न भाग बनाय जाने के प्रसंग म निम्न-उद्देश्य बतलाये है<sup>1</sup> -

(1) स्वयं के शारीरिक मानसिक एव भावात्मक परिपक्वता की काय करने की रीति व्यक्तिगत रूप स पान प्रदान करना जो यौन से सहसम्बन्धित है।

(2) व्यक्तिगत यौन विकास स चि ता व ओकुलता की स्थिति को दिमाग से निष्कासित करते हुए सही समायोजन करने हेतु उत्प्रेरित करना।

(3) छात्रों म यौन शिक्षा के उद्देश्यों व अपेक्षित अवबोधन के उपरांत अभि वक्तियों का विकास करवा व्यक्तिगत व सामुहिक रूप से यौन के बारे में बहुत से अस्पष्टता को स्पष्ट करना।

1 Lester A Kirkendall, Sex Education Secub Discussion Guide  
No 1 Sex information & Education council of the US, 1985  
Bradway NY

(4) व्यक्तिगत अतृष्ट यौन के बारे में पैदा करना ।

(5) यौन के बारे में सूक्ष्म भेदों को समझने की शक्ति पैदा करना क्योंकि व्यक्तिगत रूप से, व परिवार से किसी न किसी रूप में सम्बंधित है ।

(6) छात्रों के नतिक मूल्यों के विकास की आवश्यकता के बारे में ध्रुवबोध करवाना ।

(7) छात्रों को व्यक्तिगत रूप से इस विषय का पर्याप्त ज्ञान करवाना ताकि यौन के बारे में गलत धारणा न बना सके और शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को खराब करने से बचाया जा सके ।

(8) वश्यागमन, ध्रुव शिशुओं का जन्म, प्राचीन यौन कानून, जर्बजना, पमानुसिक सभोग, जैसी धर्ममाजिक बुराईयों को जड़ों से समाप्त करने हेतु क्रियाशील बनाने हेतु उत्प्रेरित करना ।

(9) व्यक्तिगत यौन के जाति भेद को समझते हुए प्रभावशाली उपयोग करना तथा साथ ही पति ध्रुव पति, अभिभावक समाज के सदस्य व नागरिक के रूप में विभिन्न सृजनात्मक उत्तरदायित्वों का निर्वाह करना ।

**उच्च प्राथमिक शाला में यौन शिक्षा के उद्देश्य :—** स्ट्रेन एफ बी (Strain F B) के अनुसार "यौन शिक्षा में बालक मनबहुलाव व प्रयोग हेतु यौन क्रियाएँ करता है—एक किशोर या प्रौढ की भाँति उसका उद्देश्य नहीं होता है ।" अतः उच्च प्राथमिक शालाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को यौन शिक्षा दी जानी चाहिए, जिसके निम्न उद्देश्य हैं —

(1) यौन के बारे में परिपक्व दृष्टिकोण का विकास करना ।

(2) बालक का पैदा होना तथा उसके विकास के बारे में वैज्ञानिक ढंग से ज्ञान देकर उनका डर और चिन्ताओं को दूर करना जैसे स्वप्न-दोष, मानिक-ध्रुव आदि के बारे में गलत धारणाओं को स्पष्ट करना, इहे सेपटी बाल' की रचना देकर ध्रुव को दूर करना ।

(3) विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से 'यौन' पर वार्तालाप करने हेतु प्रोत्साहित करना ।

(4) विद्यार्थियों को जीवन के उच्च नियमों और परिवार के उच्च धारणाओं को धारण करने हेतु प्रोत्साहित करना ।

(5) अपने बदलते हुए बचपन से पारिवारिक जीवन को अच्छे ढंग से व्यतीत करने के बारे में ज्ञान देना ।

(6) सफल शादी के विभिन्न तत्वों के बारे में ज्ञान देना ।

(7) यौन से सम्बंधित विचारों के बारे में ज्ञान, उनसे बचने के उपाय करवाना ।

(8) यौन-स्वास्थ्य की जानकारी प्रदान करना ।

(9) सह शिक्षा के प्रचार को ध्यान में रखते हुए छात्र-छात्राओं का सही अभिवृत्तिया व दृष्टिकोण का विकास करना ।

**माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्तर पर यौन शिक्षा के उद्देश्य -**

- (1) समाज में परिवार के उत्तरदायित्व को समझाना ।
- (2) आधुनिक रहन-सहन का परिवार पर पड़ने वाले प्रभाव को समझाना ।
- (3) परिवार में प्रत्येक व्यक्ति का स्थान व भ्रम सदस्यों की रुचि, योग्यताएँ, भादि का ग्रहण करना ।
- (4) दूसरे लिंग के लोभों से बचाना, मिलना-जुलना आदि के तौर तरीकों को समझाना व स्वस्थ दृष्टिकोण का विकास करना ।
- (5) एक साथी के ब्या अच्छे गुण होने चाहिए । "भावार्थक-परिवर्तन" का महत्व समझाना तथा समाज की व्यवस्था व मूल्यों के बारे में समझाना ।
- (6) बच्चे के जन्म से जो उर व्याप्त है उसे दूर करना, यम सम्बन्धी जानकारी प्रदान करना ।
- (7) गर्भाधान के बारे में अंध विश्वास को दूर करना व गर्भाधान की प्रक्रिया को समझाना ।
- (8) शादी की जिम्मेदारिया, पवित्रता और पारिवारिक सुविधाओं व उनके ध्यान व को समझाना ।
- (9) टूट हुए परिवारों के कारण और प्रभाव को समझाना और इस सम्बन्ध में निर्देश प्राप्त करने के लक्ष्य की जानकारी प्रदान करना ।
- (10) अभिभावकों के उत्तरदायित्व को समझाना और बच्चों के द्वारा यौन सम्बन्धी प्रश्न के स्पष्ट जवाब देने की शक्ति प्रदान करना व यौन के बारे में सही दृष्टिकोण प्रदान करने हेतु तैयार करना ।

**यौन शिक्षा कौन प्रदान करें ? (Who should Teach Sex Education) अभिभावक (Parents) -**

छात्र व अभिभावकों के प्रारम्भ से घनिष्ठ सम्बन्ध रहते हैं। उह यौन शिक्षा को अनौपचारिक रूप में प्रदान करने के बहुत से अवसर मिलते हैं। जितने समय किमी को भी नष्टी। व उनसे जीवन, प्यार दख-रल रखरखाव तथा उपहार प्राप्त करते हैं, तब स्वभाविक है कि उन पर सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। अतः अभिभावकों का प्रमुख उत्तरदायित्व है कि वे यौन शिक्षा प्रदान करें लेकिन दुर्भाग्य है कि बहुत ही कम ऐसे अभिभावक पाये जा इस कर्तव्य का निर्वाह करते हैं। लेकिन जब बालक अभिभावकों से दूर अथवा अध्ययन हेतु जाते हैं तो वे यौन सम्बन्धी बातों को व मूखनाएँ मित्रों से होने वाली बातों से, सिनेमा से तथा पत्र-पत्रिकाओं से प्राप्त करते हैं। अपने स्वयं के अभिभावकों से इन



सम्बन्ध में कोई ज्ञान-प्राप्त नहीं करते। यह दुःख की बात है कि अभिभावक छात्र-छात्राओं की किशोर-अवस्था और उसमें होने वाली मानसिक परिवर्तन के बारे में गहराई व गम्भीरता से नहीं सोचते। ऐसी स्थिति में प्रसमायोजित हो जाते हैं या यौन सम्बन्धी असमाजिक व्यवहार करने लगते हैं। अभिभावकों द्वारा इस प्रसंग में अपने कर्तव्य निर्वाह करने में सचेत न होने से किशोरों में व्यग्रता प्रसम जस-तथा गलत धारणा बन जाती है और उनमें शरीर के किसी भी अंग में कमजोरी उत्पन्न हो सकती है, भावात्मक रूप से उतपीडन महसूस करने लगते हैं और वे मृत्यु को प्रामाणित करने लगते हैं।

अशिक्षा रूढ़िवादिता तथा शिक्षा प्रदान करने की सही विधि मालूम न होने की स्थिति में भारतीय अभिभावक मानते हैं कि वे यौन शिक्षा सम्बन्धी उत्तरदायित्व निभाने में असफल रहें हैं। वास्तव में वे अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहते हैं तो अपने परिवार के डाक्टर व परामर्शदाता से इस सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो उपादेय सिद्ध होगा लेकिन अधिकतम अभिभावक बिल्कुल इस ज्ञान को अपने बच्चों को देने के लिए इच्छुक ही नहीं हैं। जब कभी भी प्राकृतिक अवसर पर कोई बात आ भी जाती है तो वे उसे धादेखी कर देते हैं।

## विद्यालय का दायित्व

जी पी शरी का मत है— बालकों को यौन-शिक्षा का व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक ज्ञान देने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व विद्यालय का होना चाहिए। भारत जैसे देश में जहाँ अविज्ञान छात्रों के माता-पिता व अभिभावक अशिक्षित एवं यौन-शिक्षा से अनभिज्ञ हैं, इस उत्तरदायित्व की गम्भीरता का भार विद्यालय पर और भी अधिक बढ़ जाता है। पाठ्यक्रम के अन्तर्गत विषयों के समान यौन सम्बन्धी शिक्षा विद्यालय में दी जाय। परन्तु इस विषय का अध्ययन बड़े ही कुशल, बुद्धिमान एवं अनुभवी शिक्षकों द्वारा दिया जाना चाहिए। शिक्षक ऐसा हो, जिसे बालकों का विश्वास एवं सम्मान प्राप्त हो तथा बालक निःसंकोचभाव से अपनी यौन सम्बन्धी समस्याया तथा भावनाओं को व्यक्त कर सकें। शिक्षक में यौन-सम्बन्धी समस्याया को समझने और उनका निराकरण करने की सहज क्षमता हो।<sup>1</sup>

## यौन शिक्षा के सिद्धांत (Principles of Sex Education)

यौन शिक्षा के सिद्धांत निम्नांकित हैं —

(1) यौन शिक्षा एक अलग से पढ़ाये जाने वाले विषय के रूप में प्रारम्भ न किया जाकर अन्य अध्यापन विषयों से सहसम्बन्ध स्थापित करके ही ज्ञान प्रदान

1 शरी, जी पी 'स्वास्थ्य शिक्षा' पृ० 308

किया जाय तथा शाला के सामान्य पाठ्यक्रम से हटकर विधिष्ट व्यवस्था इसके लिए नहीं हो ।

(2) शाला के स्त्री व पुंस्य दोना प्रकार के अध्यापक इस विषय को पढ़ाने हेतु प्रशिक्षित किये जाय । इस विषय को पढ़ाने के लिए शाला अध्यापकों के पलाबा बाहर के व्यक्ति को जहाँ तक सम्भव हो नहीं बुनाया जाय ।

(3) अध्यापक यौन शिक्षा को नैतिकता से जोडने का प्रयास करे । सूच-नामों को स्पष्ट रूप से दे न कि भावुकता म ।

(4) यौन शिक्षा किशोर-अवस्था मे ही नहीं बल्कि बाल्यकाल से ही किसी न किसी रूप मे प्रारम्भ कर दी जाय ।

(5) यौन शिक्षा व्यक्तिगत विभिन्नताया व आवश्यकताया को दृष्टि न रख कर दी जाय ।

(6) बालक की बतमान व भविष्य की आवश्यकताया व विकास को दृष्टि में रखकर यौन शिक्षा दी जाय ।

(7) यौन शिक्षा म यौन विधिष्टता का विधिष्ट रूप से नहीं बताकर केवल सदैव विधिष्ट वि-दुषा को ही प्रकाश मे लाया जाय ।

(8) शाला म यौन शिक्षा कार्यक्रम को त्रियाचित रूप देन मे अभिभावका का सहयोग प्राप्त करने का सफल प्रयास वाछित है ।

## यौन शिक्षा कैसे प्रदान की जाय ?

(How Should Sex Education be imparted ?)

यौन शिक्षा छात्रा को शाला शिक्षण विषय के रूप मे प्रदान की जाय अथवा अय विषया के अधिगम के अवसर पर प्रसंगवश विषय अध्यापक के द्वारा ही परिकल्पना को स्पष्ट किया जाय । बहुत से अभिभावक इस ज्ञान को प्रदान करने के पक्षधारी है तो इसके विपरीत बहुत से अभिभावक इसे पढ़ाने के विरोधी है । पश्चिमी देशो में किमी न किसी रूप में यह ज्ञान प्रदान किया जाता है । जापान में इसे शाला का विषय के रूप में पढ़ाने हेतु पाठ्यक्रम में व्यवस्था की है । श्री फ्रेड बी हेब ने यौन-शिक्षा के सदर्भ में कतिपय सर्वेक्षणो का सार देकर इस बात की पुष्टि की है इसी प्रकार बहुत से समाज शास्त्री व शिक्षा विद् इस शिक्षा को प्रदान किए जाने के पक्ष म है । प्रो हैबी के सर्वेक्षण के अनुसार हर चार में तीन विद्यार्थी यौन शिक्षा दिये जाने के पक्ष में है ।

भारत में भी समय समय पर सर्वेक्षण चर्चाएँ, परिचर्चाएँ, गोष्ठीयाँ का आयो जन सम्पन्न होते रहते है उनमें भी दबी आवाज में इसको शाला द्वारा प्रदान की जाने की बकालात की जाती है । 1978 म श्री रामकुमार वर्मा ने कौलज में पढ़ने वाले छात्र छात्राया से साक्षात्कार लेकर 'नवभारत टाइम्स' में प्रकाशित किया गया ।

उनमें भी विरोधाभास विचार प्राप्त हुए हैं। लेकिन प्रत्येक चार में तीन छात्र यौन शिक्षा शिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रदान करने के पक्ष में हैं। डा० लेंग के विचार इस सम्बन्ध में स्पष्ट हैं—'यौन शिक्षा के क्रम में स्वतन्त्र चर्चा के कारण पदा होने वाले समस्त खतरों को बर्दाश्त करना चाहिए, वनस्पित उस महान् खतरे को जो इस सम्बन्ध में चुप रहने का पड्यत्र करके उठा रहे है।' आज देश के छात्र व छात्राएँ अपने सामाजिक मूल्यों, देश की संस्कृति, परम्पराओं व बदलते हुए राष्ट्रीय दायित्वों से विमुख होत दृष्टिगोचर हो रहे हैं। अतः भारतीय छात्रों को यौन शिक्षा प्रदान कर हम काम विकृतियाँ (Perversion) को व्यवहार निमाण उदात्तीकरण (Sublimation) करने में सफल सिद्ध हो सकते हैं। भारतीय छात्रों को यौन शिक्षा देने के पक्ष में निम्नकारण हैं —

(1) युवक व युवतियाँ को विचारों की स्वतन्त्रता, सह शिक्षा की व्यवस्था ववाहिक नियमों के अधिकार विलम्ब से विवाह करने की परम्परा।

(2) यौन सम्बन्धी फिल्मों या फिल्मों में यौन के बारे में बजारू विज्ञापन प्रादि। पर-लिंगीय वस्त्रधारण ग्रासक्ति (Transvestism)।

(3) छात्र-छात्राओं को साहित्य पठन की स्वतन्त्रता।

(4) देश विदेशों में प्रकाशित निम्नस्तर के साहित्य पढ़ने के लिए उपलब्ध होना।

(5) बाजार में यौन-प्रदर्शन के पोस्टरों का प्रदर्शन।

(6) हालीग वर्थ (Holling worth's), मार्गरेट मेंड (Margaret Mend) द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत—'किशोरावस्था यकायक व तीव्र गति से नहीं, यह तो एक निरंतर प्रारोक्त परिवर्तन की प्रक्रिया है।'।

(7) छात्रों को समस्या के बारे में बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था में बालिक दृष्टिकोण के विकास में सहयोग हेतु।

(8) थोड़े व हल्के ज्ञान से काम-प्रवृत्ति के विकृत स्वरूप होने की सम्भावना बढेगी। जिससे सामाजिक त्रुटियों में छात्र संलग्न हो जाने से राष्ट्र की क्षति विकृत होगी।

(9) यौन सम्बन्धी अज्ञानता के फलस्वरूप उनके मानसिक विकास में बाधा उत्पन्न होने की सम्भावनाएँ बढ जाती हैं।

(10) यौन शिक्षा के अभाव में विद्यार्थियों में अनेक दुर्भावनाएँ जो स्थाई रूप में घाँघ (Complex) बनकर अहित बन जाती हैं जो कालान्तर में मस्तिष्क में अग्रजात की बढोतरी मिलती हैं।

(11) देश में 'नीमहूकीम' के चक्कर में फसकर जीवन का स्थाई नुकसान (जिस पूरा नहीं किया जा सकता) हो जाता है।

(12) बालकों का बोधपाठ और बालिकाओं का भासिक-धर्म उनके मस्तिष्क में चिन्ता व घबराहट पैदा कर देती है।

(13) बालक व बालिकाएँ देश के शुष्क जलवायु के कारण जल्द ही किशोर अवस्था में प्रविष्ट करते हैं व्यवस्थित ज्ञान न होने से यौन सम्बन्धों बुरी श्रावणें जीवन-पथ दुःख का कारण बन जाता है।

(14) देश वातावरण, यमव, भौतिकवाद की श्रौर भुकाव, विवाह को महत्वपूर्ण सस्या का विश्वास खण्डित हाते जा रहे हैं, नैतिकता का पतन हो रहा है अर्थात् पाश्चात् प्रभाव बढ रहा है अत यौन शिक्षा प्रदान करना वाछित है।

(15) भारत में भी लौगिक विकृतियों का क्षेत्र बढूत व्यापक होता जा रहा है। लैंगिकता का जब समुचित विकास नहीं हो पाता है तो बालक का लैंगिक समायोजन अस्त-यस्त हो जाता है श्रौर किशोरावस्था एवं युवावस्था में अनेक विकृतियाँ भी प्रदर्शित होती हैं। लैंगिक त्रिघटन से व्यवहारिक एवं मानविक विघटन भी होता है।

(16) छात्र छात्राओं का आलावास अनाथानया में रहने में समलिंगिता पनपती है।

(17) नतिक मूल्यों में कमी आ रही है—पडोसी गेटे आचरण के पन स्वरूप या लडके व लडकियाँ घर से दूर रहकर शहरीय वातावरण के मध्य ही अघ्ययन करते हैं जिससे वषयावृत्ति में पडन का भय रहता है। गुरूकुल व्यवस्था डीली पडती जा रही है।

(18) भारतीय परम्परानुसार किशोर अवस्था में भाई बहन पिता पुत्र माता-पुत्र का सहवास वजित था लेकिन आज इस तरह का सहवास फसन सा हो गया है। जब भाई-बहन किशोरावस्था में एक विस्तर पर लेटते हैं तो लिंगिक कामना पनपती है श्रौर निपिड सम्भोग (Incest) की सम्भावनाएँ बढ जाती हैं।

(19) आज लडके व लडकियाँ ऐसे वस्त्र पहनती हैं जिससे विषम लिंगिक की उत्तेजना बढती है। विषम लिंगी के बाल हाथ, नीचे पहनने वाले कपडे, जूते, सुगन्धित तेल, मेरुप आदि लिंग उत्तेजना का कारण बन जाते हैं।

आज देश में लिंगिक व्यवहार क महत्व को स्वीकार करत है परतु इसके सम्बन्ध में उचित शिक्षा व्यवस्था का देश में कोई प्रबन्ध नहीं है। छात्र अभिभावक व शिक्षक ये तीनों मुजाएँ एक दूसरे से अलग-थलग सोचते हैं श्रौर यौन शिक्षा के प्रति सचेत नहीं हैं। अभिभावक प्रशिक्षित हैं, अघ्यापक इसके लिए उत्तरदायित्व ही नहीं समझना ऐसी स्थिति में छात्रों में गनत मूचनाओं क प्राधार पर अघराध की नावनाएँ जाप्रत होती हैं। अत आज समय की माग है कि छात्र व छात्राओं को यौन सम्बन्धों आवश्यक मूचनाएँ व नान प्रदान किया जाय ताकि उनमें काम विट्टितया (Perversion) न होकर उन्हें बला, विनाश सामाजिक हृष्टि स रचनात्मक वाय आदि वायों में सलग्न कर व्यवहार-निमाण उदातीकरण

(Sublimation) किया जा सकता है और चारित्रिक दोष (Character defects) से बचाकर राष्ट्र के लिए उपादेय नागरिक के रूप में तैयार करने का सफल प्रयास किया जा सकता है। अतः छात्र व छात्राओं को सही ढंग से सही समय पर सही एजेण्डा (स्कूल) द्वारा यौन शिक्षा के बारे में वैज्ञानिक ढंग से यौन शिक्षा प्रत्येक विषयों से सम्मिलित रूप में बिना हिचकिचाहट, रहस्य अथवा छिपाव के प्रदान करने की परिस्थितियाँ पैदा करने का सफल प्रयास वांछित है।

### यौन शिक्षा कार्यक्रम में बाधाएँ व उनके समाधान

(Difficulties in the way of Sex Education & their remedies)  
निम्नांकित है —

(1) अभिभावक, शिक्षक, छात्र, धार्मिक संस्थाएँ तथा साधारण जनता यौन कार्यक्रम के विरोधी है।

कार्यक्रम की आवश्यकता महत्व उद्देश्य, विषय वस्तु तथा सहायक सामग्री आदि के बारे में समाज को स्पष्ट किया जाय। अभिभावकों से व्यक्तिगत रूप से इसके बारे में बातचीत कर विश्वास पैदा किया जाय। धार्मिक संस्थाओं व विभिन्न धर्म, हिंदू, मुस्लिम, इसाई धर्म में इसके बारे में आवश्यकता हेतु प्रदत्त विवरण के उद्धरण को लेकर विषय वस्तु तैयार कर धार्मिक संस्थाओं व जनसंघों-रण तक प्रचार प्रसार किया जाय। क्योंकि युवान् श्रीक, इसाई धर्म हिंदू धर्म में विभिन्न रूप में प्रदर्शित भी किया गया है।

(2) शिक्षकों में इस विषय के प्रति रुचि का न होना।

अध्यापकों को शिक्षण हेतु प्रशिक्षण किया जाय। यौन शिक्षा प्रदान करना नैतिक दायित्व है। ऐसे अभिभावक जो अपने पुत्र व पुत्रियों को यौन शिक्षा सामाजिक समायोजन हेतु पढ़ाना आवश्यक समझते हैं वे सक्षम अध्यापकों को महत्वपूर्ण कारक समझते हैं अतः अध्यापक सतुलित व्यक्तित्व वाला होना चाहिए। प्रसक्षम व प्रयोग्य अध्यापकों द्वारा ऐसे विषयों को पढ़ाने से लाभ की बजाय स्थानीय हानि हो सकती है।

(3) अभिभावक अशिक्षित व रूढ़िवादी है।

अपने बाड़ के सम्मुख यौन के बारे में वार्तालाप सामाजिक द्रव्य समझते हैं। वे इस व्यक्तिगत मामला समझ कर इस पर परिवार में चर्चा तक करना नहीं चाहते जबकि अधिक समय बालक अभिभावकों के पास ही रहते हैं। अभिभावकों को अध्यापक-अभिभावक मध्य की बैठक में सही दृष्टिकोण का विकास कर, इसके लिए समाज शास्त्री, मनोवैज्ञानिक, धार्मिक उपदेशकों के द्वारा विभिन्न विषयों का यौन से सम्बन्ध व आवश्यकता के बारे में प्रकाश डालते हुए उन्हें राजी किया जाय।

(4) 'यौन शिक्षा' शीपक से घबराहट है ।

यौन प्रवृत्ति के प्रति प्रायः लोगो में अभिवृत्ति के प्रति अस्वस्थ होने से इस शीपक की झालोचना करते हैं । यौन शिक्षा का उद्देश्य कौटुम्बिक जीवन के लिए तयारी है, अतः इसे कौटुम्बिक जीवन की शिक्षा या अथ नाम दिया जा सकता है ।

(5) सामाजिक समस्याएँ, अभिभावक अपने उत्तरदायित्व के प्रति सचेत नहीं हैं ।

यह परिवार में समायोजन सुख को पैदा करने हेतु है अतः अभिभावकों को सही दृष्टिकोण का विकास किया जाय । स्त्री व पुरुष का सन्तुष्ट जीवन को कर्म प्रफुलित करते हुए क्षमताओं में बढ़ोतरी करते, यह बातें अभिभावक समझें । भारतीय नतिक व सामाजिक स्वास्थ्य परिपक्व का विचार है कि यौन-नतिकता ही यौन शिक्षा का उद्देश्य है अतः विस्तृत व सही सूचनाओं से यौन-शिक्षा के प्रति सही अभिवृत्तियों का विकास हो सके ।<sup>1</sup> सामाजिक संस्थाओं को इस घोर कार्य करने हेतु अभियान प्रारम्भ करने हेतु उत्प्रेरित किया जाना चाहिए ।

**यौन शिक्षा प्रदान करने में अध्यापक का उत्तरदायित्व**

**(Role of teachers)**

शाला में यौन-शिक्षा प्रदान करने की सफलता बहुत कुछ अध्यापक पर ही निर्भर करती है । अध्यापक बुद्धि सम्पन्न, विवेकी, लौकिक ज्ञान सम्पन्न, नतिक रूप से प्रतिष्ठित हो जो किशोर बालक व बालिकाओं के समक्ष ज्ञान प्रदान करने में प्रभावशाली सिद्ध हो सके और उन्हें यौन को बहुमूल्य तथा गौरवशाली बताते हुए हृदयगत करवाने का सफल प्रयास करें । एतः अभिभावक जो अपने बालक व बालिकाओं को सामाजिक जीवन में यौन समायोजन का ज्ञान प्रदान करवाना चाहते हैं वह बहुत कुछ उन अध्यापक की क्षमता व दक्षता पर ही निर्भर करेगा जो उन बालक व बालिकाओं को यौन-शिक्षा प्रदान कर रहे हैं । अविवेकी अध्यापक किशोरों के लिए अनशोषनीय नुकसानदायक सिद्ध हो सकते हैं । इसी कारण समाज के बहुत से लोग यौन-शिक्षा शालाओं में पढ़ाने के विरोधी हैं क्योंकि दक्ष अध्यापकों की अत्यधिक कमी है । लेकिन अभिभावक भी अपने बालक व बालिकाओं के समक्ष विचार विमर्श करने में कतराने हैं ।

**छात्र-अध्यापक व यौन शिक्षा (Training teachers)**

देश में बहुत से विवेकशाली व मनोविज्ञान के जानने वाले अध्यापक शालाओं में उपलब्ध हैं सामंतौर से 'शाला परामर्शदाता' । उन्हें यौन-शिक्षा प्रदान करने हेतु विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान कर इस महान् कार्य हेतु उत्प्रेरित करने की प्रत्यत

आवश्यकता है। उह यौन रचना विज्ञान व शरीर विज्ञान का सामा य नान हो। वे व्यक्तिगत भावात्मक एव सामाजिक दृष्टिकोण क बारे म जानने वाले हो। किशोर-प्रवस्था के समाजशास्त्रीय व मनाविज्ञान का नान होना वाछित है।

शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम म यौन-शिक्षा व किशोर के विकास के बारे मे समावेश किया जा रहा है उक्त विषय म विवाह एक पवित्र सस्था के रूप म तथा पारिवारिक सम्बन्ध परिवार की जीवन प्रक्रिया आदि जो यौन स सम्बन्धित हो का ज्ञान प्रदान किया जाय। शिक्षक प्रशिक्षण सस्थाएँ महान् उपयोगी तब ही हो सकेगी जब इस विषय के विकास व विस्तार हेतु एक विशिष्ट अध्ययन विषय के रूप म प्रारम्भ किया जाय ताकि वे भावी अध्यापक व्यवहारिक रूप से अध्यापन-व्यवसाय मे सलग होकर अभिभावको के दृष्टिकोण म परिवर्तन हेतु अभि यान प्रारम्भ कर सकत है तो दूसरी तरफ बालक व बालिकाओ को सही उम्र म सही ढग से व्यवस्थित अधिगम करवाने म भी सफल हो सकेंग।

### यौन शिक्षा-पाठ्यक्रम

यौन शिक्षा का सुभाव के रूप म पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है जो समय काल परिस्थितिया के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है।

उच्च प्राथमिक शालाएँ — शारीरिक परिवर्तन जो किशोर अवस्था के प्रारम्भ म आते है सामान्यत विशेष रूप से जैसे (अ) वजन, ऊँचाई म परिवर्तन (ब) देह क अनुपात म परिवर्तन जैसे कमर माधे, टाग (स) परिवर्तन लडकिया की छाती जागे कुल्ह यौन स्वच्छता (Sex Hygiene)।

लडको के लिए — (अ) बाला का चेहरे बगल त्रिग पर पदा होना (ब) आवाज म परिवर्तन, (स) श्वेत ग्रथिया की क्रियाशीलन (द) यौन की ग्रथिया हारमोन का उत्पन्न होना जिसस कि लिंग का विकास होना, जनन व उत्पादन करना।

लडकियो के लिए — (1) बाला का बगल व यौनी के स्थान पर उगना, (2) वदन के अ दर परिवर्तन जैसे छाती का विकास होना कुल्हो का विकास होना (4) श्वेत ग्रथिया का क्रियाशील होना (4) पीसू ग्रथिया प्रोव्रिज (5) मासिक-धम के दिन-मासिक-धम क बारे म ध्यान देने योग्य बात-(अ) मासिक धम के पाच दिन तरु आराम करना, (ब) मासिक धम के चौहदे दिन, (स) अगलेमासिक धर्म के पाच दिन, (द) यदि अण्डा निपचन नहीं हुआ है तो मासिक धम प्रारम्भ हो जाता है। (य) मासिक धम क समय रख-रखाव कलेण्डर रखना बेल्ट व पैड का प्रयोग करना।

(6) पुनरावृत्ति (अ) प्रजनन-प्रक्रिया (ब) गभ के बारे म नान, (स) वन परम्परागत प्रभाव (7) असमलिंग से व्यवहार, (8) अपने परिवार से व्यवहार-

(प्र) माता-पिता के दृष्टिकोण को समझना, (व) किशोर की अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी (स) परिवार में जनतंत्र ।

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में — माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शालाओं के छात्र व छात्राओं के लिए अलग-अलग पाठ्यक्रम न होकर निम्नांकित एक समान ही वांछित है —

(1) किशोरावस्था के सामान्य विशेषताएँ—

(अ) शारीरिक परिवर्तन (ब) भावात्मक विकास—यौन सम्बन्धी, कामवासनाओं पर नियंत्रण (स) मानसिक विकास ।

(2) वंश परम्परा का महत्व—(प्र) सिद्धांत, (व) अंध विश्वास ।

(3) पुनरुत्पत्ति (प्र) प्रजनन प्रक्रिया (ब) जिम, (स) शादी के बाद गर्भ के बारे में ज्ञान, (द) बच्चा पैदा होने से पूर्व टेख-रेख, (य) बच्चे का पैदा होना, (र) परिवार बल्याण ।

(4) परिवार का महत्व—(प्र) परिवार में मनमुटाव, (ब) परिवार के सम्बन्धों को सौहार्द बनाना ।

(5) यौन को सही ढंग से समझाना—(प्र) यौन की सामान्य रुचि (व) यौन की इच्छा लड़के व लड़कियों में, (स) स्वयं पर प्रात्मनियंत्रण करना (द) सर्वांग व हस्तमैथुन की समस्याएँ ।

(6) आधुनिक विश्व में यौन—(अ) दुरुपयोग, (ब) यौन-नियंत्रण से लाभ (द) उच्च स्तर का बर्ताव ।

(7) यौन के प्रसंग में छात्र-छात्राओं द्वारा पूछे गये प्रश्नों का समाधान सही व स्पष्ट देना ।

## यौन-शिक्षा की अध्यापन विधियाँ

(Methods of teaching—Sex Education)

यौन शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम के चयन में सावधानी का रखना आवश्यक है ठीक इसी प्रकार उपयुक्त विधियों के चयन में भी सावधानियाँ रखनी आवश्यक हैं । पाठ्यक्रम में विभिन्न विषय-वस्तु के लिए भिन्न-भिन्न उपयुक्त विधियाँ वांछित हैं । इस सम्बन्ध में कुछ अध्यापन विधियाँ सुझाव के रूप में प्रस्तुत की जा रही हैं—

(1) परिकल्पनात्मक विधि — इस विधि द्वारा विद्यार्थियों को पान दिया जाता है जिससे वे यौन के बारे में सही संकल्पना ग्रहण कर सकें ।

(2) भाषण विधि — केवल सूचना देने योग्य विषय वस्तु जैसे जनसंख्या शिक्षा, समाज की आवश्यकताएँ, आर्थिक विषमताएँ, यौन सम्बन्धी रोग उनके लक्षण व उपचार आदि ।



(3) पाठ्यपुस्तक विधि — परिवार म रहन सहन, यौन सम्बन्धी विमारीय-निदान उपचार के बारे में जानकारी ।

(4) मौखिक प्रस्तुतीकरण — पत्र-वाचन से सामाजिक, आर्थिक, तथा साधियों से यौन सम्बन्धी वार्तालाप ।

(5) वार्तालाप विधि — परिवार से सम्बन्धित अनुभव से सम्बन्धित वार्तालाप से विचारों का आदान-प्रदान ।

(6) प्रश्नोत्तर विधि — किसी भी विवादास्पद विद्दु पर विचार-विमर्श को उत्तेजित करने के लिए होता है । प्रश्न सक्षिप्त, निश्चित व विचार-उत्तेजक हो । वशानुक्रम के आधार व मौन के बारे में ।

(7) समस्या समाधान विधि — यौन स्वास्थ्य के लिए भोजन निद्रा, व्यायाम आदि वस्तुनिष्ठ डेटा सग्रहित करके समस्या का समाधान ढुढते है ।

(8) सामाजिक नाटक — इस विधि से परिवार की परिस्थितियों को नाटकीय ढग से प्रस्तुत किया जा सकता है । पति-पत्नि के सम्बन्ध, 'टुटे हुए परिवार' की समस्याएँ, परिवार कल्याण आदि को प्रस्तुत किया जा सकता है ।

(9) प्रायोगिक पद्धति — वैज्ञानिक ढग से विद्यार्थी-विश्लेषण व निष्कर्ष निकालते है ।

(10) प्रायोजना विधि — व्यक्तिगत या मामुहिक प्रोजेक्ट लेकर डटा सग्रह करते हुए नतीजे पर पहुँच सकते हैं । भिन्न-भिन्न प्रकार के यौन सम्बन्धी व्यवहार के अध्ययन करते हुए समस्या का समाधान सम्भव हो सकता है ।

(11) व्यक्तिगत स्वास्थ्य समस्याएँ — परिवार की यौन सम्बन्धी समस्या का अध्ययन से विचार विमर्श करने का अवसर प्राप्त कर अधिक जानकारी मिलती है ।

**यौन शिक्षा के अधिगम हेतु सहायक सामग्री — (Material Aids)**

(अ) सहायक सामग्री —

(1) चाटस, रेखाचित्र चित्र, पोस्टर, व वनी बनाई मिल सकती है घोर बनाई भी जा सकती है ।

(2) श्रव्य दृश्य सामग्री, — सामान्य प्रकृति की यौन शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम सम्मिलित करने से सभी विद्यार्थी लाभान्वित हो सकेंगे ।

(3) टेप रिकार्डस — इस विषय की विशिष्ट योग्यता रखने वाले विद्वान् का यौन सम्बन्धी भाषण सुनाये जा सकता है ।

(ब) सहायक सामग्री प्राप्ति के साधन — सहायक सामग्री निम्न-लिखित स्थानों से प्राप्त की जा सकती है—(1) सार्वजनिक पुस्तकालय (2) चाट पर बचन वाली कम्पनीयों से (3) श्रव्य-दृश्य अधिकारी धरमर (4) योजना-

पब्लिसिटी ग्राफीम, (5) फिल्म कम्पनी, (6) निदेशक, सूचना-प्रसार नद दिल्ली, (7) नेशनल एडयूजिजल, नई दिल्ली, (8) स्वास्थ्य विभाग, (9) परिवार कल्याणविभाग, (10) एन सी ई आर टी, नई दिल्ली ।

सहगामी प्रवृत्तियों - किशोरों के लिए स्कूलों में पर्याप्त मात्रा में क्रियाएँ हो जिनमें भाग लेकर उनकी प्रतिदय शक्ति को उपयुक्त माग मिल सके और उनकी यौन शिक्षा सम्बंधी नैसर्गिक शक्ति (Sex Instinct) का उचित रूप से व्यवहार निर्माण उदात्तीकरण (Sublimation) हो सक । इस दृष्टि से स्कूल में स्कार्टिंग गनगाईड एन सी भी साहित्यगोष्ठियों, गायकी अभिनय, खेलकूद आदि पाठ्यक्रम सहगामी प्रवृत्तियों का प्रजाताजिक ढंग से समर्थित व संचालित की जाय, जिसमें अध्यापक निर्देशन-काय कर । प्रवृत्तियों में भाग लेने वाले छात्रों की निद्रा भोजन व विधाम का ध्यान रखा जाय । भोजन सात्विक ही हो ।

यौन शिक्षा व मूल्यांकन - (1) विचार विमर्श द्वारा प्रश्न पूछे जा सकते हैं जैसे (अ) मासिक धम क्या है ? (ब) कितने समय में मासिक धम होता है ? (स) मासिक धम होत हुए नहाना क्या आवश्यक है ? (द) कौन-कौन सी गलत बातें कहा है ? (य) गर्भाधान क्या है ? (र) यौनी कहा है क्या स्थिति है ? (ल) अण्डा किस प्रकार से जीव का रूप लेता है ? (व) दूसरे के अधिकार व विचारा का आदर क्या करते हैं ? (स) माता पिता की कौन कौन सी अच्छाई की प्रशंसा करते हैं ?

(2) प्रोजेक्ट — विद्यार्थियों को स्थानीय परिपक्ष में प्रोजेक्ट दिए जाते हैं जैसे विभिन्न स्तरों पर स्थानीय परिस्थितियों में सस्ती खुराक छोटे बच्चों के लिए स तुलित भोजन, गर्भाधान, औरत के लिए स तुलित भोजन ।

(3) वस्तुनिष्ठ व निब धात्मक प्रश्न विद्यार्थियों के मन का उपयोजन व अवबोधन आदि को जाच को जा सकती है ।

### यौन-स्वच्छता (Sex Hygiene)

बालकों के अभिभावकों की यह जिम्मेदारी है कि वे अपने बच्चों के स्वास्थ्य की पूर्ण रूप से रक्षा करें । जहां तक काम सम्बंधी स्वास्थ्य (Sex Hygiene) का सम्बंध है उह चाहिए—[a] बच्चों की प्रजनन इन्द्रियों का साफ रखे, [b] प्रजनन इन्द्रियों का ढर्री रखे [c] दाइयों व नोकियों के जिम्मे न छोड़ें [d] लडकों व लडकियों को एन विस्तर पर न मुनाये, [e] प्रजनन रोग की शका में डाक्टरों सहायता ले [f] लडकियों के प्रथम रजस्वला के मौक पर उचित आर्तें बतला दें, [g] अभिभावक वज्ञानिक ढंग को अपनाएँ और छात्र छात्राओं को वैज्ञानिक ज्ञानकारी प्रदान करें ।

प्रजनन इन्द्रियो सम्बन्धी सामान्य राग—प्रजनन इन्द्रियो स सम्बन्धित छूत के रोग मे' दो बहुत ही प्रमुख एव भयकर हे—1 सुजाक (Gonorrhoea) तथा 2 प्रतिशय (Syphilis) ये छूत सम्भोग से होती है। इन रोगो स पीडित प्राणी समाज व व्यक्ति दोनो क लिए हानिकारक है। इन रोगो क निराकरण क उपाय व सावधानियो वाछित है।

स्त्रिया म प्रजनन इन्द्रियो से, सम्बन्धित रोगो म उपरोक्त दो रोगो क प्रतिरिक्त प्रदर [Leucorrhoea] प्रतिशय रजस्त्राव [Profuse Menstruation], रजस्वला का न होना, [Amenorrhoea] गर्भाशय की सूजन [Swelling of uterus], वॉम्भन [Sterility], इन रागो की काला तर म जटीलता बढ सकती है घत डॉक्टर से परामश लेना उपादेय रहेगा।

उपसहार—यौन की इच्छा विभि न ढग से विभि न स्तरो पर प्रकट होती है। माता पिता व प्रध्यापक को समझना चाहिए कि वे इन विभि न प्रायु स्तरो स साधारणतया गुजरते हैं, उह धमकी, घालोचना और इच्छाओ के विपरीत यौन सम्बन्धी विचारों को धोपने प्रादि से दूर रखे। प्रभिभावक व प्रध्यापक को मित्र सहयोगी का बर्ताव रखना चाहिए और विद्यार्थी जसे बडे होते जाय उह सही ढग से जीवन माग की और प्रग्रसर हेतु निर्देशन दे। विद्यालयो द्वारा समय समय पर पूछे गय प्रश्नो को दृष्टि म रखकर पाठ्यक्रम मे सशोधन किया जाय। सभी प्रध्यापक अपने विषय को पढाते वक्त यौन-शिक्षा सम्बन्धी बातें स्पष्ट करें। 'मोल्ड बॉयज एसोसियशन' द्वारा छात्रा को विश्वास म लेकर विषय वस्तु पर प्रकाश डालने का सफल प्रयास करें। प्रजनन इन्द्रियो स सम्बन्धित रोग व बचन के उपायो के बारे म सूचना दे। छात्रा को काम शिक्षा प्रय विषया को पढात वक्त देने के पक्ष म है लेकिन कुछ प्रभिभावक जापान' की तरह यौन को पाठ्यक्रम के विषय के रूप मे पढाने के पक्ष म है। प्रसग म पाठ्यक्रम [मुन्दाव के रूप म], प्रध्यापन विधिर्था, सहायक सामग्री, सहगामी क्रियाए व मूल्याकन की रूप रेखा की क्रियाविति से मानसिक, एव सवेगात्मक विकास की दृष्टि स उपादेय होगी तथा विद्यालय उत्तरदायित्व निभायगा।

## मूल्याकन (Evaluation)

(अ) लघूत्तरात्मक प्रश्न (Short Answer type Questions)

- [1] सद् शिक्षक विद्यालयो म यौन शिक्षा प्रदान करते समय वाम म साइ जान वाली पांच सावधानिया लिखिये। [बीएड 1985]
- [2] यौन शिक्षा का विद्यालय म महत्व बतलाइये। [बीएड 1984]

- [3] सह शैक्षिक विद्यालया में यौन शिक्षा प्रदान करते समय बरती जाने वाली चार सावधानियाँ गिनाइये । [बी एड पत्राचार 1984]
- [4] क्या यौन-शिक्षा केवल किशोरावस्था के छात्रों को ही देनी चाहिये ? अपने उत्तर का कारण बताइये । [बी एड 1983]
- [5] प्राप अपने विद्यार्थियों का प्रजनन-क्रिया पढ़ाने में किस विधि का प्रयोग करेंगे ? [बी एड पत्राचार 1981]
- [6] क्या आपके विचार में किशोरावस्था के बालकों को ही यौन शिक्षा दी जानी चाहिए ? यदि नहीं तो विवेचन कीजिए । [बी एड 1979]

(ब) निबन्ध-आत्मक प्रश्न (Essay type Questions)

- [1] 'जनसंख्या शिक्षा' तथा 'यौन शिक्षा' में भेद स्पष्ट कीजिये । माध्यमिक विद्यालयीय स्तर पर इनकी शिक्षा प्रारम्भ करने के बारे में टिप्पणी कीजिये और बताइये कि ऐसा करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है । [बी एड पत्राचार 1985]
- [2] भारत जैसे विकासशील देश के लिए यौन शिक्षा की क्या आवश्यकता है ? हमारे विद्यालयों में इसे किन विधियों से सफलतापूर्वक प्रेषित किया जा सकता है ? [बी एड 1982]
- [3] आधुनिक युग में यौन शिक्षा के महत्त्व को समझाइये तथा बताइये कि हमारे विद्यालयों में यह किस प्रकार दी जाए ? [बी एड 1978]

[विषय प्रवेश-शिक्षा व निर्देशन-निर्देशन का अभिप्राय-निर्देशन के उद्देश्य निर्देशन सेवा क्या है ? निर्देशन सेवा का स्वरूप शैक्षिक निर्देशन-व्यावसायिक निर्देशन-व्यक्तिगत निर्देशन-निर्देशन कैसे दे ?-निर्देशन हेतु उपकरण-विभिन्न स्तरे पर निर्देशन सेवाएँ-वर्तमान में विद्यालय में निर्देशन सेवा-स्वरूप तथा विधियाँ निर्देशन सेवा तथा प्रधानाध्यापक परामर्शदाता व अध्यापक के दायित्व-निर्देशन सेवाओं को प्रभावशाली बनाने हेतु सुझाव-उपसंहार-मूल्यांकन]

### शिक्षा व निर्देशन

शिक्षा का उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है। निर्देशन सेवा भी उसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रयत्नशील रहती है। शिक्षा द्वारा आत्मतुष्टीपूर्ण एवं सामाजिक रूप से प्रभावपूर्ण जीवन व्यतीत करने के योग्य व्यक्ति को बनाया जाता है। शिक्षा व्यक्ति में निहित सामर्थ्यों की सीमा में उसका सर्वांगीण विकास करना है तो निर्देशन भी इसी लक्ष्य को लेकर चलता है। अतः निर्देशन सेवा शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु साधन व माध्यम है तथा ये एक दूसरे के पूरक हैं। वर्तमान परिस्थिति में निर्देशन शिक्षा में जोड़ी गई काँइ प्रवृत्ति नहीं है वरन् उसका अभिन्न अंग है। चाहे शिक्षा का कोइ भी अर्थ लिया जाय हम निर्देशन या शिक्षा से अलग नहीं कर सकते। शैक्षिक निर्देशन छात्रों की शक्ति कठिनाइयों एवं समस्याओं से है। यदि बातक को कठिनाइयाँ एवं समस्याओं को सुलझाने व सही समय पर उसकी योग्यताओं का पता लगाने हेतु महयोग नहीं देते तो उसे प्राप्त बल वल की तयारी करते हुए सामना करने में सफलता मिलने की कम सम्भावनाएँ रहेंगी और विफलताएँ हाथ लगेंगी। ऐसी स्थिति में उसको जीवन में समर्पणित करना, तथा व्यवहारिक जीवन के अर्थ क्षेत्रों में प्रगति करने हेतु निर्देशन परम आवश्यक है।

**निर्देशन का अभिप्राय** — विभिन्न मनोवैज्ञानिक एवं विद्वानों ने अपने-अपने ढंग से निर्देशन का अर्थ बतलाते हुए परिभाषित किया है जो इस प्रकार है —

**जान्स महोदय के अनुसार** — निर्देशन का अर्थ है सुझाव देना इंगित करना सूचित करना तथा पथप्रदर्शन करना इस अर्थ में निर्देशन महायता देने से अधिक है।

**मोरिस महोदय के अनुसार** — "निर्देशन व्यक्तियों को सहायता प्राप्त

करने की उस प्रक्रिया को कहते हैं जिनके द्वारा व अपन प्रयत्नो से अपनी उन क्षमताओं का पता लगाने में तथा उन्हें विकसित करने में समय हो जाते हैं उनके व्यक्तिगत जीवन को सुखी तथा सामाजिक जीवन को उपयोगी बना सकती हैं।

श्री तथा क्रो के अनुसार .— निर्देशन के द्वारा भावी जीवन के सम्बन्ध में योजनाएँ बनाते हैं।

“निर्देशन प्रदर्शन नहीं उसका अर्थ अपनी विचार धाराओं को दूसरे पर लादना नहीं है, यह उन निष्पत्तियों का, जिन्हें एक व्यक्ति को अपने लिए निश्चित करना चाहिये निश्चित करना नहीं है यह दूसरे के दायित्व को अपने ऊपर लेना नहीं है बल्कि निर्देशन तो वह सहायता है जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रदान करता है इस सहायता से वह व्यक्ति अपने जीवन का पथ स्वयं ही प्रशिक्षित करता है, अपनी विचारधारा का स्वयं ही विकास करता है अपने निरूप्य निश्चित करता है तथा अपना दायित्व निभाता है।”

माध्यमिक शिक्षा आयोग ने निर्देशन को भावी जीवन के सम्बन्ध में योजना बनाने में उपयोगी बताया है।

निर्देशन एक ऐसा कठिन कार्य है जिसके आधार पर बालक वास्तविक उद्दिष्टतापूर्ण अपने भावी जीवन के सम्बन्ध में योजनाएँ बनाते हैं। अपने भविष्य सम्बन्धी योजनाएँ बनाते समय वे सत्कार के उन सभी तत्वों को ध्यान में रख लेते हैं जिनके बीच में रहकर उन्हें कार्य करना होगा।

निर्देशन द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के अवसर प्रदान किये जाते हैं। उसके मानसिक विकास आवात्मिक परिपक्वता की दृष्टि से प्रति प्रज्ञात्मक दृष्टिकोण सामाजिक सम्बन्ध नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों के बारे में सहायता देता है।

### निर्देशन के उद्देश्य

निर्देशन की प्रक्रिया का एक निश्चित उद्देश्य है अर्थात् व्यक्ति को जीवन की कठिन परिस्थितियों में उद्दिष्टतापूर्ण करने तथा समायोजन में सहायता करना।

- 1 छात्र तथा छात्राओं को अपनी योग्यता व क्षमता की जानकारी करना, निर्देशन की विधि से छात्र को अपने विषय में पूरी-पूरी जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिलती है।
- 2 निर्देशन की सहायता से छात्र-छात्राओं की कठिन योग्यताओं तथा क्षमताओं का पूरा-पूरा विकास होता है और उनमें परिपक्वता आती है।
- 3 निर्देशन का उद्देश्य है छात्र-छात्राओं को इस योग्य बताना कि वे अपना दायित्व स्वयं अपनी ज़रूरतों में समय हो जाए।
- 4 छात्र-छात्राओं का आत्मविकास व साथ-साथ समुचित समायोजन कर सकने में सहायता करना भी निर्देशन का मुख्य उद्देश्य है।
- 5 निर्देशन का उद्देश्य छात्र-छात्राओं को उन समस्याओं की जानकारी देना है जिनमें योग्यता है।

- 6 व्यक्ति का बहुमुखी विकास करना निर्देशन का सबसे प्रमुख उद्देश्य है। निर्देशन की सहायता से व्यक्ति अपनी निहित योग्यताओं, क्षमताओं तथा शक्तियों की जानकारी प्राप्त करता है उनका सदुपयोग करके अपने भविष्य का निमाण करता है। इससे उसमें प्राक्तनशक्ति भी विकसित होती है और उस अपने व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है।
- 7 निर्देशन की सहायता से मनुष्य इस योग्य बनता है कि वह जीवन सम्बन्धी विभिन्न परिस्थितियों एवं समस्याओं का सफलतापूर्वक समाधान कर सके और स्वयं समाज का अधिकारी बन सके।

## निर्देशन सेवा क्या है ?

निर्देशन किसी व्यक्ति का उसकी समस्याओं के हल हेतु उसकी क्षमताओं को जान कर उन समस्याओं के हल हेतु समाधान ढूँढने में सहायता है जो व्यक्ति को उसकी समस्याओं के समाधान हेतु देती है। वर्तमान विज्ञान व तकनीकी युग में शिक्षा में निर्देशन आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य सा हो गया है। क्योंकि विज्ञान व तकनीकी प्रगति के साथ व्यावसायिक क्षेत्र में इनकी माँगें खुल रही हैं जिनके लिय विशेष योग्यता, रुचि व अभिरुचि की आवश्यकता है। जिसका ज्ञान कराने के लिए निर्देशन अत्यावश्यक है। द्वितीय सामाजिक विपत्तियों का कारण भी बालक व बालिकाओं का निर्देशन आवश्यक है जिससे कि वे रहने भरें। तृतीय मनोविज्ञान की प्रगति से बालक व बालिकाओं के स्वयं की योग्यता, क्षमता, रुचि अभिरुचि को जान सके हैं। अतः विद्यालयों में निर्देशन सेवाओं का महत्व आज बहुत बढ़ गया है। क्योंकि विद्यालयों में विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी अध्ययन हेतु आते हैं। ये विद्यार्थी आधुनिक मानसिक योग्यता, आर्थिक सामाजिक स्थिति आदि में विभिन्नताएँ लिए रहते हैं। इनके आचरण व्यवहार आदि भी विभिन्न होते हैं। शिक्षक व मनोवैज्ञानिकों ने भी इन व्यक्ति विशेषताओं वाले समूह में विद्यार्थियों के समायोजन में बहुधा, एक या दूसरे कारणवश असमायोजन वाली स्थिति आ जाती है तथा इसका असर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उनकी शैक्षिक निष्पत्ति पर पड़ता है।

निर्देशन सेवा विद्यार्थियों को उनकी विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए उनकी विभिन्न योग्यताओं के आधार पर विद्यार्थियों को समस्याओं के समाधान हेतु उनका मान्य एवं सहायता, मनोवैज्ञानिक व वैज्ञानिक तरीकों पर आधारित विधियों द्वारा परामर्श देकर करती है, तथा उनकी शैक्षिक निष्पत्ति को उनकी मानसिक योग्यतानुसार प्राप्त करने में सहायता देती है।

दूसरे आज का विद्यार्थी बल किसी न किसी व्यक्तियोग्यता में जावेगा। कल के लिए उसे आज ही आवश्यक तैयारी करनी होगी अन्यथा सम्भवतः उसे

छात्रों का सामना करना पड़ सकता है जो कि उसमें हीन भावना का विकास करेगी। ऐसी अनिश्चित परिस्थिति से छात्र को बचाने के लिए तथा कलक समायाजन हेतु छात्र ही प्रयत्न करने होंगे। इस गतिविधि को व्यापक रूप से चलाना वर्तमान युग की आवश्यकता है जिसमें कि छात्र मूर्ख नहीं जा सकते। इसको व्यापक रूप से चलाने के लिए विद्यालय के एच-एच अध्यापक, प्रधानाध्यापक, जिला शिक्षा अधिकारी उप जिला शिक्षा अधिकारी उप निदेशक सयुक्त निदेशक वसन्त शिक्षा विभाग को रूचि लेकर कार्य करना होगा। केवल निदेशन केन्द्र परामर्शक व कैरियर मास्टर इस कार्य को नहीं कर सकते। क्योंकि उह गलतक विषय सम्बन्ध में सूचना तो अध्यापक ही देंगे। जब तक प्रत्येक अध्यापक बालक की प्रगति में रूचि न लेगा इस कार्य का लाभ नहीं होगा।

## निर्देशन सेवा का स्वरूप

विद्यालय में निर्देशन सेवा निम्न प्रकार से प्रदान की जा सकती है।

(1) शैक्षिक निर्देशन — छात्र की शैक्षिक समस्याओं तथा पाठ्यक्रम अध्ययन आदतों, विषय-चयन आदि से सम्बंधित।

(2) व्यावसायिक निर्देशन —

(अ) विद्यालय छोड़कर जान वाले उन छात्रों का जो कि धीरे उच्च अध्ययन हेतु न जाकर किसी व्यावसायिक में जाना चाहें तो व्यावसायिक सम्बन्धी सूचनाएँ तथा प्रशिक्षण सम्बन्धी जानकारों जिनके लिए उनमें वाञ्छित शैक्षिक योग्यता एवं अभियोग्यता है।

(आ) कक्षा 9वीं में प्रवेश लेने वाले छात्रों को विषय समूहों के चयन सम्बन्धी माग दर्शन।

(3) व्यक्तिगत निर्देशन — छात्रों को उनकी व्यक्तिगत समस्याओं जिनके कारण उनका समायोजन प्रभावित होता है तथा शैक्षिक निष्पत्ति पर ध्यान पड़ता है व वे मानसिक पीडा व अतन्द्रित की स्थिति में रहते हैं, के समाधान में सहायता।

निर्देशन के द्र परामर्शक व कैरियर मास्टर केवल निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं —

- 1 कार्यक्रम निर्धारित करना।
- 2 अध्यापकों को प्रशिक्षित करना।
- 3 माग दर्शन करना।
- 4 व्यवसाय सम्बंधित अधिक से अधिक सूचनाएँ देना।
- 5 साहित्य उपलब्ध करना।



## शैक्षिक, व्यावसायिक, एवं व्यक्तिगत निर्देशन कैसे दें

- 1 शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन सामूहिक, व्यक्तिगत एवं पत्राचार द्वारा प्रदान किया जा सकता है। यदि केवल सूचनाएँ ही चाही गई हैं, वे पत्राचार द्वारा तथा यदि योग्यतापत्रों आदि के अध्ययन के पश्चात् मांग दर्शन के इच्छुक छात्रों का समुचित मनोवैज्ञानिक जांच एवं साक्षात्कार के पश्चात् ये निर्देशन प्रदान किया जाता है।
- 2 व्यक्तिगत समस्यापत्रों के समाधान हेतु छात्र का पूर्ण रूप से मनोवैज्ञानिक आधार पर सभी दृष्टिकोणों से अध्ययन करके उस साक्षात्कारोपरांत परामर्श दिया जाता है।

## निर्देशन हेतु उपकरण

- 1 मानसिक योग्यता परीक्षाएँ (शाब्दिक अशाब्दिक व त्रिमात्मक परीक्षाएँ)
- 2 अभि-योग्यता परीक्षाएँ, 3 समायोजन परीक्षा 4 व्यक्तित्व परीक्षा 5 समाजमिति, 6 शैक्षिक निष्पत्ति 7 सूचना प्रपत्र —

(अ) विद्यार्थी सूचना-प्रपत्र (ग) अभिभावक सूचना प्रपत्र (स) प्रयापक सूचना-प्रपत्र।

## अन्य विधियाँ

### 1 साक्षात्कार—

[अ] विद्यार्थी का स्वयं या [ब] अभिभावक [ग] अध्यापक [द] विद्यार्थी के मित्र [घ] परिवार व सदस्यों का

## निर्देशन विभिन्न स्तरों पर

या तो निर्देशन सेवा का कार्य उन्नीस दिनों में प्रारम्भ हो जाना है जिस दिन बालक या बालिका प्रथम बार विद्यालय में प्राथमिक स्तर पर प्रवेश लेते हैं परन्तु इस सेवा का विस्तार एक पूर्ण रूप से प्रशिक्षित व्यक्तियों की सहायता को ध्यान में रखते हुए यह सेवा वर्तमान में कक्षा 8वीं से प्रारम्भ होती है।

कक्षा 8वीं में उन छात्रों को जो भाग अध्ययन करना चाहते हैं, कक्षा 9वीं में किस विषय समूह में प्रवेश लें, हेतु मनोवैज्ञानिक आधार पर उनकी योग्यतापत्रों, शैक्षिक निष्पत्ति, परिवार की आर्थिक स्थिति को दृष्टि में रखते हुए सामूहिक एवं व्यक्तिगत, दोनों विधियों द्वारा निर्देशन दिया जाता है।

कक्षा 9वीं व 10वीं में छात्रों का वर्गीकरण कर उनकी शैक्षिक निष्पत्ति को उनकी मानसिक योग्यतानुरूप लाने हेतु त्रिमात्मक परीक्षण तथा उपचारात्मक उपायों की सहायता से निर्देशन दिया जाता है।

कक्षा 10वीं के उन छात्रों का जो उच्चकक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् किसी

व्यवसाय प्रशिक्षण में जाना चाहें कक्षा 8वीं के छात्रों की तरह ही व्यावसायिक निर्देशन दिया जाता है।

कक्षा 11वीं के छात्रों को शिक्षक एवं व्यावसायिक निर्देशन देने की यही विधि प्रयोग में लाई जाती है जो कि कक्षा 10वीं में ली जाती है।

उपरोक्त पाठ के अतिरिक्त उन सभी अथवा विद्यार्थियों/व्यक्तियों का भी माग-दर्शन किया जाता है जो कि इसके दायरे में हों।

### व्यक्तिगत अध्ययन व निर्देशन

केन्द्र द्वारा उन सभी छात्र-छात्राओं का व्यक्तिगत अध्ययन व निर्देशन दिया जाता है जिनकी समस्याएँ व्यक्तिगत होती हैं। इस हेतु किसी भी कक्षा, आयु के बालक/बालिका का अध्ययन सम्भव है। यदि वे अपनी समस्याओं के समाधान एवं माग-दर्शन हेतु केन्द्र की सेवा प्राप्त करना चाहें।

व्यक्तिगत अध्ययन हेतु अभिभावक, अध्यापक या विद्यार्थी स्वयं परामर्शक को अपनी समस्या बताकर अध्ययन करवा सकता है।

### वर्तमान में विद्यालयों में निर्देशन सेवा स्वरूप विधि

(1) परिचयात्मक सेवा।

(i) विद्यालय में नये प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों को विद्यालय परिचय-परिचयात्मक वार्ताओं द्वारा सत्र के प्रारम्भ में।

(ii) कक्षा 8 के छात्रों को नगर के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सम्बन्ध में सूचना-सत्र के अंत में।

(iii) कक्षा 8, 10 व 11 के छात्रों को विभिन्न व्यवसायों का परिचय देने हेतु अभिस्थापन वार्ताएँ।

(iv) शैक्षिक वार्ताएँ

(अ) विभिन्न विषयों में मुचालू अध्ययन गम्य गी वार्ताएँ।

(ब) परीक्षा में उत्तर कैसे लिखें? साक्षात्कार में कैसे उत्तर दें? आदि पर भी वार्ताएँ।

(2) सामूहिक निर्देशन —

कक्षा 9वीं में विषय-चयन हेतु कक्षा 8वीं के छात्रों को उनकी मासिक योग्यता, शिक्षक निष्पत्ति रूचि अभि योग्यता, अभिभावक की आर्थिक स्थिति एवं उनकी रूचि के आधार पर निर्देशन। यह गतिविधि शैक्षिक निर्देशन के अंतर्गत जाती है।

(3) व्यवसाय सम्बन्धी सूचनाएँ

कक्षा 8वीं, 10वीं व 11वीं के उन छात्रों को जो कि उक्त कक्षा वर्गों में प्रवेश करने के पश्चात् किसी व्यवसाय अथवा व्यवसाय से सम्बन्धित प्रशिक्षण में प्रवेश

लेना चाहते हों, उन्हें उनका मानसिक योग्यता, रुचि अभियोग्यताएँ, शैक्षिक निष्पत्ति आदि के आधार पर व्यवसाय चयन में सहायता ।

यह सहायता व्यवसाय वार्ताओं, व्यवसाय से सम्बन्धित व्यक्तियों व्यवसाय परिचयात्मक वार्ताओं, व्यवसाय का भ्रमण व्यवसाय से सम्बन्धित परिचय साहित्य आदि के माध्यम से दी जाती है । इस वाय हेतु मनोवैज्ञानिक जाच को भी आधार बनाया जाता है ।

#### 4 छात्र का वर्गीकरण

छात्रों व उनकी मानसिक योग्यता एवं शैक्षिक निष्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण कर उन विषयों में, जिनमें उनकी निष्पत्ति उनकी मानसिक योग्यता से कम है, निदानात्मक परीक्षण व आधार पर कमजोर स्थलों का पता कर उपचारात्मक उपायों द्वारा सहायता करना ताकि उनकी निष्पत्ति उनकी योग्यता के अनुरूप आ जाए ।

#### 5 व्यक्तिगत निर्देशन

छात्रों की व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान में उन्हें मनोवैज्ञानिक जाच, साक्षात्कार आदि उपायों से सहायता करना । यदि समस्या सामूहिक प्रकृति की है, तो समूह में, प्रथम व्यक्तिगत रूप से निर्देशन एवं सहायता करना । उक्त कार्यों के प्रतिरिक्त छात्रों को विभिन्न पाठ्यक्रमों, शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं के बारे में, जो कि व्यक्तिगत, सामूहिक एवं डाक द्वारा दी जाती है, जिस रूप में भी जानकारी चाही गई है, जानकारी देना ।

#### निर्देशन सेवा में प्रधानाध्यापक का दायित्व

- 1 सहयोगी अध्यापक एवं कमचारियों के निर्देशन सम्बन्धी कार्यों में दिशा निर्देश करना चाहिए । अध्यापक वग एवं मुख्याध्यापक में सम्बन्धित जितने सौहाय्यपूर्ण हाथ निर्देशन सेवास्रा की उत्तनी ही अच्छी व्यवस्था विद्यालय में की जा सकेगी ।
- 2 मुख्याध्यापक निर्देशन कार्यक्रम को नेतृत्व तभी प्रदान कर सकता है जब वह निर्देशन सम्बन्धी साहित्य अथवा व्यावहारिक कार्य से परिचय रखता है । इसलिए मुख्याध्यापक को अपनी निर्देशन सम्बन्धी दक्षता बढ़ाने के लिए साहित्य का अध्ययन करे तथा विशेषता से विचार-विमर्श करता रहे ।
- 3 मुख्य अध्यापक अभिभावकों एवं छात्रों की बैठक बुलाकर छात्रों की समस्याओं पर विचार-विमर्श कर सकता है और निर्देशन कार्यक्रम को परिवर्तन एवं समायोजित कर सकता है ।
- 4 सहयोगी अध्यापक अपने निर्देशन उत्तरदायित्वों को सुविधापूर्वक पूरा कर सकें उसमें रुचि ले सकें मुख्याध्यापक उनके अध्यापन कार्यभार में आवश्यक नहीं करें ऐसी व्यवस्था हो ।
- 5 मुख्याध्यापक का निर्देशन सेवास्रा का पुनर्मुल्यांकन एवं पुनर्निर्माण करने के लिए एक निर्देशन समिति का गठन करना चाहिए । निर्देशन समिति तो विचारिणों कार्यक्रम में सुधार लाने के लिए है उनका क्रिया चयन का उत्तरदायित्व मुख्याध्यापक पर ही ।

#### परामर्शदाता का दायित्व

- 1 परामर्शदाता निर्देशन कार्यक्रम में सेवा की भूमिका निभाता है । वह

- पकी के काय म छात्रा की कठिनाइयो एव समस्याओ के समाधान के सम्बन्ध म परामश प्रदान कर, सहायता करता ह ।
- 2 कमचारियो के प्रयोग के लिए परामशदाता घ्राकडे एकत्रित करता है तथा निर्देशन सम्बन्धी तरुनीकी काय करता है ।
  - 3 जिन समस्याओ म निर्देशन प्रदान करने म कक्षाध्यापक कठिनाई का अनुभव करते है उनके समाधान म परामशदाता सहयोग प्रदान करता है ।
  - 4 परामशदाता अध्यापको एव अभिभावको का सम्पर्क म लाने मे सहायक होता है ।
  - 5 परामशदाता कमचारियो को प्राप्त सामुदायिक सुविधाओ स परिचित कराने एव उनका उपयोग करने म सहायता प्रदान करता है ।
  - 6 परामशदाता छात्रो की निर्देशन आवश्यकताओ के अनुसूच अध्यापन काय को विकसित करने मे अध्यापक की सहायता करता है ।
  - 7 कमचारियो द्वारा अध्यापको को आवश्यक शक्षिक एव व्यावसायिक सूचनाओ को एकत्रित करने एव उनके प्रयोग मे सहायता प्रदान करता है ।
  - 8 निर्देशन सम्बन्धी शोध काय का मूल्याकन सम्बन्धी अध्ययन म कमचारियो की मदद करता है ।

### अध्यापक के दायित्व

उपरोक्त चर्चा न अध्यापक के अनेक दायित्वो की ओर प्रत्यक्ष-परोक्ष रूप से कुछ संकेत हो चुके है । विशिष्ट रूप से उनके दायित्वो को संक्षेप म निम्न-लिखित बिंदुओ क अंतगत किया जा सकता है —

- 1 प्रत्येक अध्यापक को घरेलू सम्पर्क द्वारा बालक की कौटुम्बिक पृष्ठभूमि तथा उसकी सामाजिक, धार्मिक स्थिति के सम्बन्ध म विस्तृत सूचनाएँ एकत्र करनी चाहिए । साथ ही छात्रो के मानसिक शारीरिक विकास तथा स्वास्थ्य को ध्यान मे रखते हुए निर्देशन देना चाहिए ।
- 2 विद्याभिया की विषयो मे प्रगति का लेखा-जोखा रखना तथा समय-समय पर उनका मूल्याकन करना ।
- 3 छात्रावास एव भोजन व्यवस्था की आवश्यकता पर ध्यान देना अध्यापक का परम कर्तव्य है जिस पर अधिकांश अध्यापक ध्यान नहीं देते है । इसके अभाव म नई छात्रा की प्रगति रुक जाती है ।
- 4 अपनी कक्षा क बालका क व्यवहार सम्बन्धी कुछ विशिष्ट बातें यदि लिखाइ दे तो निर्देशन कार्यरत्ता अध्यापक का ध्यान उसकी ओर आकर्षित करना चाहिए ।
- 5 पर्यावरणीय सूचनाओ का संग्रह एव प्रसारण म निर्देशन कार्यरत्ता को पर्या सम्भव सहायता करनी चाहिए ।
- 6 कक्षा म क कक्षा के बाहर वातका की अनुसूच समस्याओ के प्रति सजग एव मरदनशील होना चाहिए ।
- 7 भविष्य मे उचित व्यवसाय के चयन म उह योग्यता, रुचि तथा देश-सेवा क अनुसार अपेक्षित निर्देशन देना ।

## निर्देशन सेवाओं को प्रभावशाली बनाने हेतु सुझाव -

निर्देशन सेवाओं को प्रभावशाली बनाने के लिये निम्नलिखित सुझाव दिये जा रहे हैं -

- 1 परामर्शको व कैरियर मास्टर्स के निरीक्षण काय व समय प्रदाना-यापना द्वारा ऐसा बतलाया गया है कि वे लोग कोई विशेष काय नहीं कर रहे हैं। सत्र के आरम्भ में समस्त विद्यालय परामर्शको को पूरे सत्र का माह-वार कायक्रम भेज दिया जाता है। अब ये प्रदाना-यापको का कतव्य है कि वे देखें कि परामर्शक व कैरियर मास्टर उस कायक्रम का अनुसरण कर रहे ह या नहीं। क्योंकि वे ही उनके नित्य-प्रति के काय का निरीक्षण कर सकते हैं। उनको चाहिए कि वे उनसे काय लें। जिला शिक्षा अधिकारी, उप निदेशक, सयुक्त निदेशक भी जब विद्यालय का निरीक्षण करें तो निर्देशन काय का भी निरीक्षण उनके द्वारा किया जाना चाहिए व उनका उल्लेख उनके निरीक्षण प्रतिवेदन में कर एक प्रति एस आई आर राजस्थान उदयपुर को भी भेज दी जावे।
  - 2 जिला शिक्षा अधिकारी, मण्डल उप निदेशक सयुक्त निदेशक कम से कम साल में चार बठक विद्यालयों के परामर्शको व कैरियर मास्टर्स को करें। जिनमें कि उनसे मंत्र तीन माह के काय का विवरण प्राप्त करें, निर्देशन सत्राग्रा को फलदायक बनाने के लिए विचार विमर्श करें।
  - 3 कैरियर मास्टर व शाला परामर्शको को सुविधाएँ दी जावे।
  - 4 विद्यालयों में कैरियर मास्टर्स को प्रतिदिन के लिए कम से कम एक कालांग निर्देशन हेतु समय-विभाग-चक्र में निर्धारित किया जावे।
  - 5 प्रत्येक विद्यालय के छात्र-कोष से निर्देशन काय हेतु समस्त कोष की ९०% धनराशि प्रति वर्ष दिये जाने का प्रावधान किया जावे व जिला शिक्षा अधिकारी अपने निरीक्षण के समय इस बात को ध्यान से देखें कि अस्तन्ती निर्देशन काय हेतु व्यय की गई है या नहीं इस धन राशि को निम्नलिखित काय हेतु व्यय किया जावे -
    - (प्र) निर्देशन साहित्य के क्रय व प्रकाशन हेतु।
    - (ब) छात्रों की रुचि रूचि व अभिरूचि परीक्षण सामग्री हेतु।
    - (स) शिक्षक व व्यावसायिक वार्ताग्रा हेतु।
    - (द) छात्रों के भ्रमण हेतु।
  - 6 एस आई आर टी उदयपुर द्वारा प्रतिमाह राजस्थान गाइड्स यूजलटर प्रकाशित किया जाता है तथा इसे राजस्थान के सभी माध्यमिक-उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रधाना-यापको को प्रेषित किया जाता है। अतः शिक्षा विभाग के निरीक्षण-अधिकारी निरीक्षण के समय देखें कि यूजलटर का प्रिय नया में किस प्रकार उपयोग किया जाना है।
  - 7 निर्देशन सेवाओं की सेवाओं को अधिक से अधिक उपयोगी बनाने हेतु शिक्षा मन्त्रालय उपस्थित अधिकारियों के सुझाव आमंत्रित किये जावे।
- शाला निर्देशन कायक्रम आयोजित करने की कुछ पूर्व आवश्यकताएँ -  
निर्देशन में सैद्धांतिक प्रश्नों का मात्र इस काय को प्रारम्भ करने में उपयुक्तता पूर्वक संचालित करने हेतु पर्याप्त नहीं है। यदि कवन छात्रों की ही

न करके वास्तव में छात्रों को निर्देशन देना है तो शाला संगठन में इस कार्यक्रम के लिए आवश्यक समय तथा सुविधाएँ देनी होंगी। शाला की प्रथम पाठ्यसहायणी क्रियाओं के समान ही इसका आयोजन करना होगा। साथ ही इसके लिए आवश्यक स्थान, बजट आदि का भी प्रबंध करना होगा यह कार्य मुख्य रूप से प्रधानाध्यापक का ही है।

चूँकि निर्देशन का कार्य एक विशिष्ट कार्य है इसलिये इस कार्य के लिए विशिष्ट रूप से उत्तरदायी व्यक्तियों का विशिष्ट प्रशिक्षण उसी प्रकार आवश्यक है जैसा कि शारीरिक शिक्षा के अध्यापक का, साथ ही शाला के समस्त अध्यापकगण एवं श्रमिक-कार्यकर्ता को भी निर्देशन के उद्देश्यों, महत्व एवं आवश्यकता से सामान्य परिचय होना चाहिए। इसके अभाव में वे प्रशिक्षित निर्देशन कार्यकर्ताओं को अपना अपेक्षित योगदान नहीं दे सकेंगे और निर्देशन कार्यक्रम सफल होने की सम्भावना है। बिना इसके वे प्रशिक्षित कामियों को अपना अपेक्षित योगदान निर्देशन कार्यक्रम के संचालन में नहीं दे सकेंगे।

### उपसंहार -

इस प्रकार यदि उपयुक्त रूप से निर्देशन सेवा राज्य के सभी विद्यालयों में प्रारम्भ की जा सके तो निश्चय ही हम न केवल छात्रों की शैक्षिक निष्पत्ति को उनकी मानसिक योग्यता स्तरानुकूल लाने में सफल होंगे अपितु उनके स्वयं तथा वातावरण के साथ समायोजन में सहायक होकर उन्हें सम्भावित हीन भावना से बचाने तथा बतभान में विद्यालयों में होने वाले अवरोध व अपाठ्य को भी अधिकतम सीमा तक रोकने में सफल होंगे तथा हम अपने बान बन् के लिए राष्ट्र को सुसमायोजित प्रशिक्षित एवं हीन भावना रहित सुयोग्य नागरिक उपलब्ध करा सकेंगे। □ □ □

### मूल्यांकन (Evaluation)

#### (अ) लघुत्तरात्मक प्रश्न (Short Answer type Questions)

1. विद्यालय में निर्देशन सेवाएँ पर टिप्पणी लिखिये। (बी एड पत्राचार 1985)
2. विद्यार्थियों में प्रभावी निर्देशन सेवाएँ आयोजित करने की पाँच सावधानियाँ लिखिये। (बी एड 1980)
3. विद्यालयी शिक्षा के किन-किन स्तरों पर शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन उपलब्ध करना अधिक सगत होता है व क्यों? (बी एड पत्राचार 1984)
4. अध्यापक निर्देशन में किस प्रकार सहायक हो सकता है? (शिक्षा शास्त्री 1984)
5. शिक्षण व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत निर्देशन में अंतर बतइयें। (बी एड 1983)
6. विद्यालय में सम्भावित निर्देशन के क्या उद्देश्य हैं? (बी एड 1982)

#### (ब) निबन्धात्मक प्रश्न (Essay type Questions)

1. निर्देशन का परिभाषित कीजिये। उच्च माध्यमिक विद्यालय में निर्देशन संगठन के लिये एक यात्रा बनाइयें। (बी एड भांडन पेशर 1984, व बी एड 1983)
2. निर्देशन संगठन का क्या उद्देश्य है? विद्यालय में निर्देशन सेवाओं को गठित करने में प्रधानाध्यापक किन-किन तत्वों को ध्यान में रखेंगे? (बी एड पत्राचार 1983)
3. निर्देशन कार्यक्रम में सल हूकार की क्या भूमिका है? विविध परिस्थितियों के सदृश में इसको स्पष्ट कीजिये। (बी एड 1982)
4. शिक्षा और निर्देशन एक ही मित्र के दो पहलू हैं।" इस कथन की विवेचना कीजिये तथा दोनों की समानता तथा भिन्नता स्पष्ट कीजिये। (बी एड पत्राचार 1982)

- 1 निम्नांकित में से किसी एक का निर्माण—
  - (a) वार्षिक विद्यालय योजना ।
  - (b) वार्षिक शिक्षण-योजना ।
  - (c) सत्र चार दत्त ऋाय योजना ।
- 2 विद्यार्थी अनुशासन/असंतोष को प्रभावित करने वाले घटका को खोजने हेतु समुदाय का सर्वेक्षण ।
- 3, विद्यालय के भौतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग हेतु एक योजना का विवरण ।
- 4 सीमित उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम शारीरिक शिक्षा व खेल-कूद कार्यक्रमों में पुनर्नियोजन की सम्भावनाओं का पता लगाना ।
- 5 विद्यालय में निर्देशन केंद्र की स्थापना करना ।
- 6 निम्नांकित क प्रभिलेखों का संपादन—
  - (a)—सह-पाठ्यक्रमीय-क्रियाकलाप,
  - (b) सचयी मूल्यांकन प्रभिलेख,
  - (c) विद्यार्थियों के लिये उपयोगी व्यवसायों सम्बंधी सूचना ।
- 1 Preparation of (any one)—
  - (a) Annual Institutional Plan
  - (b) Yearly Teaching Plan
  - (c) Term wise Assignment Plan
- 2 Survey of Community with a view to locate factors in fluencing Discipline of Students/Student unrest
- 3 Developing a plan for maximum utilisation of school physical resources
- 4 Exploring possibilities of revising Physical training, games and sports under limited resources available
- 5 Establishing Guidance center in the school
- 6 Maintaining records of—
  - (a) Co curricular activities,
  - (b) Cumulative assessment record,
  - (c) Occupational Information needed by Students

## प्रायोगिक कार्य (Practicum)-1

### 1 (A) वार्षिक विद्यालय योजना (Annual Institutional Plan)

विद्यालय योजना का सप्रत्यय तथा उसकी प्रमुख विशेषताएँ एवं उसके पक्ष अध्याय-20 में स्पष्ट किये जा चुके हैं। विद्यालय योजना में सम्मिलित प्रत्येक समुचयन काय विदु का प्रारूप भी बतलाया जा चुका है। यहाँ वार्षिक विद्यालय योजना का प्रारूप दिया जा रहा है जो शिक्षा विभाग, राजस्थान द्वारा प्रकाशित पुस्तिका 'विद्यालय योजना 3' के अन्तर्गत दिया हुआ है।

#### वार्षिक विद्यालय योजना का प्रारूप (Proforma)

- (1) विद्यालय का सामान्य परिचय, स्थिति, पहुँच, क सधन आदि।
- (2) विद्यालय का इतिहास अति संक्षेप में।
- (3) विद्यालय के अघन मुख्य उद्देश्य यदि कोई स्पष्ट हो तो।
- (4) विद्यालय की छात्र संख्या, नक्षा एत्र बगवार।

कक्षा तथा बग	छात्र संख्या	बालक	बालिका
1	2	3	4

#### (5) विद्यालय परिवार

(अ) अध्यापक बग

प्रधानाध्यापक/प्राचार्य

सहायक प्रधानाध्यापक

अध्यापक गण

प्र० श्रेणी द्वि० श्रेणी तृ० श्रेणी अथ (पी०टी०आई०, तकनीकल, एन०डी०एस०आई० आदि) योग

योग्यताचार	कला बग	विज्ञान बग	कृषि बग	बग
	दृ ड/अनदृ ड	दृ ड/अनदृ ड	दृ ड/अनदृ ड	दृ ड/अनदृ ड

पास्टप्रेजुण्ट

अनुष्ट



जड़ी/हायर सरुपड़ी  
नीकल  
य

योग

परिवार

उच्च माध्यमिक/माध्यमिक स्तर                      उच्च प्राथमिक स्तर

विषय                      छात्रावकाश की संख्या                      विषय                      छात्रावकाश की संख्या

(3) प्रथम परिवार

लेखक वय	वरिष्ठ	वरिष्ठ	योग
पुस्तकालयाध्यक्ष	—	—	
प्रयोगशाला सहायक	—	—	
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	—	—	
सब ध्यान	—	—	

(6) विषय जो पढ़ाये जाते हैं  
उच्च मा०/माध्यमिक स्तर                      ३०२१० मूद्र

विषय	छात्र संख्या	विषय	छात्र संख्या
परिवार			
वर्तमान			
उदाहरण एवं			

(7) अन्य उच्च उपाध्यक्ष आदि

उपाध्यक्ष	साइज	मूद्र	टिप्पणी
उपाध्यक्ष उच्च माध्यमिक स्तर			
उपाध्यक्ष उच्च प्राथमिक स्तर			
उपाध्यक्ष			
उपाध्यक्ष-उच्च			
उपाध्यक्ष-उच्च			
उपाध्यक्ष-उच्च			
उपाध्यक्ष-उच्च			

बैकल्पिक विषयों के कक्ष  
हाल

प्रकार	साइज	संख्या	विशेष
प्रयोगशालाएँ, फ्रॉगरी, वाटर रूम, स्टोर रूम, मूत्रालय, शौचालय आदि			

17

(8) खेल के मदान

-खेल	संख्या	स्थिति (प्रागण मे/कि०मी० म दूरी)	स्तर

(9) पुस्तकालय

विषय	पुस्तको की संख्या (सत्र क अत तक)
योग	

(10) वाचनालय

पत्र पत्रिकाएँ	योग	हिन्दी	अंग्रेजी	छात्रोपयोगी	अध्यापकोपयोगी
दैनिक, साप्ताहिक, पाशिक, मासिक, त्रमासिक, अर्द्ध वार्षिक प्रत्येक पृथक् पृथक्					
विषयवार					
विषय					

(11) परीक्षा परिणाम सत्र  
 (प्र) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएँ—

कक्षा बग बडे उत्तीर्ण प्रतिशत I II III पूरक परीक्षा म  
 उत्तीर्ण

कला

11

10

विज्ञान

11

10

कृषि

11

10

गृह विज्ञान

11

10

ललित कला

11

10

योग

विद्यालय की प्रा. तैरिक परीक्षाएँ (उपरोक्तानुसार)

(ब) सत्र म उपरकथ कार्य निवमो की मन्था

दिन/महीने— जु० अ० वि० अ० न० नि० ज० फ० मा० अ० म०

योग

(12) प्राथमिक साधन

राजकीय सत्र ( )

छात्र बोध सत्र ( )

मन् राशि मद

गत सत्र तक शेष-नया योग

योग

योग

## समुन्नयन काय-बिन्दु (Improvement Item Plan)

गत सत्र ( ) मे लिये गय

इस सत्र ( ) म प्रस्तावित

- (घ) शक्ति-
- (च) सहशिक्षक-
- (स) भौतिक-
- (द) अध्यापक स नयन-
- (ई) विभाग द्वारा प्रस्तावित-
- (फ) प्र य-

### प्रत्येक समुन्नयन काय बिन्दु की योजना के शीर्षक

- (1) समुन्नयन काय का नाम
- (2) प्रभारी शिक्षक/समिति "
- (3) समिति का सयोजक (यदि हो) "
- (4) मानक अपेक्षाएँ "
- (5) वर्तमान स्थिति का विश्लेषण "
- (6) काय के लक्ष्य एव समय सीमा "
- (7) क्रियाविति सम्बन्धी क्रिया पद-प्रमय सीमा साधन सुविधाएँ
- (8) मूल्यांकन विधि

वार्षिक विद्यालय योजना के उपरोक्त प्रारूप म राजस्थान के समस्त राजकीय एव मायता प्राप्त निजी विद्यालयों को निर्धारित समय सारणी के अनुसार उच्च शिक्षाधिकारियों को भवगत कराते हुए इस योजना को क्रियाविति करना होता है । विद्यालय योजना का एक प्रमूना अध्याय-20 म दिया गया है ।

### 1 (B) वार्षिक शिक्षण योजना (Yearly Teaching Plan)

वार्षिक शिक्षण योजना प्रत्येक शिक्षक को अपनी अध्यापक-द्वन्द्विनी (Teaching Diary) म उसे प्रावटित कक्षा एव विषय की पृथक पृथक निम्नांकित प्रारूप (Proforma) म बनानी चाहिए—

कक्षा एव वय

विषय

क्रमांक	अध्यापक इकाई (Teaching Unit)	अपक्षित अध्यापन कालाश	माह	उद्देश्य	प्रधानाध्यापक द्वारा टिप्पणी



## 1 (C) सत्रवार दत्त-कार्य योजना (Term wise Assignment Plan)

दत्त-कार्य प्रथम सूचना के उद्देश्य एवं उसकी प्रभावो बनाने हेतु ध्यान में रखने के सिद्धांत इस पुस्तक के अध्याय 9 में दलिय। यहाँ माध्यमिक कक्षाया में दत्त कार्य की सत्रवार योजना का प्रारूप दिया जा रहा है—

सत्र	अनिवार्य विषय					एच्छित्त विषय		
	अप्रती	हिं दी	गणित	सा० अध्ययन	सा० विज्ञान	I	II	III
प्रथम सत्र (1 जुलाई से 31 अक्टूबर)								
द्वितीय सत्र (1 नवम्बर से 31 दिसम्बर)								
तृतीय सत्र (1 मार्च से 16 मई)								

उपरोक्त प्रारूप में प्रत्येक सत्र में लगभग 200 शिक्षण दिवसों को तीन सत्रों में (बोर्ड की परीक्षा वाली कक्षाओं हेतु दो सत्रों में) अवधि के अनुसार दत्त कार्य के लिए विषयवार घण्टे निश्चित किये जायें तथा उसके आधार पर दत्त कार्य का साप्ताहिक समय-विभाग-चक्र निम्नांकित प्रकार से बनाया जाए ताकि प्रत्येक छात्र को प्रतिदिन दो घण्टे से अधिक कार्य न हो —

दिवस	विषय	मनिवाय विषय										योग पृष्ठा म		
		मनिवाय विषय					एन्द्रिय विषय							
		अपेजी	हि दी	गणित	सा० मध्ययन	सा० विमान	I	II	III					
सोमवार		३	३	✓	×	×	×	३	×	३	३	×	३	2
मंगलवार		३	×	३	३	×	×	×	३	×	३	×	×	2
बुधवार		३	×	३	×	×	३	×	३	×	३	×	३	2
गुरुवार		×	३	३	×	×	×	३	×	३	३	×	३	2
शुक्रवार		×	×	×	३	३	३	३	×	३	३	×	३	2
शनिवार		×	३	×	३	३	३	३	३	३	३	×	३	2

## प्रायोगिक कार्य (Practicum)—2

विद्यार्थी अनुशासन/छात्र असन्तोष को प्रभावित करने वाले घटका का पता लगाने हेतु समुदाय का सर्वेक्षण

सर्वेक्षण विधि (Survey Method)—अनुसंधान की विवरणात्मक विधि (Descriptive method of Research) का महत्वपूर्ण अंग सर्वेक्षण विधि मानी जाती है। सर्वेक्षण का अर्थ प्रालोचनात्मक एवं अनुसंधानात्मक निरीक्षण करना है तथा इसका उद्देश्य किसी एक क्षेत्र या समस्या की वर्तमान स्थिति सम्बन्धी सूचनात्मक तथ्य एकत्रित कर उनके विश्लेषण व व्याख्या के आधार पर उस समस्या का समाधान खोजना है। सर्वेक्षण का क्षेत्र सुकुचित एवं व्यापक दोनों हो सकता है। विद्यालय एवं शिक्षा क्षेत्र की अनेक ऐसी समस्याएँ हैं जिनका सर्वेक्षण अनुसंधान-विधि से समाधान खोजा जा सकता है। विद्यार्थी अनुशासन अथवा छात्र-असंतोष की गम्भीर समस्या को प्रभावित करने वाले घटकों (Factors) का पता लगाने हेतु निम्नांकित चरणों (Steps) में योजना बनाई जानी चाहिये —

(1) समस्या की पहचान तथा परिभाषीकरण (Identification of the Problem and its Definition)—छात्र असंतोष व अनुशासनहीनता के विद्यार्थियों के व्यवहार के आधार पर इस समस्या को परिभाषित किया जाय।

(2) समस्या के उद्देश्यों का निर्धारण (Framing the Objectives of the Problem)—छात्रों के व्यवहार में प्रपेक्षित परिवर्तनों के रूप में उद्देश्य निर्धारित किये जायें।

(3) सर्वेक्षण की योजना बनाना (Survey Plan)—इस समस्या के सर्वेक्षण हेतु उपयुक्त उपकरणों (Tools) एवं प्रतिदर्श (Sample) का निर्धारण तथा उपकरण की रचना की जानी चाहिए। छात्र असंतोष के घटकों का पता लगाने हेतु विद्यालय के अनुशासनहीन छात्रों का एक प्रतिनिधि प्रतिदर्श निश्चित कर उनके अभिभावकों से पूछने हेतु एक उपकरण "साक्षात्कार अनुसूची" (Interview Schedule) बनाई जाये। इसका प्रारूप आगे दिया जा रहा है।

(4) दत्त सङ्कलन (Data Collection)—समस्या से सम्बन्धित दत्तों का सङ्कलन 'साक्षात्कार अनुसूची' तथा क्षेत्र-अध्ययन (Field Study) के आधार पर किया जाना चाहिये। अभिभावकों तथा छात्रों से प्राप्त अनुशासन में सहायक घटकों के अध्ययन से तथ्यों को वर्गीकृत रूप में प्रदर्शित किया जाये।

(5) दत्त विश्लेषण (Data Analysis)—प्राप्त तथ्यों के विश्लेषण द्वारा अनुशासनहीनता में सहायक घटकों की भूमिका स्पष्ट की जाय।

(6) सर्वेक्षण प्रतिवेदन (Survey Report)—प्रतिवेदन में अनुशासनहीनता में सहायक घटकों का प्रभाव निष्कर्षों के रूप में तथा उनके निराकरण के उपाय प्रतिवेदन में स्पष्ट किये जाने चाहिए।



अभिभावकी हेतु साक्षात्कार अनुसूची (Interview Schedule) (का प्रारूप

- (1) सर्वेक्षण का नाम, (2) सर्वेक्षण का त्नांक, वष एव अवधि,
- (3) सर्वेक्षण करने वाले का नाम, (4) विद्यालय का नाम, (5) विद्यालय का प्रव ष (राजकीय/निजी), (6) विद्यालय का स्तर (प्राथ०/उ०प्रा०/माध्यमिक/उ० मा०), (7) प्रधानाध्यापक/प्राचाय का नाम, (8) विद्यालय में छात्र सरया (वक्षावार), (9) छात्र का नाम व कक्षा, (10) अभिभावक का नाम व पता, (11) अभिभावक से साक्षात्कार के समय पूछे जाने वाले प्रश्नों के क्षेत्र—

[क] छात्र असन्तोष के विद्यालयीय अथवा शैक्षिक घटक—

- (1) क्या छात्र विद्यालय में दिये गये गृह-काय को नियमित रूप से घर पर करता है ?
- (2) उसे किन विषयों में कठिनाई 'घाती है और क्यों ?
- (3) क्या वह विद्यालय में साधन-सुविधाओं के अभाव की कोई शिकायत करता है तथा किस सम्बन्ध में ?
- (4) क्या उसे विद्यालय में किसी छात्रा अथवा शिक्षक से कोई शिकायत है तथा किस प्रकार की ?

[ख] छात्र असन्तोष के घर या परिवार सम्बन्धी घटक—

- (1) क्या आप छात्र को घर पर अध्ययन सम्बन्धी साधन सुविधाएँ देते हैं ? यदि नहीं तो क्या कारण हैं ?
- (2) क्या छात्र को घर या परिवार से कोई शिकायत है ? यदि है तो किस प्रकार की ?

[ग] छात्र असन्तोष के सामाजिक घटक—

- (1) विद्यालय समय के अतिरिक्त छात्र अपने अवकाश के समय का उपयोग कौन से कार्यों में करता है ?
- (2) छात्र के व्यवहार पर उसके मित्रों अथवा समुदाय के अन्य व्यक्तियों का क्या कोई विपरीत प्रभाव आप देखते हैं ? स्पष्ट करें ।
- (3) स्थानीय समुदाय में कौन से ऐसे मनोरंजन के साधन, संस्थाएँ अथवा समूह हैं जिन्हें आप छात्र की अनुशासनहीनता के लिये उत्तरदायी मानते हैं ?

[घ] छात्र अनुशासनहीनता के राजनैतिक घटक —

- (1) स्थानीय समुदाय में कौन से ऐसे राजनैतिक मगठन हैं जिनके सम्पर्क द्वारा छात्र के व्यवहार पर विपरीत प्रभाव पड़ता है ?
- (2) छात्र-प्रा दोहन के समय कौन से राजनैतिक तत्त्व उसे प्रभावित करते हुए प्रतीत होते हैं ?

### [ 3 ] छात्र अनुशासनहीनता के अन्य घटक —

(1) आपके परिवार की मासिक आय, व्यवसाय तथा सदस्य संख्या क्या हैं ?

(2) क्या छात्र को घरेलू कार्यों अथवा आपकी प्राञ्जीत्रिका के कार्यों में समय देना पड़ता है तथा कितना समय बच्यो ?

(3) क्या छात्र की समस्याओं के समाधान हेतु विद्यालय से संपर्क रखते हैं ? यदि नहीं तो क्यों ?

उपरोक्त साक्षात्कार अनुसूची के प्रश्नों द्वारा प्रतिदश के लिये चुने हुए छात्रों के अभिभावकों से ऐसे घटकों का पता चल सकता है जिनका प्रभाव छात्र अनुशासनहीनता या अस तोष पर पड़ता है। इस दत्त सकलन का सत्यापन (Verification) छात्रों के घरों, स्थानीय संस्थाओं, मनोरजन-केन्द्रों तथा राजनतिक पार्टियों की गतिविधियों के निरीक्षण द्वारा किया जा सकता है।

### प्रायोगिक कार्य (Practicum)-3

विद्यालयों के भौतिक संसाधनों के अधिकतम उपयोग हेतु योजना का विकास  
(Developing a plan for maximum utilization of school physical resources)

विद्यालय के भौतिक संसाधनों में निम्नांकित वस्तुएँ प्रमुख हैं—

(1) विद्यालय भवन, (2) फर्नीचर, (3) शिक्षण सहायक उपकरण, (4) कक्षा कक्ष, (5) विषय विशेष कक्ष, (6) पुस्तकालय व वाचनालय, (7) प्रयोगशाला, (8) पाठ्यक्रम सह्यामी क्रियाओं सम्बन्धी उपकरण व स्थान (9) खेल के मदान व उपकरण, (10) राजकीय एवं छात्र कोष व वित्तीय साधनों की स्थिति, (11) विद्यालय कार्यालय तथा (12) विद्यालय सेवाएँ।

भौतिक संसाधनों की दृष्टि से वर्तमान अधिकांश विद्यालय शोचनीय स्थिति में हैं। छात्र संख्या को देखते हुए भवन, खेल के मदान फर्नीचर, उपकरण आदि न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पाते। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बोर्ड द्वारा मायता हेतु निर्धारित शर्तोंबतृत कम विद्यालयों में ही पूरी होती देखी जाती है। इसके अनेक कारण हैं जैसे शिक्षा विभाग अथवा निजी प्रबंधक-मण्डल के पास वित्तीय साधनों की कमी, राजनतिक प्रभाव के कारण खोने गये स्कूल, जन-सहयोग की कमी आदि। भौतिक संसाधनों की कमी के फलस्वरूप छात्रों के शिक्षण एवं अध्ययन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा शिक्षा का स्तर गिरता है।

शिक्षा के तीव्र विस्तार के कारण तथा छात्र-संख्या में वृद्धि होने से विद्यालयों की संख्या में भी अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। ऐसी स्थिति में विद्यालयों में भौतिक संसाधनों की कमी होना स्वाभाविक है। इन अक्षरिहाय परिस्थितियों में केवल प्रधानाध्यापक की सूझ-बूझ से ही उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग

द्वारा स्थिति पर नियंत्रण किया जा सकता है। इस हेतु प्रधानाध्यापक को शिक्षकों एवं शिक्षार्थियों के सहयोग से विद्यालय में उपलब्ध भौतिक ससाधनों की योजना निम्नांकित बिंदुओं को दृष्टिगत रखते हुए बनानी चाहिए।

**भौतिक ससाधनों के अधिकतम उपयोग की योजना बनाने समय ध्यातव्य बिन्दु**

[1] विद्यालय भवन, कक्षा कक्षों तथा खेल के मदान सम्बन्धी कमी की पूर्ति जन सहयोग द्वारा की जानी चाहिए। उपलब्ध भवन व कक्षों में अधिकतम उपयोग हेतु विद्यालय को दो पारी (Shifts) में चलाकर अथवा कक्षा कक्षों में पार्टीशन (Partition) द्वारा उच्च, दो कक्षाओं के उपयोग में लाया जा सकता है। मूलालय-शौचालय, जल गृह आदि के लिए उपलब्ध भूमि में स्थानीय साधनों (छप्पर व मिट्टी की दीवारें बनाकर) तथा श्रमदान द्वारा बनवाया जा सकता है। खेल के मदानों की कमी की पूर्ति उपयुक्त खेल-कूद का समय विभाग चक्र बनाकर अथवा शाला-संगम (School Complex) के माध्यम से अथवा स्थानीय विद्यालयों के खेल के मदानों का उपयोग किया जा सकता है।

[2] शिक्षण सहायक उपकरणों की कमी आशु उपकरण (Improvised apparatus or Teaching aids) तैयार करा कर पूरी की जा सकती है। शाला-संगम के माध्यम से भी विद्यालय परस्पर इन उपकरणों का विनिमय कर इनका अधिकतम उपयोग कर सकते हैं।

[3] पुस्तकालय व वाचनालय के अधिकतम उपयोग हेतु समय विभाग चक्र में एक पुस्तकालय कालाश रखकर अथवा विद्यालय समय के अतिरिक्त समय में कुछ अवधि के लिए पुस्तकालय व वाचनालय विद्यार्थियों के लिए खुला रखकर किया जा सकता है।

[4] पाठ्यक्रम सहगामी क्रियामों के लिए उपकरणों एवं स्थानों की कमी की पूर्ति एमो क्रियामों के आयोजन के समय विभाग चक्र में परिवर्तन कर की जा सकती है जिससे उपलब्ध उपकरण एवं स्थान का अधिकतम उपयोग हो सके अथवा ऐसे क्रिया कलापों जिनमें इनकी कम आवश्यकता हो जैसे देशी खेलों (खो खो, कबड्डी, योगासन आदि) का आयोजन कर की जा सकती है।

[5] कार्यालय विषय विशेष के कक्ष, इनके उपकरणों आदि के अधिकतम उपयोग की योजना कक्षा व उपकरणों के एक से अधिक कार्यों के लिए उपयोग कर बनाई जा सकती है।

[6] उपलब्ध वित्तीय साधनों का सदुपयोग वस्तुओं के ब्रह्म करते समय तथा उनके रख-रखाव में कुछ सावधानियाँ बरतने से किया जा सकता है।

उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर भौतिक ससाधनों का सर्वेक्षण कर उनके अधिकतम उपयोग की योजना विधिवत बनाई तथा क्रियारित की जानी चाहिए।

## प्रायोगिक कार्य (Practicum)-4

शारीरिक प्रशिक्षण व खेल कूद की उपलब्ध सीमित साधना  
के अन्तर्गत योजना बनाना

प्रायोगिक कार्य-3 के प्र तगत इस बिंदु पर चर्चा की जा चुकी है। यहां यह कहना पर्याप्त होगा कि सीमित साधनों के प्र तगत शारीरिक प्रशिक्षण व खेल कूद की योजना बनाते समय निम्नांकित बातें ध्यान में रखनी चाहिए।

(1) स्थानीय विद्यालयों का सहयोग—शाला सगम द्वारा विद्यालयों के उपलब्ध साधना का परस्पर विनिमय कर उनका अधिकतम उपयोग किया जा सकता है। जो सामग्री या स्थान कुछ अवधि के लिए दूसरे साधनहीन विद्यालयों के उपयोग हेतु दिया जा सके, वह दिया जाना चाहिए तथा प्र य विद्यालयों की इन वस्तुओं का उपयोग अपने विद्यालय में किया जा सकता है।

(2) जन सहयोग—खेल कूद का सामान भ्रमवा खेल के मदानों की कमी की पूर्ति स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं (जैसे—ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, नगर पालिका आदि) तथा परोपकारी संस्थाओं व समृद्ध व्यक्तियों के सहयोग से की जानी चाहिए। यह सहयोग प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकों के स्थानीय समुदाय के साथ सम्पर्क एवं सहभावना के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है।

(3) समय विभाग चक्र में वांछित परिवर्तन कर अधिकतम छात्रों के लिए इन क्रियाओं में भाग लेने का अवसर दिया जा सकता है।

(4) देशी खेलों व व्यायाम जैसे खो-खो कबड्डी, कुश्ती योगासन आदि की व्यवस्था कर सभी छात्रों के शारीरिक विकास की व्यवस्था की जा सकती है।

(5) छात्रों को अपने घर अथवा मोहल्लों में उपलब्ध स्थान पर चलने हेतु सामान लेकर जिसकी व्यवस्था प्रभारी छात्र एवं अध्यापक के परिशीलन में की जाय, स्थान की कमी का निराकरण किया जा सकता है।

उपरोक्त बिंदुओं को दृष्टिगत रखते हुए विद्यालय के छात्रों के अधिकतम लाभ हेतु एक मुनियोजित कार्यक्रम बनाया जा सकता है।

## प्रायोगिक कार्य (Practicum)-5

विद्यालय में निर्देशन केंद्र की स्थापना

(Establishing Guidance Centre in the School)

एक माध्यमिक विद्यालय में निर्देशन केंद्र की स्थापना हेतु निम्नांकित बिंदुओं को दृष्टिगत रखा जाना चाहिए (निर्देशन के उद्देश्य, प्रकार तथा सफलता के नियम में इस पुस्तक के अध्याय-24 में दिये हैं) —

(1) राज्य शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो (State Bureau of Education and Vocational Guidance Bureau)—राजस्थान में

राज्य शिक्षक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (SIERT) उदयपुर में स्थित है। विद्यालय में निर्देशन-केन्द्र की स्थापना से पूर्व इस व्यूरो से सम्पर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त की जाती चाहिए।

(2) क्षेत्रीय परामशदाता (Counsellor) के मागदर्शन में निर्देशन केन्द्र की स्थापना की जानी चाहिए। शिक्षा विभाग ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों हेतु पृथक क्षेत्रीय परामशदाता नियुक्त किये हैं जिनका मागदर्शन विद्यालयों को प्राप्त करना चाहिए।

(3) कैरियर मास्टर (Career Master) के प्रशिक्षण हेतु विद्यालय के किसी उपयुक्त अध्यापक का चुनाव कर उसे राज्य के व्यूरो द्वारा प्रशिक्षित कराना चाहिये ताकि वह निर्देशन-केन्द्र का प्रभारी बनाया जा सके। कैरियर मास्टर द्वारा शाला के सभी शिक्षकों का निर्देशन हेतु अभिनवन (Orientation) किया जाना चाहिये।

(4) निर्देशन-केन्द्र हेतु विद्यालय में उचित स्थान (कोई कक्षा या निर्देशन प्रकोष्ठ-Corner) का निर्धारण किया जाना चाहिए जो छात्रों का ध्यान आकर्षित करें।

(5) निर्देशन-केन्द्र द्वारा आयोजित क्रियाकलाप (Activities to be Organised by the Guidance Center) निम्नांकित होने चाहिए —

(क) सूची सेवा (Inventory Services) — छात्रों के संचयी कांड (Cumulative Record Cards) का संचारण तथा परीक्षण व परीक्षण रहित प्रविधियों (Testing and Non testing Devices) द्वारा छात्रों के व्यक्तित्व के सभी पक्षों के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित करने का कार्य करना।

(ख) सूचना सेवा (Information Services) — छात्रों के व्यावसायिक निर्देशन हेतु स्थानीय सेवा नियोजन कार्यालयों (Employment Exchanges) तथा क्षेत्रीय उद्योग संस्थानों से सम्पर्क कर रोजगार या स्व रोजगार (Selfemployment) के अवसरों से छात्रों को अवगत कराना चाहिए। विद्यालय में छात्रों को अपनी रुचि के व्यवसायों के अध्ययन करने एवं प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु उत्प्रेरित करना चाहिए।

(ग) परामश सेवा (Counselling Services) — छात्रों को उनकी व्यक्तिगत व सामाजिक समस्याओं के समाधान हेतु परामश दिया जाना चाहिए।

(घ) अन्य गतिविधियाँ (Other Activities) — व्यावसायिक निर्देशन हेतु विद्यार्थियों द्वारा औद्योगिक संस्थानों के परिदृश्य (Visits) विभिन्न व्यवसायों की जानकारी देने हेतु पोस्टर, चाट, पम्फलेट्स आदि का बुलटिन बोर्ड पर प्रदर्शन, औद्योगिक क्षेत्र के प्रबंधकों व कर्मचारियों से मॉट, वार्ता, भाषण आदि, टी वी,

रडियो, फिल्म स्ट्रिप्स आदि से सम्बन्धित कार्यक्रमों व प्रदर्शन की व्यवस्था, व्यावसायिक स्थानीय सर्वेक्षण (Surveys) विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों का अनुवर्ती अध्ययन (Follow up Studies) आदि क्रियाकलाप निर्देशन-केन्द्र द्वारा किये जाने चाहिए ।

(ड) शिक्षक अभिनवन (Teacher Orientation)—कोठारी शिक्षा आयोग ने कहा है—'निर्देशन शिक्षा का अभिन्न अंग समझा जाना चाहिए न कि उसे एक मनोवैज्ञानिक या सामाजिक सेवा माना जाये जो शैक्षिक उद्देश्यों से भिन्न हो ।' (Guidance therefore should be regarded as an integral part of Education and not a special Psychological or social service which is peripheral to educational purposes) अतः निर्देशन केन्द्र द्वारा राज्य निर्देशन ब्यूरो अथवा शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में स्थित प्रस्तार सेवा विभाग (Extension Services Department) के निर्देशन में सभी शिक्षकों को निर्देशन हेतु प्रशिक्षित कराना चाहिए ।

## प्रायोगिक कार्य (Practicum)-6

### अभिलेखा-संभारण (Maintaining Records)

(a) तथा (c) सह-पाठ्यक्रमीय क्रियाओं एवं व्यावसायिक सूचना के अभिलेखों का विवेचन इस पुस्तक अध्याय 12 तथा 24 में किया जा चुका है ।

### (b) संचयी मूल्यांकन अभिलेख

### (Cumulative Assessment Records)

मुदालियर माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कहा है—'न तो बाह्य परीक्षा और न आंतरिक पृथक रूप से अथवा सम्मिलित रूप से बालक की सर्वांगीण प्रगति के विषय में सही व सम्पूर्ण चित्रण कर सकती है । यद्यपि हमारे लिए इस प्रगति को जानना अत्यंत आवश्यक है तथापि व्यावसायिक एवं शैक्षिक निर्देशन हेतु आवश्यक है कि बालक के प्रत्येक पक्ष से सम्बन्धित जानकारी का अभिलेख रखा जाये ।' संचयी अभिलेख इसलिये महत्वपूर्ण होता है । वह छात्रों की व्यक्तिगत दुबलताओं एवं गुणों को नात उनके आघार पर उन्हें निर्देशन (Guidance) देने तथा उनकी व्यक्तिगत समस्याओं को समझकर उनका समाधान खोजने के लिए बाध्यनीय होता है । कोठारी शिक्षा आयोग ने इस तथ्य को इस प्रकार व्यक्त किया है—'संचित अभिलेख प्रत्येक कक्षा सम्बन्धी छात्र विकास, उसकी शैक्षिक एवं संवेगात्मक समस्या उसकी समझन सम्बन्धी समस्याएँ एवं कठिनाइयों को सुलभाने के लिए उपचारात्मक कार्यवाही की दिशा नात करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ।'

## संचित अभिलेख प्रपत्र (Cumulative Record Proforma)

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, भ्रजमेर द्वारा समस्त माध्यमिक एवं  
मा० विद्यालयों में सधारण हेतु निम्नांकित संचित अभिलेख प्रपत्र निर्धारित  
किया है—

### सामान्य तथ्य (General Data)

- 1 छात्र या छात्रा का नाम
- 2 जन्म-तिथि
- 3 पिता का नाम
- 4 अभिभावक का पता
- 5 माता पिता या अभिभावक का व्यवसाय
- 6 माता पिता की शिक्षा "

### 7 विद्यालय इतिहास

विद्यालय का नाम	वय	परिवर्तन के कारण
[i] " "		
[ii]		
[iii] "		

### 8 पारिवारिक इतिहास

- [i] परिवार में बालक की स्थिति "
- [ii] पारिवारिक अनुशासन
- [iii] पारिवारिक स्थिति (धार्मिक, सामाजिक, धार्मिक आदि)
- [iv] व्यवसाय के सम्बन्ध में माता पिता के विचार

### 9 छात्र/छात्रा की प्राकाशाएँ "

### 10 माता पिता की प्राकाशाएँ

## शैक्षिक उपलब्धियाँ (Scholastic Attainments)

क्र०सं० (S N)	पाठ्य विषय (Subjects)	बि. दुमान (Grade)	1984 विवरण	बि. दुमान (Grade)	1985 विवरण	बि. दुमान (Grade)	1986 विवरण
1	प्रथम भाषा						
2	द्वितीय भाषा						
3	अंग्रेजी						
4	गणित						
5	विज्ञान						
6	सामाजिक अध्ययन						
	वैकल्पिक						
	[i]						
	[ii]						
	[iii]						



व्यावहारिक क्रियाएँ

पाठ्य विषय	बि दुमान	1983 विवरण	बि दुमान	19 विवरण
1 उद्योग (Craft)				
[घ] काय पूर्ति (Turnover)				
[ब] काय बीशल (Craftsmanship)				
[स] उपयोग (Application) बि दुमाना का योग (Total Grading)				
2 सामाजिक एव नागरिक क्रियाएँ (Social and Citizenship activities)				
[घ] सग्रह (Collections)				
[ब] अभिव्यक्ति				
[स] सेवा				
[द] दक्षता				
[य] टीम भावना (Team Spirit)				
बि दुमानो का योग				
3 शारीरिक शिक्षा (Physical Education)				
[घ] शारीरिक स्फूर्ति				
[ब] खेल कूद म भाग बि दुमानो का योग				
4 चित्रकला (Drawing & Painting)				
[घ] प्रविधि				
[ब] अभिव्यक्ति				
[स] मौलिकता				
5 समीत				
6 नृत्य बि दुमानो का योग				

## स्वास्थ्य विवरण (Health Reports)

	1982	1983	1984	1985	1986
[i] जैबाई	—	—	—	—	—
[ii] भार	—	—	—	—	—
[iii] दक्ष (सामान्य र प्रसारित)	—	—	—	—	—
[iv] दृष्टि	—	—	—	—	—
[v] श्रवण शक्ति आदि	—	—	—	—	—
चिकित्सक की सम्मति	—	—	—	—	—

## व्यक्तित्व के लक्षण (Personality Traits)

लक्षण (Traits)	विदुमान (Grade)
[i] पहल (Initiative)	16
[ii] चारित्रिक दृढ़ता	
[iii] अथर्वसाय (Perseverance)	
[iv] नेतृत्व (Leadership)	
[v] आत्म विश्वास (Self confidence)	
[vi] संवेगात्मक नियंत्रण (Emotional Stability)	
[vii] सामाजिक अभिवृत्ति (Social Attitude)	
[viii] अन्य	

## सामान्य टिप्पणी (General Remarks)

- [i] उत्तरदायित्व ग्रहण करने की क्षमता की योग्यता
- [ii] विशेष विवरण
- [iii] वक्षाध्यक्ष के हस्ताक्षर
- [iv] प्रधानाध्यापक/प्राचार्य के हस्ताक्षर

बोर्ड ने इस मूल्यांकन विधि को "व्यापक आंतरिक मूल्यांकन योजना" (Comprehensive Internal Assessment Scheme) का नाम दिया है। विभिन्न प्रवृत्तियों का पंच-बिंदु-मापनी (Five point Scale) के आधार पर मूल्यांकन कर तथा घटनावृत्त प्रपत्रों (Anecdotal Records) में दी गई टिप्पणियाँ के आधार पर सचयी अभिलेख में प्रविष्टियाँ करनी चाहिए।





